पंचदश माला, खंड 2, अंक 8

सोमवार, 13 जुलाई, 2009
22 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettee & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 77
Dated 21 March 2011

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे. पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाए सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 8, सोमवार, 13 जुलाई, 2009/22 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 126	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 127 से 140	33-71
अतारांकित प्रश्न संख्या 1043 से 1260	71-453
सभा पटल पर रखे गए पत्र	454-464
समितियों के लिए निर्वाचन	464-469
(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	464-465
(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट	465
(तीन) रबर बोर्ड	466
(चार) मसाला बोर्ड	466-467
(पांच) चाय बोर्ड	467
(छह) नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड	468
(सात) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	468-469
सदस्यों द्वारा निवेदन	469-479
(एक) दिल्ली में मेट्रो रेल के निर्माण स्थल पर हुई कथित दुर्घटना के संबंध में	469-475
(दो) जी-8 देशों द्वारा भारत को संवर्धन और पुन:प्रसंस्करण की जाने वाली वस्तुओं के अंतरण पर लगाई गई शर्त के संबंध में	477-479
(तीन) अयोध्या मामले से संबंधित दस्तावेजों के कथित रूप से गायब होने के संबंध में	
नियम 377 के अधीन मामले	480-491
(एक) उत्तर प्रदेश में गोंडा और गोरखपुर के बीच आनंद नगर-नौतनवा होते हुए रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता श्री जगदम्बिका पाल	480
(दो) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समास्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता श्री के.पी. धनपालन	481

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटकुल डिवीजन में तैनात सहायक रेलवे ड्राइवरों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	481–482
(चार) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के मनीमुतर डैम के आसपास के पिकनिक केंद्र का संरक्षण करने तथा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	482–483
(पांच) महाराष्ट्र में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए निधियों को समयबद्ध तरीके से जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	483
(छह) गुजरात के पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को उस क्षेत्र के विकास पर बल देने के लिए पिछड़े क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदीश ठाकोर	483–484
(सात) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	484
(आठ) बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और अन्य रोजगार स्कीमों के तहत पर्याप्त निधियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरि मांझी	484
(नौ) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सिंचाई परियोजना के लिए निधियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	484–485
(दस) गुजरात में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री मोरारजी देसाई की समाधि पर एक स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिन पाठक	485–486
(ग्यारह) झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया का फैलाव रोकने तथा लोगों को समुचित चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुदर्शन भगत	486
(बाहर) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
डॉ. घनश्याम अनुरागी	487
(तेहर) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	487
(चौदह) बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर में पान अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री कौशलेन्द्र कुमार	487–488

विषय	कॉलम
(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेचदा से रानीचक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 पर सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुवेन्दु अधिकारी	488
(सोलह) राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आश्यकता	
श्री डी. वेणुगोपाल	488-489
(सत्रह) एक काजू बोर्ड जिसका मुख्यालय केरल में हो, स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. सम्पत	489
(अठारह) उड़ीसा में उत्पादित कोयले पर रायल्टी की समीक्षा किए जाने में विलम्ब	
श्री वैजयंत पांडा	490
(उन्नीस) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीपीएल कार्डधारकों की सूची की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री संजय सिंह चौहान	490
(बीस) महाराष्ट्र के कोल्हापुर विमानपत्तन की हवाईपट्टियों का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
श्री सदाशिवराव दादोबा	491
सामान्य बजट (2009-10) - सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2006-2007	491-720
श्री निशिकांत दुबे	493-497
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	498-499
डॉ. चिन्ता मोहन	499-502
श्री वीरेन्द्र कुमार	502-506
श्री जयंत चौधरी	506-510
डॉ. रतन सिंह अजनाला	510-514
श्री असादूद्दीन ओवेसी	514-519
श्री हरिन पाठक	519-527
श्री दत्ता मेघे	527-532
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	532-534
श्री प्रहलाद जोशी	534-539

विषय कॉलम

श्री राम सिंह कस्वां 539-542

श्री जी.एम. सिद्देश्वर 542-544

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 544-545

श्री सोमेन मित्रा 545-549

श्री बंस गोपाल चौधरी 549-552

श्री विजय बहादुर सिंह 552-565

श्री विष्णु पद राय 565-571

श्री अधीर चौधरी 571-573

श्री इन्दर सिंह नामधारी 573-576

श्री मनोहर तिरकी 576-578

श्री आधि शंकर 578-581

श्री पशुपति नाथ सिंह 581-583

श्री सी. राजेन्द्रन 583-585

श्री मदन लाल शर्मा 585-588

श्री शरीफुद्दीन शारिक 588-591

श्री गणेश सिंह 591-594

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर 595-597

श्री रेवती रमन सिंह 597-600

डॉ. रत्ना डे 600-603

डॉ. संजय जायसवाल 605-607

श्रीमती दीपा दासमुंशी 607-611

श्री प्रेम दास राय 611-627

श्री श्रीपाद येसो नाईक 627-629

श्री नृपेन्द्र नाथ राय 630-632

श्री मोहम्मद असरारुल हक 642-645

श्री अवतार सिंह भडाना 645-646

श्री मोहन जेना 646-649

श्रीमती शताब्दी राय 649-650

विषय **कॉलम**

श्री जगदानंद सिंह 650-653

श्रीमती प्रिया दत्त 653-657

श्री अधलराव पाटील शिवाजी 657-658

डॉ. तरूण मंडल 659-660

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना 661-663

श्री प्रबोध पांडा 663-665

डॉ. राजन सुशांत 665-669

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 669-671

श्री पबन सिंह घाटोवार 671-675

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 675-685

श्री जोस के. मणि 685-686

श्री बदरूद्दीन अजमल 686-691

श्रीमती सुमित्रा महाजन 691-694

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 694-699

श्री ए. गणेशमूर्ति 699-702

श्री राजू शेट्टी 703-704

श्री पी. लिंगम 704-708

डॉ. संजीव गणेश नाईक 708-709

श्री राकेश सचान 709-713

श्री विजय बहुगुणा 713-718

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी 718-719

मोहम्मद अजहरूद्दीन 720

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 721

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 722-728

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 729-730

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 729-730

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोकसभा

सोमवार, 13 जुलाई, 2009/22 आषाढ़, 1931 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*[**अध्यक्ष महोदया** पीठासीन हुईं]*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 121, श्री प्रदीप माझी

...(व्यवधान)

श्री प्रदीप माझी (नवरंगपुर): प्र.सं. 121 *...(व्यवधान)*

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपया बैठ जाइये। मैं 'शून्य काल' में इसकी अनुमति दूँगी। कृपया प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): गुजरात में कांग्रेस के विधायकों पर हमला हुआ है। *...(व्यवधान)* कांग्रेस के विधायकों को मारा जा रहा है। *...(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर हमला हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जीरो ऑवर में आप इस मुद्दे को उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सत्ता से जुड़े हुए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जीरो ऑवर में आप इस मुद्दे को उठाइए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बाल श्रम

*121. +**श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी.पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हर प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद देश में बाल श्रमिक के रूप में काम करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाल श्रम की समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) बाल श्रम की संख्या के बारे में देशव्यापी आंकड़ा राष्ट्रीय जनगणना संक्रिया के अंतर्गत मुहैया कराया जाता है। पिछली जनगणना 2001 के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष की आयु समूह में कामकाजी बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ थी जिसमें से लगभग 12 लाख जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे रहे थे। आंकड़ों में किसी प्रकार की वृद्धि अथवा कमी की जानकारी अगली जनगणना के पश्चात उपलब्ध होगी। तथापि, भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 घरेलू श्रमिकों के रूप में और ढाबों में कर्मकारों सहित 16 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। इस अधिनियम में कानून के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार हैं

सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए देश में 271 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम भी चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों का

विशेष स्कूलों में दाखिला कराया जाता है जहां उन्हें त्वरित ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा, पोषणाहार तथा स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। लगभग 9800 विशेष स्कूलों को मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें 5.00 लाख बच्चों का नाम दर्ज कराया गया और वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरूआत से लगभग 5.21 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में लेकर मुख्य धारा में लाया गया है। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, सरकार अन्य मंत्रालयों के विभिन्न विकासपरक और गरीबी उन्मूलक कार्यक्रमों/स्कीमों के आमेलन के माध्यम से उनके परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए सकारात्मक उपाय भी कर रही है। बाल श्रम की बुराई पर समय-समय पर जागरूकता उपाय भी कर रही है। बाल श्रम की बुराई पर समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं। सरकार बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग कर रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप माझी: अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन), अधिनियम, 1986 की केन्द्रीय निगरानी और कार्यान्वयन समित का गठन किया है। संसद ने शिक्षा का अधिकार विधेयक पहले ही पारित कर दिया है। तब भारत सरकार ने आईएलओ (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) के अनुच्छेद 182 पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किये हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने संकल्प सं. 182 और 138 के सभी पहलुओं की जाँच की है। जाँच जारी है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही इस पर कोई राय बनेगी, हम निश्चित तौर पर इस पर आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रदीप माझी: अध्यक्ष महोदया, यह सचमुच एक गंभीर मसला है। भारत सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, एनसीएलपी योजना व्यावसायिक शिक्षा हेतु अपर्याप्त धनराशि दिए जाने जागरूकता और अवसंरचना के अभाव तथा विद्यालय स्तर पर प्रयास न किए जाने के कारण विफल हो रही है। यदि हाँ, तो सरकार ने एनसीएलपी के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाएँ हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अध्यक्ष महोदया, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए धनराशि अपर्याप्त है। लेकिन इस बार, हम एक बार फिर योजना आयोग से बात कर रहे हैं। इस दौरान, हमें सर्व शिक्षा अभियान जैसी अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए अधिक धनराशि मुहैया कराई जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे कुछ आय-सर्जक कार्यक्रम भी हैं। शहरी क्षेत्रों में भी योजनाएँ चल रही हैं। ये सभी कार्यक्रम बच्चों को विद्यालय आने और मुख्यधारा में शामिल होने में सहायक होंगे।

जैसाकि माननीय सदस्य ने उचित ही कहा है यद्यपि एनसीपीएल योजना के अंतर्गत धनराशि की कमी नहीं है तथापि अन्य ऐसी योजनाएँ चल रही हैं जिनके अंतर्गत भारत सरकार ने पर्याप्त ध नराशि मुहैया कराई है। मेरा ख्याल है कि आगामी वर्षों में इससे अधिकाधिक बच्चों को निश्चित रूप से विद्यालय लाने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी.पटेल: अध्यक्ष महोदया, आज हमारे देश में 4.5 करोड़ बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारा देश आज युवा भारत है किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस युवा भारत में आज करीब 1.3 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से भी इस कुप्रथा को रोकने में सरकार को सफलता नहीं मिली है। आज भी करोड़ों बच्चे बाल श्रमिकों के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार सरकार उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए आईएसआई सर्टिफिकेट जारी करती है, इसी प्रकार क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी करने की सरकार की योजना है जिसमें कहा गया हो कि हमारे कारखाने में जो प्रोडक्ट्स बने हैं, उसमें बाल श्रमिकों से काम नहीं लिया गया है? क्या सरकार सभी प्रोडक्ट्स में इस प्रकार का सर्टिफिकेट जारी करना चाहती है? यदि हाँ तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आज की स्थिति के अनुसार तक वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 1.26 करोड़ है। इनमें से लगभग 12 लाख बच्चे खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत हैं। इसलिए, सरकार कार्य स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार कई कदम उठा रही है, विशेष रूप से हमने लगभग 10,000 विद्यालय खोले हैं और उनमें से बहुत बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों ने इसमें रूचि दर्शाई है और वहाँ श्रमिकों की संख्या घट रही है। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव की जाँच करूँगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 2001 की जनगणना के अनुसार पाँच से चौदह वर्ष की आयु सीमा के बच्चों की संख्या 1.26 करोड़ थी जिनमें से 12 लाख बच्चे जोखिम कार्य व्यवसायों में कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद के काँच उद्योग में कितने बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा उनको कितने सैन्टीग्रेड हीट में काम करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में कार्य करने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? काँच निर्माण के व्यवसाय में कितने बाल श्रमिकों को निकालकर उनके पुनर्वास के लिए प्रयास किये गए हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप एक प्रश्न पूछिये।

श्री वीरेन्द्र कुमार: जिन निर्माताओं ने ऐसे बाल श्रमिकों को कार्य में लगाया है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: उन्होंने इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा है। यह सामान्य प्रश्न है। यदि वह यह विशेष जानकारी चाहते हैं कि फिरोजाबाद काँच उद्योग में कितने बच्चे काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यह जानकारी दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें जानकारी भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: यह विशेष प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है। काँच उद्योग जोखिम कार्य व्यवसाय है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। मंत्री जी को जानकारी नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपका हो गया है। श्री तूफानी सरोज।

श्री तूफानी सरोज: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज भी गाँवों में गरीबी के कारण अपने भरण-पोषण के लिए लोग अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेजते हैं क्योंकि, गरीबी है, पेट भरना है। तमाम बाल-श्रमिक कानून बनने के बावजूद लोग उन्हें मजदूरी करने के लिए भेजते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी कन्वैन्शन पर हस्ताक्षर किए हैं? यदि किए गए हैं तो उक्त कनवैन्शन का ब्यौरा क्या है?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह इससे जुड़ा हुआ नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यूनएओ के रैजूलेशन के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, जो कि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और असमानता है। इसलिए भारत सरकार बहुत सी स्कीम्स के माध्यम से लोगों की मदद कर रही है। *...(व्यवधान)* नरेगा और अन्य स्कीम्स के माध्यम से लोगों की इनकम को बढ़ाना और स्कूल में दाखिल करने के लिए हम सभी स्टैप्स ले रहे हैं। इससे बहुत फायदा होगा। चाइल्ड लेबर की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है और इसमें कमी आई है।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, इस देश की सबसे बड़ी ताकत दस्तकारी है। खरगे साहब जहाँ से आते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा उद्योग दस्तकारी है। कपड़ा बुनना, वुडवर्क, कालीन और संगीत सीखना भी एक शिक्षा है। मैं कपड़ा मंत्री रह चुका हूँ। आदमी दस्तकारी को बचपन में सीखता है। महात्मा जी खुद एक दस्तकारी हो गए थे। यह इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। आप चाइल्ड लेबर के डंडे से सबको एक साथ हांक रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी को इस पर व्यापक बहस के लिए मीटिंग बुलानी चाहिए। जिन दस्तकारों के बलबूते पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उन दस्तकारों की एजुकेशन बचपन में ही हो सकती है। पंडित रविशंकर यदि बचपन में नहीं सीखते तो इतने बड़े संगीतज्ञ नहीं होते। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान की परिस्थिति को देखते हुए क्या आप एक मीटिंग बुलाकर ऐसा रास्ता उठाएंगे, जिससे कि दस्तकारी के धंधे में वे कुशल हो सकें? क्या आप इस पर कोई पहल करेंगे या नहीं?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आपने जो सुझाव दिए हैं, हम सभी माननीय सदस्यों को बुलाकर उन पर चर्चा करेंगे और जो ठीक बात है, उसे कनसीडर करने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि किसी चीज से समाज को फायदा होता है, तो उसके बारे में सोचेंगे।

[अनुवाद]

श्री वैजयंत पांडा: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गए उत्तर में बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए प्रोत्साहनों का जिक्र है, लेकिन इसमें दण्डात्मक उपायों की बात नहीं की गई है। इसमें राज्य सरकारों

के उत्तरदायित्वों की बात है, लेकिन इसमें केन्द्र सरकार के उत्तरदायित्वों का कोई जिक्र नहीं है। मैं माननीय मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पहले उन क्षेत्रों को सामने लाने के लिए छापों के बारे में मीडिया में बराबर खबरें आई थीं, जहाँ बच्चों को मजदूरी के लिए विवश किया जा रहा था और उनको उससे बचाने की खबरें भी आ रही थीं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार ऐसे किसी प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी जो बच्चों को मजदूरी से बचाने के लिए नियमित आधार पर छापे मारेगा और यदि नहीं, तो क्या आप इसे आरंभ करने पर विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यह तो राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्यों द्वारा ही हम इम्पलीमेंट करते हैं। राज्य सरकार भी मोनीटर करती है। यदि कहीं से स्पैसिफिक कम्पलेंट आए तो भारत सरकार के आफिशियल्स भी जाकर उसको देखते हैं। ऐसी समस्या को सोल्व करने के लिए भारत सरकार भी मदद करती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्र.सं. 122, श्री चंद्रकांत खैरे।

[हिन्दी]

विदेशी विश्वविद्यालय

*122. + **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सहित देश में स्वदेशी शैक्षिक संस्थाओं की साझेदारी से चल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश तथा संचालन के विनियमन के लिए कोई विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह कानून कब तक लागू होगा?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन के विनियमन हेतु किसी केन्द्रीय विधान के अभाव में घरेलू शैक्षिक संस्थाओं के साथ उनके सहयोजन संबंधी केन्द्रीय सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी शिक्षा में सहयोग के लिए सीमित विनियम तैयार किए हैं और उक्त विनियमों के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा ऐसे छह सहयोग दर्ज किए गए हैं।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) संदिग्ध कोटि की विदेशी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के आगमन को रोकते हुए सरकार देश में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में और सुधार करने की दृष्टि से अपने मूल देश में प्रत्यायित प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन को सुसाध्य बनाने के लिए तैयार करने हेतु एक कानून पर विचार कर रही है। उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता न रखने वाली संस्थाओं में छात्रों को दाखिला देने वाली संस्थाओं को निषिद्ध करने तथा दण्डित करने हेतु भी एक अन्य कानूनी प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी विदेशी विद्यालयों के संबंध में जानना चाहता हूँ, हिन्दुस्तान के बहुत सारे बच्चे और विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। अगर हमारे यहाँ भी उसी माध्यम से पढ़ाई हो, जैसे कि विदेशी विश्वविद्यालयों होती है, उनके जो नियम होते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ भी हों तो हमारे यहाँ के बच्चे भी विदेश नहीं जाएंगे, अपने देश में ही वे पढ़ाई कर सकेंगे। एआईसीटीई के माध्यम से छः प्रस्ताव कोलाब्रेशन के लिए आए। अपने देश के विश्वविद्यालयों के साथ कोलाब्रेशन करने के लिए जो छः प्रस्ताव आए हैं, वे कौन-कौन से हैं? कौन से राज्यों एवं विश्वविद्यालयों ने इस बारे में एआईसीटीईको प्रस्ताव दिया है और वे कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, इन संस्थाओं के नाम हैं–महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट; हरियाणा में एशिया-पैसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी; आंध्र प्रदेश में श्री निधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी; मेरठ में आईआईएमटी होटल मैनेजमेंट कॉलेज; दिल्ली में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा इन्दौर में डेली कॉलेज बिजनेस स्कूल।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदया, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने देश के विश्वविद्यालयों के साथ कोलाब्रेशन करने के लिए जो नियम बनाने वाली है और एक विधेयक मानदंड के साथ लाने वाली है, उसकी रेगुलेटरी अथोरिटी बनाने पर यहाँ विचार कर रही है? उसकी पॉलिसी ट्रांसपिरेंट होनी चाहिए ताकि उसकी फीस, उसके अध्ययन की सब को जानकारी हो सके, जो विद्यार्थी वहाँ जाएगा तो उसकी फीस एवं फंडिंग के बारे में कंट्रोल करने के लिए एआईसीटीई के माध्यम से ही ऐसे प्रस्ताव बनें, क्या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे नियम बनाए जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: यह प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ। एआईसीटीई एक विनियामक प्राधिकरण है, जो पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान करता है। यह विदेशी संस्थाओं को भारत में आने की अनुमति नहीं दे सकता। वास्तव में, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा भारत में विदेशी संस्थाओं को अनुमति दी जा सके। अत: यह सरकार ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि उन पर नियंत्रण करने के लिए कानून न होने और अविनियंत्रित प्रवेश की बजाए कोई कानून होना बेहतर है।

आप यह प्रश्न पूछना चाह रहे थे कि हम उनकी फीस पर नियंत्रण कैसे करेंगे; हमारे बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण कैसे करेंगे; बच्चों को कैसी डिग्रियाँ दी जाएँगी; इसकी संयुक्त व्यवस्था कैसी होगी; क्या वे पूर्ण विदेशी डिग्रियाँ होंगी और क्या वे विदेशी डिग्रियों सहित भारतीय डिग्रियाँ होंगी? इन सभी मामलों का एक विशिष्ट कानून के माध्यम से समाधान किया जाएगा, जो भारत में विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश से संबंधित मामलों का निपटान करेगा।

इस समय हमारे पास सही-सही सटीक संख्या नहीं है, लेकिन विभिन्न संगठनों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार हमें यह बताया गया है कि लगभग 1,60,000 बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं और उसके लिए राजकोष से वार्षिक 7 बिलियन डॉलर का व्यय होता है।

आज भारत में विश्वस्तरीय संस्थाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को विदेश जाने की जरूरत न पड़े और विदेशी शिक्षा प्रदाता भारत आ सकें, जिससे उन्हें विनियमित किया जा सके, इससे हमें दोनों ओर से फायदा होगा। हम इस उद्देश्य से एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि यह सभा इसमें हमारा समर्थन करेगी।

श्री एस. सेम्मलई: अध्यक्ष महोदया, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम वैश्वीकरण के इस दौर में विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश को पूरी तरह रोक नहीं सकते। तथापि, इस बारे में जाँचोपाय किए जाने चाहिएँ। मेरे मन में कुछ शंका है और मंत्री महोदय को उत्तर देकर इसे स्पष्ट करना होगा। क्या हम विदेशी विश्वविद्यालयों को आरक्षण नीति का पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं?

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, यह वास्तव में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभा में विस्तार से चर्चा होगी क्योंकि कृपया यह याद रखिये कि यह उस पर निर्भर करता है कि आप कौन-कौन से पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नैनो-टेक्नोलॉजी अथवा ज्ञान के किसी नए विषय में संयुक्त उद्यम प्रक्रिया से अनुसंधान संबधी ढांचा स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अभी भी खोजबीन ही कर रहे हैं। हो सकता है उसके लिए आपकी नीति हमारे संस्थाओं में लागू नीति से अलग हो। यह सामान्य बी.ए. कोर्स है, क्या ऐसा नहीं है? सभा में इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाना है। इसके लिए सभा में और देश आम सर्वसम्मति होगी, तभी हम इस दिशा में कदम बढ़ायेंगे। याद रखिए, हम अपने बच्चों का विदेशी शिक्षा प्रदाताओं द्वारा शोषण नहीं होने देंगे। लेकिन हम विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के माध्यम से अपने बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे, ताकि हम एक ऐसे तरीके से अपनी प्रणाली विकसित कर सकें कि भारत में सभी लोग शिक्षित होकर देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाएँ। हमारा लक्ष्य यही है।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: यह एक भारतीय विश्वविद्यालय के बारे में है, जिसके साथ विदेशी विश्वविद्यालय जैसा व्यवहार किया जा रहा है। देहरादून पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ने मेरे संसदीय क्षेत्र राजामुंदरी में अपनी एक शाखा शुरू की है, क्योंकि वहाँ कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल भंडार है। ओएनजीसी, रिलायंस और

अन्य कम्पनियाँ वहाँ कार्य कर रही हैं। हमने सोचा कि वहाँ इसकी शाखा खोलना बेहतर होगा। मैंने स्वयं उन से बातचीत की और राजामुंदरी में शाखा खुलवाई। यह पिछले दो वर्षों से वहाँ चल रही है। अचानक एक महीने पहले समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि कोई भी विश्वविद्यालय जिस राज्य में वह पंजीकृत है, उसके अलावा किसी अन्य राज्य में अपनी शाखा नहीं खोल सकता। राजामुंदरी कॉलेज में पिछले दो वर्षों से पढ़ रहे विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा? उन्हें शेष दो वर्षों की शिक्षा देहरादून से पूरी करने की सलाह दी गई है। क्या सरकार विद्यार्थियों और उनके परिवारों के बचाव के लिए कुछ करेगी?

श्री कपिल सिब्बल: यह इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है। यह प्रश्न विदेशी शिक्षा प्रदाताओं से सम्बद्ध है और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह विदेशी शिक्षा प्रदाताओं से सम्बद्ध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि माननीय सदस्य मेरे पास आएँ, तो मैं इस मामले पर विचार करूँगा।

श्रीमती मेनका गाँधी: सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने वास्तव में ही अनेक ठोस कदम उठाए हैं और मैं आशा करती हूँ कि उन्हें मूर्त रूप देने में सहयोग मिलेगा। शिक्षा के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वास्तव में ही हम पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए पशु-चिकित्सा विज्ञान को ही लीजिए। इस मामले में विश्व में हमारी स्थिति बदतर है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों, उदाहरण के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान और ऐसे क्षेत्रों जहाँ हम बहुत पिछड़े हुए हैं, में विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को लाने पर विचार कर रही है।

श्री कपिल सिब्बल: मैं माननीय सदस्य को यह कहते हुए उत्तर देना चाहता हूँ कि यह बाजार तंत्र है। होता यह है कि विदेशी शिक्षक प्रदाता अपनी इच्छा से भारत आना चाहते हैं। हम उन्हें यहाँ लाना चाहें या न चाहें, यह हमारा निर्णय है। फिलहाल हो यह रहा है कि दो प्रकार के विदेशी शिक्षा प्रदाता बिना किसी कानूनी संदर्भ के भारत आ रहे हैं और उनमें से अधिकांश होटल प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन से जुड़े होते हैं; ऐसा इसलिए है क्योंकि होटल प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन दोनों ही की विदेशों में भारी माँग है। नतीजतन भारतीय छात्र उन क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार के अवसर ढूँढ रहे हैं। इसलिए काफी संख्या में भारतीय छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं। अब हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ भारत आना चाहती हैं। हम पशु विज्ञान संस्थान को भारत आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन यदि वह यहाँ आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को सावधान करना चाहता हूँ कि अगर कोई छात्र विदेशी भाषा या विदेशी साहित्य पढ़ना चाहता है या कोई कम्प्यूटर सीखना चाहता है तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरे बारे में बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी अनिवार्यता के खिलाफ हूँ। इस प्रकार जो मुझ पर आरोप लगे हैं, इस सदन के माध्यम से मैं उनका खंडन करता हूँ।

महोदया, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में विद्वानों की कमी नहीं है। अगर विद्वानों की कमी है, तो मैं हैल्थ के मामले में सिर्फ एक उदाहरण देकर इसका खंडन करना चाहता हूँ। शिक्षा के मामले में भी उदाहरण दूँगा। अमेरिका में भी दिल की बीमारी का ऑपरेशन हिन्दुस्तान के डॉक्टरों ने किया है। हिन्दुस्तान में प्रतिभाओं को अवसर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें अवसर दीजिए। विदेशी विश्वविद्यालयों से बेहतर विश्वविद्यालय हमारे यहाँ बनाए जा सकते हैं। हमें अपने विश्वविद्यालयों के बारे में सोचना और विचार करना चाहिए कि हम उनमें किस प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ खोलकर मुझे लगता है कि विदेशी शिक्षा और विदेशी भाषा अनिवार्य की जाएगी। इससे यहाँ गैर-बराबरी फैलेगी। जब आप यहाँ विदेशी विश्वविद्यालय ले आएंगे, तो गरीब और मजदूर के बेटे, जो देश के दूरदराज के क्षेत्रों में बसे हुए हैं, जिन्होंने रेल की पटरी भी अभी तक नहीं देखी है कि वह कैसी होती है, क्या वे इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर पाएँगे। इस प्रकार से यह गैर-बराबरी फैलाने का सबसे बड़ा काम होगा। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ कि जब कभी यह बात आएगी, तो हम सही साबित होंगे क्योंकि हमारी यह बात रिकार्ड पर जा रही है।

महोदया, हमारे यहाँ विदेशी विश्वविद्यालय अगर लाए जाएंगे, तो गुलामी की शुरूआत मानी जाएगी। हमारे यहाँ शिक्षाविद् और विद्वान कम नहीं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर किसी और देश की संस्कृति *...(व्यवधान)* नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे अपने देश के शिक्षाविदों को बुलाकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विदेशी विश्वविद्यालय के स्तर के विश्वविद्यालय अपने देश में ही खोले जाएँ न कि विदेशी

विश्वविद्यालयों को यहाँ बुलाया जाए। मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी शिक्षाविद् रहा हूँ।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: सबसे पहले मैं माननीय सदस्य का मुझे सचेत करने के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि देश में बहुत से विद्वान लोग हैं और वह उनमें से एक हैं। निश्चित रूप से हमारे देश में प्रतिष्ठित संस्थान बहुत अधिक नहीं हैं। हमारे यहाँ इनकी कमी है। अत: हमारे यहाँ विद्वान लोग अधिक हैं लेकिन हमारे पास प्रतिष्ठित संस्थाओं की कमी है। इस विशेष प्रश्न के उत्तर में हमारा प्रयास तथा सरकार की नीति है कि विदेशी संस्थानों को भारत में आने की अनुमति दी जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह उसी के अनुरूप है।

[हिन्दी]

हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसी संस्थाएँ आएं और ग्लोबल लैवल की इंस्टीट्यूशन्स आएं। इसलिए जो हमारा नैशनल नॉलेज कमीशन और यशपाल कमेटी है, जिन्होंने सुझाव दिए हैं कि सारे एजुकेशन सैक्टर को आप खोलिए और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन्स यहाँ बनाइए। हम बनाने जा रहे हैं। 30 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाने जा रहे हैं और 14 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन्स बनाने जा रहे हैं। यह तो हम कर ही रहे हैं और इन्हीं पाँच सालों में इन्हें पूरा करेंगे। इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि फिर भी यदि यहाँ कोई कमी हो, तो उसे भी हम पूरी करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसी संस्थाएँ हैं, जो हिन्दुस्तान की सारी डिमांड है, उसे पूरा कर सकती हैं। उसमें हमें वक्त लगेगा। अगर अच्छी संस्थाएँ-हार्वर्ड, प्रिंस्टन और येल यहाँ आना चाहती हैं, तो वे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे कोर्स पढ़ाने के लिए आना चाहती हैं, जो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें हमें मंजूरी देनी चाहिए। कोई मैंडेट्री नहीं है। हम किसी बच्चे को यह नहीं कह सकते हैं कि आप जरूरी हार्वर्ड में पढ़िए। यह हम किसी को नहीं कहेंगे। कोई मैंडेट्री नहीं होगा। न यहाँ कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन्स बनेंगी। यहाँ कोई जर्मन थोड़े ही पढ़ाना चाहेगा। सारे यूरोप में लोग आज अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कोई जर्मन या फ्रेंच नहीं पढ़ रहा है। विश्व में आज के दिन जो स्थिति है, वह यह है कि लोग चाहते हैं कि हम कहीं भी जाकर नौकरी कर लें। आज अंग्रेजी इंटरनैशनल लैंग्वेज बनी हुई है। हम किसी को लैंग्वेज पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं बुलवा रहे हैं। लेकिन हम ऐसी संस्थाएँ लाएंगे, जिनसे देश को फायदा हो और हिन्दुस्तान आगे बढ़े।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, अंग्रेजी इंटरनैशनल लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेजी केवल दुनिया के सात देशों में है। सदन को गुमराह किया गया है। मैं जिनेवा गया था। मैंने अंग्रेजी में पूछा था कि हमारे जो और साथी हैं, वे कहाँ ठहरे हैं, तो वहाँ के लोग नहीं बता पाये। आधे घंटे बाद वे कहीं से हमारे साथियों को ढूँढकर लाए और तब हमें पता लगा कि हमारे साथी कहाँ ठहरे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, बैठिए। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम सदन को आगाह करना चाहते हैं कि यह देश को गुलामी की तरफ ले जाने वाली बात होगी। आप भी विद्वान हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप बैठिए। श्री करुणाकरन जी को अपना प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने कैसे कह दिया कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मुलायम सिंह जी, मैं मानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री मुलायम सिंह जी कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए। कृपया शांत हो जाइए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदया, अंग्रेजी कुछ ही देशों की भाषा है। संपूर्ण विश्व की नहीं। इटली की भी नहीं है। *...(व्यवधान)* मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री करुणाकरन जी, कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री पी. करुणाकरन: महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में यह स्पष्ट है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में आने की अनुमति देने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है।

इस सभा में दिए गए उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि शैक्षणिक संस्थाएं विश्व स्तर की होंगी और वह उन्हें

प्रोत्साहन दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह अच्छा निर्णय है। इस संबंध में 14वीं लोकसभा ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित एक कानून बनाया पारित किया था और पाठ्यक्रम द्वारा 14 विश्वविद्यालयों को स्वीकृति दी गई थी। उनमें से एक केरल के लिए स्वीकृत है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन विश्वविद्यालयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हम विदेशी विश्वविद्यालयों के बारे में विचार कर रहे हैं। किंतु हमने यहाँ अन्य विश्वविद्यालयों के लिए कानून पारित किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन विश्वविद्यालयों ने कार्य करना प्रारंभ किया है या नहीं।

श्री कपिल सिब्बल: इन विश्वविद्यालयों में से कुछ को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से इस प्रश्न का "विदेशी विश्वविद्यालयों" से कोई संबंध नहीं है। अत: मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में अलग से प्रश्न पूछें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 123, श्री बी.वाई. राघवेन्द्र– उपस्थित नहीं।

प्रमुख युद्धक टैंक अर्जुन

*123. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थल सेना में शामिल किए गए प्रमुख युद्धक टैंक (एम.बी.टी.) अर्जुन का पूर्णरूपेण प्रचालन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी मद की खरीद विदेशी स्रोतों से भी करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अब तक सेना को 47 एमबीटी अर्जुन टैंक जारी कर दिए गए हैं। सेना अब अर्जुन टैंक की प्रथम रेजिमेंट को सुसज्जित करने की प्रक्रिया में है। चूंकि रेजिमेंट पहले टी-55 टैंकों से सुसज्जित थी, इसलिए अफसरों तथा चालक दल को नए टैंक के लिए प्रशिक्षित करना होता है जिसे संपरिवर्तन प्रशिक्षण कहते हैं। संपरिवर्तन प्रशिक्षण के पश्चात टैंक पूर्णत: प्रचालनात्मक हो जाएंगे।

अब तक भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी को 124 अर्जुन टैंकों के क्रयादेश दिए गए हैं जिनमें से 47 टैंकों की आपूर्ति हो चुकी है।

सरकार ने वर्ष 2007 में रूस से 347 टी-90 टैंकों का आयात करने का निर्णय लिया था जिसमें से 124 पूर्णत: निर्मित होंगे तथा शेष अध-खुली/पूर्णत: खुली किटों में होंगे जिनको भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी में जोड़ा जाएगा। वर्तमान में, ऐसे उपकरणों का और आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा: अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ लिया है।

रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की गतिशीलता, मारक क्षमता, तथा मजबूती विश्व के समकालीन टैंकों के समान है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, 24 मार्च 1974 को हुई बैठक में राजनीतिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने मुख्य युद्धक टैंक के डिजाइन और विकास के लिए 15.50 करोड़ रुपए के परियोजना की स्वीकृति प्रदान की थी और इसे बढ़ाकर 305.60 करोड़ रुपए कर दिया गया था। लंबे अंतराल के बाद क्रयादेश जारी किया गया था। 124 टैंकों की आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश के 10 वर्ष बाद, माननीय मंत्री जी के वक्तव्यनुसार सेना को अभी तक केवल 47 एमबीटी अर्जुन टैंक प्राप्त हुए हैं। इतने असामान्य और अत्यधिक विलंब के क्या कारण थे?

श्री एम.एम. पल्लम राजू: सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छा समाचार यह है कि अर्जुन टैंक एक वास्तविकता है और एक पूरी रेजीमेंट सेना को दी जा चुकी है।

जहाँ तक विलंब का संबंध है यद्यपि इस परियोजना को स्वीकृति 1974 में मिली थी, तथापि श्री एसक्यूआरएस, जो पंचाकन संबंधी मानदण्ड हैं, को 1985 में अंतिम रूप दिया गया था। तत्पश्चात टैंकों की उत्पादन पूर्व शृंखला को सेना को सौंप दिया गया था। कई परीक्षण कराए गए। चूँकि हमारे पास उच्च प्रणालियों की स्वदेशी क्षमता नहीं थी, अत: हमें उनमें से अधि कांश का आयात करना पड़ा। उनके समेकन में भी समय लगा। परीक्षणों में भी समय लगा है। सेना के इस गुणवत्ता पर आवश्यकताओं के प्रति अत्यंत कड़े मानदण्ड नहीं हैं।

लेकिन हमने इस सबको देख लिया है; अच्छी खबर यह है कि सेना के पास टैंकों का पूर्ण खेप है।

श्री प्रबोध पांडा: महोदया, यह समझ में नहीं आया कि कमियाँ क्या थीं और विलंब के क्या कारण थे।

परंतु मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय इस क्षेत्र में कोई विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहा है। हम जानते हैं कि आयुध निर्माण में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

चूँकि यह रक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है या नहीं?

श्री एम.एम. पल्लम राजू: सदस्य ठीक ही कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश 26 प्रतिशत है। लेकिन जहाँ तक टैंकों का संबंध है, चूँकि इसके निर्माण के लिए हमारा स्वदेशी कार्यक्रम चल रहा है इसलिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की व्यवस्था के संबंध में किसी से बात नहीं चल रही है। लेकिन जिन टैंकों का हम आयात करते हैं, उनकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की व्यवस्था पर हम विचार कर सकते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि 124 एमबीटी अर्जुन टैंकों की खरीद के लिए क्रयादेश दे दिए गए हैं। उन्होंने केवल 47 एमबीटी की आपूर्ति की है। वे सेना को सभी 124 टैंकों की आपूर्ति कब करेंगे? यह अच्छी बात है कि इस देश में हमारे पास एक स्वदेशी युद्धक टैंक हैं।

इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश की रक्षा के लिए हमारी सेना हेतु आवश्यक टैंकों की खरीद के संबंध में हमारी क्या तैयारी है?

श्री एम.एम. पल्लम राजू: महोदया, शेष 77 टैंकों की आपूर्ति मार्च 2010 के अंत तक होने की संभावना है। चूँकि हमारा स्वदेशी कार्यक्रम सफल रहा है, इसलिए हमें आशा है कि इन टैंकों के लिए और अधिक आदेश दिए जाएंगे। वर्तमान में, इस पहली रेजिमेंट का परिवर्तन प्रशिक्षण चल रहा है। इसके बाद दो रेजिमेंटों को सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। हम वर्तमान टैंकों तथा अर्जुन टैंकों का इस वर्ष सर्दियों में तुलनात्मक परीक्षण करने जा रहे हैं। इनके बाद सेना को इसकी संपूर्ण क्षमता पर विश्वास होने के उपरांत हमें और आपूर्ति आदेश मिलने की आशा है।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के इस कथन पर प्रसन्न हूँ कि यह अच्छा समाचार है कि टैंकों की पहली रेजिमेंट तैयार है और इसे सेना में शामिल कर दिया गया है। मैं यह जानकर अचंभित हूँ कि इस परियोजना पर 30 वर्ष तक कार्य होने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि यह अच्छा समाचार है कि परियोजना के शुरू होने के 30 वर्ष बाद रेजिमेंट तैयार है। मंत्री जी ने कहा है कि उपकरणों और टैंकों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है एमबीटी अर्जुन के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे विशेषत: जीएमएस प्रणाली, फायर कंट्रोल कंप्यूटर और थर्मल इमेजिंग का स्वदेशीकरण नहीं किया जा रहा है। डीआरडीओ इस परियोजना पर 25 वर्षों से काम कर रहा था लेकिन फिर भी मेरे विचार से एमबीटी अर्जुन के अधिकतर पुर्जे आज भी अमेरिका और यूरोप से आयात किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डीआरडीओ के पास इन महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के आयातित संघटकों के स्वदेशीकरण की पूर्ण क्षमता है।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: महोदया, माननीय सदस्य पूरी तरह ठीक कह रहे हैं। वर्तमान में 45 प्रतिशत कलपुर्जों का आयात हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इसे घटाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा। किंतु माननीय सदस्य को भी यह ज्ञात है कि आज के विकास के परिवेश में, पहिए का हमेशा पुन: आविष्कार नहीं किया जाता और कभी-कभी इस श्रेणी के टैंक के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम पुर्जों का आयात किया जाता है और उसे प्रणाली में जोड़ दिया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य इसकी सराहना करेंगे।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 124, श्री एकनाथ महादेव गायकवाड।

[हिन्दी]

यशपाल समिति की रिपोर्ट

*†124. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:***
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यशपाल समिति ने उच्च शिक्षा संबंधी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ। उच्चतर शिक्षा के नवीकरण एवं पुनरूद्धार पर सलाह देने हेतु सरकार द्वारा प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 जून, 2009 को सौंप दी है।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मौजूदा विनियामक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, दूरस्थ शिक्षा परिषद तथा व्यावसायिक परिषदों के शैक्षिक कार्यकरण के प्रतिस्थापन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग नामक एक सांविधिक निकाय सृजित करना;

(ii) विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों में शामिल शैक्षिक विषयवस्तु के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा;

(iii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग के समक्ष पाठ्यचर्या सुधार मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए जिससे संपूर्ण पाठ्यचर्या विषयों के दायरे में गतिशीलता और शैक्षिक गहनता के साथ कौशलों के समेकन संबंधी सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यचर्चा ढांचा तैयार होगा;

(iv) सभी विश्वविद्यालयों में एक समृद्ध अवर स्नातक कार्यक्रम का होना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और अवर स्नातक विद्यार्थियों को सर्वोत्तम संकायों के साथ परस्पर क्रियाकलाप करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।

(v) अवर स्नातक कार्यक्रमों को पुन: तैयार किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उचित जुड़ाव प्रदान करते हुए सभी पाठ्यचर्या विषयों की सुलभता का अवसर प्रदान किया जा सके। यह सिफारिश की जाती है कि सामान्यत: किसी एक विषय अथवा एक विशेषज्ञता से युक्त कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाना चाहिए;

(vi) वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और इस क्षेत्र को विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में शामिल करके और पॉलीटेक्निकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में संचालित पाठ्यक्रमों को अपेक्षित प्रत्यायन प्रदान करके इस क्षेत्र के अलग-थलग पड़े रहने की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मार्ग में अड़चनों को कम किया जाना चाहिए ताकि उनके कैरियर के किसी भी स्तर पर ज्ञानाधार उन्नयन हेतु उन्हें सक्षम बनाया जा सके;

(vii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान गठित करके विश्वविद्यालय प्रणाली में शोध को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(viii) नई अभिशासन संरचना तैयार की जानी चाहिए ताकि विश्वविद्यालयों को पारदर्शी एवं जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अपनी स्वायत्तता संरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ix) जब तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में कोई सुविचारित मत व्यक्त न कर ले, इसे रोक देना चाहिए। सभी मौजूदा सम-विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे तीन वर्ष की अवधि के भीतर इस रिपोर्ट में किए गए प्रस्ताव के अनुसार नए प्रत्यायन मानदंड तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर विश्वविद्यालय का दर्जा रद्द कर देना चाहिए। हालांकि, अनोखी शैक्षिक पहलों जिन्होंने अपने नवाचार से कालान्तर में उच्चतर शिक्षा को समृद्ध बनाया है, को मान्यता देते हुए समुचित समर्थन देना चाहिए।

(x) आधुनिक उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए विस्तार सुविधाएँ, अत्याधुनिक उपस्कर, उच्च विशेषतायुक्त ज्ञान तथा सक्षम शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए इन सभी उत्तम अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। अत: विविध क्षेत्रों में कई अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना करना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग का प्राथमिक कार्य होना चाहिए ताकि सर्वोत्तम संभावनाएँ सृजित की जा सकें और उन संभावनाओं से लाभांवित होने के लिए कई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को इनमें भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

(xi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे उत्कृष्टता संभाव्य संस्थाओं को एक संपूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने के बाबत अपने अनोखे स्वरूप को बरकरार रखते हुए अपने विविधतापूर्ण कार्यों के दायरे का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए गति निर्धारक एवं मॉडल अभिशासन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।

(xii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग का प्रथम कार्य देशभर में सर्वोत्तम 1500 कॉलेजों को अभिनिर्धारित करना होना चाहिए जिन्हें विश्वविद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत किया जा सके, और विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने हेतु अन्य संभावित अच्छे कॉलेजों का क्लस्टर बनाया जा सके।

(xiii) विश्वविद्यालयों को बाहर की दुनिया के साथ सीधा संपर्क साधना चाहिए और ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के समक्ष आ रही चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने हेतु क्षमताओं का विकास करना चाहिए।

(xiv) सभी स्तरों की अध्यापक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए।

(xv) ग्रेजुएट रिकार्ड एग्जामिनेशन (जीआरई) की तर्ज पर विश्वविद्यालयों में दाखिले हेतु एक राष्ट्रीय परीक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी आकांक्षियों के लिए सुलभ होगी तथा इसका आयोजन वर्ष में एक से अधिक बार किया जाएगा। विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा विश्वविद्यालयों में उनके सर्वोत्तम परीक्षा अंक भेजने की अनुमति दी जाएगी;

(xvi) राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को उनकी वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली केन्द्रीय वितीय सहायता की मात्रा में प्रोत्साहन के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए;

(xvii) उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार का निरन्तर मूल्यांकन एवं आकलन किया जाना चाहिए ताकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न केवल समानता एवं सुलभता अपितु गुणवत्ता व अवसर में भी शैक्षिक उर्ध्वस्थ के साथ-साथ वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग की भी पाँच वर्ष में एक बार बाह्य समीक्षा की जानी चाहिए।

(xviii) एक राष्ट्रीय शिक्षा ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए जिन्हें संस्थाओं के भीतर स्टेकहोल्डरों के बीच तथा संस्थाओं के मध्य विवादों के निपटारे के अधिकार प्राप्त हों ताकि विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से संबंधित न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी की जा सके।

(xix) एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई हेतु अनुशंसित कार्यसूची के कार्यान्वयन संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ एक कार्यबल गठित किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: महोदया, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि यशपाल समिति ने जो सिफारिशें सरकार को भेजी हैं, उन्हें लागू करने से स्टूडेंट्स को क्या लाभ होगा?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, सिफारिशों का मूल मंतव्य शिक्षा क्षेत्र को खोलना, सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बिना शिक्षा क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति देना, संस्थाओं को शिक्षाविदों द्वारा चलाया जाना, विचारों के आदान-प्रदान की अनुमति, पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में जाने की अनुमति देना, विभिन्न प्रकार की डिग्रियों को अनुमति देना तथा बहुत मजबूत और कर्ज प्रत्यापण प्रणाली प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में, कोई संस्था जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है, को प्रत्यायन संबंधी जो सरकार के अधीन नहीं होगी, की प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना किसी भी संस्था को अनुमति नहीं दी जाएगी। ताकि भारी संख्या में संस्थाएँ स्थापित की जा सकें। शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो कि नीतिगत मानकों की देखरेख करेगा और सरकार को आगे बढ़ने हेतु दिशानिर्देश देगा। वास्तव में ये ही उपाय है। इस प्रक्रिया से शिक्षा क्षेत्र का विस्तार होगा। यह आपूर्ति और माँग की समस्या से निपटेगा। आज हम कॉलेजों के सामने जो कतारें देखते हैं, उस तरह की कतारें नहीं होंगी और आप सभी को छात्र फोन नहीं करेंगे क्योंकि 97 प्रतिशत अंकों के बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं मिल सकता। मेरे विचार में यह बड़ी दुखद स्थिति है और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें ऐसे ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार देश के सभी विद्यालयों में यूनीफार्म सलेबस लागू करने पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, इसके विपरीत एक समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत हमें उत्पादकता की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम बनाने दें ताकि विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा हो और लोग कैरियर के लिए अपने पास के विश्वविद्यालय का चयन कर सकें। अत: यह केवल सरकार की नीति नहीं है कि वह विश्वविद्यालय प्रणाली में एकरूपता लाए। हम चाहते हैं कि पूरे देश में शिक्षा के केन्द्र स्थापित किए जाएँ और देश की अधिकाधिक जनसंख्या को इसका लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदया: श्री आनंद राव अडसुल उपस्थित नहीं।

डॉ. संजय जायसवाल: महोदया, मंत्री महोदय ने कहा है कि छात्रों को अपने कैरियर चुनने की आजादी होगी। लेकिन पहली और दूसरी सिफारिशें विरोधाभासी हैं। पहली सिफारिश में वे कहते हैं कि एनसीएचईआर का एक शासी निकाय होगा। और फिर वे कहते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम चुनने की अनुमति होगी। अब नजदीक पाठ्यक्रम और कैरियर में बड़ा अंतर है। यदि आप हर विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति देंगे तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच घोर असमानता होगी। एक व्यक्ति एक विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर दूसरे विश्वविद्यालय में कैसे कैरियर बनाएगा क्योंकि इन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अंतर होगा।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, इसके विपरीत ऐसे विश्वविद्यालय हो सकते हैं जो जैव विज्ञान पर बल देते हों। ऐसे विश्वविद्यालय हो सकते हैं जो मानविकी पर बल देंगे। इस प्रकार एक नवयुवक या नवयुवती जो मानविकी विषयों का चयन करता है, वह उस विशेष विश्वविद्यालय में जाएगा और जो जैव विज्ञान में इच्छुक है उन्हें दूसरे विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता होगी। अंतत: कोई व्यक्ति कैरियर चुनना चाहता है ना कि विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत ही कोई कैरियर।

डॉ. के.एस.राव: महोदया, मैं वर्षों से कह रहा हूँ कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। इसीलिए मैं हर बार यह आवाज उठाता हूँ कि दक्षता विकास महत्वपूर्ण चीजों में जो एक है जो देश के लिए आवश्यक है क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में दक्ष लोगों की अभी कमी है। मैं यह देखकर प्रसन्न हूँ कि ऐसा सुझाव दिया गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की बाधा को कम किया जाए ताकि कैरियर के किसी भी चरण में वे अपने ज्ञान को अद्यतन कर सकें। मैं यह जानकर खुश हूँ लेकिन एआईपीटीई को बंद करना, जहाँ से तकनीकी संस्थाओं की निगरानी की जाती है या जहाँ तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाता है, उसे बंद ना किया जाए। माननीय सदस्य से मेरा इतना ही अनुरोध है कि कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा आठवीं कक्षा से की जाए और उसके बाद किसी को भी किसी भी स्तर पर पढ़ाई के साथ-साथ और बाद में कमाई के समय विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए। मैं इस बारे में जानकर खुश हूँ। क्या मंत्री महोदय इस देश में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ कौशल उन्नयन और कौशल विकास पर व्यापक विचार कर रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: यह प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ अध्यक्ष महोदया, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि कौशल विकास भी शिक्षा ही है। बहुत सारे बच्चे मान लीजिए दसवीं कक्षा के, यह वह चीज है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही हम सभा में इस पर चर्चा करेंगे–डॉक्टरेट नहीं करना चाहते। वे भौतिकी या रसायनविज्ञान में डॉक्टरेट नहीं करना चाहते। वास्तव में उनमें से बहुत सारे बच्चे 12वीं कक्षा के बाद कोई काम करना चाहते हैं। यदि कोई बच्चा आटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे भी बीएसई या आईसीएसई शिक्षा प्रणाली में वह पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए और आटोमाबाइल इंजीनियरी या उदाहरणार्थ रेफ्रिजरेशन या एयर-कंडीशनिंग या अन्य कौशलों में सीबीएसई स्कूल डिग्री दी जाए।

[हिन्दी]

दस्तकारी स्किल, जैसे आपने आज सुबह बात की। उसके लिए भी आपको सीबीएसई की डिग्री मिलने की अनुमति होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जब हम बारहवीं क्लास में ऐसी डिग्री दें, और आने वाले दिनों में जब वे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पॉलीटेक्निक जायेंगे जिससे वे नौकरी कर सकते हैं।

[अनुवाद]

कौशल विकास हमारी शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण अंग है और इस तथ्य कि एआईसीटीई उच्चतर निकाय में शामिल कर लिया जाए, का अभिप्राय यह नहीं है कि हम तकनीकी शिक्षा पर विचार नहीं करेंगे। हम विश्वविद्यालय प्रणाली में भी कौशल विकास को शामिल करेंगे क्योंकि कौशल के बिना, विश्व बाजार अर्थव्यवस्था में कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता।

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, यशपाल समिति की रिपोर्ट वास्तव में विचारणीय है। माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि हम इस पर निकट भविष्य में विचार-विमर्श करेंगे। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है ''राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग, जिसमें सभी कुछ सम्मिलित हो, के सृजन'' पर चर्चा की गई है। हम जानते हैं। कि यह एक संवैधानिक निकाय होगा, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा।

इस रिपोर्ट में यह और विवरण में भी यह उल्लिखित किया गया है कि एनसीएचईआर की पाँच वर्षों में एक बार बाह्य समीक्षा की जाए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि किसी बाह्य अभिकरण द्वारा विशेष रूप से इस देश की क्या समीक्षा की जाती है, जो पाँच वर्षों में की जाएगी। पाँच वर्षों में किए जाने का और किसी बाह्य निकाय द्वारा किए जाने का क्या कारण है, जबकि यह एनसीएचईआर एक संवैधानिक निकाय है और संसद के प्रति उत्तरदायी है।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम, यह यशपाल समिति की सिफारिश है। यह सरकार की नीति नहीं है। हम सिफारिशों पर विचार करेंगे और स्वयं यह निर्णय करेंगे कि किस प्रकार के प्राधिकरण की स्थापना की जाए जो सर्वप्रमुख विनियामक प्राधिकरण होगा जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और डीईसी को सम्मिलित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक विकल्प दिया है; यशपाल समिति ने दूसरा विकल्प दिया है। इसलिए हमें इन सभी विकल्पों पर विचार करना होगा और सरकार किसी समाधान पर पहुंचेगी और तब यह प्रश्न उठेगा कि क्या हम बाह्य लेखा परीक्षा की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं और वह बाह्य लेखा परीक्षा किस प्रकार की होगी। आशा है आज उन सभी मुद्दों पर सभा में चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 125, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियों का अन्यत्र उपयोग

*125. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों द्वारा निधियों का अन्यत्र उपयोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निधियों के इस अन्यत्र उपयोग की चूक करने वाले राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत भविष्य में निधियों के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अगस्त, 2006 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए प्रस्तुत सर्व शिक्षा अभियान पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट दर्शाती है कि 53 करोड़ रुपए की राशि को ऐसे व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत व्यय नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्शाए गए हैं। आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2006-07 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान के लेखाओं के अंतर्गत 14.98 करोड़ रुपए के गबन की जानकारी दी है। एक एफआईआर दायर की गई थी और राज्य सीआईडी ने मामले की जांच की। राज्य सरकार ने तीन लेखा अधिकारियों को निलंबित किया तथा तीन अन्य को सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय से स्थानांतरित किया। हरियाणा में (वर्ष 2005-2007) वित्तीय अनियमितताओं में शामिल 11 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई जबकि 2 कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर दी गई। कर्नाटक में 21 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उनसे 8.58 लाख रुपए की राशि वसूल की गई। पश्चिम बंगाल के एक जिले में आठ कर्मचारियों द्वारा 517.80 लाख रुपए की राशि धोखे से निकाल ली गई, जहाँ सीआईडी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। गुजरात में (2007-08) वित्तीय अनियमितताओं में शामिल दो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उनसे 15.98 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। सर्व शिक्षा अभियान निधियों के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं की शिकायतों पर राजस्थान में नौ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान निधियों के दुरुपयोग की शिकायत दायर की गई और उनसे 3.02 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है।

भारत सरकार ने राज्यों/संघ क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे अस्वीकार्य व्यय की राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति करें। राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार के मामले नहीं होने चाहिएँ। सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय एवं प्रापण नियम पुस्तिका में लेखांकन, निधि प्रवाह व्यवस्था, वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण, बाह्य लेखा परीक्षा एवं प्रापण प्रक्रियाओं आदि पर विस्तृत प्रविधियाँ निर्धारित की गई हैं। व्यावसायिक लेखापरीक्षक निकायों द्वारा समसामयिक वित्तीय समीक्षाएँ की जाती है तथा समाज विज्ञान संस्थाओं द्वारा क्षेत्रीय अनुवीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। अब समय आ गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की जाये, जिससे हमें अब तक शिक्षा में हुई प्रगति, शिक्षात्मक पहुँच और गुणवत्ता का पता चले। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, क्या उसे पूरा करने की उम्मीद है?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, वास्तव में सर्वशिक्षा अभियान की कई राज्य और केन्द्रीय निकायों द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है और हमें विश्वास है कि सर्व शिक्षा अभियान उस उद्देश्य में सफल सिद्ध हुआ है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए अब माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अब हमारी प्रौब्लम यह है कि सर्वशिक्षा अभियान तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे अपर प्राइमरी में जाते हैं और क्लास ऐट्थ में जाते हैं, तो हमारा ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। जब वे दसवीं क्लास तक जाते हैं, तो यह ड्रॉप आउट रेट और नीचे चला जाता है। आज हिन्दुस्तान में यह स्थिति है कि अगर बारहवीं क्लास में सौ बच्चे हैं, तो केवल 12 बच्चे ही ग्रेजुएशन करते हैं। 100 में से केवल 12 बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 88 तो आगे जाते ही नहीं हैं। अमेरिका में 100 में से 70 बच्चे आगे जाते हैं, सब सहारन अफ्रीका में 100 में से 6 बच्चे आगे जाते हैं, हमें यह संख्या बढ़ानी होगी। सर्वशिक्षा अभियान को और आगे बढ़ाना होगा। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम उसको आगे बढ़ाएँगे और जो क्रिटिकल मास ऑफ ह्युमन कैपिटल , इसको जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हिन्दुस्तान एक महान देश नहीं बन सकता है।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि गुजरात में 2007-08 में सिर्फ दो कर्मचारी वित्तीय अनियमितता के कारण पकड़े गए हैं। मेरे क्षेत्र में माइनॉरिटी का एक स्कूल है, जिसको तीन साल तक पैसे नहीं दिए गए। राज्य सरकार से कंप्लेन करते-करते थक गए, लेकिन वह कंप्लेन नहीं ली गई। जब मैंने उसमें इन्टरफेयर किया तब जाकर डेढ़ महीने पहले उसकी फरियाद सुनी गई। क्या माननीय मंत्री जी राज्यों पर यह दबाव डालेंगे कि वहाँ पर इस तरह के कितने वित्तीय घोटाले हो रहे हैं? मंत्री जी ने बताया है कि सिर्फ 15,98,000 रुपए उन दो शिक्षकों से वसूल किए गए हैं। मेरे अंदाज से यह आंकड़ा हमारे गुजरात में बहुत है। आप उसकी पूरी जांच कराकर यह पता कीजिए कि वह रुपया कहाँ जा रहा है और क्यों असली लोगों तक नहीं पहुँच रहा है?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया, जहां तक गुजरात के बारे में विशिष्ट प्रश्न का संबंध है, पूरी धनराशि वापस कर दी गई है।

[हिन्दी]

22 करोड़ रुपये का डायवर्जन गुजरात में हुआ था, हमने वह सारा पैसा वापस ले लिया है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में आंध्र प्रदेश में वर्ष 2006-07 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान की लेखाओं के अंतर्गत 14.98 लाख रुपए गबन की जानकारी दी है। कुछ एफआईआर से जानकारी मिलती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से आता हूँ जहाँ बाल श्रम के नाम पर भी सर्वशिक्षा अभियान के लिए कुछ व्यवस्थाएँ दी गई हैं और अन्य सुविधाओं के माध्यम से दी गई हैं, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत सारे गबन हुए हैं, विशेषकर भदोही जनपद में। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के साथ-साथ भदोही जनपद में पिछले वित्तीय वर्ष में कितने घोटाले हुए हैं?

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य जानकारी मेरे पास लाएंगे, तो हम उत्तर प्रदेश पर भरपूर ध्यान देंगे।

चौधरी लाल सिंह: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे घोटालों में जो स्टेट्स के कुछ लोग आए हैं, क्या आप उनके ऊपर कुछ सख्ती करने जा रहे हैं जिससे आइन्दा ऐसे घोटाले न हों?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: हमने उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। विभिन्न जांचें विभिनन स्तरों पर चल रही हैं। अत: जैसे ही आरोप पत्र दाखिल किए जाएँगे, मुकदमा शुरू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के जवाब में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2002, 2005-06 में 53 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। इसके

अलावा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, और हिमाचल प्रदेश में अनियमितताएँ पाई गयीं। बहुत से लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उस राशि की रिकवरी हुई। इन राज्यों के अतिरिक्त बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं अन्य तमाम ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हैं। क्या इन राज्यों से भी इस प्रकार की अनियमितताओं की रिपोर्ट आई है? यदि आई है, तो उन पर क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: इस देश में लाखों विद्यालय हैं। अत: हर विद्यालय की लेखा परीक्षा करना संभव नहीं है। तो नियंत्रक-महालेखा परीक्षक नमूना लेखा परीक्षा करते हैं। उस नमूना लेखा परीक्षा की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास आती है। उस नमूना लेखा परीक्षा के आधार पर हम कार्यवाही करते हैं। लेकिन भारत सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि भारत के हर विद्यालय की लेखा परीक्षा कर सके। यह बहुत बड़ा काम है।

लेकिन यदि माननीय सदस्यों के पास किसी जिले विशेष के किसी विद्यालय विशेष के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी हो और यदि यह जानकारी वह मुझे दे दें तो मैं उनका आभारी रहूँगा ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: हमने कोई व्यक्तिगत स्कूल का नाम नहीं लिया, हम तो पूरे क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री कपिल सिब्बल: यदि इस बारे में आपके पास कोई जानकारी हो, तो आप मुझे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

अब, प्रश्न सं. 126, श्री असादूद्दीन ओवेसी

रक्षा कर्मियों के लिए एक रैंक एक पेंशन

***126. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री मनीष तिवारी:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सशस्त्र सेनाओं के लिए एक रैंक एक पेंशन तथा पृथक वेतन आयोग के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कैबिनेट सचिव के सभापतित्व में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) एक रैंक एक पेंशन और अन्य संबद्ध मामलों की जांच करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस मामले से संबद्ध सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात् समिति ने अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों और कमीशनप्राप्त अफसरों के पेंशन संबंधी लाभों में व्यापक रूप से सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जहाँ तक पृथक वेतन आयोग का प्रश्न है, सशस्त्र बलों के लिए भविष्य में एक पृथक वेतन आयोग के गठन करने पर सहमति प्रदान की गई है।

समिति ने अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों और कमीशनप्राप्त अफसरों की पेंशन में व्यापक रूप से सुधार लाने के लिए निम्नलिखित लाभों की सिफारिश की है:

(i) अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए 1.1.2006 से वर्गीकरण भत्ता का समावेशन।

(ii) 33 वर्ष की सेवा के साथ पूर्ण पेंशन के संबंध को 1.1.2006 से समाप्त करना।

(iii) लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए एक पृथक वेतनमान बनाने के बाद उनकी पेंशन में संशोधन।

(iv) 10.10.1997 से पहले और बाद के अफसर रैंक से नीचे के रैंक के पेंशनभोगियों की पेंशन में समानता लाना और

(v) मंत्री समूह (जी ओ एम), 2006 के अधिनिर्णय के आधार पर अफसर रैंक से नीचे के रैंक के पेंशनभोगियों की पेंशन में और सुधार किया जाना।

उपर्युक्त लाभ दिए जाने से 2144 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा 1.1.1996 से पहले के नि:शक्तता/युद्धघायल पेंशनभोगियों के लिए नि:शक्तता/युद्धघायल पेंशन की प्रतिशतता को

बढ़ाने (ब्रोडबैंडिंग करने) और 'ई' श्रेणी से संबंधित नि:शक्त पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन के युद्धघायल अंश की अधिकतम सीमा को समाप्त किए जाने के बारे में समिति की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदया, मैं समिति का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ।

सरकार द्वारा दिए गए उत्तर में लेफ्टिनेंट जनरल के लिए पृथक वेतनमान निर्धारित करने के पश्चात् उनकी पेंशन में संशोधन की बात कही गई है। उनका वेतनमान क्या होगा, क्योंकि 1 जनवरी, 2006 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल को 30,190 रु. मिलते हैं। यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: महोदया, लेफ्टिनेंट जनरल के लिए आरंभिक वेतन 67,000/- रु. से 79,000/- रु. निर्धारित किया गया है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदया, सरकार ने पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वह भविष्य में सशस्त्र सेनाओं के लिए पृथक वेतन आयोग का गठन करने पर सहमत है। क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि इस पृथक वेतन आयोग का गठन कब तक किया जाएगा?

श्री एम.एम. पल्लम राजू: महोदया, प्रधानमंत्री कार्यालय से सशस्त्र सेनाओं के लिए पृथक वेतन आयोग का गठन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जब भी केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, उस समय सशस्त्र सेनाओं के लिए पृथक वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा।

श्री मनीष तिवारी: महोदया, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

क्या एक रैंक एक पेंशन की स्थिति के बारे में निम्नवत सार सही है: कि 1.1.1986 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए रक्षा कर्मियों के बीच पूर्ण समानता है? 10.10.97 से पहले और बाद में अधिकारी रैंक से नीचे की रैंक से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के बीच पूर्ण समानता है और 1.1.2006 से पहले और बाद में अधिकारी रैंक से नीचे के रैंक से सेवानिवृत्त कर्मियों के बीच समानता है। क्या यह एक रैंक एक पेंशन की सही व्याख्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदया, हमने उत्तर में ही स्थिति को स्पष्ट किया है। हमने पाँच श्रेणियों का वर्गीकरण किया है।

प्रमुख बात यह है कि तीन श्रेणियों को तत्काल सीधा लाभ मिलेगा। सशस्त्र सेनाओं में सबसे अधिक पीबीओआर कर्मी हैं-सशस्त्र सेनाओं में 12 लाख पीबीओआर कर्मी हैं। अब सरकार के इस निर्णय के पश्चात् पीबीओआर की पेंशन में न्यूनतम 800 रु. और अधिकतम 1,400 रु. की पर्याप्त वृद्धि होगी। कुछ कमीशन्ड श्रेणी अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा।

महोदया, लेफ्टिनेंट जनरल की पेंशन में अंतर था। लेफ्टिनेंट जनरल की पेंशन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उनकी पेंशन में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

जहाँ तक अन्य बातों का संबंध है, अभी भी इसमें व्यावहारिक दिक्कते हैं और इसके कारण समिति वन रैंक वन पेंशन के बारे में पूर्ण सिफारिश नहीं कर पाई थी। लेकिन यह निर्णय वन रैंक वन पेंशन के समीचीन है।

[हिन्दी]

श्री सुषमा स्वराज: महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदया, सरकार की वन रैंक-वन पेंशन स्कीम की घोषणा ने राहत कम दी है, कंफ्यूजन ज्यादा पैदा किया है। इसीलिए अभी मनीष जी ने जो तीन स्थितियाँ आर्टिकुलेट करके बताईं, अगर वह तीनों सही थीं, तो मंत्री महोदय को कहना चाहिए था कि हाँ यह करेक्ट समरी है। आपने कहा है कि प्री एंड पोस्ट पेंशन 1997 में हम लोग पैरिटी ला रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर एक अफसर 2004 में रिटायर होता है और एक 2007 में रिटायर होता है, उनका लैंग्थ ऑफ सर्विस समान है, तो क्या उन्हें समान पेंशन मिलेगी?

[अनुवाद]

श्री ए.के. एंटनी: महोदया, उत्तर में तीन नहीं बल्कि पाँच स्थितियों को स्पष्ट किया गया था।

मध्याह्न 12.00 बजे

हमने पांच श्रेणियों के बारे में स्पष्ट उत्तर दिया है...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: इससे भ्रम हो रहा है। इसीलिए, मैं पूछ रही हूँ ...*(व्यवधान)*

श्री ए.के. एंटनी: इसमें कोई भ्रम नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप उत्तर मत दीजिए, समय समाप्त हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाकघर खोला जाना

*127. **श्री निशिकांत दुबे:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशा के सभी गाँवों में डाकघर खोल दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने डाकघर खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या देश में सभी डाकघरों को ई-मेल, इंटरनेट तथा कम्प्यूटर की सुविधा से युक्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सभी डाकघरों का कब तक उपर्युक्त सुविधाओं से युक्त किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर, जनसंख्या मानदण्डों के पूरे करने के बाद ही खोले जाते हैं। जनसंख्या मानदंडों के तहत सामान्य क्षेत्रों के लिए 3000, पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में पृथक् गाँवों के लिए 500 और पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में गाँवों के समूह के लिए 1000 लोगों की आबादी होनी चाहिए। इसके अलावा, निकटतम डाकघर से 3 किमी की दूरी होनी चाहिए और विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदंडों की पूर्ति भी होनी चाहिए। देश के सभी गाँव इन पैरामीटरों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए, देश के सभी गाँवों में डाकघर नहीं खोले गए हैं।

(ख) गाँवों में मौजूद डाकघरों की राज्यवार संलग्न विवरण I में दी गई है। जहाँ तक चालू वर्ष के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त मानदंडों के अलावा डाकघरों का खोला जाना जनशक्ति और योजना स्कीमों के अंतर्गत फण्ड्स के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। जनशक्ति के उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) देश के सभी डाकघरों में ई-मेल, इंटरनेट और कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। 25,338 विभागीय डाकघरों में से केवल 9684 डाकघरों में अब तक कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं (31.3.2009 की स्थिति के अनुसार)।

कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग ने 'प्रोजेक्ट ऐरो' की शुरूआत की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फेज-I में 50 डाकघरों, फेज-II में 450 डाकघरों और फेज-III में 500 डाकघरों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावित है। पूर्ण कम्प्यूटरीकरण में ईएमओ; आईएमओ; ई-पोस्ट; ई-भुगतान और अन्य ई-आधारित सेवाएँ शामिल हैं।

शाखा डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(घ) जिन डाकघरों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं उनका सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) कम्प्यूटर उपलब्ध कराना और डाकघरों की नेटवर्किंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

विवरण I

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार (बसे हुए) गांवों की सर्किलवार संख्या जहां डाकघर हैं

क्र.सं.	सर्किल का नाम	(बसे हुए) गांवों की कुल संख्या	उन गांवों की संख्या जहां डाकघर है
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27159	15245
2.	असम	26247	3708
3.	बिहार	38475	8625
4.	छत्तीसगढ़	20068	2839
5.	दिल्ली	165	81
6.	गुजरात	18066	8121
	दमन	18	13
	दादरा नगर हवेली	70	38
	दीव	5	4
7.	हरियाणा	6764	2329
8.	हिमाचल प्रदेश	17495	2658
9.	जम्मू व कश्मीर	6182	1475
10.	झारखंड	28857	2927
11.	कर्नाटक	28857	8621

1	2	3	4
12.	केरल	1453	1453
	लक्षद्वीप	10	10
	माहे (पांडीचेरी)	0	0
13.	मध्य प्रदेश	53568	7401
14.	महाराष्ट्र	41284	11917
	गोवा	351	215
15.	पूर्वोत्तर		
	अरुणाचल प्रदेश	3649	261
	मणिपुर	2391	643
	मेघालय	5878	458
	मिजोरम	699	405
	नागालैंड	1237	299
	त्रिपुरा	856	659
16.	उड़ीसा	46989	7583
17.	पंजाब	12278	3409
	चंडीगढ़	23	9
18.	राजस्थान	37889	9644
19.	तमिलनाडु	16742	10424
	पांडिचेरी	292	59
20.	उत्तराखंड	15761	2496
21.	उत्तर प्रदेश	100693	16023
22.	पश्चिम बंगाल	37910	7639
	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	504	89
	सिक्किम	447	197
	कुल	599332	137977

विवरण II

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार उन डाकघरों की संख्या का सर्किल-वार ब्यौरा जिनमें कंप्यूटर एवं पेरिफेरल उपलब्ध कराए गए हैं

क्र.सं	सर्किल का नाम	डाकघरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	531
2.	असम	624
3.	बिहार	295
4.	छत्तीसगढ़	99
5.	दिल्ली	288
6.	गुजरात	590
7.	हरियाणा	229
8.	हिमाचल प्रदेश	128
9.	जम्मू व कश्मीर	116
10.	झारखंड	135
11.	कर्नाटक	565
12.	केरल	667
13.	मध्य प्रदेश	353
14.	महाराष्ट्र	1040
15.	पूर्वोत्तर	295
16.	उड़ीसा	301
17.	पंजाब	269
18.	राजस्थान	306
19.	तमिलनाडु	1009
20.	उत्तर प्रदेश	921
21.	उत्तराखंड	145
22.	पश्चिम बंगाल	778
	कुल	9684

[हिन्दी]

चाय उद्योग के समक्ष आ रही समस्याएं

*128. **श्री के.डी. देशमुख:**
श्री महेन्द्र कुमार राय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चाय उत्पादक क्षेत्रों की उत्पादकता धीरे-धीरे कम हो रही है जिसके कारण चाय की कमी हो रही है तथा इसके मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान देश द्वारा निर्यात/आयत की गई चाय की मात्रा से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में कई चाय बागान बंद हो गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा चाय के उत्पादन में सुधार करने के लिए समग्र निधि की स्थापना सहित चाय बागानों को पुन: खोलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सहित प्रमुख चाय उत्पादक देशों में चाय की उत्पादकता में सामान्य स्थिरता रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान देश से निर्यातित/देश में आयाति चाय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	भारत से चाय के निर्यात की मात्रा (मि. कि.ग्रा.)	भारत में चाय के आयात की मात्रा (मि. कि.ग्रा.)
2006-07	218.15	20.80
2007-08	85.32	16.75
2008-09 (अ.)	183.99	22.03
2009-10 (अ.) (अप्रैल-मई)	21.14	3.31

(अ.) अनुमानित एवं संशोधन के अधीन

(घ) और (ङ) जी हाँ। वर्ष 1999 से 2006 तक के बीच की अवधि के दौरान चाय उद्योग के सामने आए आर्थिक संकट के कारण वित्तीय रूप से कमजोर बागान बंद कर दिए गए थे। भारत सरकार ने 29 जून, 2007 को एक पुनर्स्थापना पैकेज की घोषणा की थी जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2007 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े 33 बागानों को 38.65 करोड़ रु. तक की वित्तीय राहत का प्रावधान किया गया था। चाय की कीमतों में सुधार आने के कारण अनेक बागान पुन: खोल दिए गए हैं। दिनांक 09.07.2009 की स्थिति के अनुसार केवल 16 चाय बागान बंद पड़े हुए हैं जिनमें से 11 पश्चिम बंगाल में और शेष 5 केरल में हैं।

भारत सरकार ने चाय बागानों की उत्पादकता और परिणामी उत्पादन में सुधार करने के लिए पुनर्रोपण एवं पुनरुद्धार कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु चार्य बोर्ड के तत्वावधान में एक विशेष प्रयोजन चाय निधि की स्थापना को अनुमोदित किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिनांक 31.03.2009 तक 7217 हेक्टेयर और 2981 हेक्टेयर में क्रमश: पुनर्रोपण और पुनरुद्धार कार्यकलाप किए गए हैं।

पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास

*129. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों की पहचान की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पिछड़े राज्यों के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशेष कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए पहले अध्ययन किए थे। लेकिन औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों की पहचान करने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है। राज्यवार औद्योगिक निवेश प्रस्तावों का संलग्न विवरण I पर है। विनियमित औद्योगिक वातावरण में निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा लिये जाते हैं। राज्य सरकारें औद्योगिक विकास तथा निवेश को बढ़ावा देती हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न नीतिगत पहलों

के माध्यम से समग्र निवेश माहौल में सुधार कर रही है। भारतर सरकार विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रोत्साहनों के पैकेज को कार्यान्वित कर रही है।

विवरण I

औद्योगिक निवेश प्रस्ताव (राज्यवार)

अगस्त 1991-मई 2009

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आई.ई.एम.+एल.ओ.पी. + डी.आई.एल.		औद्योगिक उद्यम ज्ञापन						आशय पम (एल.ओ.आई.) + प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस					
	कुल निवेश	प्रतिशत (सं.)	दायर संख्या	प्रति (सं.)	प्रस्तावित	प्रतिशत	रोजगार (सं.)	प्रतिशत	स्वीकृत किए गए संख्या	प्रतिशत	प्रस्तावित निवेश	प्रति शत	प्रस्तावित रोजगार संख्या	प्रति शत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उड़ीसा	680847	1297	1382	1.78	675403	13.19	587778	3.52	37	0.83	5444	4.18	11882	1.25
छत्तीसगढ़	674416	12.85	2331	3.00	673851	13.16	611301	3.66	31	0.70	665	0.43	3816	0.40
गुजरात	625205	11.91	9142	11.75	601801	11.75	163151	9.77	467	10.53	23404	17098	75855	7.99
महाराष्ट्र	523135	9.96	14043	18.05	504353	9.85	2584397	15.48	599	13.51	18782	14.43	139590	14.69
आंध्र प्रदेश	444887	8.47	5652	7.26	429776	8.39	1092839	6.55	532	12.00	15111	11.61	97260	10.24
कर्नाटक	385998	7.35	3244	4.17	375436	7.33	730252	4.37	284	6.41	10562	8.11	76914	8.10
झारखंड	371181	7.07	930	1.20	370707	7.24	357151	2.14	18	0.41	474	0.36	2368	0.25
मध्यप्रदेश	318137	6.06	3065	3.94	314863	6.15	780267	4.67	147	3.32	3274	2.51	31682	3.34
पं. बंगाल	287827	5.48	4429	5.69	283872	5.54	882651	5.29	101	2.28	4155	3.19	20706	2.18
तमिलनाडु	209944	400	6658	8.56	196034	3.83	2028619	12.15	865	19.51	13910	10.68	15111	15.91
उत्तर प्रदेश	196486	3.74	6551	8.42	186568	3.64	1755118	10.51	372	8.39	9918	7.62	102114	10.75
पंजाब	99100	1.89	2936	3.77	90747	1.77	664410	3.98	266	6.00	8353	6.42	86078	9.06
राजस्थान	94444	1.80	3238	4.18	92789	1.81	607789	3.04	101	2.28	1655	1.27	15680	1.65
हरियाणा	79337	1.51	3956	5.08	74956	1.46	623002	3.73	242	5.46	4381	3.36	64333	6.77
उत्तराखंड	47789	0.91	1719	2.21	47251	0.92	302943	1.81	33	0.74	530	0.41	8547	0.90
दादर,नगर हवेली	37491	0.71	2119	2.72	37173	0.73	241839	1.45	37	0.83	318	0.24	3994	0.42
बिहार	30004	0.57	304	0.39	28542	0.56	60015	0.36	33	0.74	1462	1.12	13674	1.44
हिमाचल प्रदेश	24067	0.46	879	1.13	23579	0.46	161249	0.97	95	0.79	488	0.37	6232	0.60
असम	20819	0.40	526	0.60	18304	0.36	74145	0.44	13	0.29	2435	1.87	4606	0.48
नागालैंड	18325	0.31	15	0.02	18325	0.32	302387	1.81	1	0.02	0	0.00	0	0.00
केरल	13629	0.26	612	0.79	10763	0.21	103425	0.62	76	1.71	2866	2.20	14918	1.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जम्मू और कश्मीर	12626	0.24	621	0.80	12550	0.25	113768	0.68	7	0.16	76	0.06	2074	0.22
पुडुचेरी	11500	0.22	723	0.93	10196	0.20	80876	0.48	19	0.43	1304	1.00	2894	0.30
गोवा	10346	0.20	669	0.86	10178	0.20	72176	0.43	37	0.83	168	0.13	3526	0.37
दमन, दीव	10320	0.20	1063	1.37	10220	0.20	119739	0.72	25	0.56	100	0.08	3605	0.38
मेघालय	9388	0.18	266	0.34	9381	0.18	34278	0.21	3	0.07	7	0.01	207	0.02
दिल्ली	7002	0.13	530	0.68	6972	0.14	52593	0.32	21	0.47	30	0.02	1652	0.17
सिक्किम	3112	0.06	72	0.09	3107	0.06	15437	0.09	1	0.02	5	0.00	204	0.02
त्रिपुरा	2436	0.05	38	0.05	2436	0.05	4741	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
चण्डीगढ़	742	0.01	46	0.06	733	0.01	8599	0.05	2	0.05	9	0.01	284	0.03
अरुणाचल प्रदेश	612	0.01	42	0.05	611	0.01	6278	0.04	4	0.09	1	0.00	522	0.05
अंडमान निकोबार	485	0.01	11	0.01	485	0.01	2916	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मणिपुर	20	0.00	4	0.01	20	0.00	937	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
लक्षद्वीप	4	0.00	1	0.00	4	0.00	278	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एक से अधिक राज्यों में स्थल	406	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	0.56	406	0.31	3617	0.38
	5250067	100.00	77815	100.00	5119866	100.00	16694740	100.00	4434	100.00	180210	100.00	949945	100.00

नोट: 3 नए राज्यों के आंकड़ों में उन जिलों में स्थित एककों के आंकड़े शामिल हैं जो मूलत: संबंधित मूल राज्यों में आते थे।

विवरण II

विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए प्रोत्साहनों के पैकेज का ब्यौरा

1. दिनांक 14.6.2002 से जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए तथा 7.1.2003 से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया जा रहा है:

   संयंत्र व मशीनरी के निवेश के लिए 15 प्रतिशत की पूंजी निवेश राजसहायता जो अधिकतम 30 लाख रुपये

   केवल जम्मू और कश्मीर के लिए पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता

   केवल जम्मू और कश्मीर के लिए पूंजी निवेश पर व्यापक बीमा राजसहायता

   31.3.2010 तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क शेष अवधि सहित छूट

   कंपनियोंा के लिए पहले पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर छूट और उसके बाद 30 प्रतिशत तथा कंपनियों के अलावा अन्य के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 25 प्रतिशत की दर से छूट

2. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रोत्साहन पैकेज योजना, जो वर्ष 1997 से कार्यान्वित की जा रही थी उसे 1.4.2007 से पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 के रूप में उन्हें लागू की गई है। नई योजना में पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के अलावा सिक्किम राज्य भी शामिल है

और इसमें सेवा क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र और 10 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षेत्र को लाभ दिया गया है। पर्याप्त विस्तार संबंधी मानदंडों में छूट दी गई थी और पूंजी निवेश राजसहायता को बिना किसी अधिकतम सीमा के 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। नई योजना में निम्नलिखित विशेष प्रोत्साहनों का प्रस्ताव है :

- चल पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता
- पूंजी निवेश पर 100 प्रतिशत व्यापक बीमा राजसहायता
- 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छूट और
- 100 प्रतिशत आयकर छूट

3. उपरोक्त प्रोत्साहन पैकेज 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार्य है।

4. सरकार उपर्युक्त राज्यों में औद्योगिक एककों को परिवहन राजसहायता भी उपलब्ध करा रही है।

[अनुवाद]

स्कूल में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में वृद्धि

***130. श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी लिंग-वार, कक्षा-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़ने की दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो स्कूल में बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान स्कूल में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की बालक-बालिका वार, स्तर-वार तथा राज्यवार दर क्रमश: संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक कक्षावार नामांकन आंकड़े अलग-अलग एकत्र नहीं किए जाते और इसलिए इन क्षेत्रों के संबंध में स्कूल में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर की गणना अलग-अलग नहीं की जा सकती। संलग्नकों में दिए गए ब्यौरे से यह पता चलता है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक) पर सामान्य गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करके, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करके, वार्षिक स्कूल अनुदान, शिक्षक अनुदान का प्रावधान करके, शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण और अकादमिक सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए उपायों का उद्देश्य सामुदायिक सहायता को बढ़ाना, विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए लचीली अध्ययन प्रणाली की व्यवस्था करना, विशेष जरूरतमंद बच्चों को शामिल करना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) तथा प्रारंभिक स्तर की बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संबंध में विशेष प्रावधान करना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी स्कूल में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर में कमी करने की कार्यनीति में सहयोग करता है।

माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) शुरू किया गया है। इस स्कीम में प्रत्येक स्थान से उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था करके, माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदण्डों के अनुकूल बनाकर और बालक-बालिका, सामाजिक-आर्थिक तथा विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करके माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसके तहत कुछ बालिका-विनिर्दिष्ट उपायों की परिकल्पना की गई है जिनमें स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना तथा बालिकाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्षों का प्रावधान शामिल है।

बालिका छात्रावास स्कीम में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक में 100 बैड वाले बालिका छात्रावास स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण I

प्राथमिक स्तर की कक्षाओं (I-V) में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004.05			2005.06			2006.07		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	31.77	32.14	31.95	24.64	24.87	24.75	23.66	24.38	24.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	48.01	46.85	37.10	39.13	38.02	30.90	29.75	30.38
3.	असम	51.58	48.34	50.07	49.71	45.56	47.78	45.66	42.79	44.27
4.	बिहार	53.37	48.62	51.59	47.37	45.25	46.55	49.65	54.10	51.63
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	35.24	35.13	35.18	23.07	27.57	25.27
6.	गोवा	0.00	6.26	2.43	-4.46	5.52	0.37	-13.42	3.08	-5.48
7.	गुजरात	35.72	34.27	35.09	39.62	17.82	31.58	21.71	30.10	25.66
8.	हरियाणा	5.04	4.54	4.81	7.27	3.14	5.40	11.54	6.62	9.31
9.	हिमाचल प्रदेश	5.78	9.82	7.74	10.03	11.40	10.69	6.06	7.50	6.75
10.	जम्मू और कश्मीर	40.92	31.80	36.92	16.34	5.31	11.58	13.70	11.01	12.48
11.	झारखंड*	–	–	–	48.55	52.22	50.18	40.51	43.44	41.86
12.	कर्नाटक	16.25	15.49	15.88	16.65	14.25	15.50	12.09	11.64	11.87
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	11.12	9.13	10.21	1.70	-1.39	0.29	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	6.60	6.81	6.70	2.32	8.22	5.14	-0.39	5.80	2.55
16.	मणिपुर	29.71	32.74	31.18	29.84	32.36	31.06	44.37	47.07	45.69
17.	मेघालय	51.77	48.15	49.97	42.81	41.95	42.38	44.78	43.37	44.08
18.	मिजोरम	50.84	48.71	49.84	33.91	28.96	31.58	50.29	48.87	49.62
19.	नागालैंड	41.79	43.66	42.69	37.38	39.53	38.43	20.11	20.27	20.19
20.	उड़ीसा	42.60	35.17	39.34	46.06	34.53	41.20	26.91	28.81	27.82
21.	पंजाब	27.42	19.91	23.96	25.71	21.33	23.66	14.21	4.92	9.90
22.	राजस्थान	58.92	52.90	56.59	57.20	45.94	52.84	36.40	45.02	40.65
23.	सिक्किम	52.01	46.80	49.44	22.66	12.71	17.84	29.08	19.37	24.31
24.	तमिलनाडु	1.94	-0.14	0.94	0.00	0.00	0.00	8.64	7.36	8.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	त्रिपुरा	43.76	42.58	43.20	28.94	28.56	28.76	18.23	18.07	18.15
26.	उत्तर प्रदेश	21.80	.3.78	12.06	20.15	-7.42	9.76	30.15	32.17	31.09
27.	उत्तराखंड*	-	-	-	23.44	31.40	27.42	19.71	17.47	18.63
28.	पश्चिम बंगाल	43.23	44.10	43.65	37.67	39.73	38.67	30.90	29.36	30.15
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.03	3.36	3.72	11.27	11.83	11.54	5.80	6.97	6.37
30.	चंडीगढ़	1.46	3.91	2.59	0.00	0.00	0.00	22.25	22.71	22.46
31.	दादरा और नगर हवेली	21.37	36.10	28.23	19.81	29.76	24.44	27.45	41.27	34.28
32.	दमन और द्वीप	1.51	0.06	0.84	0.58	4.75	2.56	4.20	6.02	5.05
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.98	9.48	5.10	-5.66	3.97	-1.04
34.	लक्षद्वीप	0.77	14.51	7.62	8.39	11.95	10.08	-1.43	1.21	-0.24
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत	31.81	25.42	29.00	28.71	21.77	25.67	24.41	26.56	25.43

* क्योंकि ये राज्य नए बनाए गए हैं इसलिए वर्ष 2004-05 के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं किंतु संबंधित मूल राज्यों के सामने दर्शाए गए आंकड़ों में इन नए राज्यों के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण II

प्राथमिक स्तर की कक्षाओं (I-VIII) में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	57.72	61.08	59.36	57.81	60.40	59.07	55.68	57.85	56.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.23	61.90	62.63	54.05	54.19	54.11	53.94	54.16	54.04
3.	असम	72.41	74.60	73.38	72.60	74.60	73.48	72.69	74.68	73.56
4.	बिहार	73.57	76.44	74.69	72.30	75.00	73.37	76.03	76.23	76.11
5.	छत्तीसगढ़*	-	-			-	-	-	-	
6.	गोवा	4.28	9.69	6.90	1.99	8.08	4.95	-6.17	2.42	-1.98
7.	गुजरात	43.63	50.00	46.34	42.57	51.45	46.41	45.17	54.59	49.29
8.	हरियाणा	19.86	29.61	24.51	7.80	13.79	10.69	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	13.48	18.36	15.89	8.70	13.02	10.82	3.22	5.88	4.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू और कश्मीर	39.72	37.02	38.57	44.13	28.45	38.14	44.12	39.98	41.18
11.	झारखंड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	49.81	50.21	49.99	44.34	45.37	44.83	38.75	38.83	38.79
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	43.09	45.07	43.95	42.22	42.45	42.32	48.71	48.06	48.42
15.	महाराष्ट्र	26.46	31.74	28.99	24.42	22.49	23.50	22.92	20.84	21.93
16.	मणिपुर	34.47	30.91	32.80	36.34	35.56	35.97	40.60	41.87	41.22
17.	मेघालय	65.99	62.43	64.21	65.96	62.06	64,02	62,54	58,26	60,41
18.	मिजोरम	68.99	64.34	66.84	66.20	63.40	64.86	63.71	61.26	62.56
19.	नागालैंड	41.09	43.93	42.49	37.45	38.77	38.10	38.03	39.18	38.60
20.	उड़ीसा	65.56	56.64	61.95	64.83	59.49	62.63	65.04	59.09	62.59
21.	पंजाब	32.64	34.82	33.67	31.42	34.71	32.98	29.30	30.54	29.87
22.	राजस्थान	60.85	71.33	65.34	55.72	64.64	59.47	58.53	67.29	62.30
23.	सिक्किम	72.48	70.02	71.22	65.95	60.30	63.17	68.12	63.54	65.85
24.	तमिलनाडु	24.62	23.24	23.96	20.84	23.45	22.11	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	62.05	66.42	64.15	56.83	54.82	55.88	52.21	48.69	50.55
26.	उत्तर प्रदेश	43.71	39.18	41.94	42.99	38.53	41.25	45.35	42.35	44.18
27.	उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	
28.	पश्चिम बंगाल	63.70	63.55	63.63	61.16	63.88	62.45	63.01	59.54	61.37
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.98	12.03	10.44	10.55	14.46	12.44	8.18	9.84	8.98
30.	चंडीगढ़	17.03	9.14	13.40	41.34	40.12	40.79	38.06	35.54	36.87
31.	दादरा और नगर हवेली	44.81	60.55	51.95	30.94	51.10	40.24	34.26	55.35	43.98
32.	दमन और द्वीप	12.91	21.29	17.09	3.15	11.87	7.34	11.80	13.90	12.77
33.	दिल्ली	27.71	28.53	28.12	12.54	20.22	16.34	20.67	26.39	23.49
34.	लक्षद्वीप	2.91	31.24	16.41	5.89	9.42	7.57	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत	50.49	51.28	50.84	48.67	48.98	48.80	46.58	45.33	46.03

*क्योंकि ये राज्य नए बनाए गए हैं इसलिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं किंतु संबंधित मूल राज्यों के सामने दर्शाए गए आंकड़ों में इन नए राज्यों के आंकड़े भी शामिल हैं।

विवरण III

प्राथमिक स्तर की कक्षाओं (I-X) में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	62.30	65.24	63.69	62.24	65.20	63.67	62.40	64.81	63.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.59	72.30	70.79	69.01	71.78	70.25	66.97	66.84	66.91
3.	असम	75.18	74.69	74.96	76.97	76.26	76.66	78.18	77.14	77.72
4	बिहार	81.46	85.64	83.06	81.40	85.64	83.07	83.95	86.99	85.14
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	42.66	38.52	40.65	44.36	41.22	42.84	42.71	36.85	39.86
7.	गुजरात	58.01	61.05	59.29	58.57	62.59	60.27	56.70	58.54	57.48
8.	हरियाणा	28.01	37.72	32.48	41.21	43.77	42.37	42.50	44.26	43.34
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	31.04	28.17
10.	जम्मू और कश्मीर	54.63	52.53	53.75	65.61	61.31	63.88	62.08	61.45	61.81
11.	झारखंड*	–	–	–	–	–	–	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	59.71	58.99	59.38	61.58	60.04	60.86	54.83	53.24	54.09
13.	केरल	10.64	3.52	7.15	7.44	2.42	4.98	3.22	–0.69	1.30
14.	मध्य प्रदेश	60.48	70.31	64.70	61.33	69.91	65.01	67.36	74.58	70.51
15.	महाराष्ट्र	52.11	56.40	54.16	49.08	53.85	51.36	45.32	49.96	47.54
16.	मणिपुर	46.04	39.58	43.02	44.42	39.09	41.91	46.70	40.49	43.80
17.	मेघालय	79.64	78.65	79.15	78.66	77.53	78.09	76.38	75.32	75.85
18.	मिजोरम	69.52	64.11	66.95	75.64	71.59	73.73	75.10	70.90	73.16
19.	नागालैंड	66.98	67.63	67.26	65.99	64.99	65.51	66.86	68.02	67.43
20.	उड़ीसा	66.40	61.46	64.42	67.87	60.85	65.03	69.31	61.95	66.33
21.	पंजाब	43.68	44.49	44.06	45.82	46.25	46.02	43.88	49.40	46.48
22.	राजस्थान	69.33	80.72	73.87	71.36	81.80	75.73	69.36	79.29	73.61
23.	सिक्किम	83.34	81.15	82.30	83.79	81.37	82.63	84.75	85.17	84.97
24.	तमिलनाडु	57.27	52.71	55.19	43.60	41.20	42.45	43.58	39.67	41.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	त्रिपुरा	73.58	73.11	73.36	74.50	75.31	74.89	73.75	75.45	74.57
26.	उत्तर प्रदेश	40.49	48.99	43.77	39.66	48.34	43.02	42.18	52.36	46.15
27.	उत्तराखंड*	–	–	–	–	–	–	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	75.92	80.34	78.03	72.82	77.68	75.12	70.98	73.55	72.15
29.	अंडमान और निकोबार	38.55	35.30	36.97	34.19	32.19	33.24	26.32	26.11	26.22
30.	चंडीगढ़	17.69	15.63	16.73	17.23	16.94	17.09	57.11	51.16	54.37
31.	दादरा और नगर हवेली	64.23	70.60	67.06	53.24	66.80	59.39	66.72	74.99	70.47
32.	दमन और द्वीप	41.62	45.36	43.43	33.03	36.86	34.87	42.42	44.27	43.33
33.	दिल्ली	45.04	48.84	46.92	46.37	46.15	46.26	31.39	39.30	35.31
34.	लक्षद्वीप	19.16	18.57	18.88	23.99	18.10	21.17	32.70	41.21	36.75
35.	पुडुचेरी	18.24	15.47	16.89	17.52	9.55	13.69	13.13	5.87	9.68
	भारत	60.41	63.88	61.92	60.10	63.56	61.62	58.62	61.47	59.87

*क्योंकि ये राज्य नए बनाए गए हैं इसलिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं किंतु संबंधित मूल राज्यों के सामने दर्शाए गए आंकड़ों में इन राज्यों में इन नए राज्यों के आंकड़े भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

दूरसंचार सेवाएं

***131. श्री यशवंत लागुरी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीफोन और मोबाइल सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तुलना में असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या असंतोषजनक सेवाओं के कारणों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीफोन और मोबाइल सेवाएं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित विभिन्न सेवा गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को अधिकतर पूरा कर रही है।। बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा गुणवत्ता निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा गुणवत्ता के समतुल्य है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास में गिरावट

***132. श्री तथागत सत्पथी:**
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास धीमा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का

विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितने संसाधन आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विदेशों में अवरूद्ध वित्तीय बाजारों में बड़ी भारतीय कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा देश में घरेलू ऋण में कमी होने के कारण छोटे उद्यमों को भारी धक्का लगा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के रूप में मापित औद्योगिक वृद्धि

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

(वृद्धि प्रतिशत में)

वर्ष	कुल
2006-07	11.6
2007-08	8.5
2008-09	2.6

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित सक्रियता को बरकरार रखने तथा औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत वृद्धि एवं विनिर्माण में उससे भी अधिक वृद्धि लाने के लिए अतिरिक्त बल देने की संकल्पना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कार्यबल में अतिरिक्त श्रमिकों को काम में लाने के लिए अतिरिक्त कार्य अवसर पैदा करना तथा नए प्रवेशकर्ताओं के लिए रोजगार सृजन करना है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विदेश में कार्य करने वाली भारतीय कंपनियों को बाहरी ऋण स्रोत प्रभावित होने के कारण घरेलू बैंक ऋणों की मांग में वृद्धि हुई। सरकार/आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में लाभकारी क्षेत्रों के लिए तरलता बढ़ाने एवं ऋण प्रवाह सुलभ बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। इस प्रणाली में रिवर्स रेपो एवं कैश रिजर्व रेश्यो को कम किया।

एमएसएमई पर वैश्विक मंदी के प्रभाव के मद्देनजर, एमएसएमई को सहायता देने के लिए कदम उठाए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : (i) ऋण गारंटी योजना के तहत 50 लाख रुपये की ऋण सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना, जिसमें 50 प्रतिशत की गारंटी राशि भी शामिल है; (ii) 50 लाख रुपये की ऋण सुविधा के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत गारंटी राशि को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना; (iii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को एमएसएमई के बिलों को सही समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया; (iv) लघु एवं मझौले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को माल ढुलाई पूर्व एवं पश्चात निर्यात ऋण में 2 प्रतिशत ब्याज का अनुदान, (v) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को क्रमिक ऋण हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए 7000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्तीयन सीमा, (vi) मौजूदा निधि आधारित सीमा की 20 प्रतिशत तक आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यशील पूंजी मांग ऋण की मंजूरी; (vii) उद्यमों द्वारा दिए जाने में 1 प्रशित ब्याज दर की कमी तथा एमएसई द्वारा लिए जाने वाले ऋण में 0.5 प्रतिशत की दर कमी।

केन्द्रीय बजट 2009-10 में, मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसई को क्रमिक उधार का 50 प्रतिशत पुनर्वित्तीयन करके एमएसई को उधार देने के लिए सिडबी को 4000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, बाजार विकास सहायता योजना, जो विकासशील बाजारों में निर्यातकों को सहायता प्रदान करते हैं। हेतु आवंटन को 148 प्रतिशत बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विवरण

11वीं योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	मंत्रालय/विभाग	परिव्यय (वर्तमान मूल्यों पर)
1.	इस्पात	45607.08
2.	उर्वरक	20627.00
3.	रसायन और पेट्रोरसायन	2256.36
4.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	4183.00
5.	भारी उद्योग	11301.67
6.	लोक उद्यम	54.00
7.	वस्त्र	14000.00
8.	उपभोक्ता कार्य	1083.00
9.	कम्पनी कार्य (कारपोरेट कार्य)	211.00
10.	एमएसएमई	11,500.00
11.	खाद्य प्रसंस्करण	4031.00

[हिन्दी]

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रैगिंग

*133. **श्रीमती ऊषा वर्मा:***
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रैगिंग संबंधी राघवन समिति द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में रैगिंग के विरुद कठोर कार्रवाई, शास्ति लगाने और सभी शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा रैगिंग संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन स्थापित करने संबंधी रूपरेखा के साथ एक बृहत अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) हालांकि देश के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं मे रैगिंग के बहुत ज्यादा मामलों की सूचना नहीं मिली है, फिर भी रैगिंग के छुट-पुट मामले भी सरकार तथा स्टेकहॉल्डर्स के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 17 जून, 2009 को "उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम" 2009 शीर्षक के तहत अपने विनियमों को अधिसूचित किया है। ये विनियम काफी व्यापक हैं तथा यदि कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान इन विनियमों के प्रावधानों की अनुपालना करने में असफल रहता है या रैगिंग को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पाता है तो इन विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानों को रोक देने और संबद्धता/मान्यता या अन्य कोई प्रदान किया गया विशेषाधिकार वापस लेने सहित कई दंडात्मक तथा निषेधात्मक कदमों का प्रावधान किया गया है। इन विनियमों में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से रैगिंग के अमानवीय प्रभावों के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा रैगिंग की घटनाओं के लिए लागू दंडात्मक कानूनों के संबंध में सभी स्टेकहॉल्डर्स में जागरूकता पैदा करने की अपेक्षा की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी दिनांक 01.07.2009 को अपने रैगिंग रोधी विनियमों को अधिसूचित कर दिया है। रैगिंग की बुराई को समाप्त करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की देखरेख तथा उसमें मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अन्य सांविधिक परिषद भी संबंधित विनियमों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की सुविधा के अतिरिक्त रैगिंग के शिकार विद्यार्थियों की सहायता हेतु अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं की कॉल सेंटर सुविधा सहित दिनांक 20 जून, 2009 को एक टोल फ्री रैगिंग "हेल्पलाइन" की शुरूआत पहले ही की जा चुकी है। इसे ऑनलाइन बातचीत की सुविधा तथा उचित डाटाबेस मॉनीटरिंग हेतु वेब पोर्टल सुविधा सहित और सुदृढ़ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जीएसएम परियोजना शुरू करने में विलंब

*134. **श्री टी.आर.बालू:*** क्या **संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल संचार परियोजना हेतु वैश्विक प्रणाली (जीएसएम) शुरू करने में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन के लिए बीएसएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स (जीएसएम) सेवाएं भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा अक्तूबर 2002 से प्रदान की जा रही हैं। नेटवर्क क्षमता का विस्तार बाजार की स्थिति के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है। इस समय भारत संचार निगम लिमिटेड की जीएसएस चरण-V

परियोजना के तहत जीएसएम उपस्कर का प्रापण किया जा रहा है। वर्ष 2009 के पश्चात संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए, भारत संचार निगम लिमिटेड ने जीएसएम चरण-VI परियोजना के तहत निविदाएं आमंत्रित की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जाली शैक्षिक संस्थाएं

***135. श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चल रहे जाली विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितने जाली विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं की पहचान की है;

(ग) इन संस्थाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस प्रकार की संस्थाओं के और विस्तार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण और समेकन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक ऐसे 22 जाली 'विश्वविद्यालयों'/संस्थाओं को अभिनिर्धारित किया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन करके कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन जाली 'विश्वविद्यालयों'/संस्थाओं में से 7 के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विधिक कार्रवाई शुरू की है तथा अन्य मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकारों ने भी इन जाली 'विश्वविद्यालयों'/संस्थाओं में से 5 के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में से 5 के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के नामों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तैयार की गई जाली 'विश्वविद्यालयों'/संस्थाओं की सूची मे शामिल किया है और विद्यार्थियों तथा आम जनता की सूचनार्थ अपने कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष मुद्रित/इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करता है जिसमें विद्यार्थियों को इस प्रकार की जाली संस्थाओं में दाखिला न लेने के लिए सतर्क किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य मंत्रियों से भी यह अनुरोध किया गया है कि जिला स्तरीय प्रशासन को इस प्रकार संचालित किए जा रहे जाली 'विश्वविद्यालयों'/संस्थाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिया जाए कि जब भी उन्हें यूनिवर्सिटी, 'विश्वविद्यालय' और 'विश्वविद्यापीठ' अथवा किसी अन्य क्षेत्रीय नाम शीर्षक के तहत डिग्री अथवा अन्य समतुल्य अर्हता प्रदान करने के उद्देश्य से सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाए तो इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श किया जाए। मंत्रालय ने दिनांक 17 जून, 2008 को यह सार्वजनिक अपील भी की थी कि विद्यार्थियों को स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि संस्थाएं और उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम संबंधित कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त हैं तथा गुणवत्तामूलक हैं और विख्यात हैं तथा इस संबंध में किसी प्रकार की शंका होने पर प्रासंगिक सांविधिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इत्यादि से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाए। इन सांविधिक निकायों को भी यह निदेश दिया गया है कि इस प्रकार की जाली संस्थाओं के विरुद्ध कारगर अभियान चलाया जाए तथा कानून के तहत उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में 'मीडिया' से यह अपील की गई है कि विज्ञापन राजस्व में हानि होने के बावजूद इस प्रकार की संस्थाओं के भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित न किया जाए।

सरकार कतिपय अनुचित कार्यों जिनमें ऐसी संस्थाओं जो कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं, द्वारा अपने यहां विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए आकर्षित करने अथवा प्रलोभन देने के संबंध में भ्रामक विज्ञापन भी शामिल हैं, पर रोक लगाने के विधायी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

[अनुवाद]

दोहा वार्ता पुनः प्रारंभ करना

***136. श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दोहा व्यापार वार्ता में टैरिफ, कृषि राजसहायता तथा बाजार पहुंच पर भारत और अमरीका सहित विकसित देशों के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा;

(ख) क्या हाल ही में जून, 2009 में बाली में हुई केयरन्स समूह की बैठक में भारत ने रचनात्मक वार्ता के द्वारा दोहा प्रक्रिया को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए दोहा वार्ता को पुन: प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) विकासशील देश किन स्तरों तक कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में अमरीकी रुख पर अन्य विकासशील देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे पर अमरीकी प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ताओं का दोहा दौर अभी चल रहा है। कृषि वार्ताओं में भारत द्वारा अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासशील देशों को अपने कम आय वाले और संसाधनहीन किसानों के हितों की रक्षा करने और उनका संवर्धन करने में समर्थ बनाते हुए संवर्धित बाजार पहुंच हेतु कृषि सब्सिडी एवं टैरिफों में पर्याप्त एवं कारगर कमी सुनिश्चित की जा सके।

(ख) और (ग) बाली में जून, 2009 में आयोजित कैरन्स समूह की 33वीं बैठक, जिसमें भारत एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, में दोहा दौर के सफल समापन के प्रति भारत की वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की गई थी। तथापि, यह दोहराया गया था कि दोहा के विकास आयाम का पालन करना होगा और यह कि कृषि एवं औद्योगिक वस्तु संबंधी डब्ल्यूटीओ वार्ताकारी दलों के अध्यक्षों द्वारा दिसम्बर, 2008 में प्रकाशित पाठों में किए गए उल्लेख के अनुसार वार्ताओं के अब तक के परिणाम के आधार पर आगे विचार-विमर्श किए जाने चाहिए। अन्य भागीदारों ने भारत के विचारों का भरपूर स्वागत किया था।

(घ) और (ङ) दोहा दौर के अंतर्गत कृषि उत्पादों पर वचनबद्ध टैरिफ में कमी अथवा उसकी बहाली वर्तमान वचनबद्ध स्तर पर ही की जाएंगी। तथापि विकासशील देशों के पास टैरिफों में कमी की सीमा तक लोचशीलताएं रहेंगी।

[हिन्दी]

बेरोजगार महिलाएं

***137. श्री जगदम्बिका पाल:**
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बेरोजगार महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने और देश में महिलाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकाअर्जुन खरगे): (क) से (ग) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर देश में महिला बेरोजगारी वर्ष 1993-94 में 1.87 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था जो कि वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 2.14 मिलियन हो गई तथा जो वर्ष 2004-05 में और बढ़कर 3.97 मिलियन हो गई जोकि वर्ष 1993-94 से 1999-00 के दौरान 2.27 प्रतिशत तथा वर्ष 1999-00 से वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान 13.16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। 1993-94, 1999-00 तथा 2004-05 की अवधि के लिए महिलाओं की बेरोजगारी दरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने तथा महिलाओं हेतु अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए भारत सरकार पुरुषों व महिलाओं-दोनों के लिए विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) तथा महिलाओं हेतु प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एसटीईपी) इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान रोजगार के 215.6 करोड़ मानव-दिवसों का सृजन किया गया और रोजगार के सृजित किए गए कुल मानव दिवसों का

48% महिलाओं के पक्ष में था। यह सुनिश्चित करना 11वीं योजना के प्रबोधनीय लक्ष्यों में से एक है कि सभी सरकारी योजनाओं के कम से कम 33 प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभार्थी महिलाएं व बालिकाएं हों।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1999-00 व 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर राज्य-वार बेरोजगारी दरें

क्र.स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1993-94		1999-2000		2004-05	
		ग्रामीण महिला	शहरी महिला	ग्रामीण महिला	शहरी महिला	ग्रामीण महिला	शहरी महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.1	3.5	0.5	3.7	0.4	3.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.2	7.3	0.1	10.0	0.6	2.8
3.	असम	7.7	25.6	6.6	18.9	3.1	9.1
4.	बिहार	0.6	9.2	0.5	8.1	0.2	4.1
5.	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश में शामिल					
6.	दिल्ली	-	6.2	21.0	3.9	0.0	6.4
7.	गोवा	12.9	15.4	15.9	33.3	15.7	11.8
8.	गुजरात	0.3	4.4	0.1	2.0	0.2	2.9
9.	हरियाणा	0.4	3.3	0.1	2.8	1.0	7.5
10.	हिमाचल प्रदेश	0.1	0.3	0.5	7.9	2.0	10.1
11.	जम्मू व कश्मीर	0.4	9.2	1.1	8.9	1.3	10.9
12.	झारखंड	बिहार में शामिल					
13.	कर्नाटक	0.4	5.6	0.3	4.4	0.8	5.7
14.	केरल	9.7	18.7	13.0	20.0	20.1	33.4
15.	मध्य प्रदेश	0.1	3.9	0.2	1.4	0.1	1.6
16.	महाराष्ट्र	0.3	4.7	0.7	6.6	0.3	4.1
17.	मणिपुर	0.7	3.2	1.5	6.2	0.7	6.3
18.	मेघालय	-	3.1	0.3	6.8	0.5	3.5
19.	मिजोरम	0.4	0.5	0.3	2.4	0.1	2.6
20.	नागालैंड	-	6.4	2.0	8.7	1.4	7.2
21.	उड़ीसा	0.8	6.0	1.1	5.3	8.3	26.6
22.	पंजाब	1.2	5.3	0.9	2.1	4.9	14.0

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	0.1	0.6	0.1	2.1	0.1	2.9
24.	सिक्किम	1.6	6.2	1.9	10.0	1.5	4.3
25.	तमिलनाडु	0.6	6.8	1.0	5.1	1.1	4.8
26.	त्रिपुरा	5.8	17.4	4.4	8.5	32.0	56.8
27.	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश में शामिल					
28.	उत्तर प्रदेश	0.3	1.1	0.3	3.3	0.3	2.5
29.	पश्चिम बंगाल	1.7	14.2	2.8	9.5	3.3	8.4
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.7	9.6	6.8	17.3	12.3	17.2
31.	चंडीगढ़	2.8	22.2	0.0	10.9	4.8	7.5
32.	दादरा व नगर हवेली	0.7	-	0.0	0.0	3.6	9.1
33.	दमन व दीव	-	13.6	0.0	8.0	0.0	3.3
34.	लक्षद्वीप	42.8	33.3	42.9	17.9	57.1	51.5
35.	पुडुचेरी	-	9.9	2.6	6.4	3.2	19.5
	अखिल भारत	0.8	6.2	1.0	5.7	1.8	6.9

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

***138. श्री हरिन पाठक:**
श्री अर्जुन चरण सेठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहचान किए गए राज्यों में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन विश्वविद्यालयों को कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सरकार निम्नलिखित स्थानों पर विश्वस्तरीय 14 विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है:

क्रम संख्या	स्थान	राज्य
1	2	3
1.	अमृतसर	पंजाब
2.	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश
3.	जयपुर	राजस्थान
4.	गांधीनगर	गुजरात
5.	पटना	बिहार
6.	गुवाहाटी	असम
7.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
8.	भोपाल	मध्य प्रदेश
9.	कोच्चि	केरल

1	2	3
10.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
11.	मैसूर	कर्नाटक
12.	पुणे	महाराष्ट्र
13.	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश
14.	भुवनेश्वर	उड़ीसा

(ग) से (ङ) सरकार ने उपर्युक्त स्थानों पर उपर्युक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क किया है। इन विश्वविद्यालयों को XIवीं योजना की शेष अवधि तथा XIIवीं योजना में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि के दावों का लम्बित होना

*139. **श्री गुरुदास दासगुप्त:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के बड़ी संख्या में मामले निपटान हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इतनी बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए कोई विशेष/प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास लम्बित दावों की स्थिति निम्नानुसार है:

की स्थिति के अनुसार	लम्बित दावों की संख्या
31.3.2007 (2006-07)	208298
31.3.2008 (2007-08)	427882
31.3.2009* (2008-09)	651151

*अनंतिम

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लंबित दावों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के उपबंधों के अनुसार, हर तरह से पूर्ण प्राप्त दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाता है। दावों का निपटान किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि नए दावे लगातार प्राप्त होते रहते हैं, अत: कतिपय दावे किसी समय विशेष पर लम्बित रह जाते हैं। लंबित दावों में वृद्धि की प्रवृत्ति का कारण बढ़े हुए रोजगार क्षयण के कारण निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या का अधिक होना, बढ़ रही सदस्यता और बढ़ रहे पेंशन के मामले हैं।

(ग) दावों के निपटान में विलंब के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

(i) दावेदारों द्वारा अपूर्ण प्रपत्रों की प्रस्तुति

(ii) 'अंतिम निपटान' के लिए दावों का अधिक संख्या में प्राप्त होना।

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कम्प्यूटरीकरण परियोजना राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है और इसके पूर्ण हो जाने के पश्चात, दावों के निपटान में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। भविष्य निधि के ऊपर उल्लिखित सभी दावे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पहले ही निपटा लिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लंबित दावों का क्षेत्रवार

1	2	3	4
क्षेत्र	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**
दिल्ली (उत्तरी)	5214	2377	5973
दिल्ली (दक्षिणी)	12063	41274	66895
हरियाणा	6094	40593	53487
हिमाचल प्रदेश	1083	462	5332
चंडीगढ़	5677	3089	2900
लुधियाना	1425	2643	7834
उत्तर प्रदेश	1595	2630	3608
उत्तराखंड	2043	1930	3291
उत्तरी क्षेत्र	**35194**	**94998**	**149320**
बिहार	4666	4121	547
जलपाईगुड़ी	2658	24234	16180

1	2	3	4
कोलकाता	3322	11572	12204
झारखंड	1848	1837	2468
उड़ीसा	2222	6557	3553
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1022	2042	1647
पूर्वी क्षेत्र	**15738**	**50363**	**36599**
बंगलौर	31501	61518	150847
मंगलौर	485	1347	1059
गुन्टूर	3574	2689	4063
हैदराबाद	5952	31039	24326
केरल	429	1933	2206
चेन्नई	23418	30308	40608
कोयम्बटूर	11348	8581	22080
मदुरै	2220	7386	5590
दक्षिणी क्षेत्र	**78927**	**144801**	**250779**
छत्तीसगढ़	1302	1161	159
गोवा	70	587	1109
अहमदाबाद	0	0	4870
वडोदरा	6326	11462	6557
मुम्बई-I [बांद्रा]	42733	68709	83294
मुम्बई-II [बांद्रा]	16311	42845	101387
नागपुर	2	1	386
पुणे	9169	10921	16309
मध्य प्रदेश	2480	919	382
राजस्थान	46	1115	0
पश्चिमी क्षेत्र	**78439**	**137720**	**214453**
योग	**208298**	**427882**	**651151**

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

***140. श्री रामसिंह राठवा:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कुछ नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य एवं स्थान-वार पहचान किए गए स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनकी स्थिति क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने उक्त विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का इस कार्य में कुछ निजी संगठनों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन प्रस्तावित विश्वविद्यालयों के कब तक शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ज) देश में उच्चतर शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 द्वारा 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें 12 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा 3 राज्य विश्वविद्यालय हैं जिन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में परिणत किया गया है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से, गोवा राज्य जो अपने राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत करना नहीं चाहता था, को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इस समय कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों के मुख्यालय उन स्थानों पर होंगे जिन स्थानों को केन्द्र सरकार ने राजकीय राजपत्र में अधिसूचित किया है। इन विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्त स्थानों के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया विचाराधीन है क्योंकि सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में परामर्श किया जा रहा है तथा

हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थानों का अभिनिर्धारण कर लिया गया है। सम्बद्ध राज्य सरकारों इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना में केन्द्रीय निधियन का प्रावधान किया गया है तथा इन विश्वविद्यालयों को तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाएगा।

रोजगार के अवसरों का सृजन

1043. श्री राजज्या सिरिसिल्ला: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्षों में देश में श्रमिकों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों सहित ऐसी श्रमशक्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वस्त अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। रोजगार तथा बेरोजगारी पर सर्वेक्षण के दो हालिया पंचवर्षीय चक्रों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर श्रम बल 2.97 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 1999-2000 में 406.06 मिलियन की तुलना में 2004-05 में बढ़कर 469.94 मिलियन हो गया। 1993-94, 1999-2000 तथा 2004-05 की अवधि के लिए राज्य-वार श्रम बल भागीदारी दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 58 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन करना है। पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से उत्पादक रोजगार तथा ग्रामीण जनसंख्या की जीवनयापन स्थिति में सामान्य सुधार लाने के लिए ग्रामीणों की आय में 4% प्रतिवर्ष की कृषि वृद्धि के लक्ष्य पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। भारत सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती रही है। स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी); स्वर्णजयंती ग्राम स्व रोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

विवरण

वर्ष 1999-00 तथा 2004-05 के दौरान राज्यवार श्रम बल भागीदारी दरें (%)

	1999-2000		2004-05	
	ग्रामीण व्यक्ति	शहरी व्यक्ति	ग्रामीण व्यक्ति	शहरी व्यक्ति
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	54.6	36.2	54.8	40.6
अरुणाचल प्रदेश	37.1	27.5	46.2	32.3
असम	36.4	36.8	40.1	36.2
बिहार	34.4	28.7	32.0	29.0
छत्तीसगढ़*	-	-	51.2	37.7
दिल्ली	32.4	34.3	31.7	35.1
गोवा	39.5	37.9	38.5	39.8
गुजरात	50.1	35.2	51.6	38.7
हरियाणा	34.9	32.3	43.4	35.3
हिमाचल प्रदेश	50.9	34.4	54.0	47.4

1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	44.7	29.6	42.2	34.8
झारखंड*	-	-	43.3	33.3
कर्नाटक	49.1	37.8	54.6	39.7
केरल	42.2	41.5	44.8	44.0
मध्य प्रदेश	46.4	33.1	46.1	35.7
महाराष्ट्र	49.0	36.7	52.7	39.9
मणिपुर	38.7	35.3	44.5	35.8
मेघालय	48.8	31.0	52.7	38.7
मिजोरम	50.3	37.4	52.3	39.0
नागालैंड	49.4	33.5	53.7	38.5
उड़ीसा	43.2	33.9	47.6	38.6
पंजाब	41.7	36.3	45.8	38.5
राजस्थान	44.8	33.2	46.3	35.9
सिक्किम*	39.1	40.7	45.3	38.3
तमिलनाडु	52.3	41.0	53.4	43.4
त्रिपुरा	30.7	31.3	37.3	41.4
उत्तरांचल	-	-	48.0	35.1
उत्तर प्रदेश	34.8	31.7	37.3	34.2
पश्चिम बंगाल	35.9	37.8	38.9	41.0
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	38.4	45.4	47.1	41.6
चंडीगढ़	63.9	36.9	39.9	35.8
दादरा व नगर हवेली	47.5	40.9	53.3	46.6
दमन व दीव	50.9	38.7	40.3	42.8
लक्षद्वीप	35.6	34.3	40.8	36.3
पुडुचेरी	44.3	36.8	49.5	37.3
अखिल भारत	42.3	35.4	44.6	38.2

*बाद में इन्हें पृथक राज्य बनाया गया।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग

1044. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सरकार द्वारा प्रदान किये गए अनुदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान धनराशि के दुरुपयोग आदि जैसी अनियमितताओं में संलिप्त पाये गये एनजीओ के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे एनजीओ के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित 4 गैर-सरकारी संगठन उन्हें प्रदान किए गए अनुदान का दुरुपयोग करते पाए गए हैं:

(i) आयुष प्रतिष्ठान, अहमदाबाद गुजरात;

(ii) ग्राम चेतना सेवा समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश;

(iii) किसान महिला ग्रामोद्योग संस्थान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश;

(iv) ओम हरि बहुद्देशीय शिक्षण संस्थ, भण्डारा, महाराष्ट्र।

(ग) इन संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है और अनुदान रोक दिया गया है। संबंधित राज्य सरकार से सहायता अनुदान की दुरुपयोग की गई राशि वसूलने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

निर्माण मजदूरों को सुविधाएं

1045. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में निर्माण मजदूरों के परिजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजना कब तक तैयार किए जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार निर्माण मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का निर्माण मजदूरों के परिजनों हेतु सचल विद्यालय की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित व उपयोग की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) सरकार ने मजदूरी, कार्यदशाओं, सुरक्षा और स्वास्थ्य, कल्याण संबंधी उपायों आदि, विशेषकर भवन और निर्माण कामगारों के लिए, को विनियमित करने के उद्देश्य से भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अधिनियम किए हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य के नियमों को बनाना, सलाहकार समिति और राज्य भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित करना होता है। कल्याण बोर्ड के लिए निधि का प्रमुख स्रोत नियोक्ताा द्वारा निर्माण कार्य पर खर्च की गई लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर वसूल करने से होगा। राज्य कल्याण बोर्ड दुर्घटना के मामले में लाभभोगी को तत्काल सहायता मुहैया कराएगा, उन लाभभोगियों को पेंशन भुगतान में सहायता करेगा जिन्होंने 60 वर्षों की आयु पूरी कर ली है, मकान के निर्माण के लिए ऋणों और अग्रिम राशि की स्वीकृति करने, समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियत के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करने, लाभभोगियों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने, लाभभोगी की बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए ऐसे चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए, महिला लाभभोगियों को प्रसूति लाभ का भुगतान करने आदि में सहायता करेगा। कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी योजनाएं बनाई हुई हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रही हैं। कुछ अन्य ऐसी योजनाओं को बनाने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि राज्यों से बार-बार इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है, फिर भी इस प्रयोजन के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि इसका उत्तरदायित्व अधिनियम के अंतर्गत राज्यों का है।

(ङ) और (च) निर्माण श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के लिए सचल स्कूल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शिक्षा क्षेत्र में कारपोरेट क्षेत्र की भागीदारी

1046. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा क्षेत्र में संसाधन जुटाने के लिए कारपोरेट क्षेत्र को भागीदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में शिक्षा के विकास के लिए योगदान देने हेतु कारपोरेट क्षेत्र पर कोई कारपोरेट सामाजिक दायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) शिक्षा के क्षेत्र में मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन है। वर्तमान शिक्षा नीति शिक्षा के वाणिज्यिकरण के विरुद्ध है। तथापि, सरकार शैक्षिक संस्थानों के निधीयन तथा प्रबंधन में गैर-लाभकारी हिस्सेदारी की सक्रिय सहयोग तथा सहभागिता की पक्षधर है बशर्ते कि संस्थाएं अधिशेष धनराशि को संस्थान के विकास में लगाती हों। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना में शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पहलों का पता लगाने तथा निजी-सरकारी सहभागिता के विभिन्न रूपों की आवश्यकता को भी महसूस किया गया है।

छावनियों हेतु धनराशि का आबंटन

1047. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना और गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत छावनियों हेतु धनराशि के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुणे, दिल्ली और मेरठ छावनी के लिए योजना और गैर-योजना मद के अंतर्गत किये गये आबंटनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारत में छावनी बोर्डों को निधि आबंटन गैर-योजना व्यय के अंतर्गत किया जाता है। ये सहायता अनुदान तथा सेवा प्रभार के रूप में होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत छावनी बोर्डों की मांगों तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार छावनी बोर्डों को आबंटन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में पुणे, दिल्ली तथा मेरठ छावनी बोर्डों को आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं:

छावनी बोर्ड का नाम	आबंटित निधियां (लाख रुपए में)		
बोर्ड	2006-07	2007-08	2008-09
पुणे	344.00	338.77	338.77
दिल्ली	1540.32	16445.88	7258.24
मेरठ	627.76	620.35	620.35

टावर क्षमता में वृद्धि

1048. श्री नरहरि महतो:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सहित देश में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए मोबाइल टावरों तथा वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) की क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या वायरलैस इन लोकल लूप कनेक्शन सहित कनेक्शन हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड के पास एक लंबी प्रतीक्षा सूची लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रतीक्षा सूची को किस प्रकार निपटाने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2009-10 के दौरान बीएसएनएल ने पश्चिम बंगाल में 49500 लाइनों सहित 19.21 लाख लाइनों की डब्ल्यूएलएल क्षमता और पश्चिम बंगाल में 9.06 लाख लाइनों सहित 2 करोड़ जीएसएम मोबाइल क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है।

वर्ष 2009-10 के दौरान एमटीएनएल की दिल्ली में 200 जीएसएम टावर तथा मुंबई में 291 जीएसएम और 10 डब्ल्यूएलएल टावर लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान एमटीएनएल का दिल्ली में मौजूदा जीएसएम

टावरों की क्षमता में 215 बीटीएस तथा मुंबई में 150 बीटीएस तक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। एमटीएनएल मौजूदा 2जी बीटीएस स्थल पर 3जी नेटवर्क के लिए दिल्ली और मुंबई प्रत्येक में 720 नोड "बी" की वृद्धि भी करेगा।

(घ) और (ङ) वर्तमान में बीएसएनएल में मोबाइल कनेक्शन की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। सिम मांग पर उपलब्ध हैं। तथापि, 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार, डब्ल्यूएलएल और फिक्स्ड और फिक्स्ड लाईन के संबंध में प्रतीक्षा सूची क्रमशः 54,958 और 2,23,238 है। बीएसएनएल की 31.03.2010 तक डब्ल्यूएलएल और फिक्स्ड लाइन (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार) संबंधी प्रतीक्षा सूची का निपटान करने की योजना है।

जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना

1049. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्य कर रहे जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2009-10 के दौरान कर्नाटक सहित देश में और डीडीआरसी की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) देश में 199 अनुमोदित जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्रों में से 173 संचालित हैं। संचालित किए गए जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) गत तीन वर्षों और 2009-10 (8.7.2009 तक) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्रों को जारी कुल राशि 675.57 लाख रुपए है।

विवरण

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिला नि:शक्तता पुनर्वास केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	14
2.	छत्तीसगढ़	6
3.	झारखंड	5
4.	उड़ीसा	8
5.	पश्चिम बंगाल	5
6.	अरुणाचल प्रदेश	3
7.	असम	8
8.	मणिपुर	3
9.	मेघालय	3
10.	मिजोरम	3
11.	नागालैंड	1
12.	सिक्किम	1
13.	त्रिपुरा	3
14.	हरियाणा	5
15.	हिमाचल प्रदेश	3
16.	जम्मू और कश्मीर	4
17.	मध्य प्रदेश	22
18.	पंजाब	7
19.	उत्तर प्रदेश	13
20.	उत्तराखंड	5
21.	आंध्र प्रदेश	3
22.	कर्नाटक	7
23.	केरल	3
24.	तमिलनाडु	7
25.	दादरा और नगर हवेली	1

1	2	3
26.	दमन और द्वीव	1
27.	पुडुचेरी	2
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
29.	गोवा	1
30.	गुजरात	9
31.	महाराष्ट्र	7
32.	राजस्थान	9
	कुल	173

[हिन्दी]

बेरोजगार प्रोफेशनल

1050. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के हाल के वर्षों के दौरान बेरोजगार अभियंताओं तथा अन्य प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा धारकों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार बेरोजगार अभियंताओं तथा अन्य प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा धारकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) वर्ष 2003, 2005, 2006 तथा 2007 हेतु बेरोजगार इंजीनियरी डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों की संख्या निम्न प्रकार है:

(हजार में)

वर्ष	इंजीनियरी	
	डिग्री	डिप्लोमा
2003	82	131
2005	112	107
2006	48	45
2007	193	132

(ग) और (घ) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए, 11वीं योजना का उद्देश्य निजी संगठित क्षेत्र रोजगार में कम से कम 10 मिलियन की महत्वाकांक्षी रूप से वृद्धि करना है। तब सार्वजनिक क्षेत्र के साथ संगठित क्षेत्र रोजगार में प्रतिवर्ष लगभग 9% की विकास दर सहित 15 मिलियन से अधिक का विस्तार होगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

1051. श्री गणेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू करने हेतु एक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है। स्कीम में प्रत्येक स्थान से उचित दूरी के भीतर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराके, माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके, बालक-बालिका, सामाजिक-आर्थिक तथा विकलांगता संबंधी अड़चनों को दूर करके माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

अनुसूचित जाति की सूची में तरखान समुदाय को शामिल करना

1052. डॉ राजन सुशान्त: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में तरखान समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) तरखान समुदाय को

अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर अनुमोदित रूपरेखाओं के अनुसरण में विचार किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी। इसलिए, इसे निरस्त कर दिया गया।

[अनुवाद]

मोबाइल फोन का उपयोग

1053. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेन्टिटी (आई.एम.ई.आई.) के बिना मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के लिए मोबाइल फोन ऑपरेटरों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) सभी सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस)/ एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसधारियों को उनके नेटवर्क में उपस्कर पहचान रजिस्टर (ईआईआर) रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे ताकि आईएमईआई रहित अथवा सभी शून्य अंक युक्त कॉलों पर 30 जून, 2009 के पश्चात कार्रवाई न करके उन्हें अस्वीकार किया जा सकें।

इसके अलावा, सरकार ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचसना सं. 112 (आरई-2008)/ 2004-2009, दिनांक 16 जून, 2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान (आईएमईआई) संख्या रहित अथवा सभी शून्य अंक युक्त आईएमईआई "मोबाइल हैंडसेट" (एक्जिम कोड 8517 के अंतर्गत वर्गीकृत) के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

खतरनाक पेशों में बच्चे

1054. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बतानेा की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार खतरनाक पेशों में कार्यरत बच्चों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे बच्चों को निकालने तथा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार देश के 21 राज्यों के 271 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों का विशेष स्कूलों में दाखिला कराया जाता है जहां उन्हें ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि मुहैया कराया जाता है।

विवरण

क्रमांक	माह/वर्ष तक की स्थिति	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जोखिमकारी व्यवसायों में पहचान किए गए बाल श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4
1.	दिसम्बर-08	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	जून-07	आंध्र प्रदेश	7769
3.		अरुणाचल प्रदेश	35
4.	दिसम्बर-08	असम	0
5.	जून-07	बिहार	5088

1	2	3	4
6.	दिसम्बर-08	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	0
7.	दिसम्बर-07	छत्तीसगढ़	992
8.	जून-07	दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र	0
9.	जून-07	दमण और दीव	0
10.	2007- 08	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	359
11.	जून-06	गोवा	35
12.	जून-07	गुजरात	1018
13.	दिसम्बर-08	हरियाणा	9112
14.	दिसम्बर-08	हिमाचल प्रदेश	83
15.	दिसम्बर-07	जम्मू और कश्मीर	16
16.	दिसम्बर-07	झारखंड	2924
17.	जून-08	कर्नाटक	11190
18.	दिसम्बर-08	केरल	0
19.	दिसम्बर-07	लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र	0
20.	दिसम्बर-08	मध्य प्रदेश	8826
21.	जून-07	महाराष्ट्र	2681
22.	जून-06	मणिपुर	0
23.	दिसम्बर-08	मेघालय	0
24.	जून-07	मिजोरम	0
25.	जून-07	नागालैंड	9435
26.	दिसम्बर, 2008	उड़ीसा	23761
27.	दिसम्बर, 08	पांडिचेरी द्वीपसमूह	10
28.	जून-07	पंजाब	1467
29.	दिसम्बर, 08	राजस्थान	3026
30.	दिसम्बर, 08	सिक्किम	0
31.	दिसम्बर, 08	तमिलनाडु	9007
32.	जून-07	त्रिपुरा	11
33.	जून-07	उत्तर प्रदेश	32697
34.	दिसम्बर, 08	उत्तराखंड	607
35.	जून-07	पश्चिम बंगाल	254
		कुल	130403

[हिन्दी]

आयुध निर्माणी के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

1055. श्री राकेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या खमरिया, जबलपुर के आयुध निर्माणी के उन कर्मचारियों के इलाज हेतु पर्याप्त व्यवस्था है जो परीक्षण व विस्फोट के दौरान घायल हो जाते हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे घायल कर्मचारियों को खमरिया अस्पताल में उपलब्ध कराए गए इलाज का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) एक अर्हक शल्य चिकित्सक सहित 100 बिस्तर वाला अस्पताल, एक पूर्ण कार्यात्मक ऑपरेशन थियेटर और अपेक्षित स्टाफ के साथ शल्यक्रिया वार्ड, कर्मचारियों के उपचार के लिए उपलब्ध कराया गया है। यद्यपि छोटे मामलों का उपचार निर्माणी अस्पताल में किया जाता है जबकि बड़े मामलों को आवश्यकतानुसार केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से मान्यताप्राप्त जबलपुर स्थित अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित किया जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान घायल कर्मचारियों को दिए गए उपचार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) वर्ष 2006-2007 के दौरान, 33 छोटी चोटों और 14 बड़ी चोटों के मामलों का उपचार किया गया था;

(ii) वर्ष 2007-08 के दौरान 35 छोटी चोटों और 15 बड़ी चोटों के मामलों का उपचार किया गया; तथा

(iii) वर्ष 2008-2009 के दौरान 38 छोटी चोटों और 08 बड़ी चोटों के मामलों का उपचार किया गया था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

1056. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानदण्डों में राज्य स्तरीय नम्यता प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" नामक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम स्कीम में योजना के संपूर्ण कार्यढांचे के भीतर मानदंडों में नम्यता के लिए अंतर्निर्मित तंत्र मौजूद है।

[हिन्दी]

वृद्धाश्रमों का कार्यकरण

1057. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वृद्धाश्रमों के कार्यकरण हेतु राज्यों को धनराशि दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे आश्रमों के कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की केन्द्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत वृद्धाश्रमों के रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 से अब तक वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की केन्द्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1144.71
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	206.68

1	2	3
5.	बिहार	5.52
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	7.15
8.	दमन और दीव	0
9.	दादरा और नगर हवेली	0
10.	दिल्ली	65.33
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	1.38
13.	हरियाणा	90.98
14.	हिमाचल प्रदेश	5.82
15.	जम्मू और कश्मीर	4.3
16.	झारखंड	0
17.	कर्नाटक	523.14
18.	केरल	7.22
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	19.78
21.	महाराष्ट्र	112.38
22.	मणिपुर	295.14
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	3.87
25.	नागालैंड	1.38
26.	उड़ीसा	773.84
27.	पुडुचेरी	9.62
28.	पंजाब	40.6
29.	राजस्थान	28.01
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	537.98
32.	त्रिपुरा	36.36
33.	उत्तर प्रदेश	190.24
34.	उत्तराखंड	15.14
35.	पश्चिम बंगाल	510.5
	कुल	4638.58

[अनुवाद]

एमपीईडीए की गहरे समुद्र में मत्स्यग्रहण परियोजनाएं

1058. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) का विचार एक पृथक गहरा समुद्र मत्स्ययन निगम शुरू करने तथा अनन्य आर्थिक जोन (ईईजेड) में नौकाएं और मछली खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमपीईडीए का विचार एक पृथक मत्स्ययन प्रभाग स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री निर्यातों को बढ़ावा देने के संबंध में एमपीईडीए का अधिदेश क्या है तथा इसने इसे कितना पूरा किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) एम्पीडा के अधिदेश हैं–गभीर सागर मत्स्यन का विकास करना, विनियमन करना और अपतटीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु उपाय करना; मत्स्यन जलयानों, भण्डारण परिसरों के प्रसंस्करण संयंत्रों, समुद्री उत्पादों के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों का पंजीयन करना; समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु मानकों एवं विनिर्देशनों का निर्धारण करना; मत्स्यन जलयानों, प्रसंस्करण संयंत्रों अथवा भण्डारण परिसरों हेतु प्रयुक्त वाहनों के मालिकों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करना और सरकार द्वारा प्राधिकरण को सौंपी गई ऐसी राहत एवं सब्सिडी स्कीमों हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करना; भारत से बाहर विपणन सहित निरीक्षण करना; निर्यातकों का पंजीयन करना; आंकड़ों का संग्रहण करना; समुद्री उत्पादों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देना।

समुद्री उत्पादों के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पचास के दशक की शुरूआत में हुए मात्र 2.46 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2008-09 के दौरान 1908.63 मिलियन अम. डा. के समतुल्य 8607.94 करोड़ रुपए के हो गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

1059. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी और निजी क्षेत्र में विशेषत: देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा होने के बाद निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों की वाणिज्यिक समझ पर छोड़ दिए जाते हैं। सरकार केवल सुविधा प्रदानकर्ता का कार्य करती है। राज्य सरकारों मुख्यत: अपने-अपने राज्यों में औद्योगिक विकास करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार उसके द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के जरिए उनके प्रयासों में मदद करती है जिसके तहत औद्योगिक अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1060. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री संजय निरूपम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अवसंरचना क्षेत्र में ऐसे और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में घरेलू निवेश को बढ़ावा देकर देश में आर्थिक कार्यकलापों तथा रोजगार बढ़ाने की क्षमता है। सरकार ने एक उदार एवं निवेशक अनुकूल नीतिगत व्यवस्था के द्वारा एफ.डी.आई. को निरन्तर बढ़ावा दिया है जिसमें निवेश संवर्धन एवं निवेशक की सुविधा पर जोर दिया है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) इक्विटी अन्तर्वाह वर्ष 2005-06 में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष 2008-09 में बढ़कर 27.31 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 2007-08 में एफ.डी.आई. इक्विटी अन्तर्वाह 24.58 बिलियन अमरीकी डालर था और यह आर्थिक मंदी के बावजूद वर्ष 2008-09 में बढ़कर 27.31 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार, अवसंरचना क्षेत्र सहित, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) इक्विटी अन्तर्वाह का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने एफडीआई पर एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति की शुरूआत की थी जिसमें सरकार ने अवसंरचना तथा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहित अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है। अंकटाड़ विश्व निवेश रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर) 2007 तथा 2008 में वैश्विक प्रवृत्तियों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाहों के निरन्तर वृद्धि के बारे में अपने विश्लेषण में भारत को वर्ष 2007-09 के लिए एफडीआई हेतु दूसरा सबसे आकर्षक स्थान बताया है। भारत ने एटी कर्नी-2007 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कोनफिडेंस इंडेक्स में दूसरे स्थान को बरकरार रखा है जो स्थान उसके पास वर्ष 2005 से है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को तेज करने के लिए बहुत से उपायों की भी घोषणा की है जिससे भारत आकर्षक निवेश गन्तव्य के रूप में बने रहने में सक्षम होगा। उदारीकृत आर्थिक माहौल में निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय वृहद आर्थिक नीतिगत ढांचे राज्य में निवेश माहौल विदेशी सहयोग की निवेश संबंधी नीतियां तथा अन्य वाणिज्यिक समझ पर आधारित होते हैं।

भारत सरकार संयुक्त आयोग/संयुक्त समितियों, अन्य द्विपक्षीय चैनलों जैसे देश के दौरे पर आये शिष्टमंडल के साथ बातचीत आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए विदेशी दौरों का आयोजन, तथा भारत में निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय तथा विदेशी

उद्यमियों के बीच बिजनेस-निवेश बैठकों जैसे विभिन्न मंच के जरिये विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों के साथ-साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास बनाना जारी रखे हुए हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों और संयुक्त बिजनेस परिषद की बैठकों के साथ होने वाले विचार-विमर्शों में भी भाग लेता है।

भारत सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संभावना वाले विभिन्न देशों में डिस्टिनेशन इंडिया तथा इन्वेस्ट इंडिया के आयोजन के जरिये निवेश संवर्धन कार्यकलाप भी करता है ताकि भारत में निवेश माहौल तथा अवसरों के बारे में जागरूकता का सृजन हो सके और साथ-साथ संभावित निवेशकों को सहायता प्रदान की जा सके।

विभिन्न राज्य सरकारों तथा बिजनेस एसोसिएशनों के साथ सहभागिता में भारत सरकार व्यवसाय के लिए विनियमों को अनुकूल बनाने के लिए बेस प्रयास कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने ऑन लाइन पंजीकरण प्रदान करने, निवेशकों तथा बिजनेस घरानों को भुगतान सेवाएं दायर करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अन्तर्गत ई बिज-परियोजना, मिशन मोड परियोजना क्रियान्वित करने के लिए पहल शुरू की है।

विवरण

वित्तीय वर्षवार क्षेत्रीय एफ.डी.आई. इक्विटी अन्तर्वाह अप्रैल, 2006 से मार्च, 2009 तक का ब्यौरा

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2006-07 अप्रैल-मार्च		2007-08 अप्रैल-मार्च		2008-09 अप्रैल मार्च		संचयी योग	
		एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमेरिक डालर में	एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमेरिक डालर में	एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमेरिक डालर में	एफडीआई रुपयों में	एफडीआई अमेरिक डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धातुकर्मी उद्योग	7.866.48	172.85	46,859.75	1,176.89	41,567.11	960.85	96,293.34	2,310.59
2.	खनन	295.33	6.62	17,616.63	444.26	1,613.93	34.22	19.525.89	485.10
3.	विद्युत	7,132.19	157.47	38,774.62	968.00	43,818.41	984.80	89,725.22	2,110.27
4.	गैर परम्परागत ऊर्जा	95.76	2.11	1,718.91	43.15	4,044.07	85.27	5,858.73	130.53
5.	कोयला उत्पादन	57.71	1.30	554.40	14.08	10.70	0.22	622.81	15.60
6.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	4,015.10	89.37	57,290.54	1,426.78	19,312.19	412.27	80,617.83	1,928.42
7.	बॉयलर तथा भाप जनित्रण गैस	152.45	3.31	60.85	1.51	0.00	0.00	213.30	4.82
8.	विद्युत जनरेटर के अलावा प्राइम मूवर्स	0.00	0.00	11.60	0.28	164.21	3.38	175.81	3.67
9.	विद्युत उपकरण	3,533.97	76.85	26,500.92	639.67	17,980.00	386.85	48,014.89	1,103.37
10.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	117,858.23	2,614.43	56,233.00	1,409.64	73,285.39	1,676.54	247,376.63	5,700.61
11.	इलैक्ट्रानिक्स	1,853.25	41.45	4,328.60	108.65	3,417.98	76.50	9,599.82	226.59
12.	दूरसंचार	21,550.77	477.74	51,026.09	1,261.46	117,268.74	2,558.39	189,845.60	4,297.59
13.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	1,989.36	43.56	12,903.38	321.46	34,923.70	762.32	49,816.45	1,127.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	आटोमोबाइल उद्योग	12,543.55	275.73	26,969.57	674.76	52,116.52	1,151.74	91,629.64	2,102.23
15.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	2,811.11	62.29	4,083.24	99.08	1,692.18	35.15	8,586.52	196.52
16.	समुद्री परिवहन	3,260.09	72.52	5,245.13	128.36	2,313.53	50.21	10,818.74	251.10
17.	पत्तन	0.10	0.00	36,665.70	918.18	20,198.67	493.15	56,864.47	1,411.34
18.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	1,183.91	25.82	491.76	12.36	774.09	18.01	2,449.76	56.19
19.	औद्योगिक मशीनरी	872.94	19.27	4,796.16	119.00	3,827.69	82.77	9,496.79	221.04
20.	मशीन औजार	1,702.60	37.34	2,256.69	56.87	2,064.52	45.66	6,023.80	139.87
21.	कृषि मशीनरी	1,145.23	25.19	265.44	6.72	224.31	5.57	1,634.98	37.47
22.	अर्थ मूविंग मशीनरी	45.79	0.99	2,611.36	66.09	108.00	2.27	2,765.16	69.36
23.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	1,994.96	64.32	8,582.84	210.76	6,349.08	142.24	17,865.88	417.32
24.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	1,994.76	44.88	390.75	9.83	534.85	12.58	2,920.37	67.30
25.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	594.50	13.43	522.44	13.17	3,520.30	75.42	4,637.24	102.02
26.	औद्योगिक उपकरण	0.00	0.00	88.14	2.23	836.49	17.48	924.64	19.71
27.	वैज्ञानिक उपकरण	3.40	0.07	0.13	0.00	35.60	0.83	39.13	0.91
28.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा आरेखण उपकरण	0.00	0.00	50.20	1.26	0.00	0.00	50.20	1.26
29.	उर्वरक	228.23	5.01	79.21	1.95	1,608.60	38.53	1,916.04	45.50
30.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	9,294.33	205.43	9,175.56	228.45	34,271.40	749.20	52,741.29	1,183.07
31.	फोटोग्राफी, कच्ची फिल्म और कागज	129.95	2.81	2,087.80	52.84	44.44	1.05	2,262.19	56.71
32.	डाई स्टाफ	0.00	0.00	222.38	5.51	56.19	1.17	278.58	6.68
33.	ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स	9,696.74	214.84	13,264.28	334.09	8,101.16	181.61	31,062.17	730.54
34.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	5,606.84	125.26	7,476.11	185.98	7,561.47	157.44	20,644.43	468.67
35.	कागज तथा लुगदी (कागज उत्पाद सहित)	230.78	5.08	1,237.35	31.24	11,815.93	272.51	13,284.06	308.83
36.	चीनी	739.52	16.54	410.93	10.07	226.80	5.01	1,377.25	31.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	किण्वन उद्योग	1,226.55	27.58	10,759.17	270.05	6,284.23	144.70	18,269.95	442.33
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	4,408.60	98.24	2,745.65	69.08	4,553.04	102.64	11,707.29	269.96
39.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	720.10	16.22	61.16	1.53	1,961.22	42.88	2,742.48	60.64
40.	साबुन कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन प्रीप्रेशन	266.44	6.04	394.72	10.01	1,059.45	22.03	1,720.60	38.09
41.	रबड़ की वस्तुएं	866.63	18.75	609.73	15.12	4,007.06	84.88	5,483.42	118.75
42.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	376.03	8.26	297.77	7.46	155.59	3.32	829.39	19.05
43.	ग्लू तथा जिलेटिन	0.00	0.00	90.04	2.28	0.00	0.00	90.04	2.28
44.	कांच	64.16	1.43	442.54	11.04	938.35	20.82	1,445.05	33.29
45.	सिरेमिक	2,557.99	57.46	4,626.16	115.11	8,508.67	198.53	15,692.82	371.10
46.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	10,980.34	242.69	687.12	16.89	31,435.20	724.80	43,102.66	984.38
47.	काष्ठ उत्पाद	0.10	0.00	15.40	0.39	557.53	11.27	573.03	11.66
48.	रक्षा उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.10	4.50	0.10
49.	परामर्श सेवाएं	5,289.24	115.36	13,542.39	340.91	14,629.15	314.72	33,460.79	770.98
50.	सेवा क्षेत्र	211,801.61	4,693.72	265,892.72	6,615.41	285,161.02	6,137.62	762,855.34	17,446.75
51.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	1,747.84	38.14	9,959.10	249.23	10,273.91	241.22	21,980.85	528.59
52.	शिक्षा	2,122.68	47.29	1,770.13	43.62	10,318.40	214.18	14,211.21	305.09
53.	होटल तथा पर्यटन	8,821.37	194.83	16,938.69	421.44	20,299.60	449.83	46,059.67	1,066.11
54.	व्यापार	5,212.09	115.42	24,878.70	621.02	27,351.37	631.69	57,442.16	1,368.13
55.	खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड)	0.00	0.00	78.01	1.98	1,354.68	30.19	1,432.68	32.16
56.	कृषि सेवा	669.14	15.11	4,541.18	113.22	242.06	5.26	5,452.37	133.58
57.	हीरे सोने के आभूषण	2,830.11	61.78	2,359.56	59.15	3,884.58	83.50	9,074.25	204.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय तथा कॉफी)	283.36	6.20	749.47	18.94	1,750.04	37.08	2,782.86	62.21
59.	पुस्तकों का मुद्रण लियो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	2,364.88	51.19	803.26	20.09	1,622.69	36.54	4,790.83	107.81
60.	कयर	1.82	0.04	0.60	0.01	0.00	0.00	2.42	0.06
61.	निर्माण कार्यकलाप	44,244.40	985.36	69,893.48	1,742.54	87,918.87	2,028.11	202,056.76	4,756.02
62.	आवास, स्थावर सम्पदा, (सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स एकीकृत कस्बों तथा वाणिज्यिक परिसरों आदि सहित)								
63.	विविध उद्योग	14,416.70	319,40	25,938.30	645.12	64,076.93	1,482.56	104,431.94	2,447.08
	उपयोग	563,902.20	12,491.77	986,420.89	24,575.43	1,230,248.80	27,330.82	2,780,571.88	64,398.02

मुसहर समुदाय के विकास हेतु योजना

1061. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री के. जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रह रहे मुसहर समुदाय के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा सभी अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए स्कीमें और कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तथा कार्यान्वित किए जाते हैं और किसी विशेष जाति के लिए कोई पृथक स्कीम तैयार नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी

1062. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार, बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिशत को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इण्डो-यूएस सीईओ फोरम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिसमें खुदरा व्यापार, भू-सम्पदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने और साथ ही पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता शुरू करने की भी सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर एक उदार एवं निवेशक अनुकूल नीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वत: मार्गा से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। विभिन्न पणधारियों द्वारा उठाए गए संबंधित मुद्दों पर ध्यान देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति की अंतर-मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया के माध्य से समीक्षा की जाती है। वर्तमान में दूरसंचार, बीमा एवं बैंकिंग के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति निम्नानुसार दी गई है:

दूरसंचार

	क्षेत्र	इक्विटी अधिकतम सीमा	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
(क)	बेसिक एंड सेल्यूलर, यूनिफाईड एक्सेस सर्विसेस, डिस्टेंट, वी-सेट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेस (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेस (जीएमपी सीएस) और अन्य वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेस	74 प्रतिशत (जिसमें एफडीआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर जेडीआर, कन्वर्टेबल प्रफरेंस शेयर और भारतीय प्रमोटरों/निवेश करने वाली कम्पनी में अनुपातिक विदेशी इक्विटी शामिल है)	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	प्रेस नोट 3 (2007 शृंखला) में अधिसूचित दिशानिर्देशों
(ख)	गेटवेज, रेडियो पेजिंग, एंड-टू-एंड वेंडविथ के साथ आईएसपी	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस लेने और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की शर्त पर
(ग)	(क) गेटवे के बिना आईएसपी, (ख) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग डार्क फाईबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस (टावर श्रेणी-I), (ग) इलेक्ट्रानिक मेल एंड वायस मेल	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	यदि ये कम्पनियां विश्व के किसी अन्य भाग में सूचीबद्ध हैं तो इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी कम्पनियां 5 वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश कर देंगी इसके अतिरिक्त जहां कहीं अपेक्षित हो लाइसेंस लेने और सुरक्षा अपेक्षाओं को देखते हुए
(घ)	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100 प्रतिशत	स्वत:	क्षेत्रवार अपेक्षाओं की शर्त पर

बीमा क्षेत्र: वर्तमान नीति के अनुसार, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा लाइसेंस देने की शर्त के अध्यधीन बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

बैंकिंग क्षेत्र: विदेशी बैंकों की शाखाओं/सहायक शाखाओं की स्थापना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अध्यधीन स्वत: मार्ग के तहत बैंकिंग निजी क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें (एफडीआई तथा एफआईआई निवेश शामिल हैं) की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, खुदरा व्यापार क्षेत्र तथा निर्माण विकास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति निम्नानुसार है:

(i) खुदरा व्यापार क्षेत्र: खुदरा व्यापार क्षेत्र में किसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है सिवाए एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र के, जहां पर सरकार से पूर्व अनुमोदन से 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत की जाती है:

(i) केवल एकल ब्रांड के उत्पाद ही बेचे जाने चाहिएं;

(ii) समान अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के उत्पाद ही बेचे जाने चाहिए;

(iii) एकल ब्रांड उत्पाद का खुदरा व्यापार में वे उत्पाद ही शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रांड किया जाता है।

(ii) आवास, वाणिज्यिक परिसर, रिसोर्ट, शैक्षणिक संस्थान, मनोविनोद सुविधा केन्द्र, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना सुविधाएं, नगर सहित निर्माण विकास परियोजनाएं:

प्रेस नोट 2 (2005 शृंखला) द्वारा अधिसूचित शर्तों के अध्यधीन क्षेत्रों के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:

(क) न्यूनयतम पूंजी पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक उद्योगों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर तथा संयुक्त उद्यम के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर। कंपनी का कारोबार प्रारंभ होने के छ: माह के अंदर निधियां को लानी होंगी।

(ख) प्रत्येक परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले न्यूनतम क्षेत्र–सर्विस आवास प्लाटों के विकास के मामले में 10 हेक्टेयर, तथा निर्माण विकास परियोजनाओं के मामले में 50,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र और संयुक्त परियोजना के मामले में उपरोक्त में से कोई एक।

(ग) न्यूनतम पूंजी निवेश के पूरा होने से तीन वर्ष की अवधि के पूर्व मूल निवेश को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। तथापि, निवेशक को एफआईपीबी के माध्यम से सरकार के पूर्वानुमोदन से समय से पहले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए, प्रेस नोट 2/2005 में वर्णित शर्तें लागू नहीं हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), होटल एवं अस्पताल में निवेश के लिए प्रेस नोट 2(2005) में वर्णित शर्तें लागू नहीं है।

स्थावर संपदा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

खुदरा क्षेत्र श्रम गहण क्षेत्र है तथा कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। सरकार खुदरा व्यवसाय में लगे सभी पक्षों के वैध हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विकासशील संगठित खुदरा व्यापार से छोटे खुदरा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से सरकार पूरी तरह से परिचित है। खुदरा व्यापार में एफडीआई पर मौजूदा नीति में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्ण पूंजी लेखा बदलाव के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय मिशनों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु धनराशि

1063. श्री वैजयंत पांडा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश के निर्यात संवर्धन हेतु पांच करोड़ रु. की निधि स्थापित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) निर्यात संवर्धन पहलों के लिए वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों को प्राप्त करने हेतु विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए चैलेंज फण्ड एक विशेष व्यवस्था है।

(ख) निधि से संबंधित ब्यौरे विभाग की वेबसाइट "http:/ /comerce.gov.in/trade/challenge&fund.pdf" पर उलब्ध हैं।

आमों का निर्यात

1064. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अमेरिका तथा अन्य देशों को निर्यात की गई आमों की कुल मात्रा तथा मूल्य का वर्षवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष में आमों के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आमों के निर्यात हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके क्या परिणाम रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमेरिका तथा अन्य देशों को आमों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य दोनों रूप में ब्यौरा निम्नानुसार है:

मात्रा-मी- टन में/मूल्य-लाख रु. में

	2006-07		2007-08		2008-09 (अप्रैल, 08-जन-09)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अमेरिका	शून्य	शून्य	143	196	203	293
अन्य देश	79061	14194	54208	12546	77934	14623
कुल	79061	14194	54351	12742	78137	14916

स्त्रोत: एपीडा

(ख) और (ग) चालू वर्ष के लिए निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन उद्योग से मिली पूरक सूचना से यह पता चलता है कि चालू मौसम में निर्यात योग्य गुणवत्ता वाले आम का उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ था।

(घ) सरकार आवश्यक तकनीकी जानकारी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) जैसी निर्यात संवर्धन एजेंसियों के साथ समन्वयन कर रही है। एपीडा द्वारा अवसंरचना विकास स्कीम, गुणवत्ता विकास स्कीम, बाजार विकास स्कीम तथा अनुसंधान एवं विकास स्कीम जैसी अपनी स्कीमों के जरिए आम सहित फल एवं सब्जियों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप अमेरिका को होने वाले आम के निर्यात में वृद्धि हुई है।

बोली लगाने वालों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि

1065. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवसंरचना संबंधी सशक्तिकरण समिति ने बोली लगाने वालों की न्यूनतम थ्रेसोल्ड टेक्निकल केपेबिलिटी को कुल परियोजना लागत का दोगुना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रतियोगिता में केवल गंभीर तथा स्थिर बोली लगाने वालों को रखने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन में अन्य कौन-कौन से परिवर्तन किए जा रहे हैं; और

(घ) परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब होने पर क्या अर्थदंड लगाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि बीओटी परियोजनाओं के संबंध में रियायत प्राप्तकर्ता (कंशेसनरी) को उस परियोजना के लिए अपेक्षित निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है अत: यह सुझाव दिया गया था कि अधिक अनुभव और क्षमता वाली संस्थाओं द्वारा पूर्व अर्हता प्राप्त किए जाने की दृष्टि से, आरंभिक सीमा, परियोजना की लागत से दौगूनी बढ़ा दी जाए ताकि परियोजना के संबंध में वित्त-व्यवस्था की संभावना और उसके कार्यान्वयन से समझौता न करना पड़े।

(ग) केवल गंभीर और स्थिर बोलीदाताओं को प्रतिस्पर्द्धा में रखने के लिए मॉडल आर एफ क्यू कागजात में प्रस्तावित अन्य बदलाव, निम्नानुसार हैं:

(i) एक संघ (कंसोर्टियम) में, सदस्यों को विशेष प्रयोजनीय वाहन में 26% इक्विटी रखने के अतिरिक्त, परियोजना के आरंभ होने के बाद 2 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना की कुल लागत की कम से कम 5% के बराबर इक्विटी शेयर पूंजी रखनी होगी।

(ii) अर्हता पूर्व बोलीदाताओं की संख्या, 06 तक सीमित कर दी गई है, जिसे 500 करोड़ रु. से कम की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के मामले में या बारम्बारी परियोजना में बढ़ाकर 7 तक किया जा सकता है।

(घ) परियोजना को पूरा किए जाने में होने वाले विलंब के लिए जुर्माना, रियायत (कंशेसन) करार में निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

नशा-मुक्ति केन्द्र

1066. श्री अशोक कुमार रावत:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्राम पंचायत स्तर पर नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान खोले गए उपरोक्त केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अक्टूबर, 2008 से प्रभावी शराब और मन:प्रभावी पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग रोकथाम संबंधी संशोधित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत, पंचायती राज संस्थाएं भी व्यसनी व्यक्तियों के लिए समेकित पुनर्वास सेंटर स्थापित करने के लिए तथा इस स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य नशीली दवा मुक्ति कार्यकलापों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

(ग) विगत 3 वर्ष के दौरान खोले गए नशामुक्ति केन्द्रों की राज्यवार संख्या के ब्यौरो संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। मौजूदा वर्ष में अभी तक कोई नया नशा-मुक्ति केन्द्र संस्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) 2006-09 तक विगत तीन वर्ष के दौरान शराब और मन:प्रभावी पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग रोकथाम संबंधी स्कीम के तहत गैर-सरकारी संगठनों के लिए जारी की गई वास्तविक निर्मुक्तियों के राज्यवार ब्यौरे तथा मौजूदा वर्ष में स्कीम के तहत राज्यवार काल्पनिक आबंटन संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्ष के दौरान शराब और मन:प्रभावी पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग रोकथाम संबंधी स्कीम के तहत खोले गए नशामुक्ति केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़	1
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	कर्नाटक	3
4.	केरल	1
5.	मध्य प्रदेश	7
6.	महाराष्ट्र	2
7.	उड़ीसा	1
8.	राजस्थान	6
9.	तमिलनाडु	3
10.	उत्तर प्रदेश	1
11.	पश्चिम बंगाल	2
12.	अरुणाचल प्रदेश	1
13.	असम	1
14.	मेघालय	1
	कुल	31

विवरण-II

वर्ष 2006-09 के दौरान शराब और मन:प्रभावी पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग रोकथाम स्कीम के तहत की गई वास्तविक निर्मुक्तियों के राज्यवार ब्यौरे तथा वर्तमान वर्ष 2009-10 में स्कीम के तहत राज्यवार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (लाख रु.) 2006-2009	वर्ष के लिए राष्ट्रीय आबंटन (लाख रु.) 2009-10
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	261.68	140
2.	बिहार	203.60	130
3.	छत्तीसगढ़	36.80	30

1	2	3	4
4.	गोवा	4.42	10
5.	गुजरात	91.35	50
6.	हरियाणा	222.45	150
7.	हिमाचल प्रदेश	40.79	30
8.	जम्मू कश्मीर	28.57	20
9.	झारखंड	0	10
10.	कर्नाटक	520.79	250
11.	केरल	394.84	190
12.	मध्य प्रदेश	249.82	170
13.	महाराष्ट्र	921.20	410
14.	उड़ीसा	507.21	210
15.	पंजाब	263.83	130
16.	राजस्थान	201.61	110
17.	तमिलनाडु	389.53	230
18.	उत्तर प्रदेश	765.29	410
19.	उत्तराखंड	74.15	40
20.	पश्चिम बंगाल	323.60	130
21.	चंडीगढ़	4.19	10
22.	दिल्ली	170.06	90
23.	पुडुचेरी	0	10
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	10
25.	लक्षद्वीप	0	10
26.	दमन और दीव	0	10
27.	दादर और नगर हवेली	0	10
28.	अरुणाचल प्रदेश	14.04	22
29.	असम	141.90	70
30.	मणिपुर	496.76	200
31.	मेघालय	41.81	22
32.	मिजोरम	226.57	100
33.	नागालैंड	126.48	60
34.	त्रिपुरा	13.22	15
35.	सिक्किम	19.10	11
	कुल योग	6741.63	3500

[अनुवाद]

संकटापन्न भाषाएं

1067. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अद्यतन यूनेस्को एटलस के अनुसार कुछ भारतीय भाषाएं संकटापन्न सूचीबद्ध की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 'यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्डस लेंगुएजिस इन डेंजर' में भारत की 196 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनके खतरे की मात्रा को निम्न प्रकार 'कमजोर' से 'विलुप्त' के मध्य विभाजित किया गया है:

कमजोर भाषाएं	:	84
निश्चित रूप से खतरे में	:	62
गंभीर खतरे में भाषाएं	:	06
अत्यधिक गंभीर खतरे में भाषाएं	:	35
विलुप्त भाषाएं (1950 से)	:	9
कुल	:	196

खतरे की मात्रा, बोलने वालों की अनुमानित संख्या; अनुमान की सत्यता; और आंकड़ों के स्रोत सहित भारतीय भाषाओं की सूची यूनेस्को इंटरएक्टिव एटलस ऑफ द वर्ल्डस लेंगुएजिस इन डेंजर (2009) जो यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनुभाग (पर

http://www.unesco.org/culture/en/ endangeredlanguages/ atlas उपलब्ध) के ऑनलाइन डाटाबेस पर उपलब्ध है। उपर्युक्त डाटाबेस 'लीविंग' डाटाबेस है जिसे उपयोगकर्ताओं के फीडबैक के कारण और यूनेस्को के विशेषज्ञों की जांच के बाद सतत् रूप से सही किया जा रहा है।

जबकि इस एटलस में सूचीबद्ध की गई 196 भाषाओं को बोलने वालों की अनुमानित संख्या 2.7 करोड़ है तथापि ये सभी 196 भाषाएं 'गंभीर खतरे' अथवा 'अत्यधिक गंभीर खतरे' तक नहीं पहुंची है।

(ग) इस मंत्रालय ने उन छोटी-मोटी भाषाओं जिन्हें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, के संरक्षण एवं विकास की प्रगति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर समीक्षा की है। ऐसा देखा गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन छोटी-मोटी भाषाओं के विकास के लिए ठोस कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा

1068. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने संबंधी प्रश्न भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जहां विश्वविद्यालय की 'स्थापना' शब्द जैसा कि ''अजीज भाषा'' मामले में निर्धारित किया गया है, की व्याख्या को चुनौती दी गई है, और इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का समाज के कुछ वर्गों द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान करने संबंधी मुद्दे पर प्रभाव पड़ेगा, जो माननीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

[अनुवाद]

दूरसंचार कनेक्टिविटी

1069. श्री नृपेन्द्र नाथ राय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में पुरलिया, बालूरघाट तथा कूचबिहार सहित देश के सभी स्थानों पर टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पश्चिम बंगाल सहित देश के सभी स्थानों को भारत संचार निगम लिमिटेड सुविधा के अंतर्गत कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के पहले आधे वर्ष में पुरलिया, बालूरघाट तथा कूचबिहार सहित देश में राज्य-वार कुल कितने सिम कार्ड प्रदान किए गए;

(च) क्या सरकार देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के उपर्युक्त शहरी क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक उपर्युक्त सुविधा कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) जी, हां। बीएसएनएल का पश्चिम बंगाल राज्य में पुरलिया, बालूरघाट एवं कूचबिहार सहित, देश के सभी स्थानों में टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार है। मोबाइल नेटवर्क में अधिक पूंजी लगने के कारण इसे चरणबद्ध रूप में ही किया जा सकता है और इसलिए बीएसएनएल विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता आधारित सेवाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवा रहा है। कवरेज संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने सेवा क्षेत्र यानि दिल्ली और मुंबई में ग्राहकों को टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शन पहले ही उपलब्ध करवा रहा है।

(घ) बीएसएनएल की अगले तीन वर्षों में, 1000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में क्रमिक रूप से मोबाइल सेवा कवरेज का विस्तार करने की योजना है।

(ङ) बीएसएनएल ने 01.04.2009 से 30.06.2009 की अवधि के दौरान मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अपने सभी दूरसंचार सर्किलों में कुल 1.46 करोड़ सिम कार्ड उपलब्ध करवाए हैं। सर्किलवार ब्यौरा "अनुबंध" में दिया गया है। इस अवधि के दौरान पुरलिया, बालूरघाट एवं कूचबिहार को उपलब्ध कराए गए सिम कार्डों की संख्या क्रमशः 8342, 7352 एवं 6243 है।

एमटीएनएल ने अपनी दिल्ली और मुंबई इकाइयों में पर्याप्त सिम कार्ड भी उपलब्ध कराए हैं। एमटीएनएल ने 01.04.2009 से 30.06.2009 तक दिल्ली में 80628 जीएसएम कनेक्शन और मुंबई में 77177 जीएसएम कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

(च) और (छ) जी, हां। पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों सहित देश के शहरी क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं। इनका 31.03.2010 तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है।

एमटीएनएल में टेलीफोन (पीएसटीएन) एवं मोबाइल (सीएमटीएस) सेवाओं की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। एमटीएनएल मांग पर टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा, एमटीएनएल ने दिल्ली एवं मुंबई, दोनों में 3जी जीएसएम सेवाएं पहले ही प्रारंभ कर दी हैं जो ग्राहकों को वीडियो टैक्स्ट, मोबाइल टीवी, उच्च स्तर डाटा आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।

विवरण

31-5-2009 को बीएसएनएल में सेलुलर सेवाओं के साथ कवर किए गए शहरों/कस्बों, तहसील मुख्यालय, उपमंडलीय मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय आदि का ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	सेलुलर सेवा संपन्न शहरों/कस्बा की कुल संख्या	कुल उप मंडलीय मुख्यालय	सेलुलर सेवा संपन्न उप-मंडलीय मुख्यालय	कुल तहसील मुख्यालय	सेलुलर सेवाएं संपन्न तहसील मुख्यालय	कुल प्रखंड मुख्यालय	सेलुलर सेवा संपन्न प्रखंड मुख्यालय	कुल गांव	सेलुलर सेवा संपन्न गांव	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए सिम	डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन्स (फिक्स्ड लाइन्स)	डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	डब्ल्यूएलएल द्वारा कवर किए गए एसडीसीए की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अंडमान और निकोबार	7	4	4	7	7	5	5	501	312	0	19066	6858	2
2.	आंध्र प्रदेश	1995	76	76	0	0	1126	1120	26613	17970	2520900	2185985	274497	243
3.	असम	584	55	55	145	140	223	215	25124	17069	310000	346636	103087	46
4.	बिहार	1003	102	102	0	0	533	517	39032	18411	0	962758	243930	104
5.	छत्तीसगढ़	116	56	56	97	97	146	142	19744	6445	240000	226098	148875	105
6.	गुजरात	1514	46	46	226	226	0	0	18159	10163	50000	1897453	255586	161
7.	हरियाणा	128	47	47	67	67	116	116	6764	3726	20000	824498	102014	54
8.	हिमाचल प्रदेश	57	51	51	75	75	75	75	17495	9239	140000	3269859	90156	33
9.	जम्मू और कश्मीर	74	18	18	73	73	135	128	6417	2128	60000	237162	100692	30
10.	झारखंड	437	35	35	0	0	211	202	29354	16759	390000	414850	101388	74
11.	कर्नाटक	1232	52	52	176	176	176	176	27481	14997	320000	2147325	428263	180
12.	केरल	1551	21	21	63	63	152	152	1372	1345	200000	3448613	573143	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	मध्य प्रदेश	346	187	187	318	318	313	313	52117	25221	730000	1090156	520255	249
14.	महाराष्ट्र	2494	113	113	361	361	358	358	41442	18714	1755000	2950524	454142	304
15.	पूर्वोत्तर-1	142	49	45	183	30	101	81	7347	688	103500	206414	62800	28
16.	पूर्वोत्तर-2	150	120	87	0	0	170	103	7459	2930	50000	128345	49734	37
17.	उड़ीसा	716	58	58	171	171	314	309	47529	20620	200000	624022	193392	120
18.	पंजाब	159	0	0	74	74	143	143	12301	9840	750000	1327663	80690	55
19.	राजस्थान	1959	182	182	241	241	237	237	39753	20882	1800000	1458470	333805	253
20.	तमिलनाडु	1557	67	67	191	191	362	362	13837	7001	750000	2056777	403125	122
21.	उत्तरांचल	84	49	49	78	77	95	92	15761	7920	0	295660	71789	36
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	2592	165	165	203	203	575	575	74161	65061	1449999	1392533	399983	155
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	889	99	99	99	99	238	227	23781	3400	830000	990905	187277	73
24.	पश्चिम बंगाल	412	64	59	0	0	332	332	37512	19950	1030000	999284	132213	71
25.	कोलकाता	1	11	11	0	0	22	22	893	437	495000	1363049	36728	1
26.	चेन्नै	1	7	7	21	21	27	27	1655	310	300002	1011867	47269	8
	जोड़	20200	1734	1692	2869	2710	6185	6029	593601	321538	14674401	28975972	5401691	2592

**42426, 123513 एवं 874943 03.06.2009 को क्रमश: अंडमान एवं निकोबार, बिहार तथा उत्तरांचल में सिम पहले ही उपलब्ध हैं।

टेलीफोन कनेक्शनों का अधिष्ठापन

1070. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लैंडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) टेलीफोन कनेक्शन का अधिष्ठापन करने तथा आप्टिकल फाइबर बिछाने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कोई अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शनों की संस्थापना और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए निर्धारित लक्ष्य का उल्लेख नीचे किया गया है:

क्र.सं.	मद	यूनिट	लक्ष्य
बीएसएनल			
1.	वायरलाइन + डब्ल्यूएलएल	लाख कनेक्शन	125
2.	ओएफसी	रूट कि.मी.	2,00,000
एमटीएनएल			
1.	लैंडलाइन + डब्ल्यूएलएल	लाख कनेक्शन	14
2.	ओएफसी	फाइबर रूट कि.मी. में	6,20,000

(ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अब तक हासिल किए लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बीएसएनएल

मद	2007-08		2008-09		2009-10	
	वार्षिक योजना के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	वार्षिक योजना के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	वार्षिक योजना के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि (31-03-09) तक
वायरलाइन + डब्ल्यूएलएल (लाख कनेक्शनों में)	15.75	-11.65*	-8.50*	-13.51*	-15.00*	-4.02*
ओएफसी रूट कि. मी. में)	26250	43852	28500	44265	25000	2811.01

*टिप्पणी: ऋणात्मक आंकड़ों का अभिप्राय कनेक्शनों की कमी से है।

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अब तक हासिल किए गए लक्ष्यों का स्थान-वार (राज्यवार) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

एमटीएनएल

मद	2007-08	2008-09	2009-10	कुल (2007-10)
लैंडलाइन	17338	0	29970	-12632*
डब्ल्यूएलएल	0	0	0	
ओएफसी फाइबर कि.मी. में	43057	36538	1712	81307

*टिप्पणी: ऋणात्मक आंकड़ों का अभिप्राय कनेक्शनों की कमी से है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति में अंतर है। अंतरों से संबंधित ब्यौरा उपर्युक्त भाग (ख) में दे दिया गया है। इस अंतर का कारण लैंडलाइन उपभोक्ताओं का मोबाइल फोनों की ओर पलायन करना तथा मै. आईटीआई द्वारा डब्ल्यूएलएल उपकरणों की विलंब से आपूर्ति और विलंब से उन्हें चालू करना है।

विवरण

विषय: गत दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल के फिक्स्ड लाईन (वायर्डलाईन + डब्ल्यूएलएल), जीएसएम टेलीफोनों और ओएफसी की उपलब्धि का ब्यौरा

क्र.सं	सर्किल का नाम	2007-08			2008-09			2009-10 (31-5-09 तक)		
		फिक्स्ड लाइन (संख्या में)	जीएसएम	ऑप्टीकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	फिक्स्ड लाइन (संख्या में)	जीएसएम	ऑप्टीकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	फिक्स्ड लाइन (संख्या में)	जीएसएम	ऑप्टीकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-2,731	9,727	0	-4,418	20,753	0	108	5,526	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-2,731	9,727	0	-4,418	20,753	0	108	5,526	0
2.	आंध्र प्रदेश	-241,784	394,095	4,604	-182,110	909,327	4,469	-46,976	130,385	187
3.	असम	-52,825	234,703	689	-77,777	52,915	512	-3,536	27,459	0
4.	बिहार	21,882	313,653	1,278	40,850	871,882	1,055	4,942	60,673	70
5.	छत्तीसगढ़	7,752	208,707	1,206	-3,748	201,268	-2,603	-2,638	2,320	87
6.	गुजरात	-171,249	951,555	1,138	-126,814	321,977	2,220	-33,656	8,949	161
7.	हरियाणा	-63,585	266,138	1,242	-87,085	407,363	1,491	-25,394	144,667	94
8.	हिमाचल प्रदेश	-12,055	50,795	1,026	-28,092	245,137	393	-8,205	70,931	0
9.	जम्मू और कश्मीर	-827	23,832	551	-25,269	14,181	494	-538	6,278	0
10.	झारखंड	17,737	48,466	333	-15,606	189,639	216	37	20,328	3
11.	कर्नाटक	-61,828	9,006	4,800	-11,986	528,877	3,508	-22,779	144,110	80
12.	केरल	76,310	201,217	2,494	-62,318	360,572	2,373	-16,931	72,683	200
13.	मध्य प्रदेश	42,332	401,481	1,475	30,278	424,217	3,716	-19,373	-14,772	478
14.	महाराष्ट्र	-301,334	943,231	2,216	-410,925	435,628	3,804	-60,336	-2,707	368
15.	पूर्वोत्तर-1	17,591	89,400	303	10,642	31,091	29	-495	29,750	0
16.	पूर्वोत्तर-2	-15,562	119,834	1,446	11,249	-456	1,891	4,362	27,829	163
17.	उड़ीसा	36,055	245,148	1,389	-95,540	403,170	1,195	-24,202	128,816	96
18.	पंजाब	-168,742	800,866	2,820	-84,279	880,466	1,928	-21,435	62,012	67
19.	राजस्थान	-41,278	206,499	3,521	-30,723	649,305	1,985	-22,227	-70,819	93
20.	तमिलनाडु	-180,009	329,678	3,444	-251,113	678,349	4,350	-33,056	192,584	180
21.	उत्तरांचल	-11,876	131,198	991	-13,828	123,857	840	-4,602	15,304	0
22	उत्तर प्रदेश पूर्व	42,169	1,424,533	4,301	88,598	1,421,879	2,888	-7,773	184,205	170
23	उत्तर प्रदेश पश्चिम	-36,249	516,223	1,080	47,824	257,420	1,223	2,179	64,900	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	पश्चिम बंगाल	-73,389	310,256	750	-86,950	426,080	599	-38,197	78,271	202
25	कोलकाता	-1,955	401,121	617	13,001	507,800	325	-18,711	63,409	21
26	चेन्नै	10,611	149,020	116	5,580	139,531	158	-2,374	32,613	0
	जोड़	-1,164,839	8,780,382	43,832	-1,350,559	10,502,156	44,265	-401,806	1,485,704	2,811

उच्चतर शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन

1071. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री गणेश सिंह:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उच्चतर शिक्षा के सुधार/पुनर्व्यवस्थित करने/पुनर्गठन और विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा पुनर्गठन हेतु एक नियामक निकाय स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च करने की संभावना है; और

(छ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (छ) उच्चतर शिक्षा के नवीकरण एवं कायाकल्प पर सलाह देने हेतु सरकार द्वारा प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 जून, 2009 को सौंप दी है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मौजूदा विनियामक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् तथा दिल्ली इंजीनियरी कॉलेज और व्यावसायिक परिषदों के शैक्षिक कार्यकरण के प्रतिस्थापन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग नामक एक सांविधिक निकाय सृजित करना;

(ii) विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों में शामिल शैक्षिक विषयवस्तु के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा;

(iii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग के समक्ष पाठ्यचर्चा सुधार मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए जिससे संपूर्ण पाठ्यचर्चा विषयों के दायरे में गतिशीलता और शैक्षिक गहनता के साथ कौशलों के समेकन संबंधी सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यचर्चा ढांचा तैयार होगा;

(iv) सभी विश्वविद्यालयों में एक समृद्ध अवर स्नातक कार्यक्रम का होना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और अवर स्नातक विद्यार्थियों को सर्वोत्तम संकायों के साथ परस्पर क्रियाकलाप करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि उन्हें किसी एक कॉलेज के साथ भी जुड़ना होगा ताकि अवर स्नातक विद्यार्थियों के साथ उन्हें परिरिचत करवाने की आवश्यकता पर बल दिया जा सके।

(v) अवर स्नातक कार्यक्रमों को पुन: तैयार किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को उचित गतिशीलता प्रदान करते हुए सभी पाठ्यचर्चा विषयों की सुलभता का अवसर प्रदान किया जा सके। सामान्यत: किसी एक विषय अथवा एक विशेषता से युक्त कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाना चाहिए;

(vi) वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और इस क्षेत्र को विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में शामिल करके और पॉलीटेक्निकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में संचालित पाठ्यक्रमों को अपेक्षित प्रत्यायन प्रदान करके इस क्षेत्र के अलग-थलग पड़े रहने की प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मार्ग में अड़चनों को कम किया जाना चाहिए ताकि उनके कैरियर के किसी भी स्तर पर ज्ञानाधार उन्नयन हेतु उन्हें सक्षम बनाया जा सके;

(vii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान गठित करके विश्वविद्यालय प्रणाली में शोध को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(viii) नई अभिशासन संरचना तैयार की जानी चाहिए ताकि विश्वविद्यालयों को पारदर्शी एवं जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अपनी स्वायत्ता संरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ix) जब तक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया के संबंध में कोई सुविचारित मत व्यक्त न कर ले, इसे रोक देना चाहिए। सभी मौजूदा सम-विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे तीन वर्ष की अवधि के भीतर इस रिपोर्ट में किए गए प्रस्ताव के अनुसार नए प्रत्यायन मानदंड तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर विश्वविद्यालय का दर्जा रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, अनोखी शैक्षिक पहलों जिन्होंने अपने नवाचार से कालान्तर में उच्चतर शिक्षा को समृद्ध बनाया है, को मान्यता देते हुए समुचित समर्थन देना चाहिए।

(x) आधुनिक उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए सुविधाएं, अत्याधुनिक उपस्कर, उच्च विशेषज्ञतायुक्त ज्ञान तथा सक्षम शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए इन सभी उत्तम अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। अत: विविध क्षेत्रों में कई अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना करना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग का प्राथमिक कार्य होना चाहिए ताकि सर्वोत्तम संभावनाएं सृजित की जा सकें और उन संभावनाओं से लाभांवित होने के लिए कई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को इनमें भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

(xi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे उत्कृष्टता संभाव्य संस्थाओं को एक संपूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने के बावत अपने अनोखे स्वरूप को बरकरार रखते हुए अपने विविध तापूर्ण कार्यों के दायरे का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए गति निर्धारक एवं मॉडल अभिशासन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।

(xii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग का प्रथम कार्य देश भर में सर्वोत्तम 1500 कॉलेजों को अभिनिर्धारित करना होना चाहिए जिन्हें विश्वविद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत किया जा सके, और विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने हेतु अन्य संभावित अच्छे कॉलेजों का क्लस्टर बनाया जा सके।

(xiii) विश्वविद्यालयों को बाहर की दुनिया के साथ सीधा संपर्क साधना चाहिए और ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति के समक्ष आ रही चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने हेतु क्षमताओं का विकास करना चाहिए।

(xiv) सभी स्तरों की अध्यापक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए।

(xv) जीआरई की तर्ज पर विश्वविद्यालयों में दाखिले हेतु एक राष्ट्रीय परीक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी आकांक्षियों के लिए सुलभ होगी तथा इसका आयोजन वर्ष में एक से अधिक बार किया जाएगा। विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा विश्वविद्यालयों में उनके सर्वोत्तम परीक्षा अंक भेजने की अनुमति दी जाएगी;

(xvi) राज्य-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को उनकी वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मात्रा में प्रोत्साहन के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए;

(xvii) उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार का निरन्तर मूल्यांकन एवं आकलन किया जाना चाहिए ताकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न केवल समानता एवं सुलभता अपितु गुणवत्ता व अवसर में भी शैक्षिक उर्ध्वस्थ के साथ-साथ वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं शोध आयोग की भी पांच वर्ष में एक बार बाह्य समीक्षा की जानी चाहिए।

(xviii) एक राष्ट्रीय शिक्षा ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए जिन्हें संस्थाओं के भीतर स्टेकहोल्डरों के बीच तथा संस्थाओं के मध्य विवादों के निपटारे के अधिकार प्राप्त हो ताकि विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से संबंधित न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी की जा सके।

(xix) एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई हेतु अनुशंसित कार्यसूची के कार्यान्वयन संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ एक कार्यबल गठित किया जाना चाहिए।

यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास

1072. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार मानव संसाधन विकास के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पर है;

(ख) क्या उच्चतर विकास दर होने के बावजूद भारत मानव संसाधन विकास की तुलना में विश्व में तुलनात्मक रूप से पिछड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) 18 दिसम्बर, 2008 को जारी 'यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक: सांख्यिकीय अपडेट 2008' के अनुसार वर्ष 2006 में 179 देशों में भारत का 132वां स्थान था। मूल्य के मामले में यह स्थान पिछले वर्षों की तुलना में प्रगति दर्शाता है, वर्ष 2000 का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.561 था जो 2006 में 0.609 हो गया। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित सभी देशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: उच्च मानव विकास सूचकांक (0.800 अथवा इससे उच्च मूल्य का मानव विकास सूचकांक), मध्यम मानव विकास सूचकांक (0.500-0.799 मूल्य का मानव विकास सूचकांक) और निम्न मानव विकास सूचकांक (0.500 से कम मूल्य का मानव विकास सूचकांक)। यूएनडीपी द्वारा भारत को मध्यम मानव विकास समूह में रखा गया है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

1073. श्री संजय निरूपम:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने हेतु मंत्रालय द्वारा कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ख) मुख्य तथा गैर-मुख्य क्षेत्रों में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए कितने मामलों को अनुमोदन किया गया है; और

(ग) इन विशेष आर्थिक जोन परियोजनाओं में किए जाने वाले निवेश तथा मिलने वाले रोजगार संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) अनुमोदन बोर्ड द्वारा उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा विधिवत संस्तुत होते हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधि नियम से पूर्व स्थापित किए गए केंद्र सरकार के सात एसईजेडों तथा राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एसईजेडों के अतिरिक्त 578 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनमें से 322 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। एसईजेडों का क्षेत्र-वार वितरण दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है। दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एसईजेडों में 1,08,903 करोड़ रु. का निवेश किया गया है और 3,87,439 व्यक्तियों के लिए इन एसईजेडों में प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है।

विवरण

अनुमोदित विशेष आर्थिक जोनों का क्षेत्र-वार वितरण

क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड
विमानन/अंतरिक्ष	1	2	
आईटी/आईटीईएस/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर/सेमीकंडक्टर	354	10	205
वस्त्र/परिधान/ऊन	20	13	12
भेषज/रसायन	22	2	17
पेट्रोकेमिकल तथा पेट्रो	4	0	1
बहु-उत्पाद	23	55	12
निर्माण उत्पाद/सामग्री	1	2	
बीच तथा खनिज/धातुएं	3	0	2
जैव प्रौद्योगिकी	32	1	14
सिरेमिक तथा कांच	1		1
इंजीनियरी	24	9	16
बहु-सेवाएं/सेवाएं	17	13	7
धातु इंजीनियरी	1		
इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद/आईएनडी	3	4	3
ऑटो तथा संबद्ध उत्पाद	3	5	1
फुटवियर/चर्म	7	2	5
रत्न एवं आभूषण	11	4	4
विद्युत/वैकल्पिक ऊर्जा	4	2	1
एफटीडब्ल्यूजेड	8	8	2
धातु/स्टेन. इस्पात/एलम/फाउंडरी	9	4	5
खाद्य प्रसंस्करण	5	2	4
अपारंपरिक ऊर्जा	5		3
प्लास्टिंग प्रसंस्करण		1	
हस्तशिल्प	4	1	2
कृषि	5	4	2
पत्तन आधारित बहु-उत्पाद	7		2
हवाई पत्तन आधारित बहु-उत्पाद	2	2	-
लेखन एवं मुद्रण पेपर मिल	2	-	1
कुल योग	578	146	322

[हिन्दी]

स्पेक्ट्रम का आबंटन

1074. **श्री जगदीश शर्मा:**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्योगों पर थर्ड जेनेरेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य संबंधी प्रस्तावित वृद्धि के होने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि का सरकार, परिचालकों तथा दूरसंचार उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सेकंड जेनेरेशन स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दों को थर्ड जेनेरेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई है; और

(ङ) इसे कब तक सुलझा लिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) सरकार को अभी आरक्षित मूल्य निर्धारित करना है, अत: इसके प्रभाव के आकलन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

1075. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गेहूं और चावल सहित खाद्यान्नों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं। गैर बासमती चावल जैसे खाद्यान्नों के निर्यात पर इस समय प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सैनिकों के लिए विशेष कपड़ों तथा उपस्करों की कमी

1076. **श्री जगदीश ठाकोर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों हेतु विशेष कपड़ों तथा उपस्करों की कमी है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सैनिकों को इन वस्तुओं की पर्याप्त तथा समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिको को प्राधिकार के अनुसार विशेष प्रकार के वस्त्र और उपस्कर मुहैया कराए जा रहे हैं।

अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा होने पर आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आरक्षित स्टॉक भी रखा जाता है।

वर्ष 2007 में विशेष वस्त्रों और पर्वतारोहण उपस्करों की त्वरित अधिप्राप्ति के लिए मास्टर जनरल ऑफ आर्डिनेंस की अध्यक्षता में एक अधिकारप्राप्त समिति का गठन किया गया था।

आयातित चीनी वस्तुओं का प्रतिकूल प्रभाव

1077. **श्री लालचन्द कटारिया:**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री सुरेश कलमाड़ी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री के.डी. देशमुख:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में सस्ती चीनी वस्तुओं का आयात भारतीय उद्योग विशेष रूप से लघु तथा मध्यम उद्यमों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयात पर प्रतिबंध लगाकर तथा ऑटो कलपुर्जे, खिलौने, रसायन तथा धातुओं जैसी चीनी वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाकर किए गए सुरक्षोपायों द्वारा सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है/उठाए जा रहे हैं तथा इसके क्या परिणाम हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) भारत ने वर्ष 2001 में आयातों पर लगे सभी मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए थे, सिवाय उनके जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता एवं पर्यावरण के आधारों पर जरूरी थे। तथापि, सरकार कतिपय संवेदनशील मदों के आयात की मासिक आधार पर निगरानी कर रही है। सरकार के पास वर्ष 2008-09 हेतु उपलब्ध आयात के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इन मदों के आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 27.7% की वृद्धि हुई थी। इस अवधि के दौरान चीन से हुए इन मदों के आयात में 34.3% की वृद्धि हुई थी।

आयातों से उत्पन्न होने वाली किसी भी घरेलू समस्या का समाधान टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार, डब्ल्यूटीओ के रक्षोपाय करार तथा सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई के माध्यम से किया जाता है।

[अनुवाद]

लड़ाकू विमानों की खरीद

1078. श्री सुशील कुमार सिंह:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वायुसेना हेतु 126 मीडियम मल्टी रोल युद्धक विमान की खरीद की क्या स्थिति है;

(ख) किन देशों से विमान खरीदने का प्रस्ताव है;

(ग) प्रस्ताव की तकनीकी तथा उड़ान मूल्यांकन की स्थिति क्या है; और

(घ) वायुसेना में इन विमानों को कब तक शामिल किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारतीय वायुसेना के लिए 126 मध्यम बहु-प्रयोजनी युद्धक विमानों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर छह विक्रेताओं अर्थात् मैसर्स बोइंग अमरीका, मैसर्स लोकहीड मार्टिन अमरीका, मैसर्स ईएडीएस, जर्मनी ग्रीपेन स्वीडन, मैसर्स दसॉल्ट एविऐशन, फ्रांस तथा मैसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट रूस से प्राप्त हुए थे। वर्तमान मे, ये प्रस्ताव फील्ड मूल्यांकन परीक्षण चरण में हैं।

(घ) इन विमानों के, संविदा पर हस्ताक्षर होने के 36 माह के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है।

मध्याह्न भोजन योजना की प्रभाविता

1079. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:
श्री अर्जुन मुंडा:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र तथा झारखंड सहित देश के स्कूलों में कितने विद्यार्थी मध्याह्न भोजन लेने के बाद बीमार पड़ गए/मर गए;

(ख) क्या मध्याह्न भोजन योजना हेतु नियमित रूप से गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत छात्रों तथा शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायो-मैट्रिक प्रणाली (फिंगर प्रिंट सिस्टम) का उपयोग करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) जनता से प्राप्त इस योजना के प्रति क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार ने इसकी क्या समीक्षा की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) पिछले तीन वर्षों 2006-07, 2007-08

तथा 2008-09 के दौरान किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा मध्याह्न भोजन खाने के पश्चात् किसी बच्चे की मृत्यु की निश्चित सूचना नहीं दी गई है। मध्याह्न भोजन खाने के पश्चात् बच्चों के बीमार होने के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान सम्पूर्ण देश में 3273 बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आए हैं जिसमें 121 बच्चे महाराष्ट्र और 207 बच्चे झारखंड के हैं।

(ख) से (घ) सभी पात्र स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना/एआईई केन्द्रों में पौष्टिक पका हुआ मध्याह्न भोजन नियमित रूप से प्रदान करने हेतु सभी युक्तियुक्त और प्रशासनिक प्रबंध करने का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन का केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से निम्न के लिए लगातार अनुरोध कर रही है:

- यह सुनिश्चित करना कि भोजन स्वास्थ्यकर वातावरण में पके।
- खाद्यान्न का भंडारण सूखे तथा सुरक्षित स्थानों पर किया जाए।
- पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए।
- रसोइयों को स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

इसके अतिरिक्त राज्यों से मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने का निरीक्षण करने के लिए अभिभावकों एवं समुदाय सदस्यों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि पके हुए भोजन को बच्चों को परोसने से पहले कम-से-कम एक अध्यापक सहित 2-3 बड़े व्यक्तियों द्वारा चखा जाना चाहिए। जब भी सरकार के ध्यान में कोई शिकायत लाई जाती है तो संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन से उचित जांच करने तथा दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति इससे बचने के लिए सुधारात्मक उपाय उठाने को कहा जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्ट दर्शाती हैं कि स्कीम से उपस्थिति, अध्ययन उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा सामाजिक एवं स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ाने में सहायता मिली है।

रबड़ की उत्पादकता तथा गुणवत्ता

1080. श्री जोस के. मणि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव/परियोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) रबड़ बोर्ड ने पारम्परिक एवं अपारम्परिक रबड़ उत्पादक क्षेत्रों में प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सरकार ने 611.40 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली छह स्कीमें अनुमोदित की हैं, जिनका कार्यान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। 11वीं योजना के दौरान प्राकृतिक रबड़ (एनआर) क्षेत्र में प्राप्तव्य प्रमुख उद्देश्य हैं–प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता और रबड़ उत्पादक क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादन लागत, प्रसंस्करण एवं विपणन में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, मुख्यत: सामूहिक नीति के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं उत्पादक सशक्तीकरण। इन स्कीमों में प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, पुन:रोपण, बागान निविष्टियों का वितरण, कृषि प्रबंधन यूनिटों की स्थापना, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, प्राकृतिक रबड़ के प्रसंस्करण एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु सहायता आदि जैसे घटक संघटक शामिल हैं।

अवाक्स को शामिल किया जाना

1081. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्रायल से खरीदे जा रहे फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल करने की क्या स्थिति है;

(ख) किस सीमा तक उक्त प्रणाली भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाएगी; और

(ग) इसकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा स्वदेशी उत्पादन के क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) प्रथम वायुवाति चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) भारतीय वायुसेना में 26 मई, 2009 को शामिल की गई थी। द्वितीय और तृतीय विमान की सुपुर्दगी क्रमशः 2009 और 2010 में की जानी है।

(ख) इस विमान से निगरानी तथा हवाई खतरों का पता लगाने हेतु भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी।

(ग) तीन "अवाक्स" विमानों की आपूर्ति हेतु संविदा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। स्वदेशी वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली का विकास करने के लिए एक परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा शुरू की गई है।

हड़ताल व तालाबंदी

1082. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वप्र तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में हड़ताल, तालाबंदी तथा छंटनी के चलते राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार कितने मानव दिवस बर्बाद हुए; और

(ख) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) संदर्भित अवधि के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में हड़ताल, तालाबंदी तथा छंटनी के कारण बर्बाद हुए मानव दिवसों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में सद्भावनापूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने की कार्य योजना है। अधिनियम में औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु समुचित सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप, मध्यस्थता तथा संराधन की व्यवस्था है।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के संराधन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप, मध्यस्थता तथा औद्योगिक विवादों के समाधान संबंधी कदम उठाते हैं। संराधन न होने के मामले प्राप्त होने पर संबंधित समुचित सरकार विवाद को न्याय निर्णयन हेतु संदर्भित करने पर विचार करती है; कुछ महत्वपूर्ण मामलों में विवाद सुलझाने के लिए समुचित स्तर पर सरकार हस्तक्षेप भी कर सकती है।

विवरण

वर्ष 2006, 2007, 2008 (जनवरी-दिसंबर) तथा 2009 (जनवरी-मई) के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में हड़ताल, तालाबंदी तथा छंटनी के कारण बर्बाद हुए मानव दिवसों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र				निजी क्षेत्र			
	2006	2007	2008(अ)	2009(अ)	2006	2007	2008(अ)	2009(अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	179738	23164	175885	409	2230965	319850	467303	1223606
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	42490	7145	36728	23834	57408	21562	0	0
बिहार	123688	15323	22413	0	41558	45985	111285	23154
छत्तीसगढ़	27011	4374	27238	558	5649	0	7280	0
दिल्ली	153754	10524	109840	0	0	0	0	
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	100172	10117	3098	22365	61400	89973	32356	5537
हरियाणा	11150	300	0	0	407052	49636	9677	6307
हिमाचल प्रदेश	6719	150	0	0	8740	8446	11167	0
जम्मू एवं कश्मीर	8538	200	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	56053	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	159377	48455	199920	10368	126424	46193	12940	0
केरल	174483	10104	142379	10005	846343	752991	77848	3428
मध्य प्रदेश	119468	12353	58883	3398	26272	0	0	0
महाराष्ट्र	207209	771	30638	0	241517	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	
उड़ीसा	144948	5509	0	0	14074	4778	0	0
पंजाब	21022	350	77241	0	88529	49015	50246	0
राजस्थान	60879	21004	98558	190540	1435983	965863	930508	76992
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	
तमिलनाडु	192835	130142	180249	0	530443	1280824	472569	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	107559	3179	36521	0	572035	387682	782	0
उत्तराखंड	33400	269	125	9576	12401	24254	13452	0
पश्चिम बंगाल	677766	29478	210761	0	11854891	23746725	13318488	0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	105063	39	0	0	108	6162	0	0
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	2419	1346	0	99563	18561792	27799939	15283208	1339024
कुल	2715741	334296	1410477	199126	37123584	55599878	30799109	2678048

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(अ): अनंतिम

0 = कुछ नहीं

टिप्पणी: वर्ष 2008 और 2009 की सूचना, ब्यूरो में क्रमश: 25 जून, 2008 तथा 25 जून, 2009 तक प्राप्त विवरणियों/सूचना के आधार पर दी गई है।

एवियन इन्फ्लूयेंजा के कारण पशुधन के आयात पर प्रतिबंध

1083. श्री अधलराव पाटील शिवाजी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एवियन इन्फ्लूयेंजा के खतरे के कारण अप्रसंस्कृत मीट और मीट-उत्पाद सहित पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। एवियन इन्फ्लूयेंजा के खतरे के कारण केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2009 से छह माह की अवधि के लिए अप्रसंस्कृत मांस एवं मांस उत्पादों सहित पशुधन एवं पशुधन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित उत्पादों की सूची निम्नानुसार है:-

(1) निम्नलिखित पशुधन एवं पशुधन उत्पादों का सभी देशों से भारत में आयात प्रतिबंधित है:

(i) घरेलू एवं जंगली पक्षी (कुक्कुट एवं पाले हुए पक्षियों को छोड़कर)

(ii) कुक्कुट को छोड़कर पक्षी प्रजाति के अप्रसंस्कृत मांस एवं मांस उत्पाद

(iii) कुक्कुट के सीमने को छोड़कर घरेलू एवं जंगली पक्षियों का सीमेन

(2) जिन देशों में एवियन इन्फ्लूयेंजा फैला हुआ है, उन देशों से भारत में निम्नलिखित पशुधन एवं पशुधन उत्पादों का आयात प्रतिबंधित है:-

(i) जीवित कुक्कुट एवं पाले हुए पक्षी

(ii) नवजात चूजे, बत्तख, टर्की तथा अन्य नवअंडज पक्षी प्रजातियां

(iii) पक्षी प्रजातियों का अप्रसंस्कृत मांस एवं मांस उत्पाद

(iv) वे अंडे जिनमें से चूजे निकलेंगे

(v) अंडा एवं अंडा उत्पाद

(vi) अप्रसंस्कृत पंख

(vii) जीवित शूकर

(viii) पक्षियों से प्राप्त रोगविज्ञान संबंधी सामग्री एवं जैव उत्पाद

(ix) चारे में डालने या कृषि अथवा औद्योगिक उपयोग हेतु पशु मूल के उत्पाद

(x) कुक्कुट का सीमेन

पेंशन में संशोधन

1084. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन राशि में संशोधन करने/बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक यह पेंशन अलग-अलग बढ़ा दी जायेगी/संशोधित कर दी जायेगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन

1085. डॉ. प्रसन्न कुमर पाटसाणी:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी दूरसंचार प्रचालकों को उनके हक से अधिक स्पेक्ट्रम का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी कुरीतियों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जीएसएम प्रचालकों को आरंभिक स्पेक्ट्रम का आबंटन उनके अनुरोध तथा उनके अपने-अपने सेवा लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार, स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन किया गया है। उनकी सेवाओं में बढ़ोतरी के साथ जीएसएम प्रचालकों को आरंभिक स्पेक्ट्रम के बाद अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन, इस प्रकार के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटन के समय लागू दिशानिर्देशों, आदेशों तथा उपभोक्ता आधारित पात्रता, मानदंडों के अनुसार, इसकी उपलब्धता के अध्ययीन, किया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मदरसा बोर्ड

1086. श्री वरुण गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मदरसों को नियंत्रित करने हेतु एक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार मदरसों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन मदरसों के कार्यकरण की निगरानी करने हेतु वर्तमान में कौन-सा निगरानी तंत्र मौजूद है और इनके द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। सभी स्टेक-होल्डरों में सर्वसम्मति बनाने के अधीन केन्द्रीय मदरसा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव है कि केन्द्रीय मदरसा बोर्ड इच्छुक मदरसों को संबंधन प्रदान कर सकता है तथा परीक्षाओं के आयोजन, अर्हताएं निर्धारित करने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्चा तैयार करने के साथ-सासथ अवसंरचना को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु अधिदेश भी दे सकता है ताकि मदरसा शिक्षा के गैर-धर्मवैज्ञानिक पहलुओं के स्तरों में एकरूपता लाई जा सके। विभिन्न राज्यों में मदरसों की संख्या संबंधी कोई सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) मदरसों में गैर-धर्मवैज्ञानिक विषयों में शिक्षा की कोटि को मॉनीटर करने के लिए इस समय कोई केन्द्रीय संस्थागत व्यवस्था नहीं है, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में विद्यमान राज्य मदरसा बोर्ड राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थापित है जो अपने सम्बद्ध क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मदरसों की कार्यप्रणाली को मॉनीटर करते हैं।

नई शैक्षणिक संस्थाएं खोलना

1087. श्री प्रभात सिंह चौहान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों में नए शैक्षणिक संस्थान खोलने के संबंध में गुजरात सरकार से कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य प्रशासन ने इस प्रयोजनार्थ नि:शुल्क भूमि देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण और केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रस्ताव	स्थिति
1	2	3
1.	मॉडल स्कूल और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनाओं के अंतर्गत राज्य में क्रमश: 85 मॉडल स्कूलों और 240 माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की स्थापना।	चूंकि संबद्ध सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी अत: गुजरात सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह संबद्ध सूचना के साथ प्रस्तावों को पुन: प्रस्तुत करें।

1	2	3
2.	वर्ष 2006 में गुजरात में अमरेली जिले में सिविल सेक्टर के अंतर्गत एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलना।	चूंकि प्रस्ताव विनिर्दिष्ट प्रारूप में नहीं था अत: विनिर्दिष्ट निर्धारित मानकों का एक सैट शीघ्र ही गुजरात सरकार को भेजा गया। अभी तक इस संबंध में गुजरात सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
3.	4 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव	प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
4.	नर्मदा, तापी, जूनागढ़ खेड़ा और नवसाण जिलों में 5 पालिटेक्नीकों की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	नर्मदा में पोलिटेक्नीक के लिए 2 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है और तापी में पालिटेक्नीक के लिए 2 करोड़ रुपए की पहली किस्त के लिए संस्वीकृति जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

निजी विश्वविद्यालय

1088. श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी मानित विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं को रोकने हेतु अब उनके कार्य की समीक्षा करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी मानित विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर शिक्षा परिसर संचालित करने और नियमों का उल्लंघन करते हुए महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने के दोषी पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे निजी मानित विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार आयोग ने वर्तमान 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थाओं की कार्य प्रणाली की संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रासंगिक विषयों के अकादमिक विशेषज्ञों वाली विशेषज्ञ समिति के माध्यम से 'स्थल मूल्यांकन' के आधार पर समीक्षा करना शुरू किया है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एकत्र की गई सूचना के अनुसार कुछ 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थाओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही नए विभाग/नए संस्थानों/बाह्य परिसर/अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तदनुसार ऐसी संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा है, जो आयोग के विचाराधीन है।

(ङ) आयोग ने 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नए विभागों/संस्थाओं/बाह्य परिसर के अंदर/विदेश में केन्द्र नहीं खोलने का सुझाव दिया था। इसके अतिरिक्त, 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थाओं का को यूजीसी-एआईसीटीई-डीईसी की संयुक्त समिति के विशिष्ट अनुमोदन के बिना दूरस्थ माध्यम के तहत किसी भी पाठ्यक्रम को आयोजित नहीं करने की सूचना दी गई थी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थाओं तथा अनुमोदित बाह्य परिसर केन्द्रों की सूची डाली हुई है तथा अभिभावकों/विद्यार्थियों को किसी भी अनधिकृत बाह्य परिसर केन्द्र या अन्य केन्द्रों में दाखिला लेने से पहले सावधान रहने की भी चेतावनी दी है।

विशेष श्रेणी राज्य

1089. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष श्रेणी राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को चलाने हेतु होने वाले कुल व्यय का 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत व्यय क्रमश: केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश तथा अन्य विशेष श्रेणी राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु निधियों के आबंटन में भेदभाव बरता जाता है;

(घ) क्या कुछ राज्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर तय अनुपात 90-100 से अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) केन्द्र क्षेत्र स्कीमों के लिए भारत सरकार 100 प्रतिशत निधीयन प्रदान करती है तथा किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश से हिस्सेदारी की आशा नहीं की जाती। तथापि, सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपना योगदान देते हैं:

सर्व शिक्षा अभियान: इस समय असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधीयन प्रणाली 90:100 है, जिसमें 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। इसमें केन्द्र का हिस्सा, केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निविर्दिष्ट 10 प्रतिशत निधियों में से लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश सहित सभी अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित निधीयन प्रणाली 60:40 है जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा 40 प्रतिशत हिस्सा हिमाचल प्रदेश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम): (क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार निम्नलिखित घटकों के लिए 100 प्रतिशत लागत वहन करती है:

(i) खाद्यान्न: प्राथमिक कक्षाओं (I-V) के लिए प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा 100 ग्राम मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल) तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (VI-VIII) के लिए प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा 150 ग्राम खाद्यान्न।

(ii) परिवहन: निकटतम एफसीआई गोदाम से प्राथमिक स्कूल तक खाद्यान्न लाने की वास्तविक लागत विशेष श्रेणी के 11 राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल के लिए 125 रु. प्रति क्विंटल तक तथा सभी अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए 75 रु. प्रति क्विंटल तक सीमित है।

(iii) प्रबंधन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन: (क) मुफ्त खाद्यान्न (ख) परिवहन लागत तथा (ग) पकाने की लागत पर कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत की दर से। उपर्युक्त राशि का 0.2 प्रतिशत केन्द्र सरकार स्तर पर प्रबंधन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ख) पकाने की लागत हेतु केन्द्रीय सहायता सहभागिता के आधार पर है। प्राथमिक स्तर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति बच्चा/स्कूल दिवस पकाने की लागत हेतु केन्द्रीय सहायता 1.89 रु. है बशर्ते कि राज्य न्यूनतम 20 पैसे का योगदान दें तथा अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 1.58 रु. है बशर्ते कि राज्य/संघ शासित प्रदेश न्यूनतम 50 पैसे का योगदान दें। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति बच्चा/स्कूल दिवस पकाने की लागत हेतु केन्द्रीय सहायता 2.42 रु. है बशर्ते कि राज्य न्यूनतम 20 पैसे का योगदान दें तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 2.10 है बशर्त अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश न्यूनतम 50 पैसे का योगदान दें। कुछ राज्य/संघ शासित प्रदेश बच्चों को बेहतर गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए अपने अनिवार्य हिस्से से अधिक व्यय कर रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल प्रत्येक स्कूल के लिए रसोई संसाधन लेने/बदलने के लिए 5,000 रु. तथा किचन शेड निर्माण के लिए 60,000 रु. प्रति यूनिट की दर से एकमुश्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

दूरसंचार सेवाओं की प्रभावकारिता

1090. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर निजी मोबाईल कंपनियों द्वारा असंतोषजनक दूरसंचार सेवाएं प्रदान कराने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उपभोक्ताओं को बेहतर मोबाईल सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को और अधिक शक्तियां प्रदान कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न प्रकार की प्राप्त शिकायतें सेवा की गुणवत्ता, बिलिंग और मीटरिंग, प्रतिभूति जमा की वापसी, प्रशुल्क, अवांछित वाणिज्यिक कॉलों आदि के संबंध में होती हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)/दूरसंचार विभाग में प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित सेवा प्रदाता के पास भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) ट्राई अधिनियम में संशोधन करने संबंधी एक प्रस्ताव ट्राई से प्राप्त हुआ है, जिसमें दूरसंचार प्रचालकों पर अर्थदंड लगाने सहित और अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग की गई है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

इलायची हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष

1091. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलायची के संबंध में एक मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्तावित कोष को कब तक उपयोग में लाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) इलायची के लिए कीमत स्थिरीकरण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु निधियां

1092. श्री अर्जुन मुंडा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार और अन्य वित्तीय निकायों द्वारा झारखंड को कितनी निधियां प्रदान की गई;

(ख) क्या जारी निधियों का राज्य द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस मंत्रालय तथा इसके दो शीर्ष निगमों द्वारा 2006-07 से आज तक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए झारखंड सरकार और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदत्त निधियां निम्न प्रकार हैं:

(लाख रुपए में)

स्कीम का नाम	2006-07 से आज तक व्यय
अनुसूचित जाति छात्रा तथा छात्र छात्रावास	674.20
अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षण	23.70
अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2731.55
अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	35.32
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन संबंधी स्कीम	40.00
अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए सहायता	192.16
मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास संबंधी स्कीम	279.15
शीर्ष निगमों द्वारा प्रदत्त निधियां	
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)	1132.00
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)	146.50

*1.1.2008 से यथा संशोधित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।

(ख) और (ग) निधियों की निर्मुक्ति निधि प्राप्तकर्ता राज्य सरकारों/संगठनों से उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात सुनिश्चित की जाती है।

नि:शुल्क रोमिंग सेवाएं शुरू किया जाना

1093. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी.आर.) के सन्निकट राज्यों में मोबाइल टेलीफोनी हेतु नि:शुल्क रोमिंग सेवाएं मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.सी.आर. के सन्निकट उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां रोमिंग सेवाओं को नि:शुल्क कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश में नि:शुल्क रोमिंग सेवाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), अधिनियम 1997 के अनुसार देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क के विनियमन का अधिकार ट्राई के पास है। ट्राई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 जनवरी, 2007 को अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क (44वां संशोधन) आदेश के द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए प्रशुल्क अधिसूचित किया है। इस आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय रोमिंग के लिए समेकित उच्चतम प्रभारों को निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार हैं:

(i) आउटगोइंग स्थानीय कॉलों के लिए 1.40 रु./प्रतिमिनट

(ii) आउटगोइंग राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के लिए 2.40 रु./प्रतिमिनट

(iii) इनकमिंग कॉलों के लिए 1.75 रु./प्रतिमिनट

(iv) किसी भी रूप में किराया वसूल करने की अनुमति नहीं है।

सेवा प्रदाताओं को उपर्युक्त निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर रोमिंग सेवा के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने की छूट दी गई है और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से जुड़े राज्यों पर भी लागू है।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, सेवा प्रदाता ट्राई की निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर विहित प्रशुल्कों पर रोमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। अत:, सेवा प्रदाता नि:शुल्क रोमिंग सेवा देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चीन से डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

1094. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान चीन से डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) चीन में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मेलमाइन संदूषण की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीन से दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 111 (आरई-2008)/2004-09 द्वारा यह प्रतिबंध दिनांक 24.06.2009 से छह माह की अवधि के लिए लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि बाजार में मेलामाइन संदूषण युक्त खाद्य उत्पाद मौजूद नहीं हैं ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

प्रौद्योगिकी संस्थानों का विकास

1095. योगी आदित्यनाथ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.टी. टी.) की तर्ज पर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज

गोरखपुर सहित देश में कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों का विकास करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और कितने प्रस्ताव विचारार्थ लम्बित हैं; और

(ङ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) प्रोफेसर एस.के. जोशी, पूर्व महानिदेशक, वैज्ञानिक एवम् औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने देश में सात प्रमुख संस्थाओं नामत: बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, हावड़ा, कोचीन विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि, आंध्रा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग दोनों उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से संबद्ध, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को प्रोन्नयन हेतु संभाव्यता वाले संस्थानों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर का नाम इन संस्थाओं में नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (आईटीबीएचयू) को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और लखनऊ में एक भारतीय प्रबंध संस्थान है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस राज्य में एक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना के अनुरोध पर इस मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया था कि उत्तर प्रदेश में उक्त संस्थाओं के अतिरिक्त चार केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

[अनुवाद]

स्वदेशी रक्षा उत्पादन

1096. डॉ. के.एस. राव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु दीर्घावधि संदर्शी योजनाएं क्या हैं;

(ग) उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) से नए उद्योग और एककों की स्थापना हेतु क्या कार्रवाई की गई है ताकि औद्योगिक, आर्थिक और प्रौद्यागिकीय लाभ प्राप्त हो सकें;

(घ) क्या सरकार का विचार रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) आयुध से संबद्ध रक्षा उपस्करों का स्वदेशी उत्पादन निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ-साथ आधुध निर्माणियों, वायुयान और वैमानिकी के हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड; संचार और इलेक्ट्रानिकी के भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड; भारी इंजीनियरी के भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड; प्रक्षेपास्त्रों के भारत डायनामिक्स लिमिटेड; मिश्र धातुओं तथा विशिष्ट धातुओं के मिश्र धातु निगम लिमिटेड; युद्धपोत निर्माण के माझगांव डाक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डिर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

(ख) रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए अनुसंधान तथा विकास, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी अंतरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए सतत रूप से कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ) "रक्षा उद्योग क्षेत्र को 2001 से 26 प्रतिशत की इक्विटी सेक्टोरल सीमा के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। इसके परिणामत: सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कुछ संयुक्त उद्यम हैं।

सरकार का प्रयास रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण एवं संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देकर रक्षा तैयारी के लिए संभव सीमा तक रक्षा उपस्करों के आयात पर निर्भरता को कम करना है"।

अनुसूचित जाति की महिला/बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा

1097. श्री पूर्णमासी राम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति की महिलाओं/बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने हेतु तैयार व निष्पादित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से अनुसूचित जातियों की कितनी महिलाएं/बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(ग) ऐसी महिलाओं/बालिकाओं की संख्या कितनी है जो आत्मनिर्भर बनी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गुणवत्तापरक उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली सभी योजनाओं का लक्ष्य अनुसूचित जातियों, विशेष रूप से उस वर्ग की महिलाओं तक उच्चतर शिक्षा की पहुंच को सुकर बनाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के चयनित शैक्षिक आंकड़ों (2006-07) में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 6.96 प्रतिशत था। जबकि आत्मनिर्भर हुई महिलाओं/बालिकाओं की संख्या के संबंध में कोई केन्द्रीयकृत सूचना नहीं रखी जाती है, तब भी आशा की जाती है कि उच्चतर शिक्षा तक पहुंच महिलाओं/बालिकाओं को सशक्त बनाती है।

स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु दिशानिर्देश

1098. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु अधिसूचित दिशानिर्देशों में कोई कमी पाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सुधार लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिशानिर्देशों में उपर्युक्त खामियों की वजह से कोई दूरसंचार ऑपरेटर लाभान्वित हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को हुए लाभों को वापस वसूलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जीएसएम प्रचालकों को आरंभिक स्पेक्ट्रम का आबंटन उनके अनुरोध तथा उनके अपने-अपने सेवा लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार, स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन किया गया है। उनकी सेवाओं में बढ़ोतरी के साथ जीएसएम प्रचालकों को आरंभिक स्पेक्ट्रम के बाद अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन, इस प्रकार के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन के समय लागू दिशानिर्देशों, आदेशों तथा उपभोक्ता आधारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, इसकी उपलब्धता के अध्यधीन किया गया है। दूरसंचार प्रचालकों को स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए समय-समय पर अधिसूचित दिशानिर्देशों में कोई कमी नहीं पाई गई है।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोने की मांग और उपलब्धता

1099. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में सोने की अनुमानित मांग और उपलब्धता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुए सोने के आयात का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल के दिनों में देश में सोने की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सोने की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में सोने की अनुमानित मांग तथा उपलब्धता के संबंध में कोई पुष्टीकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि मोटे तौर पर देश में सोने की मांग प्रति वर्ष 700-800 टन होने का अनुमान है।

(ख) सोने के आयात के संबंध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 (जनवरी 2009 की अवधि तक) की अवधि के दौरान सोने का आयात निम्नानुसार रहा है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	आयात का मूल्य
1.	2005-06	4795049.08
2.	2006-07	6543949.85
3.	2007-08	6733041.82
4.	2008-09 (जनवरी, 2009 तक)	76000.14

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय रूप से मांग एवं आपूर्ति, निवेशक हित, ब्याज दरें, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जैसे विभिन्न कारकों का सोने की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। भारत में भी यही स्थिति है। हाल ही अवधि में भारत में सोने की घरेलू कीमत में उतार-चढ़ाव, मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमत में उतार-चढ़ाव के अनुरूप ही रहा है।

खुदरा बाजार को उद्योग का दर्जा

1100. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक संगठनों ने सरकार से संगठित खुदरा बाजार को उद्योग का दर्जा देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधि नियम, 1951 को शासित करता है। इस अधिनियम में इसकी प्रथम अनुसूची में विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों की 37 व्यापक श्रेणियां शामिल हैं। इस विभाग को संगठित खुदरा बाजार को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिए औद्योगिक संगठन से कोई अभिवेदन प्राप्त नही हुआ है।

[अनुवाद]

नियंत्रण रेखा पर व्यापार

1101. श्री शेख सैदुल हक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और मद वार नियंत्रण रेखा से होकर किए गए व्यापार और मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नियंत्रण रेखा (एलओसी) से होकर होने वाले व्यापार की समुचित जांच व्यवस्था में कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देशों के बीच सरकार द्वारा अनुमत्य वस्तुओं से इतर वस्तुओं का व्यापार बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) श्रीनगर-मुजफ्फराबाद राजमार्ग पर भारत की ओर सलामाबाद तथा पाकिस्तान की ओर चकोटी; एवं भारत की ओर चकन्दाबाद तथा पाकिस्तान की ओर रावलकोट के बीच एलओसी व्यापार की शुरूआत विश्वास बहाली उपाय (सीबीएम) के रूप में दिनांक 21.10.2008 से हुई थी। दोनों पक्ष संलग्न विवरण में उल्लिखित 21 मदों का व्यापार कर सकते हैं। इस व्यापार को अनुमति देने का उद्देश्य है दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं के पारम्परिक विनियम को सुगम बनाना, लोगों के बीच सम्पर्क बनाए रखना और स्थानीय उत्पादों की नजदीकी बाजारों में पहुंच बनाना। यह सूचित किया गया है कि दोनों पक्षों द्वारा व्यापार की गई मदों की मात्रा में अक्तूबर 2008 में सूचित मात्रा की तुलना में मार्च, 2009 के दौरान वृद्धि हुई है। प्रवेश/निर्गम स्थानों पर सुगमीकरण तंत्र में सुधार करने हेतु कदम उठाए गए हैं, ताकि केवल सहमत सूची में उल्लिखित उत्पादों का ही व्यापार किया जा सके।

विवरण

	भारत की ओर से निर्यात हेतु मदों की सूची	पाकिस्तान की ओर से निर्यात हेतु मदों की सूची
1	2	3
1.	कालीन	चावल
2.	दरियां	जाइनमाल एवं तस्वीरें
3.	वॉल हैंगिंग	कीमती रत्न
4.	शालें तथा दुपट्टे	गब्बे
5.	नमदे	नमदे
6.	गब्बे	चमड़े की पेशावरी चप्पलें
7.	क्रयूल सहित कढ़ाई की गई मदें	औषधीय जड़ी-बूटियां
8.	अखरोट के फर्नीचर सहित फर्नीचर	मक्का एवं मक्का उत्पाद
9.	काष्ठ हस्तशिल्प	ताजे फल एवं सब्जियां

1	2	3
10.	ताजे फल एवं सब्जियां	अखरोट सहित मेवे
11.	अखरोट सहित मेवे	शहद
12.	केसर	मूंगी
13.	फलदार पौधे	इमली
14.	धनिया/मंगी/इमली तथा काली मशरूम	काली मशरूम
15.	कश्मीरी मसाले	अखरोट के फर्नीचर सहित फर्नीचर
16.	राजमा	काष्ठ हस्तशिल्प
17.	शहद	कालीन तथा दरियां
18.	कागज से निर्मित उत्पाद	वॉल हैंगिंग
19.	स्प्रिंग रबड़युक्त कॉयर/ फोम के गद्दे/कुशन/तकिए तथा रजाइयां	कढ़ाई की गई वस्तुएं
20.	औषधीय जड़ी-बूटियां	फोम के गद्दे, कुशन तथा तकिए
21.	सुगंधित पौधे	शालें तथा दुपट्टे

निर्माण उद्योग में महिला श्रमिक

1102. श्री बद्रुद्दीन अजमल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्माण उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिकों के संबंध में एक कार्यक्रम शुरू करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता हेतु असम सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में हो रहे अत्यधिक विलम्ब को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) जी, हां। असम सरकार ने असम महिला श्रम स्कीम के अंतर्गत निर्माण उद्योग में महिला श्रमिकों को संगठित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक गैर-सरकारी संगठन का प्रस्ताव भेजा था। उक्त प्रस्ताव में सामाजिक सुरक्षा, कल्याण बोर्डों, बीमा योजना, शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि के प्रावधान की बात की गई है। महिला श्रमिकों हेतु सहायता अनुदान योजना जागरूकता सृजन अभियानों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन हेतु और महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों और कार्यों के संबंध में शिक्षित करने के लिए हैं। उक्त प्रस्ताव योजना के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है, अत: इसका अनुमोदन नहीं किया गया। अनुदान के पात्र पाए गए प्रस्तावों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है और विलम्ब से बचने पर ध्यान दिया जाता है।

सशस्त्र बलों में आत्महत्या और सहकर्मियों की हत्या के मामले

1103. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों में आत्महत्या और सहकर्मियों की हत्या के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सशस्त्र बलों में गत तीन वर्षों के दौरान तक चालू वर्ष में उपलब्ध अद्यतन आत्महत्या एवं सहकर्मियों की हत्या संबंधी मामलों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

	2006		2007		2008		2009	
	आत्महत्या	सहकर्मियों की हत्या	आत्महत्या	सहकर्मियों की हत्या	आत्महत्या	सहकर्मियों की हत्या	आत्महत्या	सहकर्मियों की हत्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सेना	129	13	118	07	124	03	41	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
वायुसेना	24	00	21	00	25	01	06	00
नौसेना	01	00	03	00	02	00	01	00
कुल	154	13	142	07	151	04	48	01

बेहतर मानव प्रबन्धन तकनीक के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सकारात्मक अभिगम अपनाया जा रहा है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उच्च जोखिम श्रेणी की पहचान, अधिकाधिक अंतर वैयक्तिक संबंध और अधिकारियों और जवानों के बीच संवाद, तनाव प्रबन्धन पर व्याख्यान/कार्यशालाओं के आयोजन, पेशेवर व्यक्ति द्वारा परामर्श, हेल्पलाइन की व्यवस्था, शिकायतों के समाधान तथा कल्याणकारी गतिविधियों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने जैसे उपाय किए जाते हैं।

कौशल विकास

1104. श्री नवीन जिन्दल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल कार्यबल की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अकुशल कार्यबल के लिए कौशल विकास हेतु व्यवस्था करने का है ताकि उन्हें देश और विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके रोजगार हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वस्त अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण में केवल युवाओं (15-29 वर्ष) के कौशल के विवरण के बारे में सूचना एकत्रित की गई थी कि क्या उनके पास किसी प्रकार का औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रशिक्षण है अथवा वे इसे प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने वाले/प्राप्त कर रहे 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में व्यक्तियों की अनुमानित संख्या तथा मुख्य गतिविधि स्तर के अनुसार श्रम बल का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी हां। अकुशल कार्यबल हेतु कौशलों के विकास के लिए देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने देश में "माडयूलर रोजगारपरक कौशलों पर आधारित पर कौशल विकास पहल" नामक योजना आरंभ की।

(ग) कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना मई 2007 से अनौपचारिक क्षेत्र में उनकी रोजगारपरकता में सुधार लाने के लिए लागू की गई है। सक्षमताओं का परीक्षण/आकलन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सूचीबद्ध स्वतंत्र आकलन निकायों द्वारा किया जा रहा है। एसडीआई योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपीज) द्वारा प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। देश भर में 4143 वीटीपीपज का पंजीकरण किया गया है तथा अब तक 1,91,355 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/परीक्षित किया गया है। उद्योग के निकट परामर्श से 30 क्षेत्रों में मांग आधारित 446 अल्पावधि पाठ्यक्रम माडयूलों का विकास किया गया है और इसकी सूचसी संलग्न विवरण-II में दी गई है। सफल व्यक्तियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

विवरण-I

तालिका 1 : वर्ष 2004-05 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके/प्राप्त कर रहे 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (हजार में)

जनसंख्या घटक	व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (15-29 आयु वर्ग)						कुल योग
	औपचारिक प्रशिक्षण			अनौपचारिक प्रशिक्षण			
	प्राप्त कर रहे	प्राप्त कर चुके	योग	वंशानुगत	अन्ये	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण पुरुष	1016	1524	2540	5894	3760	9653	12194

1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण महिला	489	1272	1761	3130	2934	6064	7825
ग्रामीण योग	1505	2796	4301	9023	6694	15717	20018
शहरी पुरुष	1634	2575	4209	1535	3020	4555	8764
शहरी महिला	798	1890	2688	714	1344	2058	4746
शहरी योग	2432	4465	6897	2249	4364	6613	13510
पुरुष	2650	4099	6749	7428	6780	14208	20957
महिला	1287	3162	4449	3844	4278	8122	12571
व्यक्ति	3937	7260	11198	11272	11058	22331	33528

तालिका 2 : वर्ष 2004-05 के दौरान मुख्य गतिविधि स्तर द्वारा औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (हजार में)

	नियोजित	बेरोजगार	श्रम बल में शामिल	योग
ग्रामीण पुरुष	1013	274	227	1515
ग्रामीण महिला	422	263	541	1225
ग्रामीण योग	1407	536	743	2685
शहरी पुरुष	1619	405	534	2558
शहरी महिला	534	259	1105	1897
शहरी योग	2158	667	1623	4448
ग्रामीण + शहरी पुरुष	2456	666	705	3827
ग्रामीण + शहरी महिला	887	516	1531	2934
व्यक्ति	3412	1180	2297	6888

विवरण-II

कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना के अंतर्गत विकसित क्षेत्रों की सूची

1	2
1.	परिधान निर्माण
2.	ऑटोमोटिव रिपेयर
3.	बैंकिंग व एकाउटिंग
4.	ब्यूटी कल्चर, केश परिचर्या
5.	कार्पेट
6.	कैमिकल
7.	निर्माण
8.	इलेक्ट्रिकल
9.	इलेक्ट्रॉनिक्स
10.	फैब्रिकेशन
11.	रत्न व आभूषण

1	2
12.	आतिथ्य
13.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
14.	खादी
15.	भारतीय मिठाइयों का निर्माण और स्नैक्स उत्पादन
16.	मेडिकल तथा नर्सिंग
17.	पेंटिंग
18.	प्लास्टिक प्रोसेसिंग
19.	मुद्रण
20.	प्रोसेस इस्ट्रूमेंटेशन
21.	उत्पादन व विनिर्माण
22.	प्रशीतन व वातानुकूलन
23.	खुदरा
24.	खिलौने बनाना (सॉफ्ट खिलौने)
25.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण
26.	चमड़ा व रेक्सीन वस्तु निर्माता
27.	मीडिया (फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी)
28.	सुरक्षा
29.	कृषि
30.	यात्रा एवं पर्यटन
31.	लकड़ी का फर्नीचर
32.	सॉफ्ट कौशल
33.	कोरियर व लाजिस्टिक्स
34.	बीमा
35.	पटसन
36.	पटसन व विवधिकृत उत्पाद
37.	मात्स्यिकी तथा सह-क्षेत्र
38.	अग्नि व सुरक्षा इंजीनियरी
39.	व्यापार व वाणिज्य
40.	सामग्री प्रबंधन

एएसआईडीई के अंतर्गत परियोजनाएं

1105. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड एक्टीविटीज (एएसआईडीई) के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में गोवा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है और इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गोवा के मुख्यमंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अवसरंचना के विकास और संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत गोवा को अतिरिक्त निधियों के आवंटन की मांग की गई है।

(ख) एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत स्कीमों के लिए प्रस्तावों पर निधियों के आवंटन हेतु एक फार्मूले के आधार पर विचार किया जाता है।

सरकारी/स्वायत्तशासी संगठनों में कॉडर समीक्षा

1106. प्रो. रामशंकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा विभिन्न सरकारी/स्वायत्त संगठनों की कॉडर समीक्षा संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संस्थान द्वारा प्रत्येक संगठन से कितनी धनराशि ली गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता ने वर्ष 2006-07 के दौरान लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं स्टाफ के काडर पुनरीक्षण पर एक परामर्शक परियोजना आरंभ की थी। परियोजना हेतु 12,00,000.00 रु. की राशि ली गई थी। परियोजना अध्ययन मई, 2006 में आरंभ किया गया था तथा अंतिम रिपोर्ट लोक सभा के महासचिव को 8 जनवरी, 2007 को प्रस्तुत की गई थी। अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ लोक सभा सचिवालय में विद्यमान नौ भिन्न-भिन्न सेवाओं का काडर पुनरीक्षण शामिल था।

राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना

1107. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार छात्रों को शिक्षा के विभिन्न चरणों पर 'आनलाइन' छात्रवृत्ति सुविधा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मौजूदा राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ''राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता छात्रवृत्ति योजना'' में तथा ''कॉलेज एवं विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र योजना'' में छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान इलैक्ट्रानिक आधार पर किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना को 31 मार्च, 2007 में समाप्त किया गया तथा इसके स्थान पर ''राष्ट्रीय साध न-व-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना'' तथा ''कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र योजना'' नामक दो नई योजनाओं को शुरू किया गया।

(ङ) ''राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना'' में नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को 500 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। पात्र छात्रों का चयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत एक लाख छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष प्रदान की जाती हैं।

''कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना'' में पिछले तीन वर्ष के लिए स्नातक स्तर पर 1000 रुपए प्रतिमाह तथा तत्पश्चात् 2000 रु. प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले और ''नॉन क्रीमी लेअर'' वाले छात्रवृत्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियां लड़कों के लिए 41000 तथा लड़कियों के लिए 41000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

नये आईटीआई खोलना

1108. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राज्यों में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति, राज्य-वार करया है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए संस्थानों को संबंध प्रदान करती है।

वर्ष 2008-09 के दौरान गुजरात राज्य से 04 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित 11 राज्यों को शामिल करते हुए 43 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संबंधन प्रदान किया गया है। सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान संबंधन प्रदान किए गए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्रम सं.	राज्य	औ.प्र.सं. की संख्या
1.	छत्तीसगढ़	2
2.	गुजरात	4
3.	हरियाणा	2
4.	हिमाचल प्रदेश	17
5.	कर्नाटक	2
6.	महाराष्ट्र	7
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	पंजाब	1
9.	तमिलनाडु	1
10.	उत्तर प्रदेश	4
11.	उत्तराखंड	2
	कुल	43

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों का निर्माण

1109. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान बिहार सहित देश में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कितने विद्यालयों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन हुआ तथा कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने अध्यापक भर्ती किए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, 11804.92 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में 8345.85 करोड़ रुपये के खर्च से पिछले चार वर्षों के दौरान अर्थात् अप्रैल, 2005 से मार्च, 2009 तक बिहार सहित देश भर में 1.5 लाख स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है।

इस अवधि के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 619512 शिक्षकों की भर्ती की गई है।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण

1110. श्री तथागत सत्पथी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के किन क्षेत्रों तथा संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से घ) सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण खतरे की अवधारणा, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाती है।

तीनों सेनाओं ने संक्रियात्मक, प्रशिक्षण संबंधी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में विभिन्न उपाय किए हैं तथा इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। तीनों सेनाओं की दीर्घकालिक संदर्शी योजनाओं का विश्लेषण किया जाता है और उचित रूप से उनका आमेलन किया जाता है ताकि मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ स्तर पर एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना तैयार की जा सके जिससे आने वाली सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय और सहक्रिया हासिल की जा सके।

[हिन्दी]

एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव की खरीद

1111. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रूस से एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव की खरीद पर आने वाली अतिरिक्त लागत का भुगतान करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार शुरू में तय की गई मूल लागत की तुलना में इस बार कितनी ध नराशि अदा करने पर सहमत हुई है; और

(ग) रूस से टी-90 टैंकों सहित अन्य उपकरणों की खरीद से संबंधित समस्याएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रूसी पक्ष ने विमानवाहक पूर्व एडमिरल गोर्शकोव की मरम्मत तथा पुनर्सज्जा में विलम्ब तथा कीमतों में वृद्धि दर्शाने वाला एक संशोधित मुख्य (मास्टर) कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। सरकार ने मरम्मत तथा पुनर्सज्जा संबंधी संविदा को अंतिम रूप देने के लिए मूल्यवार्ताएं करने की सहमति दे दी है। अतिरिक्त कार्य का तकनीकी सत्यापन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। रूसी पक्ष को मूल्यवार्ताओं के लिए आमंत्रित किया गया है और अंतिम कीमतों के ब्यौरों का पता इन वार्ताओं के पूरा होने के बाद ही चल पाएगा। चाहे उपस्कर किसी भी स्रोत से खरीदे जाएं उनकी खरीद में कभी-कभार विभिन्न अप्रत्याशित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान समुचित स्तरों पर द्विपक्षीय रूप से किया जाता है। टी-90 टैंकों के अर्जन के लिए रूस के साथ अब तक दो संविदाएं की गई हैं। अभी तक सुपुर्दगी निर्धारित समय के अनुसार रही है।

[अनुवाद]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम में संशोधन

1112. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1997 में अस्तित्व में आये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में अनेक कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कमियों को दूर करने हेतु उक्त अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) से (ग) विगत के अनुभव के आधार पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में कतिपय संशोधनों अर्थात् कुछ शब्दों की परिभाषा, ट्राई के कार्य, ट्राई की सूचना मांगने की शक्तियों, ट्राई के निदेशों के उल्लंघन पर दंड, नियम बनाने की शक्तियों आदि में संशोधन हेतु अंतर्मंत्रालयीय परामर्श किए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, ट्राई के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में ट्राई अधिनियम की धारा 4 में संशोधन हेतु एक विधेयक राज्य सभा में 15.12.2008 को पुर:स्थापित किया गया है।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना

1113. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत निर्यातोन्मुखी इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य सहित विभिन्न राज्यों में निर्यातोन्मुखी इकाइयों की और स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 2546 निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) कार्य कर रही हैं। उड़ीसा में स्थित इकाइयों सहित इन इकाइयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार ईओयू की स्थापना नहीं करती है। इन इकाइयों की स्थापना सरकार के अनुमोदन से निजी व्यक्तियों/कारपोरेट निकायों द्वारा की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार कार्यरत ईओयू की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4
2.	आंध्र प्रदेश	237
3.	चंडीगढ़	3
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दादरा एवं नगर हवेली	22
6.	दिल्ली	47
7.	गोवा, दमन एवं दियू	55
8.	गुजरात	301
9.	हरियाणा	111
10.	हिमाचल प्रदेश	4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	3
12.	झारखंड	6
13.	कर्नाटक	442
14.	केरल	69
15.	मध्य प्रदेश	18
16.	महाराष्ट्र	387
17.	मेघालय	1
18.	उड़ीसा	22
19.	पुडुचेरी	26
20.	पंजाब	24
21.	राजस्थान	116
22.	तमिलनाडु	463
23.	उत्तर प्रदेश	107
24.	उत्तराखंड	3
25.	पश्चिम बंगाल	74
	कुल	2546

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु योजनाएं

1114. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितनी निधियां आवंटित तथा प्रयुक्त हुईं;

(ग) क्या उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में शुरू की गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में राज्यवार उपर्युक्त योजना के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग में लाई गई निधि यां संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कुछ योजनाओं का मूल्यांकन किया था जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। मूल्यांकन अध्ययन में की गई सिफारिशों से योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिली है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संलग्न विवरण-III के क्रम संख्या 1 से 4 में दी गई योजनाओं का मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन अध्ययन में की गई कुछ सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना की योजनाएं संशोधित की गई हैं।

विवरण-I

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में सहायता देने की योजना

(i) अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं के छात्रावासों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना;

(ii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की मेरिट में बढ़ोतरी के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना;

(iii) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की केन्द्रीय क्षेत्र योजना;

(iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा की केन्द्रीय सहायता छात्रवृत्ति योजना;

(v) भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;

(vi) अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति योजना;

(vii) विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति आदि के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति;

(viii) एम.फिल और पी.एच.डी. जैसी उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सहायता योजना

(i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;

(ii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना;

(iii) अनुसूचित जनजाति लड़कियों और लड़कों के लिए अन्य छात्रावास;

(iv) मेरिट में बढ़ोतरी;

(v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति;

(vi) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा;

(vii) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग में लाई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

कार्यक्रम/योजनाएं	आवंटन 2006-07	व्यय 2006-07	आवंटन 2007-08	व्यय 2007-08	आवंटन 2008-09	व्यय 2008-09
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	450.00	526.03	625.00	875.08	750.00	645.49
कोचिंग और संबद्ध योजना	6.40	3.91	7.00	3.91	8.00	4.00
बालिका छात्रावास	32.00	28.81	32.00	30.50	55.00	58.53
बालक छात्रावास	30.00	25.23	35.00	36.78	40.00	25.73
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	16.00	20.25	20.00	3.11	54.00	59.27
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मेरिट बढ़ोतरी	3.00	3.00	1.00	1.19	2.00	1.75
अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	35.13	34.18	88.00	78.35	75.00	87.94
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	1.40	1.05	4.00	2.89	5.00	4.99
अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा	5.00	0.00	16.00	2.17	20.00	4.95

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग में लाई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम	2006-07		2007-08		2008-09	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	255.04	255.03	201.24	200.03	248.00	225.86
2.	जनजाति उप योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	16.00	15.50	20.00	20.00	30.00	30.00
3.	अनुसूचित जनजाति लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास	32.00	28.11	37.00	37.00	66.00	65.00
4.	मेरिट में बढ़ोतरी	1.50	1.50	1.75	1.38	2.00	0.73
5.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	15.90	15.90	26.00	26.00	32.00	31.03
6.	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा	2006-07 के दौरान यह योजना प्रचलन में नहीं थी।		10.00	1.05	10.00	1.22
7.	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	0.40	0.043	1.00	0.14	2.00	0.01

विवरण-IV

10वीं योजना अवधि (2002-07) और वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान अनुसूचित जाति विकास (अनुसंधान और प्रशिक्षण) के लिए अखिल भारतीय अथवा अंतर-राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं के समर्थन की योजना के अंतर्गत प्रायोजित मूल्यांकन/अनुसंधान अध्ययन

क्रम सं.	योजना	कवर किए गए राज्य
1.	अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकों के लिए छात्रावास	महाराष्ट्र, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान
2.	अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग तथा संबद्ध योजना	आंध्र प्रदेश
3.	अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।	बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक
4.	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, सिक्किम और हरियाणा

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

1115. श्री श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति, राज्य-वार क्या है; और

(ग) पूरा बैकलॉग कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) 31.05.2009 की स्थिति के अनुसार कुल तार लाइन और वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में क्रमश: 77,581 और 46,484 आवेदक हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 31.03.2007, 31.03.2008, 31.03.2009 और 31.05.2009 की स्थिति के अनुसार तार लाइन और डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ग) प्रतिमाह टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदकों के नए पंजीकरण और पुराने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के कारण प्रतीक्षा सूची को तैयार किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है। तार लाइन और डब्ल्यूएलएल की वर्तमान प्रतीक्षा सूची के उत्तरोत्तर रूप से मार्च, 2010 के अंत तक निपटान की संभावना है।

विवरण

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तार लाइन और डब्ल्यूएलएल की प्रतीक्षा सूची की राज्यवार स्थिति

सर्किल का नाम	31.03.2007 की स्थिति के अनुसार		31.03.2008 की स्थिति के अनुसार		31.03.2009 की स्थिति के अनुसार		31.05.2009 की स्थिति के अनुसार	
	तार लाइन	डब्ल्यूएलएल	तार लाइन	डब्ल्यूएलएल	तार लाइन	डब्ल्यूएलएल	तार लाइन	डब्ल्यूएलएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अण्डमान व निकोबार	577	0	97	185	125	0	20	0
आन्ध्रप्रदेश	4,238	6,619	2,533	8,971	3,748	3,605	3,369	3,069
असम	4,680	262	349	468	220	80	242	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	53,110	0	41,165	0	6,660	1,793	6,883	2,930
छत्तीसगढ़	8	1,506	8	215	3	24	0	24
गुजरात	34,890	0	7,344	0	1,190	0	1,083	0
हरियाणा	6,232	319	2,843	1,246	536	1,116	851	915
हिमाचल प्रदेश	24,653	0	10,687	0	7,777	0	6,775	0
जम्मू और कश्मीर	13,069	0	3,442	0	4,090	0	3,010	0
झारखंड	1,013	0	78	0	0	0	0	0
कर्नाटक	45,676	7,970	26,224	58,182	9,407	16,555	8,448	14,465
केरल	1,22,996	4,724	40,341	621	16,449	24	15,841	9
मध्य प्रदेश	10,386	83,135	3,674	20,270	0	8,238	0	4,630
महाराष्ट्र	41,773	59,630	16,235	35,254	11,943	14,112	10,951	14,873
पूर्वोत्तर-I	827	389	0	0	32	88	0	236
पूर्वोत्तर-II	591	0	152	0	19	0	17	0
उड़ीसा	10,185	11,461	4,065	9,756	477	0	416	0
पंजाब	1,327	7	28	212	27	0	147	0
राजस्थान	58,288	0	5,371	0	282	0	403	19
तमिलनाडु	1,819	0	7,978	0	2,340	0	2,588	0
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	31,254	1	13,237	1,001	1,138	1,200	981	1,070
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2,292	0	893	136	103	0	78	0
उत्तराखंड	151	5,153	19	0	89	0	91	0
पश्चिम बंगाल	87,141	2,447	44,254	594	18,212	17	15,387	4,134
कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0
चेन्नै	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल जोड़	5,57,176	1,83,623	2,31,017	1,37,111	83,867	46,852	77,581	46,484

[हिन्दी]

पटाखा उद्योग में कार्यरत कामगारों के लिए कल्याण पैकेज

1116. श्री के.डी. देशमुख: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का नब्बे प्रतिशत पटाखा तमिलनाडु के शिवकाशी में निर्मित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पटाखा अनुसंधान केन्द्र (सीआरसी) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस केन्द्र की स्थापना किस स्थान पर करने का विचार है;

(ङ) पटाखों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने पटाखा उद्योग में लगे कामगारों के कल्याण के लिए कोई पैकेज तैयार किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। देश में लगभग 90 प्रतिशत पटाखे शिवकाशी, तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। शिवकाशी में लगभग 670 इकाइयां लगभग 700 करोड़ रुपये की आतिशबाजी विनिर्मित कर रही हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्मिकों की सुरक्षा, आतिशबाजी उद्योग का मशीनीकरण करने, गुणवत्तायुक्त आश्वासन तथा पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी के मुद्दों का समाधान करने के लिए अनायुर गांव, शिवकाशी में आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफआरडीसी) की स्थापना की गई है।

(ङ) और (च) पिछले पांच वर्ष में आतिशबाजी के निर्यात से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आतिशबाजी निर्यात का मूल्य (रुपये में)
2004-05	रुपये 39,13,876
2005-06	रुपये 69,02,102
2006-07	रुपये 50,10,887
2007-08	रुपये 16,71,792
2008-09	रुपये 7,87,000

(छ) और (ज) जी, हां। पेसो ने वर्ष 2007-08 के दौरान शिवकाशी में आतिशबाजी उद्योग के 1578 श्रमिकों एवं फोरमेनों के लिए तीन चरणों में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

[अनुवाद]

शिक्षा में संयुक्त उद्यम

1117. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मलेशिया ने कौशल विकास, दूरथ शिक्षा, 'ब्रिजिंग द डिजीटल डिवाइड' आदि क्षेत्रों में विशेष शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौता और इसके क्रियान्वयन विधि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत तथा मलेशिया के बीच एक समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव किया गया है।

सामाजिक विकास क्षेत्रों की स्थापना

1118. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: (क) क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सामाजिक विकास क्षेत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या हाल में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) तथा भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को सामाजिक विकास क्षेत्रों से संबद्ध किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इनकी स्थापना किन-किन राज्यों में प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) हालांकि सामाजिक विकास क्षेत्रों की स्थापना की व्यवहार्यता की मंत्रालय द्वारा खोजबीन की जा रही थी परंतु इस संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्यों के परामर्श से अभिज्ञात किये गये उन स्थलों पर इन संस्थाओं की स्थापना की जा रही है, जो राज्यों द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जानी अपेक्षित है।

जहाज उद्योग को वित्तीय सहायता

1119. **श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहाज उद्योग ने संभाव्य संकट से निपटने हेतु सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस संकट से निपटने हेतु जहाज उद्योग को कितनी निधियां दी गई हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी-संघ, जो भारतीय टन भार का 90% हिस्सा संभाले वाली भारतीय नौवहन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने पोतों को खरीदे जाने के लिए भारतीय नौवहन कंपनियों को उधार देने की सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु 10,000 करोड़ रुपए की संचित निधि (कॉरपस) तैयार करने का अभ्यावेदन किया है क्योंकि हाल ही की वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप नौवहन कंपनियों की आय में कमी हुई है और उनकी वित्तीय साख चरमरा गई है। वित्त मंत्रालय के सुझाव पर, भारतीय बैंक संघ ने पोतों की खरीद के लिए उधार देने की सुविधाएं दिए जाने के नौवहन उद्योग के अनुरोध की जांच-पड़ताल करने हेतु एक कार्य दल गठित किया है। भारतीय बैंक संघ ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और नौवहन कंपनियों को संबंधित बैंकों से यह मामला उठाना चाहिए।

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में नौवहन कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं करवाई है।

केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि

1120. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश केन्द्रीय विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित सीमा से ऊपर जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ रही संख्या के अनुरूप और अध्यापक भर्ती करने हेतु कोई कदम उठाने की शुरूआत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले की मांग में वृद्धि के कारण विशेष रूप से दिल्ली में कुछ स्कूलों में कक्षा में छात्रों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2009 तक की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालयों के प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 40 छात्रों की निर्धारित सीमा की तुलना में 41 थी।

(ग) से (ङ) दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 25:1 था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन शिक्षकों की भर्ती के लिए समय-समय पर उपाय करता रहता है।

[हिन्दी]

इंटरनेट सुविधा

1121. **श्री यशवंत लागुरी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार, तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इंटरनेट सुविधा को लोकप्रिय तथा सर्वसुलभ बनाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों सहित, देश में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इसमें उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ख) 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ताओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने और इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपाय किये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं:

(i) ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की व्यवस्था को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अधिकार-क्षेत्र में लाने के लिए भारतीय तार नियमावली को संशोधित किया गया है और "गांवों को चरणबद्ध ढंग से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना" नामक शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रीम-iv जोड़ा गया है।

(ii) नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) की स्थापना के जरिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से लगभग 6 लाख गांवों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख कियोस्क जिन्हें कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) कहा जाता है, स्थापित करने की योजना बनाई है। उड़ीसा में योजनाबद्ध कुल 8558 कॉमन सर्विस सेन्टरों में से 2478 कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) जून, 2009 तक स्थापित किये जा चुके हैं।

(iii) एजुकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क (ईआरएनईटी) इंडिया देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित समूचे देश में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, सरकारी संगठनों निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संगठनों और विभिन्न अन्य गैर-वाणिज्यिक संगठनों को इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रहा है।

विवरण

मार्च, 2009 को समाप्त तिमाही के लिए इन्टरनेट उपभोक्ताओं की रिपोर्ट (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य/दूरसंचार सर्किल	इंटरनेट उपभोक्ता (31.03.2009 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान एंड निकोबार	6780
2.	आंध्र प्रदेश	975594
3.	असम	70290
4.	बिहार (झारखंड)	179043
5.	दिल्ली*	1576095
6.	गुजरात	739167
7.	हरियाणा	254467
8.	हिमाचल प्रदेश	59663
9.	जम्मू एण्ड कश्मीर	83985
10.	कर्नाटक	1093617
11.	केरल (लक्षद्वीप)	898009
12.	महाराष्ट्र (गोवा)	2,937,570
13.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़)	503708
14.	पूर्वोत्तर **	84287
15.	उड़ीसा	152280
16.	पंजाब	538759
17.	राजस्थान	582968
18.	तमिलनाडु (पुडुचेरी सहित)	1404983
19.	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	644735
20.	पश्चिम बंगाल (सक्किम सहित)	860700
	जोड़	13646700

*इसमें गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव शामिल हैं।
**इसमें मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड व त्रिपुरा शामिल हैं।

[अनुवाद]

हल्दिया पत्तन तक के सम्पर्क मार्ग की गहराई

1122. श्री प्रबोध पांडा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया जाने वाले सम्पर्क मार्ग की गहराई तेजी से कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हल्दिया पत्तन जाने वाले सम्पर्क मार्ग की गहराई बढ़ाने हेतु कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) कोलकाता पत्तन न्यास के अंतर्गत आने वाले हल्दिया डॉक परिसर को जाने वाले दो प्रमुख जलमार्गों, जेलिंघम और ऑकलैंड की गहराइयां धीरे-धीरे घटती चली आ रही हैं। वर्ष 2003 से उपरोक्त क्षेत्रों में गहराई के साथ-साथ वर्ष 2002 से हल्दिया डॉक परिसर के औसत डुबाव का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एक लघु आवधिक उपाय के रूप में, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गहराई के रखरखाव हेतु नवंबर, 2008 से हल्दिया में अतिरिक्त ड्रेजर काम पर लगाए हैं और इस समय, डीसीआई के सात ड्रेजर जेलिंघम और ऑकलैंड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हल्दिया जलमार्ग में ड्रजिंग के अपने प्रयास को बढ़ाने के प्रयोजन से किराए के दो ड्रेजरों को काम पर लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

गहराई की समस्या के एक दीर्घ आवधिक हल के रूप में, कोलकाता पत्तन न्यास ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टैक्नोलॉजी की सिफारिशों के आधार पर, एक योजना तैयार की थी जिसमें हुगली नदी मुख में डुबाव में सुधार के लिए नदी (हल्दिया और रंगाफाला जलमार्ग) के भीतर कैपीटल ड्रेजिंग और नदी प्रशिक्षण कार्य शामिल थे। वॉटर एंड पॉवर कन्सल्टैंसी सर्विस–वॉटर एंड पॉवर रिसर्च स्टेशन द्वारा नदी की मौजूदा बेथीमैट्री और हाईड्रोडाईनैमिक स्थिति के प्रकाश में गणितीय मॉडल अध्ययन के माध्यम से इस योजना की पुनः पुष्टि की जा रही है। नई सिफारिशों के साथ-साथ पुनः पुष्टि की रिपोर्ट अक्तूबर, 2009 के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी।

विवरण

ऊपरी जेलिंघम शोल (कम से कम गहराई) जलमार्ग की चौड़ाई 480 मीटर

वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
जनवरी	4.9	4.9	5.0	4.8	4.7	4.3	3.7 (3.9)
फरवरी	4.9	5.0	5.0	4.9	4.7	4.3	3.9 (4.0)
मार्च	5.0	5.0	5.0	4.9	4.7	4.2	3.9 (4.0)
अप्रैल	4.9	5.0	5.0	4.8	4.7	4.2	3.9 (4.0)
मई	4.8	4.9	5.0	4.9	4.6	4.1	3.9 (4.0)
जून	4.8	4.7	5.0	4.9	4.5	4.1	3.8 (4.0)
जुलाई	4.8	4.8	4.8	4.9	4.5	4.0	4.0 (4.0)
अगस्त	4.8	4.9	4.7	4.9	4.4	4.0 (4.1)	
सितम्बर	4.8	4.8	4.6	4.6	4.2	3.9 (3.9)	
अक्तूबर	4.7	4.7	4.6	4.5	4.2	3.8 (3.9)	
नवंबर	4.7	4.6	4.6	4.5	4.2	3.7 (3.9)	
दिसम्बर	4.8	4.7	4.7	4.7	4.3	3.7 (3.9)	

कोष्ठकों के भीतर के आंकड़े जलमार्ग की मौजूदा घटी हुई 345 मीटर की चौड़ाई को देखते हुए कम से गहराई बताते हैं।

लोअर ऑकलैंड बार (कम से कम गहराई)-जलयान की चौड़ाई-460 मीटर

वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
जनवरी	5.7	5.3	5.1	5.5	4.8	4.5	3.6 (4.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
फरवरी	5.6	5.3	5.1	5.5	4.8	4.5	3.6 (4.0)
मार्च	5.5	5.3	5.3	5.4	5.3	4.5	3.6 (4.0)
अप्रैल	5.6	5.3	5.3	5.2	5.3	4.4	3.6 (4.0)
मई	5.6	5.3	5.3	5.3	5.3	4.3	3.4 (4.1)
जून	5.6	5.3	5.4	5.3	5.3	4.2	3.4 (4.2)
जुलाई	5.6	5.4	5.5	5.3	5.0	4.1	3.4 (4.4)
अगस्त	5.5	5.3	5.5	5.1	4.9	3.8 (4.3)	
सितम्बर	5.5	5.2	5.5	5.1	4.9	3.8 (4.3)	
अक्तूबर	5.3	5.1	5.5	4.9	4.7	3.8 (4.0)	
नवम्बर	5.3	5.1	5.5	4.9	4.5	3.6 (3.9)	
दिसम्बर	5.3	5.1	5.5	4.8	4.5	3.6 (3.9)	

कोष्ठकों के भीतर के आंकड़े जलमार्ग की मौजूदा घटी हुई 345 मीटर की चौड़ाई को देखते हुए कम से गहराई बताते हैं।

औसत डुबाव एचडीसी

वर्ष	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				जनवरी				
अधिकतम	8.6	8.3	8.2	8.2	8.4	7.6	7.3	7.6
न्यूनतम	7.4	7.3	7.1	6.9	6.9	6.6	6.6	6.4
औसत	8.0	7.8	7.7	7.6	7.7	7.2	7.1	7.1
				फरवरी				
अधिकतम	8.4	8.5	8.3	8.3	8.6	7.8	7.4	7.6
न्यूनतम	7.1	6.9	6.9	6.7	7.0	6.5	6.3	6.3
औसत	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.2	7.0	7.1
				मार्च				
अधिकतम	9.0	9.0	8.6	8.4	8.8	8.5	7.8	7.8
न्यूनतम	7.2	7.1	6.8	6.9	7.1	6.6	6.3	6.0
औसत	8.1	8.0	7.8	7.9	8.0	7.7	7.2	7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				अप्रैल				
अधिकतम	8.8	9.2	8.8	8.5	8.7	8.7	8.0	7.9
न्यूनतम	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1	6.9	6.5	6.7
औसत	8.0	8.2	8.1	7.9	8.1	7.9	7.4	7.3
				मई				
अधिकतम	8.7	9.2	9.1	8.8	8.7	8.6	8.1	8.0
न्यूनतम	7.2	7.6	7.5	7.5	7.0	7.4	7.1	7.0
औसत	8.1	8.1	8.4	8.2	8.2	8.0	7.6	7.5
				जून				
अधिकतम	8.7	9.1	9.2	9.1	8.6	8.6	8.1	8.2
न्यूनतम	7.5	7.8	7.9	7.9	7.8	7.6	7.1	7.3
औसत	8.3	8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	7.6	7.7
				जुलाई				
अधिकतम	8.7	9.0	9.2	9.2	8.8	8.6	8.1	8.3
न्यूनतम	7.5	7.6	7.9	7.9	7.7	7.3	7.0	7.0
औसत	8.2	8.5	8.6	8.5	8.3	8.3	7.7	7.7
				अगस्त				
अधिकतम	9.0	9.2	9.2	9.2	9.1	8.7	8.0	
न्यूनतम	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5	6.8	6.9	
औसत	8.3	8.5	8.6	8.4	8.3	8.0	7.7	
				सितम्बर				
अधिकतम	9.2	9.3	9.2	9.1	9.0	8.4	8.0	
न्यूनतम	7.3	7.2	7.4	7.1	6.8	6.7	6.6	
औसत	8.3	8.5	8.5	8.3	8.0	7.8	7.5	
				अक्तूबर				
अधिकतम	9.1	9.1	8.9	9.0	8.7	8.2	8.0	
न्यूनतम	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.7	
औसत	8.1	8.3	8.2	8.2	7.8	7.7	7.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				नवम्बर				
अधिकतम	8.7	8.8	8.6	8.4	8.3	7.8	7.8	
न्यूनतम	7.0	7.4	7.4	7.0	7.0	6.8	6.9	
औसत	7.9	8.1	8.0	7.9	7.7	7.4	7.3	
				दिसम्बर				
अधिकतम	8.3	8.3	8.3	8.1	7.7	7.4	7.5	
न्यूनतम	7.1	7.2	7.3	7.3	6.9	6.6	6.8	
औसत	7.8	7.9	7.7	7.7	7.3	7.1	7.1	

[हिन्दी]

अवांछनीय कॉलों पर रोक

1123. श्री राकेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने ग्राहकों को अवांछनीय कॉलों को रोकने के तरीके की सूचना देने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत संचार निगम का विचार 45 दिन के अंतर्गत अपनी "डू नोट डिस्टर्ब" सेवा चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अवधि को कम करने तथा इस सेवा की निर्धारित समय से पहले शुरूआत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरुदास कामत): (क) और (ख) मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को जनता की आम सूचना के लिए विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय डू नॉट कॉल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री में पंजीकरण की प्रक्रिया सहित "एनडीएनसी" रजिस्ट्री के सम्बन्ध में उचित प्रचार करने का निदेश दिया गया है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2007 के दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) विनियम, 2007 (2007 का 4) में निहित उपबंधों के अनुसार सेवा प्रदाताओं (बीएसएनएल सहित) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता के नंबर को एनडीएनसी रजिस्ट्री में सूचीबद्ध कर लें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रम कानूनों में संशोधन

1124. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न श्रम कानूनों जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948 आदि में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है ताकि उन्हें अर्थव्यवस्था की उभर रही आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरणियां प्रस्तुत करने एवं रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988 के दायरे का विस्तार

करने और रजिस्टर रखने तथा सॉफ्ट उपकरणों के माध्यम से विवरणियां प्रस्तुत करने, नियोजक, परिवार तथा कामगारों की परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन करने, सुरक्षा और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 संबंधी नया अध्याय जोड़ने, पीठासीन अधिकारियों की अर्हताओं, श्रम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने, शिकायत का निराकरण तंत्र की स्थापना करने तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को पंचाटों के निष्पादन की शक्तियां प्रदान करने के लिए, उसमें संशोधन करने हेतु विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की सुरक्षा, गरिमा, सम्मान और कारखाना परिसरों से उनके आवागमन हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रिकालीन पाली के दौरान उन्हें नियोजित करने के मामले में लोचनीयता का प्रावधान करने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन करने, शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यापकों को लाभान्वित करने के लिए उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन करने, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 को लिंगभेद-निष्प्रभावी बनाने हेतु इसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को क्रियान्वित करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग कर सकने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन करने संबंधी विधेयक भी लोक सभा में पुर: स्थापित किये गये थे जो व्यपगत हो गये हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक पैकेज का प्रसार

1125. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल राज्यों के लिए कोई विशेष वित्तीय पैकेज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पैकेज की अवधि में विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) के लिए क्रमश: 7.1.2003, 14.6. 2202 तथा 7.1.2003 को नई औद्योगिक नीतियों एवं अन्य रियायतों की घोषणा की थी। इन नीतियों के तहत इन राज्यों को विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहनों जैसे कि आयकर छूट, उत्पाद छूट, केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, केंद्रीय ब्याज राजसहायता तथा केंद्रीय व्यापक बीमा प्रदान किए गए हैं। अन्तिम दो रियायतें केवल जम्मू एव कश्मीर राज्य की औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त रियायतें घोषणा होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। उत्पाद शुल्क छूट हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के केवल उन औद्योगिक इकाईयों के लिए उपलब्ध हैं जो 31 मार्च, 2010 तक या उससे पहले स्थापित की गई थीं और उनमें वे औद्योगिक इकाइयां भी शामिल है। जो इस विभाग द्वारा निर्धारित किए गए पर्याप्त विस्तार के मानदण्ड को पूरा करती हैं।

[अनुवाद]

वेबसाइटों की हैकिंग

1126. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वेबसाइटों की हैकिंग के कई मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कम्प्यूटर प्रणाली को वेबसाइटों की हैकिंग से बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। खोजी गई सूचना के अनुसार तथा भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित किए गए अनुसार जनवरी,

2006 से जून, 2009 की अवधि के दौरान 9052 भारतीय वेबसाइटों का सूचना हरण किया गया है/विकृत की गई हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	सूचना हरण की गई भारतीय वेबसाइटों की संख्या
2006	1216
2007	1373
2008	3177
2009 (जनवरी-जून)	3286
कुल	9052

(ग) और (घ) सरकार ने देश में वेबसाइटों की सुरक्षा करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना की साइबर सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं, ये इस प्रकार हैं:

(i) सर्ट-इन ने साइबर हमलावरों से कम्प्यूटर प्रणालियों की सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा संबंधी कई दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं, विशेष रूप से "वेबसाइटों की सुरक्षा" के लिए सुरक्षा संबंधी एक दिशा-निर्देश भी प्रकाशित किया गया है। इन सभी दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। सभी सरकारी विभागों/मंत्रालयों, उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

(ii) सर्ट-इन ने साइबर घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा चेतावनियां, सलाह जारी किए हैं तथा यह प्रयोक्ता की जागरूकता में वृद्धि करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

(iii) महत्वपूर्ण सूचना मूलसंरचना संचालित करने वाले संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड आईएसओ 27001 के आधार पर सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धतियां कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 वेबसाइटों के सूचना हरण और सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

1127. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एपीईडीए के माध्यम से महाराष्ट्र में फलों तथा सब्जियों के लिए सुविधा केन्द्रों की संस्वीकृति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। एपीडा ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) की शुरूआत कर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक एवं प्रमाणन स्कीम तैयार कर प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण कर, निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता देकर, जैविक खेती आदि का विकास कर जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन की पहल की है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने एपीडा के माध्यम से महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों, जिनमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जालना, इन्दापुर, बारामती, वर्धा, रावेर, हिंगोली एवं लातूर शामिल हैं, में विभिन्न फलों एवं सब्जियों हेतु "पैक हाऊसों" के रूप में सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है। ये परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

बेरोजगारी में वृद्धि

1128. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता में ह्रास के कारण बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादकता में वृद्धि करने तथा देश में अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। रोजगार एवं बेरोजगारी पर सर्वेक्षणों के अभी हाल ही के दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर आंशिक रूप से 2.2% से 2.3% तक बढ़ी है। यह इस कारण हुआ कि 2.9% प्रति वर्ष की दर से श्रम बल की वृद्धि की गति ने कार्य बल के 2.95% प्रति वर्ष की वृद्धि की दर को पार कर दिया है। श्रम बल में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से इस तथ्य को जाता है कि कार्यशील जनसंख्या, कुल जनसंख्या से तेजी से बढ़ी है तथा वर्ष 1999-2000 से लेकर 2004-05 के दौरान श्रम बल भागीदारी दर विशेष रूप से महिलाओं में बढ़ी है।

(ग) 11 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 58 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन करना है। पहले की अपेक्षा अधिक त्वरित गति से उत्पादक रोजगार तथा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सामान्य सुधार करने हेतु उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4% की दर से कृषि विकास के लक्ष्य पर भी बल दिया गया है। सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती रही है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं–स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए)।

[अनुवाद]

खतरनाक उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

1129. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप के कई देशों ने एस्बेस्टस, सीसा युक्त रंग, पारा युक्त उपकरणों जैसे खतरनाक उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खतरनाक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दिनांक 12 जुलाई, 1989 को पर्यावरणात्मक संरक्षण एजेंसी द्वारा संयुक्त राज्य में एसबेस्टॉस के विनिर्माण, आयात, प्रसंस्करण और वाणिज्य में वितरण को प्रतिबंधित किया गया था। दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को यूएस उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग (सीपीएससी) द्वारा सीसा मिश्रित पेंट और सीसा मिश्रित पेंट वाले कुछ उपभोक्ता उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया था। पारे के प्रयोग वाले यंत्रों परा कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी पर्यावरणात्मक संरक्षण एजेंसी ने पारा मिश्रित उत्पादों और इसके विकल्पों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त यूएस खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने समुद्री खाद्य पदार्थों में पारे की उपस्थिति के बारे में सूचना एवं निर्देश जारी किए हैं।

कनाडा से एस्बेस्टास (क्रिसोटाइल एस्बेस्टॉस) का निर्यात जारी है।

यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 3 अप्रैल, 2009 से पारे के प्रयोग वाले मापन यंत्रों की बिक्री प्रतिबंधित की है। मौजूदा विधायन में सीसा, केडमियम, पारा और हैक्सावेलेंट क्रोमियम के स्तरों के सान्द्रण के योग के अवशेष पैकेटों के लिए 100 पीपीएम भार की सीमा तक के लिए पहले ही प्रतिबंध है। सीसामुक्त निर्देशों (जिन्हें खतरनाक पदार्थों के प्रतिबंध संबंधी निर्देश अथवा आरओएचएस निर्देश भी कहा जाता है) में भी इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रानिक उत्पादों में पारा सहित छः वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुमत्य अधिकतम सांद्रण समांगी सामग्री के भार के अनुसार 0.1% अथवा 1000 पीपीएम है। आरओएचएस निर्देश यूरोपीय संघ द्वारा फरवरी, 2003 में अपनाया गया था और यह जुलाई 2006 से लागू हुआ था। इसमें निम्नलिखित 6 पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है:

1. सीसा (पी बी)
2. पारा (एच जी)
3. केडमियम (सी डी)
4. हेक्सावेलेंट क्रोमियम (सी आर 6 पी)
5. पोलीब्रोमिनेटिड बाईफिनाइल्स (पी बी बी)
6. पोलीब्रोमिनेटिड बाईफिनाइल्स (पी बी डी ई)

सितम्बर 2008 में यूरोपीय आयोग ने एक कानून अपनाकर यूरोपीय संघ से पारे के सभी निर्यातों पर मार्च, 2001 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

वर्ष 1991 में यूरोपीय संघ में एस्बेस्टॉस के पांच विभिन्न रूपों पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष 1999 में यूरोपीय संघ ने यूरोप में छठी किस्म (नामतः श्वेत एस्बेस्टॉस अथवा क्रिसोटाइल एस्बेस्टॉस) के उपयोग एवं आयात पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध दिनांक 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी हुआ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमेंट की भारी कमी

1130. श्री जगदम्बिका पालः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी के लिए सीमेंट की कमी एक प्रमुख चिंता रही है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित उक्त निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन

1131. श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री अर्जुन मुंडाः
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) औद्योगिक क्षेत्र तथा इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) क्या उक्त प्रोत्साहनों के अंतर्गत बिहार को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है तथा औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश के लिए क्या कार्यवाही शुरू की जाएगी; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनिजों, वन, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में झारखंड सहित देश में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में औद्योगिक विकास करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न सामान्य स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों में मदद करती है। तथापि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीमें लागू की गई हैं क्योंकि ये राज्य पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्रों में है। तथा इनकी बाजारों में पहुंच कम होती है और घटिया अवसंरचना, अगम्य भूभाग एवं घटिया संसाधन आधार भी होता है। चूंकि बिहार और झारखंड राज्य ऐसी भौगोलिक विपत्तियों का सामना नहीं करते हैं इसलिए इन राज्यों में उद्योगों के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये राज्य विभिन्न अन्य स्कीमों के तहत लाभ ले सकते हैं।

[अनुवाद]

विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन

1132. श्री चंद्रकांत खैरेः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) विनिर्माण क्षेत्र का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय/पहल की गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं ऋण की लागत कम करना तथा रेपोरेट, रिवर्स रेपोरेट, कैश रिजर्व रेश्यो में कमी करके तरलता में सुधार करना, सेनवेट में कमी तथा घरेलू मांग को बढ़ाने एवं उच्चतर रोजगार सृजन करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहल। विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी सहयोग नीतियों का यौक्तिकरण किया गया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्र में निधि के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है।

समविश्वविद्यालयों द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन

1133. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समविश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में छात्रों के हित की रक्षा के लिए इन समविश्वविद्यालयों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए यूजीसी/सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) 'सम विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित की गई कुछ संस्थाओं के बारे में मीडिया ने रिपोर्टें छपी हैं कि वे विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए एवज में कैपिटेशन शुल्क की मांग कर रहे हैं। यद्यपि शैक्षिक मानकों के साथ समझौता करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु मीडिया में प्रकाशित कुछ रिपोर्टों में इस संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। इस प्रकार की धारणाओं के मद्देनजर, सरकार ने 'सम विश्वविद्यालय' संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और साथ ही अलग से भारत सरकार द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र दल द्वारा करवाने के आदेश दिए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

1134. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री गणेश सिंह:
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री अर्जुन मुंडा:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/केन्द्रीय उपक्रमों से अपने-अपने राज्य/क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनकी क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान देश में और अधिक संख्या में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए क्षेत्र-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर तथा छात्रों का निष्पादन ग्राफ देश के कई पब्लिक स्कूलों से काफी बेहतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इसके लिए क्षेत्र वार कुल कितनी राशि नियत, स्वीकृत तथा उपयोग की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को विगत तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08, 2008-09 और अब तक राज्य सरकारों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित प्रायोजक एजेंसियों से केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु 161 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 68 स्कूलों को संस्वीकृति दे दी गई है।

(ख) और (ग) नए केन्द्रीय विद्यालयों को खोलना प्रायोजक संगठनों के व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, निधियों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकरण की संस्वीकृति पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा X और XII की परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों और प्राइवेट स्वायत्त स्कूलों का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक जारी की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा X की परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालयों के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का तुलनात्मक कार्य निष्पादन

स्कूल प्रणाली	2005	2006	2007	2008	2009
केन्द्रीय विद्यालय	89.85	90.63	95.64	96.07	96.35
नवोदय विद्यालय	90.82	91.13	96.41	97.54	97.84
स्वतंत्र स्कूल	85.87	85.94	91.81	91.77	91.89
कुल (के.मा.शि.बो.)	74.60	77.16	84.44	87.08	88.84

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा XII की परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालयों के उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत का तुलनात्मक कार्य निष्पादन

स्कूल प्रणाली	2005	2006	2007	2008	2009
केन्द्रीय विद्यालय	92.47	92.89	93.14	91.00	91.32
नवोदय विद्यालयें	87.08	90.24	90.11	92.44	94.09
स्वतंत्र स्कूल	81.28	92.35	82.29	81.68	80.94
कुल (के.मा.शि.बो.)	77.80	79.55	80.64	80.91	81.00

विवरण-II

केन्द्रीय विद्यालयों के लि, विगत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक क्षेत्रवार जारी और उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपयों में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	वर्ष							
		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (अप्रैल 09 से जून 09 तक)	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अहमदाबाद	30,12,36,042	30,12,36,042	32,38,69,739	32,38,69,739	55,17,82,928	55,17,82,928	25,02,29,985	25,02,29,985
2.	बंगलौर	50,55,86,765	50,55,86,765	53,15,89,961	53,15,89,961	74,26,67,404	74,26,67,404	34,54,58,351	34,54,58,351
3.	भोपाल	56,70,92,329	56,70,92,329	56,65,70,747	56,65,70,747	80,83,17,414	80,83,17,414	39,51,83,500	39,51,83,500
4.	भुवनेश्वर	60,06,01,483	60,06,01,483	63,79,22,759	63,79,22,759	85,91,63,039	85,91,63,039	37,44,96,171	37,44,96,171
5.	चंडीगढ़	57,88,67,468	57,88,67,468	62,32,74,135	62,32,74,135	75,22,95,992	75,22,95,992	44,36,23,964	44,36,23,964
6.	चेन्नई	65,24,74,648	65,24,74,648	80,64,52,685	80,64,52,685	108,20,13,133	108,20,13,133	57,23,06,031	57,23,06,031
7.	देहरादून	53,02,60,298	53,02,60,298	56,72,58,815	56,72,58,815	77,87,23,064	77,87,23,064	39,13,23,916	39,13,23,916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	दिल्ली	98,59,02,581	98,59,02,581	110,37,15,257	110,37,15,257	146,42,96,227	146,42,96,227	73,32,72,713	73,32,72,713
9.	गुवाहाटी	46,93,16,821	46,93,16,821	39,85,95,365	39,85,95,365	57,45,77,274	57,45,77,274	38,55,65,241	28,55,65,241
10.	हैदराबाद	47,17,27,155	47,17,27,155	51,32,45,252	51,32,45,252	62,92,12,014	62,92,12,014	33,49,56,069	33,49,56,069
11.	जबलपुर	49,59,19,700	49,59,19,700	58,38,12,824	58,38,12,824	69,40,98,078	69,40,98,078	29,58,19,650	29,58,19,650
12.	जयपुर	52,83,64,908	52,83,64,908	53,00,47,809	53,00,47,809	77,26,82,362	77,26,82,362	46,77,54,631	46,77,54,631
13.	जम्मू	46,32,49,701	46,32,49,701	48,63,65,082	48,63,65,082	68,50,86,245	68,50,86,245	37,37,29,276	37,37,29,276
14.	कोलकाता	54,96,87,496	54,96,87,496	62,17,86,875	62,17,86,875	78,42,87,413	78,42,87,413	40,36,94,563	40,36,94,563
15.	लखनऊ	60,85,60,705	60,85,60,705	71,17,45,324	71,17,45,324	103,69,24,945	103,69,24,945	55,19,14,480	55,19,14,480
16.	मुम्बई	49,41,81,995	49,41,81,995	53,87,09,596	53,87,09,596	71,14,49,770	71,14,39,770	44,51,00,319	44,51,00,319
17.	पटना	48,85,54,299	48,85,54,299	48,41,38,582	48,41,38,582	78,70,18,850	78,70,18,850	39,97,59,954	39,97,59,954
18.	सिलचर	36,83,21,396	36,83,21,396	29,67,60,236	29,67,60,236	44,90,00,846	44,90,00,846	20,38,51,011	20,38,51,011
	कुल	965,99,05,790	965,99,05,790	1032,58,51,043	1032,58,51,043	1416,35,87,198	1416,35,87,198	726,80,39,825	726,80,39,825

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

1135. श्री निशिंकात दुबे: क्या **सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों (एस.सी.) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए कितनी कल्याण योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए झारखंड सरकार सहित राज्य सरकारों को राज्य-वार तथा योजना-वार कितनी राशि आबंटित/जारी की गई है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा निधियों के दुरुपयोग अथवा अन्यत्र उपयोग की किसी घटना की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार के पास इन कार्यक्रमों के निष्पादन की जांच के लिए कोई निगरानी तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम जून, 2007 में आरम्भ की गई थी।

विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोई नई स्कीम आरम्भ नहीं की गई।

(ख) उल्लिखित स्कीम के तहत राज्यवार आबंटन/निधियों की निर्मुक्ति नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) इस स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए एक संचालन समिति है।

[हिन्दी]

वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध

1136. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में नीति की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जिन मदों का निर्यात प्रतिबंधित है, उनकी सूची भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित निर्यात एवं आयात मदों का आईटीएस (एचएस) वर्गीकरण (1 सितम्बर, 2004-31 मार्च 2009) की अनुसूची II में दी गई है। अनुसूची II में किए जाने वाले संभी संशोधन भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं और ये डीजीएफटी की वेबसाइट www.dgft.delhi.nic.in पर उपलब्ध है। इस सूची में वन्य पशु, गोमांस, भैंस का मांस (बोनलेस को छोड़कर), भेड़ तथा बकरी का मांस (बोनलेस को छोड़कर), दालें तथा गैर बासमती चावल (खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात तथा द्विपक्षीय व्यापार करार के अंतर्गत मालदीव को होने वाले निर्यात को छोड़कर) जैसे कृषि उत्पाद, गेहूं, चर्बी/पशु मूल की वसा, मान्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत रसायन, खाद्य तेल, कतिपय काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा वस्तुओं के निर्यात संबंधी नीति की समय-समय पर समीक्षा किया जाना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सकरारी घरेलू बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता, उत्पादन, कीमतों की स्थिति एवं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मंत्रालय के विचार-विमर्श से कृषि/उपभोक्ता उत्पादों की निर्यात नीति की समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना

1137. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री अर्जुन चरण सेठी:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री एम.बी. राजेश:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी:
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में नए भारतीय प्रबंध संस्थानों (आई.आई.एम.), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आई.आई.एस.ई.आर.) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए आई.आई.एम., आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी., आई.आई.एस.ई.आर. तथा एन.आई.टी. की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से राज्य-वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इन पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इन संस्थानों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने XIवीं योजनावधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 8 भारतीय प्रबंध संस्थान, 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

चयनित स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:

आईआईटी: पटना (बिहार), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), राजस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा), रोपड़ (पंजाब), गांधीनगर (गुजरात), मंडी (हिमाचल प्रदेश) और इंदौर (मध्य प्रदेश)।

आईआईएम: शिलांग (मेघालय), रायपुर (छत्तीसगढ़), रोहतक (हरियाणा), रांची (झारखंड), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा राजस्थान।

आईआईएसईआर: कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और तिरूवनंतपुरम।

एनआईटी: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, पुडुचेरी, दिल्ली, उत्तरांचल और सिक्किम। विशिष्ट स्थान का चयन नहीं किया गया है।

(ग) XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, संस्थाओं को निधियों का आवंटन इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	निधियों का आवंटन
1.	आईआईटी	2000.00
2.	आईआईएम	600.00
3.	एनआईटी	500.00
4.	आईआईआईटी	600.00
5.	आईआईएसईआर	2000.00

(घ) से (च) विभिन्न राज्य सरकारों से इन संस्थाओं को अपने राज्यों में स्थापित करने के अनुरोध बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों के आधार पर और क्षेत्रीय असंतुलनों को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया था। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, गुजरारत, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें से छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने शैक्षिक सत्र 2008-09 से कार्य करना शुरू कर दिया है और शेष मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश के संस्थान 2009-10 से अपना शैक्षिक सत्र शुरू कर देंगे। पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरूवनंतपुरम और कोलकाता के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों ने कार्यकरण शुरू कर दिया है। भारतीय प्रबंध संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक 9.6. 2009 को आयोजित हुई थी। शिलांग में एक भारतीय प्रबंध संस्थान ने कार्य करना शुरू कर दिया है। शेष चार भारतीय प्रबंध संस्थानों को प्रथम चरण में छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में अधिकांशत: सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर बीस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने हैं।

[हिन्दी]

निजी सुरक्षा कर्मियों/गार्डों का शोषण

1138. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी सुरक्षा सेवा कंपनियां सुरक्षा कर्मियों तथा सुरक्षा गार्डों का खुले रूप से शोषण कर रही है तथा इन कर्मियों एवं गार्डों की भविष्य निधि (पी.एफ.), कर्मचारी राज्य बीमा (ई. एस.आई.) संबंधी अनियमितताओं में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्हें श्रम एवं सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है;

(ग) चूक करने वाली इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इन कंपनियों के प्रति कंपनी-वार उपदान राशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) निजी सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमाा अंशदान तथा भविष्य निधि बकायों के नियमित भुगतान में चूक के कुछ मामले पाए गए हैं। चूककर्ता नियोक्ताओं के ब्यौरे तथा तथा गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष संबंधी बकाया भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा बकायों के ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत ऐसे चूककर्ताओं के विरुद्ध जबरी वसूली, कारण बताओ नोटिस जारी करने, न्यायालय में अभियोजन शुरू करने की कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जाती है जिसमें बकायों के मूल्यांकन हेतु जांच शुरू करना, अभियोजन दर्ज कराना, ब्याज एवं क्षतिपूर्ति लगाने, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के तहत कर्मचारी के हिस्से के अंशदान जमा न किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराना आदि शामिल हैं।

उपदान के संबंध में अधिकांश निजी सुरक्षा सेवा प्रदाता राज्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अत: उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार समुचित सरकार है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भविष्य निधि देयों को नियमित रूप से जमा न करने वाले निजी सुरक्षा सेवा प्रतिष्ठानों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	प्रतिष्ठानों की संख्या	चूक गई राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	दिल्ली	2006-07- 32	2006-07- 0.83

1	2	3	4
		2007-08- 31	2007-08- 8.16
		2008-09- 28	2008-09- 4.68
		2009-10- 20	2009-10- 40.89
2.	उत्तराखंड	2006-07- 02	2006-07- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
		2007-08- 01	2007-08- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
		2008-09- 03	2008-09- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
		2009-10- शून्य	2009-10- शून्य
3.	महाराष्ट्र	2006-07- 16	2006-07- 49.99
		2007-08- 26	2007-08- 10.56
		2008-09- 50	2008-09- 45.20
		2009-10- शून्य	2009-10- 27067 (बकाया राशि पिछले वर्षों से संबंधित है)
4.	छत्तीसगढ़	2006-07- 2	2006-07- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
		2007-08- 2	2007-08- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
		2008-09- 2	2008-09- 0.36
		2009-10- शून्य	2009-10- शून्य
5.	कर्नाटक	2006-07- 41	2006-07- 11.59
		2007-08- 29	2007-08- 45.34
		2008-09- 23	2008-09- 38.67
		2009-10- 12	2009-10- 00.90
6.	गोवा	2006-07- 09	2006-07- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
		2007-08- 09	2007-08- 0.10
		2008-09- 16	2008-09- 0.60
		2009-10- 01	2009-10- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
7.	आंध्र प्रदेश	2006-07- 21	2006-07- 5.03
		2007-08- 28	2007-08- 38.25
		2008-09- 13	2008-09- 33.29
		2009-10- 06	2009-10- 24.02

1	2	3	4
8.	उड़ीसा	2006-07- 42	2006-07- 3.25
		2007-08- 10	2007-08- 0.48
		2008-09- 09	2008-09- 29.06
		2009-10- 03	2009-10- (मूल्यांकनाधीन)
9.	गुजरात	2006-07- 10	2006-07- 12.16
		2007-08- 20	2007-08- 246.39
		2008-09- 36	2008-09- 312.12
		2009-10- 18	2009-10- 2.68
10.	मध्य प्रदेश	2006-07- 07	2006-07- 4.54
		2007-08- 16	2007-08- शून्य (बकाया राशि वसूल की गई)
		2008-09- 09	2008-09- 1.48
		2009-10- 05	2009-10- 0.26
11.	हरियाणा	2006-07- 17	2006-07- 10.21
		2007-08- 18	2007-08- 2.68
		2008-09- 18	2008-09- 371.98
		2009-10- 00	2009-10- शून्य
12.	राजस्थान	2006-07- 08	2006-07- 59.90
		2007-08- 18	2007-08- 0.02
		2008-09- 24	2008-09- 15.44
		2009-10- 04	2009-10- 0.31
13.	पश्चिम बंगाल	2006-07- 16	2006-07- शून्य (मूल्यांकनाधीन)
		2007-08- 24	2007-08- 0.15
		2008-09- 24	2008-09- 132.47
		2009-10- 08	2009-10- 31.47
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	2006-07- शून्य	2006-07- शून्य
		2007-08- शून्य	2007-08- शून्य
		2008-09- शून्य	2008-09- शून्य
		2009-10- शून्य	2009-10- शून्य

1	2	3	4
15.	झारखंड	2006-07- 01	2006-07- शून्य (मूल्यांकनाधीन)
		2007-08- 01	2007-08- शून्य (मूल्यांकनाधीन)
		2008-09- 04	2008-09- 12.72
		2009-10- शून्य	2009-10- शून्य
16.	तमिलनाडु	2006-07- 38	2006-07- 10.60
		2007-08- 44	2007-08- 09.95
		2008-09- 69	2008-09- 20.55
		2009-10- 15	2009-10- 15.85
17.	केरल	2006-07- 02	2006-07- 01.92
		2007-08- 02	2007-08- 51.77
		2008-09- 14	2008-09- 122.11
		2009-10- 03	2009-10- 35.06
18.	उत्तर प्रदेश	2006-07- 20	2006-07- 1.63
		2007-08- 15	2007-08- 9.40
		2008-09- 17	2008-09- 77.00
		2009-10- 09	2009-10- 0.62
19.	बिहार	2006-07 से	2006-07- (मूल्यांकनाधीन)
		2008-09- 04	2007-08- (मूल्यांकनाधीन)
		2009-10- 05	2008-09- (मूल्यांकनाधीन)
			2009-10- (मूल्यांकनाधीन)
20.	पंजाब	2006-07- 28	2006-07- 0.36
		2007-08- 20	2007-08- 0.05
		2008-09- 37	2008-09- 8.20
		2009-10- 20	2009-10- 01.48
21.	हिमाचल प्रदेश	पिछले चार वर्षों के दौरान कोई शिकायत नहीं	पिछले चार वर्षों के दौरान शून्य सूचना

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा देयों को नियमित रूप से जमा न कराने वाले निजी सुरक्षा सेवा प्रतिष्ठानों के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्रम संख्या	क्षेत्र/उप क्षेत्रीय कार्यालय	चूककर्ता नियोक्ताओं की संख्या				बकाया देयों के ब्यौरे (लाख रुपयों में)			
		2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19	159	156	108	9.79	26.22	29.48	36.69
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	औरंगाबाद	3	शून्य	शून्य	शून्य	6.14	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बड़ौदा	20	14	7	5	19.58	10.93	7.68	5.14
5.	बैरकपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	चैन्नई	शून्य	56	26	47	शून्य	33.58	19.02	21.4
8.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	कोयम्बटूर	शून्य	1	5	3	शून्य	0.002	1.59	2.68
10.	उत्तराखंड	शून्य	8	5	3	शून्य	10.36	5.29	2.67
11.	दिल्ली	शून्य	2	4	4	शून्य	0.29	3.79	7.24
12.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	हरियाणा	शून्य	11	18	27	शून्य	1.94	3.38	9.13
16.	हुबली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	0.12	शून्य
18.	झारखंड	2	4	10	शून्य	12.14	1.36	17.75	शून्य
19.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	कोल्लम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	लुधियाना	शून्य	9	शून्य	शून्य	शून्य	2.84	शून्य	शून्य
23.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	मदुरै	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	मरोल	शून्य	20	16	14	शून्य	2.63	2.4	2.36
26.	मुम्बई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	नागपुर	3	4	2	3	0.73	9.31	5.82	14.88
28.	नोएडा	3	28	9	7	2.79	6.75	4.18	20.05
29.	उड़ीसा	7	4	2	19	3.11	2.09	1.09	10.78
30.	पुडुचेरी	2	2	3	4	9.82	0.36	8.59	4.94
31.	पुणे	5	5	8	12	10.83	1.41	3.96	6.04
32.	पंजाब	7	18	23	20	16.91	46.7	25.34	50.44
33.	राजस्थान	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	27.74	शून्य
34.	रोहिणी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	सूरत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
36.	थाणे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
37.	तिरूनेलवेल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	14	शून्य	शून्य	शून्य	0.14
38.	उत्तर प्रदेश	शून्य	22	28	37	शून्य	0.1	2.34	3.94
39.	वाराणसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40.	विजयवाड़ा	4	2	5	3	उपलब्ध नहीं	1.28	4.25	5.76
41.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
42.	उदयपुर	1	शून्य	शून्य	शून्य	0.86	शून्य	शून्य	शून्य
43.	पीन्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
44.	विशाखापत्तनम	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	2.73	9.35
45.	बिन्नीपेट (कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
46.	नंदनगरी	19	शून्य	शून्य	शून्य	19.73	शून्य	शून्य	शून्य
47.	अम्बाला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

घरेलू नौकरों तथा बच्चों पर अत्याचार

1139. श्रीमती ऊषा वर्मा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा घरेलू नौकरों तथा बच्चों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू नौकरों के रूप में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया है। अधिनियम के तहत निषिद्ध व्यवसाय और प्रक्रम में बच्चों को नियोजित करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000/- रुपये से 20,000/- रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। राज्य सरकारें अपने अधिकार-क्षेत्र में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु समुचित सरकारें हैं।

[अनुवाद]

अप्रयुक्त लवण भूमि का उपयोग

1140. श्री टी.आर. बालू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अप्रयुक्त लवण भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों की कई विकास परियोजनाएं लवण भूमि के आवंटन में विलंब के कारण रुकी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) ब्यौरा निम्नवत है:

(i) बृहत मुम्बई, महाराष्ट्र में 5378 एकड़ लवण भूमि को सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए पहचाना गया है तथा इसे शहरी विकास मंत्रालय को स्थानांतरित करने के आदेश दे दिये गये हैं। इनमें से 979 एकड़ भूमि को विकासात्मक प्रयोजनों के लिए केन्द्र तथा राज्य की विभिन्न एजेंसियों को सौंपा/स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मुंबई एवं इसके उपनगरों में उपलब्ध विकास योग्य 1648 एकड़ भूमि को समान रूप से भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के बीच बांट दिया जाएगा। तथापि, भारत सरकार एवं निजी पक्षों/पट्टेदारों के बीच स्वामित्व विवादों, पट्टे की समाप्ति होने आदि के कारण विभिन्न न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं।

(ii) तमिलनाडु में थिरूवाल्लुर एवं कांचीपुरम जिले में लगभग 6100 एकड़ भूमि की पहचान, अवसंरचना परियोजना हाथ में लेने के लिए केंद्रीय एवं राज्य की एजेंसिसों को स्थानांतरित करने के लिए की गई है। जिसमें से लगभग 4915 एकड़ भूमि को विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया गया है।

(iii) आंध्र प्रदेश में, केन्द्र सरकार ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया है कि कृष्णापट्टनम पत्तन के विकास के लिए नेल्लोर जिले में लगभग 775 एकड़ नमक भूमि को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को स्थानांतरित किया जाए।

(iv) नमक भूमि के स्थानांतरण के लिए विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों से अनुरोध के प्राप्त होने पर, उचित प्रक्रिया को अपनाकर तथा समग्र राष्ट्रीय हित एवं भारत के नमक उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उन पर कार्रवाई की जाती है।

नि:शक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा

1141. श्री हरिन पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'नि:शक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा' (आई.ई.डी.सी.) योजना को प्रतिस्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माध्यमिक स्तर पर नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) की नई योजना में केवल 14 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे ही शामिल हैं तथा 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चे शामिल नहीं हैं जो कि आई.ई.डी. सी. का कवरेज क्षेत्र था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा शारीरिक रूप से विकलांग उन बच्चों का हित साधन कैसे होगा जिन्हें नई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी हां। विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसके तहत 16-18 आयु समूह के विकलांग बच्चे शामिल किए जाते हैं, के स्थान पर 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा' नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2009-10 से लागू की जा रही है। ''सर्व शिक्षा अभियान'' नामक योजना के तहत

प्रारंभिक स्तर (6-14 वर्ष) पर विकलांग बच्चों को शामिल किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर 'विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा' नामक नई योजना का आशय समेकित तथा उचित वातावरण में चार वर्षीय माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12) पूरी करने हेतु सक्षम बनाना है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

1142. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न देशों को वर्ष-वार तथा देश-वार लौह अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यात नीति की समीक्षा करने का है ताकि राष्ट्र हित में लौह अयस्क के भंडार को सुरक्षित रखा जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और चालू वर्ष 2009-10 (अप्रैल-मई 2009) के दौरान विभिन्न देशों को निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख टन में)

देश	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (अप्रैल-मई) (अनंतिम)
चीन	801.60	919.82	978.48	177.27
जापान	86.32	77.03	54.29	13.23
दक्षिण कोरिया	19.08	17.63	9.86	2.06
यूरोप	20.69	16.18	7.55	1.58
अन्य	10.21	12.04	8.47	0.84
कुल	937.90	1042.70	1058.65	194.98

स्रोत: गोवा खनिज अयस्क निर्यातक एसोसिएशन (जी एम ओ ई ए), कुद्रेमुख लौह अयस्क कं.लि. (के आई ओ सी एल), एम.एम टी सी लि.

(ख) से (घ) इस समय लौह अयस्क निर्यात नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत के पास लौह अयस्क के पर्याप्त संसाधन हैं। दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 25.25 बिलियन टन संसाधन होने का अनुमान है जिसमें 14.63 बिलियन टन हैमेटाइट और 10.619 बिलियन टन मैग्नेटाइट शामिल हैं और इनकी मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योगों की मांग से काफी अधिक है और बेशी लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मौजूदा लौह अयस्क निर्यात नीति द्वारा घरेलू प्रयोजनों के लिए लौह अयस्क के विवेकपूर्ण उपयोग तथा बेशी मात्रा के निर्यात का विनियमन एवं संवर्धन किया जाता है।

[अनुवाद]

यूजीसी और एआईसीटीई को समाप्त करना

1143. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री संजय निरूपम:
श्री प्रबोध पांडा:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री हुकमदेव नारायण सिंह यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा सुधार संबंधी प्रो. यशपाल समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) आदि सभी विनियामक निकायों को निरस्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने देश में सम्पूर्ण उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक शीर्ष विनियामक की स्थापना की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) उच्चतर शिक्षा के नवीकरण तथा सुदृढ़ीकरण से संबंधित (यशपाल समिति) ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद और दूरस्थ शिक्षा परिषद को मिलाकर संवैधानिक दर्जा प्राप्त समग्र राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान (एन.सी. एच.ई.आर.) आयोग का गठन करने तथा व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करने के लिए इन परिषदों द्वारा किए जा रहे शैक्षिक कार्यों को उसे सौंपने की सिफारिश की है। इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों को सभी पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन कार्यक्रमों की अकादमिक विषयवस्तु के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र शीर्ष निकाय की आवश्यकता को अपने प्राथमिकता वाले कार्य के रूप में स्वीकार कर लिया है।

निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयां

1144. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक सरकारी क्षेत्र में स्थापित निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) विकास आयुक्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पांच कार्यात्मक निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई ओ यू) की स्थापना की गई है, जिनमें से एक उड़ीसा में, दो तमिलनाडु में तथा दो कर्नाटक में हैं। केन्द्र सरकार ई ओ यू की स्थापना नहीं करती है। इकाइयों की स्थापना सामान्यत: सरकार के अनुमोदन से अलग-अलग उद्यमियों/नैगमिक निकायों द्वारा की जाती है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्य

1145. श्री अर्जुन चरण सेठी:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों एवं जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदर्श स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना कर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों तथा जिलों का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं योजना के दौरान इसके लिए राज्य-वार कितना आबंटन एवं व्यय किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हाँ। सरकार ने वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे 374 जिलों को अभिनिर्धारित किया है जहां उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) के दौरान इस प्रकार के प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज स्थापित करने के लिए 782 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिनके सम्बंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

जहां तक विद्यालयों का संबंध है, केन्द्र सरकार ने देश के 6,000 ब्लॉकों में से प्रत्येक में उत्कृष्टता के बैंचमार्क के रूप में एक मॉडल विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 12,750 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और वित्त वर्ष 2009-10 के बजट में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत कोई निधियां जारी नहीं की गई है।

शैक्षिक संस्थानों में अधिकरणों का गठन

1146. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों और प्राधिकारियों के बीच विवादों के समाधान के लिए शैक्षिक संस्थानों में अधिकरणों का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारणों का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके शैक्षिक अधिकरण स्थापित करने का एक विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। हालांकि अपेक्षित परामर्श जिसमें राज्य शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, इस समय कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन

1147. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागान कामगारों को वित्तीय सहायता और सामाजिक लाभ प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बागान श्रम अधिनियम, 1951 में समुचित संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) चाय बागानों में कार्यरत श्रमिक बागान श्रमबल का बड़ा हिस्सा हैं। 11वीं योजना में यथाअनुमोदित चाय बोर्ड संबंधी मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत, चाय बागान श्रमिकों और उनके आश्रितों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के मुख्य लक्ष्य हैं:

(1) श्रमिकों का स्वास्थ्य बेहतर बनाना;

(2) श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दिलाना;

(3) चाय उत्पादकों/श्रमिकों और बागान प्रबंधकीय स्टाफ आदि को कौशल संवर्धन हेतु प्रशिक्षण हेना।

स्वास्थ्य के मामले में, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, चाय बागान मजदूरों के लिए सफाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और भवन निर्माण तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान देकर स्वास्थ्य केन्द्रों/क्लिनिकों/अस्पतालों के संवर्धन का प्रावधान है।

शिक्षा के मामले में, चाय बागान श्रमिकों के प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तथा उच्चतर और पेशेवर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत बच्चों के लिए, शैक्षिक वजीफे/नेहरू पुरस्कारों/पुस्तकों और यूनिफॉर्म अनुदानों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना स्कीम के तहत कॉफी बोर्ड, श्रमिकों और छोटे उत्पादकों के बच्चों को शैक्षिक वजीफा/प्रतिभा पुरस्कार देता है और उन्हें पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए सहायता देता है।

उक्त उपाय बागान श्रम अधिनियम, 1951 के तहत निर्धारित और राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित कल्याणकारी उपायों के अतिरिक्त हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2008 राज्य सभा में 21.10.2008 को पुर:स्थापित किया गया है।

बागान श्रम (संसोधन) विधेयक, 2008 में अन्य बातों के साथ-साथ, "परिवार" "नियोक्ता" और "श्रमिक" की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि इन परिभाषाओं को व्यापक बनाया जा सके। बागानों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक नये अध्याय का प्रस्ताव भी किया गया है। बागानों में बाल श्रम का निषेध, दांडिक उपायों को अधिक कड़ा करना, अधिनियम के तहत सदिच्छा से की गई कार्रवाई का संरक्षण तथा राज्य सरकारों को नियम बनाने की अनुमति देना बागान श्रम (संसोधन) विधेयक, 2008 की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें हैं।

घरेलू उद्योगों पर आर्थिक मंदी का प्रभाव

1148. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू उद्योगों और अन्य देशों, विशेषकर अमरीका, यूरोप और चीन के साथ हुए व्यापार समझौतों पर विद्यमान आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत का अमरीका से कोई व्यापार समझौता नहीं है। (i) भारत एवं यूरोपीय

संघ तथा (ii) भारत एवं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) जिसमें आईलैंड, नार्वे तथा स्वीटजरलैंड एवं लिचटेंस्टाईन के उत्पाद शुल्क संघ शामिल हैं, के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता (बीआईटीए) हेतु वार्ता चल रही है। एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए) के तहत भारत, चीन के साथ भी कार्यरत है। तथापि, एपीटीए के तहत सीमत व्यापार होता है। व्यापार समझौते के प्रभाव का मूल्यांकन हमेशा ऐसी वार्ताओं के प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता है। तथापि, भारत के व्यापार समझौतों एवं घरेलू उद्योग पर हाल की आर्थिक मंदी का कोई विशिष्ट प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) विश्व मंदी के प्रभाव से घरेलू उद्योग को बचाने तथा घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय/पहले की गई हैं।

घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं-**यथा मूल्य सेनवेट** शुल्क में काफी कमी, पहुंच योग्य आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन देना तथा क्षेत्र विशिष्ट पहलें। आटोमोबाइल क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक वाहनों पर 50 प्रतिशत के त्वरित मूल्यह्रास की घोषण की गई थी तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत राज्यों को शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु सहायता प्रदान की गई थी।

इसके अलावा **एमएसएमई** क्षेत्र को निधियों के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए विविध उपायों की घोषणा की गई थी।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में अभिज्ञात श्रमिक सघन उद्योगों के लिए शिपमेंट पूर्व तथा उपरांत निर्यात क्रेडिट के लिए 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता, निर्यात सघन योजनाओं के लिए अतिरिक्त आबंटन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन **(ईसीजीसी)** द्वारा गारन्टी प्रदान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियां तथा निर्यात करने योग्य कुछ अभिज्ञात मदों पर शुल्क वापसी के लाभ में वृद्धि करना सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, ऋण की लागत कम करने तथा उद्योग के लिए तरलता (लिक्वडिटी) में सुधार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक उपाय किये हैं जैसे कि रेपो दरों में कमी, विपरीत (रिवर्स) रेपो दरें, नकद आरक्षण अनुपात आदि।

स्वर्ण और हीरा खानों के कामगारों का कल्याण

1149. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वर्ण और हीरा खानों में नियोजित कामगारों के कल्याण के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) खासकर स्वर्ण तथा हीरा खानों में नियोजित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाएं तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्वर्ण और हीरा खानों में नियोजित कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का प्रावधान है, जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं करने की सिफारिश करेंगे।

असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों को 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष स्मार्ट कार्ड आधारित नकदरहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए, 1 अक्तूबर, 2007 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारंभ की गयी थी। यह योजना 01.04.2008 से प्रचालन में आयी थी।

18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु तथा विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए, सरकार ने ''आम आदमी बीमा योजना'' प्रारंभ की है।

प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति

1150. श्री जोस के. मणि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा अनुसंधान ग्रहण करने के इच्छुक अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हाँ।

(ख) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 29.11.2007 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति भारत में किसी सरकारी अथवा प्राइवेट उच्च माध्यमिक विद्यालय/ कॉलेज/विश्वविद्यालय जिनमें सरकार द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं तथा संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासनों द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित एवं अधिसूचित पात्र प्राइवेट संस्थाएं शामिल हैं, में अध्ययन करने हेतु

प्रदान की जाती है। उन अध्येताओं को जिन्हें किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा अन्य प्राधिकरण से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उन अध्येताओं में से एम. फिल तथा पी एच डी स्तर पर शोध हेतु छात्रावास में रहने वाले अध्येताओं को 510/- रु. प्रतिमाह और दिवस अध्येताओं हेतु 330/- रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ''योग्यता-व-साधन छात्रवृत्ति योजना'' भी उपलब्ध है ताकि वे व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकें। इस योजना के तहत 20,000 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। इसके तहत छात्रावास में रहने वाले अध्येताओं के लिए 30,000/- रु. प्रतिवर्ष तथा दिवस अध्येताओं के लिए 25,000/- रु. प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

टेलीफोन/इंटरनेट कनेक्शनों का अभ्यर्पण

[हिन्दी]

1151. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारत संचार निगम लिमटेड (बीएसएनएल)/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा लैंडलाइन टेलीफोन/इंटरनेट कनेक्शनों के अभ्यर्पण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अभी तक ऐसे कितने कनेक्शन अभ्यर्पित किए गए हैं एवं इसके क्या कारण है; और

(ग) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों/इंटरनेट कनेक्शनों के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूगता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) बीएसएनएल ने लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर किए जाने के संबंध में मैसर्स आईएमआरबी के माध्यम से एक अध्ययन कराया हैं। तथापि, इंटरनेट कनेक्शनों के संबंध में, बीएसएनएल द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष (31.5.2009 तक) के दौरान सरेंडर किए गए लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 21.35 लाख, 20.74 लाख, 22.08 लाख और 3.42 लाख है।

एमटीएनएल ने भी लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों के सरेंडर की स्थिति की जानकारी लेने और इस पर रोक लगाने के लिए आंतरिक विश्लेषण कार्य किया है। विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष (31.5.2009 तक) के दौरान सरेंडर किए गए लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 2.33 लाख, 2.08 लाख, 1.96 लाख और 0.24 लाख है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल में लैंडलाइन कनेक्शनों के सरेंडर किए जाने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

1. अतिरिक्त टेलीफोनों को सरेंडर किया जाना।
2. मोबाइल फोनों के उपयोग में वृद्धि।
3. कार्यालय/कंपनी का बंद होना।
4. आर्थिक कारण।
5. प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण/अन्य प्रचालकों से टेलीफोन लेना।
6. मोबाइल संचार के माध्यम से तीव्रतर वायरलैस डाटा संचार उपलब्ध होना।
7. सेवा से संतुष्ट नहीं होना।

(ग) लैंडलाइन टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शनों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

1. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात विभिन्न टीवी चैनलों और एफएम रेडियो में विज्ञापन।
2. समाचार पत्र, पत्रिका, स्मारिका के माध्यम से प्रिंट मीडिया में विज्ञापन।
3. विभिन्न समारोहों जैसे दिल्ली में स्वास्थ्य मेला का प्रायोजन।
4. संवाददाता सम्मेलनों, जिन्हें विभिन्न मीडिया द्वारा कवर किया जाता है और उनका समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, रेडियो, विज्ञापन वाले पर्चों आदि में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, में नई सेवाओं और आकर्षक प्रशुल्क की शुरूआत करना।
5. बीएसएनएल/एमटीएनएल की सेवाओं, जन शिकायत निवारण तंत्रों, लोक अदालतों आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेस को समय-समय पर प्रेस रिलीज़ जारी किए जाते हैं।
6. विपणन कार्य-दल/उपभोक्ताओं को उनके परिसर में सेवा प्रदान करने वाले दल का गठन करना।

7. उपभोक्ता के साथ पूर्ण सक्रियतापूर्वक संबंध बनाए रखने और उनको उत्पादों तथा सेवाओं के विक्रय हेतु आउट बाउंड कॉल सेंटर की स्थापना।

8. लैंडलाइन कनेक्शन पर ब्रॉडबैंड, आईपीटीवी और वीओआईपी सेवाएं शुरू करना।

9. बिलिंग संबंधी समस्याओं के निपटान में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए एक ही बिल प्रदान करने के लिए सीडीआर आधारित बिलिंग की शुरूआत करना।

10. सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं।

कॉल दरों में कमी

1152. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मोबाइल फोनों पर की गई कॉल सहित स्थानीय, एसटीडी, आईएसडी कॉल दरों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के उपभोक्ताओं की संख्या में गिरावट के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा पेश की गई दरें निजी प्रचालकों के द्वारा पेश किए गए प्रशुल्कों से या तो सस्ती हैं या प्रतिस्पर्धात्मक हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, क्षेत्रीय इकाइयां स्थानीय बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रोत्साहनात्मक प्रशुल्क पेश करने के लिए भी प्राधिकृत हैं। इसके अतिरिक्त, फिक्स्ड लाइन पर समाप्त होने वाली सभी कॉलों के लिए बुनियादी दूरभाषा के तहत अंतर सर्किल पल्स दर को 90/60 सेकंड से बढ़ाकर 120 सेकंड कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 2009 से प्रभार में 50% तक की कमी हुई है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बाजार के रूझानों/स्थितियों के अनुसार अपनी प्रशुल्क योजना के समय-समय पर संशोधन करता रहता है।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में कुल उपभोक्ता आधार (लैंडलाइन+डब्ल्यूएलएल+जीएसएम) निम्नानुसार रहा:

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार
भारत संचार निगम लिमिटेड	3.62 करोड़	4.67 करोड़
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	72.09 लाख	80.54 लाख

भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दोनों में वर्ष 2008.09 के दौरान कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत में निर्मित औषधियों के नाम से नकली औषधियों की चीन से खेप

[अनुवाद]

1153. श्री सुरेश कलमाडी:
श्री अधीर चौधरी:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में निर्मित जाली और नकली औषधियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में ''भारत में निर्मित औषधियां'' बताकर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाइजीरिया के भेषज विनियामक ने भारत में निर्मित लेबल लगी लेकिन वस्तुत: चीन से उत्पादित नकली मलेरिया रोधी औषधियों की खेप बरामद की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चीन की सरकार से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) "मेड इन इण्डिया" लेवल वाली परंतु चीन में निर्मित मलेरियारोधी नकली जैनरिक औषधियों की एक बड़ी खेप का पता लगाकर उसे जब्त करने के बारे में एनएएफडीएसी, नाइजीरियाई सरकारी औषध नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। एनएएफडीएसी की प्रेस विज्ञप्ति की विषय-वस्तु को गंभीरता से लेते हुए चीन के संबंधित प्राधिकारियों के पास इस अनुरोध के साथ कड़ा विरोध दर्ज किया गया था कि ऐसे बेईमान तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

टेलीफोन कनेक्शनों पर लाइसेंस शुल्क

1154. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शनों से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने की योजना को पुन: लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में विभिन्न अन्य स्रोतों से हुए घाटे की क्षति-पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर तार लाइन टेलीफोन सेवाओं के वार्षिक लाइसेंस शुल्क का अधित्याग करने की योजना पर सहमति नहीं जताई है, इसलिए उक्त अधित्याग को अगले आदेशों तक आस्थगित रखा गया है।

(ग) अन्य स्रोतों से हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

केरल में रबड़ पार्क की स्थापना

1155. श्री एंटो एंटोनी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में पाथनमथिट्टा में रन्नी में रबड़ पार्क की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) प्रस्तावित रबड़ पार्क की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गहरे समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा

1156. श्री वैजयंत पांडा:
श्री सुरेश अंगड़ी

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपातकाल में गहरे समुद्र में संकटग्रस्त मछुआरों की सुरक्षा के लिए चेतावनी देने वाला ट्रांसमीटर उपकरण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा तट सहित विभिन्न तटों पर मछुआरों को इन उपकरणों के वितरण की क्या स्थिति है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारत सरकार केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना 'समुद्र मछलीपालन, अवसंरचना और पैदाबार पश्चात ऑपरेशन (पोस्ट हारवैस्ट ऑपरेशन) के विकास' के अंतर्गत वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस), संचार उपस्कर, प्रति-ध्वनिकों और खोज तथा बचाव संकेतक वाली किट को यूनिट लागत के लगभग 75% के बराबर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है ताकि समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पोरबंदर में हब स्टेशन के साथ प्रादेशिक जल सीमा से बाहर भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए जलयान मॉनिटरी प्रणाली (वी एम एस) को लागू करने की पहल की हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा सहित समुद्रवर्ती राज्यों में अपने सामुदायिक सम्पर्क कार्यक्रम के माध्यम से मछुआरों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से प्राप्त आपदा चेतावनी ट्रांसमीटरों के 419 सैट वितरित किए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

1157. श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की हाल ही में की गई सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की शिखा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए अभी तक कुल कितने आयोगों का गठन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में गठित प्रत्येक आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है और उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश राज्य इस तरह की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रो. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में वर्ष 1964 में गठित किए गए राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1966 में प्रस्तुत की थी जिसमें सभी स्तरों पर भारतीय शिक्षा व्यवसायोन्मुख बनाने, प्राथमिक शिक्षा में प्रणाली के व्यापक परिवर्तन की सिफारिश की गई थी। शिक्षा पद्धति के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता हासिल करने, शैक्षिक संरचना और इसकी अवधि में संशोधन, विश्वविद्यालय-पूर्व पाठ्यक्रम के अन्तरण, शिक्षकों के वेतनमानों के कार्यान्वयन, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति को शुरू करने, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षा में सभी को नामांकित करने, सम्बद्ध कॉलेजों का विकास करने, उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने सहित कुछ सिफारिशों को व्यवहार्य रूप से कार्यान्वित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

इझीमाला नौसेना अकादमी की स्थापना

1158. श्री पी. करुणाकरन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इझीमाला नौसेना अकादमी ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अकादमी में अभी तक कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं. और

(घ) इसकी अवसंरचना और सुविधाओं में वृद्धि करने संबंधी भावी योजनाएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षण कार्य चलाने के लिए सभागार, पुस्तकालय एवं अस्पताल, जिनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसी कुछ सुविधाओं को छोड़कर सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं।

(ग) 08 अगस्त, 2005 से अकादमी ने अब तक 08 नौसेना संबंधी जानकारी-पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। नौवां नौसेना संबंधी जानकारी-पाठ्यक्रम चल रहा है। बी. टेक और बी.एस.सी. पाठ्यक्रम 22.06.09 से आरंभ हो चुके हैं।

(घ) 150 कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन की मंजूरी दी गई है और वह निर्माणधीन है।

डाक नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

1159. श्री पी. टी. थॉमस:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक डाकघर को बहुमुखी सेवा प्रदान करने वाले केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर डाक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी कार्य हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित देश में राज्य-वार कितने डाक घरों का उन्नयन किया गया है/किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी हां। विभाग, देश में डाक नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु निरंतर प्रयासरत है।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 3000 शाखा डाकघर एवं 2000 उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किंतु नए पदों के सृजन हेतु वित्तीय अनुमोदन अभी तक प्राप्त न होने के कारण लक्ष्य कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(ग) जी नहीं। इस फिलहाल में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान को रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान जिन डाकघरों का उन्नयन किया गया है, उनकी संख्या वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के लिए क्रमशः 11, 28, एवं 33 है। आंध्र प्रदेश सर्किल का विशेष उल्लेख करते हुए इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक चालू वर्ष का संबंध है डाकघरों का उन्नयन, आवश्यकता आधारित प्रस्तावों के प्राप्त होने, एवं तत्पश्चात् उनका अनुमोदन होने पर, कार्य की मात्रा के औचित्य एवं कार्यबल की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

विवरण

उन डाकघरों का ब्यौरा जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्नयन किया गया

सर्किल	उन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या जिनका उन्नयन विभागीय उपडाकघरों के रूप में किया गया			उन अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों की संख्या जिनका उन्नयन विभागीय उप डाकघरों के रूप में किया गया			उन उप डाकघरों की संख्या जिनका उन्नयन प्रधान डाकघरों में किया गया		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1	5	4	0	0	0	0	0	0
असम	1	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	3	1	1	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	2	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	0	0	5	1	0	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हिमालच प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू व कश्मीर	0	3	0	0	0	0	1	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	0	1	1	0	1	0	0	0	0
केरल	0	0	3	0	2	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	3	0	0	1	0	0	1
महाराष्ट्र	1	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्वोत्तर	0	1	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	2	1	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	1	2	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	5	5	1	2	0	0	1	1
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	0	0	1	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	2	1	0	0	2	0	0	0
कुल	8	23	27	2	5	4	1	1	2

[हिन्दी]

मांस निर्यात

1160. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए मांस की मात्रा और मूल्य का वर्षवार और देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न सामाजिक/धार्मिक संगठनों से उक्त निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न देशों को मांस के निर्यात से संबंधित ब्यौरे www.commerce.gov.in तथा www.dgciskol.nic.in वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी, हाँ। वर्ष 2008 में मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए महाराजा कुमारपाल जीवदया न्यास, मुनोथ हाउस, चेन्नई तथा धाहराज बैद जैन कॉलेज, चेन्नई से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। तथापि भारत से गाय तथा/अथवा बछड़े के मांस का निर्यात प्रतिबंधित है।

सी.डी.एम.ए. नेटवर्क का विस्तार

1161. श्री अधीर चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सी.डी.एम.ए. आधारित नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सेवा विस्तार के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) सरकार की नीति प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष है और प्रचालक सीडीएमए या जीएसएस कोई भी प्रोद्योगिकी चुन सकते हैं। बीएसएनएल में, वर्ष 2009-10 के लिए आधारित डब्ल्यूएलएल उपस्करों की 19.21 लाख लाइनें आपूर्ति/संस्थापन/चालू किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। एमटीएनएल की निकट भविष्य में अपने सीडीएमए नेटवर्क के कोर उपस्कर के विस्तार की कोई योजना नहीं है। तथापि, बेहतर कवरेज़ प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल टावरों और उनकी क्षमताओं का संवर्द्धन एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) देश में बीएसएनएल द्वारा उपर्युक्त क्षमता विस्तार से डब्ल्यूएलएल की कवरेज़ सुदृढ़ होगी जिसके परिणामस्वरूप सेवा में सुधार होगा। एमटीएनएल ने 2009-10 के दौरान मुंबई में डब्ल्यूएलएल के 10 और टावर लगाने की योजना बनाई है।

(घ) बीएसएनएल को 2009-10 के दौरान सीडीएमए डब्ल्यूएलएल उपस्करों की 19.2 लाख लाइनों के प्रमाण पर 349.31 करोड़ रु. खर्च करने की योजना है।

एमटीएनएल मुंबई द्वारा 10 टावरों की वृद्धि इसकी 400,000 लाइनों द्वारा नेटवर्क विस्तार योजना का एक हिस्सा है, जिसकी लागत 122.91 करोड़ रु. है।

सर्व शिक्षा अभियान

1162. योगी आदित्यनाथः
श्री मधु गौड यास्खीः
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) गत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना की कोई समीक्षा की गई है;

(च) यदि हां, तो बिहार सहित इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(छ) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायो-मीट्रिक(फिंगर प्रिंट सिस्टम) का उपयोग करने की योजना बना रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है। वर्ष 1991-2001 के दशक में साक्षरता दर में कुल 12.63% की वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता के संबंध में 14.38% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता में 17% से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए निवेशों में काफी वृद्धि हुई है तथा प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने से प्रौढ़ निरक्षरों के पूल में और कमी आएगी तथा इस प्रकार देश में साक्षरता दर में सुधार होगा।

(ग) देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई राज्यवार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विरण-I में दिय गया है।

(घ) पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित की गई सर्व शिक्षा अभियान की निधियों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की छः माह के आधार पर संयुक्त समीक्षा मिशन के माध्यम से समीक्षा की जाती है। 9वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने व्यापक रूप से यह पाया कि बिहार राज्य में प्रगति की रफ्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(छ) और (ज) ऐसा कोई प्रसाद नहीं है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपस्थिति की किसी बायो मीट्रिक पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है।

विवरण I

31/3/2009 की स्थिति के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचित निष्पादन

क्र.सं.	राज्य का नाम	खोले गए स्कूलों की संख्या	नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या	निर्माण किए गए स्कूल भवन	निर्माण किए गए अतिरिक्त कक्षा कक्ष	प्रदान की गई पेयजल सुविधा	प्रदान की गई संसाधन सुविधा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8786	38086	9163	34335	7483	6279
2.	अरुणाचल प्रदेश	936	5121	1425	2685	1849	600

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	0	0	7132	38539	788	5251
4.	बिहार	28240	160145	4209	72027	11990	26234
5.	छत्तीसगढ़	16397	53148	13723	13213	2155	6129
6.	गोवा	5	169	0	33	188	403
7.	गुजरात	0	0	797	17343	7161	7334
8.	हरियाणा	2301	7874	1579	11738	4351	9235
9.	हिमाचल प्रदेश	1151	3453	0	7671	2261	5043
10.	जम्मू और कश्मीर	11238	27222	4666	4380	410	410
11.	झारखंड	26609	77559	16423	29335	5708	7018
12.	कर्नाटक	10541	21798	3057	34668	21438	24491
13.	केरल	0	0	305	6128	8345	12614
14.	मध्य प्रदेश	41436	78672	36657	41622	17051	26453
15.	महाराष्ट्र	6608	11132	10689	37524	5876	5386
16.	मणिपुर	0	0	457	886	566	1043
17.	मेघालय	3622	8965	1287	1691	2971	850
18.	मिजोरम	310	1407	1182	705	1763	3307
19.	नागालैंड	56	0	143	2572	1179	2718
20.	उड़ीसा	13289	68752	10359	25986	5123	5590
21.	पंजाब	1233	2905	534	16733	16733	18572
22.	राजस्थान	46026	85633	8340	64699	18010	22669
23.	सिक्किम	84	185	56	329	478	674
24.	तमिलनाडु	5977	25473	5254	23066	11531	16103
25.	त्रिपुरा	1320	3902	1341	1606	1184	1974
26.	उत्तर प्रदेश	41662	240157	47423	224429	7999	8346
27	उत्तराखंड	2307	5998	2709	4237	5027	6045
28.	पश्चिम बंगाल	1385	57460	4066	79936	8127	11488
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10	67	0	56	11	13
30.	चंडीगढ़	18	748	7	66	0	0
31.	दादरा नगर हवेली	86	363	10	96	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	8	63	11	11	36	47
33.	दिल्ली	6	20	6	1063	68	450
34.	लक्षद्वीप	8	4	0			
35.	पाण्डिचेरी	8	12	0	166	118	118
	कुल	271663	986493	193010	799574	177982	242891

विवरण-II

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 20078-09 और 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियाँ

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2008-10 30-6-2009 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	37999.00	46245.56	28100.00	71031.78	13569.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	4442.51	7143.74	11043.55	13683.64	4117.0
3.	असम	13850.00	51464.72	28903.62	42740.91	22480.0
4.	बिहार	32399.56	107744.39	135417.64	186158.47	0.0
5.	छत्तीसगढ़	30184.39	50182.20	46787.76	51853.86	21892.6
6.	गोवा	728.12	724.12	899.57	804.41	0.0
7.	गुजरात	15084.84	14806.97	22658.26	25432.47	0.0
8.	हरियाणा	10196.55	25647.12	14220.00	20546.87	0.0
9.	हिमाचल प्रदेश	7614.66	6250.75	7638.30	8552.99	3286.0
10.	जम्मू और कश्मीर	18530.65	22083.37	20063.27	20532.59	0.0
11.	झारखंड	28568.50	51515.00	80748.99	69041.09	0.0
12.	कर्नाटक	28303.78	54206.98	40604.78	51578.19	12536.6
13.	केरल	5939.00	6382.00	8323.42	10854.04	6039.5
14.	मध्य प्रदेश	77173.12	110879.68	86769.94	85569.35	56719.0

1	2	3	4	5	6	7
15.	महाराष्ट्र	50235.31	52158.56	45729.96	67386.02	18023.0
16.	मणिपुर	3208.44	9.24	1850.95	321.21	0.0
17.	मेघालय	1921.00	4294.00	9359.63	9440.36	3383.0
18.	मिजोरम	2559.15	3441.69	4212.02	5112.59	2645.0
19.	नागालैंड	2323.01	2315.20	4596.00	2867.87	1413.0
20.	उड़ीसा	32792.50	44010.95	62853.68	49080.9	15903.0
21.	पंजाब	14683.89	12879.92	10493.88	13808.1	7524.0
22.	राजस्थान	60313.43	75809.82	101307.20	108326.8	42823.0
23.	सिक्किम	1062.50	402.14	1036.25	1075.31	986.0
24.	तमिलनाडु	35329.53	37329.65	53125.09	45414.47	21325.0
25.	त्रिपुरा	7070.19	5330.01	4178.49	6464.12	4273.0
26.	उत्तर प्रदेश	182799.00	206654.00	204758.00	212884.89	78448.3
27	उत्तरांचल	10004.00	16934.00	13162.80	11444.45	5391.8
28.	पश्चिम बंगाल	34199.79	61736.80	90571.68	65169.37	47842.0
29.	अंडमान निकोबार आईलैंड	163.00	419.62	187.10	780.84	119.0
20.	चंडीगढ़	350.00	300.00	934.95	820.52	126.0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	100.00	418.54	104.63	15.0
32.	दमन और दीव	111.91				69.0
33.	दिल्ली	1100.00	4230.24	1671.55	1529.01	1163.0
34.	लक्षद्वीप	0.00	87.47		70	41.0
35.	पुडुचेरी	529.40		577.07	638.59	273.9
	कुल	751770.73	1083719.91	1143203.94	1261120.41	392427.6
36.	राष्ट्रीय घटक	952.00	1115.04	1328.58	1459.41	13.0
	कुल	752722.73	1084834.95	1144532.52	1262579.82	392440.7

[अनुवाद]

युवाओं में कौशल का विकास

1163. डॉ. के.एस. राव: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने के मद्देनजर इसकी समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सरकारी नीति भागीदारी मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र विशेष कौशल विकास परिषदों की स्थापना के संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार करने हेतु कार्यसाध क साक्षरता को बढ़ावा देने, कौशल विकास योजनाओं को आरंभ करने, सक्षमता मानदंडों को निर्धारित करने और एक सुव्यवस्थित श्रम बाजार सूचना प्रणाली को स्थापित करने हेतु क्षेत्र विशेष कौशल विकास परिषदों के लिए विशेष वित्तपोषण तंत्र का सृजन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) सरकार ने शिक्षा की रोजगारोन्मुख पद्धति को महत्व दिया है। शिक्षा के सार एवं भूमिका का विस्तार से वर्णन करते हुए, राष्ट्रीय शिखा नीति (एनपीई), 1986 (1992 में यथासंशोधित) ने यह माना है कि शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों हेतु जनशक्ति को तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यावसायिक शिक्षा के योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित तथा पुरजोर रूप से कार्यान्वित कार्यक्रमों को आरंभ करने की भी परिकल्पना की गई है। इन घटकों का आशय विद्यार्थियों के मध्य कार्य एवं जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, प्रत्येक व्यक्ति की रोजगारपरकता में वृद्धि करना, कुशल जनशक्ति की माँग एवं पूर्ति के मध्य असंगतता को कम करना तथा किसी विशेष रुचि एवं उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इरादा रखने वालों को एक विकल्प प्रदान करना है। नीति में यह परिकल्पना की गई है कि बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ऐसे मूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे जोकि उनके अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े होंगे तथा जोकि व्यवसाय विशिष्ट न हों।

राष्ट्रीय रोजगार नीति में चुनिंदा क्षेत्रों में डिग्री को रोजगार से असंयोजित करने की भी परिकल्पना की गई है। असंयोजन ऐसी सेवाओं के लिए लागू किया जाएगा, जिनके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक अर्हता न हो।

तथापि, सरकार बुनियादी विज्ञान एवं मानविकी जोकि हमारे सम्पूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के आधार है, की कीमत पर कौशल, रोजगार, निगमित तथा रोजगारोन्मुख शिक्षा पर अत्यधिक बल देने के पक्ष में नहीं है।

(ग) भारतीय उद्योग परिसंघ ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

- स्वतंत्र स्वायत्त विकाय के रूप में क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एस एस सी) की स्थापना करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रतिमान के तहत एस एस सी की स्थापना करना; गुणवत्ता कुशल जनशक्ति की गई क्षमता का सृजन करना।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) एसएससी की सिफारिशों पर निजी प्रशिक्षण संस्थानों को प्रत्यापित करेगा।
- उद्योग की माँग एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के आधार पर निजी प्रशिक्षण संस्थानाओं की पाठ्यचर्या का उन्नयन किया जाए।
- एसएससी तथा नए निजी प्रशिक्षण संस्थानों के निधिकरण का दायित्व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का होगा जो कि राष्ट्रीय कौशल विकास निधि से निधियों का आहरण कर सकता है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, देश में कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु एक मार्गदर्शी दस्तावेज है। नीति दस्तावेज में "राष्ट्रीय कौशल विकास का नियंत्रण" के अंतर्गत "राष्ट्रीय कौशल विकास निगम" की स्थापना का उल्लेख है। क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एस एस सी) की स्थापना का दायित्व उपर्युक्त निगम को सौंपा गया हैं कौशल विकास योजनाओं को विकसित करना, सक्षमता मानकों का निर्धारण करना तथा संरचनात्मक श्रम बाजार सूचना प्रणाली की स्थापना करना एस एस सी के कार्यों में से एक है।

[हिन्दी]

बेघर और भूमिहीन मजदूर/कामगार

1164. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने क कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय बेघर और भूमिहीन मजदूरों/कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उनकी स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा इसमें कितनी सफलता मिली है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में कृषि कामगारों की संख्या 10.67 करोड़ है। भूमिहीन कृषि कामगारों के राज्यवार आंकड़े को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय शुरु किए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधि नियम, 1923; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 इन कामगारों पर अनुप्रयोज्य हैं। सरकार भूमिहीन श्रमिकों सहित ग्रामीण निर्धनों की दशाओं में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ऐसी कुछ योजनाएं हैं-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना; सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को हाल ही में लागू किया है जिसके तहत ऐसे प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से शारीरिक काम करना चाहें।

असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 1 अक्तूबर, 2007 से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरु की गई है। योजनांतर्गत, असंगठित कामगार और उसके परिवार (पांच की इकाई) को कवर किया जाएगा। प्रति परिवार प्रतिवर्ष कुल बीमित राशि परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपए होगी।

ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु और अशक्तता की स्थिति में कवर देने के लिए 02 अक्तूबर, 2007 से "आम आदमी बीमा योजना" शुरु की गई है। योजनांतर्गत, परिवार के मुखिया या एक अर्जक सदस्य का बीमा किया जाएगा। केंद्र सरकार 200/- रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के प्रीमियम का 50% वहन करेगी तथा शेष 50% राज्य सरकार वहन करेगी। योजनांतर्गत, स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/- रुपए और दुर्घटनाजनित मृत्यु के मामले में 75,000/- रुपए के लाभ दिए गए हैं। दुर्घटना के कारण आंशिक अशक्तता के मामले में, बीमा कवर 37,500/- रुपए का होगा। शिक्षा सहयोग योजना के तहत, आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों के कक्षा 12 में अध्ययनरत बच्चे प्रति संतान प्रति तिमाही, अधिकतम 4 वर्षों के लिए, 300/- रुपए की छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

इसी प्रकार, 19.11.2007 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं) का विस्तार कर इसमें 65 वर्ष से अधिक उम्र के गरीबी रेखा से नीचे के सभी नागरिकों को शामिल किया गया है।

बेघरों और भूमिहीन कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया हैं। अधिनियम में, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का प्रावधान है जो असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण की सिफारिश करेंगे।

अन्य कल्याण योजनाएं भूमिहीन श्रमिकों सहित विभिन्न कामगारों की श्रेणियों के लिए हैं और उन्हें अलग-अलग श्रेणी नहीं माना गया है किंतु "आम आदमी बीमा योजना" मुख्यत: ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए हैं। आम आदमी बीमा योजना के तहत राज्यवार तथा वर्षवार कवरेज को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(स्रोत जनगणना 2001)

देश में भूमिहीन कृषि कामगारों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13832152
2.	अरुणाचल प्रदेश	18840
3.	असम	1263532
4.	बिहार	13417744
5.	छत्तीसगढ़	3091358
6.	गोवा	5161658
7.	गुजरात	5161658
8.	हरियाणा	1278821
9.	हिमाचल प्रदेश	94171
10.	जम्मू और कश्मीर	246421
11.	झारखंड	2851297
12.	कर्नाटक	6226942
13.	केरल	1620851
14.	मध्य प्रदेश	7400670

1	2	3
15.	महाराष्ट्र	10815262
16.	मणिपुर	113630
17.	मेघालय	171694
18.	मिजोरम	26783
19.	नागालैंड	30907
20.	उड़ीसा	4999104
21.	पंजाब	1489861
22.	राजस्थान	2523719
23.	सिक्किम	17000
24.	तमिलनाडु	8637630
25.	त्रिपुरा	276132
26.	उत्तर प्रदेश	13400911
27.	उत्तरांचल	259683
28.	पश्चिम बंगाल	7362957
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5169
30.	चण्डीगढ़	563
31.	दादरा और नगर हवेली	14715
32.	दमन और दीव	1323
33.	दिल्ली	15773
34.	लक्षद्वीप	00
35.	पुडुचेरी	72251
	कुल	106775330

*नोट: भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर राज्य के सेनापति जिले के माओमारम, पाओमाता और पुरूल सब-डिविजनों के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से यहां जनगणना परिणाम रद्द कर दिए गए थे।

विवरण-II

आम आदमी बीमा योजना के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार कवरेज

क्र.सं.	राज्य	कवरेज			
		2007-08	2008-09	2009-10	कुल
1.	हिमाचल प्रदेश	5,000	--	--	5,000
2.	आंध्र प्रदेश	38,00,000	--	--	38,00,000
3.	महाराष्ट्र	4,56,156	5,14,991	--	9,71,147
4.	गुजरात	--	1,36,488	54,893	1,91,381
5.	चण्डीगढ़	--	1153	--	1153
6.	जम्मु और कश्मीर	--	51,000	--	51,000
7.	मध्य प्रदेश	--	13,64,232	--	13,64,232
8.	बिहार	--	3,80,000	--	3,80,000
9.	झारखण्ड	--	37,546	--	37,546
10.	कर्नाटक	--	2,27,563	22,437	2,50,000
11.	केरल	--	1,68,811	--	1,68,811
12.	उत्तर प्रदेश	--	28,516	3,12,290	3,40,806
13.	चण्डीगढ़	--	100	--	100
	कुल	42,61,156	29,10,400	389620	75,61,176

[अनुवाद]

गहरे समुद्र पत्तन की स्थापना

1165. शेख सैदुल हक: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में गहरे समुद्र पत्तनों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है: और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग का बनाया जाना

1166. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इससे क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पौताश्रयों की स्थापना

1167. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देश में नए पोताश्रयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पोताश्रयों की कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम में दो अंतर राष्ट्रीय आकार के शिपयार्डों-एक भारत के पूर्वी तट पर और दूसरा भारत के पश्चिमी पट पर - स्थापित किए जाने परिकल्पित हैं। इस मंत्रालय द्वारा गुजरात सहित समुद्रवर्ती राज्यों से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर क्रमश: एक-एक अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड स्थापित करने के प्रयोजन से उचित स्थलों की पहचान करने का अनुरोध किया गया था। गुजरात सहित कुछ समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा कुछ स्थानों का सुझाव दिया गया है। राज्यों और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार ने मुंबई पत्तन न्यास और इन्नौर पत्तन लिमिटिड को भारत के क्रमश: पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर शिपयार्ड स्थापित किए जाने के प्रयोजन से नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया। नोडल अभिकरण, अर्थात् इन्नौर पत्तन लिमिटिड और मुंबई पत्तन न्यास को परामर्शक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ भारत के क्रमश: पश्चिमी और पूर्वी तट पर शिपयार्ड स्थापित किए जाने हेतु 3 अथवा 4 वैकल्पिक स्थलों की पहचान करेंगे और विस्तृत औचित्य के साथ अनुकूलतम स्थानों का सुझाव देंगे। परियोजना की शुरुआत परामर्शकों की सिफारिशों के परिणाम पर निर्भर करेगी।

विवरण

इस मंत्रालय द्वारा समुद्रवर्ती राज्यों से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर एक-एक अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड स्थापित किए जाने के प्रयोजन से, निम्नलिखित आधारभूत अपेक्षाओं से युक्त उपयुक्त स्थानों का सुझाव दिए जाने का अनुरोध किया गया था:

I. 1000-5000 एकड़ की अपेक्षित न्यूनतम भूमि और लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी जलसीमा;

II. 10 से 12 मीटर का जल डुबाव;

III. प्रस्तावित शिपयार्ड का स्थान रेल और सड़क संपर्क से भली भांति जुड़ा होना चाहिए;

IV. राज्य में मौजूद किसी महापत्तन से निकटता

इस अनुरोध के प्रत्युत्तर में समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा निम्नलिखित स्थानों का सुझाव दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थान/राज्य सरकार का उत्तर
1.	कर्नाटक सरकार	ताद्री पत्तन (कुंडले बीच) और बेलेकेरी पत्तन के अंतर्गत होन्न बीच
2.	केरल सरकार	केरल-तमिलनाडु सीमा पर तिरुवनंतपुरम जिले में पुवार
3.	उड़ीसा सरकार	(i) नूआगढ़ (अस्तारंगा) जिला पुरी
		(ii) पालूर, जिला गंजम
		(iii) आरजीपल्ली, छत्रपुर जिला गंजम में गोपालपुर पत्तन
		(iv) बहुदा मुहाना (सोनेपुर), जिला गंजम
4.	आंध्र प्रदेश सरकार	प्रकासम जिले में वोडारेवू
5.	पश्चिम बंगाल सरकार	अभी तक कोई विशेष स्थान प्रस्तावित नहीं
6.	गुजरात सरकार	गुजरात सरकार ने कुछ खंडों का प्रस्ताव किया है जैसे सलाया, जोडिया, मुंद्रा, चांच और पीपावाव तथा तूना

राज्य सरकारों से उपर्युक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों से और जानकारी/स्पष्टीकरण माँगे गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा दिया जाना

1168. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातीय युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) शिक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातीय युवाओं को आईटी शिक्षा प्रदान कर रहे विभिन्न निजी शैक्षणिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अनुदान प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकारी नीति में उन सभी केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं जो अन्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षाप्रदान करती हैं, में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा आदिवासी युवाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जून, 2007 में "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए "उच्च स्तर की शिक्षा" नामक एक स्कीम की शुरूआत की है जिसके तहत दो लाख प्रति वर्ष की पारिवारिक आय वाले छात्र छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। अध्ययन पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग को शामिल किया गया, जिसका एक भाग सूचना प्रौद्योगिकी है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय "अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति स्कीम" कार्यान्वित करता है जिसके तहत इंजीनियरी सहित विशिष्ट विषय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन राज्यों में जहाँ दाखिला अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम हैं और जिसमें व्यापक जनजातीय जनसंख्या वाले पूर्वोत्तर जिले शामिल हैं, वहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2009-10 से नए इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित करने के लिए कम-से-कम 3 पारंपरिक शाखाओं को चुनने की बाह्यता को हटा दिया है। इन राज्यों में स्थापित किए जाने वाले संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी तथा इससे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों सहित अपनी इच्छा के कोई पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

पत्तनों की अवसंरचना का उन्नयन

1169. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार देश में पत्तनों की अवसंरचना के उन्नयन की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इनका उन्नयन कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हाँ।

(ख) भारत में पत्तन अवसंरचना का उन्नयन करके और उन्हें आधुनिकीकृत बना के इनके निष्पादन के स्तर को वैश्विक मानदण्डों के अनुरूप बनाने में सक्षम करने के उद्देश्य से, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2011-12 तक कार्यान्यवन के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का चयन किया गया है। महापत्तनों में, समग्र गतिविधियों से युक्त 276 परियोजनाएँ अर्थात् घाटों का निर्माण/उन्नयन करने, जलमार्गों को गहरा करने, रेल-सड़क संपर्क परियोजनाएँ, उपकरण-उन्नयन/आधुनिकीकरण की योजनाएँ और बैंक अप सुविधाएँ तैयार करने के लिए अन्य संबद्ध योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए चुना गया है।

[अनुवाद]

मोबाइल टॉवर लगाने हेतु मानदण्ड

1170. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर
श्री राकेश सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोबाइल टॉवरों को लगाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनियंत्रित तथा अवैज्ञानिक तरीके से मोबाइल टॉवर लगाने से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार को गुजरात में बनासकांठा और कर्नाटक में चित्रदुर्ग में मोबाइल टॉवर लगाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) सेवा प्रदाता किसी सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के लिए अपनी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार मोबाइल टावर संस्थापित करते हैं।

(ग) और (घ) वैद्युत चुम्बकीय फील्ड प्रभाव को सीमित करने के लिए मूलभूत प्रतिबंध और अनुक्रिया स्तरों के संबंध में दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा गैर-आयनीकरण विकिरण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीएनआईआरपी) के दिशा-निर्देशों को अपनाया गया है। प्रभावित श्रमिकों और आम जनता पर मरक-विज्ञान संबंधी अध्ययनों से सीमित सूचना मिली है और ये स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।

सरकार ने सेवा लाइसेंस करार में एक खंड भी शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि लाइसेंसधारक समय-समय पर गैर-आयनीकरण विकिरण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा यथा निर्धारित आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में ऐंटीना के लिए सीमाओं/स्तरों (बेस स्टेशन निस्सरणों) से अनुरूपता के लिए समय-समय पर दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा संचालित करेगा और स्व-प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।''

(ङ) से (छ) जी, हां। सरकार को गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन आदि जैसे अनेक सेवा प्रदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने गुजरात में बनासकांठा और कर्नाटक में चित्रदुर्ग में क्रमश: लगभग 630 और 650 मोबाइल टावरों की संस्थापना के लिए अनुमति दे दी है।

मंदबुद्धि लोगों का पुनर्वास

1171. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मंदबुद्धि लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय ऐसे लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) देश में मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की संख्या संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ग) सरकारी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करके मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) स्कूल-पूर्व एवं शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की क्षमता का विकास करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ii) मानसिक रूप से मंद बच्चों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए, समावेशी स्कूलों अथवा विशेष स्कूलों के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है।

(iii) उनकी व्यक्तिगत क्षमता के लिए यथा उपयुक्त, मानसिक मंदता वाले उन व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। रोजगारोन्मुखी कौशल एवं स्वरोजगार को विकसित करने पर संकेन्द्रण है। स्थापन सहायता भी प्रदान की जाती है।

(iv) स्व-रोजगार उद्यमों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं।

(v) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जाता है।

(vi) निराश्रित एवं परित्यक्त व्यक्तियों को समर्थित अभिभावकता प्रदान की जाती है।

(vii) सामाजिक पुनर्वास सुकर बनाने के लिए जागरूकता सृजन और परिवार एवं समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की संख्या (राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन के 58वें चक्र का सर्वेक्षण, दिसम्बर, 2003 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1.	जम्मू-कश्मीर	104
2.	हिमाचल प्रदेश	118
3.	पंजाब	116
4.	चंडीगढ़	64
5.	उत्तराखंड	104
6.	हरियाणा	92
7.	दिल्ली	44
8.	राजस्थान	82
9.	उत्तर प्रदेश	92
10.	बिहार	70
11.	सिक्किम	39
12.	अरुणाचल प्रदेश	11
13.	नागालैंड	54
14.	मणिपुर	47
15.	मिजोरम	127
16.	त्रिपुरा	24
17.	मेघालय	63
18.	असम	45
19.	पश्चिम बंगाल	114
20.	झारखंड	63
21.	उड़ीसा	104
22.	छत्तीगढ़	84
23.	मध्य प्रदेश	72
24.	गुजरात	93
25.	दमन एवं दीव	58

1	2	3
26.	दादरा और नागर हवेली	67
27.	महाराष्ट्र	99
28.	आंध्र प्रदेश	90
29.	कर्नाटक	98
30.	गोवा	240
31.	लक्षद्वीप	249
32.	केरल	194
33.	तमिलनाडु	113
34.	पुडुचेरी	95
35.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	78

[हिन्दी]

विकलांग बच्चों हेतु नौकरी के अवसर

1172. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विकलांग बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उनके लिए नौकरियों के और अधिक अवसरों का सृजन करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, अनुमानत: लाख बच्चे विकलांग हैं। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3 में (i) अंधता या मंद दृष्टि, (ii) बधिर और (iii) लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त विकलांगों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों में प्रत्येक के लिए 1% सहित सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का प्रावधान है।

वर्ष 2007 में, केन्द्र सरकार ने विकलांगताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए यथा उपयुक्त पूर्व में चिन्हित लगभग 3300 पदों की तुलना में सरकारी पदों के लगभग 5000 प्रकारों को चिन्हित किया था।

निजी क्षेत्र में विकलांगों की अपेक्षाकृत अधिक नियुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए 1.4.2008 से शारीरिक विकलांगों के नियोजन के लिए निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों की एक नई स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम के तहत, भारत सरकार 1.4.2008 से या इसके बाद नियुक्त 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन पाने वाले शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लिए नियोक्ता अंशदान प्रदान करती है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार,
विकलांग बच्चों के राज्यवार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	विकलांग बच्चों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	120137
2.	हिमाचल प्रदेश	41319
3.	पंजाब	148461
4.	चंडीगढ़	5685
5.	उत्तराखंड	66734
6.	हरियाणा	159879
7.	दिल्ली	87735
8.	राजस्थान	490292
9.	उत्तर प्रदेश	1495260
10.	बिहार	833268
11.	सिक्किम	6192
12.	अरुणाचल प्रदेश	8255
13.	नागालैंड	8205
14.	मणिपुर	7361
15.	मिजोरम	4983
16.	त्रिपुरा	17449
17.	मेघालय	10572

1	2	3
18.	असम	192748
19.	पश्चिम बंगाल	632107
20.	झारखंड	180321
21.	उड़ीसा	336459
22.	छत्तीगढ़	144459
23.	मध्य प्रदेश	485316
24.	गुजरात	345411
25.	दमन एवं दीव	972
26.	दादरा और नागर हवेली	1430
27.	महाराष्ट्र	542420
28.	आंध्र प्रदेश	444884
29.	कर्नाटक	327667
30.	गोवा	3851
31.	लक्षद्वीप	561
32.	केरल	145124
33.	तमिलनाडु	427915
34.	पुदुचेरी	6322
35.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2420
	कुल	7732196

[अनुवाद]

यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को अनुदान

1173. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा राज्यों में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजो को अनुदान प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा कॉलेज को कितना अनुदान स्वीकृत/प्रदान किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-2(च) के तहत शामिल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली, 1974 (अनुदान के लिए कतिपय विश्वविद्यालयों की पात्रता) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियमावली 1975 (अनुदान के लिए संस्थाओं की पात्रता) के समजस्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12बी के तहत केन्द्रीय सहायता/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए घोषित पात्र विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई अनुदान राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान सहायता की मात्रा बढ़ाई है। ग्यारहवीं योजना के दौरान ऐसे 6000 कॉलेज तथा 150 विश्वविद्यालयों जो तकनीकी रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं परन्तु न्यूनतम पात्रता मानदण्डों को पूरा न करने के कारण उन्हें सहायता प्रदान नहीं की गई, को सुदृढ़ किए जाने का भी प्रस्ताव है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता के लिए मानदण्ड को पूरा करने वाली संस्थाओं को पात्र बनाने के लिए ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनमें कॉलेज तथा विश्वविद्यालय काफी कम हैं। इस प्रयोजनार्थ ग्यारहवीं योजना में 7000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं योजना के दौरान ऐसे 160 राज्य विश्वविद्यालयों तथा 5625 कॉलेजों जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास अनुदान प्रदान किया गया है परन्तु बजट संसाधनों की कमी के कारण निधियन काफी कम तथा अपर्याप्त है, इन विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को एककालिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ ग्यारहवीं योजना में 3000 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई। दोनों योजनाएं राज्यों द्वारा निधियन संबंधी मैचिंग प्रतिबद्धताओं पर आधारित होंगी।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान योजनेत्तर और योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत दिए गए अनुदान

आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम	612.78	1229.50	1852.93
2.	दा इंगलिश एण्ड फौरन लेगवेजिज विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1305.31	1444.44	3701.55
3.	सी.ई.सी.आर.आई., हैदराबाद	0	0	0
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	4570.64	9250.70	8903.83
5.	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी, हैदराबाद	37.55	311.66	362.28
6.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	156.91	228.69	277.99
7.	मौलाना आजाद, राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1384.39	1883.37	3730.21
8.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	119.11	24.13	135.72
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल	4.68	8.71	0
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	0	0	0
11.	उस्मानियां विश्वविद्यालय, हैदराबाद	454.15	1295.87	955.74
12.	पोट्टी श्रीरामूल तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	48.75	78.97	99.29
13.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	670.79	603.79	842.86
14.	श्री कृष्ण देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर	51.01	221.59	321.76
15.	श्री वेंकटैश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति	301.46	456.64	518.85
16.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	138.61	130.63	232.00
17.	श्री सत्य सांई उच्चतर अध्ययन संस्थान, अनन्तपुर	115.76	64.50	129.85
18.	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	5.45	6.64	7.37
19.	ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद	49.45	163.14	40.16
20.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3.00	0	0
21.	नैशनल अकादमी ऑफ लिगल स्टडीज एण्ड रिसर्च युनिवर्सिटी	174.63	130.46	91.20
22.	एम.जी. नारायण अनुसंधान एवं सामाजिक संस्थान हैदराबाद	0	8.20	0
23.	द्रविड़ विश्वविद्यालय	0	105.60	78.97

1	2	3	4	5
24.	गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान पटनम	0	0.00	10.49
25.	एसएसएसआई ऑफ एमएलपीएम अनन्तपुर	0	0.00	7.99
	कुल	10204.43	18509.52	22301.04
अरुणाचल प्रदेश				
1.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर	180.61	164.50	1971.76
	कुल	180.61	164.50	1971.76
असम				
1.	असम विश्वविद्यालय, सिल्वर	1193.25	1033.66	1534.40
2.	डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़	62.8	193.15	395.33
3.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	158.86	100.42	498.03
4.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	750.26	2039.5	2550.29
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्वर	0	2.25	0
6.	असम कृषि विश्वविद्यालय	0	60.75	81.00
	कुल	2165.17	3429.73	5059.05
बिहार				
1.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	42.18	209.50	184.83
2.	बाबासाहेब बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुज्जफरपुर	183.02	91.51	166.52
3.	बी.एन. मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	95.72	95.48	221.03
4.	के. एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	12.00	65.59	160.74
5.	मगध विश्वविद्यालय, बौध गया	62.38	62.97	157.33
6.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	158.32	77.63	124.15
7.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	159.76	168.7	218.63
8.	राजेन्द्र कृफि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	1.11	0	0
9.	जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	0	64.43	42.66
10.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	0	131.1	171.38
	कुल	714.49	966.91	1447.27

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़				
1.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	34.43	96.99	126.25
2.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ़	4.96	205.32	49.31
3.	पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	55.88	247.07	274.05
4.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	0	4.75	392.53
5.	हिदियातुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर	0	116.50	67.17
	कुल	95.27	670.63	909.31
दिल्ली				
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	15737.17	17739.05	21951.03
2.	गुरु गोविन्दसिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	54.49	135.87	166.45
3.	इग्नू	3.94	0.84	6.59
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	33.00	40.22	30.22
5.	जामियां मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	7356.43	8497.82	15847.53
6.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	704.55	672.23	906.95
7.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	10728.98	13165.91	15533.54
8.	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजिकलजी नई दिल्ली	15.00	17.00	0
9.	आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	0	0	0
10.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	7.17	852.05	1025.72
11.	टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवंस स्टडीज नई दिल्ली	14.00	0	14.00
12.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	897.67	2.47	0
13.	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली	300.00	4.44	0
14.	आईआईटी, नई दिल्ली	0.00	0	2.40
15.	एआईआईएमएस, नई दिल्ली	0.00	0	0.45
16.	भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान	0.00	0	20.00
	कुल	35852.40	41127.90	55504.88
गुजरात				
1.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	15.11	137.30	156.87

1	2	3	4	5
2.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	172.72	164.64	455.68
3.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	120.63	1059.02	1229.02
4.	एमएस बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ोदरा	597.69	368.55	842.79
5.	नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, पाट्न	67.00	114.47	91.48
6.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	187.81	195.07	511.41
7.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	145.69	150.67	368.29
8.	साउथ गुजरात, विश्वविद्यालय, सूरत	48.74	204.58	262.02
9.	बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	0	5.95	0
10.	राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	0	0	0.23
	कुल	1355.39	2400.25	3917.79
गोवा				
1.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा	23.70	277.04	405.39
	कुल	23.70	277.04	405.39
हरियाणा				
1.	सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	1.55	2.32	12.40
2.	गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	88.88	108.33	220.08
3.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	218.32	325.11	373.02
4.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	147.53	304.67	425.25
5.	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुड़गांव	3.83	7.50	9.66
6.	नेशनल डेयरी रिसर्च इन्सटीट्यूट, करनाल	1.11	0	1.35
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र	1.67	2.39	0
	कुल	462.89	750.32	1041.76
हिमाचल प्रदेश				
1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	805.79	131.55	523.75
2.	हिमालच प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	3.44	0	0
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	2.88	3.44	2.60
4.	डॉ. यशवन्तसिंह परमार युनिवर्सिटी ऑफ हॉटीकल्चर एण्ड फोरेस्ट्री, सोलन	2.40	0	0

1	2	3	4	5
5.	चौधरी स्वर्ण कुंवर एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय	0	7.60	0
6.	आईआईटी एड्वांस स्ट्डीज, शिमला	0	0.00	13.95
	कुल	814.51	142.59	540.30
जम्मू एवं कश्मीर				
1.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	231.21	229.21	1361.34
2.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	184.20	352.07	344.66
3.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1.84	20.00	20.83
	कुल	417.25	601.28	1726.83
झारखण्ड				
1.	बिरला, प्रौद्योगिकी संस्थान, नेसरा, रॉची	129.02	90.35	348.9
2.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद	6.16	35.89	149.91
3.	रॉची विश्वविद्यालय, रॉची	59.23	89.66	1280.07
4.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	57.27	229.84	158.09
5.	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका			0
	कुल	251.68	445.74	1936.97
कर्नाटक				
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर	237.45	277.64	524.22
2.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	26.44	197.61	155.47
3.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	301.44	379.45	1140.44
4.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फोर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बंगलौर	1.11	6.92	0
5.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी	84.01	141.20	168.67
6.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	131.44	357.92	426.47
7.	कोवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा	240.00	120.41	291.96
8.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	103.26	222.38	399.47
9.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	360.58	380.7	708.59
10.	मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल	0	0	1.70
11.	नैशनल इंस्टीटयूट ऑफ मैन्टल हैल्थ एण्ड न्यूरो साईंस, बंगलौर	7.12	20.00	39.15

1	2	3	4	5
12.	नैशनल लॉ इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया, बंगलौर	75.50	106.75	71.30
13.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	0	0	0
14.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1.11	1.11	0.25
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक	0	0.75	0
16.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	0	2.70	3.41
17.	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर	0	149.65	80.86
18.	नैशनल ला स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी	0	0	6.52
19.	विश्व सराया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगाम			0
	कुल	1569.66	2365.19	4018.48
केरल				
1.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड़	180.93	212.73	450.83
2.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोची	169.26	1460.03	1850.51
3.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवन्नतपुरम	256.18	290.49	684.63
4.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोटायम	75.41	115.12	197.15
5.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर	0	0	179.07
6.	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर	69.00	293.96	61.82
7.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलादी	127.24	41.01	142.73
8.	एन.आई.टी. कालीकट	0	0	8.56
	कुल	878.02	2413.34	3575.30
मणिपुर				
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	1759.68	4733.75	6164.70
	कुल	1759.68	47.33.75	6164.70
मध्य प्रदेश				
1.	अवदेश पी. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	73.86	159.36	167.51
2.	बरकातुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	63.35	79.62	204.60
3.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	76.98	121.60	189.40
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	208.91	308.03	494.96
5.	डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	133.44	193.06	1014.58

1	2	3	4	5
6.	जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	106.36	98.88	87.24
7.	लक्ष्मीबाई नैशनल इंस्टीटयूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर	33.00	0	50.00
8.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, परभनी	0	0.75	0
9.	एम.पी. भोज विश्वविद्यालय, भोपाल	0	1.65	65.23
10.	राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल	86.00	172.16	330.71
11.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	299.71	129.21	258.66
12.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	195.60	176.25	224.33
13.	आईआईआईटी ऑफ मेनेजमेंट, ग्यालियर	0.00	0	3.56
14.	जीएस प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान इंदौर	0.00	0	2.71
15.	जेएन कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल	0.00	0	142.30
	कुल	1277.21	1440.57	3235.79
महाराष्ट्र				
1.	एसजीबी अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	141.77	135.27	204.32
2.	सीआईएफई, वर्सोबा, मुम्बई	4.33	0	0
3.	डक्कन कॉलेज पीजी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	77.00	7.92	62.94
4.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉल इक्नोमिक्स, पुणे	992.54	11.53	51.53
5.	जनसंख्या अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई	3.12	18.85	10.18
6.	विज्ञान संस्थान, मुम्बई	0	0	0
7.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	1475.14	722	5090.1
8.	एमजीए हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1043.20	1656.72	1131.72
9.	डॉ. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	71.01	151.57	351.83
10.	आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	94.06	343.88	428.05
11.	नार्थ महाराष्ट्र, जलगांव	65.85	151.95	169.71
12.	पूना विश्वविद्यालय, पुणे	1010.86	528.54	1571.48
13.	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	113.64	163.59	373.26
14.	शिवजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	233.27	404.62	348.26
15.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	1259.60	1184.54	1588.25
16.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	69.2	56.25	88.79

1	2	3	4	5
17.	यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	0	0.46	4.00
18.	एसआरटी मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नादेड़	179.28	65.31	143.10
19.	भारती विद्यापीठ, पुणे	7.92	9.09	20.00
20.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	0	1.96	6.96
21.	कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय	1.15	0.97	0
22.	मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी	12.5	0	0
23.	पद्मश्री डॉ. दयाल पाटिल विद्यापीठ, मुम्बई	0	0.75	0
24.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0	0	80.96
25.	शोलापुर विश्वविद्यालय			0
	कुल	6855.44	5615.77	11725.44
मेघालय				
1.	एन.ई.एम.यू.	5082.79	7353.36	9157.16
	कुल	5082.79	7353.36	9157.16
मिजोरम				
1.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम	2547.96	2566.57	6830.32
	कुल	2547.96	2566.57	6830.32
नागालैंड				
1.	नागालैंड विश्वविद्यालय, मिजोरम	2089.06	2134.61	3241.46
	कुल	2089.06	2134.61	3241.40
उड़ीसा				
1.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	43.09	231.21	189.23
2.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	80.44	328.81	497.47
3.	श्री जगननाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी	94.90	92.25	95.24
4.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	290.87	376.17	506.72
5.	नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारपेड़ा	7.44	85.00	29.57
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला	0	0	28.03
7.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर	0	5.75	0
8.	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर	0	197.94	107.37

1	2	3	4	5
9.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	0	3.00	0
10.	रेवनशॉ विश्वविद्यालय,	0	0.00	113.25
11.	सामाजि कार्य संस्थान, भुवनेश्वर	0	0.00	7.05
	कुल	516.74	1320.13	1573.93
पंजाब				
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	276.02	158.05	694.52
2.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	790.94	379.76	1036.08
3.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	25.84	203.63	6.07
4.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	124.92	350.05	778.12
5.	थापर इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	160.15	143.85	200.23
	कुल	1377.87	1235.34	2715.02
पुडुचेरी				
1.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	2494.52	5562.68	4367.45
	कुल	2494.52	5562.68	4367.45
राजस्थान				
1.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	0	0	0
2.	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	104.23	315.15	497.97
3.	एम.डी.एस विश्वविद्यालय, अजमेर	191.93	134.25	198.01
4.	एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	168.18	107.08	181.73
5.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	629.45	885.51	614.56
6.	वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)	424.11	357.08	277.75
7.	बी.आई.टी.एस. पिलानी	61.56	550.85	327.47
8.	जे.बी. भारती संस्थान, लाडनून (राजस्थान)	15.56	95.48	186.36
9.	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	16.01	3.45	32.58
10.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, संस्थान, जयपुर	0.94	0.75	0
11.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	0	2.99	94.45
12.	शिक्षा में उच्चतर अध्ययन संस्थान, सारनपुर	0	0	0.10
13.	एन.आई.टी. पिलानी	0	0	0.078

1	2	3	4	5
14.	बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर			0
	कुल	1611.97	2452.59	2411.76
तमिलनाडु				
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	106.43	182.29	362.64
2.	अन्नामलई विश्वविद्यालय, अन्नामलई नगर	434.61	348.98	579.09
3.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	413.44	609.36	1174.83
4.	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	149.66	166.71	458.09
5.	भारतीदेरान विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्लई	127.81	296.34	451.22
7.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	3470.53	383.46	3899.29
8.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	1160.03	407.84	1295.76
9.	मदर टेरेसा युनिवर्सिटी फॉर वूमन, कोड़डीकेनाल	35.53	52.93	94.79
10.	एम. सुन्दरनर विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेले	107.81	123.06	255.81
12.	तमिल विश्वविद्यालय, तन्जाबुर	1080.38	121.31	131.74
13.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	1.01	6.41	22.60
14.	अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ होम साईंस फॉर वोमन, कोयंबटूर	1081.77	1263.18	1355.32
15.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	1196.95	1268.85	1684.60
16.	श्रीचंद्रशेखरन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, कांचीपुरम	61.52	46.00	104.86
17.	श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान	2.80	3.94	0
18.	षणमुघा कला, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान अकादमी	0	0	0
19.	वेल्लौर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लैर (तमिलनाडु)	0	0	0.78
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्लई	0	0.46	0
21.	सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	3	0	0
22.	थिरूवल्लूवर विश्वविद्यालय, वेल्लौर	0.10	0	0
23.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	28.57	194.10	0
24.	प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, कोयंबटूर	0	2.00	102.49
25.	सी.एल.आर.आई. चेन्नई	0	0.00	0.10
26.	एन.आई.टी. चेन्नई	0	0.00	0.10
27.	अमृता विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	0	0.00	5.80

1	2	3	4	5
28.	एम.जी.आर. शिक्षा एवं अनुसधान संस्थान, चेन्नई			0.00
29.	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल, चेन्नई			0.00
30.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर			0.00
	कुल	9461.95	5477.22	11979.91
त्रिपुरा				
1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	235.02	63.03	2666.07
	कुल	235.02	63.03	2666.07
सिक्किम				
1.	सिक्किम विश्वविद्यालय	0	0	1300.00
	कुल	0	0	1300.00
उत्तरप्रदेश				
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	20554.94	23321.13	25701.82
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	6002.65	9771.26	15452.42
3.	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद	3.63	4.23	0
4.	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	34.01	90.65	101.03
5.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	23708.42	30940.38	30855.24
6.	भटखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ	1.50	0.44	0
7.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	41.50	40.00	23.57
8.	चोधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	70.87	139.31	213.42
9.	दयालबाग शिक्ष संस्थान, आगरा	556.21	772.32	848.09
10.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	248.68	790.82	1531.32
11.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा	0.72	51.47	81.34
12.	डॉ. राम मनोहर लोहिया (अवध) विश्वविद्यालय, फैजाबाद	211.93	66.52	195.81
13.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	235.45	215.51	380.66
14.	चौधरी शाहुजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर	8.55	32.82	82.87
15.	इंडियन वेट्रीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	2.22	3.29	3.88
16.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	203.77	555.45	659.92
17.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय संस्थान, इलाहाबाद	3.08	0	0
18.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	130.26	54.73	169.84

1	2	3	4	5
19.	एम.जे.पी. रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	5.05	59.73	81.39
20.	वी.वी.एस. पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर	35.62	46.68	147.76
21.	सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	0.20	97.17	98.00
22.	जे.आर. हेंडीकेप्ड विश्वविद्यालय, चित्रकूट	1.14	130.85	89.09
23.	भारतीय सूचना संस्थान, इलाहाबाद	1.16	0	0
24.	एन.आई.टी. इलाहाबाद	0	0	3.98
	कुल	52061.56	67184.76	76721.45
उत्तरांचल (उत्तराखंड)				
1.	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	12.25	2.60	19.25
2.	एच.एन.बी. (गढ़वाल) विश्वविद्यालय, श्रीनगर	14.95	290.04	239.15
3.	कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	38.24	306.98	293.31
4.	रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की	0	0	0
5.	वन अनुसधान संस्थान, देहरादून	1.25	1.13	0
6.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्धार	893.21	824.67	1038.91
	कुल	959.9	1425.42	1590.62
पश्चिम बंगाल				
1.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	172.93	191.13	493.65
2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता	3477.58	670.58	4266.15
3.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	1214.07	2620.85	1771.63
4.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	106.85	103.23	255.98
5.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, कोलकाता	81.69	319.05	451.53
6.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता	48.89	321.93	214.54
7.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	97.50	99.46	306.56
8.	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतीनिकेतन	4940.46	6649.43	8646.65
9.	बंगाल इंजीनियरी कॉलेज, हावड़ा	169.46	1093.83	1211.13
10.	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, हावड़ा	100.00	280.00	379
11.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया	0.55	1.15	1.04
12.	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता	0	6.13	0.60
13.	पश्चिम बंगाल पुश एवं मत्स्य पालन विज्ञान विश्वविद्यालय, बेलगाच्या	0	0	0.35
	कुल	10409.98	12356.77	17998.81

मानव विश्वविद्यालयों का विनियमन

1174. **श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्विविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) मानद विश्वविद्यालयों में फीस और प्रवेश को विनियमित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यू.जी.सी. मानद विश्वविद्यालयों में बेतहाशा बढ़ती फीस पर नियंत्रण तथा उनकी विवादास्पद प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विनियमों से छात्रों तथा शैक्षणिक संस्थाओं को कितनी सहायता मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 22 जून, 2009 की अपनी पिछली बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थाओं में शुल्क ढांचा) विनियम, 2009 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थाओं में व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रमों में दखिला) विनियम, 2009 को अनुमोदित कर दिया है, जो अब सरकार के विचाराधीन है।

जलयान यातायात प्रणाली की स्थापना

1175. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोत यातायात को विनियमित करने के लिए कच्छ की खाड़ी में कोई जलयान यातायात प्रणाली स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य किस फर्म को सौंपा गया है;

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस परियोजना के क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा तथा इसकी लागत में यदि कोई हो कितनी वृद्धि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के.वासन): (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना में सिविल इंजीनियरिंग कार्य, दूरसंचार नेटवर्क और जलयान यातायात प्रणाली के लिए उपकरणों का संस्थापन से संबंधित कार्य शामिल है। यह, कांडला में एक मास्टर नियंत्रण केन्द्र की स्थापना, समूची कच्छ की खाड़ी में नौ राडार स्टेशन बनना, छ: पतन मॉनीटर स्टेशन, दो रेडियो निदेशों का पता लगाने वाले माप-पद्धतीय और जल-विज्ञानी सेंसरों तथा संबद्ध माइक्रोवेव संपर्क से युक्त है। सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 60 मीटर ऊँचे दस, 50 मीटर ऊँचा एक और 30 मीटर ऊँचे दो आर सी सी टावरों, एक मास्टर नियंत्रण केन्द्र भवन और अन्य सहायक भवनों का निर्माण शामिल है। सिविल इंजीनियरिंग कार्य 21 स्थलों पर फैले हैं। यह परियोजना, मैसर्स टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व वाले एक संघ को सौंपी गई है। इस संघ के अन्य हिस्सेदार, मै. एम. एल. डाल्मिया एंड कंपनी, कोलकाता और मै. हॉलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक टेक्नोलोजी, नीदरलैंड हैं।

(ग) और (घ) यह परियोजना, प्रारंभिक रूप से, जून 2007 तक पूरी की जानी नियत थी। फिर, भी, कार्य-स्थलों के दूर-दूर होने और सिविल इंजीनियरिंग कार्यों की धीमी गति के कारण इन परियोजनाओं में काफी समय लग गया है। इस परियोजना को अब 31.03.2010 तक पूरा किया जाना पुन:निर्धारित किया गया है। अभी तक, इस परियोजना के कार्यान्वयन में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित अतिरिक्त कार्य के लिए किए जाने भुगतान के सिवाए लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

ओशेनेजियम परिसरों तथा सामुद्रिक थीम पार्क की स्थापना

1176. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ओशेनेजियम परिसरों तथा सामुद्रिक थीम पार्कों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने तथा इन परिसरों और पार्कों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, निम्नलिखित संभावित संघटकों से एक समिति के रूप में चेन्नई में एक राष्ट्रीय समुद्री परिसर स्थापित किया गया है:

(i) संग्रहालय

(ii) आर्ट गैलरी और मैरिन एक्वेरियम

(iii वाणिज्यिक परिसर और समुद्री क्षेत्र कार्यालय

(iv) फूड कोर्ट और कैटरिंग कॉलिज

(v) परम्परागत केन्द्र (कन्वेंशनल सेंटर)

सिलिकोसिस रोग

1177. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टोन क्रशिंग तथा खनन कारखानों के कामगार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चलू वर्ष में कितने कामगार इससे राज्य-वार प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के व्यवसायों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वस्थ कार्य दशाएं तथा अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करने हेतु कोई विधान/विनियम लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सिलिकोसिस के कारण अस्वस्थ हुए कामगारों अथवा अपनी जान गंवा चुके कामगारों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां, ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यह सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(ग)और(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पर्याप्त विधायी उपबंध हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 उन कारखानों पर लागू होता है जो दस अथवा अधिक कामगारों को नियोजित करते हों और जिनमें विनिर्माण प्रक्रिया बिजली की सहायता से की जाती है। इस अधिनियम की धारा 85 में राज्य सरकारों को इस अधिनियम के किसी अथवा सभी उपबंधों की किसी ऐसे स्थान पर, नियोजित कामगारों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए, अनुप्रयोज्यनीयता की घोषणा करने की भी शक्ति प्राप्त है जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया की जाती हैं। कारखाना अधिनियम में स्टोन क्रशिंग कारखानों सहित कारखानों में नियोजित कामगारों के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद कार्यदशाएं सुनिश्चित करने संबंधी पर्याप्त उपबंध विहित हैं। राज्य सरकारों ने भी ऐसे कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य घंटों आदि से संबंधित आवश्यकताओं का ब्यौरा देते हुए नियम अधिसूचित किये हैं।

खान अधिनियम, 1952 की धारा 9.क में समुचित नोटिस देने के पश्चात् खानों में सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किये जाने संबंधी प्रावधान है। खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 में यह प्रावधान है कि यदि खान में नियोजित कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में खनन प्रचालनों से संबंधित बीमारी के रूप में अधिसूचित किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो खान का मालिक, एजेन्ट अथवा प्रबंधक, मुख्य निरीक्षक तथा अन्य प्राधिकारियों को उसका नोटिस भेजेगा।

(ङ) और (च) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास से संबंधित मुद्दों का निराकरण करते हैं।

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार

1178. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान तथा अगले दो वर्षों में देश में ग्रामीण टेलीफोन सघनता में वृद्धि करने और प्रत्येक पंचायत को एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए ब्रॉडब्रैंड कनेक्टिविटी में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा और गुजरात में इसकी कितनी कवरेज प्रस्तावित है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। देशभर की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 30,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड

कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2012 के अंत तक, सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उत्तरोत्तर रूप से प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

यूएसओएफ ने ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में उपभोक्ता परिसर उपस्कर तथा कम्प्यूटर/गणना करने वाले यंत्रों सहित 9 लाख वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने के लिए सब्सिडी संवितरण हेतु बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2009-10 के दौरान ग्रामीण ब्रॉडबैंड के विस्तार के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः 120 करोड़ रु. और 290 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया गया है।

(घ) वर्ष 2009-2010 के दौरान उड़ीसा की 6236 में से 575 ग्राम पंचायतों और गुजरात की 14506 में से 109 पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों हेतु कर राहत

1179. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **वाणिज्य उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को दी जा रही आय कर राहत की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अतिरिक्त कर रियायतें प्रदान करने हेतु सेज योजना की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) एसईजेड विकासकर्ताओं/इकाइयों को अनुमत्य मौजूदा वित्तीय लाभों की कोई सामान्य समीक्षा इस समय विचाराधीन नहीं है।

कॉफी की मांग और उत्पादन में कमी

1180. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीह मधु गौड यास्खी:
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कॉफी उत्पादक कॉफी की वैश्विक मांग में कमी तथा कम घरेलू उत्पादन के कारण बहुत कठिनाई में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कॉफी का कुल कितना उत्पादन तथा निर्यात हुआ;

(ग) इस समय कॉफी उत्पादकों/उद्योग को हो रही कठिनाईयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कॉफी उत्पादकों हेतु ऋण माफी लागू करने अथवा कॉफी उद्योग के पुनरूद्धार हेतु एक पैकेज लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विश्व बाजार में कॉफी की माँग में कोई कमी नहीं आई है। तथापि कम घरेलू उत्पादन के कारण देश के कॉफी उपजकर्ता प्रभावित हुए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में उत्पादित तथा निर्यातित कॉफी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	उत्पादन (मी. टन में)	निर्यात (मी. टन में)
2006-07	288000	249029
2007-08	262000	222339
2008-09	262300	201633**
2009-10	306300* (*पुष्पणोत्तर अनुमान)	50305** (अप्रैल से जून) (** जारी किए गए अनुज्ञापत्रों पर आधारित)

(ग) कॉफी उपजकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएँ हैं-मौसम की प्रतिकूल स्थितियाँ, कीटों एवं रोगों के कारण हुई क्षति, पुराने हो चुके बागान तथा संकट कालीन अवधि (2000-2004) के दौरान संचित ऋण भार।

(घ) और (ङ) कॉफी उपजकर्ता एसोसिएशन ने ऋण संकट से उबरने के लिए ऋण राहत पैकेज तैयार करने के लिए अभ्यावेदन किया है। सरकार कॉफी उपजकर्ताओं की मांगों की

जांच कर रही है। किसी समयावधि का उल्लेख करना समय-पूर्व होगा।

बिमस्टेक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

1181. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिमस्टेक देशों अर्थात थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल के अधिकारियों की वर्ष 2004 से वार्ता के 18 दौर के बाद मुक्त व्यापार समझौते हेतु वार्ता समाप्त करने के लिए हाल ही में फुकेत में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्तावित समझौते को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(ग) प्रस्तावित समझौते के कारण वैश्विक बाजार में मंदी से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) बिमस्टेक देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड के अधिकारियों की बिमस्टेक व्यापार वार्ताकारी समिति (टीएनसी) की 18वीं बैठक हेतु 2 से 4 जून, 2009 तक फुकेत में बैठक हुई थी। इस टीएनसी की बैठक की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही थी कि (i) वस्तु व्यापार करार (ii) उद्गम संबंधी नियम तथा (iii) प्रचालनात्मक प्रामणन प्रक्रियाओं के पाठों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया था। इन तीनों पाठों पर सहमति बनने से बिमस्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) के भावी कार्यान्वयन हेतु मार्ग प्रशस्त हो गया है। बिमस्टेक के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अपनी टैरिफ रियायतों की अनुसूची तैयार कर लेने, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने तथा अन्य सदस्यों में इसे परिचालित कर देने के पश्चात बिमस्टेक एफटीए लागू हो जाएगा।

(ग) आशा है कि बिमस्टेक एफटीए से थाईलैंड एवं म्यांमार के साथ भारत के व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होगी जिनके साथ वर्तमान में भारत की कोई अधिमानी व्यापार व्यवस्था नहीं है।

विमानों तथा हैलीकॉप्टरों की दुर्घटनाएं

1182. **श्री निशिकांत दुबे:**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विमानों तथा हैलीकॉप्टरों की कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इनके परिणामस्वरूप जान-माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) देश में अक्सर होने वाली विमान दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(घ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों और हेलिकॉप्टरों की संख्या नीचे दी गई है:-

वित्तीय वर्ष	विमान	हेलिकॉप्टर
2006-07	9	5
2007-08	12	5
2008-09	11	8
2009-10 (02.07.2009 तक)	5	1
कुल	37	19

(ख) इन दुर्घटनाओं में 34 सेना कार्मिक मारे गए। कोई सिविल व्यक्ति नहीं मारा गया। 6,32,047 रुपए की सिविल सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(ग) रक्षा सेनाओं में विमान दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक और तकनीकी दोष हैं।

(घ) दुर्घटना के प्रत्येक मामले की जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, उड़ान सुरक्षा को बढ़ाने और इसे उन्नत करने के लिए रक्षा सेनाओं में सतत् एवं कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। कौशल स्तर को सुधारने के लिए प्रशिक्षण की गुणता, उचित निर्णय लेने की क्षमता और पायलटों की परिस्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। स्वदेशी और विदेशी दोनों मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ विमान की तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए सतत् सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवा

1183. **श्री के. डी. देशमुख:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोगों के बीच स्पीड पोस्ट सेवा अब भी लोकप्रिय नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्पीड पोस्ट सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी नहीं। देश में लोगों के बीच स्पीड पोस्ट सेवा लोकप्रिय है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्पीड पोस्ट सेवा की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और यह समीक्षा बाजार की चुनौतियों एवं डाक सेवाओं के लिए उभरते अवसरों के मूल्याकंन के आधार पर की जाती है। निरंतर समीक्षा का लक्ष्य इस सेवा को ग्राहकोन्मुख और प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है। डाक विभाग में विभिन्न स्तरों पर, नियमित अंतरालों में ये समीक्षाएं की जाती हैं।

(ङ) स्पीड पोस्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए डाक विभाग ने देश में स्पीड पोस्ट सेवा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु बुकिंग एवं वितरण में सुधार जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा ट्रैक एवं ट्रेस, स्पीड पोस्ट के वाणिज्य विस्तार संबंधी योजना का कार्यान्वयन जैसे कुछ उपाय किए गए हैं जिसमें नेटवर्क का विस्तार एवं स्पीड पोस्ट केंद्रों का उन्नयन, 'वन इंडिया वन रेट' की शुरुआत, स्थानीय स्पीड पोस्ट प्रभारों में कटौती, क्रेडिट सुविधा का विस्तार एवं ग्राहकों के परिसरों से ही स्पीड पोस्ट वस्तुओ के संग्रहण की सुविधा आदि शामिल है।

केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन

1184. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधनों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय, से प्राप्त सूचना के अनुसार उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित राज्य विधान, नामत:, आन्ध्र प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2005; महाराष्ट्र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा नामोद्दिष्ट क्षेत्र अध्यादेश विधेयक, 2008 और झारखंड विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2007 भारत सरकार का अनुमोदन तथा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति संसूचित करने के लिए प्राप्त हुए हैं।

मध्यप्रदेश श्रम कानून (संशोधन) विधेयक, 2003 को विधिवत जांच करने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के साथच पठित अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति से दिनांक 16.01.2008 के संदेश के साथ इन निदेशों सहित राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया है कि विधेयक को संदेश में उल्लिखित निदेशों के अनुसार इस पर विचार करने के लिए राज्य विधायिका को वापिस लौटा दिया जाए।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प का निर्यात

1185. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में हस्तशिल्प के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) वर्ष 2009-2010 हेतु हस्तशिल्प निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) हस्तशिल्प का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008-09 के दौरान हस्तशिल्प के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2007-08 में हुए 14012.05 करोड़ रुपए की तुलना में कुल 8183.12 करोड़ रुपए के हस्तशिल्प के निर्यात हुए थे।

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान हस्तशिल्प के निर्यातों के लिए 9410.58 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों में मेलों प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने के लिए भारत में प्रौद्योगिकी, पैकेजिंग और विभिन्न संगत नतियों संबंधी जागरूकता कार्यक्रम के लिए भारतीय हस्तशिल्प के संवर्धन विषयक सोर्सिंग शो आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रतिअदायगी शुल्क के अंतर्गत ब्याज छूट, पी के जी यू वाई, ई सी जी सी और डी ई पी बी स्कीमें भी चलाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

असंगठित कामगारों का शोषण

1186. श्री यशवंत लागुरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असंगठित क्षेत्र में दुकानों आदि जैसी लघु इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों/मजदूरों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में जिम्मेदार संबंधित दोषी प्राधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कामगारों के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सरकार ने लघु उद्योगों में नियोजित कामगारों सहित असंगठित कामगारों के संरक्षण के लिए विभिन्न विधानों द्वारा पर्याप्त उपाय किये हैं। विभिन्न श्रम विधान यथा न्यूनतम मजदूरी अधि नियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 इन कामगारों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। सरकार विधानों को ईमानदारीपूर्वक लागू करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

(घ) और (ङ) हाल ही में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनयिम, 2008 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए जीवन एवं विकलांगता कवर, स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार किये जाने का प्रावधान है।

असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष का स्मार्ट कार्ड आधारित नकदरहित स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए, 1 अक्तूबर, 2007 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारंभ की गयी थी। यह योजना 01.04.2008 से प्रचालन में आयी थी।

18 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की मृत्यु एवं विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए सरकार ने "आम आदमी बीमा योजना" प्रारंभ की थी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 65 वर्ष से अधिक आयु के तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है।

[अनुवाद]

सीमेंट की खपत

1187. श्री तथागत सत्पथी:
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट की खपत के रूझान और सीमेंट की कीमतों में लगातार वृद्धि ने निर्माण उद्योग को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमेंट विनिर्माताओं ने उत्पाद शुल्क में चार प्रतिशत की कटौती और माल ढुलाई की कम लागत के लाभ को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सीमेंट के आयात को सस्ता करने के उद्देश्य से सीमेंट पर शुल्क हटाने के लिए सरकार ने क्या पहल की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) मई 2008 से मई 2009 के बीच सीमेंट के मूल्यों में केवल 5.51 प्रतिशत की थोड़ी सी वृद्धि हुई है वर्ष 2008-09 के दौरान सीमेंट की खपत में 8.42 प्रतिशत की नियमित वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) दिसंबर, 2008 में सीमेंट पर उत्पाद शुल्क के कमी किये जाने पर सीमेंट के अखिल भारत औसत खुदरा मूल्य में 4 रुपये प्रति बोरी की कमी आयी है।

(ङ) सीमेंट पर आयात शुल्क पहले से ही शून्य है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में कोटा

1188. श्री टी.आर. बालू:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य अनुदान सहायता प्राप्त संस्थान प्रवेश और शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की नियुक्तियों में सरकार की आरक्षण नीति को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले शैक्षिक वर्ष 2008-09 के दौरान इन शिक्षा संस्थानों में प्रतिशत के आधार पर कितने ओबीसी छात्रों को प्रवेश दिया गया; और

(घ) देश के ऐसे सभी शिक्षा संस्थानों द्वारा सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित राष्ट्रीय एवं कार्यनीतिक महत्व की संस्थाओं तथा इस अधिनियम में यथोल्लिखित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थओं पर लागू नहीं है। हालांकि, दाखिले और शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में भारत सरकार की आरक्षण नीति हैदराबाद विश्वविद्यालय पर लागू होती है। यह अधिनियम दाखिले में आरक्षण की व्यवस्था को तीन वर्ष की अवधि के दौरान लागू करने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 में विद्यार्थियों की कुल दाखिला क्षमता 69221 थी, इसमें से पिछड़ा वर्ग के 5829 विद्यार्थियों अर्थात् 8.42 प्रतिशत विद्यार्थियों को वर्ष 2008-09 के दौरान प्रवेश दिया गया।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो देश में उच्चतर शिक्षा संबंधी मानदण्डों के समन्वयन एवं अनुरक्षण के बावत एक सर्वोच्च निकाय है, ने सभी विश्वविद्यालयों जिनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर यूजीसी द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय शामिल हैं, हेतु अपेक्षित दिशानिर्देश जारी करके कहा गया है कि वे भर्ती तथा साथ ही इससे संबंधित बैकलॉग को भरने हेतु आरक्षण नीति को लागू करने के बावत निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन करें।

सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बैकलॉग भरने के बावत रिक्त पदों को भरने हेतु स्मरण कराता रहा है। इस मुद्दे को इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा कुल सचिवों के साथ भी उठाया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा यूजीसी अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि वे आरक्षण नीति को लागू करने वाली संस्थाओं को योजनेतर अनुदान प्रदान करें और उन संस्थाओं जिन्होंने निर्धारित प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, को शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों में आरक्षण के बैकलॉग को भरना चाहिए।

[हिन्दी]

बाल मजदूरों का शोषण

1189. श्री राधामोहन सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम के रोजगार प्रतिबंध लगाने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कया कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बाल श्रम के शोषण को रोकने के लिए किसी प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ङ) बाल श्रम को नियंत्रित करने में इस प्रकोष्ठ की विफलता के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कानून का प्रवर्तन एक सतत प्रक्रिया

है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 (झ) में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में आने वाले प्रतिष्ठानों अथवा किसी रेलवे प्रशासन अथवा किसी प्रमुख पत्तन अथवा किसी खान या तेल क्षेत्र के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों में प्रवर्तन की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गयी हैं।

(ग) जी नहीं। भारत सरकार ने बाल श्रमिकों के शोषण की रोकथाम हेतु किसी विशेष प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

कैपीटेशन शुल्क

1190. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग/तकनीकी संस्थाओं सहित शिक्षा संस्थाओं द्वारा वसूले जा रहे चंदा/कैपीटेशन शुल्क के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संस्था-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने ऐसी चूककर्ता संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार का विचार कैपीटेशन शुल्क और उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम के संबंध में कोई नया विधान लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 7.5.2007 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि कैपिटेशन शुल्क लेने के किसी भी मामले के बारे में प्रमाण के साथ परिषद को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पीपल एजूकेशन सोसायटी इन्फॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी बंगलौर (कर्नाटक) तथा वाबरिया प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा (गुजरात) द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेने के दो मामलों की प्रथम साक्ष्य प्रमाण के साथ मई, 2007 में सूचना मिली थी। इसके अतिरिक्त, तीन और संस्थाओं नामत: द्रोणाचार्य इंजीनियरी एवं प्रबंध कालेज, नोयडा, (उत्तर प्रदेश), आचार्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर (कर्नाटक) तथा राजा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, मदुरई (तमिलनाडु) द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी परंतु इसके साथ कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं थे।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सूचित किया है कि कर्नाटक और गुजरात की उपरोक्त दो संस्थाओं को दो शैक्षणिक वर्षों के लिए दाखिला क्षमता या अतिरिक्त पाठ्यक्रमों में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह भी सूचित किया है कि प्रति व्यक्ति शुल्क लेने के बारे में जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच समिति शिकायत की जांच करती है तथा जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) तकनीकी तथा मेडिकल शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में किसी भी रूप में प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने सहित अनुचित पद्धति को रोकने हेतु कानूनी अधिदेश प्रदान करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव विचाराधीन है तथा विधायी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श किया गया है।

[हिन्दी]

उत्कृष्ट महाविद्यालय

1191. **श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को उन जिलों में उत्कृष्टता के महाविद्यालयों की स्थापना के लिए बढ़ावा देने का है, जहां सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) और जनसंख्या के अनुपात में महाविद्यालयों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में अभी तक कितने जिलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ऐसे महाविद्यालयों की स्थापना की कुल लागत का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही उपलब्ध कराएगी; और

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनसुार गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 374 निर्धारित जिलों जिनमें सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर से कम है तथा जिनमें उत्तर प्रदेश के भी ऐसे जिले शामिल हैं, में प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को सहायता की एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर, जहां केन्द्र सरकार प्रत्येक कालेज हेतु 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पूंजी में से आधी राशि उपलब्ध कराएगी, अन्य जिलों में, केन्द्रीय सहायता का पैटर्न अनुमानित लागत का एक तिहाई करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

1192. श्री हरिन पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब राज्यों को आरंभिक शिक्षा के लिए अधिक व्यय वहन करना होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार की वर्तमान में पूर्ण रूप से राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जा रहे अध्यापकों के वेतन खर्च में हिस्सदारी करने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार अपने निर्णय की समीक्षा करने और पूर्वगामी वित्तपोषण प्रणाली को पुन: लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) 11वीं योजना में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन ढांचे में केन्द्र सरकार तथा राज्यों/संघशासित प्रदेशों के बीच 50:50 अनुपात की निधीयन प्रणाली की बात कही गई थी। तथापि राज्यों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान 65:35 के अनुपात में, तीसरे वर्ष में 60:40 के अनुपात में, चौथे वर्ष में 55:45 के अनुपात में, तथा उसके पश्चात् 50:50 के अनुपात में निधियां प्रदान करने की संशोधित निधियन प्रणाली 25.9.07 को अधिसूचित की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों के सम्बन्ध में निधियन 90:10 के अनुपात में है जिसमें केन्द्रीय हिस्सा, सर्वशिक्षा अभियान के पूर्वोत्तर हेतु केन्द्रीय बजट में विनिर्दिष्ट 10% निधियों में से लिया जाता है।

(ङ) से (ज) राज्यों/संघशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट में यथाअनुमोदित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत का वेतन उस विशेष वर्ष में लागू निधीयन अनुपात में राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

[हिन्दी]

युद्धपोतों की कमी

1193. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना युद्धपोतों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रूप ने भारतीय नौसेना को युद्धपोतों की आपूर्ति की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रूसी युद्धपोतों की खरीद के लिए यदि कोई हो, क्रयादेश प्रस्तुत किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) नौसेना में सेवा से हटाए गए प्लेटफार्मों के प्रतिस्थापन के रूप में तथा सेना की संख्याशक्ति को बढ़ाने के लिए युद्धपोत शामिल किए जाते हैं। खतरे की अवधारणा तथा सुरक्षा परिवेश पर आधारित यह एक सतत् प्रक्रिया है।

रूस से भारत को युद्धपोतों की आपूर्ति करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है।

पूर्व-एडमिरल गोर्शकोव की मरम्मत तथा पुनर्सज्जा का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, तलवार श्रेणी फ्रिगेटों के तीन अनवुर्ती पोतों के रूस से अर्जन के लिए संविदा की गई है।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण पर राजसहायता

1194. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अध्ययन की चाह रखने वाले गैर-क्रीमी लेयर के छात्रों को शिक्षा ऋण पर ब्याज-राजसहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों को अनुदेश जारी करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सरकार भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण स्कीम के तहत भारत के भीतर व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रमों को करने के लिए 4.5 लाख रुपए अधिकतम वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों को बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ऋण सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का पुनरूद्धार

1195. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इसके समर्थित सेवा क्षेत्र पर वैश्विक मंदी, वीज़ा पर रोक और हाल ही में कुछ अन्य देशों द्वारा आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में विशेष रूप से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कितनी मंदी आई और नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए कई कार्ययोजना/योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र (आईटीईएस) में इसकी ऐतिहासिक विकास दर की तुलना में कुछ मंदी आई है। अनुमान है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र में विकास दर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 30% की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 16.3% होगी। इस क्षेत्र का कुल निर्यात राजस्व वर्ष 2008-09 में 47 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2007-08 में 40.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ग) और (घ) निर्यात में मंदी पर काबू पाने में उद्देश्य से बजट 2009-10 के प्रस्तावों में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) इकाइयों तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के अंतर्गत दिए जाने वाले कर के लाभ को एक और वर्ष के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2010-11 के लिए आगे बढ़ा दिया है।

प्राकृतिक रबड़ निर्यात और आयात

1196. श्री जोस के. मणि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात और आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का निर्यात और आयात किया गया;

(घ) क्या विशेष रूप से रबड़ उत्पादकों और रबड़ बोर्ड की ओर से प्राकृतिक रबड़ का निर्यात कोटा बढ़ाने और रबड़ की एक स्थाई निर्यात नीति बनाने की लगातार मांग आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) लक्ष्य केवल प्राकृतिक रबड़ (एनआर) के निर्यात के लिए ही निर्धारित किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष (2009-10) के दौरान प्राकृतिक रबड़ के निर्यात हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य 50,000 टन का है।

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में निर्यातित तथा आयातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा टन में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2006-07	56545	89799
2007-08	60353	86394
2008-09 (अ)	46926	81545
2009-10 (अ) (1.4.09-1.07.09)	834	44083

(घ)और(ङ) दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) हटाए जाने के बाद से कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता के कारण प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ बोर्ड द्वारा चलाई जा रही बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन स्कीम में किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार के पास निर्यात संवर्धन घटक के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के निर्यात से संबंधित एक नीति है। कार्यकलापों में प्रमुख रूप से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा आयोजन प्रचार, वित्तीय प्रोत्साहन और प्राकृतिक रबड़ के निर्यात हेतु निर्यातकों को सहायता शामिल हैं।

[हिन्दी]

ई.पी.एफ.ओ. में अदावाकृत धनराशि

1197. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ) में बढ़ी मात्रा में अदावाकृत धनराशि जमा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अदावाकृत/अप्रयुक्त धनराशि के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि अदावाकृत धनराशि का न तो दुरुपयोग हो और न ही इसे गलत दावाकर्ताओं को वितरित किया जाए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क)और(ख) जी हां। 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार असंचालित खातों में पड़ी अदावाकृत धन राशि 3,837.70 करोड़ रुपये थी। 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार सूचित किए गए असंचालित खातों का क्षेत्रवार ब्यौरा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों को कवर करता है, संलग्न में दिया गया है।

(ग)और(घ) जी नहीं। चूंकि असंचालित खातों में पड़ा धन सदस्यों अथवा उनके उत्तराधिकारियों का है तथा दावों के प्राप्त होते ही यह धन किसी भी समय अदा करने योग्य है, इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अत: इस धन के प्रयोग हेतु कोई स्कीम तथा योजना नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दुरुपयोग अथवा गलत संवितरण से बचने के लिए असंचालित खातों के दावों की सावधानीपूर्वक जांच करने एवं योजना में निर्धारित प्रक्रियाओं और मैनुअल प्रक्रियाओं के अनुसार उचित दावाकर्ताओं को राशि जारी करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अखबारों में विज्ञापनों, श्रमिक संघों/नियोक्ताओं के साथ वार्तालाप, उन लोगों से दावों का आमंत्रण करके जिन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद तीन वर्ष से अधिक की अवधि में अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं इत्यादि के माध्यम से लाभार्थियों के पता लगाने के नियमित प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार असंचालित खातों (अदावाकृत) का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल असंचालित राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश-हैदराबाद	5,155,446,395.84
2.	आंध्र प्रदेश-गून्टूर	2,244,307,817.00
3.	बिहार-पटना	640,455.03
4.	छत्तीसगढ़-रायपुर*	–
5.	दिल्ली-उत्तर	36,612,348.55
6.	दिल्ली-दक्षिण	29,973,933.04

1	2	3
7.	गोवा	42,930,227.85
8.	गुजरात-अहमदाबाद	20,144,984.69
9.	गुजरात-बडौदा	3,184,407.31
10.	हरियाणा-फरीदाबाद	31,763,680.60
11.	हिमाचल प्रदेश-शिमला	1,005,117,000.00
12.	झारखंड-रांची	503,214.65
13.	कर्नाटक-बंगलौर	31,901,486.00
14.	कर्नाटक-मंगलौर	362,000.00
15.	केरल-त्रिवेन्द्रम	1,757,689.00
16.	मध्य प्रदेश-इंदौर	1,702,166,052.00
17.	महाराष्ट्र-I (बान्द्रा)	78,957,978.49
18.	महाराष्ट्र-II (थाणे)**	–
19.	महाराष्ट्र-नागपुर	2,627,130,448.80
20.	महाराष्ट्र-पुणे	7,572,780,139.67
21.	पूर्वोत्तर क्षेत्र-गोवाहाटी	4,241,478.53
22.	उड़ीसा-भुवनेश्वर	2,925,876.08
23.	पंजाब-चंडीगढ़	44,649,373.00
24.	पंजाब-लुधियाना	81,545,488.37
25.	राजस्थान-जयपुर	11,549,049.14
26.	तमिलनाडु-चैन्नई	1,148,071,632.58
27.	तमिलनाडु-कोयम्बटूर	782,335,401.74
28.	तमिलनाडु-मदुरै	472,89,908.80
29.	उत्तराखंड-देहरादून	39,179,693.43
30.	उत्तर प्रदेश-कानपुर	10,832,881,850.74
31.	पश्चिम बंगाल-कोलकाता	3,301,304,951.49
32.	पश्चिम बंगाल-जलपाईगुड़ी	1,070,048,92.83
	कुल	38,377,003,934.25

* छत्तीसगढ़ - रायपुर क्षेत्र की कुल असंचालित राशि मध्य प्रदेश-इंदौर क्षेत्र की कुल असंचालित राशि में शामिल है।

** महाराष्ट्र-II थाणे क्षेत्र की कुल असंचालित राशि महाराष्ट्र-I बान्द्रा क्षेत्र की असंचालित राशि में शामिल है।

[अनुवाद]

वृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाएं

1198. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान वृद्ध व्यक्त्यिों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में कितने वृद्ध आश्रम चल रहे हैं और कितने वृद्ध व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचा है?

सामाजिक न्याय और अधकिारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) सरकार वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई केन्द्र प्रयोजित योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है। तथापि, सरकार "वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" नामक केन्द्र सेक्टर योजना कार्यान्वित कर रही है और इसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को संबधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की जाती है।

(ख)से(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नही उठता।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सहायता-प्राप्त वृद्धाश्रमों की राज्यवार संख्या और 2008-09 के दौरान शामिल लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की राज्यवार संख्या और 2008-09 के दौरान शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता-प्राप्त वृद्धाश्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	68	1700

1	2	3	4
2.	असम	13	325
3.	बिहार	1	25
4.	छत्तीसगढ़	1	25
5.	दिल्ली	0	0
6.	हरियाणा	4	100
7.	हिमालच प्रदेश	0	0
8.	जम्मू-कश्मीर	0	0
9.	कर्नाटक	38	950
10.	केरल	0	0
11.	मध्य प्रदेश	2	50
12.	महाराष्ट्र	9	225
13.	मणिपुर	12	300
14.	मिजोरम	0	0
15.	नागालैंड	0	0
16.	उड़ीसा	40	1000
17.	पुडुचेरी	0	0
18.	पंजाब	1	25
19.	राजस्थान	3	75
20.	तमिलनाडु	36	900
21.	त्रिपुरा	1	25
22.	उत्तर प्रदेश	4	100
23.	उत्तराखंड	1	25
24.	पश्चिम बंगाल	24	600
	कुल	258	6450

नवोदय विद्यालयों की स्थापना

1199. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नवोदय विद्यालय खोले गए और इनकी स्थान-वार और राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने नए नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है और ये किन-किन राज्यों में तथा किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालयों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ वास्तव में कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई; और

(ङ) देश में केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विगत तीन वर्षों (2006-07, 2007-08 और 2008-09) के दौरान 55 नवोदय विद्यालय खोले गए। स्थानवार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) नए जवाहर विद्यालय का खोला जाना इस पर निर्भर करता है कि संबंधति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार लगभग 30 एकड़ नि:शुल्क उपयुक्त भूखंड उपलब्ध कराए, तीन या चार वर्षों या उस समय तक जब तक कि समिति स्थाई स्थान पर अपना भवन निर्मित न कर ले, के लिए छात्रों और कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए किराया मुक्त उपयुक्त अस्थाई आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और साथ ही यह पर्याप्त निधियों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृत पर भी निर्भर करता है।

(ग) नवोदय विद्यालय समिति के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान योजनागत के अंतर्गत 1300 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है। केवल नए विद्यालयों के लिए अलग से आबंटन नहीं किया गया है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी नए विद्यालय की स्थापना हेतु कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(ङ) सरकार ने "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" नामक एक योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं को स्तरोन्नत करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

राज्य	2006-07 (जिले का नाम)	2007-08 (जिले का नाम)	2008-09 (जिले का नाम)
गुजरात			49. अमरेली
महाराष्ट्र			50. दांग
अरुणाचल प्रदेश	1. अपर दिबंग वैली		51. धुले
	2. अंजाव		
	3. कुरूंग कुमे		
असम	4. बकसा	35. धुबरी	
	5. उदलगुरी		
	6. बोंगेगांव		
	7. नागांव		
	8. नार्थ कच्छार हिस्लस		
मिजोरम	9. चम्पाई	36. लॉनग्टी	52. मामिट
		37. कोलासिब	
नागालैंड	10. कलफिरे	38. लोगलेंग	
	11. जुनहेबोटो		
	12. दीमापुर		
	13. पेरेन		
त्रिपुरा		39. नार्थ त्रिपुरा	
बिहार	14. लखीसराय	40. अरवाल	
	15. रोहतास		
झारखंड	16. सिम्देगा	41. जमैरा	
पश्चिम बंगाल	17. वीरभूम	42. पुरूलिया	53. साउथ 24 परगना
	18. कूच बिहार		
	19. होवारा		
	20. पश्चिम मेदनापुर		
हरियाणा	21. फतेहाबाद	43. गुड़गांव	
मध्यप्रदेश	22. शाहडोल		
	23 उमारिया		
छत्तीसगढ़	24. जशपुर		
	25. कंकेर		
	26. कवारधा		
	27. कोरिया		
उड़ीसा	28. बारगढ़	44. नयागढ़	
	29 भद्रक		
	30. देवगढ़		
	31. जगतसिंह पुर		
	32. जाजपुर		
हिमाचल प्रदेश		45. कुल्लू	
पंजाब		46. अमृतसर	54. बरनाला
उत्तर प्रदेश	33. हमीरपुर	47. अम्बेडकर नगर	55. श्रावेस्ती
	34. गाजियाबाद		
उत्तराखंड		48. देहरादून	

[हिन्दी]

डाकघरों की स्थापना

1200. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालु पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित देश में राज्यवार सभी ग्राम पंचायतों और दूरवर्ती, पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघरों तथा उप डाकघरों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त डाकघरों की स्थापना के लिए निर्धारित मापदंड में छूट देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में (हिमाचय प्रदेश सहित) 3000 शाखा डाकघर एवं 2000 उप डाकघर स्थापित करने के लक्ष्य की योजना बनाई गई थी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी एवं अगम्य इलाकों, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भाग शामिल हैं, में मापदंडों में पहले ही छूट दी गई है।

(ग) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानदंडों जैसे 3000 की जनसंख्या, निकटतम डाकघर से 3 कि.मी. दूरी और लागत के मुकाबले 33 1/3% की आय की तुलना में पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानदण्डों में छूट दी गई है, जो इस प्रकार हैं–प्रस्तावित डाकघरों द्वारा सेवित एक गांव के लिए 500 और गांवों के समूह के लिए 1000 की जनसंख्या, इसके अतिरिक्त लागत के मुकाबले 15% की आय निर्धारित है। इसके अलावा, न्यूनतम दूरी में भी केवल विशेष परिस्थितियों में निदेशालय द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है।

(घ) लक्ष्यों के अनुसार डाकघरों को यथाशीघ्र खोले जाने की संभावना है बशर्ते कि इन प्रस्तावित डाकघरों के संचालन के लिए अपेक्षित पदों का सृजन हो जाए, जिसके लिए वित्तीय अनुमोदन प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

सीबीएसई द्वारा संबद्धता

1201. श्री एंटो एंटोनी:

क्या **मानस संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार कितने विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं और कितनों ने सीबीएसई का पाठ्यक्रम अपनाया है;

(ख) राज्यवार ऐसे विद्यालयों के संबद्धता, उन्नयन के लिए कितने अनुरोध केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समक्ष लंबित हैं;

(ग) सीबीएसई के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं और उनमें से प्रत्येक का क्षेत्राधिकार क्या है तथा ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कितने विद्यालय आते हैं;

(घ) क्या सरकार ने केरल सहित विभिन्न राज्यों में सीबीएसई के और अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थानवार और राज्यवार स्थिति क्या है; और

(च) इन कार्यालयों का कार्य कब से शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) दिनांक 31.5.2009 तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए संबंधन हेतु 2250 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके क्षेत्राधिकार सहित प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न–III में दिया गया है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

दिनांक 31.05.2009 तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबंधन स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	264
2.	असम	160
3.	बिहार	314
4.	गुजरात	188
5.	हरियाणा	788
6.	हिमाचल प्रदेश	164
7.	जम्मू व कश्मीर	95
8.	कर्नाटक	356
9.	केरल	829
10.	मध्य प्रदेश	565
11.	महाराष्ट्र	279
12.	मणिपुर	46
13.	मेघालय	19
14.	नागालैंड	26
15.	उड़ीसा	173
16.	पंजाब	609
17.	राजस्थान	477
18.	सिक्किम	171
19.	तमिलनाडु	224
20.	त्रिपुरा	20
21.	उत्तर प्रदेश	1226
22.	अरुणाचल प्रदेश	226
23.	मिजोरम	5
24.	पश्चिम बंगाल	162
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	99
26.	चंडीगढ़	138
27.	दिल्ली	1714
28.	गोवा	9
29.	पुडुचेरी	8
30.	दादरा व नगर हवेली	3
31.	दमन व दीव	5
32.	लक्षद्वीप	4
33.	छत्तीसगढ़	326
34.	झारखंड	274
35.	उत्तराचंल	314
36.	विदेशी स्कूल	149
	कुल	10429

विवरण-II

सत्र 2010-2011 के लिए 7.7.2209 तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबंधन स्तरोन्नयन हेतु प्राप्त नए आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नाम	कुल प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित स्तर	
					आवेदन जिन पर कार्रवाई की जा रही है	ऐसे मामले जिनके लिए शुल्क प्राप्त होना है
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	134	2	1	46	85

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	27	2	1	5	19
3.	बिहार	101	5	4	20	72
4.	गुजरात	68	4	5	25	34
5.	हरियाणा	226	10	5	58	153
6.	हिमाचल प्रदेश	34	0	2	10	22
7.	जम्मू व कश्मीर	14	0	1	6	7
8.	कर्नाटक	112	3	1	23	85
9.	केरल	191	3	10	45	133
10.	मध्य प्रदेश	194	13	3	43	135
11.	महाराष्ट्र	164	6	15	47	96
12.	मणिपुर	3	0	0	2	1
13.	मेघालय	1	0	0	0	1
14.	नागालैंड	4	0	0	3	1
15.	उड़ीसा	42	2	0	11	29
16.	पंजाब	173	17	1	49	106
17.	राजस्थान	130	5	8	31	86
18.	सिक्किम	1	0	0	1	0
19.	तमिलनाडु	66	3	2	15	46
20.	त्रिपुरा	6	0	0	2	4
21.	उत्तर प्रदेश	303	20	6	83	194
22.	अरुणाचल प्रदेश	22	0	0	13	9
23.	मिजोरम	1	0	0	1	0
24.	पश्चिम बंगाल	13	0	2	4	7
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	0	0	0	5
26.	चंडीगढ़	8	0	0	3	5
27.	दिल्ली	53	2	2	23	26
28.	गोवा	1	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7
29.	पुडुचेरी	3	0	0	0	3
30.	दादरा व नगर हवेली	3	0	1	1	1
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
33.	छत्तीसगढ़	50	1	0	12	37
34.	झारखंड	31	1	3	10	17
35.	उत्तरांचल	54	2	1	17	34
36.	विदेशी स्कूल	12	2	0	6	4
	कुल	2250	103	74	615	1458

विवरण-III

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार सहित प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों की संख्या की सूची

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	राज्य	प्रत्येक क्षेत्र में संबद्ध स्कूलों की कुल संख्या
1	2	3
दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1863
	विदेशी स्कूल	
	हरियाणा	
	चंडीगढ़	
पंचकुला	पंजाब	1794
	जम्मू और कश्मीर	
	हिमाचल प्रदेश	
	उत्तर प्रदेश	1540
इलाहाबाद	उत्तरांचल	
	असम	
	नागालैंड	
	मणिपुर	
गुवाहाटी	मेघालय	673
	त्रिपुरा	
	सिक्किम	
	अरुणाचल प्रदेश	
	मिजोरम	
	राजस्थान	
अजमेर	गुजरात	1233
	मध्य प्रदेश	
	दादरा और नगर हवेली	
	तमिलनाडु	
	केरल	
	आंध्र प्रदेश	
चेन्नई	महाराष्ट्र	2077
	गोवा	
	पुडुचेरी	
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
	दमन और दीव	
	लक्षद्वीप	
	बिहार	
पटना	झारखंड	588
	उड़ीसा	
भुवनेश्वर	पश्चिम बंगाल	661
	छत्तीसगढ़	
	कुल योग	10429

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

1202. श्री अशोक कुमार रावत:
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में संसद सदस्यों (एमपी) के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उन संसद सदस्यों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, जिनके संसदीय क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में संसद सदस्यों के लिए प्रवेश कोटे में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) प्रत्येक संसद सदस्य संसदीय चुनाव क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले हेतु किसी शैक्षिक वर्ष में उस चुनाव क्षेत्र के बच्चों से संबंधित केवल दो मामलों की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य सभा का कोई भी सदस्य अपने राज्य जहां से यह चुनाव लड़ता है, में स्थित किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले हेतु सिफारिश कर सकता है। यह सिफारिश पूर्व-प्राथमिक, कक्षा-X तथा कक्षा XII को छोड़कर सभी कक्षाओं हेतु की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाक संबंधी कार्यकलापों का बहुविधिकरण

1203, श्री वैजयंत पांडा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण, खुदरा और बैंकिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्यकुशल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को नया रूप देने के लिए 900 करोड़ रु. खर्च करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा राज्य सहित देश में इस परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन से डाकघरों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) एक विभाग अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करने और अपनी मौजूदा अवसंरचना का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के सहयोग से डाक सेवाओं से इतर सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। डाक विभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही है:

(i) डाकघर, बिजनेस कोरेसपोंडेंट स्कीम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का कार्य कर रहे हैं।

(ii) तमिलनाडु सर्किल में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्व-सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण का संवितरण किया जा रहा है।

(iii) चुनींदा डाकघर रेल मंत्रालय के सहयोग से यात्री आरक्षण सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(iv) डाकघर दूरसंचार कंपनियों एवं अन्य यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडरों के लिए ग्राहकों से विभिन्न प्रकार के बिलों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने हेतु एक प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहे हैं।

(v) डाकघर वित्तीय संस्थानों जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, रिलायन्स म्युचुअल फंड्स आदि की ओर से वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का संवितरण कर रहे हैं। डाकघर ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के गैर-जीवन बीमा उत्पादों का भी संवितरण कर रहे हैं।

(vi) डाकघर अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा के माध्यम से 205 देशों से धन प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

(vii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के लाभार्थियों को मजदूरी का संवितरण डाकघरों के माध्यम से किया जाता है।

(viii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान भी डाकघरों के माध्यम से किया जा रहा है।

(ix) डाकघर विभिन्न प्रकार की डाकघर बचत बैंक स्कीमें जैसे बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय स्कीम, लोक भविष्य निधि वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र भी प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) व्यवहार्यता एवं निधियों की उपलब्धता के अंतर्गत डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के जरिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेशन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा, प्रोजेक्ट ऐरो स्कीम के अंतर्गत 500 डाकघरों की साज-सज्जा बेहतर करने और मुख्य-मुख्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में खर्च करने के लिए 65 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इन 500 प्रोजेक्ट ऐरो डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फेज III - 500 डाकघरों की सूची

क्र.सं.	डाकघर का नाम	पिनकोड	क्षेत्र	सर्किल
1	2	3	4	5
1.	खैरताबाद प्रधान डाकघर	500004	हैदराबाद सिटी	आंध्र प्रदेश
2.	नेल्लूर प्रधान डाकघर	524001	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
3.	राजमुंदी प्रधान डाकघर	533101	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
4.	श्रीकाकुलम प्रधान डाकघर	532001	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
5.	चित्तूर प्रधान डाकघर	517001	कुर्नूल	आंध्र प्रदेश
6.	कुर्नूल	518001	कुर्नूल	आंध्र प्रदेश
7.	हनामकोंडा प्रधान डाकघर	506001	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
8.	संगारेड्डी प्रधान डाकघर	502001	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
9.	काकिनाडा प्रधान डाकघर	533001	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
10.	तेनाली प्रधान डाकघर	522201	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
11.	हुमायूंनगर	500028	हैदराबाद सिटी	आंध्र प्रदेश
12.	सनतनगर आई.ई	500018	हैदराबाद सिटी	आंध्र प्रदेश
13.	बेगम बाजार	500012	हैदराबाद सिटी	आंध्र प्रदेश
14.	रेपाल्ले	522265	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
15.	गांधी चौक (केएचएम)	507003	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
16.	कोतापेटा मुख्य डाकघर	533223	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश
17.	बेल्लमपल्ली उप डाकघर	504251	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
18.	काजीपेट उप डाकघर	506003	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
19.	तिरुमला	517504	कुर्नूल	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5
20.	नलबारी	781335	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
21.	बारपेटा	781301	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
22.	धुबरी	783301	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
23.	गुवाहाटी जीपीओ	781001	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
24.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी	781014	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
25.	डिब्रूगढ़	786001	डिब्रूगढ़	असम
26.	तिनसुकिया	786125	डिब्रूगढ़	असम
27.	जोरहार	785001	डिब्रूगढ़	असम
28.	शिवसागर	785640	डिब्रूगढ़	असम
29.	तेजपुर	784001	डिब्रूगढ़	असम
30.	नागांव	782001	डिब्रूगढ़	असम
31.	सिलचर	788001	डिब्रूगढ़	असम
32.	बेंकाईगांव	783380	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
33.	रंगिया	781354	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
34.	धेमाजी	787057	डिब्रूगढ़	असम
35.	मोरीगांव	782105	डिब्रूगढ़	असम
36.	बारपेटा रोड	781315	गुवाहाटी मुख्यालय	असम
37.	दुलियाजांन	786602	डिब्रूगढ़	असम
38.	डिगबोई	786171	डिब्रूगढ़	असम
39.	दूमदूमा	786151	डिब्रूगढ़	असम
40.	बोकाखाट	785612	डिब्रूगढ़	असम
41.	मरियानी	785634	डिब्रूगढ़	असम
42.	चरियाली	784176	डिब्रूगढ़	असम
43.	बक्सर प्रधान डाकघर	802101	सेंट्रल	बिहार
44.	पटना जीपीओ	800001	सेंट्रल	बिहार
45.	दरभंगा प्रधान डाकघर	846004	उत्तर	बिहार
46.	पुर्निया प्रधान डाकघर	854301	उत्तर	बिहार
47.	कटिहार प्रधान डाकघर	854105	उत्तर	बिहार

1	2	3	4	5
48.	सहरसा प्रधान डाकघर	852201	उत्तर	बिहार
49.	सिवान प्रधान डाकघर	841226	उत्तर	बिहार
50.	किशनगंज	855107	उत्तर	बिहार
51.	अररिया	854311	उत्तर	बिहार
52.	पटना सिटी	800008	सेंट्रल	बिहार
53.	रक्सौल	845305	उत्तर	बिहार
54.	पाटलीपुत्र	800013	सेंट्रल	बिहार
55.	गुलजारबाग	800007	सेंट्रल	बिहार
56.	लोहियानगर	800020	सेंट्रल	बिहार
57.	बरौनी	851112	उत्तर	बिहार
58.	भागलपुर सिटी	812002	सेंट्रल	बिहार
59.	पटना सचिवालय	800015	सेंट्रल	बिहार
60.	दुमरौन	802119	सेंट्रल	बिहार
61.	डालमियानगर	821305	सेंट्रल	बिहार
62.	राजगीर	803116	सेंट्रल	बिहार
63.	पटना यूनिवर्सिटी	800005	सेंट्रल	बिहार
64.	बरौनी ऑयल रिफाइनरी	851114	उत्तर	बिहार
65.	डी.एम.सी.एच.	846003	उत्तर	बिहार
66.	रायपुर प्रधान डाकघर	492001	रायपुर	छत्तीसगढ़
67.	दुर्ग प्रधान डाकघर	491001	रायपुर	छत्तीसगढ़
68.	बिलासपुर प्रधान डाकघर	495001	रायपुर	छत्तीसगढ़
69.	कोरबा प्रधान डाकघर	495677	रायपुर	छत्तीसगढ़
70.	रायगढ़ प्रधान डाकघर	496001	रायपुर	छत्तीसगढ़
71.	रायपुरगंज	492009	रायपुर	छत्तीसगढ़
72.	बलोड़ा बाजार	493332	रायपुर	छत्तीसगढ़
73.	धमतारी	493773	रायपुर	छत्तीसगढ़
74.	महासमुंद्र	493445	रायपुर	छत्तीसगढ़
75.	जाशपुर नगर	496331	रायपुर	छत्तीसगढ़

1	2	3	4	5
76.	सी.सी. भिलाई	490006	रायपुर	छत्तीसगढ़
77.	अकालतारा	495552	रायपुर	छत्तीसगढ़
78.	दोंगारगढ़ उप डाकघर	491445	रायपुर	छत्तीसगढ़
79.	भिलाई-1	490001	रायपुर	छत्तीसगढ़
80.	मनेंद्रगढ़	497442	रायपुर	छत्तीसगढ़
81.	कवर्धा	491995	रायपुर	छत्तीसगढ़
82.	मुंगेली	495334	रायपुर	छत्तीसगढ़
83.	चंपा	495671	रायपुर	छत्तीसगढ़
84.	संसद मार्ग प्रधान डाघकर	110001	दिल्ली	दिल्ली
85.	नई दिल्ली प्रधान डाघकर	110001	वही	दिल्ली
86.	इंद्र प्रस्था प्रधान डाघकर	110002	वही	दिल्ली
87.	लोधी रोड प्रधान डाघकर	110003	वही	दिल्ली
88.	नारायणा	110028	वही	दिल्ली
89.	कालकाजी	110019	वही	दिल्ली
90.	अशोक विहार प्रधान डाघकर	110052	वही	दिल्ली
91.	दिल्ली जीपीओ	110006	वही	दिल्ली
92.	झिलमिल प्रधान डाघकर	110095	वही	दिल्ली
93.	कृष्णा नगर	110051	वही	दिल्ली
94.	रमेश नगर	110015	वही	दिल्ली
95.	सरोजिनी नगर	110023	वही	दिल्ली
96.	करोल बाग	110005	दिल्ली	दिल्ली
97.	राजेंद्र नगर	110060	वही	दिल्ली
98.	पड़पड गंज	140091	वही	दिल्ली
99.	सिवल लाइन्स	110054	वही	दिल्ली
100.	बदरपुर	110044	वही	दिल्ली
101.	ग्रेटर कैलाश	110048	वही	दिल्ली
102.	जंगपुरा	110014	वही	दिल्ली
103.	लाजपत नगर	110024	वही	दिल्ली

1	2	3	4	5
104.	मालवीय नगर	110017	वही	दिल्ली
105.	एस.एन. पुरी	110065	वही	दिल्ली
106.	हौज खास डाकघर	110016	वही	दिल्ली
107.	सफदरजंग एन्कलेव	110029	वही	दिल्ली
108.	जनकपुरी, बी ब्लॉक	110058	वही	दिल्ली
109.	राजौरी गार्डन	110027	वही	दिल्ली
110.	तिलक नगर	110018	वही	दिल्ली
111.	चाणक्यपुरी	110021	वही	दिल्ली
112.	जेएनयू	110067	दिल्ली	दिल्ली
113.	कनॉट प्लेस	110001	दिल्ली	दिल्ली
114.	शाहदरा	110032	दिल्ली	दिल्ली
115.	ओ.आई. एस्टेट	110020	दिल्ली	दिल्ली
116.	राष्ट्रपति भवन	110004	दिल्ली	दिल्ली
117.	जनपथ	110001	दिल्ली	दिल्ली
118.	उद्योग भवन	110011	दिल्ली	दिल्ली
119.	यूपीएसई	110069	दिल्ली	दिल्ली
120.	अहमदाबाद जीपीओ	380001	अहमदाबाद	गुजरात
121.	जूनागढ़ प्रधान डाकघर	362001	राजकोट	गुजरात
122.	भावनगर प्रधान डाकघर	364001	राजकोट	गुजरात
123.	जामनगर प्रधान डाकघर	361001	राजकोट	गुजरात
124.	राजकोट प्रधान डाकघर	360001	राजकोट	गुजरात
125.	सूरत प्रधान डाकघर	395003	वडोदरा	गुजरात
126.	भड़ूच प्रधान डाकघर	392001	वडोदरा	गुजरात
127.	वडोदरा प्रधान डाकघर	390001	वडोदरा	गुजरात
128.	वल्साड प्रधान डाकघर	396001	वडोदरा	गुजरात
129.	सिलवासा मुख्य डाकघर	396230	वडोदरा	गुजरात
130.	वापी मुख्य डाकघर	396191	वडोदरा	गुजरात
131.	पालडी डाकघर	380007	अहमदाबाद	गुजरात

1	2	3	4	5
132.	राजकोट भक्तिनगर डाकघर	360002	राजकोट	गुजरात
133.	ऊना मुख्य डाकघर	362560	राजकोट	गुजरात
134.	मोरबी मुख्य डाकघर	363641	राजकोट	गुजरात
135.	व्यारा मुख्य डाकघर	394650	वडोदरा	गुजरात
136.	खभालिया मुख्य डाकघर	361305	राजकोट	गुजरात
137.	मानवदर उप डाकघर	362630	राजकोट	गुजरात
138.	महुवा मुख्य डाकघर	364290	राजकोट	गुजरात
139.	उम्रेथ	388220	वडोदरा	गुजरात
140.	अंकलेश्वर मुख्य डाकघर	393001	वडोदरा	गुजरात
141.	अंबाला जीपीओ	133001	अंबाला	हरियाणा
142.	अंबाला सिटी प्रधान डाकघर	134003	अंबाला	हरियाणा
143.	फरीदाबाद एनआईटी प्रधान डाकघर	121001	अंबाला	हरियाणा
144.	गुडगांव प्रधान डाकघर	122001	अंबाला	हरियाणा
145.	हिसार प्रधान डाकघर	125001	अंबाला	हरियाणा
146.	कर्नाल प्रधान डाकघर	132001	अंबाला	हरियाणा
147.	पानीपत प्रधान डाकघर	132103	अंबाला	हरियाणा
148.	कुरुक्षेत्र प्रधान डाकघर	136118	अंबाला	हरियाणा
149.	रोहतक प्रधान डाकघर	124001	अंबाला	हरियाणा
150.	जींद प्रधान डाकघर	126102	अंबाला	हरियाणा
151.	सदर बाजार अंबाला उप डाकघर	133001	अंबाला	हरियाणा
152.	सै.-8 पंचकुला (मुख्य डाकघर)	134109	अंबाला	हरियाणा
153.	सै.-16 ए फरीदाबाद उप डाकघर	121002	अंबाला	हरियाणा
154.	कैथल मुख्य डाकघर	136027	अंबाला	हरियाणा
155.	सै.-15 पंचकुला उप डाकघर	134113	अंबाला	हरियाणा
156.	सै.-7 फरीदाबाद उप डाकघर	121006	अंबाला	हरियाणा
157.	चराखी दादरी	127306	अंबाला	हरियाणा
158.	सै.-22 फरीदाबाद उप डाकघर	121005	अंबाला	हरियाणा
159.	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उप डाकघर	136119	अंबाला	हरियाणा

1	2	3	4	5
160.	मेडिकल कॉलेज रोहतक	124001	अंबाला	हरियाणा
161.	जगाधरी उप डाकघर	135003	अंबाला	हरियाणा
162.	होडल उप डाकघर	121106	अंबाला	हरियाणा
163.	शिमला	171001	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
164.	चबा	176310	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
165.	कांगड़ा	176001	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
166.	धर्मशाला	176215	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
167.	कैलोंग	175132	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
168.	कुल्लू	175101	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
169.	रेकोंग पीओ	172107	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
170.	कसौली	173204	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
171.	डलहौसी	176304	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
172.	मनाली	175131	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
173.	शिमला पूर्व	171002	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
174.	अंबेडकर चौक	171004	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
175.	परवाणू	173220	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
176.	बैजनाथ	176125	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
177.	ज्वालामुखी	176031	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
178.	योल कैंप	176052	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
179.	श्रीनगर जीपीओ	190001	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
180.	अनंतनाग प्रधान डाकघर	192101	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
181.	बारामुल्ला प्रधान डाकघर	193101	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
182.	लेह प्रधान डाकघर	194101	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
183.	जम्मू तवी प्रधान डाकघर	180001	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
184.	एस आर गंज उप डाकघर	190002	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
185.	आर.एस. पुरा मुख्य डाकघर	181102	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
186.	डोडा मुख्य डाकघर	182202	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
187.	पुलवामा मुख्य डाकघर	192301	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर

1	2	3	4	5
188.	राम नगर उप डाकघर	182122	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
189.	अखनू मुख्य डाकघर	181201	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर
190.	निरसाचट्टी	828205	रांची	झारखंड
191.	साहिबगंज	816109	रांची	झारखंड
192.	छतरा मुख्य डाकघर	825401	रांची	झारखंड
193.	जपला	822116	रांची	झारखंड
194.	चीरकुंडा	828202	रांची	झारखंड
195.	सिल्ली	835102	रांची	झारखंड
196.	पाकुर	816107	रांची	झारखंड
197.	ए.जी. बिहार एनडीएसओ	834002	रांची	झारखंड
198.	चक्रधरपुर	833102	रांची	झारखंड
199.	टेलको वर्क्स	831004	रांची	झारखंड
200.	मैथनदाम	828207	रांची	झारखंड
201.	सतसंग	814116	रांची	झारखंड
202.	बेंगलूर जीपीओ	560001	बेंगलूर	कर्नाटक
203.	बसवनगुडी प्रधान डाकघर	560004	बेंगलूर	कर्नाटक
204.	जयनगर प्रधान डाकघर	560041	बेंगलूर	कर्नाटक
205.	राजाजीनगर प्रधान डाकघर	560010	बेंगलूर	कर्नाटक
206.	एचएल II स्टैज प्रधान डाकघर	560008	बेंगलूर	कर्नाटक
207.	बेंलगांव प्रधान डाकघर	590001	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
208.	बेल्लारी प्रधान डाकघर	583101	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
209.	बीजापुर प्रधान डाकघर	586101	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
210.	बीदार प्रधान डाकघर	585401	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
211.	धारवाड प्रधान डाकघर	580001	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
212.	गुलबर्ग प्रधान डाकघर	585101	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
213.	कोलार प्रधान डाकघर	563101	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
214.	मेंगलूर प्रधान डाकघर	575001	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
215.	उडुपी प्रधान डाकघर	576101	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक

1	2	3	4	5
216.	मैसूर प्रधान डाकघर	570001	एन. के क्षेत्र	कर्नाटक
217.	बसवेश्वर नगर मुख्य डाकघर	560079	बेंगलूर	कर्नाटक
218.	फ्रेसर टाउन	560005	बेंगलूर	कर्नाटक
219.	म्यूजियम रोड	560025	बेंगलूर	कर्नाटक
220.	इंदिरानगर	560038	बेंगलूर	कर्नाटक
221.	शाहबाद	585228	ए. के. क्षेत्र	कर्नाटक
222.	चामराजपेट	560018	बेंगलूर	कर्नाटक
223.	जयनगर III बीएलके	560011	बेंगलूर	कर्नाटक
224.	येलहंका उप डाकघर	560064	बेंगलूर	कर्नाटक
225.	पीन्या लघु उद्योग	560058	बेंगलूर	कर्नाटक
226.	विवेक नगर	560047	बेंगलूर	कर्नाटक
227.	धारवाड केसी पार्क	580008	ए. के. क्षेत्र	कर्नाटक
228.	चामराजनगर	571313	ए. के. क्षेत्र	कर्नाटक
229.	डी आर कॉलेज	560029	बेंगलूर	कर्नाटक
230.	साइंस इंस्टिटूट	560012	बेंगलूर	कर्नाटक
231.	सेट थॉमस टाउन	560084	बेंगलूर	कर्नाटक
232.	आलप्पुषा	688001	सेंट्रल	केरल
233.	आलुवा प्रधान डाकघर	683101	सेंट्रल	केरल
234.	चंगनाश्शेरी	686101	सेंट्रल	केरल
235.	एरणाकुलम	682011	सेंट्रल	केरल
236.	कोच्चि प्रधान डाकघर	682001	सेंट्रल	केरल
237.	कोट्टयम	686001	सेंट्रल	केरल
238.	त्रिशूर	680001	सेंट्रल	केरल
239.	कालीकट	673001	उत्तर	केरल
240.	कन्नूर	670001	उत्तर	केरल
241.	पालक्काड	678001	उत्तर	केरल
242.	तलश्शेरी प्रधान डाकघर	670101	उत्तर	केरल
243.	कोल्लम	691001	दक्षिण	केरल

1	2	3	4	5
244.	पत्तनतिट्टा	689645	दक्षिण	केरल
245.	त्रिवेंद्रम जीपीओ	695001	दक्षिण	केरल
246.	तैक्काड प्रधान डाकघर	695014	दक्षिण	केरल
247.	त्रिप्पूनितुरा	682301	सेंट्रल	केरल
248.	पलिक्कल	690503	सेंट्रल	केरल
249.	नीलेश्वर	671314	उत्तर	केरल
250.	कोट्टक्कल उप डाकघर	676503	उत्तर	केरल
251.	पय्योली	673522	उत्तर	केरल
252.	पट्टम पैलेस	695004	दक्षिण	केरल
253.	त्रिवेंद्रम फोर्ट	695023	दक्षिण	केरल
254.	त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज	695011	दक्षिण	केरल
255.	मून्नार	685612	सेंट्रल	केरल
256.	कावारत्ति	682555	सेंट्रल	केरल
257.	मालेगांव प्रधान डाकघर	423203	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
258.	नाकिस रोड प्रधान डाकघर	422101	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
259.	मालवां प्रधान डाकघर	416606	गोवा	महाराष्ट्र
260.	चेंबूर प्रधान डाकघर	400071	मुंबई	महाराष्ट्र
261.	थाने प्रधान डाकघर	400601	मुंबई	महाराष्ट्र
262.	माहिम प्रधान डाकघर	400016	मुंबई	महाराष्ट्र
263.	कालबादेवी प्रधान डाकघर	400002	मुंबई	महाराष्ट्र
264.	नागपुर सिटी प्रधान डाकघर	440002	नागपुर	महाराष्ट्र
265.	पुणे प्रधान डाकघर	411001	पुणे	महाराष्ट्र
266.	सतारा प्रधान डाकघर	415001	पुणे	महाराष्ट्र
267.	अंबाजोगाई	431517	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
268.	मनमाड उप डाकघर	423104	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
269.	तुलजापुर मुख्य डाकघर	413601	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
270.	आजादनगर	400053	मुंबई	महाराष्ट्र
271.	चकाला एमआईडीसी	400093	मुंबई	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
272.	गाचिरोली मुख्य डाकघर	442605	नागपुर	महाराष्ट्र
273.	चिंचवड पूर्व	411019	पुणे	महाराष्ट्र
274.	अंधेरी आरएस	400058	मुंबई	महाराष्ट्र
275.	कोलाबा डाकघर	400005	मुंबई	महाराष्ट्र
276.	कुर्ला (पश्चिम)	400070	मुंबई	महाराष्ट्र
277.	संगमेश्वर	415611	गोवा	महाराष्ट्र
278.	तसगांव	416312	गोवा	महाराष्ट्र
279.	गधींगलज	416502	गोवा	महाराष्ट्र
280.	सवदा	425502	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
281.	डिंडोरी उप डाकघर	422202	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
282.	चिखल थाना औद्योगिक क्षेत्र उप डाकघर	431112	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
283.	कोल्हापुर रेलवे स्टेशन	416001	गोवा	महाराष्ट्र
284.	देवरुख	415804	गोवा	महाराष्ट्र
285.	कनकावली	416602	गोवा	महाराष्ट्र
286.	कुदल	416520	गोवा	महाराष्ट्र
287.	गोरेगांव पूर्व	400063	मुंबई	महाराष्ट्र
288.	पवई आईआईटी	400076	मुंबई	महाराष्ट्र
289.	मुलूंद पश्चिम	400080	मुंबई	महाराष्ट्र
290.	बारीवली पश्चिम	400092	मुंबई	महाराष्ट्र
291.	बालाघाट प्रधान डाकघर	481001	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
292.	सियोनी प्रधान डाकघर	480661	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
293.	दमोह प्रधान डाकघर	470661	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
294.	तीकमगढ़ प्रधान डाकघर	472001	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
295.	नरसिंहपुर प्रधान डाकघर	487001	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
296.	सीधी प्रधान डाकघर	486661	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
297.	सतना प्रधान डाकघर	485001	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
298.	बेतूल	460001	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
299.	गोविंदपुरा उप डाकघर	462023	मुख्यालय	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5
300.	ग्वालियर सिटी	474003	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
301.	महेश्वर	451224	इंदौर	मध्य प्रदेश
302.	एम.एल. नगर, उज्जैन	456010	इंदौर	मध्य प्रदेश
303.	परासिया	480441	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
304.	बारवानी	451551	इंदौर	मध्य प्रदेश
305.	मैहर	485771	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
306.	नागदा	456335	इंदौर	मध्य प्रदेश
307.	रविशंकर नगर, भोपाल	462016	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
308.	एच ई अस्पताल	462024	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
309.	डिडोरी	481880	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
310.	इटारसी	461111	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
311.	सागर यूनिवर्सिटी	470003	मुख्यालय	मध्य प्रदेश
312.	आर. बी. कॉलोनी	474001	ग्वालियन	मध्य प्रदेश
313.	पोरसा	476115	ग्वालियन	मध्य प्रदेश
314.	मनोरमा गंज	452001	इंदौर	मध्य प्रदेश
315.	आरएसएस नगर	452008	इंदौर	मध्य प्रदेश
316.	इंडस्ट्रियल एस्टेट	452015	इंदौर	मध्य प्रदेश
317.	बदनावार	454660	इंदौर	मध्य प्रदेश
318.	जेबी कैंट	482001	इंदौर	मध्य प्रदेश
319.	तेकनपुर	475005	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
320.	मोतीमहल	474007	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
321.	ग्वालियर आर एस	474002	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
322.	सिटी-2	452002	इंदौर	मध्य प्रदेश
323.	राधाकिशोरपुर	799120	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
324.	धर्मनगर एचपीओ	799250	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
325.	इंफाल प्रधान डाकघर	795001	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
326.	शिलांग जीपीओ	793001	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
327.	कोलासीव	796081	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर

1	2	3	4	5
328.	खोवाई	799201	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
329.	अलोग मुख्य डाकघर	791001	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
330.	तेजू मुख्य डाकघर	792001	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
331.	खोनसा मुख्य डाकघर	786630	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
332.	चुराचंदपुर	795128	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
333.	मोन	798621	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
334.	त्वेनसोंग	798612	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
335.	एआरटीसी	797115	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर
336.	असका	761110	बेरहामपुर	उड़ीसा
337.	भावानीपटना	766001	बेरहामपुर	उड़ीसा
338.	कोरापुट	764020	बेरहामपुर	उड़ीसा
339.	बालासोर	756001	भुवनेश्वर	उड़ीसा
340.	कटक जीपीओ	753001	भुवनेश्वर	उड़ीसा
341.	केंद्रपाड़ा	754211	भुवनेश्वर	उड़ीसा
342.	रायरंगपुर	757043	भुवनेश्वर	उड़ीसा
343.	क्योंझारगढ़	758001	संबलपुर	उड़ीसा
344.	हीराकुंड	768016	संबलपुर	उड़ीसा
345.	भुवनेश्वर 2 (पुराना शहर)	751002	भुवनेश्वर	उड़ीसा
346.	पारादीप	754142	भुवनेश्वर	उड़ीसा
347.	देवगढ़	768108	संबलपुर	उड़ीसा
348.	बारबिल मुख्य डाकघर	758035	संबलपुर	उड़ीसा
349.	बुरला मुख्य डाकघर	768017	संबलपुर	उड़ीसा
350.	जटनी मुख्य डाकघर	752050	संबलपुर	उड़ीसा
351.	नीमापाड़ा	752106	भुवनेश्वर	उड़ीसा
352.	भोयनगर	751022	भुवनेश्वर	उड़ीसा
353.	तेलंगा बाजार	753009	भुवनेश्वर	उड़ीसा
354.	बालूगांव	752030	भुवनेश्वर	उड़ीसा
355.	उत्कल यूनिसर्सिटी	751004	भुवनेश्वर	उड़ीसा

1	2	3	4	5
356.	राऊरकेला-5	769005	संबलपुर	उड़ीसा
357.	राऊरकेला-11	769011	संबलपुर	उड़ीसा
358.	नालको नगर	759145	संबलपुर	उड़ीसा
359.	जपीओ, सीएचडी	160017	मुख्यालय	पंजाब
360.	लुधियाना प्रधान डाकघर	141001	मुख्यालय	पंजाब
361.	पटियाला	147001	मुख्यालय	पंजाब
362.	अमृतसर	143001	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
363.	भठिंडा	151001	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
364.	फरीदकोट प्रधान डाकघर	151203	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
365.	कपूरथला प्रधान डाकघर	144601	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
366.	फगवाड़ा प्रधान डाकघर	144401	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
367.	गुरदासपुर प्रधान डाकघर	143521	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
368.	जालंधर सिटी	144001	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
369.	मॉडल टाउन	141002	मुख्यालय	पंजाब
370.	सेंट्रल डाकघर	141008	मुख्यालय	पंजाब
371.	बरनाला उप डाकघर	148101	मुख्यालय	पंजाब
372.	गोल्डन, टैंपल, अमृतसर	143006	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
373.	भठिंडा सिटी	151005	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
374.	अबोहर	152116	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
375.	फजिलका	152123	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
376.	मोडल टाउन	144003	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
377.	समाना उप डाकघर	147101	मुख्यालय क्षेत्र	पंजाब
378.	मलेरकोटला उप डाकघर	148023	मुख्यालय क्षेत्र	पंजाब
379.	इंडस्ट्रियल टाउन	144004	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
380.	कोट कपूरा	151204	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
381.	सुल्तानपुर लोधी	144626	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
382.	जीरा	142047	पंजाब क्षेत्र	पंजाब
383.	गीदड़वाहा	152101	पंजाब क्षेत्र	पंजाब

1	2	3	4	5
384.	उदयपुर प्रधान डाकघर	313001	अजमेर	राजस्थान
385.	टोंक प्रधान डाकघर	304001	अजमेर	राजस्थान
386.	भीलवाड़ा प्रधान डाकघर	311001	अजमेर	राजस्थान
387.	जयपुर जीपीओ	302001	जयपुर	राजस्थान
388.	दौसा प्रधान डाकघर	303303	जयपुर	राजस्थान
389.	सांभर झील प्रधान डाकघर	303604	जयपुर	राजस्थान
390.	धोलपुर प्रधान डाकघर	328001	जयपुर	राजस्थान
391.	बाकानेर प्रधान डाकघर	334001	जोधपुर	राजस्थान
392.	चूरू प्रधान डाकघर	331001	जोधपुर	राजस्थान
393.	झुनझुनू प्रधान डाकघर	333001	जोधपुर	राजस्थान
394.	जयपुर सिटी	302003	जयपुर	राजस्थान
395.	मसूदा	305623	अजमेर	राजस्थान
396.	नसीराबाद मुख्य डाकघर	305601	अजमेर	राजस्थान
397.	शास्त्री नगर	342003	जोधपुर	राजस्थान
398.	मकराना मुख्य डाकघर	341505	जोधपुर	राजस्थान
399.	केकड़ी	305404	अजमेर	राजस्थान
400.	भरतपुर सिटी मुख्य डाकघर	321001	जयपुर	राजस्थान
401.	कचहरी, अजमेर	305001	अजमेर	राजस्थान
402.	विद्याधर नगर उप डाकघर	302023	जयपुर	राजस्थान
403.	तोडा भीम	321611	जयपुर	राजस्थान
404.	सिगाना उप डाकघर	333516	जोधपुर	राजस्थान
405.	सिवाना	344044	जोधपुर	राजस्थान
406.	सूरजगढ़	333029	जोधपुर	राजस्थान
407.	झोटवाड़ा	302012	जयपुर	राजस्थान
408.	श्याम नगर	302019	जयपुर	राजस्थान
409.	चेन्नै जीपीओ	600001	मुख्यालय	तमिलनाडु
410.	पुडुचेरी प्रधान डाकघर	605001	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
411.	तांब्रम प्रधान डाकघर	600045	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु

1	2	3	4	5
412.	उदगमंडलम	643001	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
413.	चेंगलपट्टू प्रधान डाकघर	603001	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
414.	वेल्लूर प्रधान डाकघर	632001	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
415.	चिदंबरम प्रधान डाकघर	608001	सेंट्रल	तमिलनाडु
416.	कुडलूर प्रधान डाकघर	607001	सेंट्रल	तमिलनाडु
417.	तंजावूर प्रधान डाकघर	613001	सेंट्रल	तमिलनाडु
418.	तिरुच्चिरपल्ली प्रधान डाकघर	620001	सेंट्रल	तमिलनाडु
419.	मदुरै	625001	दक्षिण	तमिलनाडु
420.	मेट्टूपालयम प्रधान डाकघर	641301	पश्चिमी	तमिलनाडु
421.	ईरोड प्रधान डाकघर	638001	पश्चिमी	तमिलनाडु
422.	कूनूर प्रधान डाकघर	643101	पश्चिमी	तमिलनाडु
423.	सेलम प्रधान डाकघर	636001	पश्चिमी	तमिलनाडु
424.	अडयार उप प्रधान डाकघर	600020	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
425.	ग्विनडी आईई उप डाकघर	600032	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
426.	बेसंट नगर उप डाकघर	600090	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
427.	टी नगर उत्तर उप डाकघर	600017	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
428.	तेयनांमपेट उप डाकघर	600018	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
429.	कूनूर आरएस उप डाकघर	643102		तमिलनाडु
430.	रोयापेटा उप डाकघर	600014	चेन्नै सिटी	तमिलनाडु
431.	गुडलूर नीलगिरीस	643211	पश्चिमी	तमिलनाडु
432.	लव डेल उप डाकघर	643003	पश्चिमी	तमिलनाडु
433.	चारिंग क्रॉस उप डाकघर	643001	पश्चिमी	तमिलनाडु
434.	श्री रामकृष्ण विद्यालय उप डाकघर	641020	पश्चिमी	तमिलनाडु
435.	इंदुनगर	543005	पश्चिमी	तमिलनाडु
436.	एटावा प्रधान डाकघर	206001	आगरा	उत्तर प्रदेश
437.	मथुरा प्रधान डाकघर	281001	आगरा	उत्तर प्रदेश
438.	गाजीपुर प्रधान डाकघर	233001	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
439.	मिरजापुर प्रधान डाकघर	231001	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
440.	मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर	251001	बरेली	उत्तर प्रदेश
441.	मेरठ सिटी प्रधान डाकघर	250002	बरेली	उत्तर प्रदेश
442.	सहारनपुर प्रधान डाकघर	247001	बरेली	उत्तर प्रदेश
443.	देवरिया प्रधान डाकघर	274001	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
444.	गोंडा प्रधान डाकघर	271001	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
445.	फतेहपुर प्रधान डाकघर	212601	कानपुर	उत्तर प्रदेश
446.	लखनऊ जीपीओ	226001	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
447.	सीतापुर प्रधान डाकघर	261001	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
448.	फैजाबाद प्रधान डाकघर	224001	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
449.	रोबर्टसगंज	231216	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
450.	मुगलसराय	232101	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
451.	दिलकुश उप डाकघर	226002	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
452.	मोदीनगर	201204	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
453.	गाजियाबाद सिटी	201009	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
454.	आलमबाग उप डाकघर	226005	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
455.	हाथरस मुख्य डाकघर	204101	आगरा	उत्तर प्रदेश
456.	चूनार उप डाकघर	231304	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
457.	मैनपुरी सिटी उप डाकघर	205001	आगरा	उत्तर प्रदेश
458.	न्यू हैदराबाद उप डाकघर	226007	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
459.	अरमापुर उप डाकघर	208009	कानपुर	उत्तर प्रदेश
460.	आईआईटी कानपुर उप डाकघर	208016	कानपुर	उत्तर प्रदेश
461.	बीएचयू	221005	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
462.	एएमयू अलीगढ़	202002	आगरा	उत्तर प्रदेश
463.	गीता प्रेस	273005	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
464.	शक्तिनगर	231222	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
465.	रामनगर उप डाकघर	244715	देहरादून	उत्तराखंड
466.	वीरभद्र उप डाकघर	249202	देहरादून	उत्तराखंड
467.	बैजनाथ	263641	देहरादून	उत्तराखंड

1	2	3	4	5
468.	अगस्तमुनी	246421	देहरादून	उत्तराखंड
469.	ओखीमठ	246469	देहरादून	उत्तराखंड
470.	देहरादून सिटी	248001	देहरादून	उत्तराखंड
471.	धूमाकोट	246277	देहरादून	उत्तराखंड
472.	आसनसोल	713301	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल
473.	बरधवान	713101	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल
474.	दूर्गापुर	713201	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल
475.	हावड़ा	711101	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल
476.	मिदनापुर	721101	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल
477.	अलीपुर	700027	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
478.	बाराबाजार	700007	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
479.	बेहरामपुर प्रधान डाकघर	742101	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
480.	कोलकाता जीपीओ	700001	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
481.	पार्क स्ट्रीट	700016	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
482.	टोलीगंज प्रधान डाकघर	700033	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
483.	दार्जीलिंग प्रधान डाकघर	734101	उत्तर बंगाल एवं सिक्वि	पश्चिम बंगाल
484.	गंगटोक प्रधान डाकघर	737101	उत्तर बंगाल एवं सिक्वि	पश्चिम बंगाल
485.	सिलिगुड़ी प्रधान डाकघर	734001	उत्तर बंगाल एवं सिक्वि	पश्चिम बंगाल
486.	पोर्ट ब्येलर	744101	मुख्यालय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
487.	मयनागुड़ी	735224	उत्तर बंगाल एवं सिक्वि	पश्चिम बंगाल
488.	बोलपुर उप डाकघर	731204	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
489.	एस बी रोड डीएसओ	700029	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
490.	न्यू अलीपुर उप डाकघर	700053	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
491.	काकद्वीप उप डाकघर	743347	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
492.	अलीपुरद्वार मुख्य डाकघर	736121	उत्तर बंगाल एवं सिक्वि	पश्चिम बंगाल
493.	बलीगंज मुख्य डाकघर	700019	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
494.	कलीमपोंग मुख्य डाकघर	734301	उत्तर बंगाल एवं सिक्वि	पश्चिम बंगाल
495.	तारकेश्वर	712420	दक्षिण बंगाल क्षेत्र	पश्चिम बंगाल

1	2	3	4	5
496.	इंटाली डाकघर	700014	कोलकाता क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
497.	एगरा	721429	दक्षिण बंगाल क्षेत्र	पश्चिम बंगाल
498.	सिंगूर	712409	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल
499.	बगनान उप डाकघर	711303	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल
500.	दैनहाट	713502	दक्षिण बंगाल	पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

एमटीएनएल और बीएसएपएल की अनियमित सेवाएं

1204. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य सहित देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)/भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शनों की सेवाएं अनियमित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झारखंड राज्य सहित देश में टेलीफोन और मोबाइल कनेक्शनों के विस्तार के लिए खर्च की गई धनराशि और उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झारखंड दूरसंचार सर्किल सहित बीएसएनएल द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि तथा वर्ष 2009-10 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

एमटीएनएल की 2-जी और 3-जी मोबाइल नेटवर्क की वर्तमान क्षमता दिल्ली और मुंबई में क्रमश: 20.25 लाख और 23.25 लाख लाइनों की है। एमटीएनएल ने उपस्करों और नेटवर्क घटकों पर दिल्ली और मुंबई इकाइयों में क्रमश: लगभग 577 करोड़ रु. और 509 करोड़ रु. का निवेश किया है।

एमटीएनएल, दिल्ली में 2-जी की 5 लाख लाइनें और मुम्बई में 2 लाख जोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई प्रत्येक इकाई में 3-जी की 5 लाख लाइनें भी जोड़ रहा है। दिल्ली और मुम्बई में उपस्कर और नेटवर्क घटकों पर कुल निवेश क्रमश: लगभग 208 करोड़ रु. और 200 करोड़ रु. है।

विवरण

झारखंड दूरसंचार सर्किल और बीएसएनएल द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि और वर्ष 2009-10 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	झारखंड सर्किल द्वारा खर्च की गई राशि			बीएसएनएल द्वारा खर्च की गई राशि (सम्पूर्ण रूप में)		
		टेलीफोन	सीएमटीएस	कुल	टेलीफोन	सीएमटीएस	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2004-05	53.60	10.15	63.75	2655.43	2755.98	5411.41
2.	2005-06	70.36	32.52	102.88	2660.52	2281.56	4942.08

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	2006-07	61.90	30.89	92.79	2278.77	2040.33	4319.10
4.	2007-08	81.54	59.62	141.16	2132.12	1720.98	3853.10
5.	2008-09 (प्रारम्भिक)	22.00	121.46	143.46	1477.62	3105.38	4583.00
6.	2009-10 (वार्षिक योजना बजट प्राक्कलन के अनुसार खर्च की जाने वाली राशि)	3.70	181.93	185.63	69.17	7750.79	7819.96

लंबित औद्योगिक विवाद

1205. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली और मुम्बई सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न औद्योगिक अधि करण-सह-श्रम न्यायालयों में राज्यवार कितने औद्योगिक विवाद मामले लंबित हैं;

(ख) क्या ऐसे विवादों के निपटान के लिए सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे विवादों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दिल्ली और मुम्बई सहित ऐसे श्रम न्यायालयों में अधिक पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित मामलों की शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिकी अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों में, मुम्बई और दिल्ली सहित, पिछले तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धरा 2-क के अनुसार पंचाट प्रस्तुत करने के लिए तीन माह की समय-सीमा विनिर्दिष्ट है।

उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 2-क के परन्तुक में, पक्षों द्वारा औद्योगिक विवाद के संबंध में संयुक्त अथवा पृथक् रूप से अनुरोध करने पर, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उक्त समय सीमा को विस्तारित रकने का प्रावधान है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालत की योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में शुरू की गई थी।

विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालयों (केन्द्रीय क्षेत्र) में लम्बित मामलों के वर्षवार आंकड़े

क्र. सं.	सीजीआईटी	2006-07 (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)		2007-08 (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)		2008-09 (313.2009 की स्थिति के अनुसार)		2009-10 (31.5.2009 की स्थिति के अनुसार)	
		मामले	आवेदन	मामले	आवेदन	मामले	आवेदन	मामले	आवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मुम्बई-I	193	35	242	130	248	173	248	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	मुम्बई-II)	410	506	427	530	433	536	432	521
3.	धनबाद-I	1746	358	1,877	356	1800	349	1771	343
4.	धनबाद-II	949	36	976	35	953	35	953	35
5.	आसनसोल	606	62	661	69	707	72	701	64
6.	कोलकाता	281	95	314	103	304	107	304	107
7.	चंडीगढ़।^	846	98	841	103	402	71	1453	45
8.	नई दिल्ली।*	540	469	220	442	220	342	245	307
9.	कानपुर	560	154	526	161	543	327	546	332
10.	जबलपुर	1438	489	1472	386	2165	165	2171	165
11.	चैन्नई	293	30	305	42	308	24	298	23
12.	बंगलौर	288	95	368	80	449	89	457	89
13.	हैदराबाद	856	199	993	207	901	625	901	625
14.	नागपुर	836	18	900	25	894	29	896	29
15.	भुवनेश्वर	412	136	399	117	431	378	404	376
16.	लखनऊ	379	38	394	29	388	31	381	32
17.	जयपुर	228	0	299	4	330	38	334	39
18.	नई दिल्ली-II	333	82	568	43	416	58	416	58
19.	गुवाहाटी	37	7	27	6	30	6	28	6
20.	इर्नाकुल्लम	247	29	175	25	110	31	107	28
21.	अहमदाबाद^^	1947	1473	305	1627	8	1571	8	1568
22.	चंडीबढ़ II**	946	112	880	144	986	176	0	0
	कुल	14371	4521	13169	4664	13026	5233	13054	4966

^^ 2007-08 में 1654 मामले और 2008-09 में 310 मामले तथा 88 आवेदन राज्य ट्रिब्यूनल को अंतरित किए गए

* 2007-08 के दौरान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, नई दिल्ली को 318 मामले और 26 आवेदन अंतरित किए गए।

^ मई, 2009 में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकार-II, चंडीगढ़ से 1140 ममाले केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकर-I, चंडीगढ़ को अंतरित किए गए।

**मई, 2009 में सभी मामले और आवेदन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-I, चंडीगढ़ को अंतरित किए गए।

मामले: मामले वे हैं जिन्हें क्षेत्रीय श्रमायुक्त (श्रमायुक्तों) या सहायक श्रमायुक्त (श्रमायुक्तों) के संराधन प्रयासों की विफलता के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1747 की धारा 10 के तहत न्यायनिर्णयन हेतु केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह श्रम न्यायालयों में से संदर्भित किया गया है।

आवेदन: आवदेन वे हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-क और 33-ग के तहत सीधे श्रमिकों द्वारा दायर किए गए हैं।

[अनुवाद]

पत्तनों पर प्रतिबंधित सामग्रियों का पता लगाने संबंधी सुविधाओं की संस्थापना

1206. डॉ. के.एस. राव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जब्त किए गए हथियारों, रॉकेट शेलों और बमों सहित गैरकानूनी ढंग से आयातित प्रतिबंधित सामग्रियों का राज्यवार तथा पत्तनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार हथियारों और रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाने हेतु पत्तनों पर अत्याधुनिक स्कैनर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पत्तन वार/राज्य वार और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	सभी महापत्तनो कां विवरण
2009-10 (जून तक)	शून्य
2008-09	शून्य
2008-07	शून्य
2007-06	केरल में कोचीन पत्तन न्यास में एक आयात की गई खेप में कस्टम द्वारा जब्त किए गए एक 40 फुट के कंटेनर में चप्पलों और फर्नीचर के 810 कार्टन होना घोषित किया गया था। इन 810 कार्टनों में से, 37 कार्टनों में हथियार पाए गए (49 एयर पिस्टलें और 37 एयर गन)। इस खेप को 9.1.2007 को ज़ब्त किया गया और इस समय यह कस्टम गोदाम में पड़ी है।

(ख) यह लागू नहीं है क्योंकि गैर कानूनी आयात से संबंधित प्रावधानों से सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयात निर्यात नीति के अंतर्गत निबटा जाता है।

(ग) और (घ) हथियारों और असले के लिए कंटेनरों की स्कैनिंग के लिए दो स्कैनर (एक स्थायी और एक मोबाईल) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में लगाए गए हैं और जून, 2005 से कार्य कर रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा मुंबई, चेन्नई, तूतीकोरिन और कांडला पत्तनों पर दो-दो स्कैनर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस विभाग के पास इस समय महापत्तनों में रेडियों एक्टिव सामग्री का पता लगाने वाले यंत्रों को लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन कंपनियां

1207. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में कार्यरत मोबाइल फोन कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) नई कंपनी की शुरूआत करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षक योजनाएं उपलब्ध करा रही हैं जिससे कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) 30 जून, 2009 क स्थिति के अनुसार सरकार के देश में मोबाइल फोन सेवाओं के प्रचालन के लिए 38 कम्पनियों को स्वीकृत अभिगम सेवा (यूएएस)/सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंस प्रदान किए हैं।

(ख) कंपनियों (केन्द्रीय सरकार की) के सामान्य नियम और प्रपत्र, 1956 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग II वे तहत धारा 11 से 54 में नई कम्पनी शुरू करने के मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार प्रशुल्क (टीटीओ), 1999 में सभी दूरसंचार आपरेटरों को प्रशुल्क तय करने की छूट दी गई है। दूरसंचार आपरेटर उपभोक्ताओं को उनके उपयोग पैटर्न के अनुसार वैकल्पिक प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

निजी आपरेटरों के समतुल्य प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश कर रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रम उन्मूलन

1208. श्री ओम प्रकाश यादव;
शेख सैदुल हक;
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बंधुआ बाल श्रमिकों सहित बाल श्रमिकों का पता लगाया है, उनको छुड़ाया है तथा उनका पुनर्वास कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए कोई कदम उठाया है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त सजा सुनिश्चित की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दोषियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में एक पृथक् बाल श्रम बचाव दल के गठन का है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) बंधित श्रम प्रणाली (उत्साहन) अधिनियम, 1976 में बाल बंधुआ और वयस्क बंधुआ के बीच कोई विभेद नहीं किया जाता है। चिह्नित और मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास और उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए ब्रिजिंग शिक्षा देने हेतु संस्वीकृत कवरेज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग 5.21 लाख बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

(ग) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत, 16 व्यवसायों और 65 प्रक्रमों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया है। अधिनियम के तहत निषिद्ध व्यवसाय और प्रक्रम में बच्चों को नियोजित करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक विस्तार्य न्यूनतम 3 माह की कैद या 10,000/- रुपए से 20,000/- रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। राज्य सरकारें अपने अधिकार-क्षेत्र में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु समुचित सरकारें हैं। राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनानुसार, 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान प्रारंभ किए गए अभियोजनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राज्य	संस्वीकृत कवरेज	
	विद्यालयों की संख्या	बच्चों की संख्या
आंध्र प्रदेश	978	48900
असम	177	8850
बिहार	1518	86550
झारखंड	212	10600
जम्मू और कश्मीर	16	800
गुजरात	116	5950
हरियाणा	128	6400
कर्नाटक	379	18950
मध्य प्रदेश	598	30100
छत्तीसगढ़	267	15800
महाराष्ट्र	238	11900
उड़ीसा	971	48550
पंजाब	107	5350
राजस्थान	1171	58550
तमिलनाडु	496	24800
उत्तराखण्ड	10	500
उत्तर प्रदेश	1522	76100
पश्चिम बंगाल	916	45800
योग	9820	504450

विवरण-II

राज्य/संघ शासित राज्यों के नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0
आंध्र प्रदेश	6124	9228	3104
अरुणाचल प्रदेश	11		
असम	1	0	0
बिहार	147	284	
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0	0	8
छत्तीसगढ़	10	19	
दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	
दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	0	0	
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	253	187	274
गोवा	0		
गुजरात	23	270	
हरियाणा	0	0	2510
हिमाचल प्रदेश	0	0	3
जम्मू और कश्मीर	17	60	
झारखंड	27	4	
कर्नाटक	1078	3235	473
केरल	1	1	1
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	0	0	
मध्य प्रदेश	37	150	58
महाराष्ट्र	84	54	23
मणिपुर	0		
मेघालय	0		
मिजोरम	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0
पंजाब	20	129	
राजस्थान	13	22	26
सिक्किम	0	0	
तमिलनाडु	415	603	218
त्रिपुरा	0	0	
उत्तर प्रदेश	19	117	
उत्तराखंड	0	0	6
पश्चिम बंगाल	0	7	2

[अनुवाद]

एसईजेड नीति की समीक्षा

1209. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) परियोजनाओं संबंधी मौजूदा नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार एसईजेड स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलापों का सृजन

(ii) वस्तु एवं सेवा निर्यातों का संवर्धन

(iii) घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना

(iv) रोजगार के अवसरों का सृजन

(v) अवसंरचना सुविधाओं का विकास

एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन से पूर्व स्थापित किए गए केन्द्र सरकार के सात एसईजेड़ों तथा राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एसईजेड़ों के अतिरिक्त 578 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें से 322 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। एसईजेड़ों का क्षेत्रवार वितरण दर्शाने वाली सूची संलग्न है। दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एसईजेड़ों में 1,08,903 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 3,87,439 व्यक्तियों को इन एसईजेड़ों में प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वित्त वर्ष 2008-09 के निर्यातों की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि लक्षित होती है। एसईजेड़ों के विकास आयुक्तों तथा अनुमोदन समितियों द्वारा एसईजेडों के प्रचालन की सतत निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुमोदन बोर्ड द्वारा नए प्रस्तावों के साथ-साथ महत्वपूर्ण मुद्दों, जब भी वे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, पर निर्णय लेने के लिए आवधिक बैठक आयोजित की जाती हैं। एसईजेड अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के तहत यथापेक्षित सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

आईआईटी में बढ़ते पाठ्यक्रम

1210. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आईआईटी गुजरात सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) (क) और (ख) संस्थान में नए और विभिन्न पाठ्यक्रम आरंभ करना एक सतत् प्रक्रिया है। गुजरात में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्वायत्त संस्थाएं होने के कारण समय-समय पर उचित अकादमिक और प्रशासनिक निकायों द्वारा की नई सिफारिश के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों में अध्ययन की विभिन्न शाखाओं को डिजाइन करने और विकसित करने में सक्षम हैं।

वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाएं

1211. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन राशि को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यप्रणाली अपनाई गई है जिससे पेंशन की सुविधा पात्र व्यक्तियों को मिले?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) जी, नहीं। वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसपी) के अंतर्गत तीन पेंशन योजनाएं हैं अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल सूची 2002 से और शहरी क्षेत्रों में समरूप सूची से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तरदायी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से पेंशन संवितरित करने की सलाह दी गई थी, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के मामले में पेंशन का संवितरण बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से करना अनिवार्य बनाया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-एमआईएस के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध लाभार्थियों का ब्यौरा तैयार करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

1212. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार सहित देश में नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान इन विद्यालयों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) पिछले पाँच वर्ष के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के मानदंडों के अनुसार देश में 2573 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनमें बिहार के 391 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल हैं। संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या की एक राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। स्थानों की ब्लॉकवार सूची वेबसाइट www.ssa.nic.in पर उपलब्ध है।

विवरण

संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	395
2.	अरुणाचल प्रदेश	36
3.	असम	26
4.	बिहार	391
5.	छत्तीसगढ़	93
6.	दादरा और नगर हवेली	1
7.	दिल्ली	1
8.	गुजरात	63
9.	हरियाणा	9
10.	हिमाचल प्रदेश	10
11.	जम्मू और कश्मीर	79
12.	झारखंड	198
13.	कर्नाटक	64
14.	मध्य प्रदेश	200
15.	महाराष्ट्र	36
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	157
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	200
23.	तमिलनाडु	54
24.	त्रिपुरा	7
25.	उत्तर प्रदेश	454
26.	उत्तराखंड	26
27.	पश्चिम बंगाल	64
	कुल	2573

[अनुवाद]

नई औद्योगिक नीति

1213. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नई औद्योगिक नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त नीति के कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) सरकार की औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति 1991 संबंधी वक्तव्य से निर्देशित होती है। वर्तमान में कुछ संवदेनशील उद्योगों को उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उत्तरोत्तर उदारीकरण की सरकारी नीति के अनुरूप सरकार की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की है। इसलिए, सरकार के पास नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं है।

शिक्षा-क्षेत्र में निजी-सरकारी भागीदारी

1214. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में सहयोग हेतु निजी एजेंसियों को आकर्षित करने के लिए निजी-सरकारी भागीदारी के संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी-सरकारी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी), बहुकला संस्थानों और आदर्श विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में स्वायत्तता के मुद्दे के संबंध में निजी-सरकारी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर चिंता जताई गई थी और वे पीपीपी पद्धति में चलाए जाने वाले संस्थानों में पूर्ण स्वायत्तता तथा सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किए जाने की मांग कर रहे थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकार शैक्षिक संस्थानों के निधीयन तथा प्रबंधन में निजी क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग तथा सहभागिता की पक्षधर है बशर्ते कि संस्थाएं अपनी तर्कसंगत अर्जित अधिशेष राशि को संस्थान के विकास में लगाएं। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यथानुमोदित ग्यारहवीं योजना में शिक्षा के क्षेत्र में, निजी क्षेत्रों के प्रयास को ढूंढ़ने तथा निजी सरकारी सहभागिता के विभिन्न रूपों की आवश्यकता को भी महसूस किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान निजी-सरकारी सहभागिता के तहत 2500 मॉडल स्कूल तथा 300 पॉलिटेक्निक की स्थापना करने का पहले ही निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त, निजी-सरकारी सहभागिता के तहत देश के विभिन्न भागों में 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) और (च) निजी सरकारी सहभागिता के तहत मॉडल स्कूल की स्थापना पर विभिन्न स्टाकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श के दौरान कुछ भागीदारी ने निजी-सरकारी सहभागिता के तहत स्थापित किए जाने वाले मॉडल स्कूलों की कार्यकरण स्वायत्तता के व्यापक मुद्दों को उठाया था।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

1215. श्री प्रदीप मांझी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आने वाले वर्षों में देश में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) को राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन में रूपांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो एनएलएम के प्रारंभ से अब प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण महिलाओं और कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं यदि कोई हों, सहित उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम हेतु आबंटित धनराशि और व्यय की गई धनराशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने महिला साक्षरता पर बल देते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नवीकरण का निर्णय लिया है और मिशन का नवीकरण करने, से संबंधित कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन वर्ष 1988 में शुरू किया गया था तब से इस अवधि के दौरान विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत 597 जिले इसमें शामिल किए गए हैं और 127.45 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर किया गया है जिसमें से 60% महिलाएं हैं। पुरुष महिला साक्षरता अन्तराल जो वर्ष 1991 में 24.84% था वह वर्ष 2001 में कम होकर 21.59% हो गया था।

(ग) सरकार ने वर्ष 2012 तक 80% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) खर्च का एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 और 2009-10 के दौरान साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई राशि

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/शासित प्रदेश	2007-08	2008-09	2009-2010 30.6.2009 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2162.21	773.06	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.54	0.00	–
3.	असम	79.09	0.00	–
4.	बिहार	304.39	0.00	–
5.	छत्तीसगढ़	284.80	556.62	–
6.	गोवा	0.00	0.00	–
7.	गुजरात	180.01	65.19	–
8.	हरियाणा	157.72	105.47	–
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	–
10.	जम्मू और कश्मीर	43.33	0.00	–
11.	झारखंड	758.95	232.53	–
12.	कनार्टक	2247.68	144.81	–
13.	केरल	279.75	303.59	–
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	–
15.	महाराष्ट्र	336.65	365.79	–
16.	मणिपुर	62.78	0.00	–
17.	मेघालय	0.00	0.00	–
18.	मिजोरम	0.00	0.00	–
19.	नागालैण्ड	0.00	11.59	–
20.	उड़ीसा	183.35	0.00	–
21.	पंजाब	22.70	195.92	–
22.	राजस्थान	3427.84	1135.17	44.49
23.	सिक्किम	0.00	0.00	–
24.	तमिलनाडु	799.82	237.76	
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	–
26.	उत्तर प्रदेश	1933.67	1004.82	–
27.	उत्तराखंड	256.06	20.84	–
28.	पश्चिम बंगाल	1232.04	1058.41	–
29.	चंडीगढ़	0.00	0.00	–
30.	दिल्ली	0.00	0.00	–
31.	पांडिचेरी	38.70	0.00	–
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	–
33.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	–
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	–
35.	लक्षद्वीप	0.00	3.48	–
	योग	14801.08	6215.05	44.49

शिक्षा का अधिकार

1216. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित कानून को लागू करने हेतु राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने प्रस्तावित विधान के प्रति अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: (क) से (च) संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 के जरिए, संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 21-ए में प्रावधान है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मोलिक अधिकार के रूप में उस ढंग से प्रदान करेगा जैसा राज्य, विधि द्वारा, निर्धारित करे।

बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008 जो अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है, को 15.12. 2008 को राज्य सभा में पेश किया गया था। विधेयक के खंड 7 में प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें विधेयक के प्रावधानों हेतु निधियां उपलब्ध कराएंगी। विधेयक में यह भी निश्चित किया गया है कि केन्द्र सरकार पूंजी और आवर्ती व्यय का अनुमान तैयार करेगी और राज्यों से परामर्श के पश्चात समय-समय पर निर्धारित किए गए व्यय का प्रतिशत राजस्व की अनुदान सहायता के रूप में राज्य सरकारों को प्रदान करेगी।

बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक विस्तृत और व्यापक विचार-विमर्शों का परिणाम है। इन विचार-विमर्शों में (क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों वाले केन्द्रीय शिक्षा सलहाकार परिषद के विचार, (ख) केब के विचार-विमर्शों पर आधारित विधेयक के प्रारूप का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालन, (ग) प्रधानमंत्री द्वारा गठित उच्च स्तरीय दल में विचार-विमर्श, और शिक्षा के अधिकार के मॉडल विधेयक की तैयारी/परिचालन शामिल है। वर्तमान विधेयक में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा अध्यापक संघ और सिविल सोसायटी संगठनों की हितचिंताओं को ध्यान में रखा गया है।

असंगठित कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा कवर

1217. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नयी पेंशन योजनाओं को और आकर्षक बनाकर वृद्धावस्था सुरक्षा कवर/पेंशन योजना को निजी और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत सभी कामगारों के लिए लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है तथा इस योजना का लोगों के बीच व्यापक प्रचार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) नई पेंशन पद्धति (एनपीएस) सभी नागरिकों हेतु स्वैच्छिक आधार पर 1 मई, 2009 से प्रारंभ की गयी है। एनपीएस खाता खोलने का इच्छुक भारत का कोई भी नागरिक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त इक्कीस (21) उपस्थिति बिन्दुओं (पीओपी) पर कहीं भी सम्पर्क कर सकता है। एनपीएस के अंशदाताओं के पास पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित 3 निवेश स्कीमों, प्रत्येक स्कीम तीन विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों अर्थात इक्विटी, सरकारी सेक्योरिटीज एवं क्रेडिट जोखिम वाली फिक्सड इन्कम सेक्योरिटीज में निवेश करती है, में से किसी एक में निवेश करने का विकल्प होगा। एनपीएस खाता खोलने हेतु एनपीएस आवेदन प्रपत्र के विवरण वाला ऑफर दस्तावेज एवं वैलकम ब्रोचर पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है।

नमक के उत्पादन में कमी

1218. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री प्रभातसिंह पी. चौहान:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों से देश में विशेषत: गुजरात राज्य में नमक उत्पादन घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मूल्यवृद्धि के साथ-साथ खाद्य और औद्योगिक नमक पर खपत पर इस कमी का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) खाद्य और औद्योगिक नमक की खपत संबंधी मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार और अधिक नमक उत्पादन के लिए नमक उत्पादकों को विशेष वित्तीय सहायता देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया): (क) देश में नमक उत्पादन लगातार नहीं घट रहा है। तथापि विगत 5 वर्षों के दौरान यह

घट-बढ़ रहा है। विगत 5 वर्षों के दौरान देश में और गुजरात में नमक का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	वर्ष	देश में उत्पादन	गुजरात में उत्पाद
1.	2004-05	166.67	128.27
2.	2005-06	189.69	146.92
3.	2006-07	178.98	137.23
4.	2007-08	178.45	127.65
5.	2008-09	191.51	149.04

(ख) गुजरात में जुलाई 2007 तथा सितंबर, 2008 की अवधि में बिना मौसम की वर्षा हुई है। उसी प्रकार तमिलनाडु में भी नवंबर 2008 तथा मार्च 2009 की अवधि में बिना मौसम की भारी वर्षा हुई थी जिससे गुजरात एवं तमिलनाडु में नमक के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

(ग) खाद्य व औद्योगिक नमक की खपत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध था। नमक के तुलनात्मक दृष्टि से नमक का कम स्टाक तथा नमक के निर्यात में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2008-09 की अवधि में नमक के मूल्य में मामूली वृद्धि हुई थी।

(घ) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में खाद्य तथा औद्योगिक नमक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तमिलनाडु में उत्पादित नमक प्राप्त करते हैं, गुजरात से इन राज्यों में ढुलाई के लिए रेलवे की सहायता से विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा के पैटर्न में बदलाव

1219. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री उमाशंकर सिंह:
श्री भक्त चरण दास:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्यालय स्तर पर परीक्षा के पैटर्न को ग्रेडिंग पद्धति में बदलने तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के अनुसार दसवीं की परीक्षा को वैकल्पिक बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने जाने का प्रस्ताव है कि विद्यालय स्तर पर परिवर्तित/प्रस्तावित पैटर्न छात्रों की कार्यकुशलता को प्रभावित न करें;

(घ) क्या सरकार का समूचे देश में एक राष्ट्र एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा बच्चों तथा उनके माता-पिता पर मानसिक दबाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में यह सिफारिश की गई है कि बोर्ड को दसवीं परीक्षा को दीर्घकालिक उपाय के रूप में ऐच्छिक बनाने के संबंध में विचार करना चाहिए और इस प्रकार छात्रों (जो बोर्ड प्रमाणपत्र लेना नहीं चाहते) को स्कूलों की आन्तरिक परीक्षा देने के लिए उसी स्कूल में रहने की अनुमति देनी चाहिए। दसवीं कक्षा की परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करने तथा ग्यारहवीं कक्षा में उसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दसवीं की परीक्षा को ऐच्छिक बनाने के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव हैं।

(ग) दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. बोर्ड की अध्ययन योजना के अनुसार नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं में अध्ययन के अपेक्षित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को अपनाना।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करना।
3. आन्तरिक स्कूल परीक्षा में प्रश्नपत्र का पैटर्न, बोर्ड परीक्षा के समकक्ष होना।
4. दसवीं कक्षा तक सतत तथा व्यापक मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:

1. परीक्षा में उत्तर को लिखने से पहले प्रश्नपत्र को पढ़ने के लिए छात्रों को पन्द्रह मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

2. कुछेक महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्नपत्र पुन: तैयार किए गए हैं ताकि छात्र प्रश्नपत्र के उत्तर यथासमय पूरा कर सकें।

3. प्रश्नों की संख्या कम की गई है।

4. दसवीं कक्षा में दो विषयों तथा बारहवीं कक्षा में एक विषय में कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए 5 अवसर प्रदान किए जाते हैं।

5. विषयवस्तु आधारित परीक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए प्रश्न हल करने एवं सक्षमता आधारित परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

सैन्य एवं सैनिक स्कूल

1220. श्री निशिकांत दुबे:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख तक मिलिट्री और सैनिक स्कूलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में ऐसे और सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन सैनिक स्कूलों के निष्पादन/शिक्षा के स्तर से संतुष्ट है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन सैनिक स्कूलों में शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान इन स्कूलों के निष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(छ) यदि हां, तो इन मूल्यांकनों के परिणाम तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) आज की तारीख में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश के अंदर पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तथा चौबीस सैनिक स्कूल हैं। राज्य-वार स्थान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे निम्नवत हैं:-

राज्य	स्थान
मिजोरम	छिंगछिप
सिक्किम	अभी निर्णय करना है।
छत्तीसगढ़	गुगला जिला
आंध्र प्रदेश	कडपा जिला

(घ) से (छ) सैनिक स्कूल सोसायटी शैक्षिक परिणामों तथा एनडीए भर्ती और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में सैनिक स्कूलों की कार्यप्रणाली तथा उनके प्रदर्शन की समीक्षा करती है। शैक्षिक तथा एनडीए परिणामों के संबंध में ऊर्ध्वगामी रूख है। समीक्षा बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सेवाओं तथा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद जैसे व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओ/निकायों के विशेषज्ञों की सहायता से अध्यापकों के लिए सेवा में ही प्रशिक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम तथा प्रतिस्पर्धोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) व्यावसायिक संसाधन कार्मिकों का इस्तेमाल करते हुए कैडेटों को सेवा चयन बोर्ड अभिमुखी प्रशिक्षण भी मुहैया कराया जा रहा है।

(iii) हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थाओं तथा एनयूईपीए के साथ सहयोग से सीबीएसई द्वारा संचालित सशक्तीकरण कार्यक्रमों में सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपलों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

(iv) रक्षा मंत्रालय ने प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा तथा कौशल का उन्नयन करने की दृष्टि से स्कूलों को प्रशिक्षण अनुदान भी मुहैया कराया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय सैन्य स्कूल का नाम
1	2	3
1.	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, चैल
2.	कर्नाटक	1. राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, बेलगांव
		2. राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, बेंगलूर
3.	राजस्थान	1. राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, अजमेर
		2. राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, धौलपुर

क्र.सं.	राज्य	सैनिक स्कूल का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	सैनिक स्कूल, कोरूकोंठा
2.	असम	सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा
3.	बिहार	1. सैनिक स्कूल, गोपालगंज
		2. सैनिक स्कूल, नालंदा
4.	छत्तीसगढ़	सैनिक स्कूल, अंबिकापुर
5.	गुजरात	सैनिक स्कूल, बालाचडी
6.	हरियाणा	1. सैनिक स्कूल, कुंजपुरा
		2. सैनिक स्कूल, रेवाड़ी
7.	हिमाचल प्रदेश	सैनिक स्कूल, सुजानपुर टिहरा
8.	जम्मू एवं कश्मीर	सैनिक स्कूल, नगरोटा
9.	झारखंड	सैनिक स्कूल, तिलैया
10.	कर्नाटक	1. सैनिक स्कूल, बीजापुर
		2. सैनिक स्कूल, कोडागु
11.	केरल	सैनिक स्कूल, काझाकूटम
12.	मध्य प्रदेश	सैनिक स्कूल, रीवा
13.	महाराष्ट्र	सैनिक स्कूल, सतारा
14.	मणिपुर	सैनिक स्कूल, इम्फाल
15.	नागालैंड	सैनिक स्कूल, पुनगलवा
16.	उड़ीसा	सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर
17.	पंजाब	सैनिक स्कूल, कपूरथला
18.	राजस्थान	सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़
19.	तमिलनाडु	सैनिक स्कूल, अमरावती नगर
20.	उत्तराखंड	सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल
21.	पश्चिम बंगाल	सैनिक स्कूल, पुरूलिया

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय

1212. श्री के.डी. देशमुख: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जनजातीय जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण वार्षिक बजट का एक हिस्सा होती है। विश्व बैंक राज्यवार कोई निधियां नहीं प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

आदर्श डिग्री कॉलेज खोलना

1222. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री हरिन पाठक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में नए आदर्श डिग्री कॉलेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने डिग्री कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में ऐसे कॉलेजों की स्थापना हेतु कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ स्थान-वार और राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) राज्यों में इन कॉलेजों को खोले जाने के संबंध में राज्य-वार कितनी प्रगति की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) शैक्षिक रूप से पिछड़े निर्धारित 374 जिलों जिनमें उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर से कम है, में एक-एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु राज्यों की सहायता करने हेतु एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। 11वीं योजना में केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 782 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान 200 कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। शैक्षिक रूप से पिछड़े निर्धारित 374 जिलों की सूची को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

विवरण-I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्धारित शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में आदर्श डिग्री कॉलेज खोलने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	प्रस्तावों की संख्या
1.	केरल	4
2.	कर्नाटक	3
3.	पश्चिम बंगाल	28
4.	पंजाब	19
5.	त्रिपुरा	4
6.	गुजरात	2
7.	महाराष्ट्र	4
8.	अरुणाचल प्रदेश	1

विवरण II

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	समस्तीपुर	सिरमौर	छतरपुर	अंगुल	सवाई माधोपुर	
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान	श्योहर	12 जम्मू-कश्मीर	छिंदवाड़ा	बालांगीगर	सीकर	कथरस
निकोबार	सीतामढ़ी	अनन्तनाग	दमोह	बारगढ़	सिरोही	ज्योतिवा फूल्ले नगर
2 आन्ध्र प्रदेश	सीवान	बडगाम	दतिया	बौद्ध	टॉक	कन्नौज
आदिलाबाद	सुपौल	बारामूला	देवास	देवगढ़	उदयपुर	कानपुर देहात
अनन्तपुर	वैशाली	डोडा	धार	धेनकनाल	26 सिक्किम	कौशाम्बी
पूर्वी गोदावरी	6 छत्तीसगढ़	कारगिल	डिंडोरी	गजपति	पूर्व	खीरी
कुरनूल	बस्तर	कथुआ	ईस्ट नीमर	गंजम	उत्तर	कुशीनगर
महबूब नगर	बिलासपुर	कुपवाड़ा	गुना	कालाहाण्डी	दक्षिण	ललीतपुर

1	2	3	4	5	6	7
मेडक	दंतेवाड़ा	लेह (लद्दाख)	हरदा	कंधामल	पश्चिम	महाराजगंज
निजामाबाद	धमतरी	पुंछ	झाबुआ	केन्दुझर	27 तमिलनाडु	म्होवा
प्रकाशम	दुर्ग	राजौरी	कटनी	कोरापुट	अरियालुर	मथुरा
श्रीकाकुलम	जंजगीर-चम्पा	ऊधमपुर	मांडला	मलकानगिरी	कोयमबटूर	मुरादाबाद
विजनगरम	जसपुर	13 झारखंड	मंदसौर	नवरंगपुर	कुडालुर	मुज्जफरनगर
पश्चिमी गोदावरी	कानकेर	छतरा	मोरेना	नयागढ़	धर्मपुरी	पीलीभीत
3 अरुणाचल प्रदेश	कावर्धा	देवघर	नरसिंहपुर	नूपाड़ा	डिण्डीगुल	रायबरेली
चांगलांग	कोरिया	दुमका	नीमच	रायगाड़ा	इरोड	रामपुर
दीवंगवेली	महासमुंड	गरहवा	पन्ना	सोनपुर	कांचीपुरम	सहारनपुर
पूर्वी कामेंग	रायगढ़	गिरडिह	रायसेन	23 पुंडुचेरी	कन्याकुमारी	संत कबीर नगर
लोहित	रायपुर	गोड्डा	राजगढ़	यनम	करूर	शहाजहांपुर
लोअर सुबनसिरी	राजनंदगांव	गुमला	रतलाम	24 पंजाब	मदुरई	श्रावस्ती
तवांग	सरगुजा	कोडरमा	सागर	अमृतसर	नागापट्टीनम	सिद्धार्थ नगर
तीराप	7 दादरा और नगर हवेली	पाकुर	सतना	भटिंडा	पैरमबल्लूर	सीतापुर
अपर सियांग	दादरा और नगर हवेली	पलामू	सिहोर	फरीदकोट	पुडुकोट्टाई	सोनभद्र
अपर सुबमसिरी	8 दमन तथा दीव	पश्चिम सिंगभूम	सिओनी	फतेहगढ़ साहिब	रामानाथापुरम	सुल्तानपुर
पश्चिम कामेंग	दमन	साहिबगंज	शहडोल	फिरोजपुर	स्लेम	उन्नाव
पश्चिम सियांग	दीव	14 कर्नाटक	शाजापुर	गुरूदासपुर	शिवगंगा	30 उत्तरांचल
4 असम	9 गुजरात	बगलाकोट	शिओपुर	कपूरथला	तंजावुर	बागेश्वर
बोंगाईगांव	अमरेली	बंगलौर ग्रामीण	शिवपुरी	मांसा	दॉ नीलगिरीस	चम्पावत
कछार	बानसकंठा	बेलगाम	सिधी	मोगा	थणी	31 पश्चिम बंगाल
दारांग	भरौच	बेल्लारी	ठीकमगढ़	मुक्तसर	थिरूवल्लूर	बंकुरा
धुब्री	भावनगर	बीजापुर	उज्जैन	नवनशहर	थूवरूर	वर्धमान
गोलपाड़ा	दोहाड	चामराजनगर	उमरिया	पटियाला	थूथुकुकड़ी	बीरभूम
हैलाकांडी	जामनगर	चिकमंगलूर	विदिशा	संगरूर	तिरुनेलवली	दक्षिण दिनाजपुर
काबी अंगलूंग	जूनागढ़	चित्रदुर्ग	वेस्टनिमर	25 राजस्थान	तिरूवन्नमलई	दार्जलिंग
करीमगंज	कच्छ	दक्षिण कन्नाडा	18 महाराष्ट्र	अजमेर	व्लोर	हावड़ा

1	2	3	4	5	6	7
मारीगांव	खेड़ा	गडग	बुलदाना	अलवर	वेलुपुरम	हुगली
नौगांव	मेहसाना	गुलबर्गा	गडचिरोली	बांसनाड़ा	विरुद्धनगर	जलपाइगुड़ी
सोनितपुर	नर्मदा	हसन	हिंगोली	बारन	28 त्रिपुरा	कोच बिहार
तिनसुखिया	पंचमहल	हवेरी	जालना	बाड़मेर	धलाड़	मालदा
5 बिहार	पाटन	कोडागु	रायगढ़	भरतपुर	उत्तर त्रिपुरा	मीदनापुर
अरेरिया	पोरबन्दर	कोलार	रत्नागिरी	भीलवाड़ा	दक्षिण त्रिपुरा	मुर्शीदाबाद
औरंगाबाद	राजकोट	कोप्पल	सिद्धदुर्ग	बीकानेर	पश्चिम त्रिपुरा	नाडिया
बंका	सबरकांठा	मंध्या	19 मेघालय	बुन्दी	29 उत्तर प्रदेश	उत्तरी 24 परगना
बेगूसराय	सूरत	रायचूर	ईस्ट गारो हिल्स	चितौरगढ़	ब्हरांइच	पुरूलिया
दरभंगा	सुरेन्द्रनगर	टुमकुर	जैनतिया हिल्स	चूरू	बलरामपुर	दक्षिण 24 परगना
गोपालगंज	दाडांग	उदुपी (उडुपी)	रिभोई	डोसा	बंदा	उत्तर दिनाजपुर
जमुई	वलसाड	उत्तर कन्नड	साउथ गारो हिल्स	धौलपुर	बाराबंकी	
कैमूर (भबुआ)	10 हरियाणा	15 केरल	वेस्ट खासीहिल्स	डुंगरपुर	बरेली	
काटिहार	फतेहबाद	कसरगोड	20 मिजोरम	गंगानगर	बस्ती	
खगरिया	गुड़गांव	मालापुरम	चम्फाई	हनुमानगढ़	धवजनौर	
किशनगंज	जींद	पलाक्कड	कोलासिब	जैसलमेर	बदायू	
लखीसराय	कैथल	वेनाड	लॉगतलाई	जालोर	बुलंदशहर	
माधेपुरा	करनाल	16 लक्ष्यदीप	लंगलई	झालावर	चित्रकुट	
मधुबनी	पानीपत	लक्षद्वीप	मामित	झूनझुनु	ठटा	
नवाडा	सिरसा	17 मध्य प्रदेश	सेहा	जोधपुर	फरूखाबाद	कुल जिले
पश्चिमी चम्पारण	11 हिमाचल प्रदेश	बालाघाट	सरचिप	करौली	फतेहपुर	= 374
पूर्वी चम्पारण	चम्पा	बखानी	21 नागालैंड	नागौर	गेंडा	
पूर्णिया	धकन्नौर (पू.)	बेतुल	मोन	पाली	कमीरपुर	
सहरसा	लाहौल तथा स्पीति	भिंड	22 उड़ीसा	राजसामंत	करदोई	

[हिन्दी]

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

1223. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चिह्नित विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के लिए परिकल्पित वित्तपोषण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत छात्राओं को कोई प्राथमिकता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम दिसम्बर, 2004 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्कूली छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षण हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रियाओं का उपयोग करना है। स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम्प्यूटर अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण तथा इंटरनेट कनैक्टिविटी के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

(ग) स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित स्कूलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार राज्यों को 75:25 हिस्सेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, परन्तु विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु यह हिस्सेदारी 90:10 है।

(क) और (च) यह स्कीम माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर निर्धारित स्कूलों के सभी छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	--	14
2.	आंध्र प्रदेश	200	5000	2000
3.	अरुणाचल प्रदेश	--	35	--
4.	असम	--	641	--
5.	बिहार	--	1000	--
6.	चंडीगढ़	20	67	--
7.	छत्तीसगढ़	100	200	800
8.	दादरा और नगर हवेली	6	6	--
9.	दमन एवं दीव	--	22	--
10.	दिल्ली	75	53	--
11.	गोवा	--	432	--
12.	गुजरात	150	1150 (2005-07 दौरान अनुमोदित 150 स्कूलों सहित)	2500
13.	हरियाणा	--	500	1000
14.	हिमाचल प्रदेश	--	--	628
15.	जम्मू और कश्मीर	--	200	200

1	2	3	4	5
16.	झारखण्ड	--	1074	--
17.	कर्नाटक	--	2279	4396
18.	केरल	--	1016	3055
19.	लक्षद्वीप	12	--	--
20.	मध्य प्रदेश		320	1000 (2007-08 दौरान अनुमोदित 320 स्कूलों सहित)
21.	महाराष्ट्र	200	500	2500
22.	मणिपुर	--	65	--
23.	मेघालय	--	75	75
24.	मिजोरम	--	--	100
25.	नागालैण्ड	147	284	--
26.	उड़ीसा	--	1500	--
27.	पुंडुचेरी	25	169	--
28.	पंजाब	--	--	2000
29.	राजस्थान	--	2500	2000
30.	सिक्किम	--	2	--
31.	तमिलनाडु	--	400	400
32.	त्रिपुरा	200	400	282
33.	उत्तर प्रदेश	200	2500	1500
34.	उत्तराखण्ड	--	100	500
35.	पश्चिम बंगाल	--	343	1400
	कुल	1347	22833	26350

विकलांग व्यक्तियों हेतु अधिनियमित कानून में संशोधन

1224. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षरोपरांत विकलांग व्यक्तियों हेतु अधिनियमित कानून में संशोधन का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) सरकार ने नि:शक्त

व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन की ओर विभिन्न उपाय किए हैं। अधि नियम में संशोधन हेतु राष्ट्रीय परामर्श को जून, 2006 में, पटना में राज्य सरकारों, विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों और स्टेक होल्डरों की प्रथम परामर्श बैठक के साथ शुरू किया गया था। दूसरी बैठक जुलाई 2006 में चेन्नै में हुई और इसके बाद स्टेकहोल्डरों से मांग हुई थी कि भारत द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) पर हस्ताक्षर करने तक परामर्श प्रक्रिया को आस्थगित रखा जाए। इस 'मांग को स्वीकार किया गया और भारत द्वारा 30.3.2007 को यूएनसीआरपीडी पर हस्ताक्षर करने के बाद परामर्श प्रक्रिया को पुनः शुरू किया गया। गत दो परामर्श बैठकें दिल्ली और गोवा में अगस्त और नवम्बर 2007 क्रमशः को आयोजित की गई। परामर्श बैठकों के दौरान प्राप्त सुझाव और साथ ही 3.5.2008 को यथा अनुसमर्थित यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों पर अधिनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव का प्रारूप बनाते हुए विचार किए गए हैं।

[अनुवाद]

आई टी क्षेत्र में नवोन्मेषी संव्यहार

1225. श्री आनंदराव अडसुलः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की सफलता की गति को बनाए रखने के लिए और साथ ही विश्व स्तर पर उभर रहे अन्य सूचना प्रौद्योगिकी स्थलों के बीच अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए नवोन्मेषी संव्यहार अपनाया है अथवा अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को त्वरित करने का है जिससे नागरिक सेवाओं में सुधार आएगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) बजट 2009-10 के प्रस्तावों में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) इकाइयों तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10ए/10बी के अतंगर्त दिए जाने वाले कर के लाभ को एक और वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2010-11 के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने पहले एकटीपी इकाइयों और ईओयू के लिए कर के लाभ एक वर्ष अर्थात् 31.3.2010 तक आगे बढ़ाए थे। सरकार स्तर II और स्तर III शहरों में उद्योग का प्रसार करने की नीति का भी अनुसरण कर रही है जो वैश्विक स्तर पर लागत की दृष्टि से अधिक प्रतिस्पर्धी है।

(ग) और (घ) ई-शासन परियोजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से मई 2008 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) शुरू करने के लिए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इस समय, नागरिक सेवाओं की प्रदायगी के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी मूलसंरचना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है जिसमें राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), राज्य आंकड़ा केन्द्र (एसडीसी), सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) तथा मिशन मोड परियोजनाएँ (एमएमपी) शामिल हैं।

नए ई.एस.आई. अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना

1226. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश सहित देश में नए कर्मचारी राज्य-बीमा (ई-एस.आई.) अस्पताल और औषधालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के अस्पताल और औषधालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल एवं औषधालय खोलने का अनुमोदन/प्रस्ताव किया है:

अस्पताल

(क) सनथनगर, आंध्र प्रदेश

(ख) बद्दी, हिमाचल प्रदेश

(ग) गुड़गांव, हरियाणा

(घ) भिवाड़ी, राजस्थान

(ङ) तिरूनेलवेली, तमिलनाडु

(च) तिरूपुर, तमिलनाडु

(छ) हल्दिया, पश्चिम बंगाल

(ज) हरिद्वार, उत्तराखण्ड

(झ) रुद्रपुर, उत्तराखण्ड

(ञ) पीन्या, बैंगलोर, कर्नाटक

(ट) मण्डी, हिमाचल प्रदेश

(ठ) अलवर, राजस्थान

(ड) पटना, बिहार

(ढ) श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर

उपचार केन्द्र (10 बिस्तरों वाले)

(क) रायपुर, छत्तीसगढ़

(ख) देहरादून, उत्तराखण्ड

(ग) पीथमपुर, मध्य प्रदेश

(घ) मंडीदीप, मध्य प्रदेश

(ङ) थुडिलियर, पुंडुचेरी

औषधालय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कर्मचारी राजय बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर नए अस्पतालों एवं औषधालयों को खोलना एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदन पश्चात् औषधालयों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। अस्पतालों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन किया जाना होता है जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाता है।

विवरण

नए क्रियान्वित भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत मंजूर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

1. जगयापेट जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश
2. श्री कालाहस्थी, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश
3. कुरमानपलेम, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
4. सुलारपेट, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश
5. शमशेबाद, आंध्र प्रदेश
6. गटियाड़ो, आंध्र प्रदेश
7. सचल औषधालय, टोहाना क्षेत्र, हरियाणा
8. नैनीताल क्षेत्र, नैनीताल, उत्तराखण्ड
9. भगवानपुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड
10. रोशनाबाद औद्योगिक क्षेत्र (सिडकुल), उत्तराखण्ड
11. गोपीचेटीपलायम, चेन्नई
12. भिलाई क्षेत्र/केन्द्र, छत्तीसगढ़
13. कोरबा क्षेत्र/केन्द्र, छत्तीसगढ़
14. कुआजमुंडा जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा
15. डुबुरी, जिला जाजपुर, उड़ीसा
16. कोहेडा, हयातनगर, आंध्र प्रदेश

वर्तमान क्रियान्वित क्षेत्रों में अनुमोदित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

17. अलवर नं. 1. राजस्थान
18. भिवाड़ी, राजस्थान
19. उपचार केन्द्र, जीडिमेटला, आंध्र प्रदेश
20. ऑटो नगर, आंध्र प्रदेश
21. इंडस्ट्रियल एस्टेट, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश
22. कोर्लिम, गोवा
23. मीनाम्बक्कम, तमिलनपाडु
24. आम्बुर, तमिलनाडु
25. विरुध नगर, तमिलनाडु
26. हिसार इंडस्ट्रियल एस्टेट, हरियाणा
27. फरीदाबाद, हरियाणा
28. मानेसर, हरियाणा
29. मुरथल, हरियाणा
30. अरयनकुप्पम, पुंडुचेरी
31. रेड्डीपलायम, पुंडुचेरी

32. अंडोगुडी, कर्नाटक

33. वजीरपुर, दिल्ली

34. पप्पन कलां, दिल्ली

35. आगरा, उत्तर प्रदेश

36. रायपुर, छत्तीसगढ़

37. मायलोम, केरल

38. विलाकुडी, केरल

39. आस्त्रमम, कोल्लम, केरल

40. सांबा, जम्मू

41. सचल औषधालय भोंडसी गुड़गांव हरियाणा

42. हिसार, हरियाणा

43. उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

44. झारसुगुड़ा, उड़ीसा

[हिन्दी]

रोहतांग सुरंग का निर्माण

1227. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमालच प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले को राज्य के अन्य भागों के साथ जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाई जा रही रोहतांग सुरंग के काम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने सुरंग निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो जिन फर्मों का सुरंग संबंधी कार्य सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है उनकी सूची सहित अद्यतन स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ग) सुरंग के निर्माणार्थ वैश्विक निविदा जारी की गई थी। तकनीकी तथा व्यावसायिक बोलियां खोली गई हैं तथा इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रवासी कार्यबल का विनियमन

1228. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू और पेशेवर स्टाफ का नजदीकी पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) प्रवासी कार्यबल को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

वैश्विक सेवा दायित्व कोष

1229. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैश्विक सेवा दायित्वा कोष (यूएसओएफ) के माध्यम से विभिन्न मोबाइल कंपनियों को निधियां आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कोष से फोन कंपनियों को कितनी राशि की निधियां आबंटित की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में दूरभाष सुविधाएं मुहैया करवाये जाने वाले गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों, जहां कोई मौजूदा फिक्स्ड वायरलेस या मोबाइल कवरेज नहीं है, में मोबाइल सेवाओं में वृद्धि करने के लिए 7,440 साझा अवसंरचना स्थल स्थापित करने के लिए सब्सिडी सहायता प्रदान

की जाती रही है। इनमें से मई, 2009 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत देश में 5,624 टावर चालू किए जा चुके हैं। शेष टावरों को सितम्बर 2009 तक चालू किए जाने की संभावना है। इसके अलावा, यूएसओएफ द्वारा शीघ्र ही 10,128 अतिरिक्त टावर स्थापित करने का द्वितीय चरण शुरू किए जाने की संभावना है ताकि शेष सुविधारहित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

(ग) 7440 साझा अवसंरचना स्थलों की स्थापना करने के लिए यूएसओएफ की मोबाइल अवसंरचना योजना (चरण-I) जून, 2007 में शुरू की गई। इस योजना के तहत कम्पनियों को उनके करार की अवधि में चरणबद्ध तरीके से 588 करोड़ रु. की राशि संवितरित की जाएगी। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के यूएसओएफ से वास्तविक संवितरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*
1.	बीएसएनएल	शून्य	शून्य	0.15	0.52
2.	जीटीएल	शून्य	शून्य	3.74	0.00
3.	क्यूटीआईएल	शून्य	शून्य	0.54	0.22
4.	वीईएसएल	शून्य	शून्य	0.06	2.75
	कुल	शून्य	शून्य	4.49	3.49

* वर्ष 2009-10 के लिए संवितरण की अनुमानित राशि 120 करोड़ रुपए है।

(घ) देश के जिन गांवों में गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान यूएसओएफ के तहत टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनकी राज्य-वार संख्या को प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गांवों की संख्या जहां गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 31.5.2009 तक यूएसओएफ की सब्सिडी सहायता के तहत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा प्रदान की गई

क्र.सं.	सर्किल का नाम	आबादी वाले उन गांवों की संख्या जहां 01.04.2006 से 31.03.2009 तक गत तीन वर्षों में वीपीटी सुविधा प्रदान की गई	आबादी वाले उन गांवों की संख्या जहां 01.04.2009 से 31.05.2009 तक वीपीटी सुविधा प्रदान की गई	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	91	2	93
2.	आंध्र प्रदेश	1141	191	1332
3.	असम	6106	−5	6101
4.	बिहार	1250	0	1250
5.	झारखंड	2046	101	2147
6.	गुजरात (दमन, दिऊ, दादरा एवं नगर हवेली सहित)	3369	29	3398

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	231	35	266
8.	हिमाचल प्रदेश	1716	38	1754
9.	जम्मू व कश्मीर	1282	91	1373
10.	कर्नाटक	829	14	843
11.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	6414	-85	6329
13.	छत्तीसगढ़	1915	150	2065
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	5787	103	5890
15.	उत्तर-पूर्व-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	526	155	681
16.	उत्तर-पूर्व-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	1174	-158	1016
17.	उड़ीसा	3848	391	4239
18.	पंजाब	8	10	18
19.	राजस्थान	9825	85	9910
20.	तमिलनाडु (पुंडुचेरी सहित)	482	21	503
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5966	132	6068
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	629	212	841
23.	उत्तराखण्ड	2380	145	2525
24.	पं. बंगाल (सिक्किम सहित)	911	234	1145
	कुल	57926	1891	59817

[अनुवाद]

सामुद्रिक बोर्ड की स्थापना

1230. श्री वैजयंत पांडा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में सामुद्रिक बोर्ड की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करायी है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष आबंटित और निर्गत निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के वासन): (क) और (ख) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, महापत्तनों से भिन्न पत्तनों को विकसित करने का उत्तरादियत्व संबंधित सरकार का होता है। महापत्तनों से भिन्न पत्तनों और इनसे संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए समुद्रवर्ती राज्य सरकारें समुद्रीय बोर्ड गठित करती हैं और उन्हें धन मुहैया करवातीं हैं।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

1231. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के 8.5 प्रतिशत ब्याज पर यथा स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) झारखण्ड सहित देश में इस समय कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा झारखण्ड सहित देश में कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशियों पर ब्याज की दर 8.5% बनाये रखी है। इसके अलावा, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) ने वर्ष 2009-10 के लिए भी उक्त दर की सिफारिश की है।

(ग) 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की कुल सदस्य संख्या 4.49 करोड़ (अंतिम) थी। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर झारखंड सहित सभी राज्यों को कवर करता सदस्यता संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत देश में झारखंड सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की सुविधाएं सभी बीमित व्यक्तियों को उपलब्ध हैं।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि में सदस्यता का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्षेत्र	सदस्यता		
	गैर-छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	योग
1	2	3	4
उत्तरी दिल्ली	954508	307235	1261743
दक्षिण दिल्ली	898908	91187	990095
हरियाणा	2508613	143549	2652162
हिमाचल प्रदेश	213623	10555	224178
चंडीगढ़	1288823	10424	1299247
लुधियाना	1708157	33888	1742045
उत्तर प्रदेश	1598078	166583	1764661
उत्तराखण्ड	115823	63178	179001
उत्तरी क्षेत्र	**9286533**	**826599**	**10113132**
बिहार	269079	33986	303065
जलपाईगुड़ी	841748	5078	846826
कोलकाता	1413228	578386	1991614
झारखण्ड	731247	208624	939871
उड़ीसा	590729	67888	658617
पूर्वोत्तर क्षेत्र	310080	14271	324351
पूर्वी क्षेत्र	**4156111**	**908233**	**5064344**
बंगलौर	2990018	370323	3360341
मंगलौर	1023865	91639	1115504
गुंटूर	778061	63226	841287
हैदराबाद	1985902	231183	2217085
केरल	1520003	52962	1572965
चेन्नई	3296680	188584	3485264
कोयम्बतूर	2129257	60185	2189442
मदुरै	1628036	16012	1644048
दक्षिणी क्षेत्र	**15351822**	**1074114**	**16425936**
छत्तीसगढ़	317695	72420	390115
गोवा	569758	14443	584201
अहमदाबाद	1246483	94492	1340975
वड़ोदरा	1238607	103050	1341657
मुम्बई-I (बांद्रा)	2007329	638704	2646033
मुम्बई-II (थाणे)	1588015	155067	1743082
नागपुर	1150473	141740	1292213
पुणे	806274	168686	974960
मध्य प्रदेश	1782797	35405	1818202
राजस्थान	1060205	129551	1189756
पश्चिमी क्षेत्र	**11767636**	**1553558**	**13321194**
योग	40562102	4362504	44924606

सिर पर मैला ढोने वालों का पुनर्वास

1232. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के व्यक्तियों के पुनर्वास पर सरकार द्वारा कितनी निधियां आबंटित और खर्च की गई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) शेष मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों को समयबद्ध तरीके में वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हेतु जनवरी 2007 में शुरू की गई थी। योजना की तैयारी के समय, पुनर्वासित किए जाने वाले मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों की अनुमानित संख्या 3.42 लाख थी। राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, एसआरएमएस के तहत ज्ञात पात्र लाभार्थियों की संख्या 1.15 लाख है, जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है ज्ञात लाभार्थियों में से कुछ पहले ही पुनर्वासित किए गए हैं, जिसमें कर्नाटक और पुदुचेरी में सभी ज्ञात लाभार्थियों का पुनर्वास शामिल है।

(ग) राज्य-वार निधियों का आबंटन एसआरएमएस के तहत नहीं किया जाता। राज्य सरकारों को निधियां उनकी मांग के अनुसार जारी की जाती है। एसआरएमएस के कार्यान्वयन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास-हेतु स्व-रोजगार योजना (एसआरएमआर) के तहत ज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	लभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	असम	4404
2.	बिहार	15352
3.	दिल्ली	1085
4.	गुजरात	8740
5.	हिमाचल प्रदेश	3296
6.	जम्मू-कश्मीर	254
7.	झारखंड	5750
8.	कर्नाटक	10
9.	मध्य प्रदेश	15213
10.	महाराष्ट्र	13320
11.	मेघालय	372
12.	उड़ीसा	16386
13.	पुदुचेरी	30
14.	राजस्थान	1446
15.	तमिलनाडु	11896
16.	उत्तर प्रदेश	9426
17.	उत्तराखंड	1435
18.	पश्चिम बंगाल	6708
	महायोग	115123

विवरण-II

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदान निधियां (लाख रुपए) 2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
1.	असम	0.0	260.33	221.36
2.	बिहार	0.0	207.28	803.79
3.	दिल्ली	0.0	0.0	77.82
4.	गुजरात	0	200.0	1455.03
5.	हिमाचल प्रदेश	0.0	170.16	79.55
6.	जम्मू-कश्मीर	0.0	13.22	15.48

1	2	3	4	5
7.	झारखंड	0.0	279.75	0.0
8.	कर्नाटक	0.0	0.75	0.0
9.	मध्य प्रदेश	36.4	1317.26	2420.0
10.	महाराष्ट्र	0	413.81	710.0
11.	मेघालय	0.0	0.0	52.50
12.	उड़ीसा	0.0	1469.28	503.64
13.	पुडुचेरी	0.0	4.51	0
14.	राजस्थान	0.0	163.87	113.64
15.	तमिलनाडु	34.40	21.50	2245.15
16.	उत्तर प्रदेश	0.0	82.5	843.78
17.	उत्तराखंड	0.0	0.0	26.4
18.	पश्चिम बंगाल	0.0	136.93	343.63

(ग) वर्ष 2006-07 में थोड़ा सा अधिक व्यय हुआ था, उत्तरवर्ती दो वर्षों में आंशिक रूप से कम उपयोग हुआ है, जो मुख्यतया रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण हुआ।

(घ) और (ङ) प्रत्येक व्यय प्रस्ताव जांच की बड़ी प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें व्यय करने की आवश्यकता का पहलू शामिल है। यह किसी गैर-आवश्यक मद पर किए जा रहे व्यय की संभावना का निराकरण करता है।

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योग का विकास

1234. श्री तथागत सत्पथी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चमड़ा उद्योग का विकस करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में चमड़ा पार्क स्थापित करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पार्कों के स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा खरीद हेतु निधियों का आबंटन

1233. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आबंटित निधियों का कितना उपयोग हुआ है;

(ग) निधियों का उपयोग न होने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-जरूरी मदों के व्यय को सुचारू बनाने का है ताकि अन्य विकासात्मक गतिविधियां पूरी की जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) और (ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति तथा उनके उपयोग के लिए निधियों का आबंटन इस प्रकार है:

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बचत(+)/अधिक (-)	उपयोगिता की प्रतिशतता
2006-07	26774.39	26900.44	(-)126.05	100.47
2007-08	28110.01	27903.42	(+)206.59	99.27
2008-09	30614.64	29994.03*	(+)620.61	97.97
2009-10 (अनुदान मांगों के अनुसार)	40367.72			

*चूंकि 2008-09 के खाते अभी बंद नहीं किए गए हैं, इसलिए मार्च (संशोधन) 09 के आंकड़े लिए गए हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): जी, हां। केंद्र सरकार ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली 11 उप-योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। इन उप-योजनाओं का लक्ष्य अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, निवेश संवर्धन, चमड़ा कारीगरों को सहायता देना एवं चमड़ा उद्योग के पर्यावरण संबंधी मुद्दों का समाधान करना है।

आईएलडीपी के तहत उप-योजनाओं का ब्यौरा निम्वत है:

क्र.सं.	आईएलडीपी के तहत उप-योजनाओं के नाम	आबंटन (करोड़ रुपये में)
1.	चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास	253.43
2.	चमड़ा परिसर, नेल्लौर	29.00
3.	फुटवयिर डिजाईन एवं विकास संस्थान, फुरसतगंज	7.17
4.	फुटवियर परिसर, चेन्नई	3.00
5.	जीनसाजी विकास	10.00
6.	कारीगरों को सहायता	40.00
7.	मानव संसाधन विकास	60.00
8.	संस्थागत सुविधाओं की स्थापना एवं उन्नयन	300.07
9.	पर्यावरण संबंधी पहलें	200.00
10.	मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना	24.85
11.	मिशन मोड	10.00
	योग	937.52

(घ) और (ङ) केंद्र सरकार ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत 29 करोड़ रुपये की सहायता राशि से आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में चमड़ा परिसर स्थापित करने तथा 14 करोड़ रुपये की सहायता राशि तमिलनाडु के चेन्नई में फुटवियर परिसर स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

भेषज शिक्षा

1235. श्री राधामोहन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भेषज शिक्षा का स्तर विभिन्न विकसित देशों में अपनाए जा रहे स्तर के समकक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विकसित देशों में अपनाए जा रहे स्तर के अनुरूप भेषज शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) भारतीय फार्मेसी परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार फार्मेसी व्यवसाय में अभ्यास हेतु फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत योग्यता के रूप में डी.फार्मा योग्यता (6 वर्षीय पाठ्यक्रम) को शुरू किया है। पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या की विषय-वस्तु को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि यह केवल राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष है। यह (i) सामुदायिक फार्मेसी (ii) नैदानिक विष-विज्ञान (iii) भेषज थिरेपी (iv) नैदानिक अनुसंधान (v) अस्पताल फार्मेसी एवं फार्मेस्यूटिकल देखरेख इत्यादि पर बल देता है।

अशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियां

1236. श्रीमती जयप्रदा: क्या **सामाजिक न्याया और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अशक्त व्यक्तियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें नौकरियां मुहैया कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने अशक्त व्यक्तियों को लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने अशक्त व्यक्तियों हेतु नौकरियों का सृजन करने के लिए निजी क्षेत्र को भी कोई निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 में (i) नेत्रहीनता अथवा न्यून दृष्टि (ii) श्रवण बाधित और (iii) चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित विकलांगजन के लिए 1-1 प्रतिशत आरक्षण सहित सरकारी नौकरियों में 3%

आरक्षण का प्रावधान है। तथापि, हाल ही में विकलांगजन के लिए आरक्षित पदों की बैकलॉक रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान आरंभ किया गया है।

(ग) और (घ) विकलांगजन के लिए नौकरियों के सृजन के लिए निजी क्षेत्र को कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन की नई योजना 1.4.2008 से आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 1.4.2008 को अथवा इसके बाद निजी क्षेत्र में नियोजित 25,000 रुपए तक का मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है।

चीन निर्मित मोबाइलों के आयात पर प्रतिबंध

1237. श्री प्रदीप माझी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या (आईएमईआई) के बिना चीन निर्मित मोबाइलों का बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सुरक्षा के मद्देनजर इस प्रकार के मोबाइलों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (सिंधिया): (क) से (घ) सरकार ने बिना अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) संख्या वाले अथवा शून्य में अंकित आईएमईआई वाले "मोबाइल हैण्डसेटों" (एक्जिम कोड "8517" के अंतर्गत वर्गीकृत) का आयात दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 112 (आरई-2008)/2004-09 द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

1238. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी कृषि वस्तुओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले छः महीनों के दौरान सभी कृषि वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले छह महीनों के दौरान सभी कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के कीमत निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार गेहूं तथा चावल की थोक कीमतें छह माह पूर्व भारत में कई स्थानों पर सूचित कीमतों से कम हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना

1239. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने सामुद्रिक विश्वविद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) देश में दो समुद्रीय विश्वविद्यालय हैं अर्थात् भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, चेन्नई, जिसे भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) के माध्यम से वर्ष, 2008 में स्थापित किया गया है और दूसरा समुद्रीय शिक्षण और प्रशिक्षण अकादमी है जो चेन्नई में निजी क्षेत्र में एक मानित विश्वविद्यालय है।

(ख) और (ग) इस समय, गुजरात राज्य में समुद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और

अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने से प्राप्त अनुभव और भूमि की उपलब्धता, संसाधनों तथा इस क्षेत्र में समुद्रीय संस्थानों की मौजूदगी जैसे अन्य समर्थकारी कारकों पर निर्भर होगी।

विनिर्माण कामगारों हेतु कल्याण निधि

1240. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें निर्माण कामगारों हेतु कल्याण उपायों के क्रियान्वयन और इस उद्देश्य के लिए नियम निधियों का उपयोग करने में काफी पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को विशेष उपाय करने और इस संबंध में किए गए/किये जा रहे उपायों के संबंध में एक सप्ताह के भीतर उत्तर देने के दिशा-निर्देश जारी किए है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों का उत्तर मिला है; और

(ङ) कल्याण निधियों के सार्थक उपयोग सहित निर्माण कामगारों हेतु कल्याण उपायों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अधिनियमित किए हैं। इन अधिनियमों के अंतर्गत, राज्यों को नियम बनाने और अधिसूचित करने होते हैं, सलाहकार समितियों/विशेषज्ञ समितियों का गठन करना होता है, कामगारों के पंजीकरण, उपकर वसूली, निरीक्षण तथा अपीलीय प्राधिकरण के लिए विभिन्न प्राधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है और उक्त अधिनियमों के अनुसरण में विभिन्न कल्याण योजनाएं बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए राज्य कल्याण बोर्डों का गठन करना होता है। राज्य सरकारों को उपकर की वसूली करनी होती है तथा उसे राज्य कल्याण बोर्डों को अंतरित करना होता है। राज्य कल्याण बोर्ड भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। कुछ राज्य विभिन्न कल्याण योजनाएं बनाने की प्रक्रिया में हैं। राज्य इन अधिनियमों के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। आदिनांक 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस अधि नियम के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए हैं, 26 ने कल्याण बोर्डों का गठन किया है, 24 ने क्रियान्वयनकारी/ उपकर वसूली प्राधिकरणों को अधिसूचित किया है तथा 26 ने राज्य सलाहकार समितियों का गठन किया है।

सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इन अधिनियमों के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण कर रही है। सरकार इन अधिनियमों के तेजी से क्रियान्वयन हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर निदेश जारी करती रही है। इस संबंध में, प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशों के अन्तर्गत भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनिमन) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने और समीक्षा करने के लिए सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया था। विशेष समूह राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रवार बैठकों का आयोजन कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की 15 बैठकें पहले ही हो चुकी हैं।

दूरसंचार उपकरण विनिर्माण इकाइयों का पुनरूद्धार

1241. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपनी छ: दूरसंचार उपकरण विनिर्माण इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु विदेशी साझेदारी करना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संयुक्त उपक्रम बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसे अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संयुक्त उपक्रम में प्रौद्योगिकी अंतरण तथा इसकी मशीनरी में विदेशी भागीदारी द्वारा निवेश किया जाना भी शामिल है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रस्ताव कब तक लागू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अरब सागर में प्रादेशिक जल सीमा का अतिक्रमण

1242. **श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अरब सागर में पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय प्रादेशिक जल सीमा का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करने की बात सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय प्रादेशिक जल सीमा की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) अरब सागर में भारतीय प्रादेशिक जलसीमा के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(क) भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल भारतीय प्रादेशिक जलसीमा में किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी करते हैं और अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी

1243. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में पहले की गई सिफारिश के अनुसार प्रतिबंधित शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या श्री चढ्ढा की अध्यक्षता वाली समिति ने पूरे देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के लिए एक समान आयु निर्धारित करने की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रो. पी. रामाराव की अध्यक्षता में गठित "तकनीकी शिक्षा में संकाय विकास" विषयक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005-06 के दौरान समूचे देश में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के कुल 40,000 शिक्षण कर्मचारियों का अभाव था। इस अभाव का प्राक्कलन 1:15 के शिक्षक-छात्र अनुपात के एआईसीटीई मानदंडों के आधार पर किया गया था।

(ग) और (घ) केंद्र-प्रायोजित संस्थाओं में संकाय की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और इन संस्थाओं में शिक्षण स्टाफ की भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ङ) और (च) चढ्ढा समिति ने सिफारिश की थी कि देश भर के राज्य अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों अथवा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। इस मंत्रालय में क्षेत्राधिकार के तहत केंद्रीय निधीनयन प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु को 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दिया गया था। राज्य सरकारों को भी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अपने शिक्षकों के मामले में बदलाव किए जाने की सलाह दी गई थी।

[अनुवाद]

सम-विश्वविद्यालय का दर्जा

1244. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिदेशात्मक जांच प्रक्रिया के बिना कई शैक्षणिक संस्थाओं को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सशर्त समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या समविश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बावजूद कई शैक्षणिक संस्थाओं में संकाय/कार्यक्रम सहित पर्याप्त अवसंरचना की भी कमी पाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार सरकार के उत्तर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के द्वारा केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी ऐसी उच्चतर शिक्षा संस्था को 'सम विश्वविद्यालय' घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है जो विश्वविद्यालय नहीं है। आयोग ने 'सम विश्वविद्यालय' संस्था के रूप में घोषित करने के संबंध में संस्थाओं से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रस्तावों की जांच करता है। इसके बाद आयोग आवेदक संस्था द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रासंगिक सांविधिक विनियामक निकायों के नामिती को शामिल करके विशेषज्ञ समिति गठित करता है। यह समिति बुनियादी सुविधाओं और संकाय सहित आवेदक संस्था में उपलब्ध अन्य सुविधाओं के संबंध में मूल्यांकन करती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। केन्द्र सरकार को यथा-उपयुक्त सिफारिशें करने से पहले पूर्ण आयोग इस रिपोर्ट को अनुमोदित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार आवेदक संस्था को 'सम विश्वविद्यालय' संस्था घोषित करती है। यह प्रक्रिया सभी मामलों में अपनाई जाती है और संबंधित संस्था में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और अन्य प्रकार की सुविधाओं का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समितियों द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद ही संस्थाओं को 'सम विश्वविद्यालय' घोषित किया जाता है।

(ग) से (च) कतिपय शर्तों के आधार पर संस्थाओं को 'सम विश्वविद्यालय' घोषित करने के पीछे यह तर्क है कि किसी संस्था को 'सम विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित करने के उद्धरण से संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी समुदाय, संकाय और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए, इस प्रकार की संस्था को अपने संबंधन विश्वविद्यालय से संबंधन वापस लेना होता है और इस प्रकार संबंधन वापस लिए जाने तक 'सम विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित नई संस्था इस प्रकार की घोषणा के बाद नामांकित विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान नहीं कर सकती और इसलिए इस आशय की शर्त अधिसूचना में शामिल करनी होती है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसी वर्गीकृत कतिपय संस्थाओं जो ज्ञान के उदीयमान क्षेत्रों के कार्य कर रही है को नई श्रेणी के तहत बुनियादी सुविधाओं की अपेक्षा के संबंध में छूट प्राप्त है। तथापि इन उक्त दिशा निर्देशों के तहत यथा-निर्धारित मानदण्डों को नई श्रेणी की संस्थाओं से यथाशीघ्र पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए इस शर्त को अधिसूचना में शामिल करना होता है।

अन्तर-राज्य व्यापार परिषद्

1245. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन अन्तर-राज्य व्यापार परिषदों को पुन: आरंभ करने पर विचार कर रही है जो कुछ समय पहले कार्य करना बंद कर चुके थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार एक समान औद्योगिक विकास करने के लिए सभी राज्यों को विशेष श्रेणी/दर्जा प्रदान करने में एकरूपता लाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ सतत संवाद सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई अंतर-राज्यीय व्यापार परिषद एक स्थाई सलाहकार निकाय है।

(ग) और (घ) समान औद्योगिक विकास हेतु सभी राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने में एकरूपता लाने के बारे में कोई प्रस्ताव अंतर-राज्यीय व्यापार परिषद के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि आयात का प्रभाव

1246. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में भारी मात्रा में कृषि उत्पादों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का कृषि उत्पादों को कम करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हमारे घरेलू कृषि तथा बागवानी क्षेत्र पर कृषि आयात के दीर्घकालीन प्रभाव का निर्धाकरण करने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार द्वारा गेहूं या चावल का कोई आयात नहीं किया गया है और चालू वर्ष के दौरान गेहूं या चावल का आयात करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। कृषि उत्पाद निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 1-24 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 और अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009 के लिए अध्याय-वार आयात के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान हमारे घेरलू कृषि एवं बागवानी क्षेत्र पर कृषि मदों के आयातों के दीर्घावधिक प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं कराया गया है।

तथापि, सरकार द्वारा कुछेक संवदेनशील मदों (कृषि एवं गैर-कृषि, दोनों प्रकार की मदों सहित) के आयात की निगरानी मासिक आधार पर की जा रही है। वर्ष 2008-09 के लिए सरकार के पास उपलब्ध अनन्तिम आयात आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इन संवेदनशील मदों के आयात में 27.7% की वृद्धि हुई।

आयात के कारण उत्पन्न होने वाली किसी घरेलू समस्या का समाधान टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार, 1994 डब्ल्यूटीओ के रक्षोपाय करार तथा सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही द्वारा किया जाता है।

विवरण

अप्रैल, 07 - जनवरी, 08 की तुलना में अप्रैल, 08 - जनवरी, 09 के दौरान भारत के कृषि उत्पादों के अध्याय-वार आयात

आयात	विवरण		
1	2	3	4
01	जीवित पशु	205024601	253971302
02	मांस एवं खाद्य मांसावशिष्ट	26555399	28603924
03	मछली, मोलस्क तथा अन्य जलीय अपृष्ठवंशी	1056163940	2030628991
04	दुग्ध उत्पाद, पक्षियों के अंडे आदि, पशु मूल के खाद्य उत्पाद अ.वि.न.	589235795	722726333
05	पशु मूल के उत्पाद, अ.वि.न.	597761011	527733444
06	सजीव वृक्ष, कन्द, मूल, टहनी युक्त पुष्प एवं अलंकारिक बेल-बूटे	317992984	482302716
07	खाद्य सब्जियों एवं कुछेक मूल तथा ट्यूबर	46414823321	54943246988
08	खाद्य फल एवं मेवे; पील/साइट्रस फल/मेलन	28988875711	43610371080
09	कॉफी, चाय, मेट एवं मसाले	8064585593	9532891216
10	खाद्यान्न	24252266878	378837713
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट, स्टार्च, इंसुलिन, गेहूं ग्लूटेन	625388047	706795978
12	तिलहन, औलियेजेनस फल, औद्योगिक/औषधिक पौधे आदि	4491679466	5674596179
13	लाख, गोंद, रेजिन तथा अन्य वनस्पति रस एवं सत्व	2404177491	2859354185
14	सब्जियां, रोपण सामग्री, वनस्पति उत्पाद अ.वि.न.	132315831	196043320

1	2	3	4
15	पशु/वनस्पति वास एवं तेल, तैयार खाद्य वसा, पशु/वनस्पति वैक्स	94028909272	131388433257
16	मांस विनिर्मितियां, मछली/क्रस्टिंग मोलस्क/अन्य जलीय अपृष्ठवंशी आदि	96647519	136121423
17	चीनी एवं मिष्ठान	1520003488	2976647325
18	कोको एवं कोको विनिर्मितियां	1433811595	1970013984
19	खाद्यान्न, आटा, स्टार्च/दुग्ध विनिर्मितिया; पेस्ट्रीकुक उत्पाद	1067868058	1105486324
20	वनस्पति, फल, मेवे/पौधों के अन्य भागों की विनिर्मितियां	1306874471	1477037082
21	विविध खाद्य विनिर्मितियां	1324132896	2127037097
22	पेय, स्पिस्टि एवं सिरका	4838169917	8101062621
23	खाद्य उद्योग के अवशिष्ट एवं अपशिष्ट; तैयार पशु चारा	3731717594	5005806612
24	तम्बाकू एवं निर्मित तम्बाकू के स्थानापन्न	463041602	659324911
	महायोग	227978022480	276895074005

[अनुवाद]

रक्षा उत्पादन इकाइयों की अप्रयुक्त भूमि

1247. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न रक्षा उत्पादन इकाइयों की कई एकड़ भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में सेंताला में आयुध फैक्ट्री की अप्रयुक्त भूमि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिशेष भूमि के उपयोग हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए अधिशेष भूमि के अभ्यर्पण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय रक्षा कल्याण निधि

1248. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान केन्द्रीय रक्षा कल्याण निधि में अंशदान देने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस निधि से कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहीदों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय रक्षा कल्याण निधि के तहत कोई अन्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क)

	वर्ष	राशि रुपयों में
(i)	2006-07	28.34 लाख
(ii)	2007-08	20.52 लाख
(iii)	2008-09	10.52 लाख
(iv)	2008-10	शून्य

(ख) कोष में लोगों द्वारा दान की गई राशि में से 30,000/- रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 523 कारगिल शहीदों के आश्रितों को 1,56,90,000/- रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल भवनों की स्थापना

1249. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में स्थित बाल भवनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित बच्चों के लाभ हेतु और अधिक बाल भवनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा अवस्थिति-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय बाल भवन से सम्बद्ध देश के बाल भवनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत में बालभवनों के नेटवर्क के विस्तार के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय बाल भवन उन बाल भवनों को सम्बद्धन प्रदान करता है जो निर्धारित पात्रता मानदण्ड एवं सम्बद्धन मानक पूर्ण करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	राष्ट्रीय बाल भवन से सम्बद्ध बाल भवनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	–
4.	बिहार	01
5.	छत्तीसगढ़	01
6.	गोवा	01
7.	गुजरात	10
8.	हरियाणा	11
9.	हिमाचल प्रदेश	01
10.	जम्मू और कश्मीर	02
11.	झारखंड	01
12.	कर्नाटक	09
13.	केरल	08
14.	मध्य प्रदेश	08
15.	महाराष्ट्र	04
16.	मणिपुर	01
17.	मेघालय	–
18.	मिजोरम	01
19.	नागालैंड	01
20.	उड़ीसा	03
21.	पंजाब	01
22.	राजस्थान	01
23.	सिक्किम	–
24.	तमिलनाडु	21
25.	त्रिपुरा	–
26.	उत्तर प्रदेश	08
27.	उत्तराखंड	01
28.	पश्चिम बंगाल	02
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–
30.	चंडीगढ़	–

1	2	3
31.	दादरा और नगर हवेली	01
32.	दमन और दीव	02
33.	दिल्ली	01
34.	लक्षद्वीप	–
35.	पुडुचेरी	01
	कुल	120

गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

1250. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई कुछ योजनाओं को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार समाज के अत्यधिक अलाभान्वित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पीड़ितों और वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसे केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 1995-96 से आरंभ किया गया था, को ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रशासित करता है। बाद में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाएं निहित हैं:

(i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन मंजूर की जाती है।

(ii) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को 18-64 वर्षों के आयु समूह के परिवार के प्रमुख रोजी कमाने वाले की मौत के मामले में 10,000 रुपए मंजूर किए जाते हैं।

(iii) अन्नपूर्णा योजना – इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कवर न होने वाले व्यक्तियों को 10 किग्रा खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

(iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – इस योजना के अंतर्गत, 40-64 वर्षों के आयु समूह वाली गरीबी रेखा से नीचे की विधवाओं को 200 प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन मंजूर की जाती है।

(v) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना – इस योजना के अंतर्गत 18-64 वर्षों के आयु समूह के बीच के अत्यधिक अथवा बहु-विकलांगता ग्रस्त गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन मंजूर की जाती है।

[अनुवाद]

स्पेक्ट्रम विनियामक की स्थापना

1251. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्पेक्ट्रम संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए स्वतंत्रत स्पेक्ट्रम विनियामक स्थापित करने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम आबंटन की प्रक्रिया को सुचारू करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वार्षिक रक्षा खरीद नीति

1252. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वार्षिक रक्षा खरीद नीति लागू करने का प्रस्ताव है जैसाकि हाल ही में मीडिया में जानकारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस नीति की मुख्य विशेशताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति खरीद प्रक्रिया को गति देने तथा रक्षा खरीद में पारदर्शिता लाने में किस प्रकार मददगार साबित होगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा अधिप्राप्ति (डीपीपी)-2008, 01 सितंबर, 2008 से लागू हो चुकी है। इस प्रक्रिया की प्रत्येक दो वर्ष में आवधिक समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिकाधिक पारदर्शिता बनाए रखने, रक्षा अधिप्राप्ति में स्वदेशी उद्योग की सहभागिता को प्रोत्साहित करने तथा बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की हर वर्ष समीक्षा की जाए।

थ्री-जी मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी

1253. **श्री संजय निरूपम:**
श्री जगदीश शर्मा:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने थर्ड जनरेशन (थ्री-जी) मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी के मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नीलामी प्रक्रिया कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ अपने स्पेक्ट्रम को छोड़ने पर रक्षा मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने थ्री-जी मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु पूर्व में प्रस्तावित न्यूनतम आरक्षित मूल्य को बढ़ाने का निर्णय कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) (ङ) और (च) तीसरी पीढ़ी (3-जी) के स्पेक्ट्रम और इसके आबंटन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दे जिनमें नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की राशि, आरक्षित मूल्य का निर्धारण, वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार आदि शामिल हैं, सरकार के विचाराधीन हैं। इसलिए नीलामी प्रक्रिया शुरू किए जाने के लिए समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(घ) रक्षा मंत्रालय तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार रक्षा मंत्रालय 2-जी और 3-जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की निर्मुक्ति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तारीख से सशस्त्र बलों के लिए एकल, समर्पित ओएफसी नेटवर्क पूरा होने तक चरणबद्ध रूप से करेगा।

विदेशों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना

1254. **श्री भक्त चरण दास:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालय तथा प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को विदेशों में कैम्पस स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशों में पहले ही खोले जा चुके संस्थानों की संख्या तथा अगले दो वर्षों में इस प्रकार के कितने संस्थानों के खोले जाने की संभावना है;

(घ) कितने विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों ने सरकार से विदेशों में अपना प्रचालन आरंभ करने का अनुरोध किया है;

(ङ) क्या सरकार इस प्रकार के कैम्पस/संस्थानों को खोले जाने से एकत्रित होने वाली निधियों के उपयोग के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान के अनुसार निम्नलिखित 'सम विश्वविद्यालय' संस्थाओं ने विदेशों में कैंपस अनुमोदित किए हैं:

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के नाम	देश
1.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	यूनाइटेड अरब अमीरात
2.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, मेसरा, रांची	ओमान, बेहरीन
3.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान
4.	विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सलेम, तमिलनाडु	थाइलैंड
5.	श्री रामचंद्र चिकित्सा कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	मॉरीशस

निम्नलिखित सम-विश्वविद्यालयों ने विदेशों में कैंपस खोलने के लिए अपने प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे हैं:

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के नाम	देश
1.	बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, मेसरा, रांची झारखंड	मॉरीशस
2.	सुमनदीप विद्यापीठ, बडोदरा, गुजरात	मॉरीशस
3.	अकादमी ऑफ मेरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रैनिंग, चेन्नई, तमिलनाडु	यूनाइटेड अरब अमीरात (दुबई)
4.	विनायक मिशन अनुसंधान प्रतिष्ठान, सलेम, तमिलनाडु	यूनाइटेड अरब अमीरात

वर्ष 2005 में भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर ने सिंगापुर में कैंपस खोलने का अनुरोध किया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध

1255. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीनी खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन से खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध में ढिलाई देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है: और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू खिलौना उद्योग को संरक्षण प्रदान करने तथा उसे बढ़ावा देने और हानिकारक पदार्थ युक्त आयातित चीनी खिलौनों का उपयोग करने वाले शब्दों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) चीन के खिलौनों की सुरक्षा तथा भारत में बच्चों पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में बढ़ती हुई चिंताओं के आधार पर सरकार ने दिनांक 23/01/2009 से चीन के खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तत्पश्चात सरकार द्वारा दिनांक 02/03/2009 को इस मुद्दे की जांच की गई थी और चीन से ऐसे खिलौनों के आयात की अनुमति दी गयी थी जो एएसटीएमएफ 963 अथवा आईएसओ 8124 (भाग I - III) अथवा आईएस 9873 (भाग I - III) में निर्धारित मानकों को पूरा करते हों। सरकार ने इस मामले की पुन: जांच की है तथा दिनांक 16/06/2009 की अधिसूचना सं. 113 द्वारा सभी स्त्रोतों से खिलौनों के आयात को एएसटीएमएफ 963 अथवा अथवा आईएसओ 8124 (भाग I - III) अथवा आईएस 9873 (भाग I - III) अथवा ईएन-71 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अध्यधीन रख दिया गया है।

(ङ) अतिलघु, लघु अथवा मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के साथ संयुक्त रूप से भारतीय खिलौना उद्योग के विकास हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है। इस कार्यक्रम में भारत में सुरक्षित खिलौनों के उत्पादन के संवर्धन की अपेक्षा की गई है।

निर्यात पर वैश्विक मंदी का प्रभाव

1256. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री गणेश सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर निर्यात क्षेत्र में वैश्विक मंदी के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान मुख्यत: वैश्विक मंदी के कारण देश में सामान के निर्यात में कमी दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) डीजीसीआई एंड एस द्वारा संकलित मासिक व्यापार आंकड़ों के त्वरित अनुमानों से पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत के पण्य वस्तु निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है। यद्यपि हमारे निर्यातों में गिरावट के अनेक कारण हैं, तथापि विशेष रूप से विकसित देशों में मंदी इसका एक महत्त्वपूर्ण कारक है। अप्रैल, 2008 से मई, 2009 तक मासिक पण्य वस्तु निर्यात के त्वरित अनुमानों के ब्यौरे (पूर्ववर्ती वर्ष के तदनुरूपी माह के आंकड़ों के साथ) संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ङ) प्रोत्साहन पैकेजों में घोषित उपाय तथा सरकार द्वारा विशेष रूप से निर्यातक क्षेत्र के लिए बजट 2009-10 में की गई घोषणाएं संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण I

अप्रैल, 2008 से मई, 2009 तक मासिक पण्य वस्तु निर्यात के त्वरित अनुमानों के ब्यौरे

माह	2007-08*	2008-09**	वृद्धि(+)/ गिरावट (-)
1	2	3	4
अप्रैल	11.327	16.227	+ 43.3
मई	12.546	16.062	+ 29.0
जून	12.101	17.005	+ 40.5
जुलाई	12.513	17.318	+ 38.4
अगस्त	12.640	16.126	+ 27.6
सितम्बर	12.521	14.298	+ 14.2
अक्तूबर	14.675	12.861	- 12.4
नवम्बर	12.909	10.308	- 20.2
दिसम्बर	14.625	12.690	- 13.2
जनवरी, 09	14.889	12.381	- 16.8
फरवरी	15.221	11.913	- 21.7
मार्च	17.254	11.516	- 33.3
माह	2008-09	2009-10	वृद्धि (+) / गिरावट (-)
अप्रैल	16.076	10.743	- 33.2
मई	15.550	11.010	- 29.2

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस)
*संशोधित अनुमान
**संशोधित त्वरित अनुमान

विवरण-II

मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी से उत्पन्न चिंताओं के समाधान के लिए सरकार/आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम

क्र.सं.	सरकार द्वारा किए गए उपाय:
1	2
1.	निर्यात हेतु निम्नलिखित श्रम गहन क्षेत्रों हेतु दिनांक 30.09.2009 तथा 2% की ब्याज छूट सुविधा प्रदान की गई है: वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, चर्म, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा एसएमई;
2.	विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) में हस्तशिल्प मदों आदि को (दिसम्बर, 2008 में) 350 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;
3.	दिनांक 01.04.2009 से 30.09.2009 तक किए जाने वाले निर्यातों के लिए बाजार से जूड़ी फोकस उतपाद स्कीम का विस्तार कर उसमें साइकिल के पुर्जों; मोटर कार तथा मोटर

1	2
	साइकिलों, परिधानों एवं वस्त्र सहायक सामग्री, ऑटो के पुर्जों आदि को शामिल किया गया;
4.	माने गए निर्यातों पर सीएसटी/अंतिम उत्पाद शुल्क/शुल्क प्रतिअदायगी के दावों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए।
5.	निर्यातक अनुकूल एवं लोकप्रिय शुल्क शून्यीकरण स्कीम अर्थात् शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) स्कीम को 31 दिसम्बर, 2009 तक जारी रखना;
6.	जिन मदों पर नवम्बर, 2008 में डीईपीबी दरें कम की गयी थी, उन समस्त मदों पर भूतलक्षी प्रभाव से डीईपीबी दरों को बहाल करना;
7.	दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से कुछेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की उच्चतर दरें बहाल करना;
8.	बैंक प्रापण प्रामण-पत्र (बीआरसी) की शुरूआती अपेक्षा के बिना डीईपीजी तथा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों की अनुमति;
9.	अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत संरचना शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात दायित्व की अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया;
10.	ईसीजीसी को 350 करोड़ रु. तक समर्थन गारंटी उपलब्ध कराई गई ताकि वह दुर्गम बाजरों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियां प्रदान कर सके। ईसीजीसी अब अपने दायरे में विस्तार करने में सक्षम है;
11.	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) के अंतर्गत वस्त्र इकाइयों के पिछले दावों का निपटान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को 1400 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;
12.	लौह अयस्क फाइंस पर निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और लम्प्स के लिए इसे घटाकर 5% किया गया;
13.	निर्यातों पर सेवाकर वापसी से संबंधित कुछेक लम्बित मुद्दों का निपटान किया गया। तथापि कई मुद्दों का समाधान किया जाना अभी बाकी है;
14.	निर्यातकों के लिए विलंब में कमी करने हेतु अनेक प्रक्रियागत मुद्दों के फास्ट ट्रैक समाधान हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें राजस्व एवं वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं। तदानुसार कई मुद्दों का समाधान किया गया;
15.	पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य उत्पादों जिनके संबंध में वर्तमान दर 4% से कम थी, को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में और 4% की समान दर से कमी की गयी। इसके अतिरिक्त चर्म आदि जैसे कुछेक उत्पादों हेतु उत्पाद शुल्क में और 2% की कमी की गई;
16.	अतिलघु एवं लघु उद्यमों के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर 50% के गारंटी कवर के साथ दोगुना कर 1 करोड़ रु. किया गया। ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा प्रदत्त गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की ऋण सुविधा हेतु बढ़ाकर 85% किया गया। ऐसे सम्पार्टिवक मुक्त ऋणों हेतु अवरुद्ध अवधि में कमी की गयी;
17.	विशेष रूप से चीन से पाटित/सस्ते आयातों से घरेलू विनिर्माण उद्योग की रक्षा करने के लिए एचआर कॉयल, कार्बन ब्लैक, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफवाई) तथा रेडियल टायरों (बस एवं ट्रक) पर आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं।
18.	विद्युत क्षेत्र हेतु नैपथा पर आयात शुल्क समाप्त किया गया;
19.	टीएमटी छड़ों और संरचनाओं तथा सीमेंट पर सीवीडी समाप्त किया गया;
20.	जस्ता एवं फेरो-एलॉय पर मूल सीमाशुल्क से छूट समाप्त की गयी;
21.	नियमित निगरानी तंत्र:
	(क) सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षानुसार आगे और सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें। इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित दो उच्चस्तरीय समितियां गठित की हैं जो नियमित आधार पर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही है:
	(i) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ दल जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपाध्यक्ष (योजना आयोग), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शामिल हैं;
	(ii) वर्तमान वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट के संबंध में व्यापार एवं उद्योग जगत तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करने तथा शीर्षस्थ दल के लिए कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु

1	2
	नियमित रूप से बैठक करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की समिति जिसमें वित्त सचिव, वणज्यि सचिव, सचिव (डीआईपीपी), सचिव (योजना आयोग) शामिल हैं।
	(ख) एमएसएमई के ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राज्यस्तरीय बैंकाकार समिति की मासिक बैठक की बैठकों की प्रगति पर एमएसएमई विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जाएगी।
ख.	आरबीआई द्वारा किए गए उपाय:
(क)	निम्नलिखित के द्वारा नकद प्रवाह में वृद्धि करने के लिए बैंकों की नकदी में वृद्धि:
	(i) सीआरआर, एसएलआर रेपो दर तथा प्रति रेपो दर में कमी (अक्तू. 08 से सीआरआर को 9% से घटाकर 5% एसएलआर को 25% से घटाकर 24% रैपो दर को 7.5% से घटाकर 4.75% और प्रति रैपो दर को 6% से घटाकर 3.25% किया गया)।
	(ii) रुपए या डॉलर में लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात ऋण प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ रु. की राशि हेतु एक्जिम बैंक को पुनर्वित्त सुविधा।
	(iii) निर्यातों, अति लघु एवं लघु उद्यमों, म्युचुअल फंड तथा एनबीएफसी को वित्त प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बैंकों हेतु एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्थापित की गई है। उपबंधात्मक अपेक्षाओं में कमी की गई है। वाणिज्यिक बैंकों हेतु निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा को बढ़ा कर बकाया रुपया निर्यात ऋण का 50% किया गया है।
	(ख) विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की नकदी में वृद्धि
	(i) घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा (अम.डा.) की बिक्री जारी रखने के संबंध में आरबीआई का आश्वासन।
	(ii) निर्यातकों को लाभकारी ऋण प्रदान करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण पर अधिकतम दर सीमा को बढ़ाकर एलआई बीओआर + 350 आधार बिंदु किया गया है बशर्ते बैंक

1	2
	अपनी ओर से किए गए व्ययों की वसूली को छोड़कर अन्य प्रभारों अर्थात् सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि का उद्ग्रहण नहीं करेंगे।
	(ग) ऋण संबंधी शर्तों को सरल बनाना:
	(i) लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण की अवधि को बढ़ाकर प्रत्येक के लिए 90 दिन करना;
	(ii) गैर-दर्जाधारक निर्यातकों हेतु निर्यात आय की समयावधि को दर्जाधारकों के समतुल्य बनाते हुए बढ़ाकर 12 माह करना। यह सुविधा जो पहले 03.06.2009 तक के लिए उपलब्ध थी, इसमें और एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया है।
	(iii) आरबीआई द्वारा घोषित उपायों के उपरांत पीएसयू बैंकों द्वारा निर्यात इकाइयों हेतु गारंटियों पर मार्जिन मनी में कमी की गई।
	(ग) हाल ही में बजट 2009-10 में घोषित उपाय:
1.	एमडीए स्कीम-आबंटन बढ़ाकर 124 करोड़ रुपए (148% की वृद्धि) किया गया;
2.	7 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु लदान-पूर्व ऋण पर 2% की ब्याज छूट की अवधि को 30.09.2009 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 तक किया गया;
3.	बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों हेतु 95% तक संवर्धित ईसीजीसी कवर प्रदान करने के लिए दिसम्बर 2008 में शुरू की गई समायोजन सहायता स्कीम को मार्च, 2010 तक जारी रखा गया;
4.	पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वृहद हथकरघा समूहों, राजस्थान में पावरलूम समूहों तथा श्रीनगर एवं मिर्जापुर में कालीन हेतु नव वृहत समूहों को अनुमोदित किया गया;
5.	वेतनेतर लाभ कर (एफबीटी) समाप्त किया गया;
6.	एसटीपीआई तथा ईओयू स्कीमों के लिए "सनसेट" संबंधी खण्डों से संबंधित क्रमश: धारा 10क और 10ख को वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लागू रखा गया। "इकाई की तुलना में निर्धारित" के कराधान लाभ से संबंधित धारा 10क क में विसंगति को समाप्त किया गया;
7.	निम्नलिखित राजगारोन्मुख क्षेत्रों के लिए मौजूदा शुल्क मुक्त आयात हकदारी के भीतर अतिरिक्त मदों की अनुमति दी गई:

1	2
	(i) खेल सामग्री क्षेत्र हेतु 5 अतिरिक्त मदें;
	(ii) चर्म परिधान तथा फुटवियर एवं वस्त्र मदों के लिए अतिरिक्त मदें;
8.	अपरिष्कृत/अनगढ़ कोरल पर 5% मूल सीमाशुल्क समाप्त किया गया;
9.	सेवा कर - निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-
	(i) निर्यातों से जुड़ी सेवाओं पर सेवा कर से छूट;
	(क) किसी सीएफएस या आईसीडी से पत्तन या हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवा पर और निकासी के स्थान से सीधे किसी आईसीडी, सीएफएस, पत्तन या हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवाओं पर;
	(ख) विदेशी एजेंट कमीशन सेवा द्वारा प्रदत्त सेवाएं;
	(ii) निर्यातों के एफओबी मूल्य के 0.25% से अनधिक के वापसी के दावे के मामले में स्व-प्रमाणन; तथा अन्य मामलों में सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणन पर वापसी की अनुमति देकर सेवाकर की वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है;
	(iii) वापसी का दावा प्रस्तुत करने के लिए समयावधि बढ़ाकर निर्यात की तारीख से 1 वर्ष (छमाही की तुलना में) कर दी गई है।

आर्थिक मंदी के कारण नौकरी खोना

1257. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों जैसे वस्त्र, जवाहरात तथा आभूषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक मंदी के कारण बड़े पैमाने पर छटनी है, नौकरियां छूट गई हैं, तालाबंदी हुई है, उद्योग बंद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कितने कामगार/कर्मचारी राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार बेरोजगार हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बेरोजगार हुए कामगारों/कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो ने भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के दो त्वरित तिमाही सर्वेक्षण करवाये हैं। पहला सर्वेक्षण अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 तिमाही के दौरान प्रभाव का आकलन करने हेतु जनवरी, 2009 माह में करवाया गया था। दूसरा सर्वेक्षण जनवरी-मार्च, 2009 तिमाही के दौरान प्रभाव का आकलन करने हेतु अप्रैल, 2009 माह में करवाया गया था। अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 तिमाही के सर्वेक्षण के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

- अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के दौरान लगभग आधे मिलियन कामगारों ने अपना रोजगार खो दिया है।
- सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कीमती पत्थर और जवाहरात, परिवहन और ऑटोमोबाइस थे, जहाँ उक्त अवधि के दौरान रोजगार में क्रमश: 8.58 प्रतिशत, 4.03 प्रतिशत और 2.42 प्रतिशत कमी हुई है। वस्त्र क्षेत्र में 0.91 प्रतिशत कामगारों ने अपना रोजगार खो दिया है।
- मंदी का मुख्य प्रभाव निर्यातान्मुख इकाइयों में देखा गया था।

  तथापि जनवरी-मार्च 2009 तिमाही हेतु कराया गया दूसरा सर्वेक्षण निम्नलिखित की ओर संकेत करता है;

- जनवरी-मार्च, 2009 अवधि के दौरान शामिल किये गये क्षेत्रों में कुल अनुमानित रोजगार में 0.6% की वृद्धि हुई। गैर-निर्यात इकाइयों ने रोजगार में निर्यात इकाइयों (0.28%) की तुलना में उच्चतर दर (0.92%) दर्शायी है।
- जनवरी-मार्च, 2009 अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र हैं-कीमती पत्थर और जवाहरात (3.08%), कपड़ा (0.96%), आईटी-बीपीओ (0.82%), हथकरघा-पॉवरलूम (0.28%) और ऑटोमोबाइल्स (0.10%)।
- जनवरी-मार्च, 2009 के दौरान चमड़ा (2.76%) धातु (0.56%) और परिवहन (0.36%) क्षेत्रों में रोजगार में कमी देखी गयी।

(ग) चूंकि वैश्विक मंदी वर्ष 2008 के मध्य से देखी गयी है, अत: वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार देश में आर्थिक मंदी के प्रभाव के बारे में चिंतित है और विकास को गति देने तथा इस संकट का सामना करने

के लिए अनेक वित्तीय और राजकोषीय मुख्य रूप से अतिरिक्त व्यय, ब्याज में कमी और उत्पाद शुल्क में कमी करने जैसे उपाय किए गए हैं। इनमें बाजार में लिक्विडिटी में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये कदम और भारत सरकार द्वारा एक आर्थिक पैकेज की घोषणा शामिल है। इन उपायों से बड़े स्तर पर रोजगार जाने तथा मजदूरी में कटौती की रोकथाम होगी। इसके साथ-साथ औद्योकि विवाद अधिनियम, 1947 में भी कामबंदी और छंटनी को प्रतिबंधित किया गया है तथा कामबंदी, छंटनी और प्रतिष्ठानों के बंद होने के मामले में कर्मकारों को संरक्षण का प्रावधान है।

[हिन्दी]

अनियत तथा ठेका कामगारों को नियमित करना

1258. **श्री यशवंत लागुरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान पृथक रूप से राज्य-वार केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त किए गए गैर-उपस्थिति नामावली (नान-मस्टर रोल) तथा अनियत कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) उन्हें प्रदान की गई न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) कामगार ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किए गए ठेका तथा अनियत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने ठेका कामगारों सहित उक्त कामगारों के विनियम हेतु कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1259. **श्री जगदीश शर्मा:**
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा बाजार एकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में उसका कितना अंश है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा देश में छोटे खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईआर) के रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा व्यापार वर्ष 2006-07 में 322 विलियन अमरीकी डॉलर से 13 प्रतिशत वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर से वर्ष 2011-12 में 590 बिलियन अमरीकी डॉलर हो जाने की संभावना है, इसने वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 11-12 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2003-04 में कुल खुदरा व्यापार में संगठित खुदरा व्यापार का हिस्सा 3.3 था जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गया।

(ग) और (घ) खुदरा क्षेत्र श्रम गहन क्षेत्र है तथा कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता हैं सरकार खुदरा व्यवसाय में लगे सभी पक्षों के बैध हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विकासशील संगठित खुदरा व्यापार से छोटे खुदरा व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से सरकार पूरी तरह से परिचित है। खुदरा व्यापार में एफडीआई पर मौजूदा नीति में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेश व्यापार

1260. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश व्यापार की आयात निर्यात-वार मौजूदा प्रमात्रा कितनी है तथा जिन देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विदेश व्यापार बढ़ाने के लिए बाजारों की तलाश कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एक व्यापक विदेश व्यापार नीति लाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया): (क) भारत के पण्य वस्तु आयात एवं निर्यात संलग्न विवरण दिए गए हैं। भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करार (एफटीए) हैं - भारत-श्रीलंका एफटीए, दक्षिण एशियाई एफटीए करार (साफ्टा), भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए), भारत-नेपाल व्यापार संधि तथा भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य एवं पारगमन करार।

(ख) और (ग) सरकार ने इन देशों में हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात का संवर्धन करने के लिए फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस) तथा बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की है। इन स्कीमों का ब्यौरा डीजीएफी की वेबसाइट: http://dgft.gov.in पर देखा जा सकता है।

(घ) और (ङ) मौजूदा व्यापक विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 दिनांक 08/12/ 2008 की अधिसूचना संख्या 70 द्वारा अगले संशोधनों तक दिनांक 31-03-2009 से आगे लागू रहेगी।

विवरण

भारत के पण्य वस्तु निर्यात एवं आयात

(मूल्य बिलियन अम.डॉ. में)

वर्ष	निर्यात	% वृद्धि	आयात	% वृद्धि
2004-05	83.53	30.8	111.52	42.7
2005-06	103.09	23.4	149.17	33.8
2006-07	126.26	22.5	185.60	24.4
2007-08	163.12	29.0	251.65	27.0
2008-09	168.70	3.4	287.76	14.3

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ–

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 167/15/09]

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 168/15/09]

(तीन) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 169/15/09]

(चार) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 170/15/09]

(पांच) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 171/15/09]

(छह) गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-10 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 172/15/09]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड), बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती भारत अर्थ-मूवर्स लिमिटे), बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लेखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 173/15/09]

(4) भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 174/15/09]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 175/15/09]

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 176/15/09]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 177/15/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 178/15/09]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3)के अंतर्गत वाणिज्यिक पोत परिवहन (भारतीय मत्स्यन नावों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2009 जो 26 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 179/15/09]

(2) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 435घ और 435ङ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 449(अ) जो 26 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पत्तनों की भारतीय मत्स्यन नावों की रजिस्ट्री के पत्तनों या स्थानों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे पत्तनों अथवा स्थानों के संबंध में अधिसूचना के स्तंभ 2 में उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय मत्स्यन नावों के रजिस्ट्रार के रूप में की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 180/15/09]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 198(अ) जो 25 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (पेंशन) दूसरा संशोधन विनियम, 2009 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 227(अ) जो 31 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 2009 को अनुमोदित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 428(अ) जो 18 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (अवकाश दूसरा संशोधन विनिमय, 2009 को अनुमोदित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 181/15/09]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 182/15/09]

(2) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 183/15/09]

(3) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 184/15/09]

(4) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 185/15/09]

(5) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 186/15/09]

(6) उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 6 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1354(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसचूना संख्या का.आ. 629(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 27 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 863(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2009 जो 6 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 630(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 187/15/09]

(7) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड बोर्ड (रबड़ उत्पादन आयुक्त और सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 188/15/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारंखड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलि, रांची के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 189/15/09]

(3) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2004-05, के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** एल.टी. 190/15/09]

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2005-06 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 190ए/15/09]

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 190बी/15/09]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 191/15/09]

(6) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 192/15/09]

(8) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉदर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 193/15/09]

(10) (एक) उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरूदन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 194/15/09]

(12) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 195/15/09]

(14) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 196/15/09]

(16) (एक) उड़ीसा प्राईमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 197/15/09]

(18) (एक) सर्वशिक्षा अभियान अथॉरिटी, पंजाब के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी, पंजाब के वर्ष 2007-2008 के कार्यकण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 198/15/09]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 199/15/09]

(2) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 200/15/09]

(3) डाक विभाग के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 201/15/09]

(4) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 202/15/09]

(5) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (छठा संशोधन) नियम, 2008 जो 19 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 864(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 203/15/09]

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2009-10 की संख्या सीए 25) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी)-दूरसंचार क्षेत्र के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 204/15/09]

(7) भारतीय संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 205/15/09]

(8) भारत तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी (सक्सपेरीमेंटल सर्विस) (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 324 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन वारलेस टेलीग्राफी (डिमोनस्ट्रेशन लाइसेंस) (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 325 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन डिवाइसेज सहित वेरी लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेज अथवा उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2009 जो 10 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 206/15/09]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हरीश रावत) में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 207/15/09]

(2) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 208/15/09]

(4) संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ढ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2241(अ) जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में शिक्षु अधिनियम, 1961 का विस्तार किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 209/15/09]

(5) अधिसूचना संख्या का.आ. 566(अ), जो 27 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें अधिसूचना के खंड (दो) के अनुसरण में जारी उपरोक्त मद संख्या 4 में उल्लिखित सिक्किम राज्य में शिक्षु अधि नियम, 1961 के लागू होने की तारीख 27 फरवरी, 2009 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 210/15/09]

(6) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2009 जो 25 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 52 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2009 जो 25 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 53 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 211/15/09]

(7) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वित्तीय प्राक्कलन और कार्यनिष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 212/15/09]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) की ओर से मैं श्री डी. नेपोलियन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 213/15/09]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत) मैं श्री सचिन पायलट की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वर्ष 2009-2010 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** एल.टी. 214/15/09]

अपराह्न 12.03 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त

अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधनी राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट

[अनुवाद]

मानव संसाधान विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 और 2 के उप-खंड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 और 2 के उप-खंड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

(तीन) रबड़ बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि रबड़ नियम 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा (4) की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

''कि रबड़ नियम 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा (4) की उपध ारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

(चार) मसाला बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि मसाला बोर्ड नियम 1987 के नियम 5 के उप-नियम (1) के पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश, दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महादेया: प्रश्न यह है:

"कि मसाला बोर्ड नियम 1987 के नियम 5 के उप-नियम (1) के पठित मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश, दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

(पांच) चाय बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) और नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य 31.03.2011 तक की अवधि तक के लिये निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) और नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य 31.03.2011 तक की अवधि तक के लिये निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

(छः) नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के वासन): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि नाविकों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि नाविकों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

(सात) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के शेष कार्यकाल के लिए अर्थात् 31 अगस्त, 2010 तक सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2); के खंड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के शेष कार्यकाल के लिए अर्थात् 31 अगस्त, 2010 तक सदस्यों के रूप में कार्य करके लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अपराह्न 12.10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिल्ली में मेट्रो रेल के निर्माण स्थल पर हुई कथित दुर्घटना के संबंध में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम लोक महत्व के मामलों पर विचार करेंगे। श्री गुरुदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घारल): महोदया, मैं दु:खी मन से 'शून्य काल' में कल हुई मेट्रो की बड़ी दुर्घटना की ओर पूरे देश तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। यह लगातार दूसरी दुर्घटना है, आठ महीने पहले, एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें दो लोग मारे गए थे। इस दुर्घटना विशेष के समय गैमन इंडिया लिमिटेड के 30 लोग कार्यरत थे। 30 में से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, आज कुछ और लोगों की मृत्यु होने की आशंका है और 5 गंभीर रूप से घायल हैं।

महोदया, यह सत्ता केन्द्र भारत की राजधानी में कैसे हुआ? लगाया जा रहा गाटर टूट कर गिर पड़ा था। तीन महीने पहले गिरने वाले खंबे में दरार आ गई थी। जिससे यह दुर्घटना हुई। दरारों को सावधानी से नहीं भरा गया था। इस बड़ी चूक के कारण यह दुर्घटना हुई। दरारयुक्त खंबे की सावधानी से मरम्मत किए बिना, निर्माण जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि सरकार के दबाव के कारण वे राष्ट्रकुल खेलों से पूर्व निर्माण पूरा करना चाहते थे।

मेट्रो के निर्माण स्थलों पर बार-बार दुघर्टना होने से निर्माणकार्य में लगे मजदूरों के लिए बनाए गए केन्द्र सरकार के कानूनों का घोर उल्लंघन सामने आता है। देश में हर जगह ये गरीब मजदूर पीड़ित होते हैं। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है और इसे भवन और अन्य सनिर्माण कमेल्कर (नियोजन तथा सेवा-शर्ट विनियमन) अधिनियम, 1996 कहा जाता है। इस अधिनियम तथा इसके साथ जुड़े उप अधिनियम को क्रियांविन नहीं किया गया है।

मेरी शिकायत यह है कि केन्द्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में केन्द्र सरकार के कानून का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 38 के अधीन यह प्रावधान है कि कार्यकारों और प्रबंधन की संयुक्त समिति के रूप में एक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा और यह सुरक्षा समिति हर तरह सुरक्षा, सुरक्षा की गुणवत्ता तथा कानून के प्रावधानों के अनुसार दुर्घटना को रोकने के लिए उठाये जाने वाले एहतिहाती कदमों की समीक्षा करेंगी। यदि कानून का क्रियान्वयन सुरक्षा समिति का गठन और समीक्षा की गई होती तो यह विपत्ति नहीं आई होती। मेरी शिकायत यह है कि दिल्ली मेट्रो के निर्माण में सुरक्षा खामी है। निगरानी नहीं की जा रही है तथा निर्माण के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह सब शीघ्र निर्माण के लिए किया जा रहा है ताकि राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व मेट्रो लाइन का निर्माण हो सके।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

स्थिति क्या है? ठेकेदारों को नियुक्त किया जा रहा है और उसके बाद ठेकेदार दूसरे छोटे ठेकेदारों को नियुक्त कर रहा है और छोटे ठेकेदार अपने से छोटे अन्य ठेकेदारों को नियुक्त कर रहे हैं। स्थिति यही है। इस तरह से कोई निगरानी नहीं होती है। ठेकेदारों पर लागू सावधानी एवं पूर्व शर्तें मध्यम और छोटे ठेकेदारों पर लागू नहीं होगी। दुर्घटना का यही कारण है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। पूर्व में लक्ष्मी नगर में हुई दुर्घटना में एफ्रांन इंफ्रास्ट्रक्चर को दोषी पाया गया। फर्म को काली सूची में डाल दिया गया है, पर हटाया नहीं गया है। क्या दयनीय स्थिति है? इसे काली सूची में डाला गया, पर हटाया नहीं गया यही गैमन इंड़िया जो अब इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, ने हैदराबाद में फ्लाईओवर का निर्माण किया, वह भी इसी तरह ध्वस्त हो गया है। अत: सिर्फ कानून के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है। यह मध्यम और छोटे ठेकेदारों के पूर्ण जंगल राज का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप अत्याधिक समय ले रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में अनावश्यक जल्दबाजी के कारण ऐसा किया जा रहा है। अत: संपूर्ण सुरक्षा उपायों के बारे में मैं न्यायीक जाँच की मांग करता

हूं। यह दिल्ली सरकार के अधीन है पर पूरी परियोजना का निधियन भारत सरकार कर रही है। इस प्रकार मामला संसद में उठाने के लिए उपयुक्त हैं। मैं पूरे प्रकरण की न्यायिक जाँच की मांग करता हूं और जो काली सूची में डाले गए हैं, उन्हें हटाया जाए और उपयुक्त निगरानी की जाए ताकि देश की राजधानी में ठेकेदार कार्यरत गरीब मजदूरों की हत्या जानवरों की तरह न की जाए।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद, मा. मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): महोदय, मैं गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को जोड़ना चाहता हूं।

अक्ष्यक्ष महोदया: ठीक है।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदया, आपकी अनुमति से मैं अपने मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण विषय पर साथ ही साथ उत्तर देना चाहता हूं। डी.एम आरती की रिपोर्ट के अनुसार 12.7.2009 को सुबह लगभग 5.00 बजे दक्षिण दिल्ली में ईस्ट कैलाश के निकट जमसदपुर स्थित निर्माणधीन मेट्रो पुल पर रेल-पथ के एक हिस्से के साथ लगाया जा रहा गाटर गिर गया।

मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड के एक इंजीनियर लाइट कुल छह कामगार जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर कोरीडोर के इस हिस्से का ठेका दिया गया है, इस दुर्घटना में मारे गए। मरने वालों में से तीन मलबे में फंसे थे, अन्य 15 कामगार घायल हुए हैं, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं।

कार्यकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे के अतिरिक्त मृतकों के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों को दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा उसमें जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

सड़क पर यातायात कैलाश कालोनी के टी बिन्दु, एलएसआर कॉलेज ब्ल्यू बेल्स स्कूल ही बिन्दु और अमर कालोनी पुलिस स्टेशन तक बंद कर दिया गया है। बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है, जिसमें 250 टन क्षमता वाली छह क्रेनें और 400 टन क्षमता वाली एक क्रेन लगाई गई है। पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों के अतिरिक्त सभी मेट्रो स्थलों से गैस कटरस और 100 से अधिक इंजीनियर गैस कटर को मंगवाया गया है।

वर्षा के कारण विलंब के बावजूद, आज शाम चार बजे तक आंशिक यातायात के बहाल होने की संभावना है। आम जनता को इस संबंध में कार्य स्थिति की जानकारी देने के लिए एक हेल्प लाइन सं. 23414461 शुरू किया गया है। दुर्घटना के कारण 6 करोड़ रु. की अनुमानित प्रत्यक्ष हानि हुई है। इस दुर्घटना के कारण इस परियोजना में लगभग तीन माह का विलंब होगा। तथापि, केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर कोरिडोर को सितम्बर, 2010 तक करने के लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस घटना की जांच हेतु, एक चार-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ये सदस्य हैं आईआईटी दिल्ली के सिविल इंजीनिरिंग विभाग के प्रो. ए.के. नागपाल, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग के श्री पी.आर. बोस, श्री स्टीव लॉवरी, परियोजना निदेशक, जनरल कनसलटैंट, डीएमआरसी और श्री राजन कटारिया, मुख्य अभियंता, डिजाइन, डीएमआरसी जो इसके समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

इस समिति को 10 दिन के भीतर अर्थात् 22 जुलाई, 2009 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समिति डिजाइन, प्रशिक्षित कर्मियों, प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता, निर्माण के तरीके और अन्य कार्य स्थनों पर जाने वाले सुरक्षापायों की जांच करने सहित दुर्घटना कारणों का पता लगाएगी।

महोदया, मैं श्री गुरुदास दासगुप्त जैसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्टतया बताना चाहूंगा कि यह दुर्घटना किसी जल्दबाजी के कारण नहीं हुई है। नि:संदेह राष्ट्रमण्डल खेलों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहते हैं, परंतु किसी निर्माण परियोजना को पूरा करने के लिए हम उसकी गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करेंगे। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा।

दुर्घटना के कारणों के संबंध में, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): चूक का तीन महीने पहले पता लगा लिया गया था...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: बाहरी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो दस दिन के भीतर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो यह निश्चित तौर पर विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। यदि आप चाहते हैं कि विचाराधीन विषयों में और पहलु शामिल किए जाएं तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यह रिपोर्ट 10 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी। हम रिपोर्ट को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे।

दुर्घटनाओं के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी दुर्घटना या उसमें होने वाली मृत्यु दुर्घटनापूर्ण हैं। तथापि, हमें दुर्घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संबंध में डीएमआरसी का रिकार्ड देखना होगा...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: ऐसी दुर्घटनाएं बार-बार हों रही है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं आपसे सहमत हूं, परन्तु दुर्घटना के संबंध में डीएमआरसी के रिकार्ड की जांच करने का एक तरीका है। उसके लिए एसटीआईएफ आर नामक एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन किया जा रहा है।

डीएमआरसी का रिकार्ड 0.4, है जबकि सिंगापुर का 1.1 और लंदन अंडरग्राउंड का 0.32 है। अत: जब भी कोई बड़ा कार्य होता है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: आप अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बिभू प्रसाद तराई (जगत सिंहपुर): इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायिक जांच और अंतिम निदान नहीं है? हम किसी न्यायिक जांच के खिलाफ नहीं हैं। क्या आप पहली रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे?

दूसरे, इन सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय इन्डैमा का उल्लेख किया। अत: ट्रैक रिकार्ड और दुर्घटनाओं के संबंध में डीएमआरसी की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। यदि आवश्यक हुआ, तो आपके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों की जांच की जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपकी बात पर पुन: विचार करूंगा। अत: अनावश्यक चिंता मत कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि ऐसी दुर्घटना दुबारा न हो। मैं सभी को आश्वासन देता हूं कि राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए किसी भी कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।

डॉ. रामचन्द्र डोम: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार घायल हुए मजदूरों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले रही है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हम इस दुर्घटना में मारे गए मजदूरों के परिवारों और इसमें घायल हुए मजदूरों की पूरी सहायता करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: योगी आदित्यनाथ जी, आप बोलिये।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, पिछले 31 वर्षों से पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी-उत्तर बिहार की बहुत बड़ी आबादी एक महामारी की चेपेट में है और प्रतिवर्ष हजारों मासूम बच्चों की मौतें उस बीमारी के कारण होती हैं। 1978 में पहली बार जापानी इनसिफलाइटिस नाम की बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैली थी। पिछले 31 वर्षों से अब तक इस बीमारी के उन्मूलन के बारे में न तो प्रदेश सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया हैं। आज यह बीमारी देश के 25 राज्यों और कुछ केन्द्रशासित प्रदेशों में भी अपने पैर फैला चुकी है। खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष जापानी इनसिफलाइटिस से जो मौतें होती हैं, उनके कुछ आंकड़ें मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने वहां पर एक कमेटी भी भेजी थी। वर्ष 2005 में केवल बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में ही 937 मौतें हुई थीं, वर्ष 2006 में 431 मौतें बी.आर.डी. मैडिकल कॉलेज में हुई थीं, वर्ष 2007 में 516 मौतें हुई थीं और पिछले वर्ष 410 मासूम बच्चों की मौतें बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में हुई थीं। इस वर्ष 10 जुलाई तक 98 मौतें मस्तिष्क ज्वर से बी.आर.डी मैडिकल कॉलेज में हो चुकी हैं। यह जापानी इनसिफेलाइटिस एक प्रकार की महामारी है और बरसात के बाद लगभग 15 जून के बाद से इसका कहर बरपना शुरू होता है और यह कहर अक्टूबर-नवम्बर तक चलता है। एनडीए सरकार के समय वृहद स्तर पर इसके टीकाकरण के लिए उस क्षेत्र को चुना गया था और यह कार्य 4-5 वर्षों तक चलता रहा। यह दु:खद है कि अब तक 98 मौतें होने के बाद भी, इस बार न तो वहां वैक्सिनेशन हुआ है और न ही इस बीमारी के उन्मूलन की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर आदि जनपद नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। पश्चिम उत्तर बिहार का क्षेत्र भी नेपाल की तराई का क्षेत्र है। इनसिफेलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसी विषाणु जनित बीमारियों से प्रतिवर्ष हजारों मौत होती हैं। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की है और उसके पास संसाधनों की कमी है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इन विषाणु जनित बीमारियों के उपचार और उन्मूलन की दिशा में ठोस प्रयास अपने स्तर पर करे। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जो संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं, उन संसाधनों का भी बेहतर उपयोग नहीं किया जाता है। इस बार भी वैक्सिनेशन नहीं हुआ है और इससे लगता है कि वहां पर लापरवाही बरती जा रही है। एनडीए सरकार के समय गोरखपुर में एक वायरल रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था और उसके लिए कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथ: महोदया, वायरल रिसर्च सेंटर स्थापित होने के बाद अब तक वह प्रारंभ नहीं हो पाया है। वहां पर वायरलोजिस्ट और अन्य स्टॉफ की नियुक्ति होनी चाहिए थी, वैसे भी बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज अपने आर्थिक संसाधनों के मामले में काफी कमजोर स्थिति में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के एक बहुत बड़े भू-भाग के स्वास्थ्य का भार बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज पर पड़ता है और वह इसे वहन नहीं कर पाता है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथ: महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार अपने स्तर पर इन विषाणु जनित बीमारियों के उपचार की दिशा में संसाधन मुहैया कराए। तीन करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य की आपूर्ति बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज से होती है इसलिए इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दर्जा दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। डॉ. चरणदास महन्त ने जो कहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): महोदया, मैं आपका ध्यान देश की नक्सली समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। देश के जो नौ राज्य नक्सली समस्याओं से ग्रस्त हैं उनमें छत्तीसगढ़ सबसे गंभीर स्थिति में है और मैं आपका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कल ही यहां पर एक पुलिस अधीक्षक सहित 42 जवानों की मौत हुई है। ये नृशंस हत्याएं छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले में हुई है और यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है। यहां लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव कराने के लिए चुनाव दल का भी नरसंहार हुआ। इसके बाद वहां के सरपंच की हत्या हुई। इस तरह एक ही जिले में लगातार हत्याओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।

यहाँ मात्र 18 जिले हैं जिनमें से 9 जिले नक्सल प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए वहां के गरीब आदिवासियों और नाबालिग को छोटे-मोटे हथियार देकर सशस्त्र नक्सलियों के सामने रख दिया है। मेरा निवेदन यह है कि हमें राज्य सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए या कहना चाहिए। मैं माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नक्सली नरसंहार वहां हो रहे हैं, जैसे 7 जुलाई को ही मंत्री जी ने जानकारी दी है कि पिछले तीन वर्षों में 706 आदिवासी मारे गए हैं और 443 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं, इसके बावजूद भी कल की घटना लगातार तीन अलग-अलग समय में हुई है और एक ही स्थान पर हुई है। पहले चार सुरक्षाकर्मी मारे गए, उनको बचाने के लिए एस.पी. जब वहां जा रहे थे, तो उनको घेरकर वहां बारूदी सुरंग के माध्यम से ब्लास्ट किया गया, उनको घेरकर मारा गया और उसके बाद जब दूसरे रास्ते से उनको बचाने जा रहे थे, तो दूसरे रास्ते से भी नक्सलियों ने उनको घेरकर मारा। मेरा निवेदन यह है कि जब एक ही स्थान पर इस तरह से वारदात हो रही है और वहां की राज्य पुलिस को सूचना नहीं है, राज्य पुलिस का सूचना तंत्र पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है, केन्द्रीय शासन द्वारा जितनी धनराशि नक्सली समाधान के लिए दी गई है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ चरण दास महन्त: मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र सरकार वहां के राज्यपाल से संविधान की धारा 355 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगेंगे और सरकार को बर्खास्त करने की कार्रवाई करे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री सोहन पोटाई। आप अपने को असोसियेट करिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि यह एक दुखद घटना है। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में नौ जिले प्रभावित हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वहां दस जिले हैं। जिसमें ध मतरी जिला भी पिछले समय प्रभावित हुआ है। 13 जवान वहां पर भी शहीद हुए थे। मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। नक्सलवाद पूरे देश की समस्या है, यह कोई छत्तीसगढ़ की कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। नक्सली समस्या लोकतंत्र के लिए चुनौती है। इसलिए इस समस्या का राजनीतिकरण करने से और सरकार भंग करने से यह समस्या समाप्त नहीं हो सकती। यदि समस्या का यह समाधान हो सकता है, यदि किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने से पहले तो जम्मू कश्मीर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, महाराष्ट्र को बर्खास्त करना चाहिए, आंध्र प्रदेश को बर्खास्त करना चाहिए, जहां नक्सली व आतंकवाद की समस्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप समाप्त करिए।

श्री सोहन पोटाई: मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या के निदान के लिए, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में नक्सलवाद की समस्या के लिए केन्द्र सरकार ने पहल की थी, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री वासुदेव आचार्य की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सदस्यों द्वारा निवेदन-जारी

(दो) जी-8 देशों द्वारा भारत को संवर्धन और पुनःप्रसंस्करण की जाने वाली वस्तुओं के अंतरण पर लगाई गई शर्त के संबंध में

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, भारत-परमाणु समझौते पर पहले जितनी बार भी चर्चा हुई तब सभा को बताया गया था कि रियायत या छूट बिना किसी शर्त के दी जाएगी उस समय हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि चूंकि अमरीका काफी समय से हमारे देश को एनपीटी या सीटीबीटी में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, अत: वह कोई न कोई शर्त अवश्य लगाएगा।

हमारा देश और यह सभा इस बात पर एकमत है कि भारत ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा, जो भेदभावपूर्ण हो। परंतु, महोदया इटली के एल एक्विला में हुए जी-8 शिखर सम्मेलन में इन जी-8 देशों ने संवर्धन और पुन: प्रसंस्करण की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री के संबंध में शर्त लगाने का निर्णय लिया है, और इन देशों ने संवर्धन और पुन: प्रसंस्कृत वस्तुओं की बिक्री को परमाणु अप्रसार-संधि पर हस्ताक्षर के साथ जोड़ा है।

मैं इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को जानना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री ने अतिथि के रूप में जी-8 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, तब क्या इस मुद्दे को उठाया गया था।

समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत, सभा को बताया गया कि छूट बिना शर्त की होगी। अब किस तरह शर्तें लगाई जा रही हैं? मेरी मांग यह है कि जब प्रधानमंत्री समूह-8 की बैठक में वक्तव्य दें, तो विकसित और पुन: प्रसंस्कृत की बिक्री के संबंध में हमारे देश पर लादी जा रही शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण दें, जिसे अप्रसार-संधि से जोड़ा जा रहा है। यह हमारे देश का अपमान है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वासुदेव आचार्य: मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मैं अपनी पूरी पार्टी को इसके साथ संबद्ध करती हूं और यह मांग करती हूं कि प्रधानमंत्री इस पर एक स्टेटमेंट दें। आपसे यह अनुरोध करती हूं कि उस स्टेटमेंट पर यहां चर्चा कराएं क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री को इस पर सूयोमोटो स्टेटमेंट आना चाहिए और इस पर हम पूरी तरह से चर्चा चाहते हैं। मैं अपनी पूरी पार्टी को इससे संबद्ध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, चर्चा की जाए।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यदि इस पर सरकार का रिस्पोंस मिल जाए, तो बेहतर है क्योंकि यह देश की सोवरनिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। यहां पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद हैं।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार उत्तर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय, कुछ कह रहे हैं, कृपया सुनें।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं बसुदेव आचार्य द्वारा दिए गए वक्तव्य को मा. प्रधानमंत्री की जानकारी में लाना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत दुख के साथ यह बताना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जहरीली शराब पीकर 165 लोग मर गए हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं, जिनकी मृत्यु का कोई रिकार्ड नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पेपर्स मत दिखाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: महोदया, इससे भी खराब ऐपिसोड यह हुआ कि जब हमारे लेजसलैटिव मैम्बर्स ने वहां डिस्कशन की कोशिश की तो उन्हें डिस्कशन का चांस भी नहीं दिया और उनको विधान सभा से बाहर निकाल दिया गया, बाहर ले जाकर एसैम्बली के कैम्पस में हमारे एमएलज, जो कि गांधी जी की मूर्ति पर अनशन करने के लिए गए थे, वहां भाजपा के कुछ कार्यकताओं ने भाड़े के गुंडों को बुलाकर उनकी पिटाई की।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप समाप्त कीजिए और कृपा करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: महोदया, यह बहुत सीरियस मुद्दा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग कृपया शांत होकर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: यह सरकार बर्खास्त की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मेरे विचार से अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: महोदया, उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कम्पलेंट फाइल की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.38 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम मद सं. 20 को लेते हैं। नियम 377 के अंतर्गत, आज की कार्यवाही में शामिल मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

(एक) उत्तर प्रदेश में गोंडा और गोरखपुर के बीच आनंदनगर-नौतनवा होते हुए रेलवे लाइन को आमान परिवर्तन किए जाने की आवाश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मेरे संसदीय क्षेत्र में गोंडा-गोरखपुर रेल मार्ग का मीटरगेज से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का काम अभी तक पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, इससे इस क्षेत्र का विकास रूका हुआ है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर-आनंदनगर, नौतनवा रेलवे लाईन पर जो अधूरा काम हो रखा है उसे रेल संरक्षा आयुक्त से शीघ्र निरीक्षण करवा कर, चालू वित्त वर्ष में इसे पूर्णत: बड़ी लाईन में परिवर्तित करने की कृपा करें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[अनुवाद]

(दो) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): केन्द्र सरकार की समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीसी) के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहयोगी विभिन्न कार्य कर रहे हैं। समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जिसे 1975 में आरंभ किया गया था, के माध्यम से भारत सरकार ने बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति द्वारा महिलाओं और बच्चों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस योजना के अंतर्गत, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार, गर्भवती महिलाओं की देखरेख, 15-45 वर्ष के बीच की महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीकाकरण तथा बाल विकास को बनवा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों के समन्वयन का कार्य किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत, पूरे भारत में काम करने वाले लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहयोगियों को अपने कार्य के लिए बहुत कम मजदूरी मिलती है। उनमें से कुछ 70 वर्ष से भी अधिक आयु जो इस योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में, अधिक उम्र होने के कारण वे कल्याणकारी कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु अर्धवर्षिता की आयु निर्धारित की जाए तथा उनके लिए मासिक पेंशन योजना शुरू की जाए। इसके अलावा वर्तमान मासिक वेतन बहुत कम है। कृपया धनराशि में वृद्धि करें और आईसीडीएस नियमावली में वैज्ञानिक आधार पर संशोधन करे, क्योंकि यह 35 वर्ष पहले तैयार हुआ था।

(तीन) दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटकुल डिविजन में तैनात सहायक रेलवे ड्राइवरों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर): दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटकल्ल मंडल में हाल ही में 250 सहायक लोको इंजन चालकों की नियुक्ति की गई थी, किंतु एलआरएम प्रशिक्षण के बिना पूरी तरह पूर्ण किए उन्हें कार्य पर लगाया जा रहा है। मितव्ययिता के नाम पर, रेलवे अधिकारी इन सहायक चालकों को गूटी, गुंटाकल, कड़पा रेनीगुंटा, पलाका और रायचूर स्टेशनों पर कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं, जिससे बहुत तनाव हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को पूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिला है। उन्हें वरिष्ठ चलाकों (ड्राइवरों) तथा वरिष्ठ सहायक चालकों (ड्राइवरों) के साथ पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें सिग्नल, समपारों, पार-बिंदुओं आदि की जानकारी है। पहले उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए निदेश दिया जाए।

मुझे बताया गया है कि इनमें से कई सहायक चालकों को मंडल के आदि की पर्याप्त जानकारी नहीं है। परिणाम यह होता है कि वरिष्ठ चालकों को इन कार्यों को बड़े ध्यान और सालिनता से करना पड़ता है। नए भर्ती हुए इन सहायक चालकों को पूर्ण प्रशिक्षण की कमी के कारण कई समस्याएं पैदा हो रही हैं और इससे ट्रेनों के सुगम परिचालन में बाधा आ रही है और इससे यात्रियों की सुरक्षा के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सहायक चालकों जो पूर्णत: प्रशिक्षित नहीं है क्या ट्रेनों को चलाए जाने के बारे में समाचार पत्रों में रिपोर्ट आई और जनता में यात्रियों की सुरक्षा के बारे में आवाज उठ रही है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वे दक्षिण मध्य रेल के गुंटाकल मंडल में नए भर्ती हुए सहायक चालकों को पूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए तत्काल कदम उठाए और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर देने के बाद ही उन्हें कार्य पर नियुक्त करें।

(चार) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले के मनीमुतर डैम के आसपास के पिकनिक केंद्र का संरक्षण तथा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): महोदय, तमिलनाडु में मनिमुतर बांध मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तिरुनेलावेली से 47 कि.मी. दूर है। यह एक आदर्श पिकनिक स्थल है। जहां सुन्दर बगीचे हैं और वातावरण शांत है। यह दक्षिण-पूर्वी तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहां जीवजंतुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ, सुन्दर वृक्ष, बच्चों के लिए सुव्यवस्थित पार्क आकर्षक झरने हैं, जो भारी संख्या में आई देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

तथापि पिछले कुछ वर्षों से यह पर्यटन स्थल उपेक्षित है और स्थानीय निकायों द्वारा इसकी देखरेख तथा अनुरक्षण के लिए समुचित निधि जारी नहीं की जाती है, जिसके कारण मनिमुतर बांध को आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी हो गई है। रख-रखाव के अभाव में, क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया है। चूंकि यह क्षेत्र पश्चिमी घाट में आता है इसलिए यहां पानी की कोई कमी नहीं है और कम से कम खर्चे में पिकनिक स्थल की बेहतर ढंग से देखरेख की जा सकती है। पारिस्थिति की स्थल तथा क्षेत्र के वैभव को बचाने के लिए केन्द्र सरकार इस पर्यटन स्थल को किसी भी कीमत पर रक्षा के लिए सामने आए।

अत: मैं माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में मनिमुतर बांध के आसपास पिकनिक स्थल पार्क के रखरखाव के लिए समुचित निधि जारी करें।

(पांच) महाराष्ट्र में गोसीखुर्दे सिंचाई परियोजना के लिए निधियों को समयबद्ध तरीके से जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): विदर्भ क्षेत्र के लगभग 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई तथा बड़ी संख्या में गांवों की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के महत्व को स्वीकारते हुए सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया और इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय वित्तीय सहायता से किया जाएगा। निधि के अभाव में परियोजना आपेक्षित गति नहीं प्राप्त कर सकी। राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषणा के साथ ही क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी की संभावना है। हालांकि यह तभी संभव है जब अपेक्षित निधि समय पर जारी की जाए। मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि उसके द्वारा इस परियोजना के लिए आबंटित 5000 करोड़ रुपए में से पहले वर्ष के अंशदान के रूप में 1400 करोड़ की धनराशि जारी की जाए। तथापि, मार्च 2009 में, केवल 400 करोड़ रुपए जारी किए गए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ रुपए जारी किया जाएं और अगले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ रुपए तथा तीसरे वर्ष 500 करोड़ रुपए किये जाएं। जब तक वार्षिक आधार पर निधि नहीं तब जारी की जाती तब तक न केवल प्रभारी बाधित होगी, बल्कि परियोजना की लागत भी बढ़ेगी।

(छह) गुजरात के पाटन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को उस क्षेत्र के विकास पर बल देने के लिए पिछड़े क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): मेरा संसदीय क्षेत्र पाटन गुजरात का एक अत्यंत पिछड़ा इलाका है। यहां पर रोजगार के साधनों के सुअवसर न होने के कारण बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा लोगों को अपने जीवन यापन हेतु अन्य जिलों, राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में अधिकांश खेतिहर किसान, मजदूर निवास करते हैं, जो खेती पर निर्भर हैं। सिंचाई के उचित साधनों के अभाव तथा पानी की कमी के कारण मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसका प्रभाव खेती तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर पड़ता है, जिससे किसानों की आर्थिक दशा दयनीय है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय पाटन को आर्थिक, शैक्षिक एवं औद्योगिक रूप से इस वित्तीय वर्ष में पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाये। जिससे यहां पर नई औद्योगिक इकाई स्थापित हों, जिससे गरीब दलित, ओ.बी.सी. अल्पसंख्यक बेरोजगारों को व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हों, जिसका लाभ पाटन जिले के लोगों को मिले।

(सात) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला एक सीमान्त जिला है इसकी सीमाएं नेपाल से लगी हैं। यद्यपि यह स्थान पर्यटन के मानचित्र पर अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं परन्तु विकास के मामले में यह अत्यंत पिछड़े जिलों में शामिल है। इसका एक अहम कारण अशिक्षा हैं यही कारण है कि यहां साक्षरता का प्रतिशत काफी नीचे है। चूंकि साक्षरता ही क्षेत्र के विकास को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए पहली सीढ़ी का कार्य करती है। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अत: यहां एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना परिहार्य है। यह स्थान ऐसे विद्यालय को खोले जाने की सभी अर्हताएं पूरा करता है। उदाहरण के लिए इस स्थान पर केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय व उनके उपक्रम स्थापित हैं। हजारों की संख्या में सशस्त्र सेना व अर्ध-सैन्य बलों के कर्मचारियों के परिवारों के अलावा बड़ी संख्या में इन संगठनों से सेवानिवृत्त कर्मी भी हैं।

अत: मैं सरकार से श्रावस्ती में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति देने के लिए आग्रह करता हूं।

(आठ) बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और अन्य रोजगार स्कीमों के तहत पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी (गया): मेरा संसदीय क्षेत्र गया नक्सल प्रभावित है। यह पूरी तरह से उग्रवाद की चपेट में है। यहां के बेरोजगार युवा को उग्रवाद की शरण में जाने से बचाने का एक ही तरीका हो सकता है, यहां खूब रोजगार के अवसर पैदा किये जायें। इसके लिए नरेगा, बी.जी.ई.एफ इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में फंड, संसदीय क्षेत्र गया (बिहार) के लिए रिलीज करें ताकि और युवा उग्रवाद की शरण में न जायें।

(नौ) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत सिंचाई परियोजना के लिए निधियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव (धुले): मेरे संसदीय क्षेत्र धुलिया, महाराष्ट्र का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति

की बड़ी मात्रा में लोक संख्या होने वाला यह जिला गत 60 साल से विकास की धारा से दूर रहा है। यहां देहातों में पानी का अकाल तो है ही जिला केन्द्र धुलिया शहर में भी पानी की समस्या विकट है। यहां पर पीने का पानी दो दिन में एक बार दिया जाता है। यहां के लोगों की सबसे बड़ी मांग खेती के लिए और पीने के लिए पानी है। निधि के अभाव में इस क्षेत्र के लिए जीवनदाय होने वाली सिंचाई की दो महत्वपूर्ण परियोजना लंबित पड़ी है।

निम्न पंझार मध्यम प्रकल्प अवकलपाडा ता. साकी जि. धुलिया इस जगह पर यह परियोजना प्रस्तावित है। धुलिया तहसील के 7585 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ पहुंचाने वाली यह परियोजना है। धुलिया महानगर को पीने के पानी के लिए 7.99 दलघमी पानी देना प्रस्तावित है। धुलिया महानगर के औद्योगिक क्षेत्र को इस परियोजना से 8.50 दलघमी पानी देना प्रस्तावित है। इस परियोजना का फायदा देखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने इसे मान्यता प्रदान की है। निधि के अभाव के कारण यह कार्य बड़े धीमी गति से चल रहा हैं मैं आपके द्वारा जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि ए.आय.बी.पी. योजना के तहत इस परियोजना के लिए निधि देने की कृपा करें।

वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प यह मेरे संसदीय क्षेत्र धुलिया (महाराष्ट्र) में बुराई नदी पर शिंदखेड़ा तहसील में स्थित है। इस परियोजना के तहत शिंदखेडा तथा धुलिया तहसील के लिए 36.93 दलघमी जलसाठा करना प्रस्तावित है तथा इस परियोजना का धुलिया तथा शिंदखेडा तहसील का सिंचयन क्षेत्र 5980 है. क्षेत्र प्रस्तावित है। इस जल साठे में से धिमठाणे तथा शिंदखेड़ा गांव के पीने के पानी के लिए 0.71 जल आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का काम शुरू हो चुका है। निधि के अभाव के कारण यह कार्य बड़े धीमी गति से चल रहा है। मैं आपके द्वारा जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि ए.आय.बी.पी. योजना के तहत परियोजना के लिए निधि देने की कृपा करें।

(दस) गुजरात में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री मोरारजी देसाई की समाधि पर एक स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोराइजी भाई देसाई की मृत्यु मुंबई में हुई थी। भारत सरकार और श्री मोरारजी भाई देसाई के परिवार के सदस्यों ने उनका दाह-संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में साबरमती नदी और आश्रम गऊशाला के निकट किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को अवगत करा दिया था। गुजरात राज्य सरकार ने साबरमती आश्रम गऊशाला न्यास से स्वर्गीय श्री मोरारजी भाई देसाई के दाह-संस्कार और समाधि के निर्माण के लिए साबरमती नदी के किनारे के पास की अपनी भूमि का एक टुकड़ा देने का अनुरोध किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अभय घाट के नाम से समाधि पर उपयुक्त स्मारक बनाने के लिए 23.2.1996 को एक संकल्पना समिति का गठन किया था। चूंकि यह भूमि सावरमती आश्रम गऊशाला न्यास की है, इसलिए न्यास भूमि के लिए भुगतान किए जाने की मांग कर रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई की समाधि बनाने के लिए साबरमती आश्रम गऊशाला न्यास से भूमि के अधिग्रहण के लिए लगभग एक करोड़ रुपये का व्यय है। गुजरात सरकार ने भारत सरकार से भूमि की लागत वहन करने का अनुरोध किया था। संस्कृति मंत्रालय ने इस पर अपनी अनिच्छा जताई थी। भूमि अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीय स्मारक बनाने की गुजरात सरकार की कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह विषय संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए और इस योजना के लिए समुचित धनराशि का प्रावधान करके इसे समय पर पूर्ण करने के लिए यथाशीघ्र भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाए।

(ग्यारह) झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मलेरिया का फैलाव रोकने तथा लोगों को समुचित चिकित्सीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा एवं गुमला जिले एवं आस पास के जिलों में मलेरिया का प्रकोप हर वर्ष आता है जिसके कारण यहां के सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। प्राप्त सूचना के आधार पर लोहरदगा के किस्कों क्षेत्र में मलेरिया से 13 लोगों की गत सप्ताह मृत्यु हुई हैं। लोहरदगा एवं आस पास के जिलों के क्षेत्र अत्यंत दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र है जिसके कारण लोगों को चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पाती है। लोहरदगा के बिशुनपुर, चैनपुर, डूमरी एवं रायडीह इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मलेरिया बहुत बुरी तरह से फैलता है। खेद है कि अभी तक मलेरिया की रोकथाम नहीं की जा रही है। इन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की लापरवाही से इस जानलेवा मलेरिया का प्रकोप का सिलसिला लम्बे समय से चल रहा है। सरकार से अनुरोध है कि लोहरदगा एवं आस पास के जिलों में मलेरिया के रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किये जाये एवं बरसात के दिनों में मलेरिया के इलाज के लिए विशेष प्रबंध किया जाये।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि लोहरगदा में मलेरिया की बीमारी की रोकथाम एवं यहां के दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी लोगों हेतु मलेरिया के इलाज की समुचित व्यवस्था करवाई जाये।

(बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद जालौन (उत्तर प्रदेश) में बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं। उनके बच्चे शिक्षा के लिए इधर-उधर भटकते हैं। उचित व मार्गदर्शीय शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है। क्षेत्रीय बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे आगे बढ़कर देश व समाज के विकास में योगदान कर सकें। अभी तक मानव संसाधन मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई पहल नहीं की है, जिससे वहां कार्य करने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों एवं आम सम्मानित जनता में भारी रोष व्याप्त हैं। उचित शिक्षा न मिलने के कारण बच्चों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। उच्च शिक्षा के अभाव में बच्चे आज की बर्हिमुखी शिक्षा का लाभ उठाने से वंचित हैं। इस क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की तुरन्त आवश्यकता है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से अनुरोध है कि जनपद जालौन में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए तुरन्त आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): आपका ध्यान मैं संसदीय लोक सभा क्षेत्र केन्द्रीय की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां दो साल पहले सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दी थी लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से इस विद्यालय के बारे में कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है। जहां सरकार द्वारा शिक्षा की ओर बढ़ चढ़ कर योजनाएं बनायी जा रही हैं, तेजी से कार्यवाही की जा रही है, वहीं मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का सालों से इन्तजार कर रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्भल जिला मुरादाबाद में दो साल पहले मंजूर हुए इस केन्द्रीय विद्यालय को इसी साल जल्द से जल्द खुलवाने की मेहरबानी करें।

(चौदह) बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर में पान अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बिहार राज्य के नालंदा जिले के ईस्लामपुर में तत्कालीन कृषि मंत्री से सन् 2003 में एक पान अनुसंधान केन्द्र का उद्घाटन किया जो कि बहुत जनान्दोलन के बाद स्थापित हुआ। इसमें कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती हुई, इसका बिल्डिंग बनी, चाहरदीवारी में फेंसिंग लगी। लेकिन रिसर्च का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ।

इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस पान अनुसंधान केन्द्र से रिसर्च का काम शीघ्र शुरू हो ताकि यहां के पान किसान पान की खेती में आधुनिकतम कृषि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ज्यादा-से-ज्यादा पान का उत्पादन कर सकें क्योंकि यहां का मगही पान विश्व स्तर का होता है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन विदेशों में निर्यात होता है। यहां के मगही पान के निर्यात से देश को बहुत विदेशी राजस्व की प्राप्ति होती है।

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेचदा से रानीचक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 पर सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक): यह अत्यंत चिंता का विषय है कि लगभग सभी प्रस्तावित क्षेत्रों में स्वर्ण चतुर्भुज योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र तामलुक में यह योजना अब तक पूर्ण नहीं हुई है। यह सड़क हल्दिया पत्तन को अन्य स्थानों से जोड़ती है। कार्य की गति अत्यंत धीमी है। इसके कारण प्रतिदिन सड़क पर भीड़-भाड़ रहती है। मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेचदा से रानीचक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-41 पर सड़क के निर्माण कार्य के शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण को समुचित निदेश दें।

(सोलह) राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुवन्नामलाई): गुणवत्ता में सुधार के सतत् प्रयासों से प्रौद्योगिकी के युग में तकनीकी शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है। इसी भावना के साथ तमिलनाडु सरकार विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विद्यमान सरकारी इंजीनियरी कॉलेज और पोलीटेक्नीकों में अवसंरचना सुविधा बेहतर हुई है। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय के रूप में और तमिलनाडु में तकनीकी शिक्षा के आदर्श केन्द्र के रूप में हुई थी। इस सोचे-समझे प्रयास का परिणाम यह हुआ कि पूरे तमिलनाडु में असंख्य प्राइवेट इंजीनियरी विद्यालय खुल गए। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निगरानी और गुणवत्ता

सुनिश्चित करने के लिए चेन्नई में मौजूदा अन्ना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त तिरुची, कोयम्बतूर, तिरुनलवेल में अन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त, अन्ना विश्वविद्यालय ने तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों में भी कई रंजीनियरी विद्यालय खोले हैं। तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष के बजट में यह प्रस्ताव किया है कि अन्ना विश्वविद्यालय तिरुवन्नामलाई, तामजबूर, दिण्डीगुल, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी में पांच और सरकारी इंजीनियरी कॉलेजों की स्थापना करेगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष अन्ना विश्वविद्यालय के लिए विशेष धनराशि मुहैया कराए, क्योंकि इस वर्ष हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नेता 'अन्ना' (सी.एन. अन्नादुरई) का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं।

(सत्रह) एक काजू बोर्ड जिसका मुख्यालय केरल में हो, स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): केरल के पारंपरिक उद्योगों में काजू उद्योग का स्थान सर्वोच्च है। इस उद्योग में 3 लाख से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, जिनमें 98 प्रतिशत महिलाएं हैं जो निम्नवर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसचित जनजातियां की हैं। जैसाकि आप जानते हैं, हमारा देश काजूगिरी के निर्यात से प्रत्येक वर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपये अर्जित करता है। काजूगिरी की घरेलू बिक्री से 3,000 करोड़ रुपये की आय और होती है। हमारे देश में 75 प्रतिशत काजू का प्रसंस्करण केरल, मुख्यत: कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम जिलों में होता है। केरल में कुल 648 काजू प्रसंस्करण एकक हैं।

भारत में काजू उद्योग में लगभग 12 लाख मी. टन कच्चे काजू की आवश्यकता है। इसमें से केवल 5.5 मी. टन का ही भारत में उत्पादन होता है। हम निर्यात के लिए अफ्रीकी देशों, ब्राजील और वियतनाम पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इन देशों ने भी बड़े पैमाने पर काजू का प्रसंस्करण आरंभ कर दिया है और वियतनाम भारत के कड़े प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरा है। संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देश भारत के काजू गिरी के प्रमुख क्रेता हैं। अब वियतनाम ने भी उक्त देशों को काजू गिरी निर्यात करना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार, काजू उद्योग कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। जब तक इस उद्योग को भारी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, उद्योग अस्तित्व पर संकट का साया मंडराता रहेगा। उक्त पृष्ठभूमि के कारण, काजू बोर्ड की स्थापना की मांग उठी है।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि काजू बोर्ड की स्थापना की मांग को पूरा किया जाए, जिसका मुख्यालय केरल में हो।

(अठारह) उड़ीसा में उत्पादित कोयले पर रायल्टी की समीक्षा किए जाने में विलम्ब

श्री वैजयंत पांडा (केन्द्रपाडा): सभी प्रमुख खनिजों में केवल कोयला, क्रोमाइट्स और बॉक्साइट पर यथा मूल्य रॉयल्टी मिलती है और लौह अयस्क सहित अन्य सभी खनिज रॉयल्टी नियम के अंतर्गत विशिष्ट दरों के अध्यधीन होते हैं। उड़ीसा और अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्य खनिजों के संबंध में भी यथा मूल्य रॉयल्टी पद्धति अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

कोयले के मामले में रॉयल्टी के संशोधन में 2 वर्ष का विलंब हुआ है। संशोधन, जिसे 15.8.05 के बाद अधिसूचित करना था, को 1.8.07 को अधिसूचित किया गया। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि नए संशोधन की निर्धारित तिथि तक संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो राज्य क्षतिपूर्ति पाने के हकदार होंगे। उड़ीसा सरकार ने कोयले पर रॉयल्टी के संशोधन में हुए विलंब से हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कई पत्र लिखे हैं जिस पर अब तत्काल कार्यवाही की जाए।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने रॉयल्टी में वृद्धि करने के बजाय खनिज पर निर्यात शुल्क लगा दिया है जिससे सरकार को फायदा हो रहा है। केन्द्र सरकार को पूरी ईमानदारी से लौह अयस्क और क्रोम पर आयात शुल्क लगने से उससे प्राप्त लाभ में से उन राज्यों को भी हिस्सा देना चाहिए।

(उन्नीस) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीपीएल कार्डधारकों की सूची की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्ड धारकों की सही पहचान नहीं की गई जिससे ऐसे कार्डधारकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए केन्द्र द्वारा बी.पी.एल सूची की समीक्षा करना अति आवश्यक है जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से बागपत, मेरठ, बिजनौर, सहारनुप, मुजफ्फरपुर में ऐसे नये कार्ड धारकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ उन्हें केन्द्रीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए केन्द्रीय जांच टीम गठित की जाए तथा सही कार्ड धारकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

(बीस) महाराष्ट्र के कोल्हापुर विमानपत्तन की हवाईपट्टियों का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर): कोल्हापुर हवाई अड्डा कृषि उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। कोल्हापुर और आसपास के जिलें जैसे सांगवी, रत्नागिरि से मुंबई एयर टर्मिनल के माध्यम से फूल, विविध किस्मों के आम, हस्तनिर्मित वस्तुएं, विभिन्न तरह के गुड़ और हाथ से बने चांदी के आभूषण निर्यात किए जाते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक मशीनें और कलपूर्जे कोल्हापुर औद्योगिक क्षेत्र से निर्यात किए जाते हैं। कोल्हापुर जिले में 22 कताई मिलें भी हैं और उसमें से अधिकतर मिलें निर्यात की गुणवत्ता वाले धागे का निर्यात करती हैं और इसे भी मुंबई से निर्यात किया जाता है। जिले में 18 चीनी मिलें भी चल रही हैं अत: यहां भारी यातायात रहता है।

कोल्हापुर अवाई अड्डे को 1987 में शुरू किया गया था और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) ने इसे 16.4.1997 को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से किया था तभी से इस हवाई अड्डे का रखरखाव एमआईडीसी, महाराष्ट्र द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र की गोंदिया, कोल्हापुर, अमरावती, यवतमाल और रत्नागिरी स्थित हवाई पट्टियों को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंपने के लिए सहमत हो गए हैं।

इस संबंध में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के उद्योग मंत्री ने 15 वर्ष पूर्व संबंधित पक्षों के बीच हुए पट्ट् करार को समाप्त करने तथा पानी बिजली और हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रदान करने की पहले ही इच्छा जाहिर की है।

महोदया, मैं आके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को एमआईडीसी से यथाशीघ्र हवाई पट्टियों को अपने अधिकार में करने का निर्देश दें।

अपराह्न 2.38 बजे

सामान्य बजट (2009-2010) सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-2007

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम सामान्य बजट और अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को आगे चर्चा और मतदान के लिए लेंगे। श्री मदन लाल शर्मा–उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब श्री निशिकांत दुबे बोलेंगे। कृपया सामने आएं ओर बोलें।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस जनरल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुकेश कुमार जी ने बोल लिया है। अब बजट पर डिस्कशन शुरु हो गया है।

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, पहले मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे जनरल बजट पर बोलने के लिए कहा। मैं पहली बार इस पार्लियामेंट में आया हूं। जब इस बजट को सुनने के लिए मैं यहां आया तो मुझे लगा कि यह कहीं न कहीं सच का आइना होता है, लेकिन इस बजट को सुनने के बाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपने बोल लिया है, मुकेश कुमार जी बोल चुके हैं।

श्री निशिकांत दुबे: इस बजट को सुनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जो वित्त मंत्री जी द्वारा बनाया हुआ बजट है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

अपराह्न 12.42 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

अपराह्न 02.01 बजे

लोक सभा अपराह्न (02.01 बजे) पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

सामान्य बजट (2009-2010)-सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2006-2007 जारी

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अब वर्ष 2009-10 के बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा आंरभ होती है। श्री निशिकांत दुबे।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवानी जी और माननीया सुषमा स्वराज जी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे जैसे पहली बार बने सांसद को बजट के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं पार्टी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, मैं बाहर से जब लोक सभा को देखता था, तो मुझे हमेशा अहसाह होता था कि कम से कम यह लोक सभा सत्य का आइना है और यहां जो कुछ भी कहा जाता है, वह भगवान की तरह पूजनीय है, गीता और बाइबिल की तरह पूजनीय है और यहां कोई भी असत्य नहीं बोलता है। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं–

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि: "एक मात्र बजट भाषण आपकी सारी समस्याएं हल नहीं कर सकता, और नही केंद्र सरकार का बजट हल करने का एक मात्र उपकरण है।"

[हिन्दी]

जब उन्होंने यह कहा, तो मुझे लगा कि पहली बार कोई वित्त मंत्री, जिनकी राजनीतिक उम्र उतनी है, जितनी कि मेरी वास्तविक उम्र है, वह सत्य बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते और अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी जानकारी होने के नाते, जब मैंने पूरे बजट को खंगाला, तो लगा कि इससे बड़ा असत्य का पुलंदा, इससे बड़ा असत्य का आइना, इससे बड़ा देश को गुमराह करने वाला कोई और बजट नहीं हो सकता है।

मुझ से पहले, श्री मनीष तिवारी, श्री संदीप दीक्षित और श्री के.एस. राव बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषणों में 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए के फिस्कल डैफीसिट के बारे में बार-बार जिक्र किया कि वह स्टीमुलस है, वह बूस्टर है और वह उत्प्रेरणा का काम कर रहा है। जो इकनौमिक स्लो-डाउन था, जो मैल्टडाउन था, उसमें 1 लाख 86 हजारा करोड़ रुपए डालकर, सरकार ने कहीं न कहीं इकनौमी को बचाने का काम किया है। यदि आप उस डिफरेंस को देखेंगे, तो वह 3.5 परसेंट है। 2.75 परसेंट से यह 6.2 परसेंट जी.डी.पी. का ग्रोथ वर्ष 2008-09 में हुआ है और यह जो 3.5 का जो डिफरेंस है, उसे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने टैक्स रिलीफ, डिमांक को बढ़ाने और एक्सपैंडीचर इन्क्रीज और पब्लिक प्रोजैक्ट्स को बढ़ाने के लिए दिया है। इसमें एक-तिहाई बात सत्य है और दो-तिहाई असत्य है। यदि आप उस पूरी बैलेंस-शीट और प्रोजैक्ट को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए में 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए, जो दो-तिहाई है, वह कंसिस्ट करता है इन्कम टैक्स कलैक्शन को और इस प्रकार देखें, तो 20 हजारा करोड़ रुपए इन्कम टैक्स कलैक्शन कम हुआ है। उसमें उन्होंने इस पैसे को दिया है। क्या उनको पता नहीं था कि इकोमिक स्लो डाउन हो रहा है? दूसरे, सिक्स्थ पे कमीशन पर उन्होंने 40 हजार करोड़ रुपया दिया है। जब पिछली बार चिदम्बरम साहब इस सदन में बजट पेश कर रहे थे तो सिक्स्थ पे कमीशन की बात उन्होंने कही थी। क्या उनको उस वक्त पता नहीं था कि सिक्स्थ पे कमीशन में पैसा जाना है। 40 हजार करोड़ रुपया उन्होंने सिक्स्थ पे कमीशन के लिए दिया है। इस देश में कितना फर्टिलाइजर लगेगा, क्या यह वित्त मंत्री जी को पता नहीं है? बजट बनते हैं कि कितना खेत है, कितनी खेती होती है, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, यह उनको पता नहीं है? उसमें 45 हजार करोड़ रुपया केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी है। फूड सब्सिडी 11 हजार करोड़ रुपये है और डैट वेवर, जो कांग्रेस सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र रहा है कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया और इसके लिए पिछली बार चिदम्बरम साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और उस वक्त भी यह क्वश्चन उठा था कि आप पैसा कहां से लाएंगे। उस पैसे की व्यवस्था आप कहां से कर रहे हैं। उसमें से यह 15 हजार करोड़ रुपया उन्होंने किसानों के डैट वेवर के लिए दिया है और जो एक्स्ट्रा इंटरैस्ट है, वह दो हजार करोड़ रुपया है। इस पूरे बजट को यदि आप देखेंगे तो टोटल आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ रुपये का है। 1.30 लाख करोड़ रुपया आप केवल अनर्गल बातों में डाल रहे हैं। उन चीजों में डाल रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता था। उन चीजों के लिए आपने अपने बजट में प्रोवीजन नहीं रखा और आप उस 1.86 लाख करोड़ रुपये की बात कह रहे हैं कि हमने स्टिमुलस दिया है, बजट स्टिमुलस दिया है, बूस्टर दिया है, उत्प्रेरणा का काम किया है। इससे बड़ा असत्य इस देश में और क्या बोला जा सकता है।

जहां तक दूसरा सवाल है, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई और कहा गया कि 193 करोड़ रुपये से यह बजट अब 10 लाख करोड़ रुपये को क्रास कर रहा है। दस लाख करोड़ रुपये से जो क्रास कर रहा है, उसमें वर्ष 2008-2009 में जो उनका बजट प्रपोजल था, उसमें 1.20 लाख करोड़ रुपये का उन्होंने इजाफा किया है। यदि उसके भी आंकड़े को उनके बजट में देखेंगे तो उस 1.20 लाख करोड़ रुपये में उन्होंने क्या किया है। 44 हजार करोड़ रुपया उन्होंने फिर से सिक्स्थ पे

कमीशन के लिए दिया है, 33 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इंटरैस्ट के लिए दिया है और 10 हजार करोड़ रुपये नॉन प्लान ग्रांट के लिए दिया है। यदि इसको आप देखेंगे और फर्टिलाइजर सब्सिडी 29 हजार करोड़ रुपये को आप देखेंगे, इस पूरे के पूरे बजट को देखेंगे तो केवल नरेगा की जो योजना है, जिसमें उन्होंने 42 हजार करोड़ रुपया देने की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी झारखंड के है, मैं चुनाव लड़ने गया था तो लोग कहते थे कि जो करेगा, वह मरेगा। केवल 42 हजार करोड़ के अलावा कोई भी स्टिमुलस नहीं है, कोई भी प्रेरणा नहीं है और इसके आगे की वित्त मंत्री साहब की बानगी आप देखिये, उन्होंने जो सैलीब्रेट किया है, उन्होंने कहा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू 46 हजारा करोड़ रुपये बढ़ने वाला है। उसका फैक्ट यह है कि यह जो थ्री-जी लाइसेंस की नीलामी करने वाले हैं, उसमें से 35 हजार करोड़ रुपया आने वाला है, यह वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में नहीं कहा है। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। इसके आगे हमेशा कांग्रेस सरकार यह ब्लेम लगाती रही कि हम जो भी रिफार्म्स नहीं कर रहे हैं, वह हमारे लैफ्ट के सदस्यों के कारण नहीं कर रहे हैं।

जब मैं विद्यार्थी था तो यह कहा जाता था कि आप इकोनोमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वह बताएगा कि देश की दिशा क्या है और दशा क्या है। यदि इकोनोमिक सर्वे को आप पढ़ेंगे तो वे कह रहे हैं कि हम इकोनोमी में संशोधन करेंगे, हम जितने भी रिफार्म्स हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निशिकांत दुबेः उनको लागू करेंगे। यदि आप देखेंगे तो इकोनोमिक सर्वे जो कह रहा है, वह क्या है और इन्होंने क्या किया, इसमें न उन्होंने बैकिंग रैगुलेशन की बात की है, न उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑफ एफ.डी.आई. इन इंश्योरेंस की बात की है या उन्होंने रिटेल में जो एफ.डी.आई. लाने की बात कही थी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, न डिफेंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो आज कौन से लैफ्ट वाले आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इकोनोमिक सर्वे कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका मन साफ नहीं है। आप इस देश को गुमराह करना चाहते हैं।

इसके अलावा उन्होंने इकोनोमिक सर्वे में शेयर मार्केट की बात कही है। उस दिन जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे तो शेयर मार्केट का क्या हाल हुआ, यह मैं आपको बताता हूं। उस दिन एक हजार प्वाइंट शेयर मार्केट डाउन हुआ था। आप देखिए, जब उन्होंने वीकर सैक्शन के लिए बात कही, तो शेयर मार्केट 137 प्वांइट डाउन हो गया, जब उन्होंने सोशल सैक्टर एक्सपोजीशन की बात कही, तो 245 प्वाइंट डाउन हुआ, जब उन्होंने टैक्स रिफार्म की बात की, तो 340 प्वाइंट डाउन हो गया और जब उन्होंने मैट एनाउंस किया तो 400 प्वाइंट डाउन हो गया।

महोदय, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो बड़ी सेंशेनल हैं। इन्होंने 81(बी) की बात कही है। 18(बी) में जब एनईएलबी, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, मेरे पास इस संबंध में पत्र हैं, मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम बार-बार कह रही थी कि इसमें फारेन इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री, चिदंबरम जी ने कहा था कि जो एनईएलबी आ रहा है, उसमें 3.5 बिलियन से लेकर 8 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। बाहर के जो लोग आएंगे, वे 8 बिलयन तक का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करेंगे। उस समय उन्होंने 81(बी) में कोई संशोधन नहीं किया। जब आपने आज एवार्ड कर दिया, एवार्ड करने के बाद जब कंपनियां काम करने के लिए जा रही हैं, तो आपने 81(बी) में गैस को डाला है, मिनरल आयल को डाला है। आपका इंटेंशन क्या है? उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। यह आपको बताना चाहिए।

पिछली बार बजट में चिदंबरम साहब ने 81(बी) में रिफाइनरी को एक्सक्लूड कर दिया था और कहा था कि जो भी 49 पर्सेंट से ऊपर की रिफाइनरीज हैं, जो बन रही है, उनमें हम टैक्स रिबेट बाहर कर रहे हैं, जिसमें केवल एक कंपनी बाहर हो रही थी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। इस बजट में सुधार करके आपने फिर से उस रिफाइनरी को डाला है। मैं इन दोनों के संबंध में पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप गैस को देते हैं, लेकिन कोल-बेड मीथेन, जो कि देश के लिए इतनी इंपोर्टेंट है, उसको आप एक्सक्लूड करते हैं। 81(बी) में जब आपके वित्त मंत्री जी पिछली बार एक कंपनी को एक्सक्लूड करने के लिए एक डेड लाइन सेट करते हैं, तो आज ऐसी क्या बात हो गयी कि आप पार्लियामेंट में दोबारा उसकी घोषणा करते हैं? छः महीने में आपके कानून बदल जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला-घपला है। इस संबंध में मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह इस पर व्हाइट पेपर जारी करें कि उसमें गैस किस परिस्थिति में इन्क्लूड हुआ? उसमें सी.बी.एम. को किस परिस्थिति में इन्क्लूड नहीं किया? रिफाइनरी के संबंध में पिछली बार आपके वित्त मंत्री ने किस कंपनी को बाहर करने के लिए टैक्स हॉलीडे खत्म किया था और इस बार किसको फायदा पहुंचाने के लिए आपने टैक्स रिलीफ दिया है?

महोदय, बार्डर मैनजमेंट पर वित्त मंत्री जी ने इसमें कहा है। आप भी झारखंड के हैं। हम सभी लोग बंगलादेशी इन्फिल्ट्रेशन से बहुत परेशान रहते हैं। इसमें बार्डर मैनेजमेंट और बार्डर फेन्सिंग की बात कही गयी है। हम लोग जब भी बंगलादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, तो आप उसको सांप्रदायिकता के नजरिए से देखने

की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता के नजरिए से इसको देखने की कोशिश करिए। यह रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। आज क्या हो रहा है? बंगलादेश से जो लोग आ रहे हैं, वे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि स्थानों पर काम कर रहे हैं। वे किसकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं? इससे ड्राइवर की नौकरी जा रही है, घर में काम करने वाले लोगों की नौकरी जा रही है और चौकीदार की नौकरी जा रही है। इस पर आपने जो पैसा बढ़ाया है, वह बहुत ही कम है। जो रोजगार छीने जा रहे हैं, उसमें स्थानीयता के मुद्दे पर बिहारियों के खिलाफ गाली हो रही है। मुंबई में इस मामले को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। बिहारी का मतलब क्या होता है? बिहार का मतलब सिर्फ बिहार से नहीं है, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, वे सभी उसमें इन्क्लूडेड हैं। आप उसको गाली दे रहे हैं, जो इस देश का मालिक है। आप जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वह क्षेत्र के प्रति समर्पण नहीं है।

आप ईस्टर्न इंडिया को कमजोर कर देना चाहते हैं। इस बजट में ईस्टर्न इंडिया के लिए कोई भी प्रोवीजन नहीं है। हमारा कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, जबकि कोल पैदा होता है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कॉपर का पूरा का पूरा प्रोडक्शन झारखंड में होता है, जबकि उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, एन.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ से आयरन और लेती है और उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कारपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी के नाम पर आप हमसे पैसा लेते हैं। हम मालिक हैं। टाटा, बिड़ला, अंबानी, जो भी यहां पैसा ले रहे हैं, वे कहां से पैसा ला रहे हैं? वे इसी क्षेत्र से ला रहे हैं? कोयला हमारे पास है, आयरन और हमारे पास है, कॉपर हमारे पास है, न्यूक्लियर हमारे पास है लेकिन जब हमारे लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, एक भिखमंगे, भिखारी की तरह आपसे एक दरबानी की नौकरी मांगते हैं, तो आप उसे ऐसा कहते हैं।

महोदय, अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि 28 प्रतिशत रेवेन्यू मुंबई देता है। मुम्बई कहां से रिवैन्यू देता है? उसके लिए कौन पे कर रहा है? इस देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, आयरन और, कोल का पैसा है। इसलिए यदि आप डैवलपमैंट करते हैं तो ईस्टर्न इंडिया के लिए आपका विजन खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में ट्रांसपेरैंसी का अभाव है। यदि आप 186 करोड़ रुपये के फिस्कल स्टिमुलस की बात करेंगे, उसका अभाव है।...*(व्यवधान)* ईस्टर्न इंडिया के डैवलपमेंट का अभाव है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): महोदय, सामान्य बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कांट्रोल के नेतृत्व में संप्रग सरकार सत्ता में वापस आने के बाद यह पहला बजट प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि बजट में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। बजट भाषण में 9 प्रतिशत विकास दर का वादा किया गया है तथापि बजट में मिला कुछ भी नहीं है कि जिससे यह आश्वासन मिल सके कि यह विकस दर प्राप्त की जा सकती है। महोदय, स्वास्थ्य की समस्या भारत की मुख्य समस्याओं में से एक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। मेरे क्षेत्र भुवनेश्वर जो राज्य की राजधानी भी है, में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक एम्स की स्वास्थ्य की स्वीकृति दी गई है किंतु धनराशि आबंटित जारी नहीं की गई है। अत: अभी तक कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एम्स के लिए तत्काल 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है कि उड़ीसा में और अधिक विश्वविद्यालय खोले जाएं। उड़ीसा में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि भुवनेश्वर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत किया जाए। पश्चिमी उड़ीसा में एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी जाए।

महोदय, भुवनेश्वर हवाई अड्डे को तत्काल एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में अद्यतन बनाया जाए। प्रत्येक वर्ष देश-विदेश से लाखों पर्यटन कोर्णाक, पुरी और लिंगस मंदिर आते हैं। चूंकि यहां कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को कोलकत्ता या दिल्ली होकर आना पड़ता है। मै। यह भी अनुरोध करता हूं कि कोणार्क के निकट भी एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए जो कोर्णाक और पुरी की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। उड़ीसा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त बहुत से लोग हैं। हवाई अड्डे का विकास न होने के कारण यहाँ उद्योग नहीं आ रहे हैं जिससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। मेरा यहा भी अनुरोध है कि उड़ीसा में राउरकेला और जयपोर से नई उड़ाने शुरू की जाएं। चिल्का झील उड़ीसा और भारत की सबसे बड़ी झील है। यह जैव-विविधताओं से युक्त है। चिल्का झील में 428 प्रकार के पक्षी आते हैं। इसके अलावा यहां कच्छ वनस्पति (मैगनेशियम) तथा अन्य प्रकार की वनस्पति एवं जीवजंतु मिलते हैं। मेरा अनुरोध है कि चिल्का को जैव विविधता के पर्यरत केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। बरुलेई हिल और मंदिर एक विरासत स्थल हैं।

मंदिरों और पहाड़ों के पुनरूद्धार और संरक्षण की आवश्यकता है। खोरदा उड़ीसा की पूर्व-राजधानी है। खोरदा किला एक ऐतिहासिक स्थल है। इस किले की मरम्मत की आवश्यकता है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। यहां पर्यटन का विकास किया जा सकता है। कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने उड़ीसा को हमेशा नजरअंदाज किया है। उड़ीसा की व्यापक असिंचित सूखा ग्रस्त भूमि की सिंचाई हेतु कोई परियोजना नहीं है। केबी के क्षेत्र में हमेशा सुखे की स्थिति बनी रहती है।

वहां भयंकर चक्रवात, भयंकर सूखा और भयंकर बाढ़ आती है जिसके कारण उड़ीसा में अत्यंत गरीबी है। केन्द्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। वह सूखे, चक्रवात या बाढ़ के लिए निधियां जारी नहीं कर रही है। हमारे यहां प्रत्येक वर्ष सूखा पड़ता है और चक्रवात आता है परंतु, हमें मुश्किल से ही कोई केन्द्रीय अनुदान मिलता है। इस वर्ष के बजट में शहरी अवसंरचना हेतु 3973 करोड़ रु. चिन्हित किए गए हैं जिसमें राजीव आवास योजना का भी प्रावधान सम्मिलित है। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह भुवनेश्वर और पुरी को जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरी नवीकरण निर्माण के अन्तर्गत शामिल करें। पुरी एक यात्रा के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है और पुरी में पुरीतट पर तथा भुवनेश्वर में शहरी असवंरचना में सुधार किया जाना चाहिए।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा आतंकवाद उड़ीसा को प्रभावित कर रहा है। नक्सलवादी कोई माओवादी उड़ीसा में घुसपैठ कर रहे हैं। हमारा कोई स्थायी सैनिक समाधान नहीं मिल सकता। विकास ही इसका एकमात्र समाधान है। इन क्षेत्रों में बेहतर सड़कें, बेहतर अस्पताल, बेहतर विद्यालय बनाने की आवश्यकता है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि विकास (मिथिला) उड़ीसा में स्वतंत्रता सेनानी हैं। जब इन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। इन लोगों में स्वतंत्रता सैनानी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए।

डॉ. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय यह एक व्यापक बजट है। इस बजट को तैयार करने के लिए अत्यंत मेहनत की गई है। इस वर्ष के इस बजट में जाने के लिए वित्त मंत्री ने अत्यंत मेहनत की है। उन्होंने वर्ष 1982, 1983 और 1984 में भी बजट प्रस्तुत किए थे। वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत उन बजटों की तुलना में यह बजट काफी बेहतर है इसे तैयार करने में अत्यंत मेहनत की गई है।

इस बजट में गरीब, सीमांत वर्ग, मध्यम वर्ग, उद्योग, महिला, किसान आदि समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है।

श्री टी.टी. कृष्णामचारी की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1958 में बजट प्रस्तुत करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बजट से समाज के सभी वर्गों के जीवनस्तर में सुधार किया जाना चाहिए। वर्ष 1987 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जाने के पश्चात् राजीव गांधी ने बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया और कहा कि बजट के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवनस्तर में सुधार लाया जाना चाहिए। गत वर्ष बजट पर बोलते हुए श्री राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में लोग दो वर्गों में बंटे हुए हैं एक वह जो अपनी आवाज जोर-शोर से उठाते हैं। और दूसरे वह जिनकी कोई आवाज ही नहीं है।

मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा जिनकी कोई आवाज नहीं है। हमने रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने इस बजट में 39,000 करोड़ रुपये दिए हैं। चीन और रूस जैसे साम्यवादी देश भी अपने यहां ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ भी कर पाए परंतु यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री और अन्य लोग इस देश में ऐसा कार्यक्रम लाए हैं। ऐसा कार्यक्रम शुरू करने में उन्हें बधाई देता हूं।

इससे देश में लोगों का जीवनास्तर कैसे सुधरेगा? मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तिरूपति के निकट कालाथूर नामक जगह का एक उदाहरण देना चाहूंगा। तीन वर्ष पहले वहां के लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। सोने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, वह जमीन पर सोकर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उनके पास एक दिन में एक शाम का भोजन भी नहीं मिलता था। आज वह दिन में तीन बार भोजन कर रहे हैं, वे रोजाना अंडे खाते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। गत तीन वर्षों में वेतन के रूप में उन्हें 45 लाख रुपये मिले हैं। अपनी मजदूरी से वह अपने मकान बना रहे हैं। रात में वह जमीन पर सोते थे अब वह बिस्तर पर सो रहे हैं। आज हर किसी के पास रंगीन टेलीविजन हैं। उनमें से प्रत्येक के घर में पंखे हैं। वह बहुत खुश हैं।

मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। पेलीथिवरी कांदीरंगा नामक एक स्थान है जहां 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। गत तीन वर्षों में उन्होंने 54 लाख रु. कमाए हैं। उनके जीवनस्तरों में सुधार हुआ है। आज इन आदिवासियों के पास स्वयं के आम के बाग हैं। उन्होंन अपने घर बनाए हैं। बिस्तरों पर सो रहे हैं। वे रोज अंडे खा रहे हैं। उनके घरों में रंगीन टीवी और पंखे हैं और वह मोबाइल फोन खरदीने की तैयारी कर रहे हैं। इस देश में इस कार्यक्रम से इन लोगों को यह लाभ हुआ है। इससे उन सभी वर्गों के लोगों के जीवनस्तर में सुधार हुआ हैं जिनके पास तीन वर्ष पहले खाने के लिए भोजन नहीं था।

मैं परिसीमन के पश्चात् अपने निर्वाचन क्षेत्र में जुड़े एक और हिस्से के बारे में बात करता चाहूंगा यह नेल्लौर जिले का

हिस्सा है। वहां ग्रामपंचायत के लोग एक वर्ष में 1 लाख रुपये भी नहीं कमा पाते। वहां ग्राम पंचायत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र एक तरफ के लोग 45 लाख और 54 लाख रुपये से अधिक कमा रहे हैं परंतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूसरी तरफ के लोग 1 लाख रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं। यहां लोगों की दशा बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि सरकार नरेगा में आने वाली बाधाओं को हटाने का प्रयास करे। जिला अधिकारियों को इसमें अधिक रूचि लेनी चाहिए। सरकार को यह देखने के सभी प्रयास करने चाहिए कि अधिकारी इसमें रूचि ले। उन क्षेत्रों के जमींदार वहा नरेगा कार्यक्रम शुरू नहीं करने दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकारी ऐजंसियां यह कार्यक्रम प्रारंभ करे और यह देखे कि यह उचित ढंग से कार्यान्वित हो।

दूसरा प्रशंसनीय कार्य मध्याह भोजन योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 15 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। जो बच्चे प्रशानिक विद्यालय नहीं जा पा रहे थे वे आजकल विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय में उन्हें अच्छा भोजन मिल रहा है। उन्हें अपने घर से अधिक स्वादिष्ट भोजन वहां मिल रहा है। प्रत्येक बच्चा घर में बैठने की बजाय विद्यालय जा रहा है। और भोजन के साथ-साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह अच्छे कार्यक्रमों में से एक है, जिसके लिए इस बजट में 8000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं सरकार को इस संबंध में बधाई देता हूं।

एक अन्य कार्यक्रम, जिसे श्रीमती सोनिया गांधी जी लाने का प्रयास कर रही हैं, वह है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। संभवत: इसे शीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को 3 रुपये प्रतिकिलों की दर से 25 किलो चावल और 25 किलो गेहूं दिया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी लोगों को लाभ मिलेगा। ये अच्छे कार्यक्रम हैं, जिससे इस देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

जैसा कि श्री राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे लोग है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, मैं भी यही कहता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और जिस पर इस बजट में ध्यान नहीं दिया जाता है, वह पंचायती राज व्यवस्था है। स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी और 50 वर्ष पहले पंडित जी ने पंचायती राज और विक्रेन्द्रीयकरण की बात कही थी। राजीव जी ने 'आम लोगों को अधिकार' देने का नारा दिया और उन्होंने ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को आरक्षण दिया। आज ग्राम पंचायतों की क्या स्थिति है? ग्राम पंचायतों के पास अपनी सड़कों पर लगी लाईटों को बदलने के लिए पैसा नहीं है। सरपंचों के पास सड़कों पर लगे नल के बदलने, सड़कों की सफाई कराने और स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को चाकलेट बांटने, तक के लिए धनराशि नहीं है। जो कि ग्राम पंचायतों की एक परंपरा है।

ग्राम सरपंचों और पंचायती राज व्यवस्था की यह स्थिति है। मैं चाहता हूं कि सरकार, पूरे बजट का लगभग 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दें। राजीव गांधी जी लोगों को शक्तियां प्रदान करना चाहते थे और उन्होंने सीधे ग्राम पंचायतों को चैक प्रदान किए। आज कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतें बुरी स्थिति में है। मैं चाहता हूं कि सरकार पूरे बजट का कम-से-कम 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के लिए निर्धारित करे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्तन पान कराने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और छह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की देखभाल करती हैं। वे उन्हें भोजन देती हैं, उन्हें खेलने-कूदने और शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाएं दे रही हैं, परन्तु, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केवल 2200 रुपये मिलते हैं, जबकि 'नरेगा' के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को प्रतिदिन 100 रुपये मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार 2200 रुपये की इस धनराशि को बढ़ाकर कम-से-कम 3000 रुपये प्रतिमाह करे। हमारी जनसंख्या का 30-35 प्रतिशत बच्चे हैं, परन्तु उन पर इस बजट में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 18000 करोड़ रुपये दिए हैं। गांवों में उल्टी, दस्त और बुखार से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बच्चों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए, परन्तु राजधानी दिल्ली में भी बच्चों का कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। दो स्थानों को छोड़कर देश में कहीं भी बच्चों का कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। बच्चों पर अच्छी तरह ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय को आबंटित धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत बच्चों के अस्पतालों पर खर्च किया जाना चाहिए। हमें देश में बच्चों के लिए अच्छे अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए।

अंत में, हमारे देश में लगभग 4-5 लाख पत्रकार हैं। देश में सन् 1955 में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम लागू किया गया और वर्ष 1958 में उसमें संशोधन किया गया। देश में लगभग 1 लाख लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हैं, जो कि श्रमजीवी पत्रकार अधि नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार माना जाए। ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को प्रतिदिन केवल 500 रुपये मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रबंधकों के माध्यम से इन ग्रामीण पत्रकारों पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाए, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन किया जाए।

अंतत:, मैं न्यूयार्क, अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था से तुलना करना चाहता हूं। जहाँ पर सभी शॉपिंग माल बंद हो रहे

हैं, लंदन में भी सभी बड़े शॉपिंग माल बंद हो रहे हैं और नौकरियाँ समाप्त हो रही हैं। शंघाई, चीन में भी शापिंग माल बंद हो रहे हैं। जबकि दिल्ली या गुडगांव या भारत में अन्य किसी स्थान पे शापिंग माल बंद नहीं हो रहे है और हमारे सुपर बाजार या शापिंग सेंटर तक भी बंद नहीं हो रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और गतिशील है। हमारे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी ने अन्य देशों की तुलना में इस देश को एक अच्छी अर्थव्यवस्था प्रदान की है।

मैं करों के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं, यह एक ऐसा विषय है जिसे हमारे देश के अधिकांश लोग पसंद नहीं करते। परन्तु, हमें समाज में हाशिए पर जीवन व्यतीत करने वाले वर्गों की सहायता के लिए अधिक कर एकत्र करने की आवश्यकता है। समाज में हाशिए पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की सहायता के लिए, मृत्यु कर जैसे कर लगाने होंगे। हम हमेशा अपनी तुलना अमेरिका और पश्चिमी देशों से करते हैं। अमेरिका में, जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई तो उनकी संपति का 30 प्रतिशत राष्ट्र के पास चला गया। हमें भी इस देश में मृत्युकर या संपदा-कर जैसे कर लगाने चाहिए ताकि हम अधिक कर एकत्र कर सकें और हाशिए पर जीवन व्यतीत करने वाले वर्गों की सहायता कर सकें।

मैं सरकार को बधाई देता हूं। मैं, एक अच्छा बजट देने के लिए वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी बधाई देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कुमार** (टीकमगढ़): केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार 106304 गांव बिजली विहीन है। उड़ीसा में 20994, झारखंड में 20235 उत्तर प्रदेश में 12298, बिहार में 18395, असम में 5383 और महाराष्ट्र में 5081 गांवों में बिजली पहुंचाने की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजन के अंतर्गत 1.15 हजार गांवों में बिजलीकरण का कार्य 50 प्रतिशत पीछे चल रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2.34 लाख परिवारों तक इस परियोजना को पहुंचाना था 2005 में योजना प्रारंभ हुई अभी मात्र 61375 गांव ही लाभान्वित हो सके जबकि इस योजना को 31 मार्च, 2010 में समाप्त होना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार को 50940 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 166938 गांव जोड़े जाने के पात्र हैं जिसमें से 45506 गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्यों में काफी अनियमितताएं देखने में आ रही हैं गुणवत्ता को अनदेखा किया जा रहा है प्रथम चरण की सड़क खंड-खंड होकर उखड़ने लगी है बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं कई स्थानों पर वन विभाग की अनुमति न मिलने तथा पुलों का निर्माण न होने के कारण ये आधी अधूरी सड़कें बेकार हो रही है सड़कों के निर्माण से पहले भूमि की उपलब्धता तथा अन्य प्राधिकरणों से अनुमति आवश्यक होनी चाहिए।

पीने के पानी की बात करें तो 20150 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है महिलाओं को काफी दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ता है अथवा लोग साइकिलों या बलैगाड़ियों से पानी लाते हैं।

स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल बेड का 1/9 भाग तथा चिकित्सा कर्मियों का 1/4 भाग ही पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2004 के अनुसार 68 प्रतिशत देशवासी सरकारी स्वास्थ्य, सुविधाएं नहीं लेते क्योंकि उनका मानना है कि वहां ठीक से इलाज नहीं होता।

देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स को इस वर्ष 177 करोड़ रुपये मिले जबकि 2008-2009 में योजना मद में 218 करोड़ रुपये पारित किए गए थे। सारे देश के गरीबों की आशाओं का केन्द्र यही अस्पताल रहता है देश में एम्स सरीखे 6 अस्पताल विभिन्न राज्यों में बनाए जाने थे उनके संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। आवंटन की राशि तो बढ़ा दी लेकिन अस्पतालों को जमीन पर लाने में काफी समय लग जाएगा।

राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण योजनाओं के कार्य को और भी ज्यादा व्यापकता एवं गतिशीलता से क्रियान्वित करने की पहल होने चाहिए हमारे देश में मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात आदि में प्राचीन ऐतिहासिक तालाब एवं झीले हैं इसे योजना में शामिल कर जल संरक्षण को बढ़ाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में चंदेलकालीन लगभग 950 तालाब थे जिनमें से आज भी लगभग 450 तालाब अस्तित्व में हैं जिनसे किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होने के साथ ही पेयजल समस्या का समाधान भी होता है। तालाब टीकमगढ़ जिले के जीवन के रूप में कार्य करते हैं राजस्थान की झीलें पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केन्द्र होती है इस योजना में बजट राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र के कल्याण के दायरे में घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का कार्य करने वाली महिलाओं को शामिल करना चाहिए ताकि वह भी शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके तथा उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा पाएं एवं उनकी लड़कियों की शादी में भी आर्थिक मदद मिल सके।

बाल श्रमिक एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने सरकार ने कानून के जरिए रोक तो लगा दी बाल श्रम पर लेकिन क्या कोई वाकई भयभीत है। ढाबो होटलों चाय के स्थानों पर आज भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 61000 बाल मजदूर कार्य करते हुए मिल जाते हैं। उनकी स्थितियों का व्यावहारिकता से आकलन कर उनके पुनर्वास एवं शिक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे देश में 6-14 आयु वर्ष के 22 करोड़ बच्चे हैं भार में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पूर्णकालिक तथा 1 करोड़ 85 लाख बच्चे अंशकालिक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वास्तव में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है।

भारत निर्माण की बात बार-बार कही जाती है क्या महानगरों का विकास देश का मॉडल होगा तथा सिर्फ गगनचुंबी इमारतें इस देश के विकास का मॉडल होगा विदेशों से आयातित महंगी कारें तथा उन कारों की खिड़कियों से झांकते विदेशी नस्ल के कुत्ते इस देश के विकास का मॉडल होंगे। बढ़ते हुए एडस के मरीज देश के विकास का मॉडल होंगे। हर बात में पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण देश के विकास का मॉडल होगे लाखों की संख्या में अन्न के अभाव में भूखे पेट सो जाने वाले लोग दूसरी तरफ गांवों में बूंद-बूंद पानी को तरसते लोग देश के विकास का मॉडल होंगे। रोजगार की तलाश में भटकता निराश उदास युवा देश के विकास का मॉडल होगा।

देश के हर राज्य में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है स्वागत योग्य बात है किन्तु जहां के विश्वविद्यालयों का सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में उन्नयन किया जा रहा है उस स्थान के छात्रों को एडमीशन में विशेष आरक्षण का प्रावधान तथा कार्यरत संविदा शिक्षकों जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी नियुक्ति देने के बारे में भी सोचना चाहिए।

आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है पिछले पांच वर्षों से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड इलाके में सूखे का प्रकोप होने से किसानों मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है इस वर्ष भी अभी तक बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर पुनः परेशानी की लकीरें उभरने लगी हैं तथा देश के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो रहा है मौसम में कहीं अधिक व्यापक व दूरगामी है इसलिए जरूरी है आजीविका बनाए जाएं और पर्यावरण के सरंक्षण के बीच तालमेल बनाने वाले कार्यक्रम बनाएं जाएं। इस तरह अनिश्चित मौसम के दौर में किसान ऋणग्रस्त नहीं हो ऐसी सस्ती तकनीकों से उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

नदियों के आपस में जोड़ने का अगर ठीक ढंग से कार्य किया गया होता तो बारिश के पानी का ठीक ढंग से संचय होकर बाढ़ वाले क्षेत्रों से उसके आसानी से कम वर्षा वाले राज्यों में लाया जा सकता था तथा मौसम की ऐसी विपरीत परिस्थतियों से किसानो को आसानी से राहत दिलायी जा सकती थी। मध्य प्रदेश की केन बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में स्वीकृत हुआ था इस योजना से मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर के साथ ही पन्ना, झांसी, रायसेन एवं विदिशा जिले के किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होने के साथ ही जमीन का जलस्तर भी बढ़ता तथा पेयजल समस्या का समाधान भी आसानी से हो सकता था किन्तु पांच वर्षों में इस योजना को किस गतिशीलता के साथ बढ़ाया गया अतः शीघ्र इस केन बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए।

हमारे देश के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्यों में पान प्रचुरता से पैदा किया जाता है किंतु इसे बागवानी फसल में लिया गया है जबकि वर्षों से पान उत्पादनकर्ता इसे कृषि में शामिल करने की मांग करते चले आ रहे हैं। हमारे देश से बड़ी मात्रा में पान पाकिस्तान एवं अन्य देशों को निर्यात होता था किन्तु पान उत्पादन को कृषि में शामिल नहीं होने से फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः इस संबंध में विचार कर पान की खेती को कृषि में शामिल किया जाए तथा फसल बीमा योजना का लाभ उत्पादकों को दिलाये जाएं।

इस देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अब तक भूखे रहने पर भोजन नहीं मिलता वस्त्रहीन को कपड़ा नहीं मिलता अस्वस्थ व्यक्ति को दवाइयां नहीं मिलती बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता छतविहीन व्यक्ति को आवास नहीं मिलता। गांव-गांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होती तब तक भारत निर्माण अधूरा है। बजट में विधि क्षेत्रों में राशि का प्रावधान करते समय इन सभी बातों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करने पर ही देश का समग्र विकास संभव है।

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

जो बजट पेश हुआ है उस पर माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उनको मैंने सुना है। मुख्य रूप से माननीय सदस्य श्री जोशी जी ने काफी विस्तार से आंकड़े देकर जो बात रखी, उसमें, उन्होंने किसान की हालत पर रोशनी डाली है। उन्होंने अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन के आंकड़े उन्होंने हाउस में रखे। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस कमीशन में किसान, किसान परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने बताया कि औसत रूप से मासिक आमदनी, छोटे वर्ग के किसान परिवार की मात्र 1578 रुपए है और जिसे हम बड़ा किसान कहते हैं, उसकी आमदनी 8,321 रुपये है। यह दर्शाता है कि क्या है गरीबी, क्या है लाचारी और क्या है उनकी पीड़ा। इसलिए यह सवाल मेरे मन में उठता है, बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है कि जो बजट पेश किया गया है, उसमें उन लोगों के लिए, उन नौजवान किसानों के लिए क्या किया गया है जो देश की सीमाओं पर देश की अखण्डता को कोई आंच न आने पाए, उसके लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, जान देते हैं और जीवनभर, खास तौर से अपनी जवानी खेतों-खलिहानों में देते हैं ताकि इस देश और पूरी दुनिया का वे पेट भर सकें। उन नौजवान किसानों के लिए इस बजट में क्या है? मैं सबसे पहले विरोध जाहिर करूंगा और विनती करता हूं सभी सांसदों से, सरकार से और जो मीडिया के बन्धु बैठे हैं, कि इस बजट के बाद जो विश्लेषण हुआ, उसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया गया 'आम आदमी'। जब इस आम आदमी शब्द का इस्तेमाल हम सुनते हैं तो हम उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? जब सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आम आदमी शब्द कहता है तो हम उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? जब सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आम आदमी शब्द कहता है, तो वह क्या कहता है? इसका अर्थ यह है कि हम यह मान रहे हैं कि देश में एक आम आदमी है और एक खास आदमी हैं देश में एक साधारण वर्ग है, आम वर्ग है। देश का, गांव का गरीब, आप उसे किसी भी पैमाने पर देखें, हमसे कम हैं, तो आम न कहकर, उन्हें गरीब, पिछड़ रहे लोग कहकर हम उनकी बात करें तो उचित रहेगा।

जहां तक बजट की बात है, मैं कहूंगा कि ट्रेजरी बेंच के लोगों ने अगर यह कहा कि बजट बेहतरीन है, तो इस तरफ विपक्ष के लोगों ने उसकी आलोचना की है। मैं आलोचना न करके, कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, अगर उन पर वित्त मंत्री जी ध्यान दें, सरकार ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। मुख्य रूप से किसान और कृषि के सामने जो समस्या है, कैसे किसान परिवार की आमदनी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके जीवन-स्तर में हम उछाल ला सकते हैं। कृषि अनुसंधान पर सरकार को ज्यादा खर्च करना होगा। नए-नए आविष्कार हों, कम लागत पर, कम पानी के प्रयोग से, जैविक खेती, परम्परागत खेती और नए-नए बीजों के इस्तेमाल से किसान कैसे अपना उत्पाद बढ़ा सकता है, उस दिशा में इस बजट में कहीं कुछ नहीं दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं है। ड्यूटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से और एक ऐसा वातावरण बनाने में हम हमेशा विफल रहे हैं कि उस क्षेत्र में कोई निवेश कर सके। यही मुख्य समस्या है कि जो आदमी शहर में किसी चीज के लिए जो दाम दे रहा है, उसका मात्र 20 प्रतिशत ही किसान को मिलता है। उससे जुड़ रही जितनी कड़ियां हैं, अगर उनमें आपस में भागीदारी किसान की नहीं बन पाएगी, तो उसके जीवन स्तर में, आर्थिक स्तर में उछाल सम्भव नहीं है।

कुछ वर्ष पहले चर्चा शुरू हुई थी कि हम एक मार्केट स्टेब्लाइजेशन फंड बनाएंगे। गरीब किसान को, छोटे-मध्यम वर्ग के किसान को जो मार्केट के रिस्क को उठा रहा है और जलवायु के परिवर्तन के जोखिम को भी उठा रहा है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है जब कभी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है। आज देखें तो मार्केट के दाम कौन तय कर रहा है, या तो सरकार कर रही है और बहुत बड़ी हद तक कुछ मार्केट प्लेयर, बिचौलिए, ब्लैकमार्केटियर और होर्डर दाम तय करते हैं। इसलिए उसे फसल के दामों के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए मार्केट स्टैब्लाइजेशन फंड की आवश्यकता है। सरकार उसे जल्द ही गम्भीरता से ले, तो अच्छा है।

मैं स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य पर हम घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम खर्च करते आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी आप देखें कि बजट में प्राथमिक शिक्षा पर जो ध्यान देना चाहिए था, सर्व शिक्षा अभियान की कोई चर्चा नहीं हुई। उसमें भी हम घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत से भी कम खर्च करते हैं। ये हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि हम भविष्य के लिए कैसे देश को तैयार कर रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की ओर मैं चर्चा करना चाहूंगा। चुनाव के समय भी हमने उस मुद्दे को उठाया था, वह है - कालाधन। देश की सीमाओं के बाहर, कुछ अनुमान कहते हैं कि 40-50 बिलियन यूएस डालर्स, स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है और वह भारत का पैसा है। उस पर हमने हमेशा चुप्पी साधी है। जी-20 की मीट में जर्मनी और फ्रांस ने जहां पहल की तो भारत सरकार वहां शांत रही। उसके साथ-साथ दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी का साइज है, वह कई गुना ज्यादा है। हम खुशी से छाती पर हाथ रखकर कहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हमारा खर्चा बढ़ गया। लेकिन ब्लैक इकोनॉमी का साइज, कुछ अनुमान कहते हैं कि 24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से 1997 में चिदम्बरम साहब वीडीआईएस नाम की एक योजना लाए थे। उस समय बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना की थी। लेकिन आप फैक्ट्स को देखें, तो उस जमाने में 33,000 करोड़

रुपया रेज़ हो गया था। आज रेवेन्यू शार्टफॉल है और बहुत बड़े पैमाने पर आप अगर बजट को देखेंगे तो गवर्नमेंट बॉरोइंग के साथ-साथ हम किस पर निर्भर हैं-हम स्पैक्ट्रम बेचेंगे, हम डिसइंवैस्टमेंट करेंगे। यह तो अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो नैया डूब जाएगी। इसलिए मैं अपनी ओर से सुझाव दूंगा कि पुन: इस पर विचार करना चाहिए। उस समय जैसी हम एक और स्कीम अब लाएं, क्योंकि उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। बहुत से लोगों ने काफी पैसा बनाया है। अगर हम ऐसी स्कीम नहीं लाएंगे तो राष्ट्र के उपयोग में वह पैसा नहीं आ पाएगा। इसलिए इस पर गम्भीरता से चिंतन की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने सदन में यह बात रखी है।

मैं सदन में एक और विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। आज हम ऊर्जा को लेकर चिंतित हैं। हम पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर चिंतित हैं। फारुख जी यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन उस दिन एक सवाल का जवाब नहीं हो पाया था। इस बजट में सोलर एनर्जी के लिए, सोलर पैनल को सस्ता बनाने के लिए, जिससे ग्राहक को एक्सेस मिल सके, हमने इस दिशा में कुछ नहीं किया। वित्त मंत्री जी चाहते तो इसके लिए एक्साइज ड्यूटी में और कस्टम ड्यूटी मे कमी कर सकते थे। अगर आप देखें तो 1931 से ब्राजील में इथेनॉल की मिक्सिंग हो रही है। हमारे यहां उसके लिए कोई नीति नहीं है। एक टैनिस बॉल की तरह भारत की सरकार भारत के ग्राहक पेट्रोल लॉबी और शूगर लॉबी के बीच में कूद रहे हैं। इस सम्बंध में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर आप पेट्रोल में इथेनॉल की कम से कम दस प्रतिशत मिक्सिंग करेंगे तो उसका लाभ किसान को भी होगा और ग्राहक को भी होगा।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): दस प्रतिशत की पॉलिसी है और 23.60 रुपए में आप उसे खरीद सकते हैं।

श्री जयंत चौधरी: लेकिन वह पॉलिसी कहां है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। कोई शूगर इंडस्ट्री का मालिक उसे बेचने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें। आप सीनियर मेम्बर हैं। जयंत जी अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयंत चौधरी: मैं एक और विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं। जहां क्रेडिट-फ्लो को इम्प्रूव करने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री जयंत चौधरी: आखिरी दो बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वर्ष 1990 में रूरल एरियाज में क्रेडिट डिपोजिट रेशो 60 प्रतिशत थी और वह घटकर वर्ष 2004-2005 में 49 प्रतिशत रह गयी। हम क्रैडिट-फ्लो को एक्सपेंड करने की बात करते हैं लेकिन वर्ष 2008 की क्रैडिट पॉलिसी में आरबीआई ने जो शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के सामने एक मानक के रूप में रखा था कि आप 18 प्रतिशत एग्रीकल्चर को दें, 10 प्रतिशत वीकर सोसाइटी के लोगों को दें। उस लक्ष्य को कोई बैंक पूरा नहीं कर पाया होगा। उनको दंडित करने के बजाए, उन्होंने एक प्रावधान कर दिया कि अगर आप लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते तो हमने एक रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलेपमेंट फंड बना रखा है, आप उसमें जमा कर दीजिए। यह एक तरह से हमने उन्हें एक रूट दे दिया, रास्ता दे दिया है। हमें चाहिये कि बैंक्स की जितनी ब्रांचेज रुरल एरियाज में खुलें उतना अच्छा है और जितना सीधा संपर्क देश के मजदूर-किसान से बैंकों का होगा, उतना अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें ही ऋण चाहिए। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि बैंक सीधा ऋण किसान को दे सके। एक्सपेंडिग क्रैडिट फ्लो पर मेरे ये विचार हैं।

आखिर में मैं कहूंगा कि चाइल्ड बजटिंग का जो कंसैप्ट है, अभी इनीशियल स्टेज पर है और उसके माध्यम से बजट में जानकारी आई, उस पर कई सांसदों ने चर्चा भी की है। 40 प्रतिशत देश की आबादी बच्चों की संख्या में जोड़ी जाती है। उनके लिए बजट में 5 प्रतिशत तक खर्च किया गया है। विषय बहुत गंभीर है। आप 40 प्रतिशत के लिए पांच प्रतिशत खर्च कर रहे हैं और साथ ही हम चाहेंगे कि नौजवानों के लिए भी इसी तरह का एक आंकड़ा आने वाली बजटों में पेश किया जाए तो अच्छा रहेगा। उस पर हम यहां चर्चा कर पाएंगे उससे सरकार पर एक दबाव बनेगा और जनता की अदालत में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण होगा कि कितना खर्च हम नौजवानों के लिए कर रहे हैं।

***डॉ. रतन सिंह अजनाला** (खडूर साहिब): महोदय, भारत के वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं और बजट प्रस्तुक करते समय वह बहुत प्रसन्न थे कि 62 वर्ष पहले 193 करोड़ रुपये का एक बजट प्रस्तुत किया गया था और आज यह बजट दस लाख बीस हजार आठ सौ अड़तीस करोड़ रुपये का है। उस समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी और आज 110 करोड़ है।

जनसंख्या बढ़ती जाएगी और इसके परिणामस्वरूप बजट की धनराशि भी बढ़ती जाएगी, देश का विकास क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय जब तक हम देश की जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे और समाज के आधार की उपेक्षा करते रहेंगे

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

तो देश का विकास कैसे होगा। यदि आप किसी धनी व्यक्ति के आलीशान मकान में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके केवल 2 बच्चे हैं और किसी निर्धन व्यक्ति के घर जाते हैं तो पाते हैं कि उसके 10 बच्चे है। निर्धन व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। क्या आपके विचार से वे अमीर बन जाएंगे? यह बिल्कुल संभव नहीं है, अत: मेरा पूरी सभा से यह अनुरोध है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है और हमें इस पहलू के समाधान पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर जो बोल रहे हैं और जिन्होंने बजट पेश किया है वे सभी संसद सदस्य हैं। क्या हमने इस पहलू पर ध्यान दिया है कि कितनी धनराशि खर्च करने के बाद हम संसद सदस्य बने हैं? आप किसी से भी पूछिए तो वह यही बताएगा कि मैंने चुनाव जीतने के लिए 2 करोड़, 5 करोड़ और 7 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जब तक हम निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार नहीं करते, तब तक लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करना होगा, जिससे लोकतंत्र को विकसित करने में सहायता मिलेगी। हम यह देख रहे हैं कि धनी व्यक्ति चुनाव जीतकर इस माननीय सभा में आ जाता है जबकि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि निर्धन व्यक्ति सभा में नहीं पहुंचते हैं तो निर्धनों के बारे में कौन बोलेगा, क्योंकि एक धनी व्यक्ति उसे केवल गलत फहमी में रख सकता है और उसके लिए 'नरेगा' जैसे कार्यक्रम बनाता है। जब तक निर्धन व्यक्तियों की आवाज कोई निर्धन व्यक्ति नहीं उठाएगा तब तक लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है मेरा यह नम्न निवेदन है कि हम सबको चुनावों में होने वाले खर्च को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रेस भी पर्याप्त धनराशि खर्च किए बिना चुनाव प्रक्रिया को कवर नहीं कर सकती; क्या आपको ऐसा नहीं लगता। चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए जाने व आवश्यकता है अन्यथा, इससे भविष्य में समस्याएं पैदा होंगं।।

श्री आडवाणी कह रहे थे कि शवी सदी विकास की सदी है और डा. मनमोहन सिंह ने इसका समर्थन किया था, यह एक बहुत अच्छी बात है। परन्तु, यह सदी केवल विकास ही नहीं भ्रष्टाचार की सदी भी है भारत में जितना भ्रष्टाचार है, उतना विश्व में कहीं नहीं है, जहाँ भ्रष्टचाचर है वहां विकास कैसे हो सकता है। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, वहाँ आपको भ्रष्टाचार मिलेगा और यह कम होने की बजाय शवी सदी में लगातार बढ़ रहा है। जब तक हम भ्रष्टचार पर नियंत्रण नहीं लगाते, शवीं सदी में विकास नहीं हो सकता।

अत:, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जब तक हम लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान ध्यान से नहीं करते तब तक कोई विकास नहीं हो सकता।

प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, पिछले 62 वर्षो से बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, इस तरह से निर्धन लोग समृद्ध नहीं बन सकते। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत की संपदा को 300 सालों तक मुगलों ने 200 सालों तक अंग्रेजों ने और 62 सालों तक कालाबाजारियों ने लूटा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि भारत की धनराशि स्विस बैंकों में जमा की जा रही है, यह किसका धन है? यह भारत की निर्धन जनता का धन है।

चुनाव के दौरान, यह कहा गया कि हमें अपना मत देकर हमारी सरकार बनवाइए, हम 100 दिनों के अन्दर काले धन को बाहर लाएंगे। सरकार बनने के बाद किसी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, प्रधानमंत्री ने भी समूह 8 सम्मेलन के दौरान इसका उल्लेख नहीं किया, हालांकि विश्व के अन्य नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह धनराशि वापस नहीं आती है, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं तब तक इस देश का विकास किस प्रकार होगा। प्रणव मुखर्जी के पास एक वर्ष के अंदर इस बजट के लिए धनराशि नहीं होगी, ऐसे में विकास कैसे होगा? बजट पेश करते समय, काले धन विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई, जब तक आप इस विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक आप उन लोगों की अपेक्षाओं का अनुमान नहीं लगा सकते, जिन्होंने आपको चुनकर यहाँ भेजा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने संसद सदस्य की गतिविधियों पर नजर रखता है और यदि संसद सदस्य सही तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है तो जनता विद्रोह कर देगी। मैं देख सकता हूं कि केवल 35% संसद सदस्य फिर से निर्वाचित होकर सभा में आए हैं और 65% नहीं आ पाए हैं। हमने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, जब तक हम ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तब तक लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। हमें लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

यह देखा जा रहा है कि गांवों की जनसंख्या घट रही है और शहरों की बढ़ रही है क्योंकि हम गांवों में सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। पहले गांवों की जनसंख्या जो कि 80% थी घटकर 65% रह गई है। सुविधाओं के अभाव में यह पलायन हो रहा है।

यह कहा गया कि 'नरेगा' के कारण बिहारी श्रमिकों का अन्य राज्यों में पलायन कम हो गया है यह एक भ्रम है, क्योंकि पंजाब में एक श्रमिक की प्रतिदिन की मजदूरी 250 रुपये है,

जबकि 'नरेगा' के अंतर्गत उसे 100 रुपये मिलते हैं। अतः, श्रमिक 250/- रुपये प्रतिदिन की मजदूरी को प्राथमिकता देता है। वे 2 महीने में यहाँ उतना कमा लेंगे, जितना कि वे अपने घर के निकट रहकर 6 महीने में भी नहीं कमा सकते। यहाँ श्रमिकों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहां उन्हें 'नरेगा' से अधिक मजदूरी मिलती है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब से हम 4 सांसद हैं। कृपया हमें बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे राज्य को लूटा जा रहा है।

अब हम पंजाब के किसानों की बात करते हैं। श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए ब्याज की दरों को कम करके 7% कर दिया है और यदि वे समय पर ऋण वापस करते हैं, तो ब्याज की दर 6% है, जबकि उद्योगपतियों के लिए यह दर 4% है और यदि कोई व्यक्ति जो कि 2,50000/- रुपये का ऋण लेता है उसके लिए यह दर 7% है, किसानों के प्रति कितना विरोघाभास और अन्याय है। यदि आप किसी उद्योगपति को 4% की दर पर ऋण प्रदान कर सकते हैं, तो किसानों के लिए ऐसी कोई नीति क्यों नहीं है। किसान अपने ऋण की पाई-पाई चुकाते हैं क्योंकि उनकी जमीन बैंकों के पास गिरवी रहती है, परन्तु एक उद्योगपति ऋण वापस नहीं करता, जिससे कि गैर निष्पादन कारी संपत्ति में वृद्धि होती है। यह बड़ी विचित्र बात है कि कोई व्यक्ति जो कि समय पर ऋण की अदायगी करता है उसके लिए ब्याज की दर अधिक है जबकि जो व्यक्ति ऋण की अदायगी नहीं करता उसे कम ब्याज दरों की सुविधा दी जाती है।

यह घोर अन्याय है, किसानों से वसूली जाने वाली ब्याज की दर को कम करके 4% किया जाए। किसान सारे देश का पेट भरता है, उपाध्यक्ष महोदय यदि हम किसानों की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो हम सब भूखे मर जाएंगे।

पिछली सरकार द्वारा 71000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया पंजाब में 1022 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, वह राज्य जिसके केन्द्र के साथ में गेहूं और धान की 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, उसे एक प्रतिशत ऋण माफी मिलती है और जिनकी हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है, उनका पूरा ऋण माफ किया जाता है, यह घोर अन्याय है, हम ऐसी नीतियाँ क्यों न बनाएं जिसमें यदि राज्य केन्द्रीय खाद्य भंडार में 60 प्रतिशत योगदान दे, उसे 60 प्रतिशत की ऋण माफी मिले और जिनका योगदान 2 प्रतिशत उन्हें 2 प्रतिशत की ऋण माफी मिले। यह पंजाब के लोगों के प्रति घोर अन्याय है। 71000 करोड़ रुपए में से पंजाब के हिस्से में 1043 करोड़ रुपए माफ, ऐसे में विकास कैसे होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय आप गरीब हैं वैसे ही मैं भी गरीब हूं राज्य भी गरीब है, आप मेरी बात सुनें।

जो सर्वाधिक अंशदान करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता और जो कुछ अंशदान नहीं करते, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है।

पंजाब पर 7000 करोड़ रुपए का ऋण है, जिसमें किसानों पर 3500 करोड़ रुपए का ऋण है वे ऋण के कारण अपने परिवारों के साथ नहरों में डूब कर आत्म हत्या कर रहे हैं।

पंजाब पर सूखे की मार पड़ी है और पंजाब सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए हर सप्ताह बिजली के लिए 250 करोड़ रुपए दे रही है। पंजाब सरकार की क्षतिपूर्ति कौन करेगा जोकि पहले से ऋणग्रस्त है। भारत सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति करे, क्योंकि हम खाद्यान्न में 60 प्रतिशत योगदान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीमा पर रहता हूं और पंजाब में 500 कि.मी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग है। सीमा सुरक्षा बल किसानों को अपनी भूमि जोतने नहीं देते, जो सीमा बाड के उस पार है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय किसानों को मुआवाजा देने का निर्णय लिया गया था लेकिन बाद की कांग्रेस सरकार द्वारा यह रियायत खत्म कर दी गई मेरा अनुरोध है कि सीमा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वे बहुत कष्ट में है।

अपने वार्षिक अभ्यास के दौरान सेवा लंबे समय तक कसानों की भूमि पर डटी रहती है। मेरा अनुरोध है कि किसानों की जमीन पर सेभ की उपस्थिति के कारण होने वाली हानि के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए, यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत करने से मुद्दों का समाधान नहीं होगा, बल्कि मूलभूत कार्य करने तथा लोगों की सहायता करने से समाधान होगा।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन आवेसी (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं यहां बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से बजट पर कुछ बोलना चाहता हूं।

महोदय, तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए आबंटित किऐ गए हैं। पिछले वर्ष इन तीन छात्रवृत्ति योजनाओं

के लिए 48 आवेदन प्राप्त हुए थे। आपके माध्यम से, सरकार से मेरा अनुरोध है कि लक्ष्य को बढ़ाकर 50 लाख किया जाए और यदि आप लक्ष्य को बढ़ाकर 50 लाख कर देते हैं तो आपको 315 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसे उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इस योजना से बुनियादी स्तर पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। आप उस उत्साह की कल्पना नहीं कर सकते, जो वर्तमान में अल्पसंख्यक छात्रों के बीच इन तीन छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन को लेकर है।

मौलाना आजाद एजूकेशन फाउण्डेशन के 115 करोड़ रुपए दिए गए है। सकल निधि बढ़कर 331.66 करोड़ रुपए हो गई है मेरा निवेदन यह है कि इस योजना में पुनरावृत्ति है, क्योंकि आप तीन छात्रवृत्ति योजनाएं चला रहे हैं और मौलाना आजाद एजूकेशन फाउण्डेशन के अंतर्गत पुन: 'मेधावी छात्रा योजना' चला रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ 'मेधावी छात्रा योजना' भी चलाए और मौलाना आजाद फाउण्डेशन को देश के 20 सबसे अधिक पिछड़े अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को चिन्हित करने का कार्य किया जाए और बढ़कर कोचिंग संस्थाएं खोले ताकि 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में सुधार हो।

एनएमडीएमसी के संबंध में, 10 माह पूर्व मंत्री मण्डल ने इसके पुनर्गठन का निर्णय लिया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसे परामर्श दाताओं को कब सौंपा जाएगा। इसके बाद बोर्ड के रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए 10 करोड़ की धनराशि दी गई हैं। मैं समझ सकता हूं कि यह एक नई योजना है। लेकिन मुझे आशा कि वक्त की संपत्तियों के विकास के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार 25 शहरों को चिन्हित करे और वक्त की संपत्ति के विकास के लिए प्रत्येक को चार करोड़ रुपए दे। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं, क्योंकि सच्चर समिति के अनुसार, वक्त की संपत्तियों का बाजार मूल्य 1.25 लाख करोड़ है और यदि इसका निवेश किया जाए तो इस 1.25 लाख करोड़ रुपए पर 10 प्रतिशत ब्याज की दर से हम प्रति वर्ष आसानी से 12,000 करोड़ रुपए पा सकते हैं और इस धनराशि का उपयोग मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए किया जा सकता है। इसलिए मैं अपेक्षा कर रहा था कि सरकार केन्द्रीय वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए जीपीसी की सिफारिशों पर कार्यवाही कर इसे बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराएगी।

महोदय, मैं आश्चर्यचकित हूं और मैं आपको एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूं कि मुम्बई में, भारत के सबसे धनी व्यक्ति ने यतीम खाने पर अपना आवासीय भवन बनाया है। यह बीमार कर देने वाला है। मैं नहीं जनता कि यतीम खाना अर्थात् अनाथालय पर अन्य बंगला बनाकर उन्हें नींद कैसे आती होगी। यह क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वक्त अधिनियम, 1995 में भूमि खाली करवाने की शक्तियां निहित नहीं हैं।

मैं एक दूसरे विषय, इस्लामिक बैकिंग पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पिछली बार, 2007 में श्री आनंद सिंह मा. मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था मा. मंत्री को भी समारोह में आमंत्रित किया गया था और समिति ने कहा कि सरकार बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 5, 8, 9, 16 और 19 में संशोधन करे। इतना ही नहीं, मा. प्रधानमंत्री के वर्तमान आर्थिक सलाहकार जो वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति के अध्यक्ष हैं, ने ब्याज रहित बैंकिंग की सिफारिश की है। मैं सरकार के ध्यान में लाभ चाहता हूं कि वैश्विक रूप से, इस्लामिक बैंकों की बाजार में हिस्सेदारी 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह प्रतिवर्ष 10 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह मुसलमानों पर केन्द्रित नहीं है। यह हमारे राष्ट्र के हित में होगा। आपको 10 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए निवेश की आवश्यकता है। यह धन अपको कहां से मिलेगा? अब धन को ब्रिटेन, फ्रांस और मलेसिया जैसे देशों से भेजा जा रहा है। 9/11 के बाद, धन को यूरोप और अमेरीका से दक्षिणी एशियाई देशों को भेजा जा रहा है। यह उपयुक्त समय है कि भारत इसके लिए रास्ते खोले और विचार करे क्योंकि जहां तक मेरी राय है, मै मानता हूं कि यदि इस्लामिक बैंकिंग को अनुमति दी जाए तो जीडीपी के पांच प्रतिशत के बराबर स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा। इसके अलावा इस में एनपीए और ब्याज नहीं है। यह निवेश है। बहुत से देश राजकोषीय घाटे के लिए सुकूक जारी कर रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

अब, मैं हज संबंधी राज सहायता की बात करूंगा। इस संबंध में चर्चा करने की आवश्यकता है। आप मुसलमानों की हज संबंधी राजसदस्यता न देकर एयर इंडिया को 620 करोड़ रुपये की राजसहायता दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कभी भी सहमत नहीं हो सकता। मेरे कहने का यह अर्थ है कि आप हज राजसहायता के रूप में एयर इंडिया को इसका लाभ दे रहे हैं। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह खुदी अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करे। इसमें प्रत्म्येक एयरलाईन को आवेदन करने दें। यह राजसहायता केवल एयर इंडिया को ही क्यों मिले? यदि आप ऐसा करते हैं तो हवाई किराया आईएटीए रिटर्न का 75 प्रतिशत हो जाएगा। आप जो 20 करोड़ रुपये दे रहे हैं उससे हज समिति को मक्का और मदीना में दीर्घकालीन पट्टे पर भवन लेने दीजिए क्योंकि यह एक बड़ी समस्या है जब हजयात्री मक्का और मदीना जाते हैं विशेषकर जब वह मक्का जाते हैं तो उन्हें पवित्र काबा से पांच-छह किलोमीटर दूर ठहराया जाता है जिससे सबकुछ करने के बाद भी सरकार का नाम बदनाम होता है। अत: आप इस राशि का उपयोग क्यों नहीं करते।

दूसरे, हज प्रतिनिधि मण्डल के लिए 6 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसे मत दीजिए। मेरा मानन है कि यह देना अपराधिक रूप से व्यर्थ है। आप यह क्यों देना चाहते हैं? यदि आप अपने हज या किसी अन्य हज के लोगों को वहां भेजना भी चाहते हैं तो उन्हें अपने पैसे से वहां जाने दीजिए। इस 6 करोड़ की राशि को बालिका छात्रवृत्ति योजना के लिए दीजिए हमारे राजदूत या वानिजादूत साऊदी अरब की हज समिति में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसके लिए 6 करोड़ खर्च करने की क्या आवश्यकता है? किस लिए यह संभव है कि राजनीति में भी कुछ बेसहारा लोग हो परंतु कृपया इसके लिए यह धनराशि खर्च मत कीजिए। यह धनराशि उन गरीबी मुस्लिम लड़कियों या अल्पसंख्यक लड़कियों को दी जानी चाहिए जिनको उसकी वास्तव में आवश्यकता है।

एक अन्य मुद्दा अल्पसंख्यक बहुत जिलों का है। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस पार्टी में से किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है। असल में वामदल भी इसे सुवधिाजनक तरीके से भूल गए हैं। देना में अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 20 जिलों में से छह जिलों के लिए 69 करोड़ रुपये जारी किए हैं। आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते आप इसे लेकर इतने आशंकित क्यों हैं। आप इसके बारे में बात करने से झिझकते क्यों हैं। जब आप कुछ करते हैं तो उसका दावा करने से कैसी शर्म। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। हमारे वामपंथी मित्र पश्चिम बंगाल को पूर्णत: भूल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 11 जिलों के लिए 97 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह किसी क्षेत्र के विकास अर्थात् वहां विद्यालय बनाने, हैण्डपम्प लगाने आदि के लिए बड़ी धनराशि है मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस योजना को गति प्रदान की जाएगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): आंध्र प्रदेश के लिए क्या प्रावधान है?

श्री असादूद्दीन ओवेसी: परामर्श दाताओं द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों की स्थिति बाकी सभी अर्थात उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि से बेहतर है। इसमें आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के राजनैतिक संशक्तिकरण के बारे में पता चलता है। यह इस सब पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सभी राजनैतिक दलों को यह सुनिश्चित करने और देखने के लिए आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि वह इस संबंध में क्या कर सकते हैं।

कोई भी प्राथमिक क्षेत्र को उधार देने की बात नहीं करता। इस वर्ष के बजट में 82,0000 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। 13 प्रतिशत का लक्ष्य था और आपने 12.41 प्रतिशत पूरा किया है। वर्ष 2010 के लिए यह 13 प्रतिशत होना ही चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। परंतु सबसे बड़ी समस्या ऋण तक पहुंच की है। कोई भी ऋण नहीं दे रहा है। कोई भी बैंक ऋण देने विशेषकर मुसलमानों को ऋण देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने सभी क्षेत्रों को यह कहकर चिन्हित किया है कि ऐसे सभी क्षेत्रों में मुस्लमान रह रहे हैं और यह क्षेत्र जोखिम भरे हैं अत: हम ऋण नहीं दे सकते। अत: ऐसे मामलों में सरकार के हस्तक्षेप की अत्याधिक आवश्यकता है। यहां तक कि बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट में भी यह सब ब्यौरा नहीं दिया गया है।

अंत में मैं महिलाओं को लघु ऋण देने के मुद्दे पर बात करूंगा। हालांकि आपने 1789.69 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है परंतु 15,239 करोड़ रुपये और दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। अलगा मुद्दा योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास बोर्ड से संबंधित है। मैं सरकार से पुन: अनुरोध करूंगा कि वह अल्पसंख्यक कारीगरों पर विशेष ध्यान दें। इस वर्ष के बजट में, जिसका मैं समर्थन कर रहा हूं, सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो केन्द्रों को खोलने के लिए 25-25 करोड़ रुपये दिए हैं। अब समिति पांच केन्द्रों के बारे में बात करती है एक कटिहार में एक भोपाल में और एक बंगलौर में। वह इन तीन केन्द्रोंको भूल गए हैं...*(व्यवधान)* केरल के लिए वह पहले ही दे चुके हैं। 50 करोड़ में केरल और मुरशिदाबाद है। परंतु आन्ध्र प्रदेश के लिए क्या प्रावधान है?

अपराह्न 3.00 बजे

आंध्र प्रदेश के 33 संसद सदस्य यूपीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन राज्य में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसिटी के केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं। फातभी 54 समिति की मांग थी कि इसके लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। आप डीपीआर रिपोर्ट के लिए केवल 25 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इससे यह कार्य तो पूरा होगा। अब सरकार द्वारा इस संबंध में विचार करना आवश्यक हो गया है। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं सरकार का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009-10 के बजट काफी चर्चा हुई है। मैं हर बार इस डिबेट में भाग लेता हूं। मैंने सोचा कि मैं सब से बाद में बोलूंगा ताकि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, उन पर मैं दुबारा कुछ न बोलूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा में मेरी यह सातवीं टर्म है और मैंने 20 साल से लगातार इस हाउस में देखा है कि जब भी मेरे नये सांसद मित्र आते हैं, वे एक सपना लेकर आते हैं। कुछ दिनों से सैंट्रल हाल में नये सांसद मिलते रहे हैं और वे सब जानते हैं। देश की आजादी को 62 साल हो चुके हैं। गांधी जी ने उस भारत का क्या सपना देखा होगा? हालांकि मैं गांधी जी को कोट नहीं करना चाहता लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने कोट किया है। वह गांधी जी को कोट करके अपने अंदाज-पत्र को पेश करते हुये बात समाप्त करते हैं। वह सपना अब चकनाचूर हो गया है। दिन-प्रतिदिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है। मेरे मित्र, जो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, कहते हैं-

[अनुवाद]

"केवल निधि के आबंटन से किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता।"

[हिन्दी]

लेकिन मैं नये सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है? आज देश की क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

इस देश के 10 करोड़ लोग अपने परिवार के लिए प्रतिदिन 9 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

देश के 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिये प्रतिदिन 9 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

हमारे देश के गांवों में रह रहे 30 करोड़ लोग प्रतिदिन 12 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके बारे में किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं-

[अनुवाद]

"शहरों में रह रहे 30 करोड़ लोग प्रतिदिन 18 रुपये तक खर्च नहीं कर पाते।"

[हिन्दी]

यह पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। देश की आबादी 110 करोड़ हो गई है। मैं परसों दिल्ली रेलवे स्टेशन पर था तो टी. वी. पर आंकड़ा देख रहा था। देश में आबादी प्रतिदिन कैसे बढ़ रही है? देश के 78 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी क्षमता प्रतिदिन 20 रुपये से ज्यादा अपने परिवार पर खर्च करने की नहीं है। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं ऐसा कई सालों से देख रहा हूं। सवाल यह है कि हमारी सोच क्या होगी? यह क्या बात है कि अंदाज पत्र में एलोकेशन बढ़ा दिया जाए, देश की आर्थिक, सामाजिक और अन्य समस्याएं भी हैं। मैं यहां सामाजिक समस्याओं का जिक्र नहीं करूंगा मगर देश की आर्थिक समस्याओं का निराकरण कब होगा और कब हिन्दुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनेगा? देश के 80 करोड़ लोग बेताब बैठे हैं कि वह कौन सी सरकार आएगी, जब वे शाम का खाना खाएंगे। आप ऐसी बात मत कहिए कि आप पहली बार आए हैं। आप इन 6 सालों का एकाउंट मत दीजिए, 6 साल का हिसाब मत दीजिए, 42 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। 42 साल में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज देश की यह स्थिति बनी है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): बीच में आपकी भी सरकार आयी थी और आपने भी कोई चेंज नहीं किया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सांसद बैठे-बैठे न बोलें।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: आप थोड़ा धैर्य रखें, यह सच्चाई है। मैं वर्ष 2004 की भी बात करूंगा।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, ये ठीक बात कह रहे हैं। बजट में इतना पैसा नहीं है, लेकिन आपने 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है। इस 100 दिन के कार्यक्रम में, अगर स्विस बैंक में कितना पैसा है, कितना नहीं है अगर इसे लाने का कार्य हो जाए तो जैसा कि पाठक जी बोल रहे हैं, उससे रास्ता निकल सकता है।

श्री हरिन पाठक: इस विषय से उनको तकलीफ होती है इसलिए मैं इस विषय को छोड़ देता हूं। मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं, मेरा यह स्वभाव है कि मैं आरोप-प्रत्यारोप नहीं करता हूं। आप मेरे पुराने साथी हैं और आप मेरे बारे में जानते हैं। जो हमारी पीड़ा है, दर्द है अगर हम उसे सही अर्थ में नहीं बोलेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, विस्टन चर्चिल ने कहा है कि राजनेता वह होता है;

[अनुवाद]

"राजनीतिज्ञ और राजनेता के बीच में अंतर है।" इस देश को राजनीतिज्ञ की नहीं राजनेता की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

इस देश को एक ऐसा राजनीतिज्ञ चाहिए जो कल की सोचे, अगले साल की सोचे, आगे आने वाले 20 साल की सोचे और जो वादे किये हैं, उन्हें निभाये। क्या हम यह करते हैं, क्या हम इस बात पर कहीं भी खरे उतरें हैं? आप देखिए, बजट की क्या स्थिति है? आप सभी मेरे मित्र हैं और नये मित्र भी बनते जा रहे हैं और मैं सभी का बहुत आदर करता हूं।

महोदय, प्रणव दा मेरे से उम्र में बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं। मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूं और मेरा यह कर्त्तव्य बनता है कि इस बजट के बारे में जो भ्रम है और इस बजट के कारण आने वाले पांच साल में जो स्थिति पैदा होगी उसका थोड़ा-बहुत आंकलन आपके सामने, सदन के सामने और देश के सामने रखूं और इसके बाद सरकार से प्रार्थना करूं कि इसका कोई रास्ता ढूंढिए।

महादेय, यह बजट बिल्कुल दिशाहीन, गरीबी बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला और देश को दिवालिया करने वाला है। यह स्थिति पैदा होगी, यह मैं नहीं चाहता हूं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): आप यह कहते हैं कि आपने पिछले बजट में भी यही सेम तकलीफ इजहार की थी, आप इन्हें थोड़ा बदल लीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना समय आने पर बोलिए, माननीय सदस्य आप अपना नाम आने पर बोलिए। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक: मैं उन आंकड़ों पर आता हूं। आप घर जाकर अपनी पत्नी से पूछिए कि आज बाजार में सब्जियों की क्या स्थिति है? अपनी पत्नी से यह पूछिए कि आटा, गेंहू, दाल और चावल का क्या भाव है? आप यह पूछकर आइए कि वर्ष 2004 में आलू का क्या भाव था और आज वर्ष 2009 में क्या भाव है? आप शायद सुखी परिवार से हैं, लेकिन हम यहां सुखी परिवार वालों के लिए नहीं बैठे हैं। अकाली दल के सरदार जी ठीक कह रहे थे, मेरे मित्र श्री चिंता मोहन जी ने यह शुरू किया है। हमें उन 80 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद करनी होगी, जिनके घर में आज तक दिया नहीं जला है। नरेगा के माध्यम से यह पांच साल में नहीं हो पाया और आप इसे नहीं कर सके। आप डिसटर्ब क्यों करते हैं? आप पुराने सदस्य हैं।...*(व्यवधान)* अब देखिए मैं जो कह रहा हूं वह कौन कहता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह सारा देश कह रहा है। देश दीवालिया हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मानी हुई संस्था आईआईएम अहमदाबाद सबसे बड़े अर्थशास्त्री रवीन्द्र ढोलकिया जी ने 12 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा-"अब का भारी बजट दिवालिया कर सकता है।" अब मै। कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। मैं उसकी बात छोड़ता हूं। दो एजेंसी हैं वर्ल्ड की। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह पिछली बार मैंने नहीं कहा था, आज कहता हूं। दो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं। इनको तो मुझसे ज्यादा अर्थशास्त्र का ज्ञान है। एक है-स्टैन्डर्ड एंड पूअर्स रेटिंग एजेन्सी और दूसरी है मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग्ज़ एजेंसी। ये दोनों एजेसिंयाँ दुनिया में रेटिंग करती हैं। दुनिया की इन दोनों एजेसिंयों के हिन्दुस्तान के बजट के बारे में क्या विचार हैं क्या विकास इनक्लूसिव होगा? समस्याओं का निराकरण होगा?

[अनुवाद]

"स्टैन्डर्ड एंड पुअर्स रेटिंग ऐजेंसी कोई भूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी के अनुरूप भारत की बजट रेटिंग नेगेटिव है।

[हिन्दी]

इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। उसके कुछ कारण हैं। मैं सिर्फ चार मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो रिपीट हो। सारी महंगाई की बात हो गई है कि देश में यह स्थिति है। बजट में वित्त मंत्री जी ने पांचवें पैरा में 11 मुद्दे बताए हैं। 100 दिनों में उन 11 मुद्दों में से कुछ मुद्दों को वे...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल शर्मा: अभी तो साढ़े चार वर्ष बाकी हैं पाठक जी।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: अब यह बजट इस साल का है, मुझे आपको यह भी समझाना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप पाठक जी को बोलने दीजिए। आपका जब समय आएगा, तब आप बोलिये।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: यह बजट केवल इसी वर्ष का है, मैं उस बजट की बात कर रहा हूं जो इस वर्ष कायान्वित किया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जा रहा है। यह बजट इस साल का है। मैं इसी साल के बजट के आंकड़े बोल रहा हूं। पांच साल का संयुक्त बजट लाइए। वित्त राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे ज़रा सलाह लें माननीय सदस्य से कि आइन्दा जो बजट लाएं, वह चार सालों के लिए इकट्ठा लाएं। यह एक साल का बजट है तो इसी पर बात होगी। उन्होंने इसमें पहले ही लिखा है-"कम से कम 9 प्रतिशत की सतत विकास दर...*(व्यवधान)* अभी तो शुरू किया है। अभी तो पहला पन्ना भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि यह दिशा आई है, इसलिए मै। कहता हूं कि दीवालियापन होगा। मैं सिर्फ पांच सात मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।...*(व्यवधान)* क्या बात है, पता नहीं आपको क्यों तकलीफ है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप टोका-टाकी मत कीजिए। माननीय सदस्य आप अपनी बात बोलिए, उनको छोड़ दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक: यह पहली बार बीस साल में मुझे कोई टोक रहा है।...*(व्यवधान)*

महोदय, सभा में बिताए 20 वर्षों में मुझे अभी तक ऐसे किसी ने नहीं टोका है। आज तक मुझे कभी किसी ने टोका नहीं है, यह पहली बार इतने सालों के बाद ऐसा हुआ है। कितनी इज्ज़त मेरी करते हैं। मैंने आपको बुरा तो कहा नहीं, न कोई ऐसा अपशब्द कहा। मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। अब आपको हर चीज़ में बुराई लगती है। मुझे बड़ा दुख लगता है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): जो जितना बड़ा लीडर होगा, लोग उतना ज्यादा टोकेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: मैं बड़ा फिगर नहीं हूं, मैं छोटा आदमी हूं। मगर मेरा जो कर्त्तव्य है, वह मुझे बताना चाहिए, आपको पसंद हो या न हो, देश तय करेगा।

[अनुवाद]

"एक लंबे समय के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 9 प्रतिशत की सतत विकास दर।"

[हिन्दी]

9 प्रतिशत जीडीपी कैसे करोगे? पिछली बार कितना हुआ? इसलिए आप देश को गुमराह मत करो अच्छा सा बजट देकर। जीडीपी 6.7 से 9 प्रतिशत करने के लिए कुछ उपाय तो चाहिए। बताइए। चलो मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर। क्या उपाय है? कैसे करोगे? मैं रिपीट नहीं करूंगा। इंटरनेशनल एजेंसी कहती है कि नेगेटिव बजट है। विदेश से पैसा यहां कोई रोकने वाला नहीं है। आप किस तरह से नौ प्रतिशत की ग्रोथ प्राप्त करेंगे?

[अनुवाद]

"मैं यहां वित्त मंत्री का कथन दोहराना चाहूंगा-राजकोषीय समर्थन प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

यह दोनों कोंटराडिक्टरी बातें हैं। क्या आपने दुनिया के किसी देश में देखा है कि जब इनफलेशन-1.55 है और प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। पूरी दुनिया इससे अचरज में है। आपने स्वयं कहा है कि इस बार इनफलेशन सात से आठ प्रतिशत होगा। लेकिन आपके आंकड़े सही नहीं निकले। इनफलेशन सात-आठ प्रतिशत नहीं है।

[अनुवाद]

"गत सप्ताह दो दिन पहले मुद्रास्फीति माइनस 1.55 थी।"

[हिन्दी]

ऐसी खाने-पीने की चीजें हैं, जिन पर लोग जिंदगी जीते हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ग्रोथ किसका होगा? यहां दस लाख पर तालियां बजीं। मुझे विद्यार्थी के नाते आश्चर्य हुआ, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। खर्चा बढ़ेगा तो क्या तालियां बजेंगी? जब इनकम बढ़ती है, तब तालियां बजती हैं। जब कोई नेता चुनाव हारता है तो क्या तालियां बजेंगी? यदि लीड मिलेगी तो तालियां बजेंगी। सात करोड़ रुपये तो नॉन प्लान एक्सपैंडीचर है यानी एस्टैबलिशमेंट कॉस्ट और 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये जो हमने कर्ज लिया है, उसका इंटरैस्ट। इनकम नहीं है, लेकिन खर्च कर रहे हैं और उस खर्च का 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा नॉन प्लान में जा रहा है। अब जो स्थिति बनी है, उसमें आपने एक ही रास्ता बताया है

[अनुवाद]

प्रतिवर्ष 12 मिलियन नई नौकरियों के अवसर पैदा करने हेतु संमग्र विकास कि तंत्र को मजबूत कीजिए।

[हिन्दी]

क्या आपको पिछले पांच साल का हिसाब चाहिए? क्या आपमें सुनने का धीरज है? पिछले पांच साल में आपने नरेगा में 49 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। नरेगा की स्थिति के बारे में टाइम्स ऑफ इण्डिया में लिखा है जिसके बारे में उन्होंने पूरे देश में घूम-घूमकर लिखा है। पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने लिखा है।

[अनुवाद]

"यूपीए सरकार ऐसा प्रमाणित कर रही है कि उसकी ग्रामीण रोजगार योजना समग्र विकास की अग्रदूत है। सण्डे टाइम्स के संवाददाता यह देखने के लिए पूरे देश की यात्रा करते हैं कि इससे किसे रोजगार मिलता है।

[हिन्दी]

जो अच्छी चीजें हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। क्या नरेगा 80 करोड़ के लिए सोल्यूशन है? क्या लोग मिट्टी खोदते रहेंगे और रोड-रास्ते बनाते रहेंगे? स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। बाद में उन्होंने लिखा है।

[अनुवाद]

"गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या वर्ष 2014 तक आधी से भी कम हो जाएगी।"

[हिन्दी]

माननीय सदस्य की बात सही है कि वर्ष 2014 तक गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या को हम आधा करेंगे। माननीय वित्त मंत्री के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 28.4 प्रतिशत है अर्थात उसका आधा 14.4 प्रतिशत करेंगे। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी, यह जानने के लिए कि देश में गरीबी की क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपके समक्ष इस समिति की सिफारिश और प्रतिवेतन रखना चाहूंगा...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें उसकी जानकारी है आपकी रिपोर्ट में उन्होंन क्या कहा है? रिपोर्ट में कहा गया है–50 प्रतिशत भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

[हिन्दी]

आप 24 परसैंट की बात करते हो। आप 28.4 परसैंट को गुमराह करते हो और 73.74 परसैंट को ध्यान में रख कर करते हो। जब चर्चा में सब कुछ सामने आ जाता है तब आपको तकलीफ होती है। आज जो देश की स्थिति है, यह मैं नहीं कहता, आपके द्वारा बनी हुई कमेटी कहती है। उस कमेटी ने रिकोमेंडेशन किया है कि देश में आज 50 परसेंट गरीब लोग हैं।

मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह किसानों को सब्सिडी दी जाती है, चार लाख करोड़ की खाद है और यह रकम उन्हें लानी पड़ेगी। एक लाख करोड़ आम आदमी से जुड़ा है और एक लाख करोड़ हम जो सब्सिडी देते हैं, मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ये बार-बार कहते हैं कि हम किसानों के लिए हैं। हमने किसानों को राहत के लिए डीजल, पैट्रोल, ऑयल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, खाद पर सब्सिडी एक लाख करोड़ दी है। किसान और आम आदमी, सब के लिए एक लाख करोड़ और इंडस्ट्री के लिए तीन लाख करोड़ दिए हैं। इस बारे में कभी चर्चा नहीं होती कि इंडस्ट्री के लिए तीन लाख करोड़ की रियायते दी जाती हैं। ये कहते हैं कि हमने किसानों को बहुत दिया। यह जो स्थिति बनी है, इसमें यह बजट ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि किसान को फिर वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा-कर्जा लो, आपघात करो, कर्जा माफी, फिर आपघात करो। जब मानसून इतनी खराब स्थिति में जा रहा है, ये कैसे होगा?

[अनुवाद]

आप कृषि में चार प्रतिशत विकास दर की आशा कैसे कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे कहना तो बहुत कुछ था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप अपनी बाकी स्पीच ले कर दीजिए।

श्री हरिन पाठकः मैं ले नहीं करता

[अनुवाद]

मैं अपना भाषण कभी तैयार नहीं करता। मैं अनायास बोलता हूं। मैं काफी अध्ययन करता हूं।

[हिन्दी]

मैं एक-दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

मेरी यही प्रार्थना है कि बजट में किसानों को कर्जा दिया है, उसे आप समझिए। किसानों के कर्जे की जो लिमिट है, उसे आप 31 दिसम्बर तक ले गए। किसानों ने 75 प्रतिशत लोन का रुपया भरा है।

[अनुवाद]

मुझे एक बात पता चला है। मैं पिछली छह बार से अहमदाबाद सिटी से चुना गया हूं। अब सौभाग्यवश जो नया निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है उसमें दो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र और जोड़े गए हैं।

[हिन्दी]

मुझे किसानों के पास इतने सालों बाद पहली बार जाने का मौका मिला। वे कहते हैं कि हमने पैसे भर दिए हैं। सरकार को जो 25 परसैंट पैसा बैंको को देना है, वे नहीं दे रहे हैं। 25 परसैंट सरकार को देना पड़ेगा, फिर किसानों को नो ड्यूस सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सब कुछ हम किसे दे रहे हैं, जिसके पास दो हैक्टेयर से ज्यादा जमीन है। दो हैक्टेयर से कम जमीन वाले, छोटे और सीमांत किसान 70 परसैंट से ज्यादा है, उन्हें डेढ़-दो लाख लोन

चाहिए। मेरी मांग है कि आप छः-सात परसैंट को छोड़ कर दीजिए। जो 80 प्रतिशत सीमांत किसान हैं, जिनके पास दो हैक्टेयर से कम जमीन है, उन्हें आप चार प्रतिशत पर लोन दीजिए ताकि वे सरवाइव कर सकें, ये लोन बड़े-बड़े लोगों के लिए है।

गुजरात की बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तीन चीजें इस बजट में छूट गई हैं-डायमंड इंडस्ट्री। गुजरात में डायमंड इंडस्ट्री ने पिछली बार 90 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट किया। हमारी मांग है कि डायमंड इंडस्ट्री को बचाने के लिए पैकेज दिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी तरफ से पांच सदस्य और बोलने वाले हैं, उन्हें सयम नहीं मिलेगा।

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। डायमंड इंडस्ट्री, टैक्सटाइल एंड प्लास्टिक, ये तीन इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, जो हजारों लोगों को रोजी-रोटी देती है। आपने टैक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान डायमंड लिमिटेड नामक एक कंपनी है, जो रफ डायमंड खरीदती है और उसे वह कंपनी हीरा उद्योग को देती है, जिसे हीरा कारखाने वाले पॉलिश करते हैं। उसकी तरफ ध्यान दें। इससे सरकार को भी पैसा मिलेगा और इंडस्ट्री खड़ी होगी। टैक्सटाइल, प्लास्टिक और डायमंड इंडस्ट्री जो गुजरात और बाकी राज्यों में मरती जा रही हैं, वे खड़ी होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं फिर एक बार फिर कहना चाहता हूं कि पार्टी से ऊपर उठकर के, इस देश में बसने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के हित के लिए काम करें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यदि और बोलेंगे, तो आगे रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.27 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है, वह आम आदमी को सामने रखते हुए पेश किया है। ग्रामीण विकास की गति तेज करने के लिए ग्रामीण मंत्रालय को 80,770 करोड़ दिए गए हैं। बजट 2009-10 में 'नरेगा' के लिए 39,100 करोड़ रुपए रखे हैं। इस बजट में प्रमुखता से आम आदमी को सामने रखते हुए यह बजट पेश किया गया है।

महोदया, डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरे देश के सामने पिछले चुनाव में जो बाते कहीं थीं कि हम यदि चुनकर आए, तो आम आदमी के लिए काम करेंगे, उन्होंने इस बजट में उन बातों का पूरा ध्यान रखा है और अपना वादा पूरा किया है। हमें विकास दर भी 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत करनी है। हमारा प्रयास है कि हम निजी भागीदारी को बढ़ावा दें। बजट में राजमार्ग और रेल मार्गों तथा शहरी विकास के लिए 12,887 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शहरी गरीब आदमियों के आवास के मूलभूत स्ट्रक्चर के लिए 3,973 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्युत विकास हो, कृषि विकास हो, सुरक्षा हो, भारत निर्माण हो, जो सभी प्रमुख मुद्दे थे, उनके लिए इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है।

महोदया, हमारे मित्र, श्री हरिन पाठक जी अभी बोल रहे थे कि इस बजट में किसानों के लिए क्या किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां 80 प्रतिशत किसान रहते हैं और वह विदर्भ का पिछड़ा हुआ भाग है। उस भाग के हमारे पांच-छः जिलों में आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। वहां हर 15 दिन में आत्महत्या होती हैं। हमारे विदर्भ में खुद पंथ प्रधान आए थे, कुछ किसानों के घरों में गए, उनसे पूछताछ की और वहां से दिल्ली आने से पहले उन्होंने 3170 करोड़ रुपए का एक पैकेज जारी किया। पिछले समय में इस पैकेज का उपयोग हमारे विदर्भ के पांच-छः जिलों में अवश्य हुआ है, जिसके कारण आत्महत्याओं में कमी आई है। पहले आत्महत्याएं ज्यादा होती थीं। अब कम हो रही हैं, लेकिन आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं यह जरूर कहूंगा कि इस पैकेज के फायदे तीन साल तक लोगों को मिले और अब जब तीन साल पूरे हो रहे हैं, तो पैकेज बंद हो जाएगा और इसके फायदे वहां के किसानों को नहीं मिलेंगे।

महोदया, किसानों के बारे में, फिर चाहे वे विदर्भ के किसान हों, मराठवाड़ा के किसान हों, पंजाब के किसान हों, आंध्र प्रदेश के किसान हों, केरल या कर्नाटक के किसान हों, पार्लियामेंट में विचार हुआ। सरकार द्वारा जो छोटे किसान हैं, जो पांच एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान हैं, उनके कर्ज माफ करने की योजना से पूरे देश के किसानों का फायदा हुआ, लेकिन आज जिन लोगों को और जिन गरीब किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए था, वह फायदा उन्हें नहीं मिला है। अभी हमारे पंजाब के एक मित्र बोल रहे थे कि हम पंजाब में इतनी पैदावार करते हैं, तो जो 71 हजार करोड़ रुपए का पैकेज था उसमें से हमें कम से कम 1000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। मैं बताना चाहता हूं कि विदर्भ में, जहां आत्महत्याएं हो रही थीं, उसमें से हमें बहुत कम पैसा मिला है। हमारे यहां जो 5 एकड़ से ऊपर भूमि रखने वाले किसान हैं, जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनके लिए वहां इर्रीगेशन

की व्यवस्था नहीं है। उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बाद में हम, श्री राहुल गांधी जी और सब लोग बात करते रहे, लेकिन आज भी विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वह जो पैकेज है, उसका खर्चा हुआ है, लेकिन इर्रीगेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लोगों को, किसानों को अभी तक पानी नहीं मिला है। यह पानी 1-2 साल में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पैकेज की मुद्दत तीन साल के लिए बढ़ानी होगी। विदर्भ के किसान, जिनके लिए 20 हजार रुपये तक का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन वहां के किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, जो उन्होंने साहूकारों से लिया था, दूसरों से लिया था, वह माफ नहीं हुआ।

वहां किसान आज भी बहुत तकलीफ में हैं। अभी तो कुछ जिलों में सूखा पड़ा है, अभी 2-4 दिन में थोड़ी वर्षा हुई है, उससे किसानों ने अपना जो सीड डालने का काम होता है, वह काम किया है, लेकिन आज भी किसानों की हालत कुछ जिलों में बिगड़ रही है। मैंने कहा कि किसी को ज्यादा मिला, इसका मुझे बुरा नहीं लगता, पर जहां कभी आत्महत्याएं नहीं हुई थीं, चाहे नासिक हो या पश्चिमी भाग के कुछ जिले हों, उनको दिया है, यह अच्छी बात है, लेकिन जहां यह इश्यू था, वह आज भी वहां कायम है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम विदर्भ के पांच जिलों में जो भी किसाान हैं, उनका जो कर्जा था, वह पूरा माफ होना चाहिए, ताकि सब को उसका फायदा मिले। जो भी पैकेज की स्कीम थी, वह भी तीन साल तक हम और दें। मनमोहन सिंह जी की यह पहली सरकार है, पाठक जी, जिसने 71 हजार करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया। आप जो बता रहे थे, उसमें आप भी दो-तीन बार जब सत्ता में थे तो कोई कर्जा माफ नहीं हुआ था। आज छोटा किसान के अगर 20 हजार रुपये माफ होते हैं तो उसको अच्छा लगता है। सब को मिला है, अभी विदर्भ में मिला है, पांच एकड़ के नीच के किसान को, बाद में पूरे देश में मिलेगा। यह सही बात है...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: वहां सुसांइड चालू हो गई, आपको मालूम नहीं है।

श्री दत्ता मेघे: वही मैं बता रहा था कि जिनको जरूरत नहीं थी, 71 हजार करोड़ रुपये में से उनको भी दिया। अभी जिन जिलों में यह इश्यू है, उनमें आपको थोड़ा खर्चा और करना पड़ेगा, ऐसा मुझे इसमें लगता है। जो-जो भी काम हमारी सरकार कर रही है, उसको कभी हमने देखा नहीं। पन्त प्रधान सड़क योजना का पैसा डायरैक्ट जिले को जा रहा है। हमारा वर्धा जिला छोटा है, वहां 125 करोड़ रुपया गांव-गांव में सड़क बनाने के लिए पिछले साल में मिला था। पानी की व्यवस्था के लिए भी पैसा मिल रहा है। पहले कभी केन्द्र का पैसा डायरैक्ट जिलों को नहीं मिलता था, लेकिन ग्रामीण योजना की वजह से आज डायरैक्ट पैसा लेकर वहां के लोग यह काम कर रहे हैं। उसमें इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत त्रुटियां जरूर हैं, वे होंगी, लेकिन आज पहली बार डायरैक्ट केन्द्र का पैसा जिलों में जा रहा है, जिससे चाहे सड़क की योजना हो, पीने का पानी हो, शिक्षा हो, आरोग्य हो, इसमें आज बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हो रहा है। यह पूरा काम जो मनमोहन सिंह जी ने बजट में और जो उनकी नीति है, उसके अंतर्गत किया है। हमने महाराष्ट्र में देखा कि बहुत सारे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मेघे साहब, अब वाइण्ड आप करें। अभी 30 सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री दत्ता मेघे: मैं इसीलिए एक विषय लेकर कह रहा था कि उसमें आज सरकार ने थोड़ा काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन सभी पार्टी के सभी खासदारों से कहा है, उसमें शिवसेना के थे, बीजेपी के थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के थे, हमारे पूरे नेता थे। उन्होंने इस बात को मान्य किया है कि जहां पर यह बात आज भी हो रही है, वहां यह पैकेज बढ़ना चाहिए। यह सब होना चाहिए तो वित्त राज्य मंत्री, आपको मैं बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वित्त मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री दत्ता मेघे: मैं उनसे कह रहा हूं कि जहां से आत्महत्या देखकर डायरेक्ट पन्त प्रधान जी गांवों में, खेड़े में गये, राहुल जी गये, सोनियां गांधी जी गई, वहां आज भी आत्महत्याएं हो रही हैं। वहां ज्यादा नहीं, दो-तीन हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज हम दे देंगे और उनकी सुविधा बढ़ा देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की इससे बहुत मदद मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में 20-25, साल से बहुत अच्छा काम मैं कर रहा हूं। लेकिन आज शिक्षा में विषमता बहुत बढ़ रही है। जो श्रीमंत हैं, बड़े लोग हैं, वे शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को वह स्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए शिक्षा और खास तौर से उच्च शिक्षा के बारे में हम सब लोग बात करते हैं। आज जो भी उच्च शिक्षा है, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह खुद का इंजीनियरिंग कालेज या मैडीकल कॉलेज नहीं बनाना चाहती। वह कहती है कि प्राइवेट लोगों को बनाना चाहिए। बहुत से प्राइवेट लोगों ने ये कालेज शुरू किये, उससे फायदा भी हुआ है, लेकिन गरीब आदमी वहां पढ़ नहीं सकता। हमारे महाराष्ट्र के अन्दर अनुसूचित जाति के लोगों को वहां फ्री रहता है, वे प्राइवेट में भी मदद करते हैं और ओ.बी.सी. को 50 परसेंट है। मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार जो गरीब है, जो उच्च शिक्षा नहीं ले सकता है, जैसे अभी माननीय सदस्य माइनोरिटी के बारे में कह रहे थे,

बहुत अच्छी बात है कि माइनोरिटी के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज भी प्राइवेट कॉलेज की फीस गरीब आदमी, गांव का आदमी नहीं दे सकता है। यह जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप नए कॉलेज नहीं खोलते, तो कम से कम उस बच्चे की शिक्षा का खर्च, स्कालरशिप के तौर पर गरीब लोगों को देना चाहिए, नहीं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं खुद इंस्टीट्यूट्स चलाता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतने पैसे गरीब आदमी कहां से देगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना खर्च होगा, आप उतनी ही फीस लीजिए, लेकिन उतनी फीस भी वह दे नहीं सकता। जितने भी कॉलेज देश में हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, यह उनके लिए हैं, ऐसा मुझे लगता है। सरकार को इसके लिए खुद कुछ करना चाहिए। जो कॉलेज बने हैं, उनमें गरीब छात्रों की फीस सरकार को देनी चाहिए, ताकि हमारे देश में गरीब आदमी डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके या फॉरेन में जा सके, यह हमारी इच्छा है ऐसे बहुत से ईश्यू हैं।

सभापति महोदया: आपका समय समाप्त हो चुका है। अगर आप ज्यादा समय लेंगे, तो किसी और सदस्य का समय चला जाएगा।

श्री दत्ता मेघे: मैडम, आज भी विदर्भ में बहुत सूखा है, बहुत सी अड़चने हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप विदर्भ पर बहुत बोल चुके हैं।

श्री दत्ता मेघे: मैडम, विदर्भ में बेरोजगारी।...*(व्यवधान)* हमारा महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। वहां बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन वह पिछड़ा इलाका है। हमारे यहां कुपोषण होता है। मेघाट ऐसा जिला है, जहां छोटे-छोटे बच्चे कुपोषण से मरते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। हमारे यहां नक्सलाइट जिला गढ़चिरौली है, वहां आज भी आदमी जंगल में रहता है।, ताड़ी पीता है, छः-छः महीने तक झाड़ के ऊपर रहता है। वहां नक्सलाइट लोग बहुत ज्यादा हैं। हम लोग गरीबों की बातें कहते हैं, लेकिन जब तक उनके लिए कोई स्पेशल प्रोवीजन नहीं होगा, तब तक इन लोगों को पूरी राहत नहीं मिलने वाली है।

महोदया, हमारे सभी भाइयों ने बहुत अच्छे भाषण दिए। मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उनकी ओर से कांस्ट्रक्टिव प्रपोजल नहीं दिया गया कि इनके लिए यह करिए। हमारा प्रपोजल है, नक्सलाइट एरिया है, गढ़चिरौली, आज भी उधार पर लोग तीन-तीन महीने तक रहते हैं, उन लोगो के लिए कुछ अच्छी बात सोचिए। उन लोगों के लिए दो सौ या पांच सौ करोड़ रुपए देंगे, तो उनको लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। उनके लिए शिक्षा नहीं है, वे जंगल में रहते हैं। 10, 20, 50 या 100 लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को क्या सुविधा मिलने वाली है, आप उनको 200, 500 या 1,000 लोगों के गुटों के साथ एक जगह पर भूमि दीजिए। उनको शिक्षा दीजिए, खाने के लिए भोजन दीजिए, उनके गुटों के साथ गांव बनने चाहिए और उनको प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए।

यह गरीबों का बजट है। लेकिन जो गरीबों से गरीब हैं, उनके बारे में सोचना सरकार का काम है। हमारे सभी नेता सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी, सभी पार्टी के नेता लोग, आज जिनके पास गरीब है। इतने सालों में आपने और सभी ने मिलकर प्रगति की, तब हम यहां तक पहुंचे। जब राजीव गांधी जी थे, तब लोग कहते थे कि टेलीफोन और टी.वी. से क्या होगा? हमारे कामरेड भाई बोल रहे थे कि खाने को नहीं है, तो टी.वी. देखकर क्या होगा? आज हर गांव का आदमी टीवी. देखता है। उसे हर चीज मालूम है और वह सारी चीजें जानता है। जहां तक मोबाइल की बात है, हमारे देश में विज्ञान में बहुत प्रगति हो रही है। जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला, उनके लिए कोई पैकेज होना चाहिए। ऐसे बहुत कम जिले हैं, जैसे गढ़चिरौली है, मेघाट है, ये विदर्भ के जिले हैं, वहां जब हम लोगों से बात करते हैं, तो हमें बुरा लगता है कि हम इतने सालों में इनको आज तक कुछ नहीं दे पाए।

मैंने विदर्भ के संदर्भ में कई बातें कहीं। वित्त मंत्री जी आपने खासतौर पर जो पैकेज दिया, उसमें दो-तीन हजार करोड़ रुपए देकर वहां के लोगों का उत्थन करिए। वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी के संबंध में हमारे यहां बहुत कम प्रयास हुआ है। ग्रामीण लोगों के लिए और ग्रामीण विभाग के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): सर्वप्रथम, महोदया, मुझे सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं अपनी पार्टी और नेतृत्व का भी अभारी हूं।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु दूरगामी ठोस निर्णय लेने का अवसर गंवा दिया है।

भारत बड़ी युवा शक्ति के मामले में भाग्यशाली है। हमारे देश में विश्व में सर्वाधिक युवा हैं। युवा शक्ति को शक्तिशाली भारत के पुनर्निर्माण और इसे मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस बजट में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय अन्तर्विष्ट नहीं हैं।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई अवसंरचनात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। मानव निर्मित सूती धागे पर 4% शुल्क का लाभ वापस ले लिया गया है। इससे इसकी लागत में 2 से 4 रु. प्रति किग्रा. की वृद्धि होगी।

यद्यपि वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना बनाई गई थी। लेकिन, अपर्याप्त निधि के आबंटन से वस्त्र उद्योग में निराशा है। यह बजट विकासोन्मुखी नहीं है। जब राजकोषीय घाटा 6.8% है तो 6.77% वृद्धि की अपेक्षा अप्राप्य और सरकार की अपेक्षा से अधिक प्रतीत होती है।

कारपोरेट क्षेत्र में भी मैट में 5% वृद्धि की वजह से निराशा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में बजट नकारात्मक है। कारपोरेट करदाताओं के लिए कोई निश्चित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

इस बजट से वैश्विक मंदी से निपटने की आशा थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। जहां तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, यह सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है। बजट में, पुनः गुजरात राज्य की उपेक्षा की गई है। सरोवर नर्मदा परियोजना को, जो एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें चार राज्य शामिल हैं, पुनः राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित क्यों नही कर रही है?

संभवतया, यह उन सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है जिसमें प्राथमिक लक्ष्य भूमि की व्यापक सिंचाई और व्यापक बिजली उत्पादन हैं। महोदया, मैं सरकार से नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने की अपील करता हूं। सरकार को गुजरात में हीरा उद्योग को नियंत्रित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

मैं शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। अधिक संक्षेप में, मानसिक पक्षाघात वाले बच्चे दयनीय स्थिति में है। उनके माता-पिता और पारिवारिक सदस्यों की स्थिति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सरकार से उनका आबंटन करने और उनकी सहायता के लिए कुछ ठोस उपाय करने की अपील करता हूं। यह हमारी सामाजिक जवाबदेही है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) और मल्लापुर (केरल) में स्थित विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को 25 करोड़ रु. का अनुदान दिया गया है जबकि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गुजरात में प्राचीनतम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए 1740 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जो पिछले वर्ष के 1000 करोड़ रु. की तुलना में 74% अधिक है। इसके अतिरिक्त 994 करोड़ रु. मौलाना आजाद संस्थान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्तीय निगम और अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए दिए गए हैं। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और दलितों के लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति को ऊपर उठाना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक बजट में उन्हें पर्याप्त निधि आबंटित की जानी चाहिए।

विगत कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के हाथों में चले गए हैं। यहां निज क्षेत्र के कर्मचारियों का शोषण किया जाता है और उनके अधिकारों को सीमित किया जाता है।

मैं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

***श्री प्रहलाद जोशी** (धरवाड़): सर्वप्रथम, मैं, यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव जी द्वारा प्रस्तुत 2009-10 का बजट यद्यपि विकासोन्मुखी और वैश्विक आर्थिक मंदी को रोकने में सक्षम लगता है किन्तु इसके क्रियान्वयन में अन्तर्निहित कमियां हैं।

वित्तमंत्री ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बहुत जोर-शोर से बजट के दिन कहा कि कुल व्यय 10 लाख करोड़ रु. का आंकड़ा पार कर गया है हां निश्चित रूप से आंकड़ा बहुत बड़ा है लेकिन अब तक की सर्वाधिक राजकोषीय घाटे की दर को भी देखें जो 6.8% है। यह लगभग वित्त मंत्री की ओर से उस घाटे को संतुलित करने के लिए उधार के स्रोत के बारे में भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। बजट के विभिन्न वर्गों से ऐसी आशंकाएं उठ रही हैं कि बैंकों से धन निकाला जाएगा।

यदि ऐसा किया जाता है तो देश में बैंकों के पास किसी क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए धन नहीं बचेगा। हमें इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि बजट के कारण, क्यों सैंसेक्स में 1000 से अधिक अंकों की गिरावट आई और वैश्विक एजेंसियों को कहना पड़ा कि यदि कोई गंभीर उपाय नहीं किए जाते तो इसके बॉन्ड गिर जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि अत्यधिक व्यय, मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को पुनः पट्टी पर लाने और सकल घरेलू उत्पाद

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की लक्षित 9% की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए एक प्रोत्साहन है। सरकार का राजस्व से अधिक व्यय इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अगले वर्ष 5.5% और उसके बाद अर्थात् 2011-12 में 4% है। इस बजटीय अंतराल को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री का इस वर्ष बाजार से पिछले बजट में प्रस्तावित उधार से चार गुना अधिक उधार लेने का प्रस्ताव है। ऐसी भी खबरे हैं कि वित्त सचिव ने भी आरबीआई से 4 लाख करोड़ रु. का आधा धन मुद्रित करने का प्रस्ताव रखा है। मैं नहीं जानता कि क्या यह सही है, केवल वित्त मंत्री ही इसे स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि यह सही है तो इससे घातक कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे और घाटा अर्थात् घाटे में घाटा होगा और इसलिए यह कोई अच्छा अर्थशास्त्र नहीं है। पहले ही आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि सरकार अपने इस घाटे को पूरा करने के लिए ऐसे बड़े उधार लेकर निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों को समाप्त कर सकती हैं जिसका प्रभाव बजट के दिन सैंसेक्स में तीव्र गिरावट में दिखाई देता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में सरकारी कर राजस्व की राशि 35000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, लेकिन खर्च 3.00 लाख करोड़ रुपये है जो राष्ट्रीय आय से लगभग नौ गुना है। यह किसी भी दृष्टि से बहुत अधिक व्यय है।

मैं वित्त मंत्री जी को सावधान करना चाहता हूं कि हर समय व्यय करने का यह ढंग प्रोत्साहन पैकेज नहीं हो सकता, जैसा कि आपने कहा प्रणव जी, क्योंकि यह कोई अस्थायी लहर नहीं है जो अगले दो वर्षों में था। कभी वापस चली जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) और अब खाद्य सुरक्षा इत्यादि जैसी सामाजिक योजनाओं पर बढ़ता प्रत्येक परिव्यय नियमित किया जाएगा और यह स्थायी होगा। माननीय प्रणव जी, यह बहुत बड़ा जुआ लग रहा है जो देश को ऋण के बहुत बड़े जाल में फंसा सकता है और आपको अच्छा-खासा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इस अनियमित मानसून, जिसकी पूरी संभावना है और परिणामस्वरूप पड़ने वाले सूखे को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसके कारण भारी खर्च अपरिहार्य होता है।

कृषि और उसका पुनरुद्धार: दूसरी बात, मैं कृषि के बारे में करूंगा। आपके बजट भाषण के पैरा 27 में, यह स्वीकार किया गया है कि हमारे देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और इसी से उसका भरण-पोषण होता है यह कहा गया है कि परिव्यय में भारी वृद्धि 2008-09 के बजट में 28,7000 करोड़ की तुलना में ऋण प्रवाह में वृद्धि कर इसे 3,25,000 करोड़ करने से 4 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करना संभव है।

मैं पिछले 4 वर्षों से निरंतर बात दोहराता रहा हूं कि आज हमारी कृषि दो राहे पर है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) ने एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद पहले ही चेतावनी दे दी है और भारतीय किसान इस व्यवसाय में लाभ न होने के कारण इस व्यवसाय में बने रहने पर पुन: विचार कर रहा है। आबंटन केवल 10600 करोड़ रुपये है जो कुछ व्यय के एक प्रतिशत से भी कम है, जिससे कुछ परिवर्तनकारी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह लगता हो कि सरकार इस क्षेत्र को बचाने हेतु कृत संकल्प है। फसल बीमा योजना को सुनकर और सरल बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सिवाय इसके कि वित्त मंत्री जी ने इस योजना के लिए कुछ नेमी धनराशि आबंटित कर पल्ला झाड़ लिया है। रचनात्मक पैकेज के प्रति कोई प्रतिबद्धता पूरी करने का उल्लेख नहीं है उसके द्वारा भारतीय किसान अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किसी मध्यस्थ की ओर देखे बिना अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 16 प्रतशत से लेकर 17 प्रतिशत तक है और इस पर व्यय एक प्रतिशत से भी कम है। वित्त मंत्री को इसके लिए स्पष्टकीकरण देना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कम ब्याज वाले अल्पावधि फसल ऋण पैकेज अर्थात् 3 लाख रुपये की सीमा तक 7 प्रतिशत ब्याज का उल्लेख किया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदीयुरप्पा द्वारा आरंभ की गई फसल बीमा योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें 3 प्रतिशत मामूली ब्याज दर है। मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि यदि वह किसानों के समग्र कल्याण हेतु वास्तव में इच्छुक है तो वह इस योजना को अपनाए।

महाराष्ट्र में प्राइवेट ऋणदाताओं के ऋण बड़ी संख्या में किसानों के मामले की जांच हेतु कार्य बल का गठन किए जाने के संबंध में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केवल महाराष्ट्र में ही क्यों, इस कार्य बल के कार्य क्षेत्र को कर्नाटक और अन्य राज्यों में तक भी बढ़ाया जाए।

अवसंरचना का विकास : जेएनएन यूआरएम में हुबली धारवाड़ को भी शामिल किया जाए: यह अच्छी बात है कि यह सरकार धीरे-धीरे अवसंरचना के विकास के महत्व को महसूस कर रही है और काफी बड़ी धनराशि खर्च कर रही है जिसे वित्त मंत्री मंदी के लिए विशेष स्थिति मानते हैं। एनएचएआई, जेएनएनयूआरएम और भारत निर्माण के लिए कुल 45000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, सभी अवसरंचनात्मक परियोजनाओं के लिए आईआईएफसीएल द्वारा 1.00 लाख करोड़ रुपये के पुन: वित्त का भी उल्लेख किया गया है।

इस दौरान, सड़क परिवहन मंत्री श्री कमलनाथ ने भी राजमार्गों के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने के बारे में काफी कुछ कहा है, और प्रतिदिन 20 कि.मी. सड़क का निर्माण करने के लिए स्वयं की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह बहुत दिलचस्प है लेकिन उन्होंने इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा है कि वह धनराशि की व्यवस्था कहां से करेंगे। कम-से-कम वित्त मंत्री द्वारा इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मैं दस लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में जेएनएनयूआरएम में हुबली-धारवाड़ को दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में शामिल करना चाहता हूं।

रेलवे के 10800 करोड़ रुपये: बजट भाषण के पैरा 21 में, रेलवे के विकास के लिए 10800 करोड़ रुपये के आबंटन का उल्लेख है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस संदेह को दूर करें जो रेल मंत्री ममता जी के वक्तव्य के साथ उठा है, जो उन्होंने लालू जी के रेलवे का 10000 करोड़ रुपये के भारी लाभ की पुख्ता बात को खारिज करते हुए कहा है। राष्ट्र सच्चाई जानना चाहता है कि कौन सही है ममता जी या लालू जी।

मूल्य वृद्धि और स्फ्रीति की भ्रामक दर: माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा 10 में स्वीकार किया है कि थोक मूल्य सूचकांक अगस्त, 2009 में 13 प्रतिशत तक पहुंच गया था और अब मार्च, 2009 में तेजी से गिरकर 0% तक पहुंच गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब थोक मूल्य सूचकांक 0% तक पहुंच गया है और ऋणात्मक स्फ्रीति है तो खाद्यानों, खाद्य तेलों और अन्य विनिर्मित वस्तुओं जैसी अनिवार्य मदों के मूल्य आसमान क्यों छू रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि थोक मूल्य सूचकांक और सीपीआईएस द्वारा मापन में भिन्नता क्यों है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

विनिवेश प्रक्रिया: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनकी विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में सरकार के रुख के बारे में काफी कयास लगाए गए थे। पैरा 37 में वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि बैंकों और बीमा जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी क्षेत्र में ही रहेंगे और उन्हें सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी। क्या इसका अभिप्राय यह है कि अन्य उपक्रम विनिवेश की सूची में हैं?

राष्ट्रीय निवेश कोष: यद्यपि, बजट में राष्ट्रीय निवेश कोष को समाप्त करने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, तथापि, प्रेस में दी गई सूचनाओं से पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु इस कोष को समाप्त करने पर भी विचार कर रही है और इसे सामाजिक व्यय हेतु तथा वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग कर रही है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा हमें इस सभा में सभा के सत्र के दौरान भी कयासी प्रेस रिपोर्टों के भरोसे रहना पड़ेगा।

वितरण तंत्र: अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के पैरा 9 का उल्लेख करना चाहता हूं। मै। प्रसन्न हूं कि अंतत: सरकार वितरण तंत्र जैसे महत्वपूर्ण मामले को गंभीरता से ले रही है।

माननीय वित्त मंत्री ने वितरण तंत्र सुधार करने का मन बना लिया है और मेरे विचार से सभी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार की विभिन्न अग्रणी सामाजिक योजनाओं के गुणात्मक कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक है।

विभिन्न सरकारी एजेंसियों के नरेगा के कार्यान्वयन में लगी खराब वितरण तंत्र के कारण नरेगा की आंशिक सफलता के बारे में मीडिया में बहुत कुछ कहा गया है।

इस अधिनियम में रोजगार के लिए पंजीकरण कराने वाले किसी भी ग्रामीण परिवार के कम से एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में वायदा किया है कि नरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली वास्तविक दैनिक मजदूरी 100 रु. है। इन दोनों बातों को जोड़ दिया जाए, तो इसका तात्पर्य है कि यदि इस अधिनियम को उचित रीति से कार्यान्वित दिया जाए, तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी ग्रामीण परिवार एक वर्ष में कम से कम 10,000 रुपये तक कमा सकेगा।

लेकिन वास्तव में इस क्षमता का कितना उपयोग किया गया है? नरेगा के प्रचालन के तीन वर्षों अर्थात् 2006-2007, 2007-08 और 2008-09 के आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के पंजीकृत परिवारों में से औसतन केवल 50% परिवारों को ही रोजगार मिला। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को निर्धारित 100 दिनों में से केवल 50 दिनों का ही रोजगार मिला। संक्षेप में जो वायदा किया गया था, उससे बहुत कम दिया गया है। यह तो शुरूआत है लेकिन लक्ष्य अभी बहुत दूर है।

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय आंकड़े सही तस्वीर पेश नहीं करते। वास्तविकता यह है कि विभिन्न राज्यों में इसका कार्य निष्पादन अलग-अलग है। तीन वर्षों में पंजीकृत परिवारों को रोजगार प्रदान करने में महाराष्ट्र का प्रतिशत मात्र 13 है जबकि राजस्थान का प्रतिशत 73 है।

इसको देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सर्वप्रथम इस योजना के कार्यकरण की विस्तृत जांच की जाए।

मैं बजट भाषण का पैरा 69 देखकर प्रसन्न हूं जिसमें माननीय वित्त मंत्री ने नए आई.आई.टी. के लिए उच्चतर शिक्षा आबंटन को बढ़ाकर 450 करोड़ रु. किया है। मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री से यू.आर. राव समिति की सिफारिश के अनुसार हुबली-धारवाड़ में नए आई.आई.टी. खोले जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि धारवाड़ जिले में कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु शीतागार बनाए जाने के लिए निधियां उपलब्ध कराए, जो इस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है।

नए टेक्सटाइल क्लस्टर्स: मैं कर्नाटक राज्य, जहां वस्त्र उद्योग की अपार संभावनाएं हैं में नए टेक्सटाइल क्लस्टर्स बनाए जाने का भी अनुरोध करता हूं।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरु): यह बजट आम आदमी का बजट नहीं है, इस बजट का रुझान कुछ विशेष घरानों को लाभ पहुचाने की ओर है। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में कुछ ऐसे लक्ष्य रखे हैं, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधन जुटाना बहुत कठिन कार्य है।

हमारे देश की जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा अन्न का उत्पादन घट रहा है, अन्न उत्पादन के लिए जो कृषि क्षेत्र है वह भी घट गया है। खेती के लिए बजट में जो आबंटन किया है वे नाकाफी है, सरकार सिर्फ सस्ते कर्ज के भरोसे से खेती के विकास की दर चार फीसदी छू लेने का मंसूबा पाले बैठी है। आप इसे कैसे ले जाएंगे, आपने जो एलोकेशन किया है, जो सारे खर्चों का एक प्रतिशत है, इस स्थिति में चार प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना वास्तव में बहुत बड़ा लक्ष्य है। दूसरी और बीज, पानी कीटनाशक और पौष्टिक जरूरतों पर बजट में कंजूसी बरती गई है। खेती के सहयोगी कामकाज डेयरी, पशुपाल, मत्स्य एवं बागवानी पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। दलहन, तिलहन और गन्ने जैसी नगदी फसलों की पैदावार सालों साल घट रही है। यही हाल रहा तो चीनी का भी आयात करना पड़ सकता है। खेत घट रहे हैं, खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है। खेती की बुनियादी जरूरत सिंचाई मद में आबंटन थोड़ा 60 फिसदी हिस्सा असिंचित है, मानसून के भरोसे ही यहां खेती होती है। सिंचित क्षेत्र में भी पानी की किल्लत से सिंचाई परियोजना ठप होने लगी है। आपने बजट में नदियों को जोड़ने की कोई सार्थक घोषणा नहीं की है। कृषि को ठीक करने के लिए पानी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप पानी के लिए क्या करेंगे, अगर कृषि के लिए यही दृष्टिकोण रहेगा तो विकास दर कम होकर कहीं एक-डेढ़ प्रतिशत न रह जावे, अगर खेती में अनाज का उत्पादन कम होगा तो भूखमरी बढ़ेगी। मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया में 100 करोड़ भूखों में से 25 करोड़ भारत में निवास करते हैं। किसानों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कृषि के उत्पादन में जो खर्च लगता है, उस हिसाब से उत्पादन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज भारत के अंदर 70 से 75 प्रतिशत किसान कृषि पर निर्भर है। हमारी 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और भारत की कृषि व्यवस्था पर ही आर्थिक व्यवस्था निर्भर है। कृषि संबंधी स्थायी समिति व किसान आयोग ने 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की सिफारिश की, लेकिन उसकी भी अनुपालना नहीं हुई। आज पूरे देश के अंदर विशेष रूप से उत्तरी भारत इस समय भयंकर सुखे की चपेट में है। मैं समझता हूं कि सरकार सुखे से निपटने के लिए एक आपात कालीन योजना इस सदन के समक्ष लाएगी, राजस्थान में तो और भी बूरे हालात हैं। सिंचाई के पानी की बात तो छोड़िए पीने के पानी की भी विकट समस्या पैदा हो गई है, जल का भयंकर संकट है।

मैं अत्यंत पीड़ा के साथ यह बात कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने देशभर में भयंकर सूखे और आवश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्न के मूल्यों पर, इसके प्रभाव पर विचार नहीं किया। महंगाई के विषय में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2009-2010 के बजट में राजस्थान को कुछ भी नहीं दिया। बजट भाषण सुनकर राजस्थान की जनता को गहरी निराशा हाथ लगी है, डेढ़ घंटे के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी राजस्थान को केवल पावरलूम मेगा कलस्टर देकर टरकाने का काम किया है। अन्य केंद्रीय योजनाओं में हिस्सा बांटने के अलावा केंद्रीय बजट में राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला। लोक सभा चुनाव में 20 सांसद देकर कांग्रेस की झोली भरने वाला राजस्थान इस बजट में लगभग खाली हाथ लौटा। केंद्र व राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने का लाभ राजस्थान को नहीं मिला। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी.पी. जोशी के प्रभाव की छाया भी इस बजट में नहीं दिखी। राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है, आप वहां के लिए स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे हैं, सरकार की नीयत में खोट है। राज्य की विकास योजनाओं को रोकने का काम किया है, आप राजस्थान के साथ न्याय क्यों नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान में पीने व सिंचाई के पानी का भीषण संकट है। "वाटर ईमरजेंशी" जैसे हालाता राजस्थान में है। पानी पर विशेष दर्जा देना तो दूर की बात है, पानी का बजट में जिक्र तक नहीं किया गया और कोई अतिरिक्त सहायता देना भी मुनासिब नहीं समझा। प्रदेश में कुछ

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मिलने की बजाय केन्द्रीय करों में कम संग्रहण के कारण बजट अनुमानों में राजस्थान को अंतरिम बजट की तुलना में ही 384. 25 करोड़ का घाटा लग गया।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा परियोजना का पानी अन्य जिलों में ले जाना जर्मनी के सहयोग से संचालित आपणी योजना के द्वितीय फेज का जिक्र तक नहीं किया गया। चुरू जिले के रतनगढ़ व सूजानगढ़ में पीने के पानी का विकट संकट है, इसका हल उक्त योजना ही है। रिफाइनरी का बजट में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। प्रदेश में आईआईएम की स्थापना, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, हैण्डीक्राफ्ट क्षेत्र के लिए राहतकारी उपाय, मरू प्रसार के मुकाबले की योजना, बांसवाडा मे बिजली घर की स्थापना, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार व पर्यटन विकास की योजना आदि पर चर्चा तक नहीं की गई।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना को वर्षों पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वित्तीय प्रावधान कम होने व पंजाब द्वारा पानी नहीं देने के कारण आज तक नहर का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। समझौते के अनुसार पंजाब राजस्थान के पानी का शेष 060 एमएएफ हिस्सा नहीं दे रहा है। यही हालात सिधमुख-नोहर फीडर का है, इसके लिए 017 एमएएफ पानी नहीं दिया जा रहा है। बी.बी.एम.बी. में राजस्थान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने बार-बार दावा दिया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है।

वित्त मंत्री जी ने नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को 100 रुपए प्रतिदिन की वास्तविक मजदूरी देने का वादा किया है। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने नरेगा में 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की थी, लेकिन आज वास्तव में 100 रुपए प्रतिदिन से बहुत कम मजदूरी मिल रही है। काफी जगह तो 20 से 70 रुपए तक की मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। काम के नाम पर मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। इसमें कम से कम 100 रुपए मजदूरी मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। नरेगा के अधीन होने वाले कामों को स्थायी बनाने के मकसद से बजट प्रस्ताव में सरकार ने कुछ नए प्रयोग करने के संकेत दिया है, इसके तहत नरेगा को उत्पादकता व संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इससे पहले 115 जिलों में चलाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला चुरू व हनुमानगढ़ को जोड़ा जाए, जहां अकाल की छाया बार-बार रहती है। ग्रामीणों के पास आय का कोई साधन नहीं है। नरेगा के अंतर्गत जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उनका डामरीकरण किया जाए, ताकि उस पर खर्च किए गए धन का उपयोग हो सके।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के उठाए गए कदम नाकाफी है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 12 हजार पर खाली है, जबकि दो लाख नए शिक्षकों की आवश्यकता है। सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया है, उसी के तहत ब्लॉक स्तर पर छह हजार आदर्श विद्यालय भी खोलना चाहती है, लेकिन बजटीय प्रावधान काफी कम है, इसे बढ़ाया जाए।

बिजली का संकट दूर करने के लिए जो प्रयास किए हैं वे भी नाकाफी है। इस समस्या के समाधान के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। बिजली क्षेत्र के लिए 2009-10 का आम बजट निराशजनक रहा है।

लीगल सर्विसेज भी सर्विस टैक्स के दायरे में लाने का काम किया है, इससे वकीलों में भारी रोष है, इसे वापिस लिया जाए।

बीपीएल सूची की पुनरीक्षण होनी चाहिए इस सूची में आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। शहरी गरीबों के साथ भी कोई न्याय नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

***श्री जी.एम. सिद्देश्वर** (दावणगेरे): वर्ष 2009-10 का सामान्य बजट दिशाहीन और निराशाजनक है। इसमें कुछ नया नहीं है जबकि देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए आर्थिक सुधार हेतु कोई कार्यनीति नहीं बनाई है। हमारा देश आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों तथा बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। माननीय वित्त मंत्री आर्थिक मंदी की चुनौती का सामना करने में विफल रहे हैं।

वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है। इस उद्योग पर भी वैश्विक आर्थिक मंदी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने बजट में वस्त्र उद्योग को पुनरुजीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। माननीय वित्त मंत्री ने बजट में 1.20 करोड़ नौकरियों का सृजन करने का वादा किया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। समग्रत:, इस बजट में कोई नई बात नहीं है।

जहां तक कर्नाटक का सबंध है, यह बजट निराशजनक और निरुत्साहित एकाध करने वाला है। हमने एकाध अनुरोध किए थे जैसे कि बंगलौर शहर में अवसरंचना के विकास हेतु 8000 करोड़ रुपए का आबंटन और वर्ष 2007 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई 2,380 करोड़ रुपए की ऋण माफी योजना के लिए

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर तथा भाषण सभा पटल पर भी रखा गया।

1880 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति, लेकिन भारत सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

कर्नाटक में 84 ताल्लुक सूखे और बाढ़ से जूझ रहे हैं हमने प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास हेतु 2019 करोड़ रुपए की देने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने बार-बार किए गए हमारे अनुरोधों को अनसुना कर दिया है। लेकिन सरकार ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को बाढ़ और चक्रवात के लिए विशेष अनुदान दिया है। यह कर्नाटक के प्रति केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वर्ष 1991 से अब तक 18 सामान्य बजट प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से 14 बजट पेश होने वे बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई थी। श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट भी इसका अपवाद नहीं है। उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन की उम्मीद थी, लेकिन यह क्षेत्र इस बजट से निराश है क्योंकि इनमें उनके लिए कुछ नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वह गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए जिन राहत उपायों की घोषणा की है, उससे किसानों को बहुत कम लाभ मिलेगा। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए बजट आबंटन को बढ़ाकर 3.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, लेकिन मेरे विचार से यह धनराशि बहुत कम है, क्योंकि 70 प्रतिशत लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि बजट में कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है। कर्नाटक सरकार प्रतिवर्ष 3 रुपये की ब्याज दर से कृषि ऋण प्रदान कर रही है हमने केन्द्र सरकार से भी यह आशा की थी, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

सरकार ने 'आदर्श ग्राम' योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए 1000 गांवों में से प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया है। यह धनराशि अपर्याप्त है। कर्नाट सरकार ने 'सुवर्ण ग्राम' योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के लिए एक करोड़ रुपऐ दिए जा रहे हैं। अत: केन्द्र सरकार को इस धनराशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने पर विचार करना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में 'आम आदमी' पर विशेष ध्यान दिया है, लेकिन वह आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित कर आम आदमी को राहत देने में विफल रहे हैं आम जनता दयनीय स्थिति में जीवन जी रही है। यह सरकार पेट्रोल, डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने तथा बिजली की समस्या का समाधान करने में विफल रही है।

सरकार के केवल कुछ कार्यक्रम जैसे 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना, 'नरेगा' के आबंटन को बढ़ाना, भारत निर्माण, सर्व शिक्षा अभियान अच्छे हैं। इनके अलावा यह बजट निराशाजनक और निरुत्साहित करने वाला है।

[हिन्दी]

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): मुझे बजट पर अपने विचार रखने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने सन् 2009-10 जो बजट संसद में पेश किया है, वह देश की जनता की अपेक्षाओं से बहुत दूर है और देश की समक्ष जो महामंदी आर्थिक समस्या खड़ी है उसका सामना करने में अक्षम और अपर्याप्त है। इट इज सैड विमस आर मोर स्वीट देन रियालिटि, वित्त मंत्री जी की कल्पना मधुर है। लेकिन वास्तविक नहीं है। कागज के फूल दिखने में सुंदर है लेकन खूसबु नहीं दे सकते हैं। इसी बजट में न कोई दिशा, न कोई दर्शन है। लोगों के आशाओं और आकांक्षाओं से विपरित है। माननीय अध्यक्ष जी हमारा देश छोटे-छोटे गांवों का बना हुआ है और गांवों का बना इस देश में 78 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है गांव का किसान अपना लहू पसीना एक करके हमारे लिए अन्न पैदा करता है, अपने बाल-बच्चों को भूखा रखकर वह हामरे लिए भोजन परोसता है। ये किसान का हाल आज बेहाल है। हमारे गुजरात के एक कवि करण दास माणिक की चार पंक्ति मैं पेश करता हूं।

''कामधेनु पामती ना एक सुकू तनकलू।
ने लीली छम खेतरो आखला चरि जाए छे।।
छे गरीबो ना कुआं मा तेल टीपू दोहल्यू।
ने श्रीमंतोनी कबर पर गीना दिवा थयेछे।।
देवडीये दण्ड पामें चोर मुठी जारना।
ने लाखे लूटनारा महफिले मण्डायेछे।।
एज समझा तू नथी के केयम आऊथ थायेछे।''

महोदया, हम किसानों को जगत के नाथ के स्वरूप में जानते हैं। लेकिन इस मेहनतकश किसान की चिंता करने में वित्त मंत्री जी विफल रहे हैं। इस बजट में किसानों को क्या मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। इस सरकार में जो बेईमानी से अपना काम करता है, उसे सजा ही सजा है। जिन्होंने चार पांच साल तक बैंकों के लाखों रुपयों के कर्ज भरे नहीं, उनके कर्ज सरकार ने माफ कर दिए हैं और जिन किसानों ने ईमानदारी में नियत समय मर्यादा में अपने कर्ज बैंकों में भरपाई किए उन्हें इस बजट में क्या मिलता है, ब्याज में सिर्फ एक प्रतिशत की रियायत मिलती है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

क्या यह वाजिब है। मैं मांग करता हूं कि ईमानदार किसानों को पांच साल तक ब्याज माफी की योजना बनाओ और किसानों को प्रोत्साहन दो। महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह है साबरकांठा वहां का किसान मेहनतकश है। ईमानदार है और प्रमाणिक है। लेकिन सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा टुकड़े में बंटी हुई जमीन और कम वर्षा के कारण किसान बहुत गरीब है। यह किसान गरीब होते हुए भी ईमानदार है। अपने बैंक के कर्ज को नियम से भरता है। इन सभी किसानों के पांच साल के ब्याज माफ कर देना चाहिए। यह मेरी मांग है।

अब मैं वित्त मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वित्त मंत्री जी ने आवास योजना के लिए अच्छी खासी रकम मुहैया कराई है। लेकिन इसमें बीपीएल का जो मापदण्ड रखा है, यह उचित नहीं है। क्योंकि गांवों में कहीं गरीब ऐसे भी हैं जो बीपीएल की सूची में नहीं है और सिर्फ इसी बजट से वे मकान के लाभ से वंचित रह जाएंगे। मैं सुझाव करता हूं कि जैसे नरेगा में बिना कोई मापदण्ड से जो गरीब है उसे मजदूरी मिलती है। वैसे ही जो गरीब हैं उसे छत मिलनी चाहिए। मेरी मांग है कि आवास योजनाओं के आबंटन में बीपीएल का माप दण्ड हटाना चाहिए। यूपीए सरकार अपने को गरीबों का मसीहा समझती है। लेकिन काम अमीरों के फायदे के करती है। इस बजट में कपड़े महंगे हैं और कार सस्ती है श्रीमंतो के लिए लड्डू है और गरीबों के लिए सूखी रोटी भी नहीं है। मेरी यह मांग है कि मेरी सभी मांगे पूरी करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमेन मित्रा (डायमंड हार्बर): सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2009-10 संबंधी वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया। चूंकि यह मेरा इस सम्मानीय सभा में पहला भाषण है, अत: मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बात करूंगा।

समाज के सभी वर्गों के लोग प्रत्येक वर्ष यह देखने के लिए सामान्य बजट प्रस्तुत होने की प्रतीक्षा करते हैं कि बजट से उनकी समस्याएं कैसे हल होंगी और उन्हें इससे क्या वित्तीय फायदा होगा। बड़े औद्योगिक घराने भी यह आशा करते हैं कि प्रत्येक बजट से उन्हें भी थोड़ी रियायत या छूट मिलेगी।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा यूपीए-II सरकार के इस पहले सामान्य बजट में, हमारे देश के बुनियादी मुद्दों को सम्बोधित किया गया है। यह एक समग्र विकास केन्द्रित बजट है जो नीति की सतृतता और वैश्विक मंदी से लड़ने को सुनिश्चित करता है। यह बजट पूरे देश की अवसंरचना विकास में योगदान करेगा। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की सहायता करने की प्रेरणा से विनिर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ेगी और हमारा विकास लक्ष्य पुन: 9 प्रतिशत होगा। यह बात जो एक खर्च करने वाला बजट है, देश को पुन: विकास के मार्ग पर तेजी से चलने में मदद करेगा। पीपीपी के माध्यम से अवसंरचना विकास पर बल देना एक स्वागत योग्य कदम है। असम मैस क्रैकर प्रोजेक्ट, नेथबल गैस ग्रिड के अध्ययन से वित्त मंत्री ने ऊर्जा, तेल और गैस क्षेत्रों में राशि निवेश का प्रस्ताव रखा है, जो देश में ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक सकारात्मक कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु योजनागत परिव्यय में वृद्धि द्वारा लोगों के स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करना एक और सराहनीय पहल है।

एक बीटी में हटाना एक बड़ा संकेत है। माननीय वित्त मंत्री ने सभी विनिर्माण व्यापारों में अनुसंधान और विकास कार्यों पर हुए खर्च में 150 प्रतिशत की भारी कमी से संबंधित प्रावधानों की संभावना की घोषणा की है। यह कदम निश्चित रूप से बढ़ती हुई उपभोक्ता मांग को पूरा करने पर दलित उद्योग में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को आवश्यक तेजी प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह नोट करके निराशा होती है कि निगम कर दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में भी दरों में कमी करने की आवश्यकता है।

मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में बदलते हुए परिदृश्य सहित देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को समझा है। यह संतोष की बात है कि वर्ष 2009-10 के लिए कृषि ऋण प्रवाह हेतु 3,25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो वर्ष 2008-09 से 38,000 करोड़ रुपए अधिक है। जो किसान अल्पकालिक फसल ऋण का भुगतान नियत समय पर करते हैं, उनके लिये ब्याज दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर आ जाएगी, जिससे कि इन किसानों पर लगने वाले वित्तीय भार में कमी आएगी। माननीय मंत्री ने महाराष्ट्र के उन किसानों जिन्होने निजी साहूकारों से ऋण लिया था और जो ऋण माफी योजना में नहीं आते, के मामलों की जांच कराने हेतु एक कार्य बल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे राज्य पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही हालतो से घिरे किसानों के मामले की भी जांच करे।

मैं कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 के अन्तर्गत किसानों द्वारा अतिदेय के भुगतान की अवधि 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ाने के लिए भी माननीय मंत्र का धन्यवाद करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं नामत: नरेगा, एनएफएसए, ऑल निर्माण, प्रधामंत्री आदर्श

ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, एसजीएस, महिला स्व सहायता, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला साक्षरता, समेकित बाल विकास योजना आदि द्वारा संवेदनशील वर्गों (आम आदमी) के जीवन स्तर हेतु मूल सुविधाएं प्रदान करने और कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों के सशक्तिशकरण के अवसर प्रदान करने का वादा किया है।

कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों हेतु विभिनन कल्याण योजनाएं प्रस्तावित की गई है और योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है, इन योजनाओं में उचित ढंग से कार्यान्वित करने हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित की गई है।

मैं इसके आंकड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथियों ने पहले ही माननीय सभा में उनका उल्लेख कर दिया है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इन योजनाओं के उचित और सीघ्र कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर आबंटित निधियों की चोरी को नियंत्रति करें।

सभापति महोदया: आपका समय खत्म हो चुका है। आपकी पार्टी के लिए पांच मिनट है और अभी तीन सदस्यों को बोलना है।

श्री सोमेन मित्रा: मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 15,000 रुपये बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये 2.4 लाख रुपये को 1.9 लाख रुपये और व्यक्तिगत कर दाताओं की सभी अन्य श्रेणियों हेतु 10,000 रुपये बढ़ाकर 1.5 लाख की सीमा को 1.6 लाख रुपये कर दिया है और ऐसे आश्रित, जो गंभीर विकलांगता से ग्रस्त है, उनके चिकित्सा उपचार की 75,000 रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने सहित रखरखाव के संदर्भ में धारा 80 डीडी के अधीन छूट को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है।

इस छूट से लोगों को कुछ राहत मिलेगी परंतु मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए, जिसके कारण लोगों को दिन प्रतिदिन की अपनी आजीविका के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है, छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कृषि भारत की रीढ़ है अत: कृषि से होने वाली आय को आयकर से पूर्णत: बाहर रखा गया है, महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु महिलाओं को विगत कुछ वर्षों से आयकर में विशेष छूट सीमा दी गई है।

देश की वृद्धि और विकास के लिए, देश में शांति होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में शांति बनाए रखने के लिए हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं।

सभापति महोदया: आप यह दस्तावेज सभापटल पर रख सकते हैं। वैसे भी आप यह यहां पढ़ रहे हैं।

श्री सोमेन मित्रा: मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने और उन्हें महत्व देने के लिए उनकी आय को आयकर से पूर्णत: बाहर रखना चाहिए अथवा उन्हें विशेष छूट दी जानी चाहिए।

आईपी और बीपीओ उद्योगों के लिए भी, यह बजट अत्यंत सकरात्मक है क्योंकि इसमें सभी मुद्दों को शामिल किया है। एसटीपी आई योजना के अंतर्गत छूट का 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाया गया है।

सेज इकाइयों हेतु कर अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है। इस बजट से भारतीय आईटी और बीपीओ उद्योग को वैश्विक स्तर पर बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।

इस बजट में निर्यात संकट से गुजर रहे क्षेत्रों के लिए राहत जारी रखने के साथ-साथ तेल और गैस ऑटो रत्न और आभूषण जैसे अन्य क्षेत्रों के कर तथा अन्य लाभ प्रदान किस गए हैं। जिनके फलस्वरूप मिलने वाले लाभों से इन क्षेत्रों को सहायता मिलेगी। परन्तु बजट में उर्वरकों और पेट्रोलियम क्षेत्रों में राजसहायता के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सोमेन मित्रा: कृपया एक मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदया: आप अपने भाषण को सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री सोमने मित्रा मैं ऐसा ही करूंगा। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

सरकार ने पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण तंत्र की निगरानी करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है और भावी उर्वरक नीति हेतु निर्देश भी निर्धारित किए हैं, परन्तु, इन पहलों के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिससे इन क्षेत्रों में इकाइयों हेतु लघु अवधि लिक्विडिटी पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है। आपके माध्यमस से मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रत्येक बजट के दो पक्ष होते हैं, आय और व्यय। जहां तक संभव है इस बजट में इन दोनों पक्षों के बीच एक उचित संतुलन बनाया गया है।

परन्तु, राजकोषीय धारा जिसकी स्थिति चिंताजनक है कि दीर्घावधि में उपेक्षा नहीं की जा सकती।

यद्यपि वित्त मंत्री का ध्यान विकास पर केन्द्रित है और उनका लक्ष्य अर्थव्यवस्था के लिए 9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करना है परन्तु, 6.8 प्रतिशत का उच्च राजकोषीय घाटा एक भारी चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है हमारे माननीय वित्त मंत्री अपने विवेक से इस खाई को पाटने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय करेंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: महोदय मुझे खेद है। मैं अब भी बंस गोपाल चौधरी को आमंत्रित करती हूं।

श्री सोमेन मित्रा: महोदया, मैं इस घाटे से उबरने के लिए निम्नलिखित सुझाव देता हूं। सरकार को चीन और अन्य देशों से घटिया उत्पादों के अपने देश में प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने के लिए उच्च आय समूहों पर अधिक कर लगाना चाहिए और भारतीयों द्वारा कर मुक्त देशों में जमा किए गए काले धन को वापस लाने के लिए विधायी और अन्य कार्यवाही करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रखता हूं।

सरकार के व्यर्थ खर्चों में कमी की जाए और सरकार को अपने खर्चों में भी कुछ किफायत बरतनी चाहिए। सिगरेट, सिगार, पान पराग, तंबाकू उत्पाद, शराब पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाए जिससे अप्रत्यक्ष की राजस्व की प्राप्ति अधिक होगी और मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों की धूम्रपान की आदत में कमी के साथ-साथ उनके चिकित्सा खर्चों में भी कमी आएगी, लौह अयस्क, प्लास्टिक और कपास जैसे कच्चे माल पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की जाए, घरेलू उद्योग को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए, चीन और दूसरे देशों द्वारा भारत में घटिया माल पाटने पर रोक लगाई जाए, राजकोषीय घाटे में कमी करने हेतु उच्च आय वर्गों पर अधिक आयकर लगाया जाए, भारतीयों द्वारा मुक्त देशों में जमा किए गए काले धन को वापस लाने के लिए विधायी और अन्य कार्यवाही की जाए।

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात यह बजट प्रस्तुत किया है। जैसा कि आपको जानकारी है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को संसद और मंत्रालय के कार्यों का भी बहुत अनुभव है। बजट की बारीकियों में जाने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से वित्त मंत्री जी की आलोचना नहीं करना चाहता परन्तु, मैं केवल बजट में व्याप्त विसंगतियों पर बोलूंगा।

यह बजट विरोधाभासों से भरा है और माननीय वित्त मंत्री जी ने सप्रंग सरकार की नीति के अनुसार यह विसंगतियों से भरा हुआ बजट पेश किया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को 'आम आदमी' का बजट कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि यह आम आदमी का बजट है या सप्रंग सरकार के किसी खास आदमी का बजट है। इस बजट में किसके हितों की रक्षा की जा रही है? मंत्री महोदया ने इस बजट में बहुत सी बातों को स्पष्ट किया है परन्तु मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक पर्यवेक्षक का उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्री कोहली ढिल्लों और अन्य सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों ने यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थित पर दोनों ओर से वार किया जा रहा है एक तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर से वार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की ओर से यह वार किया जा रहा है जिनके हितों की सरकार द्वारा रक्षा की जा रही है।

बजट से यह देखा जा सकता है कि सरकार ने समृद्ध लोगों के 4.18 करोड़ रुपये बचाए हैं। वे देश या उद्योगों के विकास के लिए इस धनराशि का निवेश कभी नहीं करेंगे। यह एक विरोधाभास है क्योंकि यह सब उदारीकरण और भारत सरकार की नई उदार आर्थिक नीति के माध्यम से हुआ है। यह कोई नई बात नहीं है। 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आईं तो उन्होंने बड़े व्यासायिक घरानों के सहयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाना आरंभ किया। हमारे पास योजना आयोग हैं जो कि योजनाएं बनाता रहता है। आप देख सकते हैं कि बजट में सामाजिक क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षा, आईसीडीएस परियोजना या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु कोई ठोस आबंटन नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए कम-से-कम आबंटन किया गया है। पिछले सत्र में हमने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में विस्तृत चर्चा की। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम आबंटन किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार की क्या नीति है यह बजट या किसी अन्य दस्तावेज में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में विरोधाभास है। आपको जानकारी होगी कि सभा में बजट पेश करने के बाद दो तीन

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मंत्रियों ने संसद में वक्तव्य देने की बजाय समाचार पत्रों में वक्तव्य दिया है जो कि मेरी राय में बहुत अनियमित है। संसद सत्र चल रहा है इसके बावजूद वे संसद से बाहर यह वक्तव्य दे रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों के विनिवेश की कार्यवाही चल रहा है और वे विनिवेश कार्यवाही जारी रखेंगे। उदाहरण के लिए आज के समाचार पत्र में ही केन्द्रीय कोयला मंत्री ने कोल इंडिया के विनिवेश के बारे में चर्चा की है। कुछ दिन पहले, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के बारे में भी ऐसी खबरें थी। यह अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस प्रकार की कार्यवाही रोकने का निवेदन करता हूं। इस बजट सत्र के बाद, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र चाहिए। वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार लोगों के अधिकार अर्थात् सार्वजनिक उपक्रमों को नहीं बेच सकती। मेरा इसमें दृढ़ विश्वास है और मैं कहना चाहता हूं कि यह लोगों का अधिकार है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सार्वजनिक इकाइयों में लोगों का ध न लगा हुआ है लेकिन अब उनके विनिवेश के बारे में चर्चा चल रही है।

दूसरा, कृषि मजदूरों और जो गांवों में रह रहे हैं उनके लिए कोई आबंटन नहीं किया गया जोकि न्यूनतम आवश्यकता है। ये लोग आंशिक रूप से रोजगार पाते हैं और इन्हें पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। गांवों में यह त्रासदी है कि लोगों के पास कुछ ही दिनों का रोजगार होता है। यदि आप कृषि क्षेत्र में सरकार की ओर से ऋण अनुमोदन और अन्य बातों सहित निवेश को देखें, तो इससे बचा जा रहा है। इसमें अनेक बातें हैं। अपने भाषण में उन्होंने अनेक बातें कहीं हैं। उन्होंने कृषि मजदूरों और किसानों के संरक्षण के लिए अनेक बातों का उल्लेख किया है। लेकिन जो लोग ऋण या अन्य बातों के लिए बैंक जा रहे हैं वे हमारे देश के निर्धन लोग या निर्धन किसान नहीं है। वे साहूकारों के पास जाते हैं और इसके लिए उन्होंने पहले ही कहा है कि वे महाराष्ट्र के लिए कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन केवल महाराष्ट्र ही क्यों? क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है? हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वे निर्धन है। कुछ राजनीतिक दल दूसरे दृष्टिकोण से नामत: सांप्रदायिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ राज्यों में कुछ राजनीतिक दल इसका प्रयोग अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक नहीं हैं। उन्हें मनमाने तरीके से चलने की अनुमति नहीं रही है। हमारे देश के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था। सच्चर समिति की रिपोर्ट आ गई है लेकिन सरकार विगत 42 वर्षों से क्या कर रही थी। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था। अचानक, सच्चर समिति आ गई। वे क्या करेंगे? सच्चर समिति धन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती और विशेषकर यह एक राज्य के लिए नहीं है। अत: योजना आयोग द्वारा पांच वर्ष के लिए धन आबंटन की चर्चा की जानी चाहिए।

अन्तत:, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए सुविधाएं अपर्याप्त हैं। जहां तक नरेगा का संबंध है, यह एक अलग मामला है। नरेगा में कुछ किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण विकास क्षेत्र में निर्धनों के लिए वे योजनाएं केन्द्र की ओर से चल रही है और राज्य इनकी देखरेख कर रहे हैं। अत:, इसमें कुछ अन्तर है। जब इसका वितरण ग्रामीणों और निर्धन लोगों में किया जा रहा है। तो वे कुछ बातें पसंद करते हैं। और कुछ बातें पसंद नहीं करते। वे वास्तविकता नहीं जानते। शहरी क्षेत्रों के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण की तरह, शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सुविधाओं की क्या स्थिति है? यह परियोजना प्रत्येक राज्य में विलंब से चल रही है क्योंकि इसमें बैंकों से ऋण लेने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों के ये निर्धन लोग, जो बस्तियों के निवासी हैं, बैंकों में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका अनुभव बहुत बुरा रहा है।

अपराह्न 04.00 बजे

उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? स्थानीय निकाय या सरकार ने उनकी सहायता के लिए उनकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है और परिणामत: उन्हें ऋण नहीं मिलते हैं।

जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरंभ में ही कहा मैं पुन: दोहराता हूं कि यह बजट विरोधाभासों से पूर्ण है। इस सरकार ने 80 के दशक के अन्त में सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की थी और परिणामत: सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकार बनाए गए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार ने दुर्गापुर में एमएएमसी के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। भारी उद्योग मंत्रालय इसके बारे में मौन है। सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स कारखाने की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। यह बहुत अच्छा सार्वजनिक उपक्रम था लेकिन अब घाटे में चल रहा है। क्या इसका राजनीतिककरण होना चाहिए?

महोदया, इन कारणों की वजह से मैं इस बजट का समर्थन नहीं करता और माननीय वित्त मंत्री से सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीति की समीक्षा करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदया। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने का मौका दिया।

अपराह्न 4.01 बजे

[**डॉ. एम तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

बजट बहुत बड़ा है और इस पर 10-15 मिनट में बोलना संभव नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। मैं आपका ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर पर केन्द्रित कराना चाहूंगा। एग्रीकल्चर डैवलेपमेंट की बात माननीय मंत्री जी ने पेज 6 पर कही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस साल कम से कम चार प्रतिशत ग्रोथ होगी। लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी भूल गये कि केवल 15 दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि पिछले 15 साल से एग्रीकल्चर का उत्पादन और ग्रोथ एक प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना होम-वर्क नहीं किया जो ऐलान कर दिया कि हम इस सेक्टर में चार प्रतिशत की ग्रोथ ले लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने टोटल जीडीपी का एक प्रतिशत खर्चा एग्रीकल्चर में किया है और आपने अपने भाषण में पेज 5 पर कहा है कि 62 प्रतिशत आदमी गांव में रहता है जो एग्रीकल्चर से कनैक्टिड है। सही बात यह है कि एग्रीकल्चर से कनैक्टिड 70-75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। 70-75 प्रतिशत जनता को सिर्फ एक प्रतिशत जीडीपी का देना, इस बात को इंगित करता है कि यह बजट वीआईपी लोगों का है, खास लोगों का है, आम लोगों का नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि परसों राज्य वित्त मंत्री माननीय नमोनारायन जी ने राज्य सभा में कहा कि वर्ष 1971 में किसान पर कर्जा, प्रति-परिवार 431 रुपये था और वर्ष 2003 में प्रति परिवार, किसान पर कर्जा 12058 रुपये है। करीब 25 प्रतिशत किसान पर कर्जा लादा गया है। वर्ष 2009 में यह राशि 20,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी की गलती नहीं है, लगता है कि जो बजट बनाते हैं, जो नार्थ-ब्लॉक की ब्यूरोक्रेसी है, उनका ध्यान स्टॉक-एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन कल्चर और पांच सितारा कल्चर की ओर है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जितनी मारुति गाड़ियां और पांच सितारा कल्चर की ओर है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जितनी मारुति गाड़ियां बन जाएं, चाहे जितनी आप फैक्ट्रियां लगा लें, लेकिन जब तक किसान की तरक्की नहीं होगी, भारत वर्ष की तरक्की नहीं हो सकती है, यह सिद्ध हो गया है।

अगर 15 दिन मानसून लेट हो जाए तो सारी की सारी व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी की हालत देखिये। हमारे माननीय कृषि मंत्री पवार साहब का 80 से 90 प्रतिशत समय क्रिकेट और बीसीसीआई पर लगता है। वे हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, किसान की क्या व्यवस्था है, इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। अभी किसान के गेहूं का मूल्य 1080 रुपया क्विंटल तय किया है। मैंने कैलकूलेशन की है, वह मैं आपके पास सभापटल पर रख दूंगा, एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में कम से कम 950 से 1000 रुपये का खर्च आता है। आपने 1080 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य तय किया है।...*(व्यवधान)* माननीय पाल साहब नहीं कह सकते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं सदस्यों के बीच कोई बहस नहीं चाहता। माननीय सदस्य श्री विजय बहादु सिंह, पीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य पीठ को संबोधित करें और समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह: हमारा और पाल साहब का रिश्ता क्लाइंट और मुवक्किल का भी रह चुका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री विजय बहादुर सिंह का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह: महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हॉकी के खेल में इंटरप्शन होता है, उस समय को डिलीट करके समय बढ़ा दिया जाता है, वैसे ही हमारा समय भी बढ़ाया जाए, तब ये लोग चुप होंगे। पाचास साल कांग्रेस की कार्यकारणी की वजह से दुर्दशा है कि किसान सड़क पर आ गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, पीठ को संबोधित करें और समाप्त करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह: महोदय, मैं अपना भाषण सभापटल पर रख दूंगा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इतना कम है, तो बेहतर होगा कि नया सिस्टम बनाया जाए, जिससे कि हम लोग घर पर बैठे रहें और अपनी स्पीच यहां भेज दें। जैसे कम्प्यूटर में ई-मेल सिस्टम है, वेबसाइट में अपनी स्पीज भेज दें और यहां आने की जरूरत न पड़े। जब आदमी बोलता है, उस बात पर एक्शन लिया जाता है। किताबों में तो बहुत बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने अपनी बात लिखी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अधिक सदस्यों को मौका देने के लिए सदस्यों को अपना भाषण सभा पटल पर रखने के लिए कहा जाता है। हम प्रत्येक सदस्य को अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा हम सभी 540 सदस्यों को अवसर कैसे दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह: महोदय, मैं अपनी बात आधा मिनट में समाप्त कर दूंगा। नरेगा, लोन माफी आदि स्कीम्स एकदम फ्लाप स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स का फायदा केवल कांग्रेस पार्टी को वोट दने के लिए हुआ है। मैं मिड डे मील योजना के बारे में भी कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि गांव का गरीब आदमी अपने बच्चों को खाना खाने के लिए स्कूल नहीं भेजता है, बल्कि पढ़ने के लिए भेजता है। मैंने अपने चुनाव अभियान में पहली बार देखा कि दिनभर बच्चों से खाना बनवाते हैं और जैसे ही खाना खत्म हुआ, छुट्टी हो जाती है। सिर्फ दो आदमियों को फायदा होता है, एक-मास्टर और दूसरा-गांव के प्रधान और सैक्रेटरी साहब को।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री विष्णु पद राय जो भी उन्हें, कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

महोदय, अगर आप इजाजत दें, तो मैं अपनी स्पीच सभापटल पर रखता हूं।

*महोदय, समय इतना कम है कि 139 पैराग्राफ की बजट स्पीच के बारे में टिप्पणी देना असंभव है।

अत: मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि एवं सांसद होने के नाते अपनी बात सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में केन्द्रित करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं कि किसी भी बजट में दो पहलू होते हैं।

1. अल्पावधि बजट

2. दीर्घावधि बजट

शार्ट रन बजट में मुख्य फोकस रेवन्यू रिसिट, लोन रिसिट, टोटल एक्सपेन्डीचर, लोन नेट पेमेंट आदि आते हैं और लांग रन बजट में सरकार की भविष्य की नीति रिफार्म प्रोसेस और एक दिशा निर्देश मिलता है। मैंने इस बजट का काफी गहराई से अध्ययन किया उसी गहराई से जैसे मैं अपने वकालत पेशा में किसी मुकदमें की तैयारी करता था। मैंने पाया कि यह बजट दिशा विहीन है न सार्ट रन न लांग रन।

मैंने पिछले 24 घंटे मे स्वयं अन्त:करण से, सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्शन से समझने की कोशिश की कि दिशा विहीन बजट का क्या कारण है। मैं जानता हूं कि आप सदन के नेता ही नहीं लेकिन इस सदन में वित्त मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा अनुभव आप के पास है परंतु बजट की तैयारी में जो आपकी नार्थ ब्लाक की टीम है बयूरेक्रेटस उनकी आस्था, रूचि और उद्देश्य महानगरीय संस्कृति तथा सिर्फ सैंसेक्स के उतार चढ़ाव तक ही केन्द्रित है। इस दिशाविहीन बजट में छुपा हुआ एजेंडा और पांच सितारा कल्चर बिल्कुल साफ परिलिक्षित दे रहा है।

उदाहरणस्वरूप जब दिनांक 02.07.2009 को पार्लियामेंट खुली तो उसी समय (11 बजे) सांसदों का ज्ञात हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दाम रुपये 4 और रुपये 2 आधी रात को बढ़ा दिया गया है। जबकि इस गरिमामय को खुलने में 12 घंटे शेष था। मुझे पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने में कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम कांग्रेस की बोनाफाइडी का परिचय और पुनरावृत्ति बताती है और खासकर इसका समय, जब तेल के दाम बढ़ाए गए ये पूरे भारत के सब लोग मानते हैं कि आप लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और खासकर आप की बोनाफाइडी हमेशा संदिग्ध हैं और आपको बैंक डोर से आने की महारत हासिल है। इस कदम को मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण और इससे आपकी लैक ऑफ बोनाफाइड का परिचय मिलता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

इसी परिप्रेक्ष्य मे मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक आम आदमी के बजट का नामांकरण किया है परन्तु इस बजट में आम आदमी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है।

छोटे-मोटे टैक्स में छूट, इनकम टैक्स में छूट 10 हजार की राहत, लोन माफी आदि कास्मेटिक टच है, मुद्रास्फ्रीति का नियंत्रण, उत्पादन कैसे बढ़े ग्राम्य विकास कैसे हो, इन सब के बारे में आप के बजट में सिर्फ जिक्र है पर कोई प्रभावी कदम जिससे कोई रिजल्ट हासिल हो, बिल्कुल नहीं है। बजट स्पीच पेज 1 पैराग्राफ 5 डी और पेज 6 पैराग्राफ 27, 28, 29 और 30 अब मैं सीधे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके ओपनिंग स्पीच के पेज 1 में आपने अपने मान्यताओं के बारे में जिक्र किया परन्तु पेज 6 पैराग्राफ 27 से 30 में एग्रीकल्चर डवेलपमेंट के बारे में संक्षिप्त में एक जिक्र है।

आपका कथन कि खेती सेक्टर में 4 प्रतिशत वृद्धि होगी ये बिल्कुल भ्रामक और मिथ्या है।

आप का किसान विशेषकर उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड में हर खेत में पानी और हर गांव में बिजली की व्यवस्था की प्रमुख मांग है। बुन्देलखंड में पानी का अकाल है, गहरे ट्यूबबेल बनवाने पड़ते हैं क्योंकि नीचे काला पत्थर है और ये काम लोन लेकर किसान नहीं कर सकता।

दूसरी बात एक बीघा खेत को सीचने में 2000 रुपये का डीजल खर्च होता है और एक एकड़ की सिंचाई 4500 हजार रुपया सिर्फ डीजल का खर्चा है और इतने सिंचाई करने के बाद भी एक एकड़ में 4500 कीमत की अनाज की वृद्धि नहीं होती। अत: डीजल के द्वारा सिंचाई करने में आमदनी से ज्यादा खर्च है।

इससे निजात पाने में निरंतर खासकर सिंचाई सीजन में 15-20 घंटा बिजली की आवश्यकता है, जबकि पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होती।

एक एकड़ सिंचाई में 2500-3000 रुपया डीजल खर्च होता है। यदि इसी को तीन बार दोहराया जाए तो डीजल के द्वारा पम्प से सिंचाई करने में किसान को नुकसान है।

माननीय वित्त मंत्री की सोच में एक आधारभूत परिवर्तन मैं चाहता हूं लोन देने से और लोन माफी से न किसानों को भला होने वाला है न ही उत्पाद मे वृद्धि होगी इस बारे में मेरा निम्न तर्क है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि एक क्विंटल गेहूं उत्पादन करने में न्यूनतम साढ़े नौ रुपये की लागत है। एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में किसान को सिर्फ 80 रुपये की आमदनी होती हैं तो 100 क्विंटल पैदा करने में सर्फि 8000 रुपये की आमदनी होगी और उत्तर प्रदेश में 5 प्रतिशत भी किसान नहीं है, जो 100 क्विंटल की पैदावर करते हों। ग्रामीण में रुपये 877 करोड़ जिसमें सिंचाई आदि भी आती हैं ये बहुत कम है।

किसान की पैदावार का उचित मूल्य और किसान की पैदावार हेतु जो सामग्री जैसे बीज, यंत्र, ट्रेक्टर, डीजल, बिजली आदि रिआयती दाम में नहीं मिलेगी तो अगले 50 साल में भी किसान की जीवन स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी।

भारत सरकार की वित्त राज्य मंत्री माननीय नमो नारायण मीना जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 1971 में प्रति ग्रामीण परिवार का 437 कर्ज था, जो 2003 में 12585 रुपये हो गया है यानी 25 गुना कर्ज में इजाफा हुआ और इसके साथ यह भी कटु सत्य है कि प्रति साल एक लाख से ज्यादा किसान पूरे भारत में आत्महत्या कर रहे हैं।

एक एनजीओ नेशनल सैम्पल सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान में प्रति किसान की आमदनी 17976 रुपये है वही उस पर 18372 का कर्जा है। आमदनी से कर्जा का अनुपातन निरंतर बढ़ रहा है।

माननीय वित्त मंत्री ने माना है कि 60 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है हालांकि जहां तक भारत में 70-75 प्रतिशत जनता गांव में रहती है, जिसकी जिन्दगी कृषि से जुड़ी हुई है। इस 60 प्रतिशत जनता को कृषि हेतु टोटल जिसमें सिंचाई भी सम्मिलित है सिर्फ 10 हजार करोड़ का बजट बनाया है जो टोटल जीडीपी का 1 प्रतिशत आता है। जिसका मतलब 60 प्रतिशत जनता को सिर्फ 1 प्रतिशत बजट में प्रावधान है और 40 प्रतिशत जनता को 99 प्रतिशत का प्रावधान है। ग्रामीण विकास में 62837 करोड़ दिया है जो कुल खर्चा 6% है इसमें 4% खेती का विकास असंभव है। सरकारी खर्चा 10 लाख 20 हजार करोड़ है। उसमें 62837 करोड़ खेत में पर्याप्त नहीं है।

दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पिछले 15 साल से खेती का उत्पादन पूर्णत: स्थिर है सिर्फ 1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में मा. वित्त मंत्री का कथन या सोच या चाहत कि 4 प्रतिशत प्रति साल कृषि में वृद्धि होगी यह असंभव सी बात है।

दिनांक 12.07.09 को अमर उजाला में खबर छपी है कि वार्षिक 5 अरब का अनाज बर्बाद हो रहा हैं। कोल्ड स्टोरेज और भंडार कि कमी है, और यदि आलू की पैदावार जिस साल अच्छी होती है सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होता है सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानो की होती है क्योंकि 25 प्रतिशत से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में रखने की जगह नहीं है।

इसी पृष्ठभूमि में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेगा योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। इसका सही रूप से क्रियान्वयन असंभव है। इसमें 100 दिन तक कार्य नहीं मिलता, पूरी मजदूरी नहीं मिलती और यदि मान लिया जाए कि 100 दिन कार्य मिला भी तो साल में 356 दिन में 265 दिन ग्रामीण अंचल का नागरिक के पेट भरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह मिड डे मील की योजना फ्लॉप है गरीब से गरीब नागरिक स्कूल में बच्चे को बढ़ने के लिए भेजता है जिससे आगे चल के उसे नौकरी या कारोबार मिले, वह अपने बच्चे को स्कूल में सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजता। 100 दिन के बदले मुश्किल से 40-42 दिन काम मिलता है।

मैंने अपने चुनाव के दौर में पचासों स्कूलों में स्वयं देखा कि स्कूल खुलने के एक आध घंटे के बाद स्कूल के मास्टर छोटे-छोटे बच्चे आदि सब मिलकर के सिर्फ खाना बनाने में जुट जाते हैं कुछ लोग आलू छिलते हैं आदि-2 भोजन के बाद विद्यालय में शिक्षा कार्यक्रम न होकर के छुट्टी हो जाती है। इसमें असली आर्थिक लाभ गांव के प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, हेडमास्टर आदि का होता है और शिक्षा की बैंक की जगह बेक सीट हो जाती है।

माननीय वित्त मंत्री जी मैं। इस गरिमामय सदन के समक्ष किसान और ग्रामवासियों की दुदर्शा की थोड़ी सी झांकी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

किसान का मुख्य खर्चा निम्नलिखित मुद्दों में होता है।

1. स्वास्थ्य
2. पैदावार पर लागत
3. शादी विवाह, कपड़ा, मकान, पढ़ाई आदि

उपरोक्त समस्याओं से निदान पाने के लिए कृषि में उत्पादकता और किसान को रोजगार देने से ही किसान के दु:ख का निवारण हो सकता है। ये बातें आपके बजट में पूर्णत: से गायब है और अगर थोड़ा सा जिक्र भी है तो उसको पालन करना असंभव है।

सत्तापक्ष वे लोग खासकर कांग्रेस दल के लोग यदि नाराज न हो तो मैं इस सदन के समक्ष यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि लोन माफी और नरेगा से सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट का फायदा हुआ है और किसान को कोई भी लाभ नहीं मिला है बल्कि नुकसान हुआ है। बीपीएल सूची पूरी तरह से बनी और बीपीएल सूची सब जो पात्र हैं उनका नाम आएं।

लोन माफी के बाद जब मैं चुनाव क्षेत्र में जीतने के बाद धन्यवाद कार्यक्रम में जब मैं थोड़ा सा भ्रमण किया तो हर किसान ने कहा कि सांसद जी मुझे लोन दिला दीजिए और लोन मांगने के लिए भरमार हैं। किसान लोग समझते हैं कि अगला चुनाव आने के पहले पुन: वित्त मंत्री जी लोन माफ कर देंगे आदि-आदि। इस सब बातों से एक बात स्पष्ट सामने आती है इस प्रक्रिया से न किसान को फायदा है न उत्पादन बढ़ने वाला है।

मैं दुहराना चाहता हूं कि हर खेत में पानी दे दीजिए हर गांव और खेत में बिजली दे दीजिए तो किसान को लोन की आवश्यकता नहीं न ही माफी की जरूरत है बल्कि लोन लेगा भी तो 100 फीसदी चुका भी देगा।

हमारे वित्त मंत्री ने लोन को पूरी तरह से चुकता कर देने वाले किसान और जिन किसानों ने लोन नहीं दिया, इन दोनों तरह के किसानों को एक ही तराजू में तौलने का जो काम किया है ये सिर्फ राजनैतिक उद्देश्य है। इसमें किसानों की और खेती की उत्पादन की दुदर्शा ही होगी यह मेरा मानना है। इसी पृष्ठभूमि में मैं माननीय वजीरे खजाना प्रणव मुखर्जी ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसान की जीवन स्तर बढ़ाना कोई चैरिटी या दान नहीं है बल्कि संवैधानिक दायित्व है जैसाकि संविधान में नीति निर्देशक तत्व में भी दिया है। अगर भारत की 70 प्रतिशत आबादी जो गांव में रहती है जैसा कि कहा है कि भारत की आत्मा गांव में विद्यमान हैं जब तक उनके जीवन स्तर में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक भारत की स्वतंत्रता सिर्फ एक मिथ्या और निराशाजन उपलब्धि है। इसका एक मात्र कारण हैं पिछले 50 सालों में कांग्रेस का राज है।

सन् 1950 में मा. पं. जवाहर लाल नेहरू फिर उनकी पुत्री स्वर्गीय इंदिरा जी, फिर उनके बाद उनके सुपुत्र मा. स्वर्गीय राजीव जी, फिर उनकी पुत्रबहू मा. सोनिया जी, इस अंतराल में यदि 50 वर्षों तक सिर्फ कांग्रेस का शासन काल रहा। उसमें भारत के ग्रामीण अंचल में सिर्फ निम्नलिखित उपलब्धियां हुई-

1. किसान की दुर्दशा
2. अन्न उत्पादन में निराशा
3. गांव में शुद्ध पीने के पानी का अकाल
4. स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो
5. शिक्षा, स्कूल भोजनालय में बदल रहे हैं।
6. बिजली, पानी और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा अभाव

यह 61 साल की स्वतंत्रता का सफरनामा है, जिसको मुझे सदन में कहने पर शर्म आती है।

मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय प्रणब दा किसान और कृषि के विषय में उनकी सार्ट टर्म और लांग टर्म की क्या नीति हैं उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश विशेषकर बुन्देलखंड में 2009 के पहले चार-पांच साल से पूरी तरह सूखे के चपेट में था। तीन-चार साल से किसान बोआई भी नहीं कर पाए थे और निरंतर आत्महत्याएं हो रही थी। जनपद बांदा, जो बुन्देलखंड क्षेत्र में है, बगल में चित्रकूटधाम हैं, जहां मर्यादा पुरूषोतम राम 12 साल तक रहे थे, वहीं की किसान महिला ने अपने चैनू नाम बच्चे को इसलिए दूसरी मां को बेच दिया था कि वह दवा नहीं करा पा रही थी परन्तु भाग्य की विडम्बना यह भी थी कि जिस मां ने उसको क्रय किया था, उसकी माली हालत अच्छी थी, वे भी उस बच्चे को बचा न सकी और चैनू ने हमेशा के लिए आंखे बंद कर ली। जैसे हजारों की तादाद में मां और चैनू बुंदेलखंड में है जिसका आकलन यूपीए सरकार के युवा सरकार के युवा सम्राट माननीय राहुल गांधी जी को भी अहसास हुआ होगा जब वो बांदा जिला में सूख के जमाने में गए थे परन्तु आज तक उस क्षेत्र में भारत सरकार का आर्शीवाद नहीं प्राप्त हुआ है और लगता है कि वो विजिट सिर्फ मीडिया विजिट थी।

जून के महीने में पूरे देश में 101.5 मिली वर्षा होती है लेकिन इस माह में अभी तक 48.8 मिली वर्षा हुई है यानी 48 प्रतिशत वर्षा में कमी है। मौसम की लिहाज से देश में 36 सब डिवीजन में जिसमें 29 सब डिवीजन में औसत से बहुत कम वर्षा हुई है। सारे उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुन्देलखंड में जहां मेरा क्षेत्र में उसमें अभी 5 प्रतिशत बोआई भी नहीं हो पाई है और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बोआई नहीं हो पाई है।

मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के कृषि मंत्री माननीय शरद पवार जी जिनकी रुचि या हाबी क्रिकेट में ज्यादा है शायद उनका 80 प्रतिशत समय बीसीसीआई और क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यय होता है। यह कहना गलत न होगा कि 100 प्रतिशत दिल उन्होंने क्रिकेट में समर्पित कर दिया है और मैं मानता हूं कि यह कोई गलत बात नहीं है परन्तु मेरा यह भी मानना है कि हो सकता है कि क्रिकेट की और भी ज्यादा तरक्की हो जाए परन्तु और 20-20 मैच और भी बढ़ जाए परन्तु कृषि जगत में किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

भारत के किसान जिसको अन्नदाता कहते हैं वह भूखा है श्रमिक जो मकान बनाता है दस-बीस मंजिले बनाते हैं उनके पास रहने को छत नहीं है। यह पिछले 61 साल में पिछले सरकारों का तोफा है।

माननीय वित्त मंत्री जी आपको इस दुर्दशा को ठीक करने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यह कहूंगा जब तक किसान के हितों की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और यह बजट सिर्फ कम्प्यूटर और सैंसेक्स के हितों की सुरक्षा करेगा तो भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी।

मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ वित्त मंत्री न रहे बल्कि एक किसान मित्र और किसान हितैषी बन जाए तब आपको दिल से किसान आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपकी और किसान समुदाय की भलाई निहित है।

कृषि मंत्री ये कहने में नहीं थक रहें कि उनके गोदाम अनाज से भरे हुए हैं परन्तु मैं वित्त मंत्री ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट से 63 प्रतिशत बच्चों को रात में भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं होता साथ एफसीआई के गोदामों में निम्नलिखित नजारा, जिससे दिल्ली के देवाषीश भट्टाचार्य के सूचना अधिकार के द्वारा निम्नलिखित उत्तर मिला है, जो अपनी दुर्दशा बयान करती है। भारत की 25 करोड़ आबादी भूखे सोती है।

1. पिछले दशम में 10 लाख टन अनाज सड़ गए।
2. 2.42 अबर रुपये एफसीआई खर्च करती है हर साल गोदाम में अनाज को सड़ने से बचाने में
3. अभी पिछले साल 2.59 करोड़ रुपये का अनाज जो सड़ गया था, उसको जलाने में खर्च हुआ।
4. सन 1997 से 2007 तक 1.83 लाख गेहूं, 3.96 लाख टन चावल, 22 हजार टन धान और 110 टन मक्का तथा 10 लाख टन अनाज सड़ गया।
5. आरटीआई के उत्तर में एफसीआई ने बनाया है उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर दिल्ली में अनाज सुरक्षित रखने के लिए 87.15 करोड़ खर्च हुए। उसके बाद 7 लाख टन अनाज सड़ गया।
6. सबसे दुखद बात यह है कि सड़े हुए अनाज को ठिनाने और जलाने में 60 लाख खर्च हुए।

देश के पूर्वी हिस्से पर नजर डाले, असोम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1.5 टन अनाज सड़ गया जबकि एफसीआई ने यहां अनाज को सड़ने से बचाने के लिए 1.22 अरब रुपये खर्च किए थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 25 करोड़ खर्च करने के बाद भी 43,069.023 टन अनाज सड़ गया। जब यह अनाज सड़ गया तो इसे हटाने के लिए 340,867 रुपये खर्च करने पड़े।

मैं प्रधानमंत्री जी से इस क्रिकेट प्रेम और किसान की आशाओं पे संतुलन बनाने के लिए आग्रह करूंगा कि क्रिकेट के साथ-साथ

किसानों की भी 20-20 मैचों की तरह बढ़ोत्तरी हो और इसी के साथ ही मैं कृषि मंत्री माननीय शरद पवार जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

आपने पैराग्राफ 5 में 9 प्रतिशत प्रति साल विकास दर की चर्चा की है और उसी में कृषि के बारे में 4 प्रतिशत कृषि की प्रगति के बारे में एक आशा जताई है।

इस सदन के माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि वित्त मंत्री शार्ट टर्म और लांग टर्म ऐसी योजना बनाए जिसको एक शब्द में वाटर मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है वो इंतजाम करें जिससे हर खेत को पानी पहुंचे और किसान को सिर्फ बरसात पर ही निर्भर न हो। उदाहरणस्वरूप बुन्लेखंड छोटी-बड़ी सात-आठ नदियां हैं जिसमें बेतवा, केन, घसान और बुन्देलखंड के बगल से जमुना नदी भी बहती है। बेतवा, केन नदी में छोटी-बड़ी डेम बनाने की व्यवस्था की जाए तो सिंचाई के लिए पानी का समुचित व्यवस्था हो सकेंगे अन्यथा भारत का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसित हो रहा है।

अंत में निम्नलिखित छोटे-बड़े बिन्दुओं पर भी माननीय वित्त मंत्री का भी खेती के पृष्ठभूमि पर मैं आवश्यक ध्यान दिलाना चाहता हूं तभी किसान की उन्नति हो सकेगी जैसे

[अनुवाद]

जल संबंधी छोटी और बड़ी परियोजनाएं पूरे देश में जल संचयन योजनाएं निजी संसाधनों और जल निकायों की पुनर्स्थापना से सिंचाई और ट्यूबवैल सिंचाई खाद्यान्नों उचित और लाभकारी और व्यावहारिक मूल्य निर्धारण

सूक्ष्म वित्त

कृषि बीमा।

लघु उद्योग

निर्धनों के लिए आवास कृषि प्रसंस्करण, ग्रामीण सिंचाई, तिलहन, बागवानी और पुष्पकृषि। कृषि ऋण सूखी भूमि में कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, पंचायती राज, सहकारी बैंक, बाढ़ नियंत्रण कार्य और अपरदन रोधी योजनाएं।

[हिन्दी]

कृषि की पृष्ठभूमि में गांवों में सड़कों का जाल बिछना चाहिए जिससे किसान की उत्पति विशेषकर फल, शाक-सब्जी के यातायात में व्यवधान न हो अन्यथा जब किसान अपना फल और सब्जी कस्बे की मंडी में लेकर जाता है तो अढ़तियां लोग एक यूनियन बनाकर एकदम से दाम गिरा देता है।

मैंने अनुभव किया है कि यदि एक ठेला गोभी का फूल अगर मंडी में कोई किसान ले जाता है तो उसे मुश्किल तमाम एक रुपया या पांच रुपये होता है और उससे बड़ा अढ़तियां दिल्ली और बड़े शहरो में ले जाता है तो दाम दस रुपये या उससे ज्यादा हो जाता है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि किसान जिसने गोभी पैदा किया है उसको सिर्फ एक रुपये मिला, जिसको तीन महीने तक पैदावार करने में लेगा और बिचौलिया दो दिन में 10 गुना कमाता है। इसका कुछ ध्यान मंत्री जी आपके बजट में नहीं है।

गांव में सड़क का जाल या हाइवे न्यूक्लियर डील की तरह कठिन नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी आप स्वयं समझदार और अनुभवी हैं। मेरा मानना है कि यदि भारत में विश्वस्तरीय सड़कों का जाल बिछ जाए कम से कम ऐसी सड़कें, जो बनने के बाद कम से कम पांच साल तक चले तो खेती का विकास और उद्योगी क्रांति स्वत: आ जाएगी। ये काम न्यूक्लियर की तरह कठिन नहीं है।

प्रैक्टिकल या यथार्थ बजट

1. राजनैतिक बजट
2. पालिटिकल डोनेशन पैकेज
3. अव्यवहारिक बजट
4. अपारदर्शी
5. शहर महानगर शहरोन्मुखी बजट
6. पांच सितारा संस्कृति बजट
7. दिशाविहीन बजट
8. शहरी बनाम ग्रामीण
9. किसान, खेती और ग्रामीण की उपेक्षा

माननीय वित्त मंत्री इस बजट का नामांकरण ही आपने गलत किया है ये आम आदमी का बजट न हो करके इसमें आम आदमी का दुर्दशा हो सकती हैं। यूपीए सरकार इस बजट से अपनी पीठ थपथपा रही है परन्तु किसान मर रहा है और अंग्रेजी में ये बजट का नाम अगर कहा जाए तो 'ऑपरेशन सक्सेसफूल बट टू टेलेंट डाइड।' परिचालन तरीके से सफल, लेकिन प्रतिभाहीन

इससे कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा वोट बैंक बढ़ाने की एक योजना इसमें छिपी हुई हैं ये पांच सितारा बजट है और कुछ

ही महीने के अंदर इस बजट की पोल खुलने वाली है। यदि एक महीने पानी की हालत इसी तरह रहेगी तो निश्चित ही एक दूसरा अकाल पड़ने वाला है, जो भारत के इतिहास में एक निराशाजनक बात होगी। इन्हीं सब बातों से मेरी आशाएं है फिर भी मैं आपके बजट को समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं।

अत: अंत में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती और विशेषकर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों की इस बजट में पूर्णत: अवहेलना और नजरअंदाजी है, इससे हमारा उद्देश्य एक समता मूलक समाज और जातिवाद और वर्गवाद से उठकर के सृजन में बहुत ही मुश्किल है।

अत: एक शब्द में मैं यह कहूंगा कि इसमें आम आदमी का पक्ष बिल्कुल गायब है और एक किसान और ग्राम विकास विरोधी बजट की संबा देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है इसके बावजूद भी मैं आपके बजट का समर्थन करता हूं।*

[अनुवाद]

***श्री विष्णु पद राय** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): मैं निम्नलिखित मामले सभा पटल पर रखना चाहता हूं:

अंडमान और निकोबार पुलिस कर्मी, जो घने जंगलों तथा समुद्र से घिरे दूरस्थ, निर्जन द्वीपों पर तैनात हैं, उनको राशन भत्ता दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां जीवन निर्वहन खर्च दिल्ली की तुलना में अधिक है और विदेशी नागरिकों तथा अवैध शिकारियों की घुसपैठ रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात होने के कारण जान का जोखिम भी है। निचली श्रेणी के 3438 पुलिसकर्मियों को 950 रु. दिल्ली पुलिसकर्मियों को दिये जा रहे भत्ते के अनुसार का राशन भत्ता दिया जाना चाहिए। तटीय सुरक्षा बल में पदों के सृजन का प्रस्ताव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि से 200 कि.मी. दूर है। हालांकि सशस्त्र सेनाएं सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं, तथापि द्वीपसमूह के विशाल जंगलों और समुद्री सम्पदा तथा तटों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, जो सशस्त्र सेनाओं के लिए संभव नहीं है क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत काम है। अत: अंडमान और निकोबार प्रशासन ने (क) 2245 पद, 23 जांच चौकियां, 3 निगरानी टावर बनाए जाने की अनुमति तथा (ख) अवसंरचना-10 समुद्र प्रचलान केन्द्र, 10 बड़ी नावों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। कृपया पदों के सृजन, जांच चौकियां, निगरानी टावरों को बनाए जाने तथा अवसंरचना हेतु निधियों (दिसम्बर, 2008 से गृह मंत्रालय के पास लंबित) के लिए अनुमति प्रदान करें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पोर्ट ब्लेयर शहर के लिए पेयजल का प्रावधान किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकार नगर परिषद/निगम/समिति के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करती है। अंडमान में एपीडब्ल्यू डी ही एकमात्र जलापूर्ति एजेंसी यहां पानी की दैनिक आवश्यकता 68.21 लाख गैलन है जबकि मानसून (जुलाई से जनवरी) के दौरान केवल 33.18 लाख गैलन की ही आपूर्ति की जाती है और प्रतिदिन 25.03 लाख गैलनों की कम आपूर्ति की जाती है। जलापूर्ति में 29 लाख गैलन की कमी हुई है, जिसमें कुल जलापूर्ति में 39 लाख गैलन की गिरावट हुई है और सबसे खराब बात यह है कि जलापूर्ति 2 दिनों और कभी-कभी 5 दिनों के बाद की जाती है। पिछले 10 से 15 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में अत्यधिक निवेश किया गया हैं जिसके अंतर्गत 100 से अधिक होटल, लॉज एवम् चल और अचल अन्य अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य किया गया है। अन्य विकास कार्यों में क्लीनिक और अस्पताल, विद्यालय तथा व्यापार केन्द्र शामिल हैं। ये सभी कम जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। एपीडब्ल्यूडी 90% पानी की आपूर्ति एक बांध (धानीखारी) और शेष पानी छोटे बांध (छोलधारी) से करता है, जिसपर हमेशा भूकंप का खतरा बना है रहता और यह यहां हमेशा रहता है क्योंकि यह द्वीपसमूह भूकम्प प्रवण क्षेत्र में है। और भूकंप और दिसम्बर 2004 के विनाशकारी सुनामी की याद भी लोगों के मन में है। इसके अतिरिक्त, ढांचागत त्रुटियां और अप्रत्याशित मौसम इस खतरे को और बढ़ा देते हैं। वर्षा जल संयचन की चालू परियोजनाओं को प्रचालनात्मक बनाने में कम से कम 3-4 वर्ष लगेंगे।

शहरी विकास मंत्रालय के पास जून, 2007 से 90 करोड़ रुपये की लागत वाला 14 एमएलडी का पानी से नमक अलग करने वाले संयंत्र डी सलाइनेशन प्लांट का प्रस्ताव लंबित पड़ा है। इस प्रस्ताव को तत्काल अनुमोदन प्रदान किया जाए ताकि ग्रामीण जनसंख्या घरों, अस्पतालों, विद्यालयों इत्यादि के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सके। लिटिल अंडमान के कृष्ण नाला, बालू लेवल इत्यादि वन क्षेत्रों में रहने वाले वन निगम (फॉरेस्ट कारपोरेशन) के कर्मचारियों और उनके परिवारों (कुल 2000) के पास पेयजल सुविधा नहीं है। वर्ष 1978 से पहले और बाद में वनों में अनधिकृत रूप से हरने वाले लगभग 15000 लोगों के पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ पिछड़े राजस्व (रेवेनयू) गांवों तथा निकोबार जिले में पेयजल पाइपलाइन बिदाई जानी है अथवा क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदला जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% कच्चे पानी की आपूर्ति की जा रही है जिससे पीलिया, गैस्ट्रो-एनटेरीटिज, टाइफाइड इत्यादि जल जनित बीमारियां हो रही हैं। 'फिल्टर बेड', स्वच्छ पानी की टंकियां (क्लीन वॉटर टैंक), कच्चे पानी हेतु टैंक इत्यादि के लिए आवश्यक निधियां स्वीकृत की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों को प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

माननीय लाल कृष्ण आडवानी ने आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया था और इसका उद्घाटन पूर्व संसद सदस्य श्री एम.आर. बख्त ने वर्ष 2005 मे किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों के अनुसार प्रत्येक पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में कम से कम एक आयुष केन्द्र होना चाहिए लेकन अभी तक यह लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है जबकि इस द्वीपसमूह में योग्य चिकित्सक उपलब्ध हैं। आयुर्वेदिक/होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में ठेका आधार पर 5-24 वर्षो से कार्यरत चिकित्सकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आयुष के 31 केन्द्रों (पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल इत्यादि) में आयुर्वेदिक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों तथा सहायक कर्मचारियों (लगभग 78) की आवश्यकता है। कृपया नए केन्द्रों को खोलने अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं औषधियों, नियमित चिकित्सकों तथा संस्वीकृत पद हेतु तत्काल निधि उपलब्ध कराई जाए।

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट मिशन (जेएनएनयूआरएन) के अंतर्गत बसें खरीदने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए पोर्ट ब्लेयर शहर में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनेक ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों का दौरा करने वाले पर्यटकों की मांग को पूरा करने में राज्य परिवहन सेवा की 48 बसें असमर्थ हैं। पोर्ट ब्लेयर की जनसंख्या 3 लाख है और यह तेजी से बढ़ रही है। सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एसटीएस विभाग के बेड़े में 50 और बसें शामिल करने की सिफारिश की है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 44 नई बसों का प्रस्ताव 12.06.2009 को ही शहरी विकास मंत्रलाय के पास भेज दिया गया है।

पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी) को 44 बसों के प्रापण हेतु जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मिशन सिटी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड: यह निगम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवरत्नों में से एक है। वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्षण क्रियाकलापों पर रोक लगा दी तथा लांग्स की बिक्री पर अनेक प्रतिबंध लगा दिये जिसके परिणामस्वरूप इसके 1600 स्थायी कर्मचारियों तथा उनके 1000 आश्रित के लिए यह अवधि काफी मुश्किल है और उनके बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, जीवनयापन, खान-पान इत्यादि प्रभावित हुआ है और वे अधमरी स्थिति में गुजर-बसर कर रहे हैं टाटा कंसलटेंसी सविर्सेज़ ने वर्ष 2002 में इसके लिए पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एचएमएसी की दिसम्बर, 2006 में बैठक के दौरान इसकी पुनरूद्धार प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की आवश्यकता व्यक्त की बैठक में एएनआईएफपीडीसीएल के पुनरूद्धार किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 जनवरी, 2006 को राज्य सभा की आश्वासनों संबंधी समिति को आश्वासन दिया था कि मंत्रालय इस निगम के पुनरूद्धार हेतु उचित कार्रवाई करेगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अंडमान और निकोबार प्रशासन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/ नगरपालिका कर्मचारियों इत्यादि को वेतन/भत्ते दे दिए गए हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ इस निगम के कर्मचारियों को इस आधार पर नहीं दिया गया है कि इसके पुनर्सरचना तथा पुनरूद्धार का प्रस्ताव कई वर्षो से मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है। समूह 'घ' के कर्मचारियों को (30-35 वर्षो की सेवा के पश्चात्) दूसरे वेतन संशोधन के बावजूद भी प्रतिमाह 3000-4000 रुपये मजदूरी मिल रही है जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रतिदिन 156 रुपये की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।

निधियां प्रदान करके छठे वेतन आयोग की सिफारिशों और उसमें सिफारिश किये गए औद्योगिक मजदूर वेतन कार्यान्वित किए जाएं। अनुमान के रूप में पुर्नरूद्धार पैकेज और एकमुस्त वित्तीय सहायता दी जाए।

पोर्ट ब्लेयर में आप्टिकल फाइबर केबल लैंडिग स्टेशन बनाने के लिए 527 करोड़ की निधियां प्रदान करना 10वीं आईडीए बैठक (19.1.2003) में सबमैरीन आप्टिकल फाइबर कैबल बिछाने के बारे में चर्चा की गई थी। दल ने इस परियोजना पर कार्य करने का सुझाव दिया था। सबमैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल इन द्वीपों के अनुकूल है और अंडमान और निकोबार यूनिफाइड कमाल, तटरक्षक रक्षा एजेंसियों, आईटी आधारित उद्योग और नेशनल इ-गवर्नेश आदि जैसी कई एजेंसियां इसका उपयोग कर कसती है। दूरसंचार विभाग ने ग्यारहवीं योजना में 181 करोड़ रुपये आबंटित किए थे जिसे योजना आयोग ने अतिरिक्त निधियां के साथ अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह हेतु प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के रूप में ले लिया था। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने माानीय उप-राज्यपाल को 13.2.2009 के अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा बताया था कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 344.14 करोड़ रुपये से 527 करोड़ रुपये हो गई है। माननीय उप-राज्यपाल और मुख्य सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग ने वर्ष 2009-10 में 151.25 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान लगाया था परंतु 2009-10 वार्षिक योजना में केबल 76.45 करोड़ है। दो वर्ष पहले स्वीकृत कार्यो को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। (नए) स्वीकृत कार्यों को छोड़ना पड़ेगा। एपीडब्ल्यू डी जिला विरष्ठ नगरपालिका आदि के बिलों का पिछले 6 से 8 माह से भुगतान न होने के कारण यह राशि 120 करोड़ रुपये हो गई है। और परिणामस्वरूप वेतन,

सरकारी देशों आदि के भुगतान के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है।

एपीडब्ल्यूडी में 70 करोड़ रुपए में अतिरिक्त राशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ठेकेदारों की बकाया राशि के भुगतान हेतु 120 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी की जानी चाहिए।

पोर्ट ब्लेयर (वोट सावरकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे) को विदेशी हवाई सेवा से जोड़ा जाए। पोर्ट ब्लेयर स्थित डोमेस्टिक एयरपोर्अ में मई, 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए पार्किंग स्थल का निर्माण किया गया था। विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है (2003-04 में 4281 और 2006-07 में 10,975)। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सम्पर्क होने से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन-इंडियन एयरलाइन्स और अन्य निजी एयर लाइन्स का आइलैंड से और पर्यटन की तुलना में हवाई किराया। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह देश के सुदूर भाग में स्थित है और समुद्री और हवाई भागों से जुड़ा हुआ है। तीन एयरवेज कम्पनियों द्वारा वर्तमान में वसूला जा रहा अत्यधिक हवाई किरायां जो कि एक ओर के लिए 15000 से 74000 रुपये हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दो घंटे की यात्रा के लिए वसूला जा रहा किराया भारत में किसी अन्य क्षेत्र या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर ही एयरलाइंस कम्पनियों द्वारा वसूले जा रहे किराए से दोगुने तिगुने से भी अधिक है। कोलकत्ता/चेन्नई से सिंगापुर/बैंकाक/मलेशिया हेतु वापसी किराया 12,000 से 15,000 रुपये के बीच है। असामान्य रूप से अधिक किराये से न केवल द्वीपसमूह के स्थाई निवासियों, पर्यटन उद्योग जो कि रोजगार के अवसरों वाला एकमात्र उद्योग हैं, वह भी प्रभाव पड़ा है। पोर्ट ब्लेयर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय इस्पात और अन्य सरकारी उपक्रमों के एलटीसी पर जाने वाले पर्यटकों में आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत उद्यमियों ने बैंक से ऋण लेकर कई होटलों/लॉजों/पेइंगगेस्ट का निर्माण किया। अचानक इस सुविधा को वापस ले लिया गया है। इससे न केवल होटल मालिकों बल्कि टूरिस्ट गाइडों, पर्यटन वाहन मालिकों आदि को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

थाई एयर, सिंगापुर एयरलाइन्स, मलेशिया जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स अपने देशों से पोर्ट ब्लेयर होते हुए, चेन्नई, कोलकाता तक हवाई सेवाएं प्रदान करती हैं और चेन्नई/कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में वृद्ध यात्रियों को ले जाने की अनुमति देकर उन्हें प्रोत्साहन देती है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आसान सम्पर्क प्रदान करना

(3) भारतीय लोगों को वहनीय लागत पर चेन्नई/कोलकाता जाने और वहां से वापस आने की सुविधा प्रदान करना।

(4) पोर्ट ब्लेयर से बाहर जाने वाले पर्यटकों को चेन्नई/कोलकाता तक यात्रा करने के अलावा पोर्ट ब्लेयर से सीधे इन दक्षिण एशियाई देशों तक जाने और इन देशों से वापस आने की अनुमति देना।

(5) मत्स्य और अन्य उद्योगों के इन देशों में निर्यात की अनुमति से मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

(6) पर्यटन की दृष्टि से विशेषकरण दमन और राष्ट्रीय स्मारक (सैल्युलर जेल) को देखने के लिए रेलवे और अन्य सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को पांच दिन एलटीसी पर्यटन के तहत 5 दिन रुकने की अनुमति दी जाए।

लागत सूचकांक– ''जीने में सहायक रुपया'' को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन, जो इस समय प्रतिमाह 500 रु. है, में वृद्धि करके इसे प्रतिमाह 3,000 रु. किया जाना चाहिए।

स्ट्रेचर पेशेन्ट–एक व्यक्ति के लिए 6 व्यक्तियों का हवाई किराया लिया जाता है। परंतु एनडीए सरकार के समय केवल एक ही व्यक्ति का हवाई किराया लिया जाता था। इस संघ राज्य क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए एक व्यक्ति का किराया लिया जाना चाहिए।

जबरदस्ती दिए गए तलाक के लिए पेंशन दी जानी चाहिए। वर्तमान में ऐसी कोई पेंशन नहीं दी जाती। जबरदस्ती दिए गए तलाकशुदा व्यक्ति होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए प्रतिमाह 3,000 रु. दिए जाने चाहिए।

तटकटाव–प्रतिधारक दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। तटकटाव के कारण अनेक किसानों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सदस्य अधिकारी द्वारा कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया अत: वैकल्पिक भूमि आबंटित करके भूमि कटाव के लिए काम आई भूमि लागत की क्षतिपूर्ति की जाए।

राष्ट्रीय रोग (गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए प्रतिमाह 8,000 रु. तक की सीमा बढ़ाई जाए) द्वीप में रह रहे कैंसर, हृदयरोग, ब्रेन ट्यूमर आदि जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मुख्य भूमि के अस्पतालों में उपचार हेतु 50 लाख रु. दिए

जाएं। ऐसी ही योजनाओं को पुन: चालू किया जाए जिसके तहत 8,000 रु. की आय वाले व्यक्तियों को विशेष उपचार हेतु इस योजना में शामिल किया जाए। इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा 2 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की जाए।

पोर्ट ब्लेयर में प्रस्तावित एनआईटी में कार्य जारी रहना–मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 जून, 2009 को प्रशासन को सूचित किया था कि एनआईटी को अण्डमान निकोबार द्वीप समूह से पुडुचेरी स्थानान्तरित किया जाएगा। हमें इस पर आपत्ति है क्योंकि पुडुचेरी में पहले ही एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पांच निजी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पुडुचेरी में जेआईपी, एलईआर एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 5-6 निजी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एनआईटी को वहीं रहना चाहिए। मेडिकल कॉलेज पोर्ट ब्लेयर (अंडमान निकोबार द्वीप समूह) की स्थापना। डीपीआर ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमानित लागत 277.61 करोड़ रु. बताई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजनागत निधि के रूप में 277.61 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जानी चाहिए।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के बजट भाषण में सम्मिलित बजट प्रस्तावों की प्रशंसा करता हूं। बजट प्रस्ताव में आगामी दिनों के लिए उद्देश्यों, प्रयोजनों, प्राथमिकताओं और नीतियों का उल्लेख किया जाता है। बजट को केवल वर्तमान वर्ष के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए। उसकी प्रासंगिकता पूरे विश्व में जारी मंदी के दौर से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के उद्देश्य के साथ भविष्य के लिए विस्तृत नीतिगत मानदंडों में निहित है। यह एक आसान समीकरण है।

महोदय, इस बजट के प्रति मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि यह महात्मा गांधी के समय की उन स्मृतियों को ताजा करता है कि भारत अभी भी गांवों से शुरू होकर गांवों में खत्म होता है। यह पहला अवसर है जब मैंने यह देखा है कि हमारे समाज के सभी वर्गों ने बजट से पहले और बाद की चर्चा में भाग लिया है। यह एक नया आयाम है और मेरा मानना है कि यह किसी भी राजनैतिक व्यवस्था के लिए शुभ है क्योंकि बजट आम आदमी की आर्थिक सुरक्षा के लिए होता है। किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक आम आदमी का उत्साह जो कि विभिन्न मंचों पर व्यक्त हुआ है उसे देखते हुए मेरा यह मानना है कि यह स्वाभाविक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का अन्तर्निहित गुण है।

महोदय, उदाहरण के लिए मैं सुनामी त्रासदी का उल्लेख करना चाहता हूं। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हमारे देश से बहुत दूर भूकंप आया। परंतु, हम भी उस विनाश के प्रभाव से बच नहीं सके और इसने भारतीय समुद्र तटों को भी तबाह कर दिया।

महोदय, इसी के समान हमें यह देखना चाहिए कि बहुत दूर अटलांटिक के समीप के देशों में आई वित्तीय सुनामी का प्रभाव भारत सहित सभी उभरते हुए और विकासशील देशों पर पड़ा है। हम अमेरिका और यूरोपियन देशों में आए वित्तीय संकट से स्वयं को बचा नहीं पाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मरते हुए आदमी को एड्रिनलिन की आवश्यकता होती है उसी संदर्भ में मैं सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए उसकी प्रशंसा करता हूं। यदि किसी मरते हुए व्यक्ति को सही समय पर एड्रिनलिन नहीं दी जाती है तो वह मर जाएगा। इसी प्रकार, हमारी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए दिए गए प्रोत्साहन पैकेजों ने एड्रिनलिन का कार्य किया है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय मंदी के अभिशाप से बचाया है।

महोदय, मैं हमारी वित्तीय प्रणाली में 3,00,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रवाहित करने के लिए अनेक विवेकपूर्ण और नवीन उपाय करने हेतु आरबीआई अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं। मैं आरबीआई के गवर्नर श्री सुब्बा राव के इन शब्दों से प्रोत्साहित हुआ कि हमारा दृष्टिकोण सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। महोदय, ब्याज की दरें कम हुई हैं। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कमी की गई है और सप्रंग सरकार द्वारा अपनाई गई अनेक मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में जाने से बच गई।...*(व्यवधान)* हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी और कुछ अन्य नेताओं ने भी इस बात का उल्लेख किया कि बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री ने चार प्रतिशत कृषि विकास दर बनाए रखने का आश्वासन दिया है। मेरा यह सुझाव है कि उन्हें बजट दस्तावेजों को और बारीकी से पढ़ना चाहिए जिनमें यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में योजना आवंटन और पूंजी निर्माण में पर्याप्त वृद्धि किए जाने के साथ हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक की विकास दर दर्ज की गई है।

जी हां, सप्रंग सरकार का उद्देश्य कृषि विकास दर को बढ़ाकर चार प्रतिशत करना है क्योंकि मजबूत कृषि के बिना हम अपनी लगातार बढ़ती जनसंख्या का पेट नहीं भर सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: यदि आप अनुमति दें तो मैं केवल दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है। हमें इस चर्चा को समाप्त करना है। अन्यथा, यह आधी रात तक चलती रहेगी। अन्य सदस्य रात के बारह बजे तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे।

श्री अधीर चौधरी: मैं केवल दो-तीन सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदय: आप अपने सुझाव लिखित में दे सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण पहलु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं सभा में मौजूद हैं।

सभापति महोदय: वे दोनों यहां मौजूद हैं। आप चिंता न करें।

श्री अधीर चौधरी: ऐसे 44,000 गांव हैं जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे 1000 गांवों के समेकित विकास हेतु प्रायोगिक आधार पर इस वर्ष प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना लागू की जा रही है। यहां मैं माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस योजना को केवल अनुसूचित जाति बहुल गांवों तक ही सीमित न रखा जाए। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस योजना का अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाए। *...(व्यवधान)*

महोदय, गृह मंत्री जी ने एक दिन सभा में यह स्वीकार किया था कि नक्सलवादियों का प्रभाव आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बढ़ रहा है। अत:, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नए विद्यालय, आईटी शिक्षा आदि आरंभ किए जाएं। *...(व्यवधान)*

अब, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारी सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का कुल मूल्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकारी इक्विटी की औसत दर और इन कंपनियों में सरकारी इक्विटी का कुल मूल्य क्या है?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप समय के बारे में सबको समझा रहे हैं। लेकिन मैं केवल आपका ध्यान फाइनेंस मिनिस्टर की उस उक्ति की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कौटिल्य को उद्धृत किया है। उन्होंने कौटिल्य का जिक्र किया है। माननीय मंत्री जी ने कहा है : ''मैं कौटिल्य की सलाह लेना चाहता हूं।'' मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कौटिल्य ने क्या सलाह दी?

[अनुवाद]

''राजा के पास देश की समृद्धि के लिए आने वाली मुसीबतों के बारे में पूर्वानुमान लगाने की शक्ति होनी चाहिए।''

[हिन्दी]

कोई भी देश का शासक हो, उसमें यह शक्ति होनी चाहिए कि आने वाली मुसीबतों के बारे में पहले सोच सके कि यह मुसीबत देश पर आने वाली है। इतना ही नहीं कहा इसके साथ यह भी कहा–

[अनुवाद]

''राजा को कोई आपदा आने से पहले ही उसे टालने का प्रयास करना चाहिए, जो आपदा आ चुकी है उस पर विजय पाने, आर्थिक गतिविधियों के सम्मुख आने वाली रुकावटों को दूर करने और राज्य को राजस्व की हानि से बचाने के प्रयास करने चाहिए।

[हिन्दी]

यह कौटिल्य ने कहा। लेकिन सभापति महोदय क्या इस पर कभी सरकार चली? कौटिल्य कहते हैं कि अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो शासक को पहले से उसका पूर्वानुमान होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे देश में कभी ऐसा हुआ? अगर पूर्वानुमान होता तो चीन कभी भी तिब्बत पर कब्जा नहीं करता। जब 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो भारत की फौजों की क्या दुर्गति हुई।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि 1962 में क्या हुआ था।

[हिन्दी]

तब हमारे देश की सेनाओं की बहुत दुर्गति हुई। अगर हमारे देश के शासकों ने सोचा होता कि कौन सी मुसीबत आने वाली है तो आज हिंदुस्तान की यह दुर्गति नहीं हुई होती। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि यहां के शासकों ने नहीं सोचा कि

हमारे देश के समक्ष क्या समस्याएं आने वाली हैं। श्री प्रणव मुखर्जी आ गये हैं, वह बहुत सुलझे हुए, बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। इसलिए मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि भारत के शासकों ने कभी नहीं सोचा कि इस देश में कौन सी मुसीबत आने वाली है। आज हिंदुस्तान के बहुत से प्रांत उग्रवाद की चपेट में हैं, नक्सलिज्म बढ़ा हुआ है। क्या कभी सरकार ने सोचा कि इस नक्सलिज्म को हम कैसे खत्म करेंगे या इसे पनपने के पहले रोकने की कोई कोशिश की गई? अभी कल ही छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, वहां एस.पी. समेत दर्जनों लोग मारे गये। क्या कभी सरकार ने यह समझने की कोशिश की कि इस समस्या पर हम कैसे विजय पा सकते हैं और इसे कैसे रोक सकते हैं? हमारा झारखंड राज्य, जिससे चुनकर मैं आया हूं, आजकल नक्सलवाद की जकड़ में है, परंतु इस बजट में नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं आदरणीय प्रणव दा से कहना चाहता हूं कि आपका यह बजट पोलिटीशियन का बजट है, स्टेट्समैन का बजट नहीं है। मैं जब कहता हूं कि यह पोलिटीशियन का बजट है, इस पर डॉ. राधाकृष्णन कहा करते थे, राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं जबकि, स्टेट्समैन अगली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। यह बजट आने वाली संतानों के लिए नहीं है, यह बजट आने वाले चुनावों के लिए है। इसलिए मैं इसे पोलिटीशियन बजट की संज्ञा देता हूं, इसे स्टेट्समैन के बजट की संज्ञा नहीं देता हूं। अगर यह पोलिटीशियन का बजट नहीं होता तो आप इस बजट में देखें कि जिन-जिन प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर आपने कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है। लेकिन जहां चुनाव नहीं होने हैं, उन्हें आप भूल गये हैं। आप 'आइला' में बंगाल को एक हजार करोड़ रु. का पैकेज देते हैं, इस पर किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्या बिहार में कोसी के प्रभावित लोगों को ऐसा पैकेज नहीं मिलना चाहिए था या जो उग्रवाद से प्रभावित झारखंड राज्य है, क्या उसके लिए विचार नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह एक राजनेता का बजट है, ना किसी किसी स्टेट्समैन का।

इसके अलावा आप महाराष्ट्र को जो भी पैसा देते हैं, आपने मुम्बई की सीवरेज के लिए तीस सौ करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। जहां-जहां पर आपने सोचा कि चुनाव होने वाले हैं, वहां-वहां पर आपने कुछ न कुछ सौगात दी। लेकिन जो राज्य पिछड़ गये हैं, उनके लिए कुछ नहीं है।

महोदय, आपने कौटिल्य की बात कही, मैं वित्त मंत्री को उसी की याद करा रहा हूं कि कौटिल्य के साथ-साथ उन्हें कालिदास के मेघदूतम् को भी पढ़ना चाहिए। जिसमें कालिदास ने कहा कि शासन को टैक्स का तरीका इस तरह से रखना चाहिए, जैसे बादल का होता है। वे सागर से जल लेकर जाते हैं। वे समुद्र से पानी लेते हैं और जाकर देश और प्रदेश के गांवों में, खेतों में उसे बरसाते हैं। इसलिए टैक्स का तरीका यह होना चाहिए कि आप बड़े लोगों से पैसा संग्रह करें और गरीबों के बीच बांटे। लेकिन बजट में उसकी भी कमी है। मैं अपने टाइम को फोरगो करना चाहता था, ताकि कोई दूसरा साथी एकोमोडेट हो सके। लेकिन चेयर से ऑर्डर होने के बाद मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैं आंकड़ों के जाल में सदन को फंसाना नहीं चाहता। बहुत से विद्वानों ने अपने विचार यहां रखे हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आने वाली संतानों के लिए सोचिये, देश की स्थिति क्या होने वाली है इर्रिस्पैक्टिव पार्टी एंड पोलिटिक्स, तब यह देश बचेगा नहीं तो इस देश के सामने बहुत सारे संकट के बादल आने वाले हैं।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि मैंने उग्रवाद की समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचा और मैं आपको बता दूं कि जो आज के होम मिनिस्टर के प्रिडिसैसर श्री शिवराज पाटिल थे, उन्होंने चतरा का दौरा किया। वे झारखंड के पलामू जिले भी गए। उन्होंने कहा कि हम यहां पर पायलट प्रोजैक्ट आपको दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि आप योजनाएं भेजिये। लेकिन डेढ़ साल हो गया, वहां से स्कीम्स भेजी गईं, परन्तु उन्हें कूड़े में फेंक दिया गया है। कोई देखने वाला नहीं है। अगर इस प्रकार के भेदभाव से काम किया जायेगा, तब इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर कौटिल्य को कोट किया है तो उसके उपदेशों पर चलिये ताकि इस देश की उन्नति हो, देश आगे बढ़े, समृद्ध हो और यह देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2009-10 के बजट का जो लेखा-जोखा पेश किया है, उस संबंध में माननीय सदस्यों ने यहां अपने सुन्दर विचार रखे हैं। मैं देख रहा हूं कि देश का बजट जब भी यहां रखा गया हो, कांग्रेस पार्टी या यू.पी.ए. सरकार हो, मूलभूत समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। जो पंचवर्षीय योजना की परिकल्पना की गई है या 11वीं पंचवर्षीय योजना पेश की गई है, फिर भी देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ये मूलभूत समस्यायें हैं जिनके बारे में देश को सोचना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जानकार आदमी हैं।

सभापति महोदय, पं. जवाहर लाल नेहरू ने देश में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की बात की थी ताकि उससे देश की जनता को

काम मिल सके। इसके बाद स्व. इन्दिरा जी ने भी कोशिश की और पूरे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर देश की सम्पत्ति बढ़ाने की कोशिश की। स्व. राजीव जी ने भी कोशिश की लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गांधी परिवार खत्म होने के बाद नया उदारीकरण शुरू हुआ। देश की सम्पत्ति बढ़े लेकिन वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम पर उसे बेचने की बात चल रही है। यह बड़े अफसोस की बात है कि देश का पैसा सामाजिक क्षेत्र में कम हो गया है। लेकिन लड़ाई, रक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया है। यह तो अच्छी बात नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल यह है कि नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अगर सरकार विकास के कार्य करेगी तो नौजवानों को काम मिल सकता है। आदिवासी क्षेत्र जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, उसका विकास नहीं हुआ है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब विकास का काम किया जाएगा तो नक्सलवाद नहीं रह सकता है।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री हमारे प्रदेश बंगाल से हैं। हमारे राज्य में चाय उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। हम सब लोग चाय पीते हैं। चाय क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था चल रही है जिससे नुकसान हो रहा है। चाय उद्योग बंद हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार चाय बागानों की अर्थव्यवस्था ठीक करे। सरकार पूर्वी राज्यों को रियायतें दे रही हैं। इनमें असम और सिक्किम आते हैं। मैं चाहूंगा कि उत्तर बंगाल जो आदिवासी क्षेत्र है, उपेक्षित है जहां चाय उद्योग के अलावा कुछ नहीं है, वहां प्राकृतिक सम्पदा है, उस क्षेत्र के लिए रियायतें दी जायें ताकि लोगों को काम मिल सके। प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, महंगाई बढ़ रही है। ट्राइबल क्षेत्र की दुर्दशा हो रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार बंगाल के बारे में कुछ सोचे। वहां जन वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाये, राशनिंग व्यवस्था से सस्ते दर पर गरीब लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये। इस व्यवस्था से जनता की स्थिति संभल सकती है। मैं आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट में इन प्रस्तावों को रखने का अनुरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आधि शंकर (कल्लाकुरिची): माननीय सभापति महोदय, नई लोक सभा में नया बजट और यह पन्द्रहवीं लोक सभा शीघ्र ही इसे पारित करने वाली है। हमारी पार्टी डीएमके की ओर से मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे नेता डॉ. कलाईग्नर करुणानिधि, हमारे उपमुख्यमंत्री तलपति मु.क. स्टालिन, तमिलनाडु के कृषि मंत्री वीरपांडी अरुमुगम, तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री श्री पॉनमुडी और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को मुझे इस गरिमामय सदन में भेजने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस केन्द्रीय बजट में तीव्र वृद्धि, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, रोजगार के अवसर प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाना चार मुख्य मुद्दे हैं। मैंने पाया कि आपको हमारे नेता डॉ. कलाईग्नर और 2006 से लगातार उनके बजट का आदर्श रूप मिल गया है। डॉ. कलाईग्नर के पांचवी बार शपथ लेने और उनकी गरीबोन्मुखी और किसानोन्मुखी घोषणाओं के प्रत्यक्षदर्शी हमारे वित्त मंत्री हैं। उन्होंने दो रु. प्रति किलो चावल की घोषणा की जिसे अब कलाईग्नर ने स्वयं 1 रु. प्रति किलो कर दिया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, उन्होंने 7000 करोड़ रु. के सहकारी ऋण माफ करने का अपना वादा पूरा किया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का रोड मैप बनाते समय, हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी हमारे नेता डॉ. कलाईग्नर के पदचिन्हों और ब्लूप्रिंट का अनुसरण करते हैं।

इस वर्ष के केन्द्रीय बजट की मुख्य बात नरेगा के लिए आबंटन 39,100 करोड़ रु. तक बढ़ाना है। यह स्वागत योग्य कदम है। ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का खर्च 71,000 करोड़ रु. पहुंच जाएगा जबकि एक लाख करोड़ रु. आधारभूत ढांचे के लिए होंगे। हमारे वित्त मंत्री ने गरीबों के भूखे पेटों को दूध देने का प्रयास किया है; प्रत्येक बीपीएल परिवार को 25 किलोग्राम चावल या गेहूं प्रतिमाह 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। यह सभी राशनकार्ड धारियों तक बढ़ाया जा सकता है जो चावल के लिए राशन की दुकानों पर निर्भर हैं। कलाईग्नर की कृषि ऋण माफी योजना सप्रंग सरकार द्वारा अपनाई गई थी। अब केन्द्र द्वारा तमिलनाडु का अनुकरण करते हुए कम कीमत में चावल और गेहूं योजना भी चलाई जा रही है। जब हम आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, तो यह अनिवार्य है। केवल एक जिम्मेदार सामाजिक दूरदृष्टा ही इसे समझ और लागू कर सकता है। भविष्य में सभी सरकारें इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान करेंगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करने के बाद, यह अनिवार्य हो जाएगा। अत: बजट आबंटन में इसकी अनुपस्थिति परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोग इसे लेकर शोर मचा रहे हैं। निर्धन लोग गरीबी के घने जंगल में हैं।

इन लोकप्रिय योजनाओं में से कुछ को केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए लागू की गई योजनायें कह कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लोगों की नब्ज समझने के बाद ही ये योजनाएं लागू की जाती हैं। नब्ज महसूस करने के लिए आपको हाथ और सूर्य की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। सूर्य जीवन के लिए आवश्यक है। दोनों, बादल और पतर इसे जानते हैं।

तमिलनाडु के अनेक भागों में बाढ़ और सूखे के बाद भी विगत वर्ष खाद्य उत्पादन बढ़ा है। इस वर्ष भी इसमें वृद्धि की संभावना है। यह आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण है। तमिलनाडु सरकार चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक का भुगतान कर रही है तथा धान और गन्ना उत्पादक दोनों को प्रोत्साहन दे रही है। केन्द्र सरकार धान के लिए 900 रु. प्रति क्विंटल दे रही है, जबकि तमिलनाडु सरकार इसके लिए 1000 रु. दे रही है। यह 100 रु. अधिक है। अच्छी गुणवत्ता के धान के लिए केन्द्र सरकार केवल 930 रु. दे रही है, जबकि तमिलनाडु सरकार इसके लिए 1100 रु. दे रही है। गन्ने के लिए भी, केन्द्र सरकार केवल 811 रु. दे रही है; जबकि तमिलनाडु सरकार इसके लिए 1050 रु. दे रही है। तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्धारित उच्च लक्ष्य और इसके सच्चे प्रयासों के संदर्भ में, केन्द्र को तमिलनाडु सरकार की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, जिसने चावल और गन्ने दोनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।

सभापति महोदय, नदियों को जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस वर्ष के बजट में गंगा और कावेरी को जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष के बजट में कावेरी को कट्टालाई की गुंटर से जोड़ने की घोषणा की है। दूसरी योजना तामिरबरानी-करुमेनियार-नांबियार को जोड़ने की है। 200 करोड़ रु. के आवंटन के साथ यह योजना शुरू होने वाली है। केन्द्र सरकार को ऐसी दूरदर्शी योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आना चाहिए। इससे पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान होगा।

हमारे माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री हमारे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से राजसहायता देना चाहते हैं। उन्होंने इसे पोषण आधारित बनाने के उपाय किए हैं। इससे वास्तव में हमारे किसानों को प्रत्यक्ष सहायता मिलेगी।

18 वर्षों के बाद केन्द्र का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत होगा। बाजार से उधार लगभग 4,51,093 करोड़ रु. होगा। यह अनुमानित राजकोषीय घाटे से लगभग 90,000 करोड़ रु. अधिक है। हमारे वित्त मंत्री को संतुलनकारी कार्य के लिए बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने गरीबों, हाशिये पर रह रहे लोगों और किसानों को राहत प्रदान की है। वह उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढहने के कारण बुरी तरह प्रभावित होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

राजसहायता और सामाजिक सुरक्षा उपाय हमारे आम आदमी की क्रय शक्ति बचाने में सहायता करते हैं। महिलाओं पर ध्यान देना और अल्पसंख्यकों और हाशिये पर रह रहे लोगों के समूहों को शिक्षा देना हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उपमुख्यमंत्री तलपति मु. क. स्टालिन को बहुत अच्छा लगता है। तमिलनाडु में हमारे ग्रामीण बच्चों को विद्यालयी शिक्षा पूरी करने में सहायता के विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अधिनियमित करते समय केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार के मॉडल का अनुसरण करना चाहिए।

महोदय, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिलों के लिए शिविरों का स्तर सुधारने के लिए 5 करोड़ रु. का आबंटन दिया है। मैंने पाया है कि केन्द्र सरकार ने श्रीलंका में तमिलों के लिए, जो अपने देश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, केवल 500 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि श्रीलंकाई अधिकारी वहां के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यही समय है कि तमिल नागरिक सेना के शिविरों में शरणार्थियों के रूप में न रहें। यही समय है जब श्रीलंकाई तमिलों को शांतिपूर्ण जीवन और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। उन्हें अपने देश में बसने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। भारत सरकार को भी इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु सरकार केन्द्र सरकार को मदुरै राजाजी अस्पताल को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह बहु विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में उन्नत करने पर आने वाले व्यय में से अपना हिस्सा देने के लिए आगे आई है।

वस्त्र इकाइयां और साबुदाना इकाइयों, जिनमें अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं, को राजसहायता मिलनी चाहिए। अधिकांश साबुदाना इकाइयां मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कल्लाकुरिची में हैं। केन्द्र सरकार को तमिलनाडु की तरह राज्य सरकारों को उन अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता देने पर विचार करना चाहिए, जो अपशिष्ट से खाद विद्युत उत्पादन इत्यादि करते हैं। ऐसे अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के लिए, विद्युत राजसहायता प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक संसदीय कार्यालय स्थापित करे और वहां एक संसदीय अधिकारी नियुक्त करें।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु में प्रत्येक विधायक को विधायक निधि के रूप में 1.5 करोड़ रु. प्रतिवर्ष दिया जाता है, जबकि संसद सदस्य को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत केवल 2 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। महोदय, मेरे पास छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसलिए, संसद

सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत संसद सदस्यों को प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाए।

तमिलनाडु में प्रत्येक पंचायत को सर्वग्राम अन्ना मरुमलाची योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में, 1,524 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इस वर्ष इस योजना के लिए 509 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के महान राजनीतिज्ञ अन्ना के इस शताब्दी वर्ष में इसी तरह की एक योजना बनाई जाए। यह इस कारण भी आवश्यक है, क्योंकि गांधी और नेहरू को ग्रामीण विकास अधिक प्रिय था।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सामान्य बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, बजट पर अभी 35 सदस्यों को और बोलना है। हमें बहस की तीन-चार घंटों के अंदर समाप्त करना है, अन्यथा आधी रात हो जाएगी। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक वक्ता अपने विचार प्रकट करने के लिए, तीन से चार मिनट ले और यदि कोई लिखित भाषण है तो उसे सभापटल पर रखने की अनुमति है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): सभापति महोदय, हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं। हर राज्य की अलग पर-कैपिटा इनकम है। कहीं पर एक व्यक्ति की औसत आमदनी 16-17 हजार रुपये है और किसी राज्य में एक लाख रुपये है। निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी से अपेक्षा थी कि इस विषमता को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार पहल करेगी। लेकिन केन्द्र सरकार और वित्त मंत्री जी मौन हैं। इससे निश्चित रूप से विषमता बढ़ती है और राष्ट्रीयता पर खतरा उत्पन्न होता है और क्षेत्रीयता आगे आती है। भारतीय राजनीति में लगातार देखने को मिल रहा है कि क्षेत्रीयता की भावना बढ़ रही है और राष्ट्रीयता की भावना कम हो रही है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि पर-कैपिटा सामान्य रूप से न सही, लेकिन कम से कम उसमें इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि लोगों में आक्रोश और गुस्सा रहे। इस वैश्वीकरण के युग में पूरा देश का बाजार एक ही है, यदि आमदनी भी एक नहीं हुई तो जिस बात की चर्चा की गई कि हम यहां बिलो-पोवरटी लाइन को अगले वर्ष आधा करने का काम करेंगे। वह कदापि संभव नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं कल-परसों अपने क्षेत्र के दौरे से आया हूं और जिस गांव में भी जा रहा हूं, उस गांव में, खास तौर से महिलाएं सामने आ रही हैं, वे लाल कार्ड खोज रही हैं। जिसके तहत उनको पेंशन और विधवा पेंशन मिले। इसी बात के लिए आधे से अधिक जनता हमारे पास आती है। यह मेरे साथ ही नहीं, अपितु यहां बैठे सभी माननीय सदस्य जब गांव का दौरा करते होंगे तब यही तस्वीर दिखाई देती होगी।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में युवा शक्ति की बात कही है और उसे प्रोत्साहित करने की भी बात की है। यदि दस-बीस युवा संसद में चुनकर आ गए तो इसे युवा शक्ति का सशक्तीकरण नहीं कहा जा सकता है। छात्रों को ऋण देने की बात बजट में कही गई और छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर लगने वाले ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लेकिन जब कोई छात्र उच्च शिक्षा के तहत ऋण लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, यदि उनका खर्च पांच लाख रुपये है तो उनको डेढ़ लाख रुपया ही स्वीकृत किया जाता है।

वित्त मंत्री जी, पूरे देश के बैंकों से उनके पास कितने आवेदन आए और कितनी स्वीकृति हुई, अगर इस डाटा को देखेंगे तो निश्चित रूप से निराशा ही दिखाई देगी। केन्द्र सरकार ने जो योजना बनाई है, उसका लाभ छात्रों को नहीं मिल पाता है, खास कर जिन गरीब छात्रों की चिन्ता की गई।

सभापति महोदय, मैं किसानों के ऋण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि ऋण माफी की घोषणा सरकार के द्वारा हो गई, लेकिन उसके जो कुपरिणाम दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी किसान बैंक में जाते हैं, जिनका ऋण बाकी था, जिनके ऋण माफ करने के लिए घोषणा की, उन्हें बैंक ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी स्थिति खराब हुई है, इसकी वजह से सरकार को भी उनकी ऋण माफी के लिए निर्णय लेना पड़ा। हम उनके भविष्य की ओर देखते हैं, लेकिन इस कार्रवाई में ऋण माफी के लिए, ऋण देने के लिए बैंक तैयार नहीं है।

सभापति महोदय, मैं एक बात प्रमुखता से कहूंगा कि पूरे देश में अकाल का वातावरण है और अनावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंहः सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम यहां पहली बार जीत कर

आए हैं, इससे पहले हम बहुत बार विधायक एवं मंत्री रह चुके हैं। आसन को इस मिथक को भी तोड़ना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरे पांच वर्ष नए 25-30 लोग सत्ता पार्टी और 25-30 लोग विपक्ष के मुंह ताकते रह जाते हैं, इसलिए हम पर भी थोड़ी कृपा की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंहः सभापति महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यह जो अनावृष्टि और सुखाड़ की स्थिति है, इस पर माननीय वित्त मंत्री जी को ठोस निर्णय लेना चाहिए। इतना ही आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): माननीय सभापति, मेरे लिए यह महान दिन है। इस महान सभा, जो इस देश में संसदीय लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, मैं खड़े होना और इस पन्द्रहवीं लोक सभा में अपना पहला भाषण देना, मेरी जिन्दगी का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है।

सर्वप्रथम, मैं अपने दल अ.भा.अ.द्र.मु.क. की महासचिव माननीय डॉ. पुरात्ची थलैवी अम्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे तमिलनाडु में दक्षिण चेन्नई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर दिया है।

मैं अपने मतदाताओं का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे पन्द्रहवीं लोक सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना ताकि मैं उनकी शिकायतों को रख सकूं और उनका समाधान कर सकूं।

माननीय सभापति, हम सभी जानते हैं कि देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, जैसा कि विश्व के अन्य देशों के साथ भी है। हमें वित्त मंत्री से उम्मीद थी कि वह देश को मंदी के दौर से निकालेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बजट में इस समस्या के समाधान के लिए किसी ठोस उपाय पर विचार नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम, मूल्य वृद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि आम आदमी के समक्ष खड़ा है। पिछले माह पेट्रोलियम के मूल्यों में एक और वृद्धि से, दिन-प्रतिदिन की उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। इसकी सर्वाधिक मार आम आदमी पर होगी, जिसके वेतन में इस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

माननीय सभापति, सामान्य लोगों के लिए 10,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15,000 रुपये की मामूली आयकर छूट वृद्धि ने निम्न और मध्यम आय समूहों को बहुत निराश किया है। आयकर अधिभार की समाप्ति से केवल 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले उच्च आय वर्ग को ही लाभ हो रहा है। छूट सीमा में मामूली वृद्धि का विशेष रूप से अनिवार्य और नगण्य वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि के संदर्भ में कोई औचित्य नहीं है। यह विशेष रूप से भारत के बहुसंख्यक मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक है, जिसके ऊपर आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करें।

माननीय वित्त मंत्री ने बहुउद्देशीय राष्ट्रीय नागरिक पहचान-पत्र हेतु 120 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। यह बहुत बड़ी कवायद है और इस पर भारी व्यय होगा। आबंटित धनराशि इतनी कम है कि इससे शुरुआत नहीं हो सकती। यह योजना कब पूरी होगी? क्या वित्त मंत्री इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त आबंटन करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, श्रीलंकाई शिविरों में लाखों तमिल नागरिक शरणार्थियों की स्थिति भयानक है। भोजन की कमी है, सफाई बिल्कुल नहीं है और दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। घायलों और बीमार नागरिकों को सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। शरणार्थी शिविरों में मौजूद तमिलों को शीघ्रातिशीघ्र सम्मानसहित उनके जन्मभूमि भेजा जाए।

अ.भा.अ.द्र.मु.क. ने अपने घोषणा-पत्र में यह वादा किया है कि यदि वह सत्ता में आती है, वह भारत सरकार से ईलम तमिलों के पुनर्वास पैकेज के रूप में 10,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए कहेगी। ईलम तमिलों के पुनर्वास के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित 500 करोड़ रुपये बहुत मामूली हैं और यह केवल घोषणा ही है। अ.भा.अ.द्र.मु.क. के और हमारे दल की महासचिव पुरात्ची थलैवी अम्मा की ओर से, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पुनर्वास पैकेज के रूप में 10,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दें।

दिल्ली के मामले में, माननीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए होने वाले प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का आबंटन किया है। राजधानी दिल्ली ने पहले भी एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। इस प्रकार के खेल आयोजित कर अतिरिक्त अवसंरचना विकसित होती है और शहर का विकास होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद इत्यादि जैसे अन्य महानगरों में भी आयोजित की जानी चाहिए। यह इन नगरों का विकास सुनिश्चित करेगा। वास्तव में, यह विश्व

के अन्य देशों में होता है। हम भारत के अन्य शहरों में ऐसे खेल आयोजित क्यों नहीं करते?

चेन्नई के मामले में हमारी माननीय अम्मा ने विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए नेहरू स्टेडियम का निर्माण कराया और चेन्नई में अन्य स्टेडियम भी हैं। उन स्टेडियमों का अभी उपयोग नहीं किया गया है। यदि हम देश के अन्य शहरों में बारी-बारी से खेलों का आयोजन करें, तो प्रत्येक शहर का स्वत: ही विकास हो जायेगा।

हमारी पार्टी की नेता माननीय अम्मा विदेशी बैंकों में कुछ भारतीय नागरिकों के द्वारा जमा अवैध धन को वापस लाने पर बार-बार जोर देती रही हैं। सरकार ने यह कहा है कि भारतीय नागरिकों के देश के बाहर गुप्त बैंक खातों में जमा अवैध धन को उन देशों की सरकारों के सहयोग से भारत वापस लाया जायेगा। क्या सरकार इस संबंध में श्वेत पत्र पेश करेगी? मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है अथवा नहीं।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा सं. 52 में कहा है कि यह अनुमान है कि कमजोर वर्गों के पांच लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण से लाभ मिलेगा। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अधिकतर बैंक कम राशि वाले ऋणों के लिए भी प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पत्ति के दस्तावेज मांगते हैं? क्या सरकार बैंकों को शिक्षा ऋणों को समयबद्ध रूप से जारी करने तथा उपभोक्तानुकूल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश देगी?

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं-"संविधान में प्रावधान किया गया हो अथवा नहीं, देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शासन किस प्रकार चलाया जा रहा है। यह प्रशासकों पर निर्भर करता है।"

मैं आशा करता हूं कि देश को चलाने वाले देश का प्रशासन इस रीति से चलायेंगे कि गरीबों और आम आदमी का कल्याण हो।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): मोहतरिम चेयरमैन सर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे मोहतरिम खजाना मंत्री की तरफ से पेश किए गए बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी तकरीर को लम्बा भी नहीं करूंगा और रिपीट भी नहीं करूंगा। जो मेरे ऑनरेबिल मैम्बर साहेबान ने अपनी तकरीर के दौरान नुकात उभारे हैं, मैं उनको दोहराऊंगा तो मैं हाऊस का वक्त जाया करूंगा। जंगे आजादी के बाद हमारे मुल्क हिन्दुस्तान ने जो तरक्की की है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में डैमोक्रेसी आ जाने के बाद इस देश ने योजनाबद्ध तरीके से पांच साला मंसूबे के तहत पिछले सात वर्षों में हर शोबे में जो तरक्की की है, यह उसी का नतीजा है।

हमारे मोहतरम खजाना मंत्री, जिनको मैं इन्सानियत की मूर्ति का खिताब देता हूं कि उन्होंने बड़ी दूरअंदेशी के साथ, बड़े सोच-विचार के साथ, जैसे उन्होंने अपनी बजट तकरीर में कहा कि उन्होंने देश भर के बुद्धिजीवी लोगों और तमाम रियासतों के खजाना मंत्री साहेबान से मशविरे लेकर इस बजट को आखिरी तश्कील दी और इस ऑनरेबिल हाउस में पेश किया। मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने आजादी के बाद यह एक तारीखी बजट पेश किया है। यह इस मायने में कहा जा सकता है कि पहली बार सही मायने में ऐसे एरियाज को लाया गया, जैसे कहते हैं कि यह मुल्क हिन्दुस्तान देहातों में बसता है और पहली बार देहात के लोगों को इस बजट में शामिल करके उनकी तरक्की के लिए रूरल डैवलपमेंट सैक्टर के अन्दर बहुत ज्यादा रकामात को बढ़ाना या तालीम के शोबे में अपने बजट में पहले की बनिबस्त ज्यादा रकामात देना, तिब्बी सहूलियत के लिए, जैसे हैल्थ सैक्टर के अन्दर ज्यादा पैसा रखना और मुख्तलिफ किस्म के शोबों को जो तरजीह दी गई है, मैं एक-एक को गिनाऊं तो उसमें समय लगेगा, लेकिन इनके एक-एक लफ्ज की मैं तारीफ करता हूं, ताईद करता हूं।

इसके साथ मैं दो बातें कहकर अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। यहां तक मैं कह सकता हूं कि इन्होंने साबिका फौजियों के साथ अर्सादराज से जो बेइंसाफी हुई और राष्ट्रपति के खुतबे के अन्दर यह दर्ज हुआ कि आने वाले सौ दिन के अन्दर वन रैंक वन पैंशन को लागू करेंगे तो मैं वजीरे खजाना को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने उस वायदे को इस बजट तकरीर में शामिल करके पूरा किया है। लेकिन मैं एक राय देना चाहता हूं कि यह वह तबका है, जो लाखों की तादाद में है, चाहे फौजी सर्विस के अन्दर हैं, वे सरहदों पर इस मुल्क के मुहाफिज बनकर बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, जहां साबिका फौजी, जो अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस मुल्क की खातिर देकर वापस आये हैं, उनकी तकलीफात को एड्रैस न करना, मैं समझता हूं कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती थी, लेकिन हमारी इस यू.पी.ए. सरकार ने और खजाना मंत्री जी ने यह जो वायदा पूरा किया है, मैं इनको बधाई देता हूं, क्योंकि फौजी आदमी, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान तपते हुए रेगिस्तान, बर्फानी चोटियां, सतह समन्दर और सय्यारों तक

की निगहबानी की होगी, जब रिटायरमेंट के बाद जब वे अपने घर को वापस आते हैं तो उनके मसायल, उनकी मुश्किलात की तरफ कोई नहीं देखता है। उनका गुजारा और उनके साथ फरका-फरकी भी होती है, चूंकि पहली सरकारों ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इन्होंने दिया है, इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में वह दरज नहीं, जैसे सिक्स्थ पे कमीशन लागू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बाकी शोबों के अन्दर बहुत सारे कमीशन बनाये गये हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

डिफेक्ट पर्सनल के लिए भी एक कमीशन लागू होना चाहिए। उसकी तैनाती होनी चाहिए, ताकि वक्तन-फक्तन चाहे वे हाजिर फौजी हैं, साहब के फौजी हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, वे अपनी मुश्किलात वहां दर्ज करायें और उनकी मुश्किलात का अजाला हो जाए। उस कमीशन को लीगल अख्तियारात भी मिलें, ऐसा मेरा कहना है। यह इसमें शामिल होना चाहिए।

महोदय, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के चारों तरफ बार्डर है। मैं जिस रियासत से आता हूं, जम्मू-कश्मीर, उसने बहुत सारी जंगें देखी हैं। मैं कह सकता हूं कि वर्ष 1962 की जंग तो सारे देश के लोगों ने एक तरफ देखी, लेकिन वर्ष 1965, 1971 और 1999 की जंग, ज्यादातर रियासत जम्मू-कश्मीर उससे मुतास्सिर हुई। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर, गुजरात से लेकर, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर, चाहे वह इंटरनेशनल बार्डर हो, चाहे वह एक्चुअल लाइन आफ कंट्रोल है, उसके मसाइल देश के बाकी हिस्सों से मुखतलिफ हैं। जो आदमी आधी दर्जन के करीब जंगों का शिकार हुआ हो, वह अपना मकान कैसे बनाता? वह तबाह और बर्बाद हो जाता है। वह अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी नहीं कर पाता, लेकिन सरकार की तरफ से वहां ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किए जाते। इस बजट में नहीं, जैसे इन्होंने यह तरजीह दी है और देहातों की तरफ अपनी तवज्जो ले गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इन सरहदी रियासतों-गुजरात से लेकर कश्मीर तक, उसमें राजस्थान भी हो, पंजाब भी हो, जम्मू-कश्मीर हो, उसके लिए अलग प्लानिंग और अलग बजट बनाकर उसकी निगरानी रखी जाए, ताकि जो लोग पिछले साठ वर्षों से पिछड़े हैं, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर में कई मील पीछे है, जहां मेडिकल स्कूल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वहां टेलीफोन की फैसिलटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलटी नहीं हैं, उन सबके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरफ अनप्रोवोक्ड फायरिंग वक्तन-फवक्तन होती है। लोगों की फसलों पर गोलाबारी होती है और उनकी फसल तबाह हो जाती है। लोगों की टांगें चली जाती हैं, जानें चली जाती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कंपन्सैशन नहीं मिलता। लोगों के मवेशी तबाह हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में अगर खजाना मंत्री जी ने इतनी दूर अफरादिली दिखाई है, दूरंदेशी दिखाई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक पैरामीटर रखना चाहिए और उनकी जान-माल और जायदाद इंश्योर होना चाहिए, उनकी फसल का फ्री इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि सरहदों में बसने वाले बगैरवर्दी इस मुल्क के मार्फत्, जो फख्र के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला करें और इस मुल्क की रक्षा कर सकें।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आखिर में मैं काईद सोनिया जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, खजाना मंत्री जी और हमारे उभरते सितारे राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी तवाजीज के जरिए इस बजट की किताब को छापने में अपना योगदान दिया। इतना कहते हुए मै। आपसे रूखसत चाहता हूं।

अपराह्न 5.03 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): जनाब सदरनशीं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमें दो-तीन मिनट बोलने का मौका दे रहे हैं। यह सब को मालूम है कि हमारा आइन, हमारे मुल्क का सोशलिस्ट आइन है। समाजवाद के उसूलों पर मबनी आइन है। साठ साल आजादी के गुजर जाने के बाद गरीबी और अमीरी के दरमियान अभी बहुत फर्क है। एक तरफ करोड़ों-अरबों में खेलने वाले हैं और दूसरी तरफ बच्चों को दवा की टिकिया देने के लिए तरसने वाले हैं। हमारा बजट, हमारी प्लानिंग इस तरह की हो कि अब गरीब और अमीर के दरमियान जो बहुत ज्यादा फर्क है, उसको पाट दिया जाए। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, जैसे सभी दोस्तों ने कहा कि हमारा भारत, हिंदुस्तान देहात में मुस्तमिल है। इसकी 80 परसेंट आबादी गांवों में है। गांवों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था कि जब तक हम गांवों के लोगों की भलाई का काम नहीं करेंगे, तब तक हम देश की भलाई का काम नहीं कर सकते। इंदिरा आवास योजना स्कीम के तहत देहात में गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए 25 से 30 हजार रुपये दिए जाते हैं जबकि इस समय साइकिल का टायर न जाने कितने रुपये में आता है। महंगाई कमर तोड़ है, होशरूबा महंगाई है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को देहात में घर बनाने के लिए कम से कम एक लाख रुपये दिए जाएं।

इसी तरह औरतों की तालीम की तरफ ध्यान देते हुए, क्योंकि आबादी का निसफिसा है, उसमें इस किस्म के इकदामा उठाने चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों और बच्चियों के कॉलेज मुखतलिफ रियासतों में खोलें। जहां ज्यादा बैकवर्डनैस है, वहां उनके लिए ज्यादा कॉलेज खोलें।

इसी तरह हम अकलियत की बात कर रहे हैं, मैं अकलियत नहीं मानता, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मुसलमानों की दूसरी अकसारियत है, उनके विकास के लिए, उन्हें गरीबी से, अंधेरे से निकालने के लिए सरकार ने वाकई कुछ काबिले-कदर इकदाम किए हैं, जिन्हें हम सराहते हैं। लेकिन इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। उनकी तालीम, उनके रोजगार, उनके समाजी बहबूद और दूसरी तरक्कियों के लिए काम करने की अशद जरूरत है, जैसे इस हाउस में बहुत से दोस्तों ने बात की है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि मुल्क में जो गरीब लोग, पिछड़े, कुचले लोग रहते हैं, वे चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब से हैं और मुल्क के किसी भी हिस्से में रहते हैं, हमारे बजट की सिमत ऐसी होनी चाहिए कि खुद-ब-खुद उनकी तरफ ज्यादा हाथ जाए, ज्यादा पैसा जाए, ज्यादा विकास जाए।

जम्मू कश्मीर की रियासत ने कमर तोड़ महंगाई के बावजूद जाया न होने के बावजूद पहाड़ी रियासत होने के बावजूद, दूरदराज रियासत होने के बावजूद सिक्स्थ पे कमीशन का पैसा दे दिया। हम पिछले बीस सालों से मिलिटैंसी से जूझ रहे हैं। हमारे हजारों, लाखों लोग मारे गए। हमारे पास यतीमों की एक फौज है, बेवाहों की एक फौज है, हाथ और पांव कटे हुए लोगों की एक फौज है, उनके लिए ज्यादा तवज्जह देने की जरूरत है। हमारे हिन्दु दोस्त, पंडित भाई जो हमारी जिस्मो-जाम का हिस्सा हैं, जो हमारे सकाबथ का हिस्सा हैं, जिनके बगैर हमारी कोई कीमत नहीं रहती, उन्हें अपने ही देश से अपनी ही रियासत से उठाकर दूसरे हिस्से में महाजन बनकर जाना पड़ा, माइग्रेशन करना पड़ा। मैं इस हाउस से, आपकी वसाकत और हुकुमत से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए खास पैकेज दिया जाए ताकि उनके बच्चों को रोजगार मिले। वे सड़-सड़कर इस समय कैम्पों में हैं, उनका कोई दोष नहीं है। उनके लिए खास तवज्जह देने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

हमारे एक दोस्त ने एमपीलैड के बारे में बात की है। जब हमारे मोहतरम अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। उस वक्त उन्होंने लगभग यह बात तसलीम की थी कि हम एमपीलैड का पैसा पांच करोड़ रुपये तक बढ़ायेंगे। शायद उसी वक्त दो करोड़ रुपए हुए थे। हमने उनके सामने पांच करोड़ रुपये की मांग रखी थी और उस पर उन्होंने हमदर्दाना गौर करने का यकीन दिलाया था। एमपी यहां बात करेंगे, धुंआधार, लच्छेदार तकरीर करेंगे, जब गांव वाले कहेंगे कि हमें यहां पचास हजार रुपये का कल्वर्ट बनाना है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वे आगे क्या देखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि एमपीलैड स्कीम के अंतर्गत कम से कम पांच करोड़ रुपये दिए जाएं। ...*(व्यवधान)* ठीक है, दस करोड़ रुपये ही सही, मेरे हाथ में होता तो मैं पन्द्रह करोड़ रुपये करता, यह उनके हाथ में है। ...*(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* जैसे मैंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की रीहैबिलिटेशन के लिए एक पैकेज दिया जाए।

हमारे पास इतना पानी है कि जम्मू कश्मीर रियासत में 25 हजार मेगावाट पावर पैदा करने की क्षमता है, ताकत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं उसकी तरफ तवज्जह मांगता हूं, बल्कि यह अर्ज करूंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के वक्त में ...*(व्यवधान)* पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी हुई, उस वक्त कश्मीर के दरिया पाकिस्तान को दिए गए और पंजाब के दरिया यहां रखे गए। हम ज्यों ही कुछ काम करना चाहते हैं, वुलर बैराज का काम करना शुरू किया, पाकिस्तान वाले फटाफट आ गए और उन्होंने हमें काम से रोका। वह काम दस साल से रुका हुआ है।

मैं गुजारिश करूंगा कि उसके मुआवजे आप हमें पैसा दीजिए, क्योंकि आपने हमारा ही पानी उनको दिया है। उसके मुआवज में जो नुकसान हमें उठाना पड़ता है, हमें उसके बराबर...*(व्यवधान)* इसी तरह कश्मीर में लाखों बेकार नौजवान हैं और वही बाद में उनके लिए ईदन बनते हैं, जो उग्रवाद चलाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि वहां बेरोजगारी का मसला है। इसके साथ लालफीते का आम मुल्क में शिकायत है वही दफ्तरी घिसाघिस, जो अंग्रेजों के वक्त में होती थी। कागज जल्दी नहीं चलते, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* इसके साथ आपने फूड सिक्योरिटी में जो कदम उठाया है, वह बहुत ही खूबसूरत कदम। इसकी मैं ताईद करता हूं और साथ ही अर्ज कर रहा हूं कि हर एक मैम्बर को शिकायत है कि उन्हें यहां बोलने का टाइम नहीं मिल रहा है। हमारी सबसे यह गुजारिश है कि आप पार्लियामैंट का वर्किंग टाइम ज्यादा बढ़ायें। इस तरह जब कोई दो मिनट में बोलने के लिए उठता है, तो तुरंत ही घंटी बजती है। ...*(व्यवधान)* बाकी की बातें जब वह यहां बोल नहीं पाता, तो लोग वहां उसकी घंटी बजायेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक: लिहाजा आप पार्लियामैंट का दिन बढ़ायें, वक्त बढ़ायें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चाहें, तो अपना शेष भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

****श्री गणेश सिंह** (सतना): माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2009-10 के बजट प्रस्तुती के दौरान बड़े जोर देकर कहा है कि यह बजट आम आदमी का तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के दिये गये अभिभाषण को शत प्रतिशत पूरा करेगा। जबकि ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बजट में जो आंकड़ेबाजी दिखाई गई है वह वास्तविकता से बहुत दूर है क्योंकि देश के जो वास्तविक हालात हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत चिंताजनक हैं। लोग लगातार कर्ज के बोझ से दब कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। मैं स्वयं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं। मेरे उम्र के वे अधिकांश युवा जो गांव में हमारे साथ शिक्षा अध्ययन करते थे, आज गरीबी के कारण वहां से नहीं निकल पाये और उन्हें अब जब मैं देखता हूं तो मुझे उनके जीर्ण-शीर्ण हालात को देखकर तरस आता है। न स्वास्थ्य की चिंता और गरीबी ऐसी कि दोनों समय का पेट भर भोजन नसीब नहीं होता। गरीबी दिनोंदिन बढ़ रही है परन्तु वित्त मंत्री जी ने 2014 तक देश की गरीबी को आधे से कम करने का दावा किया है। उन्होंने कृषि में वार्षिक 4 प्रतिशत की वृद्धि बनाये रखने की बात कही है जबकि यह सही है कि कृषि उत्पादन व्यय एवं पर्याप्त वर्षा का अभाव, खेती का धंधा घाटे का है। किसान कर्ज के बोझ से लदा है और आत्महत्या कर रहा है। जिस देश का 70 प्रतिशत आदमी खेती पर काम कर रहा है उस सेक्टर की इतनी उपेक्षा क्यों। कुल बजट में जितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है उसका मात्र एक प्रतिशत राशि कृषि क्षेत्र में खर्च करने से खेती का धंधा भला फायदे का कैसे हो सकता है। शासकीय सिंचाई, बिजली, जिस अनुपात में किसानों को चाहिए नहीं मिल रही। प्राकृतिक आपदायें बारिश की अनिश्चितता के चलते किसान हर वर्ष कर्ज से डूबता जा रहा है।

वित्त मंत्री जी यदि कृषि क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले बजट में प्रावधान बढ़ायें। देश के किसानों को एक बार पूरा कर्ज माफ करें। हर खेत को पानी तथा पर्याप्त बिजली देकर किसान के लागत खर्च के अनुपात में फसल का दाम दिलाने को पहल करें तभी 4% वृद्धि दर बनाये रख सकते हैं अन्यथा नहीं।

कृषि क्षेत्र में जो आंकड़े दिये जाते हैं वह सही नहीं होते। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कृषि में वृद्धि दर एक प्रतिशत बनाये रखना भी कठिन हो रहा है लेकिन वित्त मंत्री जी ने 4 प्रतिशत वृद्धि दर बनाये रखने की बात जो कही है वह गलत है। पहले कभी देखा कि अर्थव्यवस्था में कृषि को 21 प्रतिशत योगदान रहता था और देश की अर्थव्यवस्था का आधार खेती माना जाता है, लेकिन बजट में कृषि क्षेत्र मे किये जा रहे खर्च पर गहरा प्रश्नचिन्ह है, देश की संसद को इस पर गहरा चिंतन करना चाहिए क्योंकि एक तरफ उत्पादन व्यय बढ़ रहा है। एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में 950/- रुपये से अधिक का खर्च आता है और वह बाजार में 1080/- प्रति क्विंटल बिकेगा तो किसान कैसे मजबूत होगा।

बजट में वित्त मंत्री जी ने जो 2014 तक गरीबी 50 प्रतिशत कम करने का दावा किया है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जायेगी। इसका उल्लेख नहीं किया गया क्या गरीबी रेखा से नाम इसलिए काट दिया जायेगा कि उसके घर में पक्का शौचालय बन गया है या बिजली कनैक्शन हो गया है या उसे आवास उपलब्ध कर दिया गया है या रोजगार गारंटी योजना में नाम जोड़ दिया गया। इसलिए मैं एक उदाहरण मध्य प्रदेश का देना चाहता हूं। प्रदेश में 2002 में गरीबी रेखा की संख्या 42 लाख परिवार थी। जब वहां भाजपा की सरकार बनी तो गांव-गांव में लोग मांग कर रहे थे कि मेरी पात्रता होने के बाद भी गरीबी रेखा में नाम नहीं जोड़ा गया, तब राज्य सरकार ने पुन: गरीबी रेखा का सर्वे कराया जिसकी संख्या बढ़कर आज 62 लाख हो गई।

मेरा यह मानना है कि गरीबी बढ़ते क्रम में है। गरीबी मिटाने का नारा इंदिरा जी ने दिया था लेकिन गरीबी मिटने की बजाय बढ़ते क्रम में है। देश का जो आंकड़ा 100 में 36 लोग गरीबी में हैं, यह गलत है। सच्चाई तो यह है कि देश में वास्तविक गरीब परिवारों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है।

2014 में वित्त मंत्री जी ने गरीबी रेखा आधी करने की जो घोषणा की है उसे वापस लेवें और प्रत्येक बीपीएल परिवारों की माली हालत सुधारने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलायें।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मा. वित्त मंत्री जी ने देश की सबसे सफल योजना रोजगार गारंटी योजना को सफल माना है और 100 रुपया प्रतिदिन मजदूर को मजदूरी पाने की बात कही है जबकि यह गलत है। सच्चाई तो यह है कि नरेगा में औसत मजदूरी मात्र 35 रुपये ही मिल पा रही है क्योंकि जो टास्क रेट है उसके तहत जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी पायेगा। रोजगार गारंटी योजना में व्यापक सुधार यदि नहीं किया जायेगा तो योजना में कोई भी एजेंसी काम नहीं करा पायेगी, उक्त योजना में व्यापक शिथिलता आई है।

इस योजना में मजदूरी का भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है जबकि मजदूर को हफ्ते भर चक्कर मारने के बाद भी मजदूरी बैंक से नहीं मिल पा रही है। इसी तरह उक्त योजना में पक्के कार्यों में जो प्रतिबंध लगा है उसे समाप्त करना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने बजट में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे राज्यों को मदद का प्रावधान नहीं किया। एक तरफ पश्चिम बंगाल को आहला के लिए एक हजार करोड़ तथा महाराष्ट्र को एक हजार करोड़ दिया गया लेकिन मध्य प्रदेश जैसा राज्य तो पिछले 4 साल से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। केंद्रीय अध्ययन दल की सिफारिश के बाद भी मांग की गई 24 हजार करोड़ की सहायता पर एक रुपया नहीं दिया गया। यह वित्त मंत्री का घोर पक्षपात का कदम है। इतना ही नहीं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य हैं जो लगातार आपदाओं के शिकार रहे हैं, उन्हें एक रुपया नहीं दिया गया।

वित्त मंत्री जी ने ऊर्जा विकास एवं समान वितरण की बात कही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने ऊर्जा के वितरण में भयंकर पक्षपातपूर्ण कार्य किया है। मध्य प्रदेश को केंद्रीय पूल से 552 मेगावाट बिजली मिलती थी उसे काट कर आज 31 मेगावाट बिजली दी जा रही है। लगातार मांग करने के बाद भी न्याय नहीं दिया गया।

बजट में देश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए थोड़ी भी कहीं जिक्र नहीं किया। केंद्र सरकार का मूल्य नियंत्रण पर लगता है विश्वास खत्म हो गया है। एक तरफ गरीबी मिटाने की बात कही गई है दूसरी तरफ उस गरीब आदमी की क्रय शक्ति की चिंता नहीं की गई। आज हर चीज के दाम बढ़े हैं उन पर कब नियंत्रण होगा और आखिरकार महंगाई पर कौन नियंत्रण करेगा। मैं मानता हूं कि देश यह जानना चाहता है, वित्त मंत्री जी कृपया बतायें।

केंद्र सरकार की योजनाएं शिथिल पड़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत अत्यंत खराब है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो खजुराहो जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से होते हुए पन्थ राष्ट्रीय उद्यान एवं हीरा खदान के लिए जो जगह विख्यात है, होते हुए सतना जहां भगवान राम ने 11 वर्ष तक तपस्या की है, पूरा रोड जो आज दुर्घटना वाली सड़क के नाम से जाना जा रहा है, उसको चार लाइन करने एवं सतना शहर के बाहर बाईपास निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 7 जो मेरे क्षेत्र से होते हुए मां शारदा माता एवं बाबा अलाउद्दीन जी साधना स्थलों से होते हुए निकलती है उसके चौड़ीकरण करने एवं बीओटी योजना के तहत मैहर में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने हेतु मैं पिछले 5 वर्षों से इसी सदन में बनाये जाने की मांग करता रहा हूं लेकिन बजट में प्रावधान होने के बाद भी आज तक स्वीकृति नहीं मिली। इसके साथ-साथ सतना से एकरिया होते हुए इलाहाबाद रोड का निर्माण राष्ट्रीय सड़क निधि से कराये जाने की मांग करता हूं।

मध्य प्रदेश का ओरम्डा, खजुराहो पन्थ चित्रकूट सतना मैहर अमर कंटक रीवा बनारस का जो क्षेत्र है यह देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आवागमन का क्षेत्र है। इसके साथ ही सतना एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन आज तक सतना में हवाई अड्डा होने के बाद भी हवाई सेवा नहीं है। मेरी मांग है कि सतना को दिल्ली, भोपाल, बम्बई से सीधे हवाई सेवा से जोड़ा जाये एवं मेरे क्षेत्र को केन्द्रीय पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाये।

अंत में मैं बजट असंतुलित पक्षपात से भरा हुआ, आम आदमी का विरोधी एवं खास आदमियों के पक्ष धर एवं मंहगाई बढ़ाने वाला बजट मानता हूं।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर अपनी टिप्पणी करने का अवसर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट वास्तविकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में केवल इसी प्रकार का बजट पेश किया जा सकता था। वास्तव में यह बजट विकासोन्मुखी है और इसमें पददलित और समाज के पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्र ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमें तीन चुनौतियों का सामना करना है। पहली चुनौती है अर्थव्यवस्था को नौ प्रतिशत जीडीपी विकास दर पर लाना; दूसरी चुनौती है समग्र विकास के एजेण्डा को और व्यापाक बनाना; और तीसरी चुनौती प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरूस्त बनाना है। ये तीन चुनौतियां स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि यह सरकार दूरदर्शी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार इन नीतियों को वास्तव में कार्यान्वित कर सकती है।

हम वैश्विक आर्थिक मंदी के आलोक में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक मंदी के उतार-चढ़ावों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर

भी पड़ेगा। इस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी देश अपने आप में सिमट कर नहीं रह सकता। सभी राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में साझीदार हैं। यदि आप भारतीय विकास पर नजर डालें तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने अब तक अपनी प्रतिष्ठा बनाई हुई है। हमने इस स्थिति का सामना सफलतापूर्वक किया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी मंदी का दौर चल रहा है। लेकिन साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि सौभाग्य से भारत इस वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है।

जब हम वैश्वीकरण और इसी प्रकार की बात करते हैं, तो इस बिन्दु पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। इस बारे में अनेक चर्चाएं, वाद-विवाद, सम्मेलन और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि अब इसे स्वीकार कर लिया गया है कि भारत वैश्वीकरण के प्रभाव को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ढाल सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत वैश्वीकरण का 'भारतीयकरण' कर सकता है। माननीय वित्त मंत्री के भाषण में इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है।

यदि आप भारतीय स्थिति का विश्लेषण करें तो जानना चाहेंगे कि हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत प्रतिभावान और कुशल जनशक्ति है। विश्व में हमारे देश में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। इक्कीसवीं सदी ज्ञान की सदी होगी। यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अथवा उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था नहीं होगी। इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस ज्ञान की सदी में हम समूचे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं बशर्ते इस देश की युवा शक्ति का इष्टतम उपयोग करें।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस बजट में जन शक्ति के सृजन और आयोजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं जनशक्ति उपयोग में ऐसी दूरदर्शिता का परिचय देने के लिए सरकार और माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

अल्पसंख्यकों की बात करते हुए, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। मैं उनकी बातों से सहमत हूं और उनके विचारों का समर्थन करता हूं। कहीं यह डर भी होता है कि यदि आप अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करेंगे, तो यह आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसमें एक प्रकार से आलोचना होने का डर रहता है। यहां तुष्टिकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। अल्पसंख्यक जिसकी मांग कर रहे हैं, वह उनका संवैधानिक अधिकार है। यह सरकार का कर्तव्य है कि उनका हक उनको दिया जाए। इस संबंध में कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। मैं इससे सहमत हूं। हमने अनेक कार्य किए हैं। इस सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं, लेकिन यह समयबद्ध रीति से किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए मैं आपको 93वें संविधान संशोधन के बारे में बताना चाहता हूं। यहां संविधान के अनेक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। 93वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? 93वां संविधान संशोधन संविधान के खंड 15 में किया गया तीन पंक्ति का संशोध न मात्र है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं, चाहे वह सहायता प्राप्त संस्था हो अथवा नहीं, में आरक्षण प्रणाली शुरू कर सकती है। इस बारे में क्या किया गया है? इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून इसलिए नहीं बनाए जाते कि उनको लागू ही न किया जाए। उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे गंभीरता से लें और इसे संविधान संशोधन के अनुसार कार्यान्वित करे।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह अनिवासी भारतीयों के मत देने के अधिकार के बारे में है। हम इस मामले पर काफी समय से चर्चा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह न्यायोचित मांग है। समय सीमा को देखते हुए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। विश्व के अनेक देशों ने प्रतिनिधि द्वारा मतदान अथवा दूतावास के माध्यम से मतदान प्रणाली पहले ही प्रारंभ कर दी है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: मैं स्वास्थ्य संबंधी मामले को उठाने के पश्चात अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

इसमें कुछ विशिष्ट सिफारिशें हैं। हम भारतीय चिकित्सा प्रणाली अर्थात आयुर्वेद के महत्व को भूल चुके हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोट्टाक्कल, केरल में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव था। इस विषय पर तब चर्चा की गई थी जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि ने अपने शासनकाल के दौरान कोट्टाक्कल में अपना इलाज करवाया था। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह भारतीय चिकित्सा प्रणाली के विकास और मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोट्टाक्कल में प्रस्तावित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रारंभ करने हेतु सभी संभव प्रयास करे।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। मैं अगले वक्ता का नाम बुला रहा हूं।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: मैं गरीब रोगियों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता दी जाती है। अनेक आवेदन लंबित पड़े हैं; मुझे लगता है कि निधियां वितरित करने में वित्तीय अड़चनें आती हैं। परंतु गरीब कैंसर रोगियों को इसके लिए अंतहीन इंतजार करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री और सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इसके लिए अधिक आबंटन करें।

मैं गुरदा रोगियों के लिए एक और अनुरोध करना चाहूंगा। इसका इलाज अत्यंत महंगा है। केवल गुरदा रोगियों के लिए एक अलग केन्द्रीय निधि बनाने पर विशेष विचार किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं मूक-बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रोगियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: इस संबंध में हमारे यहां एक अधिनियम है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका पुन: धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर हो रहे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि वह अपनी बात अपने समय में ही खत्म कर दें।

श्री रेवती रमन सिंह: महोदय, मुझे कितना समय दिया गया है?

सभापति महोदय: आपको 5 मिनट का समय दिया गया है क्योंकि अभी लगभग 60 और सदस्यों को बोलना है।

श्री रेवती रमन सिंह: इससे अच्छा तो यह है कि मैं बिल्कुल न बोलूं।

सभापति महोदय: आप मुख्य मुद्दे उठा सकते हैं और शेष भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री रेवती रमन सिंह: मैं समाजवादी पार्टी का उपनेता हूं।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: सभापति जी, आप मेरी बात सुनें। मैं समाजवादी पार्टी का डिप्टी लीडर हूं। आप सबको सात-आठ मिनट दे रहे हैं और मुझे केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि मैं बिना कुछ कहे ही अपनी सीट पर बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री रेवती रमन सिंह: यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं अपने समय को छोड़ दूंगा।

सभापति महोदय: आप जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: आप पुराने सदस्य भले ही न हों, लेकिन यह तो जानना चाहिए कि सदस्यों की क्या पोजिशन है, वे कौन सी पार्टी को बिलांग करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अपना भाषण जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: सभापतिं महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश किए गए वर्ष 2009-2010 के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में आजादी के 62 वर्ष बाद आज भी करीब 72 फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में किसानों के नाम पर उन्हें केवल झुनझुना या लॉलीपाप दे दिया गया है। उनके लिए यह कहा गया है कि जो किसान समय पर इतना ऋण वापस कर देंगे तो उन्हें अगली बार छोटे किसानों को छ: फीसदी और बाकी को सात फीसदी की दर से सूद देना होगा। मेरी मांग है कि किसानों को कम से कम चार फीसदी से ज्यादा ब्याज नहीं देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए। आज भी हमारा देश और हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, भले ही सरकार नौ प्रतिशत जीडीपी की अपेक्षा करे। अगर कृषि क्षेत्र से चार फीसदी से कम हिस्सा जीडीपी में आएगा तो नौ प्रतिशत की दर का आपने जो अनुमान लगाया है, वह कभी पूरा नहीं हो सकता।

मान्यवर, किसानों पर छः और सात फीसदी ऋण की ब्याज दर करने से ही आप उनका भला नहीं कर सकते। हमारे देश में आजादी के 62 वर्ष बाद आज भी सिर्फ 38 प्रतिशत ही इरीगेटेड लैंड हैं। आज भी किसान मानसून पर निर्भर करते हैं। इस साल देखा जाए तो मानसून फेल हो गया है। मुझे ताज्जुब तो इस बात का होता है कि हमारे मौसम विभाग के अधिकारी भी इस बात को लेकर चुप हैं और यह नहीं बता पा रहे हैं कि पानी कब बरसेगा। मैं मांग करता हूं कि अगर देश को आगे ले जाना है तो किसानों को अलग से विशेष पैकेज देना होगा। सिर्फ एक बार कर्ज अदायगी माफ कर देने से किसानों का भला नहीं होगा। किसान आज बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं की जो खरीद हुई है, किसी भी किसान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सही मूल्य नहीं मिला है। मैं उत्तर प्रदेश की बात डंके की चोट पर कह सकता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी इस बात को नहीं कह रहे हैं। प्रदेश में ऐसी सरकार है, जिसका कृषि और किसान से कोई लेनादेना नहीं है। यहां पर हमारे साथी दारा सिंह जी बैठे हुए हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए। कार्यावाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंहः सही बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री रेवती रमन सिंहः महोदय, यह मेरे भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं।

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप जारी रखिए। आपका एक मिनट का समय बचा है। आपके छः और वक्ताओं को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंहः मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरा मेरा कहना है कि इस बजट में 6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा है, इसे आप कैसे और कहां से पूरा करेंगे? यह एक चिंता का विषय है। राजकोषीय घाटा बढ़ते-बढ़ते 6 प्रतिशत तक पहुंच गया है बल्कि इससे ऊपर ही चला गया है, इसे दर्शाया नहीं गया है। इसे आप पूरा कहां से करेंगे? एक बात आपने कह दी कि हम पूंजी-विनिवेश करेंगे, लेकिन मान्यवर, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने देश में जो पब्लिक सेक्टर की यूनिटें लगाई थीं, अमरीका और यूरोप की अर्थव्यवस्था फेल हो गई, लेकिन आज चीन और भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के बावजूद भी कायम हैं चाहे उसका प्रतिशत भले ही घटा हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। आप अपने दल के छठे वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंहः महोदय, हमारे दल से केवल चार सदस्यों ने बोला है।

सभापति महोदयः तो आप पांचवे वक्ता हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंहः आप बहुत जल्दी में हैं, आपकी भी मजबूरी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। नरेगा की चर्चा सरकार बहुत जोर-शोर से करती है लेकिन नरेगा में केवल 50 प्रतिशत लोगों को काम मिला और अगर पांच आदमी के परिवार को सम्मिलित कर लिया जाए तो एक साल में केवल 10 हजार रुपये ही एक परिवार को मिले। आप बताइये, अगर एक आदमी के परिवार का आपने साल में 10 हजार रुपये दे भी दिये तो क्यों आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? क्या आपने नरेगा स्कीम की मॉनिटरिंग की है कि यह स्कीम कैसी चल रही है? आपने 39 हजार करोड़ रुपया नरेगा में दिये हैं, माननीय पलानीमनिकम जी बैठे हुए हैं, एक उद्योग घराने को इन्कम-टैक्स 80(बी) में संशोधन करके, 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा इस सरकार ने कराया है। नरेगा में 39 हजार करोड़ रुपये और एक घराने को 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा, यह कहां का इंसाफ है। यह आम आदमी का बजट है या उद्योग घराने का बजट है, यह सरकार बताने की कृपा करे।

डॉ. रत्ना डे (हुगली): आदरणीय सभापति जी आपने मुझे इस सम्मानीय सभा में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 6 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत 2009-10 केन्द्रीय बजट का समर्थन करती हूं। वर्ष 2009-10 का यह बजट अत्यंत मुश्किल समय में प्रस्तुत किया गया है। यह विश्व वर्ष 1930 से अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत इससे सुरक्षित होने के बावजूद इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। पिछले पांच वर्षों में लगभग 9 प्रतिशत की विकास दर की औसत रहने के पश्चात विगत वित्तीय वर्ष में विकास दर घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण भारत में रोजगार और लोगों की क्रय क्षमता भी घटी है। इससे सामाजिक अस्थिरता और रोष बढ़ा है।

समग्र विभाग के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं। इस पृष्ठभूमि में कोई भी विभिन्न दृष्टिकोणों से बजट का विश्लेषण कर सकता है। पहला, इस बजट से किस हद तक विकास होगा? यह समग्र समावेशी विकास और सुधार के लिए भी है। दूसरे, इस बजट से आर्थिक और सामाजिक समावेशी विकास की चुनौती किस हद तक पूरी होगी अर्थात ग्रामीण और शहरी भारत में व्याप्त अंत को किस हद तक कम किया जा सकेगा? तीसरे, इस बजट से क्या नये सुधार किए जाएंगे? न केवल अभी बल्कि आगे के लिए भी चिंता का विषय है। अंत में, इस बजट से किस हद तक स्थिरता अर्थात राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता लाई जा सकेगी?

जहां तक विकास के लक्ष्य का संबंध है यह बजट विशेष के लिए ही बनाया गया है। विकास संबंधी समस्याओं पर मांग और आपूर्ति दोनों ही दृष्टि से चर्चा की गई है। मांग संबंधी वर्तमान समीक्षा को देखते हुए एककोषीय प्रोत्साहनों द्वारा अर्थव्यवस्था में भारी धनराशि लगाई गई है। यह राजकोषीय प्रोत्साहन भारी सरकारी लाभ और थोड़ी कर राहत दोनो के रूप में दिया गया है।

सरकारी व्यय के संदर्भ में यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में 10.2 ट्रिलियन रु. खर्च करने का प्रस्ताव है जो पिछले वर्ष से 36 प्रतिशत अधिक है और पिछले सात महीनों में दिए गए तीन बड़े राजकोषीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त है। इससे उपभोक्ता माल और निवेश दोनों में भारी वृद्धि होगी। वेतनभोगी मध्यमवर्गीय वर्ग के लिए बहुत कम कर राहत दी गई है। हमें इससे कहीं अधिक की आशा थी। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए आयु सीमा कम करें।

अब मैं आपूर्ति की बात करता हूं। भारत के विकास के मार्ग में अवसंरचना की कमी एक वास्तविक बाधा है। अवसंरचना की कमी से न केवल निजी निवेश में कमी आती है अपितु इससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी हतोत्साहित होता है। ग्रमीण विकास पर विशेष बल देते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस समस्या को समझा है और अवसंरचना के निर्माण हेतु भारी धनराशि का आबंटन किया है।

भारत निर्माण के लिए आबंटन में 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई है; सिंचाई लाभ कार्यक्रमों पर आबंटन में 27 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए बजट में भी 12,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने का प्रस्ताव है।

महोदय, प्रसन्नता की बात है कि 9 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य पर अत्यधिक बल दिए जाने के बावजूद, माननीय वित्त मंत्री, सप्रंग सरकार की समग्र विकास की वचनबद्धता के मार्ग से हटे नहीं हैं। ऐसे कठिन दौर में इन अलग-अलग उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था क्योंकि इनका अर्थ था सरकार द्वारा भारी राजकोषीय घाटा (लगभग 6.8%) दर्शाया जाना। परंतु, वित्तीय फजूलखर्ची के आरोपों के बावजूद उन्होंने ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और कई अन्य कल्याण योजनाओं के लिए भारी धनराशि का आबंटन किया है।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में हुगली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का स्वरूप मूलत: ग्रामीण है और उसमें गांव और ग्रामीण लोगों की संख्या अधिक है। उन गांवों में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। स्वयं सहायता समूहों के लिए वहां 500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। महिलाओं को अधिकारिता प्रदान किए जाने के साथ-साथ निरक्षरता दर को भी कम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए महिलाओं को अधि कार प्रदान किए जाएं। हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि हमारे प्रिय और सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि लक्षित व्यक्ति तक रुपये में से केवल 16 पैसे ही पहुंचते हैं। यह एक आश्चर्यजनक बात है पर यह सच्चाई है। इसलिए, प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है। एनआरईजीएस आबंटन में 144% की रिकार्ड वृद्धि की गई है।

महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद में और दूसरा केरल में दो परिसर खोले जाने का प्रस्ताव है। इन दो प्रस्तावित परिसरों के नामों के बारे में पहले ही काफी चर्चाएं चल रही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुर्शिदाबाद वाले परिसर का नाम बंगाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दूसरे का नाम केरल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा जाए।

महोदय, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि वे धनियाखली और बेगमपुर के निर्धन कपास बुनकरों को राहत प्रदान करें ताकि इस प्राचीन परंपरागत उद्योग जिसे आम भाषा में ''बंगलार तनेर साडी'' कहा जाता है, जीवित रह सके और अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से प्राप्त कर सके।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न बीपीएल सूची के बारे में है। बीपीएल श्रेणी में ग्रामीण लोगों हेतु सभी आबंटनों को बीपीएल सूची के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों को ही वितरित किया गया। एक समुचित बीपीएल सूची बनाई जानी चाहिए। इस संबंध में एक तंत्र विकसित करके उसे केन्द्रीय निगरानी के अंतर्गत लाया जाए और जाति, पंथ और राजनैतिक संबंधों का ध्यान रखे बिना एक सूची प्रकाशित की जाए।

महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि वृद्धि और विकास हेतु इस समग्रकारी बजट की जो कि बहुत प्रशंसनीय है में, मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकास का पहिया उन लोगों को न कुचले जिनके लिए विकास किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत को मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की है। हम सभी को ज्ञात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ''हम सभी में इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने की आंतरिक क्षमता होती है।''

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था के प्रश्न को उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल: माननीय सभापति जी, जिस समय लोक सभा और विधान सभा के सत्र चल रहे होते हैं, उस समय क्षेत्रों में हम लोगों के प्रदेश मे विकास संबंधी बैठक जिले में हो रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा का समय बर्बाद न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति जी, सुन लीजिए। यह हाउस से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आपने बताया नहीं है कि आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल: सभापति जी, जनपद बांदा और चित्रकूट जहां से मैं चुनकर आया हूं, इस समय वहां जिले में समीक्षा बैठक चल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमारे पास समय नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य गण, कृपया डॉ. संजय जायसवाल को परेशान न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: उन्होंने नियम का उल्लेख नहीं किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति जी, सभा की कार्यवाही चल रही हो तो जिले में कोई समीक्षा बैठक नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* यह रूल है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः नहीं, ऐसा रूल नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंहः सभापति जी, एक बात सुन लीजिए। जब पार्लियामेंट चलता हो तो यह जी.ओ. बना हुआ है कि जिले में कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं करेगा। लेकिन वहां विकास संबंधी मीटिंग कर रहे हैं और यहां से आदेश है कि जिले में विकास संबंधी मीटिंग नहीं होगी। इसलिए आप देख लीजिए कि उस जी.ओ. का वे लोग उल्लंघन कर रहे हैं। आप यहां से निर्देश भिजवा दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री रेवती रमन सिंह जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्य गण, कृपया डॉ. संजय जायसवाल को परेशान न करें।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति जी, मैं अपने नेता माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का और श्रीमती सुषमा स्वराज जी का आभारी हूं। *...(व्यवधान)* मेरा मेडन स्पीच है, कृपया मुझे बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

मैं अपने नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का और डिप्टी लीडर सुषमा स्वराज जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सदन में बोलने का मौका दिया।

विकसित राष्ट्रों में आम बजट कब आता है और कब चला जाता है, इसका किसी को पता भी नहीं चलता। परंतु हमारे यहां बजट सैशन से एक महीने पहले ही टी.वी. से लेकर चौक चौराहे तक केवल बजट की चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं माननीय प्रणब जी का आभारी हूं कि अगर वे इसी तरह का बजट एक-दो वर्ष और लाएंगे तो बजट के बारे में चर्चा करना आम आदमी बिल्कुल बंद कर देगा और वह आराम से रहेगा। मेरा यह पहला लोक सभा का बजट सत्र है, मैंने दो माननीय मंत्रियों का भाषण सुना। दोनों माननीय मंत्री जी एक ही प्रदेश से आते हैं। दोनों ने, माटी, मानुष और आम आदमी की बात कही। मैं बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले से आता हूं। उस जिले के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ला जी कांग्रेस के महा अधिवेशन में आए और एक बैरिस्टर को वे अपने इलाके में ले गए और वह बैरिस्टर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है। मैं भी उसी इलाके से आता हूं और वहां के आम आदमियों से मैंने बजट के बारे में पूछा। आम आदमी का बजट यह कैसे है जहां पर 2000 रुपये का सैट-टॉप बॉक्स मिलता है जिस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया और 76 चैनल भी वह फ्री उसमें टी.वी. देख सकता है, फिर भी आपने उस पर टैक्स बढ़ा दिया? लेकिन 50000 रुपये का एलसीडी टी.वी. जो आम आदमी खरीदेगा, उसे आपने टैक्स के हिसाब से बहुत लाभ दिया। वह कौनसा आदमी है जो गांवों के सुनार से या गांव या कस्बों की दुकानों से सोना या चांदी खरीदता है, उस पर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पर टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन वहीं अगर दिल्ली में आकर एयरकंडीशंड मॉल में ज्वैलरी खरीदता है तो आप उसको टैक्स बैनेफिट देने को तैयार हैं। आम आदमी अगर बीमार पड़ता होगा तो जरूर वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या सफदरजंग अस्पताल नहीं जाता होगा क्योंकि अगर आम आदमी एम्स जाता होता तो आप इस बजट में 60 हजार करोड़ रुपये की कटौती इन अस्पतालों में बिल्कुल नहीं करते। आम आदमी के लिए आपने यह भी सुविधा दी है कि 2000 सीसी के ऊपर की गाड़ियां खरीदकर वह शान से घूम सके। आम आदमी जरूर फिल्म स्टार होता होगा, क्रिकेट प्लेयर होता होगा या कॉरपोरेट का सी.ए. होता होगा तभी तो आपने एफ.बी.टी. में उन्हें पूरी तरह से छूट दी है। अगर आर्थिक मदद की बात करें तो माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य नहीं आए लेकिन इस बजट में महाराष्ट्र और केरल जैसे गरीब राज्यों को विशेष रियायत दी गई है। पश्चिम बंगाल के लिए एक हजार करोड़ रुपए आइला तूफान के लिए जरूर दिया है लेकिन बिहार में कोसी नदी के कारण पूरा बिहार नष्ट हो गया और इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। ये आम आदमी और गांवों की बात कर रहे हैं, 10,20,000 करोड़ के बजट में मात्र 62,887 करोड़ रुपए कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई के लिए दिया है जबकि आप गांवों के विकास की बात कह रहे हैं। आपने प्रिंट मीडिया में 10 प्रतिशत की सरकारी एडवर्टाइजमेंट में छूट दी है और 15 प्रतिशत कमीशन माफ किया है। यहां पर जितने सांसद हैं, सब चुनाव लड़कर यहां आए हैं। जब संसद के लिए हम चुनाव लड़ रहे थे तब यही प्रिंट मीडिया हमें पैकेज दे रहा था कि आप पांच, दस या बीस लाख का पैकेज लीजिए तभी आपके बारे में छापेंगे। कोई आदमी कैसे सांसद का चुनाव लड़ेगा, अगर प्रिंट मीडिया उसके बारे में एक शब्द नहीं लिखेगा? मैं इस रियायत का विरोध करता हूं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि प्रिंट मीडिया ने न्यूज छापकर, एक-एक अखबार ने दो सौ करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं तो केवल दैनिक जागरण के बारे में कहता हूं कि प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट के बदले न्यूज छापी है और इसमें दो सौ करोड़ का घोटाला किया है।

महोदय, नरेगा में 144 प्रतिशत वृद्धि की है, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उनकी

मॉनिटरिंग कौन करेगा? आईएएस अफसर, जो डीसी और डीएम होते हैं, वे सब सैंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अगर किसी पैकेज का दुरुपयोग होता है, चाहे वह नरेगा का हो या पीडीएस हो, तब आप आईएएस अफसर को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते हैं? आईएएस अफसर को ब्लैकशीटेड करना चाहिए क्योंकि वे सैंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जब तक हम रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे चाहे दस या बीस हजार करोड़ रुपए भी दे दें, पचास हजार करोड़ का बजट भी दे देंगे तब भी कोई लाभ नहीं होगा। आप कृपया रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें ताकि सैंटर के पैसे का कोई दुरुपयोग न कर सके।

[अनुवाद]

श्रीमती दीपा दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, आम बजट पर चर्चा में इस सम्मानीय सभा में बोलने हेतु मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, जब मेरे पति कभी सत्ता पक्ष में या विपक्ष में रहते हुए जब सभा में बोलते थे तो मैं दर्शक दीर्घा में बैठी होती थी।

महोदय, आज इस सम्मानीय सभा में बोलते हुए मुझे हार्दिक पीड़ा और दुख हो रहा है क्योंकि जिस दिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद घोषित किया गया उसके सात दिन के अंदर वह बेहोश हो गए और आज तक न तो वह बोल पा रहे हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं और वे अभी भी अस्पताल में ही हैं। परन्तु, यह जनता का निर्णय है जिसके कारण मैं आज यहां मौजूद हूं और विशेष रूप से बजट में उनके बारे में बोलना मेरी जिम्मेदारी है।

महोदय, यह पहला अवसर है जबकि मैं बोल रही हूं और बहुत भावुक हूं और मेरे लिए यह बहुत दुख की बात है। अत:, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं थोड़ा अधिक समय के लिए बोलूंगी। कृपया आप मेरे लिए बजर न दबाएं।

महोदय, सप्रंग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी; हमारे प्रिय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह; और आम आदमी के नेता श्री राहुल गांधी जी के महान नेतृत्व में सप्रंग सरकार की पांच वर्षों की उपलब्धियों के कारण ही सप्रंग सबके सहयोग से फिर से सत्ता में आया है। यह किसी एक आदमी का कार्य नहीं है बल्कि सबने मिलकर कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप सप्रंग सरकार फिर से सत्ता में आई है।

महोदय, नई सरकार का यह पहला बजट है और मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी का 10,20,838 करोड़ रुपये का बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करती हूं। उन्होंने राजकोषीय घाटे को बनाए रखने का निर्णय लिया है। नौ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के लक्ष्य के साथ यह एक विकासोन्मुखी बजट है। हम सब यह जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी आने के साथ ही राजस्व में वृद्धि होने पर घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने उच्च वृद्धि स्थापित करने पर वास्तविक चुनौती के रूप में ध्यान केन्द्रित किया है। मैंने उनका एक साक्षात्कार सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह उनके द्वारा सोच-समझकर उठाया गया जोखिम है। यह कमजोर आर्थिक स्थिति, जो वैश्विक रूप से व्याप्त है, के लिए एक स्पष्ट और सकारात्मक संकेत दिया है। आधारभूत ढांचे और ग्रामीण विकास पर यह बल दीर्घकाल में समृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग देगा। मैं अन्य विपक्ष के सदस्यों को भी भाषण देते हुए सुन रही हूं, जिसमें वे कह रहे हैं:

[हिन्दी]

कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा।

[अनुवाद]

यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से हम सब लोग मिलकर इसका सामना कर रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री कोई जादू नहीं कर सकते। इसमें अत्यधिक समय लगेगा। लेकिन यह बजट जिसे उन्होंने इस सभा के सामने रखा है, वास्तव में एक गरीबोन्मुखी बजट है।

[हिन्दी]

कुछ लोग कह रहे थे कि यह बजट आम आदमी के लिए नहीं खास आदमी के लिए है। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि यह आम आदमी को खास आदमी बनाने वाला बजट है। यह वंचित लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त बनाएगा। उन्हें निश्चित ही कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने, किसी अप्रत्याशित परिणाम का वादा किए बिना सभी प्रमुख मुद्दों को प्रभावित किया है। अपने भाषण में, वह भारत के ग्रामीण लोगों–जिसे हम ग्रामीण भारत कहते हैं तक विद्युत आधारभूत ढांचा, गरीबों के लिए आवास, शहरों

में रोजगार प्राप्त लोगों के माध्यम से पहुंचे हैं। उन्होंने आयकर पर अधिभार वास्तव में फ्रिंज बेनीफिट टैक्स समाप्त कर दिया है। मैं अधिक बातों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करूंगी। चूंकि मैं एक महिला हूं, मैं कहना चाहती हूं कि यह महिलाओं के लिए लाभप्रद नहीं है, महिलाएं इसलिए खुश नहीं हैं कि वे आभूषण खरीद सकती हैं बल्कि निर्धन साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता जिस पर काफी ध्यान दिया गया है, हमें खुश करती हैं। लक्ष्य यह है कि उनका 50 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह के रूप में नामांकित किया गया है, जो ग्रामीण भारत के लिए बहुत आवश्यक है।

चूंकि मैं एक ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से हूं, मैं कहती हूं कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार के 32 वर्षों के बाद भी, मेरे संसदीय क्षेत्र में, जहां गोलपोखर निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधानसभा सदस्य रही हूं, आजादी के 62 वर्षों के बाद आज तक लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय नहीं है। यह हमारे लिए शर्मनाक हैं। फिर भी, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने भूमि दी है। हमने उस उद्देश्य के लिए भूमि का पंजीकरण किया है। हमने हमारा प्रस्ताव रखा है, लेकिन सरकार कोई आश्वासन नहीं दे रही है कि वहां लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय हो सकता है। यह अल्पसंख्यकों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, घनी आबादी का क्षेत्र है।

इसके अतिरिक्त, मैं कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला कोष के लिए आबंटन 100 करोड़ रु. से बढ़कर 500 करोड़ हो गया है। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, पॉलीटेक्निक के उन्नयन को प्राथमिकता दी है। उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए कर में कटौती की घोषणा की है। यह विशेषकर उन गरीब लोगों के लिए है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में निर्धन मुसलमान अल्पसंख्यकों की दशा में अपनी आँखों से देखा है। लड़के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जा रहे हैं। वे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वे एमबीए या कुछ विशेषीकृत पाठ्यक्रम नहीं कर सकते। अल्पसंख्यकों के लिए अनेक छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई है। विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के लिए, कुछ विशेष छात्रवृत्तियां होनी चाहिएं, जो अल्पसंख्यकों को दी जानी चाहिए।

ग्रामीण विकास के लिए अेनक योजनाएं हैं। मैं इन सब की चर्चा नहीं कर रही हूं क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एपीडीआरपी, आरकेवीवाई, आरएसबीवाई, नरेगा जैसी योजनाओं के लिए अधिक धन का आबंटन दिया गया है। लेकिन मैं नरेगा के बारे में बोलूंगी। नरेगा या अन्य दूसरी योजना मुख्यत: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है। विगत 32 वर्षों से, पश्चिम बंगाल के लोग बीपीएल सूची प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं।

यह लोगों के सामने कभी नहीं आई है और इस वजह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में पूरी तरह विफल रहा है। जब हम उनसे पूछते हैं, वे कहते हैं कि पैसा सीधे प्रधानमंत्री से जिलाधिकारी के पास जा रहा है।

[हिन्दी]

बीच में कोई सीपीएम नहीं हैं, सीपीएम नहीं है।

[अनुवाद]

नहीं समस्या है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल रहा है। 100 दिनों में से केवल 11 से 17 दिनों तक वहां लोगों को रोजगार मिला है। यह वास्तव में बहुत श्रमसाध्य है, लेकिन इस बीपीएल सूची को शीघ्र ही संशोधित किया जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि अनेक गरीब लोग हैं जो इस सूची से बाहर हैं, लेकिन उनके नाम शामिल किए जाने चाहिए और यह शीघ्र ही किया जाना चाहिए।

योजनाएं वास्तव में अच्छी हैं और वे वास्तव में लोगों के विकास के लिए हैं। लेकिन क्रियान्वयन में अनेक खामियां हैं। जब योजनाएं राज्यों में जाती हैं, विभिन्न योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन नहीं होता है। अत: खामियों को दूर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए बढ़ा हुआ आबंटन और कृषि वृद्धि दर का बढ़ा हुआ लक्ष्य, निश्चित रूप से ग्रामीण निवेश और आय स्तर में सुधार करेगा और इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा व्यय करने पर बल देने वाली कम्पनियों का निष्पादन निश्चित रूप से अच्छा होगा।

महोदय, अब मैं कुछ विशेष कार्यक्रमों पर आती हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती दीपा दासमुंशी: महोदय, मैं हमारे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक समस्या का उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। सम्पूर्ण उत्तर बंगाल में, छह जिले हैं और उन जिलों में, केवल एक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और केवल एक सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय है। यह वास्तविक समस्या है, जिसका हम सामना कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ा हुआ है और इसके बाद दार्जलिंग है। यह

समस्या दार्जलिंग में ज्वालामुखी की तरह फैल रही है। लालगढ़ की तरह वहां भी समस्या उठ रही है। सरकार बहुत अधिक ध न खर्च कर रही है।

[हिन्दी]

नक्सलवाद का दमन करने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है।

[अनुवाद]

लेकिन इसके पीछे क्या कारण है। उन क्षेत्रों में विकास नहीं होने की वजह से यह समस्या उठ रही है। उन्हें धन नहीं मिल रहा है, वहां कोई विकास नहीं है उनके सामाजिक स्तर में कोई सुधार नहीं है और इसी वजह से ये बातें उठ रही हैं।

अब इस समय, पश्चिम बंगाल में 13 चाय बागान बंद हैं और 15000 मजदूर सड़क पर हैं। इन श्रमिकों की लड़कियां वेश्या बन रही हैं और उनके बच्चे बेचे जा रहे हैं। आज यह स्थिति है। आइला चक्रवात पीड़ितों की राहत एवं पुनर्स्थापना के लिए, वित्त मंत्री ने 1000 करोड़ रु. दिए हैं और इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करती हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि चाय बागान मजदूरों की समस्या वास्तविक है। हम सब चाय पीते हैं और जब हम एक कप चाय पीते हैं तो हमें उन 15000 चाय बागान मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए जो आज सड़क पर हैं। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि उनके लिए पूर्वोत्तर की तरह एक पैकेज होना चाहिए, पूरे उत्तर बंगाल के लिए ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके।

महोदय, बजट के बारे में, अनेक लोगों ने कहा है कि यह एक नकारात्मक बजट है। लेकिन मैं कहती हूं कि कुछ लोगों के लिए यह अच्छा है और कुछ लोगों के लिए यह अच्छा नहीं है। यह एक मिश्रित बजट है।

[हिन्दी]

हमारी जो भी योजना है वह हम सब रखेंगे क्योंकि जब बजट आता है तो हमारा दिल चाहता है कि थोड़ा बजट आगे बढ़ जाए। इसलिए हमारा दिल मांगे मोर। यह कहकर मैं थैंक्स ज्ञापित करती हूं और बजट को सपोर्ट करती हूं।

श्री प्रेमदास राय (सिक्किम): सभापति महोदय, पिछले वक्ता ने जहां बात छोड़ी थी और उन्होंने जिस भावना से यह बात कही थी, मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मैं कहूंगा इस समय उपयुक्त बजट पेश किया है। मंदी के इस दौर में यदि किसी मुद्दे पर हमें सोचना है तो शायद वह यह है कि इससे सबसे अधिक नुकसान किसको होता है और हम हमेशा बिना किसी विश्लेषण के यह कह सकते हैं कि कमजोर और गरीबों पर मंदी के दौर में सबसे अधिक मार पड़ती है। वास्तव में वैश्विक मंदी ने हमारे देश को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन कल जब मैं इसी मुद्दे पर वार्टन के एक प्रोफेसर के साथ चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि यह समस्या भारत में उतनी नहीं है, जितनी अमरीका में है, और उसका कारण यह है कि भारत में विशाल घरेलू बाजार है और माननीय प्रणव मुखर्जी जी ने जो प्रोत्साहन पैकेज दिए थे, उन्होंने वे वास्तव में अब काम करना आरंभ कर दिया है। मेरा मानना है कि यह बजट के बारे में बहुत कुछ कहता है।

इसलिए बजट कई तरह से आम आदमी के लिए है और निश्चित तौर पर यह ग्रामीण विकासोन्मुखी है जो बहुत अच्छा अर्थशास्त्र भी है। शेयर में इसके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। परंतु यदि आप कुछ विश्लेषणों पर एक नजर डालें और अर्थशास्त्र के अधिकांश गुरुओं का जो कहना है उसके अनुसार इनमें से ज्यादातर ने इसे दस में से सात या आठ अंक दिए हैं।

सिक्किम, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, ने काफी तरक्की की है। आज, यह भी जाना जाता है कि हमने डॉ. पवन चामलिंग के सक्रिय नेतृत्व में सत्तर प्रतिशत से अधिक बजट ग्रामीण क्षेत्र को अंतरित कर दिया है। यदि आप आंकड़े देखें, शायद मैं मिनी इण्डेक्स छोटा सूचकांक इण्डेक्स संबंधी अधिक आंकड़ों की पुन: बात करूंगा, जिससे संसाधनों के साम्य वितरण के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। मुझे इस महत्वपूर्ण सभा को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे राज्य में सीमांतीकरण बहुत कम है। एक यह भी कारण है कि हमने अपने राज्य में चहुंमुखी प्रगति की है और कई संकेतकों पर हम देश में आगे है।

यह कहने के बाद, मैं इस सभा के समक्ष माननीय वित्त मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल को दिए जा रहे आइला पैकेज की आवश्यकता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वास्तव में आइला का असर सिक्किम पर भी हुआ था। यह दार्जलिंग पहुंच गया है, कलिमपोंग पहुंच गया है और वास्तव में हमारे राज्य में भी भारी तबाही हुई है अत: 100 करोड़ रुपये के पैकेज में से थोड़ा सा ही सही, हमारे राज्य को भी आबंटित किया जाए।

मैं इस ओर भी इस सम्मानीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि 282 से अधिक सदस्य नए हैं, कि सिक्किम ने 1973 में 8 मई के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। तो 35 वर्ष के बाद हम यह देख रहे हैं कि सिक्किम वास्तव में भारत संघ का भाग है। इससे पहले, मैं यह कहना चाहता हूं, कि सिक्किम

पूर्णत: एक जनजातीय राज्य था। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिक्किम का मामला 371 (च) के अधीन संरक्षित है और मैं सिर्फ उसका उल्लेख कर रहा हूं।

मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें जल संबंधी एक सरकारी नीति की आवश्यकता है। जल उपयोग और संरक्षण हेतु कड़े दिशानिर्देश और संहिताएं होनी चाहिएं। सिक्किम में हिमनदों जहां जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जहां हम अपने उन ग्लेशियरों को संरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की सोच रहे हैं जो हमारे राज्य से निकलने वाली नदियों का मूल स्रोत हैं। हमारे यहां तिब्बती पठार से आने वाली कोई नदी नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में से गुजरने वाली सभी नदियां हमारे अपने हिमनदों से निकलती हैं और मैं यहां पर यह भी जोड़ना चाहता हूं कि ये हिमनद बहुत तेजी से सिकुड़ रहे हैं।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री जो परिणाम हासिल करना चाहते हैं–और मैं इसे एक भावुक निवेदन बनाना चाहता हूं–यदि आपूर्ति तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए तो ही यह संभव हो सकता है।

सायं 6.00 बजे

जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और नौकरशाही तंत्र को कहीं अधिक परिणामोन्मुखी बनाना चाहिए। मेरा ख्याल है, मैं इस मामले विशेष के संदर्भ में पूछने या इस मामले विशेष को प्रस्तुत करने वाला न तो पहला व्यक्ति हूं और न ही अंतिम क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश कार्यक्रम सुअभिप्रेत हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। मैं केवल एक मिनट लूंगा।

मैं इस सभा का समय दो घण्टे और बढ़ाना चाहता हूं। यदि सभा सहमत हो, तो हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: ठीक है, सभा का समय दो घण्टे बढ़ाया जाता है।

श्री प्रेम दास राय: मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि नौकरशाही तंत्र से जिस जवाबदेही की आवश्यकता है और जो सरकार के सभी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके साथ, मैं अपना शेष भाषण सभापटल पर रख रहा हूं।

*मेरा दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा (सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट), जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का अंग है, केन्द्रीय बजट 2009 का समर्थन करता है और मैं इतने कम समय में इतना उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की सराहना करता हूं।

कई लोगों ने बजट निर्माण प्रक्रिया को सुकर और समृद्ध बनाने के लिए योगदान दिया है। माननीय वित्त मंत्री की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए मैं उनके विचारार्थ सभा के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं केन्द्रीय बजट में आबंटन से संबंधित कई मुद्दों को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों और हवाई अड्डों का निर्माण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण विकास, भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन शामिल हैं और इसके अतिरिक्त एक तरोताजा दृष्टिकोण से 'माउंटेन पैराडाइम' के मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

'माउंटेन पर्सपेक्टिव' बनाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों के विपरीत पर्वतीय पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की विशिष्टताओं की पहचान के लिए पांच 'माउंटेन स्पेसीफिसिटीज' की धारणा उपयोग की जा सकती है। इनमें से तीन अगम्यता, सुकुमारता और सीमांतता जैव भौतिक कारकों को प्रभावित करती हैं, जबकि अन्य दो, विविधता और पारिस्थितिकी पर्वतीय विकास के लिए सकारात्मक अवसर प्रदान करती हैं। यह तथ्य कि अधिकांश 'मैदान' उन्मुख विकास परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में विफल हो जाती हैं, 'असंवेदनशीलता' के कारण अथवा इन विशिष्टताओं को पहचानने में विफल होने से संबंधित हैं।

मैं आगे कतिपय पर्वतीय विशेषताओं (माउंटेन कैरेकेटैरिस्टिक) को संक्षेप में बताते हुए पर्वतों की कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का उल्लेख करना चाहता हूं। ये हैं– ढांचागत भंगुरता, जलवायु और जैविक विविधता, उच्च अध:पतन और पारिस्थितिकीय जटिलता। पर्यावरणीय विशेषताओं की सामाजिक-आर्थिक बाधा के सापेक्ष अगम्यता, भंगुरता के कारण लागत वृद्धि, जलवायु लाभ और जोखिम, भंडारण स्थल तथा जल-संभाव्यता एवम् सीमान्तता हैं।

..... भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

केन्द्रीय बजट में देश के दीर्घकालिक (समग्र) सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधियों का आवश्यकता आधारित आबंटन सुनिश्चित किया गया है तथापि मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासकारी क्रियाकलापों, विशेषकर सड़क, विमानपत्तन तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु आबंटन पर ध्यान दिए जाने पर टिप्पणी करना चाहता हूं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समग्र आबंटन को 18126.64 करोड़ कर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 में आबंटित 1206 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1511 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

(संशोधित अनुमान और 25% की बढ़ोत्तरी)

नागर विमानन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 20 करोड़ रु. का एकमुश्त प्रावधान किया है।

आयकर अधिनियम की धारा 10 क और 10 ख के अंतर्गत निर्यात लाभों पर छूट दी गई है। वित्तीय वर्ष 1009-10 के बाद इन धाराओं के अंतर्गत छूट नहीं दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री ने निर्यात में मंदी से उबरने के लिए इन कर छूटों को एक और वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2010-2011 तक बढ़ाने के लिए ''सन-सैट-क्लॉज'' का प्रस्ताव किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आयकर छूट (धारा 10 क और 10 ख) को 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाना, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में एफबीटी को समाप्त करना (जिसमें ईएसओपी के कारण अधिक कर लगता था) तथा 'पैकेज्ड सॉफ्टवेयर बोड्स' पर शुल्क को समाप्त करना इस उद्योग के लिए अच्छा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को इन छूटों से कोई अधिक लाभ नहीं मिला है क्योंकि पूर्वोत्तर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रसार बहुत धीमा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध अवसंरचना उच्च गुणवत्ता प्रदान करने तथा मिशन हेतु महत्वपूर्ण कार्य और व्यवसाय की स्थापना हेतु पर्याप्त नहीं हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि पूर्वोत्तर में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ये कर छूटें केवल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ही दी जाएं ताकि इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्यागिकी में अधिक निवेश किया जाए। बजट में एसटीपी नीति के ''सन सैट क्लॉज'' को एक वर्ष तक बढ़ाया गया है क्योंकि भारत सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को बढ़ावा देना चाहती है। तथापि सभी आईटीएसएमईएस के लिए एसटीपी नीति चाहते हैं।

आप इस आधार पर एसटीपी नीति के 'सन सैट क्लॉज' को समाप्त कर पूर्वोत्तर में आईटी उद्योग का चेहरा बदल सकते हैं कि पूर्वोत्तर में सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र उचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है।

मैं सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता है। हमारा देश संक्रमण काल से गुजरते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास एवम् खुशहाली की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। शिक्षा प्रणाली में समग्र परिवर्तन किए बिना इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यापक प्रसार से शिक्षा और 'ई-लर्निंग' में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है जिससे इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव की विश्व के बेहतरीन पुस्तकालयों तक पहुंच सुकर हो सकेगी। अत: हम इक्कीसवीं सदी के अत्याधुनिक डिजीटल नेटवर्क की स्थापना करने की आशा कर रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में विकास का नया अध्याय शुरू होगा। इस प्रयास में हम भारती, रिलायंस, टाटा टेलीकॉम जैसी निजी कंपनियों सहित पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे जैसे कम से कम 3-4 प्रमुख उद्यमों के साथ समन्वय करने की आशा करते हैं। मेरा राज्य सिक्किम अपना पावरग्रिड नेटवर्क स्थापित किए जाने की आशा कर रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि फाइबर ऑप्टिक केबल राज्य के सभी गांवों में बिछाई जा सके।

वर्तमान में राज्यों को एसएसए निधियां वार्षिक आधार पर दी जाती है, जिसके कारण राज्य दीर्घकालिक योजना नहीं बना सकते। यह बेहतर होगा कि राज्यों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों के लिए निश्चित निधियां जारी की जाएं जिसकी अध वार्षिक प्रगति की निगरानी की जाए।

बेहतर उच्च शिक्षा व्यावसायिक सफलता का आधार है। मैं इस अवसर पर केन्द्रीय बजट में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में सुविधाओं में सुधार करने के लिए 50 करोड़ रु. का आबंटन करने पर बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं तथा पूर्वोत्तर में अध्ययनशील युवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा हेतु अवसंरचना का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा में सुधार करने के मामले पर ध्यान दे जिससे वहां के युवाओं को अधिक अवसर मिलें और उनके बीच बढ़ती असंतोष की भावना को दूर किया जा सके।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के आबंटन में पिछले बजट की तुलना में वस्तुत: कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आबंटन में लगभग 10 प्रतिशत की कमी की गई है। निम्न योजनाओं के लिए अधिक आबंटन किया गया है:

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- इन्दिरा आवास योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- जल और स्वच्छता कार्यक्रम (वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम)

हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को महसूस किया जा रहा है, जिनमें से कुछ हैं–तापमान बढ़ना, वर्षा ऋतु में परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना और उनका कम होना, समुद्री जल का स्तर बढ़ना, दुष्कर मौसमी परिस्थितियों की सघनता और बारम्बारता में वृद्धि, फसल चक्र में बदलाव तथा हवा से फैलने वाले रोगों में वृद्धि आदि। मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाए तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करने के लिए सुनियोजित योजना बनाई जाए एवम् बेहतर ऊर्जा प्रबंधन के लिए एक कार्यनीति बनाई जाए।

इन मुद्दों का समाधान करने में सप्रंग सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए मैं इस अवसर पर कतिपय महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने का अनुरोध करता हूं जिनका समाधान केन्द्रीय बजट, 2009-2010 में ही किया जा सकता है।

गत वर्ष आरंभ की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना मे जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीति अपनाने और हमारे विकास मार्ग की पारिस्थितिकीय निरन्तरता में वृद्धि करने का वादा किया गया था। आठ राष्ट्रीय मिशनों, नामत: नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन इनहान्सड इनर्जी ऐफीशियनसी, नेशनल मिशन ऑन ससटेनेबल हैबीटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ससटेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीकल्चर एण्ड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटिजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेन्ज हेतु आवश्यक निधियां प्रदान की गई थीं।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना का आरंभ एक स्वागत योग्य कदम है तथापि अभी सरकार ने पहचान किए गए आठ मिशनों में से किसी के लिए भी सरकारी व्यय के वित्तपोषण हेतु कोई उपाय घोषित नहीं किए हैं। ऐसा करने की वास्तविकता की जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानियों को कम करने हेतु तुरन्त पहचान की जानी चाहिए।

सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री चैम्लिंग को विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली से भारत के पर्यावरण हितैषी (ग्रीनेस्ट) मुख्य मंत्री का पुरस्कार मिला है। तथापि, देश में सबसे हरा-भरा राज्य होते हुए भी, सिक्किम आज जलवायु परिवर्तन संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। तीस्ता नदी में जल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और इस राज्य में इस वर्ष विगत कुछ वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक गर्मी* पड़ी है। धरती का तापमान बढ़ने से पेयजल का रबी फसलों, इलायची, अदरक और संतरे आदि नकदी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ग्रीष्म मानसून वर्षा में पिछले दस वर्षों* में 5.6 मि.मी. वर्षा की वृद्धि देखी गई है और पिछले पांच वर्षों में सितम्बर और अक्तूबर में अधिक वर्षा होने से वर्षा ऋतु में लगभग दो माह की औसतन वृद्धि हुई है। सिक्किम में पहले के मुकाबले में अब अप्रत्याशित, वैगगवाही और भारी वर्षा होती है। 40 गांवों में किए गए सर्वेक्षण में दुग्ध यूनियन कार्यकर्ताओं ने यह बताया है कि गांव वाले यह महसूस करते हैं कि उनके जानवर पहले के मुकाबले अब अधिक बीमार पड़ते हैं। मैं सभा का ध्यान इससे कहीं अधिक गंभीर मुद्दे हिमालय में हिमनद अवसारण और हिमनदियों के होने की ओर दिलाना चाहूंगा।

भारत में हिमनदियों के गायब होने और हिमनद अवसारण के रूप में धरती का तापमान बढ़ने से गंभीर परिणाम भुगत रहा है। हिमनदियां ('डीग्लेसियेशन') गायब होना हिमनदीय पुंज की हानि और हिमनद अवसारण, हिमनद ग्रोथ का अवसारण है।

इसरो के स्पेस एविएशन सेन्टर, अहमदाबाद द्वारा दिए गए चित्रों और दल जांच पर आधारित सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि पिछले चार दशकों में, केवल हिमाचल प्रदेश में ही हिमनदी 2,077 वर्ग किलोमीटर से घटकर 1,628 वर्ग किलोमीटर रह गए हैं, जो पिछले चार दशकों में लगभग 21% हिमनदियों के गायब होने को दर्शाता है। स्पेस एविएशन सेन्टर के अनुसार वर्ष 1962 से 1 वर्ग किलोमीटर से कम थी 127 हिमनदियों का लगभग 37 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र लुप्त हो गया है। तेजी से खंडित हो रहे बड़े हिमनद में लगभग 12 प्रतिशत तक घट गए हैं जो एक चिन्ताजनक स्थिति है। भारतीय हिमालय क्षेत्र पारस उपबंध हिमनद घटने से संबंधी आंकड़े केवल 150 वर्षों के हैं। इनसे पता चलता है कि हिमालय के हिमनद प्रतिवर्ष 18-20 मीटर में औसत दर से घट रहे हैं।

*स्रोत: भारतीय मौसम विभाग ने गंगटोक के तापमान में 0.2 से 0.3 डिग्री सेन्टीग्रेड की दर से वृद्धि नोट की है।

*स्रोत: भारतीय मौसम विभाग, 2008

हिमालयी हिमनदों में प्रोथ अपगमन: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार हिमालय हिमनद विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 1986 से हिमालय हिमनद वाडिया संस्थान के नेतृत्व में हिमनद पुंज संतुलन, अवगमन, हिमनद सघनता, हिमनद निरूपण, सेडीमेन्ट ट्रान्सफर, हिम की समस्थानिक और रासायनिक विशिष्टताएं, हिम और हिमनदियों के पिघलने से आए जल और भूआकृतिविज्ञान मानचित्र संबंधी बहुआयामी अध्ययन कर रहा है। पहले चरण में, हिमाचल प्रदेश में छोटा टिगरी हिमनद, उत्तराखण्ड में भागीरथी व घाटी में दोखरियानी और अलखनन्दा में खेराबग्री संबंधी जानकारी एकत्र की गई है। इन हिमनदियों में होने वाले परिवर्तनों की नियमित निगरानी की जा रही है।

सिक्किम में 84 हिमनदियां हैं, जिनका क्षेत्रफल 691 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम के अधिकांश हिमनद कंचनजंगा से निकलते हैं और नदियों में जलस्तर को बढ़ाते हैं। यह तीस्ता नदी का स्रोत भी है, जो सिक्किम राज्य में जल का मुख्य स्रोत है। तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदी रंगी में मुख्यत: पश्चिमोत्तर सिक्किम में स्थित राडतोंग चू और प्रेक चू हिमनदियों से पानी आता है। तीस्ता में ऑनग्हाक्थांग ग्लेशियर से पानी आता है।

धरती का तापमान बढ़ने से सिक्किम की हिमनदियों में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे हिमाच्छादित झीलों में भारी मात्रा में जल आ रहा है। जैसे ही इन क्षेत्रों का जलस्तर सामान्य स्तर से बढ़ता है वह हिम, शिलाखण्डों और रेत से बने बांध को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। हिमनद झीलों के उफान के कारण जल और मलबे का यह आवेग नदियों के स्तर में वृद्धि के कारण नदियों के मार्ग को बदल सकता है तथा हिमालय क्षेत्र में बाढ़ की यहां तबाही ला सकता है।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 1995 में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पता चला है कि ऑनग्हाक्थांग और खथांग चू हिमनदियां तेजी से घट रही हैं जिससे सिक्किम की कमजोर पारस्थितिकी में खतरा उत्पन्न हो गया है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि ऑनग्लॉक्थॉग हिमनदी का हिम क्षेत्र लगभग 500 मीटर तक घटा है और खथॉग चू हिमनदी का क्षेत्र लगभग 600 मीटर तक घट गया है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से किए गए अध्ययन के अनुसार, जेमू हिमनदी का क्षेत्र वर्ष 1909 से 1999 के बीच 963 मीटर तक घटा है। वर्ष 1998 से 2008 के बीच हिमनदी ग्रोथ स्थिति में बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के हिम कवर की ऊंचाई कम हुई है। इन आंकड़ो से पता चलता है कि वर्ष 1900 से 1965 के बीच प्रतिवर्ष 13.6 मीटर की दर से लगातार कमी आई है। वर्ष 1965 के बाद से, हिमनद घटने की दर में थोड़ी कमी आई और वर्ष 1965 से 1999 के बीच या प्रतिवर्ष 5.8 मीटर की औसत दर से घटा है और वर्ष 1999 से 2008 के बीच हिमनदी की ग्रोथ स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। यह आंकड़े वैश्विक आंकड़ों की तर्ज पर बनाए गए हैं। तथापि, जेमू हिमनद के पास एक स्थायी ग्रोथ निगरानी स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे वार्षिक आधार पर आंकड़ों के परिमाणन और विश्लेषण में सहायता मिलेगी।

एक और समस्या अत्यधिक औद्योगिक कार्यकलापों के कारण बंगाल और मेघालय के समतल क्षेत्रों में बढ़ता हुआ प्रदूषण है। इन राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने के लिए यहां औद्योगिक कार्यकलापों में वृद्धि की पूर्ण आवश्यकता को समझते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ताप बिजली परियोजनाएं (विशेषकर मेघालय में गारो हिल्स में) और अन्य उद्योग सिक्किम में हिमनदियों के लिए खतरा बन गए हैं।

सिक्किम के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक तत्वों को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, उत्सर्जन के स्थान से सिक्किम के हिमनदों तक तो जाती हैं। प्रदूषक तत्वों के इस प्रकार आगे बढ़ने से बर्फ की एलबेडो (परावर्तन क्षमता) में कमी आने और वर्षा में अम्लीय तत्वों में वृद्धि होने के कारण ये हिमनद अधिक ऊर्जा सोखते हैं जिससे इनके पिघलने की दर में तीव्र वृद्धि होती रही है।

हिमनदों के पीछे खिसकते जाने और उनके पिघलने के कारण प्रारंभ में उस क्षेत्र में भारी मात्रा में बाढ़ आने और तत्पश्चात पर्वतीय नदियों के सूख जाने का खतरा है।

सिक्किम सरकार ने पर्वतीय परिस्थिति की और जल व्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन पर हिमनदों के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने के लिए नीतिगत निर्देश देने और संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए सिक्किम राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन किया गया है। मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि सिक्किम सरकार ने जैसे आगे बढ़कर यह कार्य किया है उसकी प्रशंसा और उसे संज्ञान में लिया जाना चाहिए और जो कुछ हम इस संबंध में खर्च कर चुके हैं हमें उसकी दोगुणी निधियाँ प्रदान की जानी चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा की गईं कुछ अन्य पहलों में बर्फ के आवरण का मानचित्रण, पूरे राज्य के हिमनदों की सूची तैयार करना, जेमू हिमनद हेतु हिमनद क्षेत्र अध्ययन इलायची पौधरोपण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन जलवायु परिवर्तन का पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लोगों की समझ का अध्ययन पूर्वी राथोंग चू हिमनद हेतु 'मास' संतुलन और 'स्नाउट'

अध्ययन आदि शामिल हैं। इस अवसर पर मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दीर्घावधि अध्ययनों हेतु देश के इस आधारभूत हिमनदों में सिक्किम के पूर्वी रायोंग चू हिमनद को शामिल करने की पहल का स्वागत करता हूँ। मौसम संबंधी मानदंडों की निगरानी करने हेतु 15 स्वचालित मौसम स्टेशनों के एक नेटवर्क की स्थापना करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार और मौसम संबंधी भविष्यवाणी और बर्फ तथा हिमनद निगरानी के बेहतर कवरेज के लिए 'डोपलर रडार' प्रणाली की स्थापना करने के लिए भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ भी संयुक्त पहल की गई हैं।

मैं इस बात को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा (1986) आरंभ किए गए एक अति आवश्यक राष्ट्रीय हिमालयी हिमनद अनुसंधान कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल के हिमालयी क्षेत्र को शामिल किया गया है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आरंभ किए जाने की अत्यावश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्र कर्क रेखा के निकट है इसलिए यहाँ पर हिमनदों के तेजी से पिघलने का अधिक जोखिम है। इसके साथ ही, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों के पिघलने और गायब होने के संबंध में नवीनतम आंकडे प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का एक नया अध्ययन करने और तत्पश्चात् आने वाली किसी संभावित राष्ट्रीय आपदा को रोकने के लिए नीतिगत स्तर पर विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

अत: मेरा सभा से यह अनुरोध है कि वह इस बात को स्वीकार करे कि हमारे पास इसका अभाव है हिमनदों और पर्वतीय नदियों के संबंध में आंकड़ों और साथ ही देश में वर्तमान में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और हिमनद विशेषज्ञों का भी अभाव है। यद्यपि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है सिक्किम ने इस विषय पर माननीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने की पहल की है और राज्य यह चाहता है कि भारत सरकार इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाए।

हिमनद लीप के 'जोकुलहोल्प' की घटना, जिसे 'ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड हिमनद झील से बाढ़ का फूट पड़ना (जीएलओएफ) भी कहा जाता है, सिक्किम में बार-बार होती रहती है। राज्य में बहुत से हिमनद हैं और इसलिए जीएलओएफ का मुद्दा राज्य के लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। 'ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स' और लैंड स्लाइड डैम्ड लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स' की समस्या को देखते हुए और इस पर विशेष बल देते हुए जल संसाधन संबंधी राष्ट्रीय मिशन के एक भाग के रूप में नदी तट/अग्रभाग विकास कार्यक्रम को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा 'ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स' को रोकने और एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए संवेदकों (सेन्सरर्स) और उपग्रह प्रौद्योगिकी (सैटेलाइट) उपयोग करने हेतु तथा एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली के लिए भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

लोनक हिमनद के संबंध में गठित 'मौरैन डैम्ड लेक' अध्ययन यह दर्शाता है कि इस हिमनद का क्षेत्रफल जो कि 1965 में 7.56 वर्ग किमी था वह 1976 में कम होकर 5.77 वर्ग किमी और 2004 में 5.506 वर्ग किमी ही रह गया है। हिमनदों के पिघलने के कारण झील का क्षेत्रफल 1976 में 21 हैक्टेयर से बढ़कर 2005 में 86 हैक्टेयर हो गया है। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि जीएलओएफ से बचने के लिए ऐसी झीलों की लगातार निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

यह भी नोट किया जाना चाहिए कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जीएलओएफ की अधिक संभावना है। अत:, पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदाओं पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। भारत द्वारा इस संबंध में लापरवाही किए जाने पर हाल ही में कोसी नदी में आई भयंकर बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है जिसके कारण भारत और नेपाल दोनों देशों में सैंकड़ों लोगों की जाने गई। विशेषरूप से पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के कुप्रबंधन, भू-कटाव या मानवीय परिवर्तनों के कारण ढलानों का बढ़ना भारी वर्षा, भूकंप, मृदा, अपरदन और वैकल्पिक रूप से बर्फ के जमने और पिघलने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न सभी भौगोलिक खतरों का 80% भाग है। हिमालय, जो कि सिक्किम एक नई पर्वतीय श्रृंखला है का भाग होने के कारण सिक्किम भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ बार-बार भूस्खलन होता रहा है। चूंकि खड़ी ढ़लाने, किसी भी भू-पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति बहुत संवदेनशील होती है अत: अचानक आने वाली वर्षा से भी मृदा-चट्टान का संतुलन बिगड़ सकता है और भूस्खलन हो सकता है। जलवायु-परिवर्तन और बार-बार आने वाली भारी वर्षा जैसा कि वर्ष 2007 में हुआ था, के कारण यह समस्या और गंभीर हो गई है। अत:, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में भूस्खलन पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिए जाने की अत्यावश्यकता है।

अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एनएपीसीसी के एक भाग के रूप में आठवें राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में सिक्किम को प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हूं। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय बजट में 'अल्पाइन' झीलों और दलदली भूमि जो कि सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र में जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु पूर्ण वित्त पोषण किए जाने पर विचार किया जाए। भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान किए जाने और प्राकृतिक झरनों में जलापूर्ति बढ़ाने

हेतु उपाय किए जाने पर भी समान बल दिए जाने की आवश्यकता है।

सिक्किम में बर्फ के माहवार मानचित्र ने दर्शाया गया है कि फरवरी 2007 से फरवरी 2008 तक एक वर्ष में राज्य में बर्फ से ढ़कने वाला भौगोलिक क्षेत्र 50.6% से घटकर 41.67% हो गया है। इसके अतिरिक्त यह राज्य में बर्फ के क्षेत्र में कमी के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

पर्वतीय क्षेत्र और हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, सोलर पैसिव हाउस के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने की अत्याधिक आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में छोटी पन बिजली परियोजनाओं का जाल बिछाने की आवश्यकता भी है। इन विकासत्मक उपायों के प्रावधान, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन के आश के रूप में किए जाने चाहिए।

वैज्ञानिक आंकड़े तैयार करने के लिए दूर संवेदन और भू-सूचना प्रणाली के व्यापक उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन का बेहतर समाधान किया जा सकता है। उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उत्तर-पूर्व के अस्थिर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, एक भू-सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री संपूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हिमनद और जलवायु परिवर्तन अध्ययन संबंधी क्षेत्रीय संस्थान की आवश्यकता पर ध्यान दें, जिसे सिक्किम में स्थापित किया जाना चाहिए।

मैं जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में अगले 20 वर्षों की दीर्घावधि तक निगरानी के लिए सिक्किम के कम से कम तीन हिमनदों को शामिल करने का सुझाव देता हूं।

भारतीय हिमालय क्षेत्र में कम हुई जलग्रहण क्षमता का हिमालय की तलहरी सहित, जो पूरी तरह या अंशत: पर्वतीय झरनों और नदियों पर निर्भर करता है, शहरों, कस्बों और गांवों पर गंभीर प्रभाव होगा।

प्राचीन समय से ही, पशुधन और कृषि गतिविधियों को बनाए रखने के लिए झरनों के रूप में पहाड़ों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। पहले ही भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की पहुंच सीमित है। वर्षा की परिवर्तित परिस्थितियों में, पानी के अधिक बहने और जमा होने, वन क्षेत्र कम होने से पहले ही भारतीय हिमालय क्षेत्र में पहाड़ी जल के क्षरण के संकेत शुरू हो गए हैं।

बढ़े हुए तापमान के साथ वर्षा के तरीकों में बदलाव का फसल उत्पादकता पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। चूंकि हिमनद गायब हो रहे हैं और गर्मियों में पानी का बहाव कम हो रहा है, जिससे अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्रों द्वारा सूखे का सामना करने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से बागवानी फसलों जैसे सेब और खुबानी की गुणवत्ता प्रभावित होगी। फलों के क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, लेकिन विस्तार की बहुत कम संभावना है। अनेक प्रजातियों के फूल-फल देने में बदलाव होगा। चारे की गुणवत्ता और मात्रा बुरी-तरह प्रभावित होगी, जिससे पशुओं को खिलाने के लिए अतिरिक्त चारे की आवश्यकता होगी। उच्च तापमान और गर्मी पशु-पालन को प्रभावित कर सकता है। पशुओं की बीमारियां जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हुई हैं, हवा से खुर-पका और मुख पका बीमारियों के वायरस बढ़ सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन से पर्वतों में जंगलों में आना भी बारम्बारता और तीव्रता बढ़ने कार्बन उत्सर्जन की समस्या बढ़ने, प्राकृतिक आवास नष्ट होने की संभावना है। सामान्यत: पौधों और फसल के संबंध में जो कारक होते हैं, व्यापक रूप से वही जंगलों में भी लागू होते हैं। मृदा में नमी का क्षय होने के कारण प्रमुख प्रजातियों की उत्पादकता भी कम हो सकती हैं नमी वाले पर्णपाती वनों की उत्पादकता भी घट सकती है। तीन वैश्विक जलवायु परिवर्तन ने विश्व की परिस्थिति की प्रणाली और वन्य जीव को संभावित परिणामों संबंधी गंभीर चिंताओं को बढ़ा दिया है।

सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है और राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण योजना के लिए वर्ष 2008-09 में 335 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2009-10 में 562 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का प्रावधान किया है। इस उपाय की आवश्यकता समझते हुए, मैं पुन: दोहराता हूं कि पर्वतीय परिस्थितिकी से जुड़े मुद्दों, जो मैदानों की बड़ी नदियों का स्रोत है और देश में हिमनदों की स्थिति का पुन: अवलोकन करने हेतु ऐसे ही प्राधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है।

सरकार ने देश में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संसाधन जुटाने हेतु राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि का गठन करने का सराहनीय कदम उठाया है। इस अवसर पर भारत की पर्वतीय श्रेणियों में होने वाली बड़ी आपदाओं का उल्लेख करना और परिणामत: केन्द्रीय बजट में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में किसी निष्कासन सुविधा (बचाव अस्पताल) के आभास पर ध्यान देते हुए पर्वतीय लोगों की आवश्यकता और भय पर विशेष ध्यान देने का निवेदन करना प्रासंगिक है। पर्वतीय आपदाओं जैसे भूस्खलन, हिमनद झीलों के कारण बाढ़ के लिए विशेष निधि आबंटित करने के अतिरिक्त मैं संक्षेप में पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बाढ़ और मलबे के प्रवाह के खतरे पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं।

तीव्र बाढ़ भारी वर्षा के कारण निचले क्षेत्रों में तीव्र बहाव के कारण आती है। तीव्र बाढ़ बर्फ के ढेर के पिघलने पर मानव संरचना के नष्ट होने पर भी आ सकती है। ये नियमित बाढ़ से छह घंटे से भी कम समय में आती है, अत: विशिष्ट है। यह तब आती है जब भूमि सराबोर हो जाती है और तीव्र प्रवाह के कारण सोख नहीं पाती। बहाव निचले क्षेत्रों में आता है और पहाड़ के निचले क्षेत्रों में तेजी से होता है। ऐसी घटना अक्सर सूखे क्षेत्रों में होता है, जिसमें हाल में वर्षा होने लगी है लेकिन ऐसा उतार-चढ़ाव कहीं भी देखा जा सकता है।

सिक्किम ऐसी बाढ़ से अलग नहीं हैं हाल ही में, जून 2009 में, खानी खोला के प्रवाह में भारी वर्षा से अचानक परिवर्तन से पहाड़ों से धारा निकली और भारी नुकसान पहुंचाया, जो दो घरों को बहाकर ले गई और निकटवर्ती खेतों को मलबे से भर दिया।

मलबा और मिट्टी का प्रवाह, चट्टान, जमीन और जल से सराबोर होते हैं। वे तब होते हैं, जब जमीन में भारी वर्षा या तेजी से बर्फ पिघलने के कारण तेजी से पानी संचित होता है, तो पृथ्वी मिट्टी अथवा कीचड़ की नदी में बदल जाती है। वे अत्यधिक तेजी से बह सकती है। वे ऐसे क्षेत्रों में आती हैं जिनमें टूटी-फूटी चट्टानें तेजी से मौसम परिवर्तन विरल जंगल असमान ढ़लान और भारी वर्षा हो।

यह माना जाता है कि सिक्किम में तेज वर्षा न केवल तीव्र अपरदन करती है और चट्टानों को तोड़ती है लेकिन भूजल स्तर बढ़ाती है, जिससे प्राकृतिक ढालों की स्थिरता में कमी आती है। मलबा प्रवाह में एक घंटे में 100 मीटर क्यूब सहित 800,000 मीटर क्यूब सामग्री का प्रवाह कर सकती है जिससे पुल नष्ट होते हैं परिणामत: ट्रेनों में अनेक यात्रियों और निवासियों की मृत्यु होती है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्वतीय परिस्थति की तंत्र (पर्यावरण एवं वन क्षेत्र) पर कार्यबल की सिफारिशों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार हैं:

पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र में मौसम विज्ञान केन्द्र तथा एकीकृत लिमैटो लोजिकल अनुसंधान के लिए समुचित अवसंरचना के तंत्र की स्थापना पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्वच्छ विकास तंत्र का कायाकल्प, हिमखण्ड के पिघलने पर निगरानी रखना और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में हिमखण्ड से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना, सिफारिशों पर निगरानी और छुआछूत से फैलने वाली बीमारियों की भविष्यवाणी के लिए तंत्र का विकास करना, भावी फसलों के लिए और जलवायु के कारण खतरे में पड़ी प्रजातियाँ-परिस्थिति की संबंधों पर दीर्घ अवधि के लिये महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी अध्ययन।

इंवायमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट प्लान्स तथा कैपमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांस (सीएटी) का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के साथ स्टेट इंवायर्मेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट एथॉरिटीज़ (एसईआईएएएस) को मजबूत करने की आवश्यकता है।

मुख्यत: धारागत पारिस्थितिकी मूल्यों के अनुरक्षण तथा ईएमपी के अनुपालन के लिए उच्च और निम्नत्म धारा के प्रवाह और मौसमी जल बहाव, भूमि और जल के बीच संतुलन, प्रदूषण भार एवं प्राकृतिक क्षमता के पुनरुत्थान के लिए नदी बेसिनों के प्रबंधन हेतु समन्वित नदी घाटी प्राधिकरणों को बढ़ावा देने की आवाश्यकता है।

मैं केन्द्रीय बजट पर अपने सुझावों का सारांश प्रस्तुत करने के पश्चात देश के आदर्श राज्य बनने के उद्देश्य से परिवर्तन को नियंत्रित करने तथा स्थायी विकास में सिक्किम की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और सरकार द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से इसके विकास के लिए और ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

नीचे सूची में श्री चैमलिंग की अध्यक्षता में सिक्किम डेमोक्रेटिक फंट की कुछ उपलब्धियों का उल्लेख है जिसमें व्यापक विकास के कदम उठाए गए जिनको सफलतापूर्वक अंगीकृत और क्रियान्वित किया गया।

सिक्किम ने नष्ट न होने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक पाली बैगों के प्रयोग पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है, वनों में हो पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है और आरक्षित वन क्षेत्रों में चटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्ष 1999 में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पौधा रोपण किया। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर भी प्रतिबंध है।

संरक्षण एवं स्थायित्व के मूल सिद्धांत के आधार पर राज्य सरकार ने एक व्यापक राज्य नीति की घोषणा की है।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूलों में अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत की गई है।

आगे राज्य सरकार ने सभी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इंनवायर्मेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट (ईआईए) इनवायर्मेंट मैनेजमेंट प्लान (ईएमजी) और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (सीएसी) प्लान को अनिवार्य कर दिया है। सीएम आन लाइन वेबसाइट शुरू करके पारिस्थितिकी प्रशासन को मजबूत किया गया है। वन, पर्यावरण और वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक संसाधनों में सामुदायिक भागीदारी के लिए 1998 में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों तंत्र के सृजन द्वारा सुरक्षा और प्रबंधन को संस्थागत बनाया गया है जिसमें एनजीओ/पंचायतों तथा महिलाओं की भागीदार होगी।

राष्ट्रीय उद्यानों, वन अभ्यारण्यों के इस संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का सृजन किया गया है। भूस्खलन, भूमि का धसना, भूक्षरण से बचने के लिए राज्य स्तर पर सभी परियोजनाओं के एक में इसका उपाय किया गया है।

सिक्किम ग्रीन मिशन 2006 में शुरू किया गया था जिसके बाद सभी सड़कों पर हरियाली है। एसपीडब्लूडी और आरएमडीडी के बजट का 2 प्रतिशत और अन्य विभागों का 1 प्रतिशत ग्रीन मिशन के लिए आबंटित किया गया है।

विद्युत परियोजनाओं के प्रतिपालकों ने प्रति यूनिट बिजली की बिक्री पर एक पैसा उपकर लगाकर पुनर्वास और पुर्नस्थापना के लिए और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांस के लिये पर्याप्त प्रावधान किया है।*

[हिन्दी]

***श्री श्रीपाद येसो नाईक** (उत्तर गोवा): महोदय, अर्थकारण लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंबा है, जिसके कारण पूरे देश का विकास हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है।

[अनुवाद]

मैं उद्धरण दे रहा हूं-

"लोकतंत्र सभी की भलाई के लिए समाज के सभी वर्गों के शारीरिक, आर्थिक और अध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने का एक वैज्ञानिक तरीका है।"

[हिन्दी]

लेकिन आज इस लोकतंत्र में जो कुछ हो रहा है, वह देखकर हमें कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र के फायदे जनसामान्य के लिए नहीं, बल्कि सत्तापक्ष के हित के लिए हैं।

यूपीए के कार्यकाल में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की परिसीमा हो गई। साठ हजार करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने दिया, उसके बाद दो साल तक कुछ नहीं दिया। लेकिन जब आम चुनाव आ गये, तभी थोड़े पैसे का बंटवारा किया। जो बैंकों को ऋण भुगतान करने के लिए साहूकारों से लिया हुआ ऋण था, जिसके कारण किसानों ने ज्यादा आत्महत्याएं की, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया।

महोदय, सरकारी नौकरों को छठा पे कमीशन देना है, इसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आम चुनाव आते ही खुद के फायदे की खातिर इसका वितरण करना क्या दर्शाता है? उड़ीसा राज्य में आपत्ति आ गई, बिहार में बाढ़ के कारण जनजीवन त्रस्त हुआ। गुजरात सरकार ने मदद मांगी, लेकिन किसी भी राज्य को मदद नहीं दी गई। जो थोड़ा बहुत दिया, वह भी वापस मांग लिया।

महोदय, सुनामी के बाद माननीय सभापति के आह्वान पर हमारे सांसद भाई, बहनों ने अपने एम.पी.फंड से दस-दस लाख रुपये की मदद नये मकान बनवाने के लिए दी। लेकिन आज तक चेन्नई और अंडमान-निकोबार में पीड़ितों को घर नहीं दिये गये हैं लाखों देशवासियों ने इस राष्ट्रीय आपदा में मदद की। लेकिन लालफीताशाही के कारण ये प्रोजैक्ट्स अटक गये हैं।

महोदय, सभी माननीय सांसदों ने एम.पी. लैड फंड की राशि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की मांग आपके माध्यम से सरकार से की। क्योंकि एम.पी. लैड स्कीम एक अच्छी स्कीम है और इसका इम्पलीमैन्टेशन 85 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है। केन्द्र सरकार की सभी स्कीमें चालीस प्रतिशत से ऊपर खर्च नहीं करती हैं। इस महंगाई में इस दो करोड़ की कीमत सिर्फ एक करोड़ रुपये रह गई है। इसलिए मैं सभी सांसदों की ओर से मांग करता हूं कि एम.पी. लैड की राशि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए।

महोदय, यह बजट आम आदमी के लिए बताया जा रहा है। लेकिन आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी दिया गया है और इससे महंगाई बढ़ी हैं सरकार बार-बार कहती है कि महंगाई कम कर दी है। लेकिन आप एक भी ऐसी वस्तु का नाम बताइये जिसके दाम कम हुए हों। महंगाई ने आम आदमी को जाम कर दिया है और उसके लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा है। सभी चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकने में सरकार नाकामयाब रही है। चावल का दाम 40 रुपये प्रति किलो और अरहर की दाल जो 25 रुपये किलो मिलती थी, अब इसके भाव 75 रुपये प्रति किलो हो गये हैं। एक किलो चावल और एक किलो अरहर की दाल यदि खरीदी जाए तो नरेगा से मिलने वाली राशि एक झटके में खत्म हो जायेगी। इसके बाद आम आदमी अपना जीवन कैसे जीयेगा?

महोदय, माननीय मंत्री जी ने आयकर की सीमा एक लाख पाचास हजार से बढ़ाकर एक लाख साठ हजार रुपये कर दी हैं यानी केवल दस हजार रुपये बढ़ाये हैं। महंगाई को देखते हुए यह एग्जैम्पशन तीन लाख रुपये तक कर देनी चाहिए।

महोदय, हमारा देश वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ। ठीक 14 साल बाद वर्ष 1961 में हमारा गोवा राज्य पुर्तगाल के चंगुल से स्वतंत्र

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हो गया। लेकिन विकास के काम में गोवा राज्य पिछड़ा ही रहा। आज यहां पढ़े-लिखे नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। पिछले पांच सालों में यहां की इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में चली गई हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में टैक्स एग्जैम्पशन है और जो गोवा में था, वह वापिस ले लिया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि गोवा को पहले जैसा टैक्स एक्जैम्पशन दिया जाए। ताकि सभी उद्योग यहां वापस आये और यहां के नौजवानों को काम मिले।

महोदय, आज तक गोवा के दो राष्ट्रीय राजमार्ग को छः लेन या चार लेन का नहीं कराया गया है। इसी तरह दो जिलों को जोड़ने वाला 'जुवारी सेतु' अब यातायात के लिए बंद करवा दिया है। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 और 17 की वाइडनिंग हो और नया जुवारी सेतु बनवाया जाए।

महोदय, गोवा दुनिया में एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिज्म के विकास के लिए एक अच्छा पैकेज गोवा को देने की मैं मांग करते हुए अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं।

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): माननीय सभापति जी, यह कहा गया था कि छः बजे ज़ीरो आवर कराएंगे। दो-तीन ज़ीरो आवर के मामले हैं, उनको करा लें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब सभा का समय बढ़ा दिया गया है। कृपाया बैठ जाएं आपको मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः यह बहुत गंभीर मामला है। उसके बाद आप बाकी बिज़नैस लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोजः यह आपके द्वारा तय किया है कि छः बजे ज़ीरो आवर कराया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। यदि सभा की सहमति हो तो हम शून्यकाल आरंभ कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप वाद-विवाद चाहते हैं या 'शून्यकाल'।

कई माननीय सदस्यः हम वाद-विवाद चाहते हैं।

सभापति महोदयः देखिये सभी सदस्य वाद-विवाद चाहते हैं। इसलिए, कृपया बैठ जाइए। हम बाद में विचार करते हैं।

अब श्री नृपेन्द्र नाथ राय बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमारः सभापति महोदय, जीरो आवर किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः हमें सभा की राय लेनी होती है। कृपया बैठ जाएं। व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महादेयः चर्चा के बाद दिन की समाप्ति पर हम 'शून्यकाल' आरंभ कर सकते हैं। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोजः सरकार हाउस में तो बहुत कुछ बहुमत के बल पर पास करा लेगी।...*(व्यवधान)* यह कहा गया था कि छः बजे जीरो आवर किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। मा. मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय मेरा सुझाव यह है कि 'शून्यकाल' में तीन ही सदस्यों को निवेदन करना है। आप उसके लिए 15 मिनट का समय दें और फिर वाद-विवाद शुरू करें।

सभापति महोदयः ठीक है। मैंने पहले ही मा. सदस्यों से कहा है। उनके भाषण के बाद 'शून्यकाल' होगा।

माननीय सदस्य, आप अपना भाषण शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं बेस्ट बंगाल के निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार से जीतकर आया हूं। इस महीने की 6 तारीख को वित्त मंत्री जी ने इस सदन में बजट पेश किया। इस बजट पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि यह आम आदमी का बजट है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि

यह आम आदमी का बजट नहीं है। इस बजट का मैं हमेशा विरोध करता हूं क्योंकि यह आम आदमी का बजट नहीं है, बड़े आदमी का बजट है। इस बजट में कहा गया है कि हमारे देश में 70 से 75 प्रतिशत किसान हैं जो खेती-बाड़ी का काम करते हैं। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए, जो प्रांतीय किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके बारे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि 7 प्रतिशत की दर से किसानों को लोन देंगे, लेकिन लोन की बात केवल बजट की किताब में ही रह जाती है। कभी यह सोचा नहीं गया कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो वह इंप्लीमैंट भी होती हैं या नहीं। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस देश में बड़े लोगों को और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जल्दी लोन मिलता है। किसान लोग जब खेती के लिए या अपनी आर्थिक उन्नति के लिए बैंकों से लोन मांगते हैं तो बैंक बहुत प्रॉबलम करता है और जल्दी उनको लोन नहीं देना चाहता है। जितना जल्दी बड़े लोगों को ऋण मिलता है, किसानों को नहीं मिलता है।

महोदय, हमारे देश में 70 प्रतिशत किसान हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में जूट बहुत होता है। जब जूट बाजार में आता है, तो वह जूट बाजार में कम दाम में बिकता है। हमारे देश की सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम किसानों का बजट लाते हैं लेकिन सरकार की तरफ से किसानों का जूट खरीदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि किसानों का नुकसान रोकने के लिए आईसीआई को किसानों से सीधा एमएसपी पर जूट खरीदना चाहिए। यह गलत बात है। बंगाल में सबसे ज्यादा जूट और पात होता है। कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और पश्चिमी दिनाजपुर में बहुत ज्यादा पात होता है। हिन्दुस्तान में जितना जूट और पात होता है, सबसे ज्यादा जूट और पात वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ पात प्रोसेसिंग और जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिए है, लेकिन किसान जो धान और पात उत्पादन करके बाजार में ले जाता है, उसको उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से धान और पात को खरीदने की व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार किसान के लिए अच्छी-अच्छी बाते बजट में लिखती है, लेकिन किसान की खेती और उसकी प्रोसेसिंग के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, इस बजट को युवाओं के लिए भी कहा गया है। बजट में कहा गया है कि छात्रों को सरकार की तरफ से शिक्षा के लिए ऋण मिलेगा। माइनोरिटी कमेटी की आर्थिक उन्नति के लिए ज्यादा लोन देने की बात भी कही गई है। लेकिन सरकार की तरफ से इसकी मोनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है कि केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, वह उनको मिलता भी है या नहीं। जब कोई छात्र, किसान अथवा कोई माइनोरिटी कम्यूनिटी का सदस्य ऋण लेने के लिए बैंक जाता है, तो बैंक उसके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी करता है। बैंक इतने डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि लोन लेने वाले को लोन के लिए बैंक के चक्कर काटते-काटते चप्पल घिस जाती है। लेकिन उसे लोन नहीं मिलता है। इसीलिए वह बाहर से ऋण लेने पर मजबूर हो जाता है। मेरा प्रस्ताव है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से जाता है, उसकी मोनिटरिंग होनी चाहिए। इस पर वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

महोदय, बंगाल के दो हिस्से हैं, नार्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल। नार्थ बंगाल में कूचबिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट दिनाजपुर और मालदा आते हैं। वहां चाय बड़ी संख्या में होती है। हम लोग और आप भी सैन्ट्रल हाल में बैठकर जो चाय पीते हैं, वह वहीं से आती है। वहां चाय के बगान दो-तीन सौ साल से, ब्रिटिशकाल से चल रहे हैं। केन्द्र सरकार की तरफ से चाय बगानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चाय बगानों से दो-तीन लाख श्रमिक जुड़े हुए हैं। मेरी मांग है कि उत्तरी बंगाल के चाय बगानों की उन्नति के लिए सरकार की तरफ से राहत दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, पूरे देश में मिड-डे मील में जबरदस्त गड़बड़ी और घपला हो रहा है। पूरे देश में एक सर्वे हुआ है, उसमें 17 राज्यों में मिड-डे मील में शिकायत आयी हैं 8 लाख 90 हजार बच्चों को आज भी दोपहर का भोजन नहीं दिया जा रहा है। झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चण्डीगढ़, तमिलनाडु और दमन एवं दीव में बच्चों को सौ ग्राम भोजन मिलता था, लेकिन वहां केवल 83 ग्राम ही दिया जा रहा है। चार राज्यों, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में चावलों में मिलावट की शिकायत आयी है।

सायं 6.09 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

तीन राज्यों में मिड-डे मील बिलकुल खाने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के 2086 स्कूलों में अक्तूबर 2006 से मार्च 2007 के बीच दोपहर का भोजन नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2005 से 2007 के बीच बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि गांव प्रधान कनवर्जन मनी से मिड-डे मील दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि सूखे कि वजह से सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। आटा, चावल और दाल आदि सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए ग्राम प्रधान भी

कंवर्जन मनी से ही चीजों को खरीद कर मिड-डे-मिल की व्यवस्था करता है और जो भोजन बनाते हैं, उन्हें भी मानदेय देते हैं। इस प्रकार से आज पूरे देश में मिड-डे-मिल की जो रिपोर्ट है, वह बहुत ही असंतोषजनक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच कराए। जहां-जहां इस प्रकार की गड़गबड़ियां आई हैं, वहां के लोगों की जांच करवा कर उन्हें पनीशमंट दिया जाए। वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ रखें ताकि मिड-डे-मिल में बच्चों को भोजन मिल सके और वे पढ़ें। जो 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और पढ़ने में उनका मन लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात सामप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। मैं इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। सत्ता पक्ष ने इसका उत्तर नहीं दिया है और मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं, यह रिकार्ड नहीं किया जाएगा। श्री भर्तृहरि महताब।

*...(व्यवधान)**

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरा इरादा उन मुद्दों को उठाने का था या इससे संबद्ध होने का था, जो आज सुबह सभा में उठाया गया था। लेकिन किसी वजह से मेरा नाम नहीं पुकारा गया। यह उस मुद्दे से संबंधित है, जो जी-8 और जी-5 सम्मेलनों, जो अभी समाप्त हुए हैं, में लिए गए, जहां जी-8 ने एक संकल्प पारित किया, जिसके द्वारा हमारे देश को संवर्धक (एनरिचमेंट) और पुन: प्रसंस्करण (रिप्रोसेसिंग) (ईएनआर) प्रौद्योगिकी की बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया था। यदि जी-8 राष्ट्र परमाणु निरस्त्रीकरण संधि के सभी गैर हस्ताक्षर कर्ता देशों को परमाणु संवर्धन (एनरिचमेंट) और पुन: प्रसंस्करण (रिप्रोसेसिंग) (ईएनआर) प्रौद्योगिकी तथा उपकरण देने पर रोक लगाने पर बल देते हैं तो यह चिंता की बात है।

परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोड़कर ने अभी हाल में आशंका व्यक्त की है कि जी-8 के प्रतिबंध से भारत-अमरीका परमाणु समझौते के तहत भारत को पूर्ण असैनिक परमाणु सहयोग देने के वायदे पर विपरीत प्रभाव डालेगा। हमने 14वीं लोक सभा के दौरान इस पर विचार विमर्श किया था, लेकिन आज, देश-विदेश में जो खबरें फैलाई जा रही हैं, वे चिंताजनक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ईएनआर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है।

मेरी चिंता का विषय यह है कि सरकार इस विषय पर स्पष्ट बोले, और इस पर दोहरी राय समझा न करे। क्या हम सरकार से यह अपेक्षा रख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी वापस आएं तो वह इस विषय पर जवाब दें और इस सभा के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (जियनगरम): महोदय, धन्यवाद कृपया मुझे अविलनीय लोक महत्त्व का निम्नलिखित मामला इस सभा में उठाने की अनुमति दें।

आंध्र प्रदेश सरकार ने छह क्षेत्रीय हरित (ग्रीनफील्ड्स) हवाई अड्डों के विकास का प्रस्ताव रखा है और इनमें से एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बदानगी, विजयनगरम जिले में है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का एक दल व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 29.04.2008 को बोब्बिली गया था और उन्होंने यह बताया है कि उपलब्ध भूमि और राजमार्ग निकट होने के कारण विमान पत्तन का विकास संभव नहीं था।

इस संबंध में, आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि चिपुरुपल्ली और राजम के बीच एक वैकल्पिक स्थान है। वहाँ काफी औद्योगिक कार्य चलते हैं। यदि वहां ग्रीनफील्ड विमान पत्तन को स्वीकृति मिल जाती है, तो यह हवाई यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और इसके अलावा, विजयनगरम जिले जो एक पिछड़ा इलाका है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अत:, मैं। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त स्थान व्यवहार्यता अध्ययन करें।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि गोंडा जनपद में नौ तारीख को वहां के अधिकारियों द्वारा जो अधिवक्ता, आयुक्त को शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन देने जा रहे थे, उन्हें पहले पानी की बौछार से रोका गया और जब वे वापस आ गए, तो उनके ऊपर लाठियों से हमला किया गया। इसके कारण 145 अधिवक्ता घायल

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं, जिनमें से कई अधिवक्ताओं की स्थिति गम्भीर है। यही नहीं, उनमें जो पुराने अधिवक्ता थे, जो अपनी लायब्रेरी के चैम्बर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, जो उस जुलूस में नहीं गए थे, उन्हें भी पलट-पलट कर मारा गया। उनमें से भी कई अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत गम्भीर है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश विपक्ष के नेता, श्री शिवपाल सिंह यादव जी रोष व्यक्त करने गए, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी भी गई थीं। इस मामले को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जिलों में वकील आंदोलनरत हैं।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, तब से अब तक 22 अधि वक्ताओं की हत्या हो चुकी है और 14 जगह वकीलों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो चुका है। कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है। वहां एक नया देवी पाटन मंडल बना है। उस कैम्पस के अंदर कमिश्नर का न्यायालय बनना था। पूर्व सरकार ने स्थान निश्चित कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार के एक आयुक्त ने यह कह कर के उस स्थान का रिजैक्ट कर दिया कि अगर कचहरी परिसर में कमिश्नर का न्यायालय बन जाएगा, तो लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो लोग कलेक्टर के पास मिलने जाएंगे और यदि उन्हें कलैक्टर नहीं मिलेंगे, तो वे आयुक्त से मिलेंगे। इसलिए आयुक्त का कार्यालय वहां नहीं बनना चाहिए। अत: आयुक्त का कार्यालय, कचहरी परिसर में न बन कर के शहर के बीचोंबीच, जहां आवास थे, जहां हरे-भरे पेड़ थे, वहां बन रहा है। बिना किसी परमीशन के पेड़ काटे जा रहे हैं और कार्यालय बन रहा है। इस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मकान गिराए जा रहे हैं और आयुक्त महोदय, दिन-रात वहां निर्माण कार्य करा रहे हैं। हमारे पड़ोसी सांसद, जगदम्बिका पाल जी और श्री बिन्नू पांडेय जी हैं, वे स्थिति से अवगत हैं। हमारा सारा पूर्वान्चल इस बात को लेकर आक्रोश में है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभीपति महोदय, बहुत यह गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह शून्य-काल में कह रहे हैं, इसलिए किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

बृज भूषण शरण सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री बृजभूषण शरण सिंह: सभापति महोदय, इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे अधिवक्ताओं में रोष है, वे हड़ताल कर रहे हैं और आंदोलनरत हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। यह किसी साधारण आदमी के साथ घटने वाली घटना नहीं है। यह 145 अधिवक्ताओं के घायल होने का सवाल है। उनमें से कई अधिवक्ताओं की हालत गम्भीर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे, जो वकील घायल हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और वहां से आयुक्त महोदय को तुरन्त स्थानांतरित किया जाए। यही नहीं, 500 वकीलों के ऊपर अज्ञात मुकदमा कायम किया गया है और 30 वकीलों को नामजद किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर कायम किए गए मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए, जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें दंड मिलना चाहिए। वकीलों को मुआवजा मिलना चाहिए और केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने साथी को पूरी करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय सदस्य एक मुद्दा उठा रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य एक मुद्दा उठा रहे हैं। श्री बृजभूषण शरण सिंह, आपने अपनी बात कर दी है और, अत: कृपया उसे दोहराएं नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह: सभापति महोदय, मैं एक लाइन में अपनी बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करें, इस घटना की रिपोर्ट मंगाई जाए, मुकदमे वापस किए जांए, मुआवजा दिया जाए और जो अवैध निर्माण जन-भावनाओं के खिलाफ हो रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

सांय 6.19 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन-जारी

(तीन) अयोध्या मामले से संबंधित दस्तावेजों के कथित रूप से गायब होने के संबंध में

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, आपने मुझे एक अत्यन्त लोक महत्व तथा अत्यन्त संवेदनशील प्रश्न पर बोलने की अनुज्ञा दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जो भी तत्कालीन सरकारें रहीं तथा वर्तमान सरकार ने भी हमेशा अपेक्षा की है कि अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान या तो परस्पर सहमति से होगा या सम्मानित उच्च न्यायालय के द्वारा होगा। जब सम्मानित उच्च न्यायालय उसके समाधान की दिशा में आगे कार्रवाई कर रहा है, वह मामला जब समाधान के करीब है और हाई कोर्ट ने जब अयोध्या से जुड़ी हुई 23 महत्वपूर्ण पत्रावलियां, जो आज गायब हो गई हैं, जिसके कारण निश्चित तौर से आज अयोध्या स्थित राम-जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के समाधान में दिक्कतें पैदा हो रही है। यह अपने आपमें इतना संवदेनशील मामला है, जो पूरे देश के जन-जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पिछले कई वर्षों से इसने इस देश को उद्वेलित किया है, तमाम फैसले ऐसे हुए हैं, जिसे देश में आपने महसूस किया है। लेकिन फाइलें गायब होती रहीं, राज्य सरकार सोती रही और किसी को इसकी सुध नहीं थी। जब सम्मानित उच्च न्यायालय ने उन पत्रावलियों को, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जो 1950 में वहां की जमीन को अधिग्रहीत करने की कार्रवाई की गई थी, उससे सम्बन्धित पत्रावलियां जब तलब करने की बात की गई तो शुरू में राज्य सरकार के द्वारा कहा गया कि पांच पत्रावलियां नहीं मिल रही हैं। जब गहराई से छानबीन की गई तो कहा कि 23 पत्रावलियां नहीं मिल रही हैं और आज उन 23 पत्रावलियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि ये भाजपा की सरकार में गई हैं। आखिर, आज वर्तमान सरकार की निश्चित तौर से जवाबदेही है। यह कहकर कि इस जांच को हम सी.बी.आई. के लिए रिकमण्ड करते हैं, इसमें कोई टर्म्स ऑफ रैफरेंस नहीं हैं जब उस मामले की पैरवी करने वाले वहां के एक सैकशन ऑफिसर श्री भान शाद थे, बाद में वे अंडर सैक्रेटरी हुए। वे इस अयोध्या मामले की पैरवी के लिए जब दिल्ली आये तो 1992 में उनकी यहां पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आज निश्चित तौर पर यह लगता है कि जिस तरह से पत्रावलियां गायब हुई हैं, उनकी दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी, उनकी लाश यहां...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर उनकी हत्या हुई है। मैं समझता हूं कि यह गम्भीर मामला है कि अगर ये 23 पत्रावलियां, जो अयोध्या स्थित उस विवाद से जुड़ी हुई हैं और जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी उस समय वहां के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को टेलीग्राम किया, डी.एम., कमिश्नर ने चीफ सैक्रेटरी से पत्राचार किया, वे सारी पत्रावलियां गायब हैं। आज यह देश जानना चाहता है कि वे पत्रावलियां, जो इस देश के सबसे संवदेनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, किसकी सरकार में गायब हुई। हम इस आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहते, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार की मुख्यमंत्री का बयान गैर-जिम्मेदाराना है कि वे किसी पूर्ववर्ती सरकार में गई। ढाई वर्ष से वे सरकार में हैं और वहां सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन पत्रावलियों की रक्षा वहां की होम मिनिस्ट्री, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती तो उत्तर प्रदेश की जनता की क्या रक्षा करेगी। आज उनकी इस बात में रुचि नहीं है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को वहां निश्चित तौर पर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप वही बात दोहरा रहे हैं, जो आप पहले कह चुके हैं। आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। सन् 2000 से बाबरी मस्जिद-राम जन्म-भूमि का मामला था, जिसकी पत्रावलियां नहीं मिल रहीं और जिसमें उसकी पैरवी करने वाले अधिकारी की मौत हो चुकी है। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसकी मौत दुर्घटना में हुई या उसकी हत्या हुई।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं। सरकार ने इसे नोट कर लिया है। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर श्री जगदम्बिका पाल के साथ अपने आपको भी सम्बद्ध करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बिहार राज्य में सात जिले गम्भीर रूप से सुखाड़ और अकाल में चले गये हैं। बिहार राज्य का यह इलाका ऐसा है, जहां भारतवर्ष में सिंचाई की सबसे प्राचीनतम प्रणाली है। केन्द्र सरकार की

जिम्मेदारी है कि सोन कमांड के इलाके में जो हमारी सृजित क्षमता है, उसमें रिहन्द जलाशय और बाणसागर जलाशय से पानी दिलाने का काम करे। बिहार की आज अजीब स्थिति पैदा हो गई है। बिहार को जो खाद्यान्न मिलता है, इसी इलाके से वहां के लोगों की भूख मिटती है और वहां से उत्पादन देश के अन्य हिस्सों में, देश के पूर्वी हिस्सों में, नोर्थ ईस्ट हिस्से में जाता है। आठ लाख हैक्टेयर की सिंचाई योजना के लिए पानी मौजूद रहते हुए भी पूरे कमांड में आज पानी नहीं है। बक्सर का इलाका, कैमूर का इलाका, रोहताश का इलाका, पटना का इलाका, औरंबागाद का इलाका, अरवल का इलाका और भोजपुर का इलाका, जहां डेढ़ करोड़ से अधिक किसानों की आबादी है। उनका जीवन आज खतरे में है। मैं मांग करता हूं कि जल संसाधन विभाग और उसका अधीनस्थ केंद्रीय जल आयोग पनबिजली बनाने में बदले, वहां की सिंचाई की समस्याओं को हल करे और सोन के पूरे कमांड के इलाके में अंतिम छोर तक पानी देकर बिहार की खाद्यान्न की समस्या को हल करे। पूरा राष्ट्र आज सुखाड़ में है। इस साल कम उपज होने की आशा है ऐसा इलाका, जो राष्ट्रीय पैमाने पर खाद्यान्न के भंडार में अपना योगदान कर सकता है, आज वह खतरे में पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान दे और वहां के लोगों का जीवन बचाने का काम करे। वहां के किसानों को पानी मुहैय्या कराने का काम करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आज श्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया यह 'शून्य काल का अंतिम निवेदन होगा।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, इस पर कम से कम होम मिनिस्टर रेस्पांड कर दें।...*(व्यवधान)* भारत सरकार में आप संसदीय मंत्री है।...*(व्यवधान)* इस तरह का जो मामला है, यह सदन में एक बार नहीं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह अच्छा सुझाव है लेकिन आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आज हम यह नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने केवल पांच मुद्दे उठाने का निर्णय किया है। हमने सदस्यों को अवसर प्रदान करने के लिए इसे उठाया है और अब सातंवा सदस्य बोलने वाला है। हम चल रही अन्य चर्चाओं में व्यवधान नहीं डाल सकते। आपने जो कहा, वह बिल्कुल सही है। सरकार ने यह पहले ही नोट कर लिया है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं संबंधित मंत्री को माननीय सदस्य की भावनाओं से अवगत करा दूंगा। यदि आवश्यकता हुई, तो वह सदस्य से संपर्क करेंगे।

सभापति महोदय: ठीक है। अब, श्री प्रहलाद जोशी।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पिछले डेढ़ दशक से हम गर्व से यह दावा करते रहे हैं कि हमने देश में संचार माध्यमों की स्थिति में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। तथापि, मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाएं बद से बदतर हुई हैं। यदि आप एक इमारत के अंदर हैं, तो वहां नेटवर्क नहीं होगा। यदि आप इमारत से बाहर आते हैं और संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो संदेश मिलता है, 'नेटवर्क व्यस्त है'। कर्नाटक में और विशेष रूप से बंगलौर में बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। दिल्ली में भी यही स्थिति है। बड़ी मुश्किलों के बाद यदि किसी तरह संपर्क हो जाता है तो थोड़ी देर बाद ही संपर्क टूट जाता है। इसके कारण पूछे जाने पर, एमटीएनएल और बीएसएनएल के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि टावर से संबंधित कुछ उपकरणों का आयात करने में कुछ समस्याएं हैं और सरकार में सर्वोच्च स्तर पर भी कुछ समस्याएं हैं क्योंकि पूर्व दूरसंचार मंत्री और वर्तमान दूरसंचार मंत्री के बीच कुछ मतभेद हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानिमनिकम): महोदय, यह मुद्दा उपकरण से संबंधित है, मंत्रियों से नहीं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप बहुत ही स्पष्ट ढंग से अपनी बात कहते हैं। आप को अन्य संबंधित विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए।

श्री प्रहलाद जोशी: मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जहां तक एमटीएनएल और बीएसएनएल सेवाओं का संबंध है, तो सरकार में उच्चतम स्तर पर कुछ समस्याओं तथा उपकरण की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई आ रही है। लोग यह सोच रहे हैं कि कुछ निजी ऑपरेटरों के साथ

पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए मैं भारत सरकार, विशेषकर दूरसंचार मंत्रालय से इस मामले पर विचार करने और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। कम्पनी में अपनी बीएसएनएल नेटवर्क का ही उपयोग करता हूं। सभी फोन, मोबाइल और फिक्स्ड लाइन मैं अपने बिजनेस के लिए उपयोग करता हूं, वह सभी बीएसएनएल की है। अत: मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल सेवाओं में तत्काल सुधार करने का अनुरोध करता हूं।

सायं 6.29 बजे

सामान्य बजट 2009-10 सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे 2006-2007-(सामान्य) *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम बजट-सामान्य पर आगे चर्चा जारी रखेंगे तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगे-सामान्य पर आगे चर्चा और मतदान करेंगे। इस चर्चा में पचास और सदस्य भाग लेंगे। अत: कृपया अपनी बात केवल तीन मिनट में ही समाप्त करें। हम आज की बैठक 8 बजे से आगे नहीं बढ़ायेंगे। अत: कृपया अपने सभी सहयोगियों को इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दें।

श्री विष्णु पद राय।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): महोदय

सभापति महोदय: विष्णु पद राय जी, एक मिनट रुकिये।

[अनुवाद]

आपने अपना भाषण पहले ही सभापटल पर रख दिया है और सरकार ने उन मुद्दों को संज्ञान में ले लिया है। नियमानुसार भाषण को सभापटल पर रखने फे पश्चात् सदस्य को पुन: बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती–नियम इसकी अनुमति नहीं देते। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बहस में हिस्सा लेने का मौका दिया। महोदय, मैं सबसे पहले यू.पी.ए. सरकार को पूरी कामयाबी के साथ दूसरा टर्म शुरू करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं खास तौर पर मैडम सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह और जनाब राहुल गांधी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अजीम जमहूरी मुल्क के अवाम का दिल जीता और एक साफ-सुथरी हुकुमत मुल्क को दी।

महोदय, मैं जनरल बजट, 2009-10 का समर्थन करता हूं और फाइनेंस मिनिस्टर जनाब प्रणब मुखर्जी को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है जिसमें आम आदमी, गरीब और दबे कुचले लोगों एवं अकयिलतों का खास ख्याल रखा गया है। इस बजट से और इसी तरह रेल बजट से यह बात खुलकर सामने आ गयी है कि यूपीए सरकार आम हिन्दुस्तानियों की समस्याओं को तरजीही बुनियाद पर हल करना चाहती है। महोदय, हम सभी का फर्ज है कि हम हिन्दुस्तान के कोने-कोने में फैले हुए गरीब, दबे कुचले तबकों और अकलियतों को ऊपर उठाने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करें और जिंदगी के हर शौबे में ऐसे तबकों को खुसूसी मुराअत देने के साथ, उनके लिए मसाबियाना हुकूक के हुसूल को यकीनी बनाने पर भी गंभीरता के साथ गौर करें। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी मुल्क की असल तरक्की यह है कि वहां के समाज में गरीब और कमजोर लोग अमीर और ताकतवर लोगों के बीच इज्जत के साथ सिर उठाकर चल सकें। महोदय, हमें यह देखना चाहिए कि मुल्क के गरीब तबकात में सबसे ज्यादा गरीबी की मार कौन झेल रहा है और मुल्क के गरीब इलाकों में से सबसे ज्यादा गरीब इलाके कौन हैं। आम बजट से यह जाहिर होता है कि यूपीए सरकार मुल्क की तरक्की को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मुल्क के आखिरी गरीब तक पहुंचना चाहती है और मुल्क पसमांदातरीन इलाकों को तरक्की की दौड़ में शामिल करना चाहती है। मैं भी मुल्क के पसमांदातरीन इलाकों में से एक इलाके किशनगंज बिहार से चुनकर आया हूं, जो पिछड़े हुए बिहार का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां खास तौर पर तालीम, रोजगार, आमद-व-रफ्त और तिब्बी सहूलियतों की बेहद कमी है। यह इलाका बहुत ज्यादा पसमांदा है, लेकिन उस इलाके की एक कौमी पहचान भी है कि उसने उस वक्त टू-नेशन थ्योरी की जबर्दस्त मुखालफत की थी और अपने वतन की मिट्टी की खुशबू को अपने से जुदा करना गंवारा नहीं किया था जब पूरे मुल्क में इस थ्योरी ने भाई को भाई से जुदा कर दिया था। आजादी की गुजीशता छ: दहाइयों में पूरे मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ,

मगर यह इलाका नफरतो, अदावत की आंधी से महफूज रहा। किशनगंज ने राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और प्यारो-मोहब्बत के चिराग को हमेशा जलाए रखा। मगर हैरत है कि मुल्क के जिस इलाके की देशभक्ति, वतनदोस्ती और अमनपसंदी को तवारीख ने रिकार्ड किया है, वह इलाका तरक्कीयाती दौर में बहुत पीछे रह गया है। हमारी सरकार को उस इलाके की तरक्की पर खास ध्यान देना चाहिए और वहां के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वहां तालीम और सहेत को फरोग देने के लिए वेकेशनल एजुकेशन के इदारे कायम किए जाएं और एक रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए। उस इलाके को नदियों के कटाव की तबाहकारियों से बचाने के लिए महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट को समय रहते मुकम्मल किया जाए। आमद व रफ्त की सहूलियतों को बढ़ाने के लिए वहां सड़कों की तामीर के साथ, वहां की नदियों पर प्रपोज़ड पुलों के प्रोजक्टों पर फौरन ध्यान दिया जाए। गलगलिया-अररिया न्यू रेल लाइन के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए और प्रपोज जलालगढ़-किशनगंज न्यू रेल लाइन के काम का सर्वे शुरू किया जाए।

सभापति महोदय: हक साहब, आप उर्दू में बोल रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं है। आप अपनी स्पीच बाकी भाग को टेबल पर ले कर दें।

श्री मोहम्मद असरारुल हक: ऐसा मत करिए, मैं पहली बार इस सदन में आया हूं और पहली बार ही बोल रहा हूं। मुझे अपने क्षेत्र का दर्द तो रखने दें। इसलिए मुझे दो-तीन मिनट तो बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: आपने नोटिस नहीं दिया है, उर्दू से हिन्दी में ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं है। आपको पहले नोटिस देना चाहिए था कि मैं उर्दू में बोलना चाहता हूं। अगर आप हिन्दी में कहना चाहते हैं तो आप अपनी स्पीच कंटीन्यू कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद असरारुल हक: इसमें हिन्दी में भी अलफाज हैं। महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर ने जनरल बजट में अकलियतों के लिए खास किए गए फंड में 74 फीसदी का इजाफा किया है।

सभापति महोदय: आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मोहम्मद असरारुल हक: सभापति महोदय, मैं तो हिन्दुस्तानी बोल रहा हूं। मैं इसके हवाले से उन्हें तवज्जोह दिलाना चाहता हूं कि अकलियतों का, दिलखसूस मुसलमानों का बड़ा मसला एजुकेशन का है। उनमें जबर्दस्त तालिमी बेदारी आई है और तालिमी तरक्की की तरफ उनके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी उनके बढ़ते हुए कदमों के लिए रुकावट बनी हुई है। खासकर देही इलाकों में उन्हें जबर्दस्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें अच्छे स्कूल मयस्सर नहीं हैं। गरीबी की वजह से अपने बच्चों के लिए वे मुकम्मल इंतजामात नहीं कर पाते। वे अपनी लड़कियो को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गर्ल्स एजुकेशन की सहूयिलतें मयस्सर नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मुल्क में अकलियतों की तालीमी तरक्की के लिए इन स्कीमों पर गौर किया जाए। कमशरहख्वांदगी के अकलियतों के आबादी वाले इलाकों में लड़कियों के लिए स्पेशल एजुकेशन डवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाए। कौमी सतह पर अकलियतों के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोजेक्टों की माली मदद की जाए। अकलियतों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलशिप प्रोग्राम शुरू किया जाए। अकलियतों की फला और बहबूदी के लिए काम करने वाली तंजीमों को सरकारी इमदाद दी जाए।

महोदय, सरकार ने बहुत सी स्कीमें बनाई हैं, लेकिन मैं यहां यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने जितनी मेहनत के साथ स्कीमें तैयार की हैं, उतनी ही गहराई के साथ इम्प्लीमेंटशन पर भी नजर रखना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है, तो यहां यह कहना जरूरी है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात और औकाफ पर जाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट पर भी पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन किया जाना जरूरी है। हुकूमत ने जिस तरह कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसान भाइयों के कर्ज माफ किए हैं, इसी तरह उनके मसाइल को भी हल करना चाहिए।

सभापति महोदय: अब आप अपनी स्पीच समाप्त करें।

श्री मोहम्मद असरारुल हक: मैं बस कंक्लूड ही कर रहा हूं। सच्चर कमेटी ने हिन्दुस्तान के जिन बड़े अकलियतों की आबादी वाले इदारों की निशानदेही की है, उनमें फलाही स्कीमों को मुकम्मल नाफिज किया जाए और उन स्कूलों, बोड्र्स से मुलहका और मदरसों में बिल्डिंग स्कीम के फंड को भी शामिल किया जाए। मदरसों के अंदर जदीद तालीम और तालीम मंसूबा नफाज करने के लिए उलैमा मदारीस और को जिम्मेदार करने के लिए एतमाद में लिया जाए।

मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। पूरे सदन में मुझे एक दरख्वास्त कर लने दीजिए। मैं पूरे सदन से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अकलियतों और कमजोरों के जो मसाइल हैं, ये भी कौमी मसाइल का हिस्सा हैं। जिस तरह इन मसाइलों को किए बगैर हल करना मुमकिन नहीं है, इसी तरह उन्हें कौमी मसाइल का दर्जा दिए बगैर पूरे मुल्क की मजमुई तरक्की भी मुमकिन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सदन कमजोर और अकलियतों के मसाइल के हल की कोशिशों को कौमी कोशिशों का हिस्सा बनाकर

फराखदिली की रवायत कायम करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया के लिए एक नमूना-ए-अमल बनकर दिखाएं। यह उसी वक्त होगा जब गरीबों, कमजोरों और अकलियतों की भलाई के लिए हम मिलजुलकर काम करें।

मैं उम्मीद करूंगा कि गरीबों के लिए संसद का दिल पसीजेगा। हम जब किसी बेवा का नंगा सिर देखें, किसी गरीब का ठंडा चूल्हा देखें, किसी अनाथ को तड़पता हुआ देखें, किसी बीमार की कराह सुनें तो हमारा दिल भी तड़प उठे। अगर हमारा दिल नहीं तड़पता है तो समझ लीजिए कि वह दिल नहीं बल्कि पत्थर की सिल है। मुझे उम्मीद है कि हम अवामी खिदमत के लिए कुर्बानी और ईसार के ज़ज़बे से काम लेंगे। मेरी इस हाउस के काबिले मैम्बरों से एक ही विनती है कि "फूंक कर अपने आशियने को, रोशनी बख्श दो जमाने को"।

आखिर में, मैं मैडम सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह और जनाब राहुल गांधी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अजीम हिंदुस्तान के अवाम का दिल जीता और एक साफ-सुधरी हुकूमत मुल्क को दी और दो अच्छे बजट भी दिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। उन्होंने नौ मिनट का समय लिया है। हम वरिष्ठ सदस्यों को कुछ छूट दे रहे हैं। लेकिन इससे दूसरे सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। अत: कृपया इसे न दोहराएं।

[हिन्दी]

***श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद):** यह संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा और ऐसा बजट है जिसमें हर तबके लिए कोई न कोई सौगात है। बजट का खास जोर इस बात पर रहा है कि इसमें वैयक्तिक आयकर में छूट का दायरा 10 से 15 हजार बढ़ाना, 10 प्रतिशत का आयकर सरचार्ज खत्म करना, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स खत्म करना नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहते हैं। गरीब छात्रों के शिक्षा लोन पर ब्याज का भुगतान सरकारी लेवल पर होना, गरीबों के लिए सस्ता अनाज और किसानों को खाद सब्सिडी सीधे देने जैसे फैसले साबित करते हैं कि सरकार ने गरीबों और किसानों का बजट में विशेष ख्याल रखा है। इस बजट में 9 फीसदी विकास दर हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत करने, कृषि का विकास करने के लिए और सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

केंद्र सरकार की सभी फलेगशिप योजनाओं जैसे राजीव गांधी आवास योजना और प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए धन की मानों बरसात ही कर दी गई है जो बीपीएल जनता के हितों के प्रति सरकार की गहरी चिंता को दर्शाती है।

हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी करिश्माई यूपीए येचरपरसन और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाया गया यह बजट देश के जीडीपी वृद्धिदर को बढ़ाने, शहरी गरीबों के लिए आवास व्यवस्था करने, कृषि क्षेत्र को सस्ती दरों पर अधिक ऋण देने में तो मददगार होगा। इस बजट में नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को इस टी.टी. और डीडीटी से छूट देकर और राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर 100 प्रतिशत कटौती करके और चुनिंदा शिक्षा संस्थानों में छात्रों को पूरी ब्याज सब्सिडी देने जैसे बहुत अच्छे और स्वागत योग्य कदम उठाए गए हैं।

इन सब खूबियों की वजह से मैं इस सामान्य बजट का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री मोहन जेना** (जाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सामान्यत: बजट आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है। लेकिन वर्तमान बजट कामकाजी वर्ग, गरीबों, किसानों तथा मजदूरों की चिंताओं तथा आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित नहीं करता। भारत मूलरूप से कृषि प्रधान देश है। अत: बजट में कृषक समुदान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था। पिछले बजट में कृषि ऋणों को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन हमारे देश के बहुत से किसानों को इसका फायदा नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसानों ने स्थानीय क्षेत्र के लघु वित्तीय संस्थाओं अथवा असंगठित साहूकारों से ऋण लिया था। किसान जल-कर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। उचित सिंचाई सुविधाओं के बिना कृषि में सुधार कैसे होगा? सरकार को पुरानी, विद्यमान सिंचाई माध्यमों, नहरों, जो अब जलमग्न हो गई हैं, की मरम्मत तथा नवीकरण करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

महोदय, उड़ीसा में किसानों की स्थिति शोचनीय है। वे सूखा, बाढ़, इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलते हैं। इस निराशा में वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम ने धान और गेहूं की खरीद के लिए प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित किया है, लेकिन उड़ीसा में इस प्रापण नीति का अनुपालन नहीं

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: उड़ीसा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतर।

किया जा रहा है अत: किसान भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों में व्यर्थ ही अपने उत्पाद को ले जा रहे हैं। वास्तव में यह स्थिति अत्यधिक दयनीय है। केन्द्र सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

भारत में संघीय व्यवस्था है। अत: केन्द्र सरकार की नीतियां सभी को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए और उनका उद्देश्य प्रत्येक राज्य का समग्र विकास होना चाहिए। अन्यथा राष्ट्र विकास नहीं कर सकता।

महोदय, मैं उड़ीसा में जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, जो तीन नदियों-ब्राह्मणी, बिरूपा और केलुआ का संगम स्थल है। मेरे क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है कि इन नदियों पर तटबंध बनाने की परियोजना शुरू की जाए। यदि इन नदियों के दोआल क्षेत्र का उचित रीति से संरक्षण किया जाए, तो इससे सिंचाई तथा दो ब्लॉकों की जल-भराव की समस्या का समाधान हो सकता है। वहां नियंत्रित सिंचाई व्यवस्था से समुदाय के जीवन-यापन के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। अत: केन्द्र सरकार को तटबंध परियोजना को तत्काल शुरू करना चाहिए।

महोदय, अब मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में बताना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 60/40 अनुपात पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। दिहाड़ी मजदूरों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पर्याप्त दिहाड़ी नहीं मिल रही है। इसीलिए वे निजी कार्य कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अधिक पैसा मिल रहा है।

महोदय, मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें प्रत्येक ग्रामीण घर और किसानों के खेतों में बिजली पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। लेकिन उड़ीसा में इस कार्यक्रम की गति बहुत धीमी है। इसी कारण हमारी राज्य सरकार ने ''बीजू ज्योति योजना'' शुरू की है। उड़ीसा पिछड़ा राज्य है और मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में तेजी लाए।

इस बजट में विद्यार्थी ऋण का उल्लेख किया गया है। महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, जैसे कमजोर वर्ग के भूमिहीन विद्यार्थियों को बैंकों से ऋण लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बैंक उन्हें ऋण देने के बदले उनसे कुछ न कुछ गिरवी रखने के लिए बाध्य कर परेशान कर रहे हैं। हमें इस बारे में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

बजट में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है। महोदय, उड़ीसा का पुरी-कोणार्क समुद्र तट विश्व विख्यात हैं अब समावर्ती क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जिससे तटीय क्षेत्र में कमी हो रही है। केन्द्रपाड़ा जिले में, एक जगह है सतबाया, जहां दो गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। उड़ीसा की तट सीमा 480 किलोमीटर है और यह लगातार बढ़ रही है। सरकार को रूकावटें तथा तटबंध बनाकर भूमि का संरक्षण करना चाहिए। तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, क्योंकि यह किसी भी राज्य सरकार की आर्थिक और कार्यनीतिक क्षमताओं से परे हैं।

महोदय, उड़ीसा की महानदी और ब्राह्मणी जैसी कुछ महत्वपूर्ण नदियों धीरे-धीरे अपर्दन का शिकार होती जा रही हैं। नदी तल में गाद जमा होने के कारण बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तलकर्बन द्वारा नदी तल को साफ किया जाना चाहिए। हमारे देश की कई नदियां लुप्त होने के कगार पर हैं। सरस्वती जैसी पौराणिक नदी के समान ही उड़ीसा में प्राज्ञी नदी थी जो अब लुप्त हो गई हैं। इस नदी के पत्थरों को सूर्य मन्दिर के निर्माण हेतु कोणार्क ले जाया गया था।

महोदय, उड़ीसा में खनिज स्रोतों का भंडार है परंतु यहां की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। केन्द्र सरकार की खनिज नीति में त्रुटियां हैं जो उड़ीसा को उसके हक से वंचित कर रही हैं। खनिज समृद्ध सभी राज्य जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार आदि वर्तमान नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं परन्तु केन्द्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोयले आदि अन्य खनिजों की रॉयल्टी के रूप में उड़ीसा को प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपयों की हानि होती है।

राज्य में विरोधी राजनैतिक दल का नियंत्रण होने पर केन्द्र सरकार राज्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाती है। उड़ीसा केन्द्र के इस सौतेले व्यवहार का शिकार कहा है। विकास के लिए संघ सरकार को सर्व-भारतीय विचारधारा को अपनाना चाहिए। इसे विकास संबंधी अपनी योजनाओं में सभी नागरिकों को शामिल करना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में केवल कुछ चुने हुए ही स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो स्वंतत्रता प्राप्ति के 62 वर्ष बाद भी गरीबी और अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे जिले में भकडिया और मुंडापोटा केला खनाबर्दोमा जनजातीय समुदाय हैं। अभी तक उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिला है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सुविधाएं प्राप्त नहीं है अथवा उनके लिए कोई अन्य कल्याणकारी उपाय नहीं किए गए हैं। वे सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जैसे कि वे अभी भी 18वीं शताब्दी में रह रहे हों। महोदय 21वीं सदी का भारत उनके लिए एक सपना है। मुख्यालय में लाया जाना चाहिए तथा शहरी और ग्रामीण भारत के अंतर को पाटा जाना चाहिए। महोदय, मेरा मानना है कि

सामाजिक क्रांति लाने के लिए एक नई शुरूआत 'नवजागरण' की आवश्यकता है।

श्रीमती शताब्दी राय (बीरभूम): महोदय, मैं पहली बार संसद सत्र में चुने जाने के बाद सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त के लिए यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। मेरी दो-तीन मांगे हैं। मैं जानती हूं कि प्रत्येक वर्ष बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सभा में बजट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जाती है क्योंकि प्रत्येक दल का अपना अलग मत और अलग अपेक्षाएं होती हैं। परंतु मेरा मानना है कि हम सभी एक बात को लेकर एक मत हैं जो एमपीलैड से संबंधित हैं। मेरा मानना है कि एमपी लैड योजना के तहत धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

जब इलेक्शन के समय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गई, तब मुझे पता चला कि लोगों को बहुत चीजों की आवश्यकता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्हें देने के लिए एमपी के पास 50 प्रतिशत चीजें नहीं हैं। मुझे लगा कि अगर एमपी लैड राशि बढ़ जाए, तो एमपी होने के नाते अपने क्षेत्र के निवासियों की हम सहायता कर सकते हैं और उन्हें सैटिसफाई कर सकते हैं। मैंने अपने क्षेत्र में स्कैन मशीन खरीदने के लिए बात की कि उस मशीन को मैं अस्पताल में दे दूंगी, लेकिन उस मशीन की कीमत एक करोड़ रुपए थी। एक एमपी को जब दो करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वह कैसे एक करोड़ रुपए की मशनी खरीद कर दे सकता हैं? मैं सभी माननीय सांसदों की तरफ से, जो सदन में मौजूद हैं और जो सदन से बाहर भी हैं, उन सबकी तरफ मैं प्रार्थना करूंगी कि एमपी लैड की राशि बढ़ा दीजिए, जिससे कि हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें।...*(व्यवधान)* मैं न्यूकमर हूं, अभी लर्निंग प्रोसेस में हूं, आप बीच में बोलेंगे, तो मैं नर्वस हो जाऊंगी। मेरा अगला मुद्दा बीपीएल कार्डों के बारे में है। एमपी बनने के बाद पता चला कि बीपीएल कार्ड की गरीबों को जिनती जरूरत है, उतनी एमपी को भी जरूरत है, क्योंकि जो भी एमपी काम करना चाहेगा, यदि एक सदस्य अपने निर्वाचन के लिए कुछ करना चाहता है जैसे चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना अपना वरिष्ठ नागरिक पे संख्या विधवा पे पेंशन देना सभी के लिए भी वरिष्ठ कार्ड आवश्यक है।

[हिन्दी]

जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनके पास तीन मंजिला घर है, बाइक है, फ्रिज, टीवी है और बीपीएल कार्ड भी है। इसलिए मैं कहूंगी कि पंचायत द्वारा बीपीएल कार्ड जो दिए जाते हैं, वे पार्टी के हिसाब से नहीं, कौन किसको वोट देता है, उस हिसाब से बीपीएल कार्ड नहीं देने चाहिए। जो लोग बीपीएल कार्ड के सही में हकदार हैं, उन्हें ही बीपीएल कार्ड दीजिए। बीपीएल कार्ड देने का जो सिस्टम है, अगर उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, तो बदलाव जरूर करना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदया, मेरा अगला मुद्दा एनआरइजीपी के तहत 100 दिन का रोजगार देने से संबंधित है। यह एक केन्द्रीय योजना में राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाती है। परंतु मुझे यह बताने में अप्रसन्नता हो रही है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को केवल 20 दिन का रोजगार मिला। केन्द्र सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि राज्य सरकार 100 दिन का रोजगार प्रदान करने में विफल क्यों रही। राज्य सरकार क्यों 100 दिन का रोजगार नहीं दे रही है या नहीं दे पा रही है। यह लोगों को यह जानने की जरूरत है। हमें प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार ने मेरे राज्य में एआईएलए (आईला) से प्रभावित लोगों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की। परंतु, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि वह यह पता लगाने के लिए एक निगरानी समिति बनाएं कि वास्तव में यह राहत राशि किस प्रकार वितरित की गई है।

[हिन्दी]

मैं एमपी होने के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते कहना चाहती हूं कि हमारी स्कीम्स गरीबों के लिए बहुत-बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन स्कीम्स का क्रियान्वयन और जिन लोगों के हाथों से वे स्कीम्स क्रियान्वित होनी हैं, वे हाथ गलत हैं, इसलिए गरीब गरीब रह जाता है तथा अमीर और भी अमीर बन जाता है। हमें सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि मोनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए, जो देखे कि सही आदमी को स्कीम्स का फायदा मिले।

[अनुवाद]

मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि चूंकि मैं फिल्म उद्योग से आई हूं मैं पूरे फिल्म उद्योग की तरफ से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि फिल्म प्रतिकारी शुल्क हटा दिया जाए। हम इस संबंध मैं अधि कारियों से पिछले दस वर्षों से संपर्क कर रहे हैं। कृपया इस पर विचार कीजिए।

चूंकि हम नए संसद सदस्य हैं अत: हम अधिक कार्य करना चाहते हैं। हमें स्वयं को साबित करना है। अत: कृपया हमें सहयोग दें।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, मैं बजट के तकनीकी बिन्दुओं की तरफ नहीं जाना चाहता। लालू प्रसाद जी

ने यूपीए सरकार के इस बजट का समर्थन किया है, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। लेकिन जब इसके परिणामों की तरफ निगाह जाती है तो मुझे लगता है कि यह बजट भारत के गांव और गरीब लोगों के लिए नहीं है। इस बजट से इस देश का रीजनल इम्बैलेंस दूर नहीं होगा। क्षेत्रीय विषमता के मामले में अंतिम पादान पर बैठा हुआ बिहार इस बजट के माध्यम से सौ साल के बाद भी इस राष्ट्र की औसत आमदनी पर नहीं जा पाएगा। गांवों में रहने वाले गरीब क्या वे इस राष्ट्र के धनी लोगों के करीब भी कभी आ सकेंगे? मुझे लगता है कि 500 साल के बाद भी ऐसा कभी नहीं हो सकेगा।

यह जो गरीबों को शिक्षा देने की बात कही जा रही है जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के जरिए काफी रकम खर्च करने की बात कही जा रही है, क्या शिक्षा के माध्यम से देश के बड़े ओहदों पर पहुंचने की ख्वाहिश क्या गांव का कोई गरीब व्यक्ति कर सकता है? वे गांव जहां भवन नहीं है, जहां पढ़ाई की सामग्री नहीं है और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। शहरों के शिक्षित लोगों के बराबर वे कब आएंगे? इसके लिए क्या भारत सरकार समान शिक्षा की कभी बात करेगी? अभी देश में प्रतियोगिता सभी के बीच समान रूप से है तो सरकार को शिक्षित भी लोगों को समान रूप से करना पड़ेगा। केवल ऐसा कह देने से कि आज की दुनिया में नॉलेज ही सबसे बड़ी सम्पदा है लेकिन गांवों के गरीब अपने बच्चों को नॉलेज प्राप्त करने के लिए कहां पढ़ाने भेजें? जिन स्कूलों में कुछ भी नहीं है, अभी वहां के स्कूलों में वे बच्चे पढ़ेंगे तो ऐसे बच्चे कभी भी इस देश की प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएंगे। उच्च शिक्षा पर काफी रकम खर्च होने जा रही है। क्या उन प्राथमिक विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चे हमारे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस खुलने जा रहे हैं, क्या इनमें कभी आ पाएंगे? क्या इनमें आकर वे कभी बड़े-बड़े वैज्ञानिक बन पाएंगे? क्या वे मैनेजमेंट के विद्यार्थी कभी बन पाएंगे? क्या वे कभी डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे यह बहुत ही अहम सवाल है। हमारे वित्त मंत्री जी केवल इसीतरह से शिक्षा के लिए एक निश्चित राशि रखने की बात करते रहेंगे लेकिन कहीं पर शिक्षा को उसके परिणाम के साथ नहीं जोड़ेंगे। हमारे गांव और गरीबों के लिए कुछ नहीं करेंगे। यह देश संकट में पड़ता जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी डाइरेक्ट किसानों के हाथ में आ जाएगी और वित्त मंत्री जी यह भी कह रहे हैं कि एक वर्ष में वे शायद ऐसा कर देंगे तो मैं समझता हूं की शायद भारत के किसानों के लिए वे एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन 3-4 सालों से देश का किसान देख रहा है कि उद्योगपतियों के हाथों में ही हजारों करोड़ की सब्सिडी जा रही है और किसान ब्लैक में खाद खरीदता है। खाद में सब्सिडी कहने के लिए है, वह उद्योगपतियों के उद्योग के लिए हैं किसानों की खेती के लिए नहीं है। यह हमारी कृषि का दायरा बीज से बाजार तक है। यह दायरा कोई साधारण नहीं है। अगर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो उत्पादन करने के लिए कहीं से भी उनके अंदर उत्साह नहीं रहेगा। आज जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यह सदन कल्पना नहीं कर सकता कि बिहार जैसे राज्य में 650 रुपया प्रति क्विंटल धान बिक रहा है जबकि अन्य जगहों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 950 रुपया प्रति क्विंटल है 300 रुपया प्रति क्विंटल कम किसान को मिल रहा है अर्थात् डिस्ट्रैस सेल कर रहा है, वहां कैपिटल इरोड हो रहा है। हम एक तरह से कुछ सैकड़ें, कुछ हजार और कुछ करोड़ की बात कर रहे हैं और किसानों के हाल से अकेले बिहार राज्य से ढ़ाई से तीन हजारा करोड़ रुपया उनकी पूंजी उनके हाथ से छिन गई। मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे गांव के लिए कहा गया, यहां इंदिरा आवास योजना बनेगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से आवास शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि वहां आवास का नहीं कमरे का निर्माण रहा है। यह ऐसा कमरा होगा जिसमें मां, बाप, बेटा, बेटी, बहू यानि पूरा परिवार रहेगा जबकि हम कह सकते हैं कि यह 10×15 का कमरा नहीं है और हम इसे आवास योजना कह रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी संख्या आधी कर दीजिए लेकिन सही आवास निर्माण के लिए गरीबों के लिए कम से कम एक लाख रुपया खर्च कीजिए, जहां उसका मवेशी भी रह सके, जहां वह खाना भी बना सके, जहां उसके स्नान और शौचालय के लिए जगह हो।

महोदय, नरेगा के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम गांव में रहने वाले हिन्दुस्तान के सारे लोगों को रोजगार की गारंटी देते हैं और उनके लिए 39,000 करोड़ रुपया रखा गया है। सिर्फ 39,000 करोड़ रुपया रखा गया जबकि मजदूरी 60 रुपए से बढ़कर सौ रुपए हो गई है। अगर हम भारत के केवल बीपीएल लोगों की ही गणना करें तो इससे साढ़े चार करोड़ लोगों में से केवल ढाई करोड़ लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा। क्या हम दो करोड़ से अधिक लोगों में से केवल ढाई करोड़ लोगों को ही रोजगार मिल पाएगा। क्या हम दो करोड़ से अधिक लोगों को सौ दिन का रोजगार नहीं दे सकते? मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अगर कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो बजट में स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर किसानों को 6-7 प्रतिशत ब्याज की दर से कर्ज मिलेगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। उनको कम से कम चार प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह: महोदय, सबसे बड़ी बात किसान मूल्य आयोग की है, जो कमोडिटीज के दाम तय करता है। भारत सरकार

धान, गेहूं, चावल का कम से कम आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे, नहीं तो किसान डिस्ट्रेस सैल में जाएगा, रीजनल इम्बैलेंस और बढ़ता जाएगा, धनवानों से गरीबों की दूरी और बढ़ती जाएगी, भारत में गरीबी और बढ़ती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब गरीबों की बढ़ती संख्या भारत के लिए खतरा बन जाएगी।

जहां तक बिहार की बात है, यह रीजनल इम्बैलेंसिस का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर बिहार को आगे ले जाना है तो विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। बिहार के बंटवारे के वक्त 1,80,000 करोड़ रुपया कहा गया था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। श्री जगदानंद सिंह जी धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंहः लेकिन इससे कहीं अधिक क्षतिपूर्ति की राशि देनी पड़ेगी। बिहार को राष्ट्र के औसत पैमाने पर लाने के लिए वार्षिक योजना बनानी पड़ेगी।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका ध न्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण यदि कोई माननीय सदस्य सभापटल पर अपना भाषण रखना चाहें तो रख सकते हैं क्योंकि अभी कई सदस्यों को बोलना है। हम केवल 8 बजे तक बैठेंगे।

...(व्यवधान)

***श्रीमती प्रिया दत्त** (मुम्बई उत्तर-मध्य): महोदया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं समग्र बजट प्रस्तुत करने हेतु माननीय महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को बधाई दूंगी जिसमें देश के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है। इस बजट की यह खासियत है कि इसमें गरीब और दलित लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया हैं। मैं घरेलू मांग आधारित विकास करने, नए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का प्रयास करने और ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों तक पहुंचने के माननीय वित्त मंत्री के प्रयास हेतु उन्हें बधाई देती हूं।

जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 3 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम अनाज देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को गंभीरता से लागू किया जा रहा है। निःसंदेह भूखमरी समाप्त होगी परंतु, क्या इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा या कुपोषण को भी रोका जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि सम्मेलन में हमारे देश सहित संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 189 सदस्य राष्ट्रों ने गरीबी हटाने, स्वास्थ्य में सुधार करने, प्रगति को बढ़ावा देने और मानव और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों सहस्त्राब्दि पोषण में आठ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें वर्ष 2015 तक गरीबी, भुखमरी, खराब स्वास्थ्य, लिंग असमानता को कम करने, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और स्वच्छ जल और पर्यावरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे लगता है कि हमें खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा भी प्रारंभ करनी चाहिए। हमारा अल्पकालिन लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और मध्यकालिक व दीर्घकालिन लक्ष्य खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए।

महोदय, मैं, मुम्बई के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूं और मैं यह समझती हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं मुम्बई में लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को उजागर करूं, महोदया, मुम्बई एक जीवन्त शहर है, यह देश की वित्तीय राजधनी भी है। देश के सभी लोग आजीविका हेतु मुम्बई आते हैं। इससे इस शहर की विद्यमान अवसंरचना पर भारी दबाव पड़ रहा है। मैं, राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहरी आवास हेतु प्रावधान सहित शहरी अवसंरचना हेतु इस वर्ष के बजट में 3973 करोड़ रुपये का आबंटन करने हेतु वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। हमारे वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि वह पांच वर्षों की अवधि में देश को मलिन बस्तियों से मुक्त करना चाहते हैं। महोदया, मेरा मानना है कि इस तथ्य को देखते हुए कि मुंबई में लाखों लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं यह एक बहुत बड़ा कार्य है। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री से मुंबई की मलिन बस्तियों के पुर्नवास के लिए एक विशेष निधि का आबंटन करने का अनुरोध करता हूं। इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि इमनें से कई बस्तियां केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बसी हुई हैं और उन्हें अतिक्रमण घोषित किया गया है परन्तु उनमें से बहुत सी बस्तियाँ 50 सालों से भी अधिक समय से बसी हुई हैं। महोदय, यदि हम भारत को मलिन बस्तियों से मुक्त करने के कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, यदि लागत वहन किए जाने के संबंध में शहरी विकास मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री और राज्य सरकार के बीच कोई समझौता होता है, जो कि मुंबई में विमानपत्तन भूमि का विकास करने हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया था तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लाखों लोगों को सर छुपाने के लिए एक छत मिल जाएगी। उनके बच्चे सम्मान से जीवन जी सकते हैं।

मैं, 'बृहन मुंबई स्टौर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट' (बीआरआईएमटी ओडब्ल्यूए) के लिए 500 करोड़ रुपये का आबंटन करने हेतु वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मेरा अनुरोध है कि परियोजना को शीघ्र और निर्धारित समय-अवधि में पूरा किया जाए।

महोदय, मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह आरंभ करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं, मैं शहरी क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह की परियोजना आरंभ करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, इस बजट में समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया गया है परन्तु, इस बजट में अपंग व्यक्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, मेरा यह मानना है कि अपंग व्यक्ति हमारे समाज को दुर्बल से दुर्बलतम भाग हैं और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है चाहे वह शिक्षा, रोजगार स्वास्थ्य या अवसंरचना का क्षेत्र हो। मैं, माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि निशक्त व्यक्ति अधिनियम पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत निशक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न सरकारी संस्थानों में आरिक्षत बहुत से पद भरे नहीं जाते। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थलों को निशक्त व्यक्तियों के अनुकूल बनाया जाएं परन्तु, मुझे नहीं गलता कि इस दिशा में कोई कार्य किया गया है। वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम में प्रत्येक जिले में एक वृद्ध आश्रम का निर्माण किए जाने का प्रावधान है। तथापि, मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में भी कोई अधिक प्रगति की गई है।

महोदय, हमने 2020 तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य निर्धारित किया है। परंतु, अभी तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं, इस मिशन के लिए 12,070 करोड़ रुपये के अलावा 2075 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है योग्य डॉक्टरों का अभाव। मेरा यह मानना है कि यदि सभी स्नातक डॉक्टरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य इंटरनशीप प्रणाली लागू की जाए तो हम कुछ हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस समस्या पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विश्वसनीय चिकित्सा सुविधा न होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के पास उपचार के लिए शहरी क्षेत्रों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इससे शहरों में स्थित अस्पतालों पर अत्यधिक दवाब पड़ रहा है शहरी क्षेत्रों में अस्पतालों में भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी आरंभ किया जाए।

महोदय, कैंसर, भारत में सबसे घातक बीमारी का रूप ले रहा है। भारत में समस्या यह है कि यहां कैंसर का पता कभी भी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लग पाता है। महिलाओं में स्तन और गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के मामले दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्तन कैंसर के मामले विशेषरूप से शहरी भारत में चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। जहां, उनमें से 1 महिला को स्तन कैंसर होने का जोखिम रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्तन कैंसर का अनुपात 70 में का है। भारत में पता लगने वाले सभी स्तन कैंसर के मामलों में से 75% का पता तब चलता है जबकि वे अंतिम अवस्था में होते हैं और ऐसे में उपचार की संभावना बहुत कम होती है। भारत में प्रति वर्ष स्तन कैंसर के लगभग 1,00,000 नए मामलों का पता लगने की संभावना है।

महिलाओं में स्तन और गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसके अतिरिक्त, कैंसर का पता लगने पर भी इसका उपचार बहुत महंगा है। अधिकांश व्यक्ति इसके उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर का उपचार निशुल्क किया जाए। इसके अतिरिक्त, स्तन और गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।

महोदय यद्यपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश ने कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है परन्तु, भुखमरी से संबंधित कुपोषण और दीर्घकालीन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। प्रत्येक दो में से एक बच्चा और प्रत्येक तीन वयस्क महिलाओं में से एक महिला कुपोषण से पीड़ित हैं। मातृत्व, नवजात शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 रुपये प्रति किलो की दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति कराया जाना ही पर्याप्त नहीं है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। मेरा सुझाव है कि वर्तमान समय में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन के अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे को कम से कम 200 मिली दूध भी प्रदान किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विटामिन, खनिज जैसे पोषक तत्व तथा प्रोटीन सीमित मात्रा में प्रोटीन और वसा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और इस दिशा में जागरुकता

कार्यक्रम चलाए जाएं। अत:, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त लक्ष्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए खाद्यान्नों को पोषक तत्वों से युक्त बनाने और ऐसे तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विचार किया जाए।

महोदय, केन्द्र सरकार ने कई कल्याण योजनाएं प्रस्तुत की हैं परन्तु, दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश योजनाएं उचित रूप से लागू नहीं हुई है। सरकार के लिए अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और विभिन्न परियोजनाओं हेतु आबंटित निधियां की निगरानी करने के लिए कोई प्रणाली सुनिश्चित करना, विशेषरूप से यदि लाल फीताशाही के कारण कोई अवसरंचना परियोजना में विलंब होता है तो इससे लागत में बहुत अधिक वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप वह परियोजना अर्थदाम नहीं रहती विगत में हमने देखा है कि ऐसी बहुत सी परियोजनाओं के साथ हुआ है। महोदय, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध बहुत शक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि इससे करोड़ों रुपये के सरकारी धन की हानि होती है और राष्ट्र के विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। इन गतिविधियों को राष्ट्र के विरुद्ध अपराध माना जाए।

[हिन्दी]

श्री अधलराव पाटील शिवाजी (शिरूर): माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के सामने 15वीं लोकसभा का पहला बजट पेश किया है। इस देश की जनता खास तौर से गरीब किसान, कर्मचारी चाहते थे कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ राहत मिले। पहली बार यूपीए सरकार को इस देश की जनता ने काफी वोटों से जिताया क्योंकि सबको काफी उम्मीदें थी कि यह सरकार गरीबों के लिए खास योजना लाएगी। मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूं और मुझे काफी निराशा हुई है कि जनता का धन्यवाद व्यक्त करने का सरकार ने सुनहरा मौका गंवा दिया है। किसानों के लिए ऋण की जो योजनाएं बनाई गई हैं, मैं नहीं समझता कि इसका फायदा किसानों को हुआ है।

[अनुवाद]

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, बहुत औद्योगिकीकरण हुआ है। अब उद्योगों में उदारीकरण के कारण बहुत सारे उद्योग कर मुक्त क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं और इसके कारण पुणे और महाराष्ट्र मे स्थापित अधिकतर कंपनियां बंद हो रही हैं और वे कर मुक्त क्षेत्र में स्थानातरित हो रही हैं।

सांय 7.00 बजे

इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे कर्मचारियों को 10 वर्ष या उससे अधिक काम करने के बाद भी अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। यदि एक कंपनी बंद होती है तो कर्मचारियों को समस्या होती है। अत: मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें।

[हिन्दी]

इसके अलावा मैं आई.टी. हार्डवेयर के विषय में बताना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी देश कोरिया, ताइवान, हांगकांग और चाइना में इलैक्ट्रानिक और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्नति, काम और रिसर्च हुआ है। हमारे देश में सबसे अच्छी क्वालिटी की मैनपावर और ब्रेन पावर बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश का कंसन्ट्रेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में रहा है। जबकि हार्डवेयर क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली कोई अच्छी स्कीम नहीं लाई है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी और सरकार से विनती करूंगा कि हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वह अच्छी स्कीमें लाए, ताकि हम ताइवान और कोरिया जैसे देशों की तरह इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से सहयोगियों ने कहा है कि एम.पी.लैड फंड की राशि सिर्फ दो करोड़ रुपये है। हमारे महाराष्ट्र में एक एम.एल.ए. को इस फंड के तहत करीबन एक करोड़ रुपये से ज्यादा मिल जाते हैं और कई राज्यों में इससे भी ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन हमारे यहां छ:-छ: असैम्बली कांस्टीटुएंसीज होने के बावजूद भी सिर्फ दो करोड़ रुपये में काम करना पड़ता है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि 14वीं लोक सभा में भी सारे मैम्बर्स की यह मांग थी कि इस निधि को बढ़ाया जाए। मैं आदरणीय वित्त मंत्री से विनती करूंगा कि एम.पी. लैड फंड की राशि को बढ़ाकर पांच से छ: करोड़ रुपये किया जाए। मैं समझता हूं कि इससे सरकार पर कोई बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे यहां कई स्कीमें हैं, जैसे भारत निर्माण स्कीम है तथा अन्य स्कीमें हैं, जहां दस हजार, बीस हजार या चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। अगर राज्य सभा और लोक सभा के सारे मैम्बर्स के लिए यह राशि बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाए तो मैं नहीं समझता कि सरकार को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं सरकार से पुन: विनती करूंगा कि एमपी लैड फंड की राशि को बढ़ाया जाए। आई.टी. हार्डवेयर के क्षेत्र में आने वाले समय में टैक्नोलोजिकल डवलपमैंट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इस पर वित्त मंत्री जी को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बजट पर अपनी राय देते हुए अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): मैं। आम बजट (2009-10) पर यह बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इसको जनोन्मुखी/आम आदमी का बजट नही कहा जा सकता, इससे हमारी 80-85% जनसंख्या का कोई भला नहीं होगा। बल्कि विश्व व्यापार संगठन के वैश्वीकरण, उदारीकरण की नतियों के अनुरूप यह पूंजीपतियों, औद्योगिक घरानों के फायदे का बजट है, इससे बहुत सारी रियायतें और छूट देकर समाज के धनी तबके को फायदा हो सकता है।

भावी 100 दिनों के अंदर जीने के लिए अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में कमी की कोई घोषण नहीं है। खाद्यान्नों, मिट्टी के तेल, आदि की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने की घोषणा नहीं की गई है। यद्यपि खाद्यान्नों की कीमतों में थोड़ी वृद्धि की गई है, तथापि इससे उत्पादन करने वाले किसानों, विशेषकर छोटे और मझौले किसानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी और इससे उनकी हताशा दूर नहीं होगी। न तो बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारंटी दी गई है न छंटनी के विरुद्ध आश्वासन ही दिया गया है और बंद पड़े उद्योगों को खोला गया है, जो कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और बाजार में मांग बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम है। एफडीआई से धन जुटाने, उधार लेने, विनिवेश करने, सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियों को बेचने, पट्टे पर देने से बाजार में तरलता (धन) आ सकती है, लेकिन जब तक श्रम आधारित उद्योगों द्वारा रोजगार का सृजन, छंटनी को रोका और बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता, तब तक बाजार में तेजी नहीं आएगी। खुदरा क्षेत्र में निगमों मुख्यत: बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश विनाशकारी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में, नरेगा के अंतर्गत कम से कम 200 दिनों/वर्षभर का रोजगार मिले और दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 150 रुपए प्रतिदिन किया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु खोलने का सरकार का दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र के निर्माताओं की कल्पना के विरुद्ध है और इससे शिक्षा ज्यादा महंगी हो जायेगी तथा यह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जायेगी। यह राष्ट्र का दायित्व है और 1960 के दशक में कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार शिक्षा का बजट आम बजट का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

इसीतरह, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य के अधिकार से और अधिक वंचित हो रहे हैं। एनआरएचएम और यूएचएम कोई रामवाण नहीं-स्वास्थ्य को एक वस्तु बनाने का जरिया मात्र है। आपके पास धन है, आप स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, यदि पैरल नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले सकते। भारत में आज भी विश्वभर से अधिक टीवी, कुपोषण और खून की कमी, जैसी बिमारियां हैं।

अत: भोर समिति और मुदलियार समिति का बजट का 10 प्रतिशत आबंटन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए करने की सिफारिश को सुरक्षा के साथ सुनिश्चित किया जाए और अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति सहित वर्तमान जन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाए।

सिंचाई बहुत उपेक्षित क्षेत्र है और हमारी 62 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के लिए अभी भी सिंचाई की सुविधा नहीं है, जिस पर सम्यक ध्यान देने और उसके लिये निधियन करने की आवश्यकता है। यदि यह रुझान जारी रहता है, तो उर्वरकों की कीमतें बढ़ जाएंगी और किसानों का आत्महत्या किया जाना बढ़ जायेगा।

राष्ट्र की पेयजल समस्या को आगामी 5 वर्षों में समाप्त किया जाए और सरकार विश्व को दिखलाएं कि भारत अपने एक अरब से अधिक की जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कर सकता है।

इसके साथ ही मैं आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 2,50,000 रुपए प्रतिवर्ष करने के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, ताकि राष्ट्र के वरिष्ठ समूह के कुछ कर्मचारियों को भी लाभ मिल सके।

मैंने सुन्दर वन के लिए विकास के लिए पैकेज की आशा की थी, जो कि डेल्टा वन में विश्व की विरासत है, लेकिन पुनर्निमाण से जुड़ी निधि की यदि कड़ाई के साथ निगरानी न हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग हो सकता है।

रक्षा जो एक अनुत्पादक क्षेत्र है, विश्व में हथियारों की दौड़ में शामिल होने तथा बाजार में कृतिम रूप से उछाल लाने के लिए, इसके बजट में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जोकि पूंजीपति साम्राज्यवादी अर्थव्यवथाओं में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की प्रवृत्ति बन गई है।

नोबल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन के शब्दों में 80 प्रतिशत भारत सोमालिया की तरह और शेष न्यूयार्क (वाशिंगटन) की तरह है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट उनके वक्तव्य को न्यायोजित ठहराता है और अमीर-गरीब के बीच के अंतर को बढ़ाता है और अत: इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** (दक्षिण गोवा): माननीय अध्यक्ष महोदया, जब वित्त मंत्रालय बड़े अनुभवी प्रश्नकाल श्री पी के मुखर्जी को सौंपा गया था तो देश को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह लोगों की आशा और विश्वास पर खरे उतरे हैं। इस बजट को चारों ओर से प्रशंसा मिली है और यह इसका पात्र है। इसने न सिर्फ संप्रग की मुख्या आम आदमी के हितों की रक्षा की है बल्कि यह उन उद्योग और व्यापार के अग्रणी लोगों, निवेश करने वाली जनता तथा विदेशी निवेशकों, उम्मीदों पर भी खरा उतरा है, जो हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक पूंजी लाते हैं, ताकि आर्थिक मंदी झेल रहे अन्य देशों की तुलना में हमारी असाधारण विकास दर बरकरार रहे।

इस बजट की सर्वाधिक प्रसंशनीय विशेषता हमारे विकास और प्रगति को एक साथ चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में निधि का आबंटन है, ताकि हमारे समाज का वंचित तबका इस वृद्धि और संपन्नता से होने वाले लाभ से वंचित न रहे। यह संभवत: एकमात्र बड़ी जिम्मेदारी हमारे मा. वित्त मंत्री को सौंपी गई थी और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि नि:संदेह उन्होंने इसके साथ पूरा न्याय किया है।

बजट के प्रावधान में गरीबों को अजीविका उपलब्ध कराने की मूल अवधारणा को एक नया अर्थ और दिशा दी गई है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें क्रियान्वयन के लिए समय सीमा की स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त हुई है, से पूरी अवधारणा क्रांतिकारी हो गई है। जब भूखे के लिये भोजन की बात आती है, तो हम केवल धर्मार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह तो अहस्तांतरणीय और परम अधिकार है। वंचित तबकों को आजीविका के लिए बुनियादी सुविधाएं तथा अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित कानून में पात्रता के लिए कानूनी गारंटी का समर्थन है। अब आम आदमी हमारे सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के केन्द्र में है।

मेरा मनना है कि वित्त मंत्री ने जिस ढंग से बजट निर्माण प्रक्रिया अपनाई है, उसका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। वह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट की तैयारी के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई और इस तरह से अपने उद्देश्यों की उपलब्धि को केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास बनाया। उन्होंने घोषणा की है कि वह इसे हर वर्ष दोहराना चाहते हैं और यह वास्तव में प्रशंसनीय है।

बजट की मुख्य विशेषताएं, जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, निम्नलिखित हैं:

1. 'समग्र और सन्निहित' विकास करने के लिए रोजगार के 12 मिलियन नए अवसर सृजित करना।
2. वैश्विक मंदी के नकारात्मक निक्षेप का सामना करने के लिए 1,86,000 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन।
3. अवसंरचना परियोजनाओं की विशाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'वित्त पोषण प्राप्त करने' की अंतर्राष्ट्रीय योजना भार में पहली बार आरंभ की गई।
4. पीपीपी (सरकारी निजी भागीदारी) के माध्यम से अवसंरचना के लिए एक सौ हजार करोड़ रुपये।
5. शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार करने और पांच वर्षों में देश को मलिन बस्तियों से मुक्त करने के लिए 12,887 करोड़ रुपये का वार्षिक आबंटन।
6. किसानों को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर 3,25,000 करोड़ कृषि ऋण।
7. योजना में शामिल न किए गए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्ताव के लिए 827 करोड़। गोवा में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अवश्य खुलना चाहिए।
8. नए आईआईटी और एनआईटी हेतु 2113 करोड़। गोवा में एक अवश्य खुलना चाहिए।
9. उच्चतर शिक्षा के लिए 2000 करोड़।
10. नई पेंशन प्रणाली को वित्तीय सहायता।
11. विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए देश में निवेश वातावरण में सुधार के लिए "सेफ हार्बर" नियम।
12. वस्तु विनिमय/लेन-देन कर, सीमांत लाभ कर और आयकर पर अधिभार को हटाना।
13. राजनैतिक दलों को दिए गए अंशदान पर शत-प्रतिशत कर माफी।

इन उपायों से, माननीय वित्त मंत्री ने अपना यह वायदा निभा दिया है कि वह युवा भारत की उभरती आकांक्षाओं की बड़ी चुनौती के प्रति पूर्णत: संवेदनशील हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा पश्चिम बंगाल और केरल में शुरू किए जाने वाले दो नए सम्मेलनों के लिए 25 करोड़ रुपये के आबंटन के लिए मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही हम अपने अल्पसंख्यक समुदायों को समाज की मुख्यधारा में ला सकते हैं

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

और यह बजट आबंटन कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को अपने धर्मनिरपेक्ष विचारों में अडिग आस्था का परिचायक है और इस तथ्य का भी परिचायक है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा): इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में, कुछ राज्य जहां पहले ही न्यूनतम मजदूरी स्तर है जोकि अधिकांश राज्यों से अधिक है, को बजट धनराशि के आबंटन की पर्याप्त संख्या की कमी की कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए, हमें प्रत्येक राज्य को देय न्यूनतम मजदूरी के लिए विभिन्न पैमाने अपनाने होंगे, जिसके लिए संबंधित राज्यों में पहले से प्रचलित मजदूरी पर विचार करना होगा। अन्यथा आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं हो सकेगा और इस कार्यक्रम को आरंभ करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

एक अन्य बात मैं और कहना चाहूंगा कि जहाजियों सहित अप्रवासी भारतीयों को अपने गांवों में मत सुरक्षित रखने की अनुमति होनी चाहिए। इसके साथ ही, मैं इस बहुत अच्छे बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री प्रबोध पांडा** (मिदनापुर): माननीय महादेय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बहुत कुछ कहा गया है और आदरणीय गुरुदास दासगुप्त ने अत्यंत महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं। मैं कुछ समीचीन मुद्दे उठाना चाहता हूं। मैं बजट प्रस्तावों विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं और अग्रणी कार्यक्रमों का स्वागत करता हूं।

मैं विशेषकर 4 मुद्दे उठा रहा हूं। पहला, वित्तीय घाटे के बारे में है। माननीय वित्त मंत्री ने कुल व्यय में 36 प्रतिशत की अधिक वृद्धि कर इसे 10,20,838 करोड़ रुपये कर दिया है, जबकि राजस्व केवल 6,14, 497 करोड़ रुपये है। हमें इस वर्ष 4,00,996 करोड़ रुपये अथवा प्रतिदिन लगभग 1,100 करोड़ रुपये का ऋण लेना होगा। पैसा इतना सस्ता नहीं है। सरकार को ब्याज से हुई आय में से 2,25,571 करोड़ रुपये अथवा प्रति 10 रुपये में से 3 रुपये से अधिक भुगतान करना होगा।

उन्होंने ''कौटिल्य'' का उल्लेख किया है। इस संदर्भ में ''कौटिल्य'' से तुलना कैसे की जाएगी। इसकी तुलना भारतीय दर्शन के चार्वाक से की जा सकती है। उक्ति है-''यावत जिबेत सुखांग जिबेन रिनांग कृत्वा सुखांग भकेत''।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दूसरा, मैं कर प्रस्तावों की बात करूंगा। ये प्रस्ताव आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्ग के लिए हैं। जिसकी भी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम है, उसे कर-छूट में दिए गए परिवर्तन से कुल 1,030 करोड़ रुपये अथवा प्रतिमाह 100 रुपये से कम का फायदा होगा। लेकिन जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये है, उन्हें प्रतिमाह 5000 रुपये से अधिक की राहत मिलेगी। क्योंकि 10 लाख रुपये से अधिक आय पर लगने वाले कर में 10% अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।

अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) को समाप्त किया जाना कम्पनियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब उन्हें लाभ पर कोई कर नहीं देना होगा।

तीसरा, कृषि के बारे में है: जी, हां ठीक ही कहा गया है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन इस क्षेत्र में कितना आबंटन किया गया है। कुल बजटीय आबंटन का केवल 1% जो उंट के मुंह में जीरे के समान है। एकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का अंशदान करती है। 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लगभग 56% काम करने वाली जनसंख्या इस क्षेत्र में कार्यरत है।

राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि उतपाद हेतु लाभकारी मूल्य और कृषि गठन पर लगभग 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उर्वरकों पर बढ़ी हुई राजसहायता तथा इसे सीधे किसानों अथवा उत्पादकों को प्रदान करने हेतु किसी समय सीमा के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। दो-तिहाई कृषि योग्य भूमि अभी तक असिंचित है। कृषि मुख्य रूप से अनियत और अनिश्चित मानसून पर निर्भर है। यह वांछनीय है कि सरकार प्रोत्साहन कार्यक्रम तैयार करे और कृषि तथा किसान के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा करे ताकि 75% जनसंख्या आत्मनिर्भर बन सके। इससे देश को खाद्य के मामले में सुपर पावर बनने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक चुनौति का सामना करने का मार्ग प्रशसत होगा। साथ ही 14 से अधिक आवश्यक वस्तुओ को शामिल करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं विनिवेश नीति का उल्लेख करना चाहता हूं। हालांकि बजट प्रस्ताव में 'बिंग बैंग रीफॉर्म्स' का कोई उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन इस ओर इंगित किया गया है। मैं वित्त सचिव द्वारा 6 जुलाई को प्रेस कान्फ्रेंस में की गई घोषणा का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अगले बजट में परिसम्पत्ति-बिक्री योजना की घोषणा करेगा। अत: यह माना जाए कि सरकार परिसम्पत्ति बिक्री योजना पर अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

ये सभी प्रवृत्तियां गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): आदरणीय सभापति जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसके आंकड़ों के अनुसार एक रुपये में 19 पैसे तो केवल ब्याज की अदायगी में लगेंगे और बाकी 15 पैसे किस्तों की अदायगी में लगेंगे। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि ऋण की वापसी में 3,42851 करोड़, ब्याज की वापसी में 2,25,511 करोड़ और राजस्व की प्राप्तियां कुल 6,14,497 करोड़ रुपये हो रही हैं और इस तरह से राजस्व घाटा 2,22,737 करोड़ पर जा रहा है। एक साधारण भाषा में समझें तो अगर यह एक रुपये का बजट हो तो उसमें से 19 पैसे केवल ब्याज की अदायगी में जा रहे हैं, 15 पैसे ऋण की वापसी में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर हमें कल के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो सारे बुद्धिजीवियों और सारे सांसदों के लिए यह एक चिंता का विषय होगा। इस बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि किसी शायर ने ठीक ही लिखा है-"धूप की तपशि से दम जिनका अपना निकल रहा हो, उन दरख्तों से कभी साये की उम्मीद मत करो।" मैं समझता हूं कि देश के करोड़ों-करोड़ों नौजवानों को इस बजट से जो उम्मीदें थीं, वे सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। आज मैं सोचता हूं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मल्टी नेशनल कम्पनीज और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के चंगुल से निकलना पड़ेगा। हमें लौटना होगा हिन्दुस्तान की जमीन पर, हमें याद करना होगा महात्मा गांधी को, हमें याद करना होगा पं. दीन दयाल उपाध्याय को, जिनकी नीतियां, आज नहीं तो कल कारगर साबित होंगी वरना देश कर्जे में डूबता चला जायेगा।

सभापति जी, आज सरकार नरेगा के लिये 39 हजार करोड़ रुपये दे रही है, यह स्वागतयोग्य कदम है। क्या इस धनराशि से करोड़ों बेरोजगार नौजवानों का पेट भरेगा? आज दुनिया में चीन के बाद भारत की आबादी ज्यादा है। जहां जीन की आबादी 125 करोड़ है वहां भारत की 115 करोड़ है और अमरीका की 35 करोड़ है। चिंता की बात तो यह है कि जितनी अमरीका की आबादी है, उससे ज्यादा हमारे यहां पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों की बात कर रही है, विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हो रही है। आज सवाल यह खड़ा हो गया है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोगों की फौज बाजार में भटक रही है, रोजगार न मिलने की दशा में ये आत्महत्यायें कर रहे हैं। उन नौजवानों का अंदर ही अंदर लावा फूट रहा है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो विप्लव बढ़ेगा। इसलिये देश को जागना होगा कि ऐसा दिन क्यों आये?

सभापति जी, इस बजट में 30-35 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिये कोई चिन्ता नहीं की गई है। क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि एक आदमी पी.एचडी या डॉक्टर या इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आता है और वह नरेगा में 100 दिन की दिहाड़ी पर काम कर पायेगा? वह मर जायेगा लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। ऐसे पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार देने के बारे में कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। मुझे अब निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कवि का शेर याद आता है-

जिस खेत से दहकान को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशाय गन्दम को जला दो।

सभापति जी, मैं गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। यह बजट आज के नौजवान की तरफ इंगित नहीं कर रहा है। मेरा माननीय वित्त्वमंत्री जी को सुझाव है कि जिस तरह उन्होंने नरेगा की योजना को चलाया है, उसी तरह एक नई योजना बनाकर पढ़े-लिखें बेरोजगार नौजवानों के लिये इस बजट में मिलनी चाहिये। उसका नाम हो-एन.वाई.ई.जी.ए.-नेशनल यूथ एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट। यह योजना जितनी जल्दी बना लें, उतना अच्छा हो। जब तक हम उन्हें उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं दे पाते हैं, तब तक ऐसे नौजवानों के लिये सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयास करे। इसकी शुरूआत तो कर देनी चाहिये। यह सही है कि बजट पर एक बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की कोशिश करे ताकि इनको लगे कि उनके बारे में सोचा जा रहा है।

सभापति जी, इसी प्रकार चुनाव फंड की बात है। बजट में कहा गया कि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जो पार्टीज को चुनावी चन्दा देंगी, उन पर टैक्स कम किया जा रहा है। आखिर हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्या हम संसद और सांसदों को खरीदने जा रहे हैं? हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज देश में हालात चिन्ताजनक हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इसी बजट के अंदर चुनाव लड़ने के लिये चुनावी फंड का प्रावधान करे। हमारे लोक सभा के 545 सांसद और राज्य सभा के 250 सांसद हैं। लेकिन खर्चा लोक सभा के एम.पी. के लिये पड़ेगा। मैं। समझता हूं कि यदि एक एम.पी. की सीट के लिये चुनाव लड़ने में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है तो 545 एम.पीज़ के लिये 5450 करोड़ रुपये बनते हैं। इसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्युशन्स के लिये भी बनते हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 15 हजार करोड़ रुपया खर्चा पांच साल के लिये चाहिये। अगर साल में 3 या 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार कर दे तो मैं समझता हूं कि हमारे ईमानदार और योग्य सांसद

भारी दबाव से बच जायेंगे और आगे के लिये लोक सभा चुनाव में सुख हो जायेगा और लोकतंत्र प्रणाली मज़बूत हो जायेगी।

महोदय, हमारी सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन का जो मुद्दा हल किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस मुद्दे को हल करके उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है। मुझसे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक अधिकारी मिले हैं। मैं यह चाहता हूं कि जब आपने 12 लाख पूर्व सैनिकों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है तो लगभग एक लाख सैनिक अधिकारियों को भी न्याय दे दिया जाना चाहिए।

*महोदय, इसके साथ ही विकास को सुनिश्चित करने हेतु एमपी लैड को दो करोड़ वार्षिक से बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ किया जाये तथा सांसद को डिसक्रीशनरी फण्ड भी प्रतिवर्ष कम से कम दो करोड़ वार्षिक दिया जाये।

महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाएं और मेरी जोरदार मांग है कि 60 वर्ष से ऊपर सभी बुजुर्गों को, 18 वर्ष से ऊपर की सभी विधवाओं को तथा अपंगों को मासिक पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जाये तथा साथ ही फार्म भरते समय या बीपीएल का चयन करते समय बच्चें की आय की शर्त तथा भूमि से आय की शर्त हटा दी जाये। क्योंकि देखने में आता है कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कि बच्चे चाहे कमा रहे हैं परंतु बूढ़े मां-बाप को सहारा नहीं देते हैं तथा भूमि से आय भी निश्चित नहीं है। जैसाकि आप देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में चाहे सूखा हो, चाहे बढ़ा या अन्य कोई आपदा, भूमि से कोई आय प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ये दोनों शर्तें बीपीएल चयन करके हटा दी जायें।

इसके साथ ही महोदय, किसानों को खेतों में बंदर समस्या भी बहुत आ रही है तथा अवारा पशुओं की भी जिससे किसानों की खून पसीने की कमाई देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। अत: इस बारे में भी सरकार शीघ्र कोई योजना बनाये व ब[illegible] का विशेष प्रावधान करें।

महोदय, इसी तरह हिमालच प्रदेश में किसानों के खैर वृक्षों पर लगे कटान के प्रतिबंध को भी शीघ्र हटाने के बारे में कमेटी प्रयास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रतिबंध को हटाए जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश के लाखों किसान भूखे मरने की स्थिति से बच पायें।

इसी तरह महोदय, हमारी एक महत्वपूर्ण मांग पहाड़ी राज्यों के लिए त्वरित विकास हेतु ''हिमालयन राज्य विकास बोर्ड'' का गठन शीघ्र करके विशेष बजट का प्रावधान किया जाये।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एक 'वैदिक, संस्कृत व कर्मकांड पर आधारित विश्वविद्यालय' खोला जाये।

साथ ही पहाड़ की तरक्की हेतु हिमाचल प्रदेश में ''हिल्स इंजीनियरिंग यूनिवसर्टी' खोली जाये।

इंडस्ट्रियल पैकेज, जो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंजूर किया था, उसे 2013 तक बढ़ाया जाये।

हिमाचल प्रदेश में बायो टैक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु विशेष बजट देकर साथ ही साथ एक बायो-टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी खोली जाये।

सामाजिक समरसता हेतु हिमालच प्रदेश के तरखान जाति के भाईयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये।

महोदय, हिमालच प्रदेश में कांगड़ा जिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी शीघ्र आरंभ की जाये। ऊना जिला में आईआईटी शीघ्र खोलें। आईआईएम भी हिमाचल प्रदेश में शीघ्र चालू करें। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला में हाइड्रो पॉवर टैक्नोलॉजी की इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट खोला जाये।

रेणुगा डैम, जिस्पा व किशाइ हाइड्रो प्रोजेक्ट हेतु शीघ्र पर्याप्त धन का प्रावधान किया जाये।

महोदय, हिमालच प्रदेश के साथ आजादी के बाद से निरंतर अन्याय हो रहा है। इस बजट ने भी हिमाचल को बहुत निराश व मायूस किया है। अत: मेरी मांग है कि-

1. पठानकोट-जोगेन्द्रनगर रेलवे लाइन को ब्राडगेज बनाकर इसे लेह तक बढ़ाया जाये व इस हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान भी किया जाये।
2. राष्ट्र की सुरक्षा हेतु एक नई लाईन तलवाड़ा-धमेटा-फतेहपुर -रेहन-जसूर से नूरपुर-उधमपुर तक बनाई जाये।
3. नंगल तलवाड़ा लाईन शीघ्र पूरी की जाये।
4. घनौली-बद्दी लाईन भी शीघ्र बनायें।
5. बिलासपुर-मंडी-कुल्लू मनाली-लेह लाईन भी बनाई जाये।

महोदय, नेशनल हाईवे जो हिमाचल प्रदेश में हैं, उन्हें तुरंत पूरा करने हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाये तथा साथ ही साथ 1500 कि.मी. की नेशनल हाईवे की मरम्मत हेतु वांछित धन दिया जाये।

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

साथ ही रोहतांग सुरंग का निर्माण भी शीघ्र शुरू करायें और कैम्पा प्लान हेतु धन का बजट में प्रबंध किया जाये।

महोदय, हिमाचल प्रदेश को भीख नहीं, अधिकार चाहिए। हमें कुदरत ने सब कुछ दिया है, शानदार व सुन्दर पहाड़ बर्फ, हसीन वादियां, अथाह खनिज व जड़ी-बूटियों के भंडार, शुद्ध-पर्यावरण व सुन्दर वन, कलकल निनाद करती नदियां, सब कुछ हमें भगवान दे दिया है परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब हमें अपना हिस्सा नहीं मिलता है। पानी से जब हम बिजली पैदा करते हैं। तो लाखों लोग उजड़ते हैं हिमाचल प्रदेश के, परन्तु बिजली में हमें उचित हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए नहीं कि हमारा हिस्सा है नहीं बल्कि इसलिए कि हम जरूरत से ज्यादा शरीफ हैं और आज तक हमें गंभीरता से नहीं लिया गया। आज मैं गंभीरता के साथ मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश को उसका अधिकार दिया जाये। पानी की रायल्टी, बिजली की रायल्टी, खनिज व पर्यावरण की रायल्टी, जंगल व जड़ी-बूटियों की रायल्टी सहित सभी हक हकूक हमें दिये जायें और बिना देरी किए दिये जायें।*

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): मैं आम बजट 2009-10 पर चर्चा में अपने विचार व्यक्त करता हूं। इस बजट से भारत की जनता को काफी उम्मीदें थी परंतु जब सदन में बजट पेश हुआ तो निवेशकों की बजटीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया और चौतरफा विकवाली से बीएसई का सेंसेक्स 869 अंक लुढ़क गया। सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान 2008-09 में 2.5 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत अनुमानित है और 2008-09 के अंतिम लेखाओं के अनुसार 6.2 प्रतिशत है। सरकार स्वयं मानती है कि यह घाटा गंभीर चिंता का विषय है।

आज आजादी के करीब 61 वर्षों के बाद भी हम कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में विवश रहे हैं। छठे वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को तनख्वाह बढ़ा दिया गया और किसानों को 70 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफ करने की घोषणा से सारा देश मंत्र मुग्ध हो गया और कांग्रेस नीत की सरकार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई।

लेकिन देश में सरकारी नौकरियों के अलावा करोड़ों लोग अस्थायी नौकरी एवं मजदूरी पर आश्रित हैं। उनको तो किसी वेतन आयोग के सिफारिशों का लाभ नहीं मिलता। उन करोड़ों लोगों को महंगाई का असर कैसे पड़ता है, इसका अंदाजा एयरकंडिशन में समझ नहीं आता। संसद में खाना पर सब्सिडी मिलती है जो खाना यहां 10 रुपए में मिलता है, वही खाना बाहर में 80 रुपए में मिलता है। वेतन आयोग के लागू हाते ही बाजार गर्म रहता है। जो सरकारी नौकरियों में वेतन वृद्धि होती है वह बाजार में जेब से बाहर हो जाती है। शेष करोड़ों जनता महंगाई के दंश से बेहाल हो जाते हैं।

आज देश में सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कृषि का विकास दर हम 4 प्रतिशत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हजारों लाखों किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने के लिए तैयार खड़े हैं। देश के हर क्षेत्र में माफिया तंत्र सक्रिय है। सब्सिडी के नाम पर देश में करोड़ों रुपए की लूट होती है। ऐसी स्थिति में सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि देश के गरीबों एवं मध्यम वर्ग को सब्सिडी का सीधा लाभ मिले और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास की व्यवस्था सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के द्वारा किया जाए, इसके लिए सभी लाभुकों के लिए कोटा एवं स्मार्ट कार्ड योजना की व्यवस्था हो।

कृषि देश में 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति बनी इसमें किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा, बीमा जरूरत सहित आजीविका सुरक्षा, किसानों के लिए स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। लेकिन इसमें और अभी तक कुछ नहीं हुआ।

खाद्य प्रबंध-देश में किसानों का उचित दाम मिले। गरीबों को कम कीमतों पर खाद्यान्न मिले और किसानों को खाद्यान्न पैदा करने में सहायता मिले। लेकिन यूपीए सरकार इस कार्य में विफल रही और सरकार ने 2047.7 अमेरिकी डालर प्रतिटन के भारी औसत मूल्य पर 2006-07 में गेहूं का 5.5 मिलियन टन तथा 2007-08 में 373.8 अमरीकी डालर प्रतिटन भारी औसत मूल्य पर 1.8 मिलियन टन गेहूं का आयात करने के आदेश दिए।

जबकि 2001-03 में केंद्रीय पूल में अत्यधिक भंडार रहा। यह जून में बढ़कर 64.7 मिलियन टन पहुंच गया जो अब तक का सबसे अधिक रहा।

इससे साबित होता है कि यूपीए सरकार देश मे गेहूं के आयत करने में सफल रही। लेकिन देश में पैदावार बढ़ाने में विफल है।

ग्रामीण विकास-झारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन की स्थिति बदतर है।

2005-06 के दौरान स्वजलधारा के लिए आबंटित राशि 356 लाख में से 178 लाख रुपए ही प्राप्त हुए। इसी प्रकार इस दौरान आवास 34261 वार्षिय लक्ष्य के अनुपात में 13326 पूरा हुए। इसी प्रकार एसजीएसवाई के तहत 78160 आवेदन के विपरीत 42376 आवेदन स्वीकृत किए गए।

बिजली देश में 13,085 मेगावाट औसत क्षमता वाली 40 पन बिजली परियोजनाएं निर्माणधीन है। झारखंड में कोणार डैम में जल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विद्युत परियोजनाएं का मामला 1990 से प्रस्तावित है परंतु केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाएं को पूरा कराने में विफल है।

वर्ष 2002 में झारखंड नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ, परंतु जो विकास एनडीए. शासनकाल में हुआ इसके बाद विकास बाधित है। ग्रामीण विद्युतिकरण की गुणवत्ता खराब है। सिंचाई परियोजनाएं के विस्तार के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा जा रहे हैं। पूरा क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, नरेगा, ग्रामीण सड़क-सारी योजनाएं लक्ष्य से पीछे चल रही है।

अत: झारखंड में निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाया जाए।

जल विद्युत परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल कोणार डैम में जल विद्युत परियोजना का काम शुरू किया जाए।

मधुबन/पारसनाथ को पर्यटक स्थल के उन्नयन एवं विकास के लिए सरकार धारा अतिरिक्त आबंटन की व्यवस्था की जाए।

कोणार डैम में विद्युत जल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाए।

झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को बीपीएल सूची संशोधन का काम शीघ्र शुरू किया जाए और गरीबों को शीघ्र राशन उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।

दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिये शीघ्र एक तत्कालिक कार्य योजना को शुरू किया जाए।

झारखंड में लंबित सिंचाई/चालू सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा कराने के अतिरिक्त राशि मुहैया कराया जाए।

झारखंड में आदिवासी कल्याण परियोजनाओं को शत-प्रतिशत लागू करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

झारखंड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं का काम शीघ्र पूरा करने एवं ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने और योजना का गुणवत्ता में व्याप्त विसंगतियां दूर करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री पबन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): सभापति, महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह एक अच्छा बजट है जिसका उद्देश्य समग्र विकास है। मैं भारत निर्माण हेतु 45 प्रतिशत एन आइरइजीपी हेतु 144 प्रतिशत, इंदिरा आवास योजना हेतु 63 प्रतिशत, अल्पसंख्यक मामले हेतु 75 प्रतिशत और राजसहायता हेतु 84 प्रशित निधियों के अधिक आबंटन हेतु माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। यह वास्तव में एक आम आदमी का बजट है और इसमें देश के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु आबंटन में बहुत वृद्धि की गई हैं। इस बजट की अगली खासियत असंगठित और अनियमित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण है जो इस देश के 92 प्रतिशत कार्यबल से अधिक है। इस बजट में कई अन्य अच्छी योजनाएं भी हैं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्रामीण भारत हेतु कई अन्य योजनाएं और देश में औद्योगिक विकास हेतु प्रोत्साहन पैकेज। कई माननीय सदस्यों ने इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है अत: मैं इन सभी मुद्दों को उठाकर इस सम्माननीय सभा का समय नहीं लेना चाहता।

महोदय, चूंकि मैं पूर्वोतर क्षेत्र से हूं अत: माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस क्षेत्र की कुछ ज्वलंत समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में बाढ़ की समस्या एक गंभीर समस्या है और इसमें भारी विनाश होता है तथा यह एक राष्ट्रीय स्तर की आपदा है। विगत दशक में हमारी लगभग 1 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई और हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति तबाह हो गई। चाय उद्योग, विद्यालय और महाविद्यालयों के भवनों से संबंधित अनेक सार्वजनिक सम्पतियां नष्ट हो गई। राज्य सरकार हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्याओं, भूकटाव की समस्या को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अत: मेरा माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि वे इस समस्या के प्रभावी मसाधान हेतु अधिक निधियां आबंटित करें। इस प्रायोजन हेतु केन्द्र सरकार को पर्याप्त अनुदान देना चाहिए। कई लाख लोगों के घर और कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई है अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह हमारे क्षेत्र के उन लोगों जिनका बाढ़ से सबकुछ बह गया है के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें।

पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक रूप से मुख्य भूमि से अलग थलग है और वहां जाने के लिए हमें विदेशी भूमि के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। अत: हमारे क्षेत्र में आना जाना एक बड़ी समस्या है। वहां हमें सड़कें बनानी होगी, रेल और विमान के लिए सम्पर्क बनाना पड़ेगा ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग यह महसूस कर सकें कि वे भी महान राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास की कमी है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएं ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना का विकास किया जा सके।

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की हैं। परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की दूरगम्यता को देखते हुए आप यह पाएंगे कि सभी निधियां बैंको के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। वहां पर्याप्त संख्या में बैंक नहीं है। इसके कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना जैसे अग्रणी कार्यक्रम धीमी गति से चल रहे हैं क्योंकि इस सुंदर क्षेत्र में पर्याप्त राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अत: मेरा माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि वहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं पर्याप्त संख्या में स्थापित की जाएं।

हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र चाय, इमारती लकड़ी और खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है परंतु इसकी दुरगम्यता उग्रवाद की समस्या और सम्पर्क में समस्या के कारण वहां कोई औद्योगिक निवेश नहीं हो रहा है। इसी वजह से केन्द्र सरकार ने निवेश में प्रोत्साहन देने के लिए 2007 में पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश नीति की घोषणा की थी। परंतु इस विशेष पैकेज के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण पूंजी निवेश नहीं हो रहा है।

जैसा कि आपको जानकारी है, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है। हमारे बहुत से युवा आंतकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और बेरोजगारी के कारण हथियार उठा रहे हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस नीति की समीक्षा करने और इसे और आकर्षक बनाने का अनुरोध करता हूं ताकि भविष्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये निवेश आ सके।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति करते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाए।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, परिवहन राजसहायता, आदि की प्रतिपूर्ति को विभाग कर मुक्त प्रोत्साहन माने।

केन्द्र सरकार को समय पर और बाधा रहित वितरण सुनिश्चित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय अन्य उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों हेतु और पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने चाहिए।

केन्द्र सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पूर्वोत्तर विकास वित्तीय संस्थान नामक एक विशेष बैंक का गठन किया है। सम्पूर्ण प्रोत्साहन विधियों का विवरण इस संस्थान के माध्यम से किया जाता है। परन्तु, इस संस्थान के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि प्रोत्साहन राशि का समय पर विवरण किया जा सके।

मैं देश के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। भारत से निर्यात की जाने वाली चाय का लगभग 60% भग असम से आता है। चाय उद्योग बहुत दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है। चाय उद्योग बहुत कठिन परिस्थितियों में चल रहे हैं। हमारे देश में चाय उद्योग प्रत्यक्ष रूप से लगभग बीस लाख लोगों को रोजगार देता है। हमारे देश में तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग स्थित है। ये उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये उद्योग हमारे देश के सुदूरतम भागों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लगभग एक करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और आजीविका के अन्य अवसर प्रदान करते हैं। अत:, मैं वित्त मंत्रालय से चाय उद्योग के समक्ष आने वाली बाधाओं पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। हमारे देश की दूर दराज तथा पिछड़े क्षेत्र में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या को आय का स्रोत प्रदान करने के लिए चाय उद्योग की सतत अर्थक्षमता का बहुत महत्व है। इस बात का बहुत महत्व है कि केन्द्र सरकार इस उद्योग की बाधाओं और समस्याओं पर समुचित रूप से विचार करे।

असम में चाय उद्योग को सरुक्षा बलों पर होने वाला भारी खर्च वहन करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। वहां, असम टी प्रोटेक्शन फोर्स, नामक एक बल है, जिसका पूरा खर्च चाय उद्योग को उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि यही एक ऐसा उद्योग है, जो कि सुरक्षा संबंधी समस्त खर्च वहन कर रहा है। हालांकि चाय उद्योग मुश्किल दौर से गुजर रहा है, फिर भी, उन्हें सुरक्षा बलों पर होने वाले खर्च के लिये धन का भुगतान करना पड़ता हैं। चाय उद्योग के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती संबंधी खर्च वहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह विश्व बाजार में हमारे चाय उद्योग को बनाए रखने और प्रतिस्पर्धा में कायम रखने को सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से इस मामले में असम की चाय संपदाओं की सहायता करे। चाय उद्योग को अपनी लागत का एक बड़ा भाग उर्वरकों पर खर्च करना पड़ता है, जो कि मौजूदा समय में यूरिया और एमओपी, आदि जैसे कुछ उर्वरकों पर राजसहायता का लाभ उठा रहा है। मैं, राजसहायता का लाभ सीधे किसानों या उपयोग कर्त्ताओं तक पहुंचाने के माननीय वित्त मंत्री जी के निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं सरकार से उर्वरक राजसहायता के लाभार्थियों की सूची में चाय उद्योग को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

भारतीय चाय को विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार को चाय उद्योग से संबंधित सामाजिक लागत के संबंध में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई अंतर मंत्रालयी समिति सहित कई समितियों ने इस बात को स्वीकार किया है और इस उद्योग की सामाजिक लागत

को उद्योग, केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहन किए जाने की सिफारिश की है। इस संबंध में शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एमईसी एक प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। इसका गठन विशेष रूप से किया गया है। उसके सामने वित्तीय बाधाएं आ रही हैं। एनईसी ने केन्द्र सरकार से 700 करोड़ रुपये के एक अन्य अनुदान का प्रस्ताव किया है। मैं, निश्चित रूप से, माननीय वित्त मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग का गठन किया है।

1000 करोड़ रुपए देने का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे 1000 करोड़ रुपए की राशि यथाशीघ्र जारी करें।

आम आदमी को केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए हमारे देश के प्रशासनिक तंत्र में आमूल परिवर्तन करना होगा। उन्हें प्रेरित करना होगा। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने देश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किग्रा. चावल या गेहूं देने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है। वे इन लोगों को यह लाभ देंगे ताकि उन्हें दो जून की रोटी मिल सके। लेकिन हमारे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत कमजोर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इन योजनाओं को आम आदमी और देश के सर्वाधिक गरीबों तक पहुंचाने का भार उठाएंगे जोकि श्रीमती सोनिया गाधी तथा डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व मे हमारी संप्रत्र सरकार का लक्ष्य है।

इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी नौकरशाही द्वारा किया जाता है। कई बार वे असफल रहते हैं। लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं और वे हताशा में रहते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पहलू पर गौर करें। इसके साथ ही इन सभी प्रशासनिक सुधारों को तेज किया जाए ताकि योजनाएं जैसे गरीबी उन्मूलन योजना, शिक्षा योजना आदि उन तक पहुंचे जिनके लिये योजनाएं बनी हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा सभा के विचारार्थ प्रस्तुत बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री सानछुआ खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2009-10 के आम बजट पर हो रहे वाद-विववाद और चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन मेरी कुछ मुद्दों पर आपत्तियां हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कम धनराशि आबंटित किए जाने और जनजातीय कार्य मंत्रालय, विशेषकर सबसे पिछड़े और उपेक्षित भाग-हमारे बोडो लैण्ड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए की बहुत ही कम धनराशि आबंटित किए जाने से सम्बद्ध हैं। इसका गठन 2003 में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान के अधीन भारत सरकार और असम सरकार एवं तत्कालीन बोजे लिवोशन टाइगर्स के नेताओं के बीच एक राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप हुआ था।

यहां मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए आबंटित धनराशि से संबंधित आंकड़ों का उद्धरण देना चाहता हूं। वर्ष 2008-09 के लिए आबंटन 1984.16 करोड़ रुपए था और इस वर्ष के लिए आबंटन 2720.11 करोड़ रुपए है। इसमें केवल 735.95 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2008-09 के लिए आबंटन 1473.25 करोड़ रुपए था और इस वर्ष आबंटन 1475.47 करोड़ रुपये हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में केवल 2.22 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बोडोलैण्ड टेरीटोरियल एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) के लिए पिछले वर्ष आबंटन 100 करोड़ रुपए था लेकिन इस वर्ष आबंटन 50 करोड़ रुपए है।

हमारे बोडोलैण्ड क्षेत्र की जनसंख्या 30 लाख है। विकास क्रियाकलापों के कई क्षेत्रों में उपेक्षा बोडोलैण्ड क्षेत्र की गई है और भेदभाव किया गया है। स्वतंत्रता के 62 वर्ष बाद भी वहां कुछ भी नहीं किया गया है और कुछ ही विकास गतिविधियां चल रही हैं और वह भी केवल 10 फरवरी 2003 को नया समझौता होने के बाद ही शुरू की गई है। अत: मैं। आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह जनजातीय विकास मंत्रालय और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय विशेषरूप से हमारे वोडोलैण्ड क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

इस संबंध में मैं बोडोलैण्ड क्षेत्र के लिए केन्द्रीय निधि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कम से कम 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने के महत्व पर बल देना चाहता हूं और इस राशि को सीधे बोडोलैण्ड टेरीटोरियल कांउसिल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए। यह नियमित रूप से दी जाएं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री सानछुआ खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की है। महोदय, मैं अपने दल नामत: बोडोलैण्ड पिपुल्स फ्रन्ट का एकमात्र सांसद हूं। यह संप्रग के चुनाव पूर्व के सहयोग दलों में से है। अत: बोलने के लिए और समय दिया जाए।

सभापति महोदय: समय सभा में दल के सदस्यों की संख्या के आधार पर आबंटित किया जाता है। आपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया है। अत: कृपया अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: अत: मैं कुछ मुद्दे लिखित रूप में सभा पटल पर रखूंगा।

सभापति महोदय: हां, आप ऐसा कर सकते हैं। अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री बैसीमुथियारी आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: सभापति महोदय, मैं एक प्वाइंट बोलना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने एम.पी. निधि फंड को इनहेंसमेंट करने के बारे में बोला है। इसमें मेरा भी कहना है कि एम.पी. निधि फंड में दो करोड़ से कम से कम दस करोड़ तक वृद्धि करनी चाहिए।

[अनुवाद]

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसमें 10 विधान सभा क्षेत्र हैं जो अत्याधिक पिछड़े हैं।

[हिन्दी]

दो करोड़ से क्या काम होगा? मेरा विनम्र निवेदन एवं दरख्वास्त है कि एम.पी. निधि फंड को दो करोड़ से दस करोड़ तक करने की जरूरत है।

*माननीय सभापति महोदय सामान्य बजट 2009-10 पर हुई चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। सामान्य बजट पर निवेदन करते हुए, मेरी राय यह है कि जहां तक विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु आबंटित केन्द्रीय निधि का संबंध है यह कुछ सीमा तक संतोषजनक है। तथापि, जहां तक उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास और जनजातीय कार्य मंत्रालय और विशेष रूप से असम में संवैधानिक रूप से मान्य लेकिन सर्वाधिक पिछड़े, उपेक्षित और वंचित जनजातीय क्षेत्र बोडोलैंड टॅरेटोरियल एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट (बीबीएडी) का संबंध है, मैं बिल्कुल खुश और संतुष्ट नहीं हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश भर में सभी आदिवासी बहुल प्रांतों और क्षेत्रों विशेष रूप से बोडोलैंड क्षेत्र के पिछड़ेपन और सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के स्तर के मुद्दे-नजर, पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय और बोडोलैण्ड राज्य के लिए बजट आबंटन में अधिक वृद्धि की जानी चाहिए।

महोदय मैं यहां वित्तवर्ष 2008-09 और वित्त वर्ष 2009-10 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय और आदिवासी कार्य मंत्रालय तथा बोडोलैंड राज्य के लिए किए गए बजट आबंटन के तुलनात्मक आंकड़ों का निम्नवत् उल्लेख करना चाहता हूं :

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष 2008-09 हेतु आबंटित बजट धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष 2009-10 के लिए आबंटित बजट धनराशि (करोड़ रुपये में)	अंतर (करोड़ रुपये में)
जनजातीय कार्य मंत्रालय	1984.16 रुपये	2720.11 करोड़ रुपये	735.95 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के आंकड़ों से वृद्धि
पूर्वोत्तर राज्य मंत्रालय	1473.25 रुपये	1475.47 करोड़ रुपये	2.22 करोड़ रुपये* पिछड़े वर्ष के आंकड़ों से केवल 2.22 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि
बोडोलैंड राज्य परिषद (बीटीसी)	100.00 रुपये	50.0 करोड़ रुपये	50.0 करोड़ रुपये* पिछले वर्ष की धनराशि की तुलना में 50 प्रतिशत कम

तालिका में दिए गए आंकड़ों से ही उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा बोडोलैंड राज्य को संबंधित प्रांतों और क्षेत्रों में समग्र विकास की गति तेज करने के लिए आवश्यक पर्याप्त धनराशि के आबंटन के मामले में संबंधित मंत्रालय की पूर्ण उपेक्षा दिखाई देती है। मुझे वित्त वर्ष 2009-10 के लिए बोडोलैंड राज्य परिषद हेतु केवल 50.0 करोड़ रुपये जो पिछले वर्ष की आंकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत कम है, के आबंटन से बहुत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दु:ख और निराशा हुई है। बोडोलैंड राज्य प्रशासन को तीन मिलियन लोगों को अंतरित किए गए विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास का मुद्दा अत्यन्त आश्चर्यजनक और दु:खद है। बोडोलैंड राज्य परिषद क्षेत्र के लिए 50.0 करोड़ रुपये की मामूली धनराशि का यह आबंटन जो भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान के अंतर्गत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त जनजातीय क्षेत्र है,

घोर उपेक्षा और भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है। जनसंख्या के संदर्भ में, संघराज्य क्षेत्रों की तुलना में बोडोलैंड राज्य परिषद क्षेत्र के लिए निर्धारित निम्नलिखित केन्द्रीय निधि पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों और बोडोलैंड राज्य परिषद जैसे क्षेत्रों के प्रति केन्द्र के भेदभावपूर्ण रवैये और सौतेले व्यवहार की परिचायक है क्योंकि ये क्षेत्र, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र नहीं हैं।

संघ राज्य क्षेत्र स्वायत्त परिषद का नाम	जनसंख्या (2001 की जनगणना)	वर्ष 2009-10 हेतु आबंटित धनराशि (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	356152	2756.22 करोड़ रुपये (1796.73 करोड़ रुपये (राजस्व) + 959.49 (पूंजी)
चंडीगढ़	20833803	2082.00 करोड़ रुपये (1644.99 करोड़ रुपये (राजस्व) + 437.01 करोड़ रुपये (पूंजी)
दादरा और नगर हवेली	220490	2036.66 करोड़ रुपये (197.92 करोड़ रुपये) (राजस्व) + 56.94 करोड़ रुपये (पूंजी)
दमन और द्वीव	158204	864.29 करोड़ रुपये (781.81 करोड़ रुपये) (राजस्व) + 82.48 करोड़ रुपये (पूंजी)
लक्षद्वीप	60650	737.61 करोड़ रुपये (544.24 करोड़ रुपये (राजस्व) + 193.37 करोड़ रुपये (पूंजी)
बोडोलैंड राज्य परिषद	लगभग 3000000	50.00 करोड़ रुपये

उपर्युक्त के मुद्दे-नजर, मैं भारत संघ सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से मेरे और बोडोलैण्ड राज्यपरिषद प्रशासन द्वारा उठाए गए मुद्दों में सहायता करने और लम्बे समय से लंबित निम्निलिखित वाजिब मांगों को पूरा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

बोडोलैण्ड राज्य प्रशासन को प्रत्यक्षत: वार्षिक और स्थायी आधार पर बोडोलैण्ड राज्य की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और असम में संबंधित स्वायत्त आदिवासी क्षेत्र के पिछड़ेपन के स्तर के मद्देनजर तथा धन आबंटन में क्षेत्रीय विसंगतियों को समाप्त करने के उपाय के रूप में कुछ छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त केन्द्रीय निधि के समान ही बोडोलैंड राज्य में समग्र विकास की गति तीव्र करने में सहायता के रूप में कम से कम 1000. 0 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि प्रदान करने के लिए भारत सरकार को समुचित उपाय करने चाहिए।

भारत सरकार को अत्यधिक पिछड़े तथा उपेक्षित जिसे संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचति जनजाति क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, में शैक्षणिक क्षेत्र का विकास करने के निमित बोडोलैण्ड के कोकराझाट में बोडोलैण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बोडोलैण्ड मेडिकल कॉलेज, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, बोडोलैण्ड सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नर्सिंग एवं परामेडिकल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, बोडोलैण्ड फिजीकल हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज, फॉरेस्ट प्रशिक्षण कॉलेज, कोकराझार में बोडोलैण्ड टेक्सटाइल एंड फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, 4 पोलीटेक्नीक इंस्टीट्यूट (प्रत्येक जिले में एक), 4 टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट (प्रत्येक जिले में एक), उदलगुरी में कृषि कॉलेज, बोडोलैण्ड क्षेत्र प्रत्येक सिविल सब-डिवीजन में 9 नए आईआईटी, और एक आईआईआईटी, कुछ जेएनवी, केन्द्रीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, क्वालिटी साईन्स कॉलेजों की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

भारत सरकार को बीटीसी क्षेत्र में कोकराझार और उदलगुरी जिले के रोवता चारियाली में एक-एक घरेलू ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उचित कदम उठाने चाहिए।

भारत सरकार को 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित बीटीसी में किए गए वायदों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, जो उदलगुरी में रोउता चारियाली में शुरू होकर बोडोलैण्ड क्षेत्र के मध्य भाग से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 (सी) तक जो जोमदुअर होते हुए जलपाईगुड़ी जिले (पश्चिम बंगाल) से मिल रहा है, वहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, (ii) भूटान के ललई से शुरू होकर बोडोलैण्ड में आमटेक कोइलामोइला तथा मंगोलियन बाजार से होते हुए ऐई नदी पुल के पूर्वी राजमार्ग 31 तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग, (iii) निम्नलिखित राज्य पीडब्ल्यूडी सड़कों का उन्नयन कर राष्ट्रीय राजमार्ग तत्काल बनाया जाए-

(क) सन्द्रूपजुक्कर-दारगमेला से रोगिया तक, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-31 में मिल रहा है,

(ख) भूटान में जिलेपु से श्यामताईबारी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (सी) में मिल रहा है, तथा

(ग) भूटान में सोरभांग से बिगपुरी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (सी) में मिल रहा है, से संबंधित है।

भारत सरकार को विशेषकर बोडोलैण्ड के शीघ्र औद्योगिकीकरण तथा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में समग्र सामाजिक-आर्थिक तथा औद्योगिक विकास को सुकर बनाने के लिए अनुकूल और स्पष्ट नीतियां बनाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। मैं बोडोलैण्ड क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ेपन तथा बेरोजगारी की समस्या के मद्देनजर, भारत सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में कतिपय अपक्षम उद्योगों की स्थापना करने के लिए उचित कदम उठाए-(i) कृषि और वन आधारित उद्योग, (ii) ईआरआई/आईएनडीआई (इंडीजेनस बोडो वाइल्ड सिल्क), सिल्क एंड टेक्सटाइल बेस्ड उद्योग, (iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, (iv) बीआरपीएल धालीगांव के उपोत्पादों पर आधारित कतिपय डाउनस्ट्रीम उद्योग, तथा (v) इस्पात क्षेत्र में मध्यम और भारी उद्योग।

भारत सरकार को बोडोलैण्ड क्षेत्र में संकोष, सरल भंगा, ऐई, मानस बेकी, पुतीमारी और धनसिरी आदि जैसी कतिपय नदियों पर कुछ अर्थक्षम जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिएं।

भारत सरकार को बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बोडालैण्ड क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय का विकास करने के लिए बीटीसी प्रशासन को कम से कम 1000.00 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिएं, ताकि इस क्षेत्र का आर्थक विकास हो सके।

भारत सरकार को सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बोडोलैण्ड क्षेत्र में संरक्षित और असंरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर परती क्षेत्रों में वनरोपण के वृहत कार्य को करने हेतु बीटीसी प्रशासन को कम से कम 500.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बोडोलैण्ड प्रशासन को 'बोडोलैण्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स/बटालियन' के नाम से पृथक वन और पर्यावरण संरक्षण बल का गठन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु एक स्पष्ट नीति बनाए जिसमें 5000 से लेकर 10000 तक बेरोजगार युवाओं की भर्ती की जाए।

भारत सरकार को बीटीसी प्रशासन को राजनीतिक विभाग सहित कानून और व्यवस्था हेतु पुलिस का हस्तांतरण करने के लिए असम राज्य सरकार को निदेश देना चाहिए तथा बीटीसी प्रशासन को बोडोलैण्ड में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ''बोडोलैण्ड टैरीटोरियल पुलिस बटालियन'' के नाम से बीटीएडी क्षेत्र में पृथक पुलिस बल का गठन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में, इस परियोजना को लागू करने के लिए बोटीसी को कम से कम 500.00 करोड़ रुपऐ का आबंटन किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार को भारतीय सेना में नागर रेजीमेंट, गुरखा रेजीमेंट आदि के समान 'बोडो रेजीमेंट' के नाम से एक पृथक रेजीमेंट का गठन करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

भारत सरकार को 10 फरवरी, 2003 को भारत सरकार तथा असम राज्य सरकार और पूर्व बीएलटी नेताओं द्वारा किए गए बोडो समझौते के सभी खंडों को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपरोक्त समझौते के खंड 8, जिसमें कारबी आंगलोंग तथा नॉर्थ कचार पहाड़ी पर रहने वाले बोडो कचरियों को शामिल करने का प्रावधान है, को केन्द्र द्वारा पूर्व में किए गए वायदे के बावजूद अभी तक कुछ भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस लंबित वाजिब मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि बोडोलैण्ड आंदोलन से संबंधित मामलों को वापस लेने तथा राहत और पुनर्वास विभाग का हस्तांरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि आत्मसर्पण कर चुके बीएलटी के अधिकांश लोगों को राहत और पुनर्वास पैकेज का लाभ नहीं मिला है, इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसके अलावा, मैं केन्द्र का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में आत्मसर्पण करने वाले एनडीफबी से

जुड़े लोगों को कोई राहत नहीं मिली है और उनका पुनर्वास नहीं हुआ है जिसके कारण आत्मसर्पण करने वाले इन आतंकवादियों के बीच गंभीर तनाव और कुंठा उत्पन्न हो रही है। केन्द्र को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देकर इसे हल करना चाहिए।

भारत सरकार को पूरे देश के अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास के कार्य के प्रशासन और उसे चलाने के लिए राज्य स्तर पर शाखाएं खोलकर संघीय ढांचे के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण स्थापित करने में मदद करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जानी चाहिए और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सभी संसद सदस्यों को इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण की शाखाओं का कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और उसके द्वारा अपनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करने में मदद करना होना चाहिए।

इस प्राधिकरण के लिए केन्द्र में प्रतिवर्ष 10000 करोड़ रु. की न्यूनतम राशि का एक पृथक बजटीय आबंटन निर्धारित करना चाहिए। इसका नई दिल्ली में एक पृथक छोटा सचिवालय बनाया जाना चाहिए।

भारत सरकार को अनुसूचित जनजाति हेतु नौकरियों में आरक्षण को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना चाहिए क्योंकि 1971 की जनगणना के तीन दशकों के पश्चात आज इनकी जनसंख्या भी बढ़ गई है।

केन्द्र को लगभग 1000.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (बालक और बालिकाओं) के लिए कुछ छात्रावास और नई दिल्ली में एक जनजातीय भवन स्थापित करने में मदद करने हेतु उचित कदम उठाने चाहिए।

मैं संघ सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तुत रेल बजट में बोडोलैंड क्षेत्र विशेषकर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के मामले में भेदभाव किया गया है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से संघ सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह बोडोलैंड क्षेत्र संबंधी काफी समय से लंबित पड़ी रेलवे सम्पर्क और रेलवे परियोजनाओं संबंधी मुद्दों पर तुरंत कार्यवाही करें। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जाने वाली सभी रेलों को कोकराझार रेलवे स्टेशन पर रोकने की अनुमति दी जानी चाहिए। बारपेटा रोड, बिजनी, बासुगांव, फकीराग्राम जंक्शन और गोसाई गांव हट रेलवे स्टेशन पर कुछ विशिष्ट रेलगाड़ियों को रोकने की अनुमति दी जानी चाहिए। केन्द्र को निचले असम में बोडोलैंड क्षेत्र के भीतर (i) गेलेगफू (भूटान) से सलाकरी-कोकराझार रेलवे स्टेशन तक (ii) संदरूकपजूंगरखा (भूटान) से रंगिजा रेलवे जंक्शन, और (iii) फकीराग्राम रेलवे जंक्शन से जमदुयार तक भूटान को जोड़ते हुए नए रेलवे लाइन बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। केन्द्र को अन्य क्षेत्रों हेतु अब तक घोषित नीति के अनुसार कोकराझार और नए बोंगाइगांव में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने हेतु मंत्रालय को निर्देश देना चाहिए।

भारत की संघ सरकार को बोडोलैंड के भीतर सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीटीसी प्रशासन को विश्वास में लेकर विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने में सहायता हेतु सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

वर्ष 1990 से धन की कमी के कारण असम राज्य सरकार ने बोडोलैंड क्षेत्र और असम के कुछ अन्य जिलों में लगभग 2,000 बोडो माध्यम के स्कूल हैं जिनमें 1000 प्राथमिक विद्यालय, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालय (मिडल इंग्लिश) और बोडो माध्यम के 500 उच्च विद्यालय जीर्ण अवस्था में हैं। क्षेत्रीय भाषा के यह स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए मैं भारत सरकार से यह पुरजोर आग्रह करूंगा कि वह बोडो भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दिए गए अंतिम निर्णय के सम्मान में मृतजाय बोडो में भाषा शिक्षा के पूर्ण विनाश से बचाने के लिए बिना किसी विलम्ब के बोडो भाषा के इन सभी जीण-शीर्ण स्कूलों को चरम बिन्दु पर पहुंचाने के लिए बीटीसी प्रशासन और असम राज्य सरकार को समर्थ बनाने के उद्देश्य से कम से कम 500.00 करोड़ रु. की केन्द्रीय निधि का आबंटन सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए।

असम में बारहमासी बाढ़ और नदी कटाव की समस्याएं यहां के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। भारत सरकार को इन समस्याओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। उपरोक्त को देखते हुए मैं संघ सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह असम की बाढ़ और नदी कटाव की समस्या को राष्ट्रीय समस्याएं घोषित करें और प्रत्येक वर्ष आने वाली विध्वंसकारी और निष्ठुर बाढ़ द्वारा बर्बाद हुई अवसंरचना के पुर्ननिर्माण कार्य हेतु असम राज्य सरकार और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद प्रशासन को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि प्रदान करे जिससे कि वे हर वर्ष आने वाली बाढ़ हेतु आवश्यक प्रबंध कर सकें।

महोदय, अंत में मैं भारत सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि बोडोलैंड को विभाग के सभी क्षेत्रों में न्याय प्रदान करने के मामले में और विलम्ब करने से पूर्वोत्तर क्षेत्र के वर्तमान पहाड़ी राज्यों में जनजातीय लोगों की अत्यधिक अवहेलना और भेदभाव

के कारण वर्ष 1960 और वर्ष 1970 में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के विभाजन के ही समान असम राज्य में विभाजन की प्रक्रिया को भी बल मिलता रहेगा।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2009-10 के सामान्य बजट संबंधी वाद-विवाद और चर्चा में भाग लेने के दौरान मैंने जो मुद्दे उठाए हैं और कोकराझार संबंधित लंबित पड़ी मांगों की सत्यता और सार्वजनिक महत्व से सहमत होंगे और उपरोक्त सभी मांगों और मुद्दों को बिना किसी विलम्ब के पूरा करने हेतु उचित कदम उठाएंगे।

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम): सभापति महोदय, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट उस विश्वास पर खरा उतरता है जो कि लोगों ने डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में सप्रंग सरकार में व्यक्त किया था। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जबकि हमें अपने देश की प्रगति के बारे में कोई निर्णय लेना है। हमें या तो भविष्य में ऐसे आघात झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए या फिर इस तरह के आघातों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियां निर्धारित करनी चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने ऐसा बजट पेश किया है जो भारत को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर में भी इसके प्रभाव से बचाए रखेगा।

बजट का मूल्यांकन करते समय मुख्य रूप से इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या वित्त मंत्री ने उन चुनौतियों पर ध्यान दिया जिनका आज हमारा देश सामना कर रहा है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है "बजट का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक विकास दर को फिर से 9 प्रतिशत पर लाने के साथ-साथ समग्र वृद्धि और एक समान विकास सुनिश्चित करना है।" महोदय, यह एक विरोधाभास है कि कृषि विकास दर कम होकर 1.6 प्रतिशत हो गई है, जबकि सामान्य सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9 प्रतिशत पर है और हम इस विकास दर को बनाए रखने में सक्षम हैं। जब तक हम अधिक कृषि विकास दर प्राप्त नहीं करते हैं मुझे विश्वास है तब तक हम समग्र विकास हासिल करने में सफल नहीं होंगे। हम यह जानते हैं कि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और यह जनता कृषि पर निर्भर है। अतिरिक्त वृद्धि का लाभ गांवों तक पहुंचना चाहिए तभी हम समग्र और समान विकास हासिल करने में सफल होंगे।

रोजगार सृजन योजना के लिए 39,100 करोड़ रुपये का आबंटन जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 144 प्रतिशत अधिक है और बीपीएल परिवारों के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है और नि:संदेह इससे समग्र विकास को गति मिलेगी।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। कृषि ऋण की उच्च दर किसानों के कर्ज के जाल में फंसने का एक मुख्य कारण है। यद्यपि, बजट में ऋण के शीघ्र भुगतान हेतु एक प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, फिर भी कृषि ऋण पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत है जो कि बहुत अधिक है। इस ब्याज दर को कम करके चार प्रतिशत किया जाए।

प्रतिवर्ष सूखे और बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि द्वारा वितरित की जाने वाली धनराशि किसानों के भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बीमा कंपनियों को इस भारी नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी। बहुत सी बीमा योजनाएं हैं परंतु, वे कुछ विशेष कृषि क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। हमें एक एकीकृत बीमा योजना की आवश्यकता है ताकि सारे कृषक समुदाय को विनाशकारी बाढ़ और सूखे से बचाया जा सके।

एक अन्य बात जो मैं वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं वह है कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव आना जो कि किसानों के सामने आ रही बड़ी समस्याओं में से एक है। उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आता है जिससे किसान इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते कि उन्हें कितना ऋण लेना चाहिए और इस की वापसी कैसे करेंगे। अत:, सरकार को उनके उत्पाद खरीदने और किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई वैज्ञानिक तंत्र विकसित करना चाहिए।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमारी प्रगति की कसौटी यह नहीं है कि हम समृद्ध लोगों को और समृद्ध कैसे बनाएं बल्कि इस बात में है कि क्या हम उन लोगों को पर्याप्त सुविधाएं दे पा रहे हैं जिनके पास बहुत कम है।

श्री बदरूद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी यूडीएफ ने सप्रंग सरकार को इस आशा के साथ समर्थन दिया था कि यह सरकार मेरे राज्य को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं अभी भी इस सरकार को समर्थन दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी आशावान हूं।

[हिन्दी]

मैं इस बजट के अन्दर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे असम के श्री पबन सिंह घाटोवार जी ने कहा है कि असम के लिए,

[अनुवाद]

मैं इसका समर्थन करूंगा।

महोदय, सभा को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय असंतुलन पर ध्यान देने के लिए 'एनईसी' और 'डीओएनईआर' जैसे संस्थान और दस प्रतिशत अव्यपगतनीय पूल जैसी योजनाएं आरंभ की गई हैं।

[हिन्दी]

हमारे 18 डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्टस थे, उनके बजट के अन्दर इस बजट में कमी कर दी गई।

[अनुवाद]

18 विभागों के अव्यपगतनीय पूल हेतु औसत आबंटन, दस प्रतिशत अर्थात 26,367 करोड़ रुपये की बजाय 9984 करोड़ रुपये अर्थात 3.73 प्रतिशत है। अत:, 18 विभागों द्वारा पूर्वोत्तर के लिए 16,525 करोड़ रुपये की देय राशि निर्धारित नहीं की गई है। यह एक अविश्वसनीय निर्णय है।

मैं, पूर्वोत्तर के अव्यपगतनीय पूल के अंतर्गत दस प्रतिशत आबंटन अर्थात 26,367 करोड़ रुपये के आबंटन की मांग करता हूं। मैं एनईसी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए निधियों में शत प्रतिशत वृद्धि की मांग करता हूं। साथ ही जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है कि बाढ़ और भू-कटाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और भू-कटाव के कारण स्थाई रूप से विस्थापित हुए लाखों लोगों का पुनर्वास किया जाए, मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। तत्पश्चात, मैं दंगा पीड़ितों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की मांग करता हूं। सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाए। मैं बाड़ लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं, सीमाओं को सील करने की मांग कर रहा हूं। हम असम में एनआरसी को तैयार करने की मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं। मैं छोटे चाय उत्पादकों और असम के 'चार' क्षेत्र के निवासियों हेतु विशेष पैकेज की मांग करता हूं। मैं ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से फुलबाडी तक के पुल को पूरा करने की मांग करता हूं।

मैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण की मांग करता हूं। मेरी यह राय है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को केवल पांच या छ: प्रोत्साहन योजनाओं तक ही सीमित न करे। नरेगा के लिए 1756 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 3900 करोड़ रुपये का आबंटन किया जाए और निर्धन व्यक्तियों हेतु बीमा योजना के लिए 2500 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का आबंटन किया जाए। बजट में वृद्धि किए जाने के अतिरिक्त सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि संशोधित बजट के स्तर पर अनुमानित बजट को लगभग पचास प्रतिशत तक क्यों कम कर दिया जाता है। सरकार को सरकारी नौकरियों, पुलिस, निजी क्षेत्र और अर्ध सैनिक बलों में मुसलमानों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। इस संबंध में मैं, यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने 2004 और 2009 के चुनाव घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया था। इसके विपरीत, अल्पसंख्यक मामले मंत्री ने अपना वक्तव्य इसके विपरीत दिया है। हम नहीं जानते कि कौन सही है।

अल्पसंख्यकों के लिए उच्च शिक्षा सुविधाएं होनी चाहिएं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो परिसरों की स्थापना किया जाना एक सराहनीय कदम है परन्तु, इसके लिए केवल 25 करोड़ रुपये का आबंटन पर्याप्त नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इस धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 100 करोड़ रुपये किया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बदरूद्दीन अजमल जी, आपकी स्पीच का बाकी भाग आप टेबल पर रख दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बदरूद्दीन अजमल: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

जैसा कि आशा की गई थी, बजट में भारत में वक्फ संपत्तियों के सुधार और प्रबंधन पर बल नहीं दिया गया है। मैं 1000 करोड़ रुपये के एक 'रिवॉल्विंग कॉरपस फंड' के साथ प्रस्तावित राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम का गठन करने की मांग करता हूं। मैं पूरे भारत में अतिक्रमणकारियों के कब्जे से वक्फ भूमि खाली कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की भी मांग करता हूं।

अंत में, मैं एमपीलैड्स की धनराशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की सभी माननीय सदस्यों की मांग का समर्थन करता हूं। मैं भी उनका समर्थन करता हूं।

मैं पूरी सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इसका समर्थन करे। इसके साथ मैं यह कहूंगा कि मैंने मुद्दों को बजट का विरोध नहीं बल्कि समर्थन करने के लिए इस आशा के साथ उठाया है कि मा. वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे। अत: मैं यहां इस बजट का समर्थन करता हूं। आप का बहुत-बहुत ध न्यवाद।

मैं अपने शेष भाषण को सभापटल पर रख रहा हूं।

*महोदय, हमारे दल एयूडीएफ ने सप्रंग सरकार का समर्थन इस आशा के साथ किया है कि इससे मेरे राज्य का अतिरिक्त लाभ होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब बिना किसी वाग्जाल के, मैं सीधे बजट दस्तावेज के तथ्यों और आंकड़ों पर आता हूं। भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता, विशेष पैकेज, शीघ्र पहल करने आदि इत्यादि के प्रचार से शायद अन्य राज्य हमसे वैमनस्य रखते हैं। किंतु अन्य राज्यों के मेरे प्यारे साथियों, इन प्रचारों में बहुत कम सच्चाई है। पूर्वोत्तर के लिए सार्वजनिक रूप से घोषित आंकड़ों को बजट दस्तावेज में स्थानांतरित नहीं किया गया है। यह एक कड़वा सत्य है, जिसे सुनने के हम आदी हो गए हैं। कांग्रेस द्वारा शासित असम जैसे राज्य निश्चित रूप से केवल सार्वजनिक घोषणा से खुश हैं। उनके बजट दस्तावेज देखने का समय नहीं है।

महोदय, सभा इस बात से अवगत है कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए एनईसी उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय जैसी संस्थाएं 10 प्रतिशत अव्यपगतनीय पूल अस्तित्व में आया है।

18 विभागों का अव्यपगतनीय पूल का औसत आबंटन एक प्रशित 26,367 करोड़ रु. के बदले 3.73 प्रतिशत (9984 करोड़ रुपये) है। अत: इन 18 विभागों द्वारा 16525 करोड़ रुपए की देय राशि उत्तर-पूर्व के लिए आबंटित नहीं की गई है। यह अविश्वसनीय धोखा है। ग्रामीण विकास, जल संसाधन और रसायन और पेट्रोकेमिकल जैसे विभागों ने उत्तर-पूर्व के हिस्से में लगभग 20 प्रतिशत की कटौती की है। 10 अन्य विभाग हैं जिन्होंने उत्तर-पूर्व के लिए एक रुपया भी नहीं बढ़ाया है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 2008-09 के दौरान आबंटित 1455 करोड़ रुपए की धनराशि वर्ष 2009-10 भी यथावह रखी गई है। यह हताशाजनक है। एनईसी योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 470.50 करोड़ रुपए ही रखा गया है। यह कष्टकारी है। 1130 करोड़ रुपये के 'बैकवर्ड एरिया रीजन फण्ड' में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पिछड़े वर्ग को पिछड़ा रहने दो, इसकी परवाह किसे है? आइला के लिए 1000 करोड़ रुपए है, अच्छा है। लेकिन असम के लिए एक भी पैसा क्यों नहीं, जहां प्रत्येक वर्ष इस तरह का नुकसान होता है।

श्रीलंका के अन्दर विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए, लेकिन 25 वर्ष पुराने नेली के पीड़ितों बोगाइगांव, कोकराझार, बारपेटा के 15 वर्ष पुराने विस्थापितों और हाल ही में असम के दारग और उदालगिरी जिले के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए धनराशि नहीं है। बोगाइगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि. के बजट के 650 करोड़ रुपए से घटाकर 561 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि साथ ही. मंगलोर रिफाइनरी के आबंटन को 527 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2020 करोड़ रुपए कर दिया गया। क्या यह भेदभाव अत्युत्तम उदाहरण नहीं है?

महोदय, ऐसे उदाहरणों का कोई अंत नहीं है। समयाभाव के कारण, मैं आपके समक्ष लिखित आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

मेरी पुरजोर मांग है:

1. उत्तर-पूर्व के लिए अव्यपगतनीय पूल के अंतर्गत 10% प्रतिशत आबंटन अर्थात 26,367 करोड़ रुपए दें।
2. उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय एनईसी और पिछड़ा क्षेत्र निधि के लिए धनराशि में 100 प्रतिशत की वृद्धि करें।
3. बाढ़ और कटाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना तथा कटाव के कारण स्थाई रूप से विस्थापित लाखों परिवारों का विस्थापन।
4. दंगे में भारतीय विस्थापित लोगों का पुनर्वास।
5. बाढ़ की जगह सीमा को पूरी तरह सील करना।
6. असम में एनआरसी की स्थापना के लिए पूर्ण समर्थन।
7. छोटे चाय उत्पादकों और असम में चर क्षेत्र के निवासियों के लिए विशेष पैकेज।
8. राष्ट्रीय परियोजनाओं में समय और लागत अधिक लगने पर स्वेत पत्र।
9. ब्रह्मपुत्र नदी पर दुबरी से फुलबारी के बीच पुल का निर्माण, जिसमें मेघालय राज्य को भी लाभ पहुंचता है।
10. बोगीबिल पुल को पूरा करना।

इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कृपया मुझे एक या दो राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने की अनुमति दें। मेरा विचार है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 5-6 प्रोत्साहन योजनाओं तक सीमित न करें। 1756 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाए, क्योंकि नरेगा को 39,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और गरीबों के लिए बीमा योजना के लिए 2500 करोड़ से अधिक आबंटित किए गए हैं।

बजट में वृद्धि के अलावा, सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि संशोधित बजट में अनुमानित बजट को लगभग 50 प्रतिशत क्यों घटा दिया गया है।

सरकार पुलिस, निजी क्षेत्र और अर्द्धसैनिक बलों में मुसलमानों के लिए नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित करे। इस संबंध में मैं बताना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया है। इसके विपरीत, अल्पसंख्यक मामले के केन्द्रीय मंत्री ने इसके विरोध में अपना वक्तव्य दिया–कौन सही है?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो कैम्पसों की स्थापना सराहनीय है, पर 25 करोड़ रुपए का आबंटन पर्याप्त नहीं है। इसको बढ़ाकर कम से कम 100 करोड़ रुपए करने की मांग की जाती है। ढुबरी, असम, में दूसरा सबसे अधिक अल्पसंख्यकों की आबादी वाली जगह है, में भी एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैम्पस स्थापित करने की मांग की जाती है।

जैसे कि आशा थी, बजट में भारत में वक्फ की संपत्तियों में सुधार और प्रबंधन पर बल नहीं दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि प्रस्तावित राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना 1000 करोड़ रुपए की निक्षेप निधि से की जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि पूरे भारत में वक्फ भूमि का अतिक्रमण करने वालों से भूमि वापस लेने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मैं संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का भी पूर्ण समर्थन करता हूं। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं राजकोषीय घाटे पर चिन्ता व्यक्त करता हूं, 2.26 लाख ब्याज की अदायगी है, में राजस्व बजट का 36 प्रतिशत है।

मैं आशा करता हूं कि मा. वित्त मंत्री तथ्यों पर ध्यान देगें और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मैंने मामले को बजट का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि इस आशय के साथ समर्थन करने के लिए उठाया है कि वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे। अत: मैं एतद् द्वारा बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति जी, मैं बजट पर कोई लंबा भाषण देने के लिए खड़ी नहीं हुई हूं। माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सारे प्वाइंट्स कहे गए। मेरे मन में एक बात आई कि हम फाइनैंस की बात कह रहे हैं, लेकिन पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ा सैक्टर, जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों में भी लिप्त है, उस सैक्टर की तरफ बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं उस पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। वह सैक्टर को-ऑपरेटिव सैक्टर है। उस को-ऑपरेटिव सैक्टर में भी पर्टिकुलरली अर्बन और रूरल को-ऑपरेटिव बैंक्स, उनके संदर्भ में मैं अपने विचार रखना चाहूंगी।

महोदय, हम जानते हैं कि जो को-ऑपरेटिव बैंक्स हैं, वास्तव में जो सामान्य व्यक्ति हैं, जिन्हें हम अतिसामान्य कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के द्वारा ही बनाया गया, एक को-ऑपरेटिव बैंक होता है, चाहे वह रूरल सैक्टर में हो या शहरी सैक्टर में हो। मेरे क्षेत्र में इसी प्रकार से एक बैंक का उदय हुआ था। चार मित्र आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। जब वे गप्पे लड़ा रहे थे, तो उनके ध्यान में एक बात आई कि उनका एक दोस्त बहुत चिंतित है। वह ज्यादा बात नहीं कर रहा है। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि लड़की की शादी की तारीख पास में है और मेरे पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। मैं किसी बैंक में नहीं जा सकता। किसी बड़ी बैंक में मेरी कोई एप्रोच नहीं है। मैं कहां से रुपए का इंतजाम करूं? तब उसके चार दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हम मिल-जुलकर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। हम कहीं न कहीं से पैसा एकत्रित करके आपको दे देंगे, लेकिन बाद में उसको वापस कर देना। इस तरह से यह घटना हुई। उसकी लड़की की शादी भी अच्छी तरह से हो गई। फिर उन चार दोस्तों के मन में एक बात आई कि इस प्रकार से हम एक-दूसरे की मदद करें, इससे हमारे मित्र के चेहरे पर खुशी आई है, तो क्या हम कोई ऐसी सोसाइटी फार्म कर सकते हैं? उस सोसाइटी को बने हुए आज पचास साल हो गए हैं। उसने एक अच्छे को-ऑपरेटिव बैंक का स्वरूप धारण किया। मैं यह बात इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि को-ऑपरेटिव बैंक सैक्टर में कहीं न कहीं उसकी तरफ ठीक तरीके से नहीं देखा जाता। आप इसमें 80-20 का रेश्यो लीजिए। 20 प्रतिशत बैंक में गड़बड़ियां भी होती हैं, वे डूबती भी हैं और वह बड़े-बड़े अक्षरों में छपता है। ऐसे में जो 80 प्रतिशत को-ऑपरेटिव बैंक्स अच्छे काम करती हैं, उनके अच्छे काम कभी सामने नहीं आते। उनकी भी स्थिति आज की तारीख में ठीक नहीं है।

मेरा पहला प्वाइंट जो ध्यान देने लायक है, वह यह कि को-ऑपरेटिव बैंक को जो प्राफिट होता है, वास्तव में इस प्राफिट को कोई अपने पास नहीं रखता है। यह कहीं न कहीं शेयर होल्डर्स को या सदस्य को ही बांटा जाता है। कई को-ऑपरेटिव बैंक्स ऐसी भी हैं, जो पुस्तक-पीढ़ी चलाती हैं और कई ऐसी चीजें चलाती हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है। मेरा वित्तमंत्री जी से निवेदन है कि को-ऑपरेटिव बैंक के प्राफिट पर इंकम टैक्स लगाया जाता है, इस पर इंकम टैक्स-वेव करना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि डिपाजिट्स पर, क्योंकि डिपाजिटर शेयरहोल्डर्स भी हैं, उनके डिपाजिट्स पर टीडीएस लगता है, इस टीडीएस को भी वेव करा देना चाहिए। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब एनपीए बढ़ता है तो यह माना जाता है कि को-ऑपरेटिव बैंक के जो एकाउंट्स हैं, ये सब-स्टैंडर्ड एकाउंट्स हैं। स्टैंडर्ड एकाउंट्स को भी सब-स्टैंडर्ड एकाउंट माना जाता है। इस व्यू को बदल देना चाहिए। बाकी सारे

नियमों के मामले में तो उनको नेशनलाइज्ड बैंक, कामर्शियल बैंक के समकक्ष रखा जाता है, जबकि उनके सारे एकाउंट्स एनपीए के मामले में हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। एनपीए की दृष्टि से मेरा सभी बैंकों के लिए सुझाव है, क्योंकि कई बार कोर्ट में सालों-साल केस चलते रहते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। ये नेशनलाइज्ड बैंकों के भी चलते हैं। कोर्ट में सालों-साल केस चलते हैं। बैंकों के ऐसे डिफाल्टर्स के मामले में जो कोर्ट में चलते हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय आता है, अगर डिफाल्टर उसकी अपील करना चाहता है, साधारणतया उसे अपील में जाने से मनाही होनी चाहिए, लेकिन अगर वह अपील में जाना चाहता है तो उसे लोन एमाउण्ट का अगर हो सके तो 100 प्रतिशत एमाउण्ट कहीं न कहीं कोर्ट में डिपॉजिट करने की बात होनी चाहिए। इस प्रकार अगर वह अपील में जाता है, तो उस बैंक के एनपीए को काउण्ट करने के समय उस एमाउण्ट को बैंक के एनपीए में से डिलीट करना चाहिए। इस तरह से बैंकों का जो एनपीए बढ़ता जाता है जिससे बैंक संकट में आते हैं, उसमें इन दोनों बातों से कमी आएगी। यह बात कहीं न कहीं उस बैंक के लिए मददगार होती है।

कोआपरेटिव बैंक्स आज बहुत अच्छे काम कर रही हैं। कई बार यह भी होता है कि यदि किसी बैंक के पीछे कोई बड़ा आदमी खड़ा होता है तो उस बैंक की अच्छी मदद हो जाती है, लेकिन बाकी सब बैंकों पर डण्डा चलता है। मेरा एक सुझाव यह है कि डीआईसीजीसी, जो क्रेडिट इंश्योरेंस क्रेडिट कारपोरेशन है, इसका काम यह है कि जब कोई बैंक लिक्वीडेशन में जाती है, तो उनके डिपॉजिटर्स, एक लाख रुपए तक के डिपॉजिटर्स का यह कहीं न कहीं ध्यान रखती है, हालांकि हर बैंक उसके लिए प्रीमियम भी भरती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई ऐसा कारपोरेशन बनाया है जो मुफ्त में बैंकों को पैसा देता है। हर बैंक इसके लिए प्रीमियम देते हैं। इसमें जो एक लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स की बात है, वह 20-25 साल पहले तय की हुई है, इसकी लिमिट को अब बढ़ाना चाहिए और इसे पांच लाख रुपये तक करना चाहिए।

इसके साथ ही डीआईसीजीसी के रूल्स और रेगुलेशन्स पर भी ध्यान देना चाहिए। आज की तारीख में हो यह रहा है कि यह एक इंश्योरेंस कारपोरेशन है, प्रीमियम लेते हैं फिर पैसा देते हैं, लेकिन बाद में इनका व्यवहार साहूकार जैसा हो जाता है। जब लिक्विडेशन में गई हुई बैंक अपना कर्ज वसूलती है, जिस पर वास्तव में डिपाजिटर्स का प्रथम अधिकार होता है, होना भी चाहिए क्योंकि यह उनका ही सिक्योरिटाइज्ड, गारन्टीड पैसा है। आप उसके लिए उनको इंट्रेस्ट भी नहीं देते हैं, लिक्विडेशन में जाने के बाद इंट्रेस्ट देना भी बंद हो जाता है, तो डिपॉजिटर्स को, बॉण्ड होल्डर्स का वास्तव में पहला अधिकार होता है, न कि डीआईसीजीसी का। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है।

मेरा एक अन्य सुझाव है कि बजट में बहुत सी बातें अच्छी की गई है, सीनियर सिटिजन्स के लिए भी सोचा है, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं सोची है। अगर हम सीनियर सिटिजन की एज के बारे में भी सोचें, जो रिटायरमेंट की एज है, उसे अगर सीनियर सिटिजन की एज मानी जाए, तो अच्छा होगा। आज यह शायद 65 वर्ष है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए।

मेरा एक अन्य छोटा सा सुझाव यह है कि हम किसानों के लिए पैकेजेज देते हैं, हालांकि वे किसान तक पहुंचते नहीं, लेकिन हम दे रहे हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या जो ऐसे स्माल ट्रेडर्स हैं, महिला बचत ग्रुप्स हैं, वे भी बड़ी ताकत के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए क्योंकि उन पर भी कभी संकट की स्थिति आती है। आज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ही सबसे ज्यादा लोगों को काम मिलता है। बड़ी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा ऑटोमाइजेशन पर जाती हैं, लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलता है। ऐसे बचत गुट और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ बात सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री को हमारी अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से उबारने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह आर्थिक मंदी 'ग्रेट डिप्रेशन' के बाद से सबसे बड़ी है। मैं उनको बजट के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, जिसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं।

यह बजट साहसिक और संतुलित बजट है। मैं स्पष्ट करूंगा कि ऐसा कैसे है। सर्वप्रथम मैं बजट के साहसिक पक्ष को स्पष्ट करूंगा। जब सभी आर्थिक विशेषज्ञ वित्तीय घाटे को लेकर चिन्तित थे, तब माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय व्यय को बढ़ाकर जोखिम भरा कार्य किया। यह सुविचारित जोखिम है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे।

पहला, आर्थिक मंदी के दौरान जब निजी निवेश जो पिछले दशक से हमारे देश के विकास को नियंत्रित कर रहा था, समाप्त होता जा रहा था, तो मेरे विचार से सामाजिक क्षेत्र तथा अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय वित्त मंत्री ने तुलन पत्र के व्यय पक्ष की अनदेखी का विकल्प चुना।

दूसरा, जब भी राजस्व और व्यय के बीच अन्तर बढ़ता है, तो सरकार को ऋण लेना पड़ता है। बैंकिंग प्रणाली और ऋण प्रणाली में उपलब्ध नकदी को देखते हुए मेरे विचार से यही सही समय है जब सरकार अपने ऋण को बढ़ा सकती है। अत: मेरे विचार से यह सुविचारित और अच्छा जोखिम है।

मेरे विचार से यह बजट संतुलित बजट है। यह ऐसा बजट है जिसमें राजनीतिक आकांक्षाओं और आर्थिक बाध्यताओं के बीच संतुलन है। यह ऐसा बजट है जो इंडिया को भारत से जोड़ता है। यह ऐसा बजट है जो निवेश आधारित विकास तथा खपत आधारित विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह ऐसा बजट है जो सतत विकास और परिवर्तन के बीच संतुलन स्थापित करता है। हमारे लिए निरन्तरता आवश्यक है क्योंकि हमें इसके लिए जनादेश मिला है। सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सर्व शिक्षा अभियान, भारत निर्माण पर व्यय किया जाना आवश्यक है और इसके लिए व्यय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमें इन कार्यों पर व्यय को जारी रखना है। लेकिन इसके साथ ही परिवर्तन भी आवश्यक है। परिवर्तन आवश्यक क्यों है? परिवर्तन इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछले दशक से देश के विकास को संचालित करने में निजी निवेश की अहम भूमिका थी जो अब समाप्त हो गया है। हम द्विपक्षीय नीति का अनुसरण कर देश के विकास की गति को बनाए रख सकते हैं। पहला, हमें अवसरंचना और कुछ योजनाओं, जिनका मैंने उल्लेख किया उन पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने किया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। हमें निवेश आधारित विकास की अपेक्षा मांग आधारित विकास, निजी उपयोग आधारित विकास को अपनाना होगा।

पिछले दशक में हमने अपने जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी उपभोग और घरेलू मांग में गिरावट देखी। यह चिन्ता का विषय है कि निजी वित्तीय उपभोग व्यय, जो वर्ष 2000 में जीडीपी का दो-तिहाई प्रतिशत था, उसमें लगभग 51 प्रतिशत की गिरावट आई। यह बहुत बड़ी गिरावट थी। लेकिन मेरे विचार से श्री प्रणव मुखर्जी ने जो कदम उठाए हैं जैसे नरेगा जिनमें पैसा सीधे उपभोक्ता को मिलता है और सभी सामाजिक व्यय योजना से निजी उपभोग और घरेलू मांग बढ़ेगी और हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे तथा हमारी अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में परिवर्तन होगा। इसलिए उन्होंने परिवर्तन और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित किया है।

जहां तक शेयर बाजार (स्टॉक मार्किट) में गिरावट की आलोचना का संबंध है, मैं इस पर भी टिप्पणी करूंगा। अनेक विपक्षी सदस्यों ने शेयर बाजार के आइने से हमारे बजट को तोलने की कोशिश की है।

[हिन्दी]

स्टॉक मार्किट के आइने से बजट को तोलने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों के लोगों ने की है, मैं सबसे पहले इन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जनादेश के जरिए लोगों ने इन्हें आइना दिखाने का काम किया है। यह वही स्टॉक मार्किट है, जब देश के समुद्री तटों पर सुनामी का कहर बरपा था, तो उसके अगले दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 पाइंट ऊपर गई थी। देश के लोगों से उसका लेना-देना नहीं था, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों ने बहुत स्टॉक खरीदे, उन कम्पनीज के, जो उन्हें लगा कि रिबिल्डिंग में उन्हें मुनाफा होगा। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्किट एक चरवाहे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। सभापति महोदय, आप चरवाहा जानते होंगे, चरवाहा वह होता है जो गांव की गाय-भैंस और बकरियों को लेकर, हमारे हरियाणा में भैंसों के टोल को लेकर, जोहड़ के अंदर नहलाने ले जाते हैं। जब वहां भगदड़ मचती है तो पहली दो भैंस कैसे बाहर भागती हैं, वे तो कुछ सोच-समझकर भागती हैं। उसके बाद बाकी की भैंसे भाग रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन भाग रही हैं। स्टॉक मार्किट का भी यही हाल है। विपक्ष ने स्टॉक मार्किट का आइना दिखाने का जो बीच-बीच में काम किया, मुझे उससे दु:ख होता है। मगर स्टॉक मार्किट के अलावा बहुत से इंडीकेटर्स ऐसे हैं, जिसने बजट को तौलने का काम किया है।

[अनुवाद]

बजट पेश होने के दो दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर को 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया है। मेरे विचार से हम खुशफहमी में जी रहे हैं। जैसा कि एलेन ग्रीनस्पेन ने एक बार कहा था कि वर्तमान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।

उदाहरण के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहला, सर्वप्रथम मैं कुछ भ्रांतियों के बावजूद सरकार के वन रैंक-वन पैंशन संबंधी प्रयास का स्वागत करता हूं, और मुझे आशा है कि इन भ्रांतियों का समाधान कर लिया जाएगा। श्री पल्लम राजू यहां उपस्थित हैं और मैं उनके मंत्रालय को बधाई देता हूं। विशेषकर हरियाणा की ओर से क्योंकि इस देश का हर दसवां सैनिक हरियाणा का ही है। हालांकि राज्य छोटा है, फिर भी हम पूरे दिल से इस कदम का स्वागत करते हैं।

हम प्रशासनिक सुधारों, विशेषकर युवा पीढ़ी के बारे में चर्चा करते रहे हैं। वे कार्यान्वयन प्रणाली में सुधार चाहते हैं; वे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहते हैं और इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं नौकरशाह इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन कर दिया है। स्वतंत्रता मिलने के बाद से ऐसे 73 आयोगों का

गठन किया गया है। लेकिन पहली बार यूनिवर्सल आईडी (यूआईडी) परिकल्पना को शामिल किया गया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। यह इस दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगा।

[हिन्दी]

सर, हमारी पार्टी को जो जनादेश मिला है, इस जनादेश के पीछे किसान का बड़ा हाथ है। किसानों के लिए इस बजट में बहुत से प्रावधान किए गए हैं लेकिन हम और प्रावधानों की मांग करते हैं। क्रैडिट रेट 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम इसे 4 प्रतिशत नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है।

नाबाड का एग्रीकल्चर रिफाइनेंसिग रेट 4 प्रतिशत है, जब तक हम उसे ढाई प्रतिशत नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। प्राइवेट मनी-लैंडर्स के लिए टास्क-फोर्स महाराष्ट्र में बनाने का काम किया है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के 73 प्रतिशत किसान प्राइवेट मनी-लैंडर्स के पास जाते हैं, इसलिए केवल महाराष्ट्र से काम चलने वाला नहीं है, महाराष्ट्र के लिए किया है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन पूरे देश के किसानों के लिए टास्क-फोर्स बननी चाहिए।

जहां तक फर्टिलाइजर्स सब्सिडी की बात है तो एक आशा जगी है, मगर प्रश्न भी उठते हैं। जो डायरेक्ट टू फार्मर सब्सिडी की बात कही गई है।

[अनुवाद]

मेरे विचार से यह स्वागत योग्य कदम है। हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष 1 लाख करोड़ रु. की राजसहायता दी गई थी। यह बहुत बड़ी राशि है और हम सभी यह कहते रहे हैं कि प्रशासनिक मूल्यों पर राजसहायता देना उचित नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक बार जब उर्वरक की कीमत निर्धारित कर देते हैं, तो किसान जिसके पास 1000 एकड़ भूमि है उसे 1000 गुणा ज्यादा राजसहायता मिलती है जिसके पास एक एकड़ भूमि है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटे किसान और पात्र किसान को ही राजसहायता मिले। अत: राजसहायता सीधे किसानों को देना अच्छा कदम है लेकिन मेरे विचार से प्रशासनिक मूल्य जिसे पोषण आधारित राजसहायता का नाम दिया जा रहा है, उससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है। मेरे विचार से आने वाले वर्षों में हमें इस बारे में स्पष्टीकरण मांगना होगा।

इसी प्रकार, उर्वरक राजसहायता का परिव्यय पिछले वर्ष 84,912 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 44,032 करोड़ रु. है। इसमें लगभग 50 प्रतिशत की कमी की गई है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। हम सभी अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उर्वरक की स्थिति से अवगत हैं और जब इस परिव्यय में इतनी अधिक कमी कर दी गई है, तो यह चिन्ता का विषय है।

[हिन्दी]

सर, हरियाणा के लिए दो-तीन पाइंट्स मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि प्लानिंग कमीशन वन-साइज-फिट्स-ऑल की पालिसी लेकर चलता है, इस पर हमें बहुत दु:ख है। हमारी सरकार पीछे जो बहुत सी कामयाब स्कीमें लेकर आई, चाहे वह स्कीम नरेगा की है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात है, हरियाणा के साथ हर स्कीम में कुछ न कुछ भेदभाव हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 1970 के दशक में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन हरियाणा में पूरी कर ली थी लेकिन हमें उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया। लास्ट-माइल-कनैक्टिविटी हमने 1980 के दशक में पूरी कर ली थी लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से हरियाणा और पंजाब में, नरेगा में, हमारी वेजिज ज्यादा हैं, उसका फायदा नहीं मिल पाया। हमें किस चीज की सजा मिल रही है।

आज भी 60 प्रतिशत गेहूं और चावल पंजाब और हरियाणा का किसान पैदा करता है और देश की भूख को खत्म करता है। लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ धोखा हो रहा है। हमें इस बात को देखकर और समझकर चलना चाहिए।

जहां तक सिंचाई की बात है तो एआईडीपी के अंदर जो 75 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, वह बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि अभी बहुत बड़े प्रोजैक्ट्स पेंडिंग हैं। वर्ष 1960 के दशक में मेरे दादा जी चौधरी रणबीर सिंह जी ने इसी हाऊस में रेणुका, लयर, व्यासी और किसाऊ डैम के हिमाचल में निर्माण की बात कही थी क्योंकि यमुना का 50 फीसदी पानी आज भी समुद्र में जा रहा है। ऐसी जो योजनाएं हैं जिसमें दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान तक के किसानों का और वहां के लोगों की प्यास बुझ सकती है, इन योजनाओं को टेक-अप करने की जरूरत है।

जहां तक एनसीआर की बात है तो कॉमनवेल्थ गेम के लिए दिल्ली के अंदर 5000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का इस साल का आउट-ले पचास करोड़ का है। मैं कहना चाहता हूं कि यह 50 करोड़ एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का वापस ले लिया जाए और दिल्ली के आसपास एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाए जिस पर लिखा जाए कि दिल्ली के बाहर जाना वर्जित है और बाहर से दिल्ली आना वर्जित है।

रात्रि 8.00 बजे

यह भी लिखा जाए कि बाहर से दिल्ली आना भी वर्जित है, क्योंकि बाहर से लोग दिल्ली आएंगे। इंक्लुसिव ग्रोथ के लिए मैनडेट मिला है, सबकी हारमोनियस ग्रोथ के लिए मैनडेट मिला है। अगर दिल्ली के लिए इतना बजट दे रहे हैं, तो थोड़ा आसपास के शहरों के लिए भी पैसा देना चाहिए। रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर, पानीपत आदि को जवाहर लाल नेहरू अर्बन रेन्यूवल योजना के अंदर शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आठ बज गए हैं। सभा का क्या मत है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, सभा का समय आधे घंटे और बढ़ाया जाए ताकि कुछ और सदस्य बोल सकें।

सभापति महोदयः ऐसा तभी किया जा सकता है जब सदस्य केवल तीन मिनट बोलने के लिए सहमत हों। अन्यथा समय बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।

सभा का समय रात्रि 8.30 बजे तक बढ़ाया जाता है।

***श्री ए. गणेशमूर्ति** (इरोड): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2009-10 के सामान्य बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए पीठ का धन्यवाद करता हूं।

यह बजट इस सम्मानीय सभा में ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की मार झेल रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था इसका समाधान खोज रही है। परंतु मैं यह बताना चाहूंगा कि यह निराशाजनक प्रयोग बन कर समाप्त हो गया है।

वेतनभोगी वर्ग और मासिक आय अर्जकों को दी गई, नाममात्र की कर राहत पूर्णतः निराशाजनक है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह यह देखे कि पर्याप्त राहत दी जाए।

मैं इस सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि इसने कृषि विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य देने हेतु कोई उत्साहपूर्ण घोषणा नहीं की गई है। 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर कृषि ऋण से कृषकों पर और भार बढ़ेगा। कृषि ऋण पर ब्याज दर को तुरंत कम करने की आवश्यकता है।

पेट्रोलियम और पैट्रो उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु कोई उपचारात्मक उपाय और सही कदम उठाए बिना आपने इसकी छानबीन करने के लिए केवल एक विशेषज्ञ समिति बना दी है। मेरे विचार से, यह और कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है। यह खरगोश के साथ मिलकर कुत्ते का शिकार करने के समान है।

यह हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि अल्पसंख्यकों के बीच निधि आबंटन को इस बजट में घटाकर पिछले वर्ष के बजट की तुलना में आधार कर दिया गया है।

मैं यह मानता हूं कि इस बजट में अवलोकन, दूरदर्शिता और आर्थिक विकास संबंधी रूपरेखा की कमी है।

सभापति महोदयः श्री मूर्ति आप भाषण पढ़कर सुना रहे हैं। आप इसे सभापटल पर भी रख सकते हैं।

श्री ए. गणेशमूर्तिः महोदय, भाषण तमिल में है। क्या इसे सभापटल पर रखा जा सकता है।

सभापति महोदयः भाषण किसी भी भाषा में हो सकता है। यदि यह लिखित भाषण है तो आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री ए. गणेशमूर्तिः महोदय, मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीण जनता को दी जा रही दैनिक मजदूरी को 80 रु. से बढ़ाकर 100 रु. करना एक स्वागतयोग्य कदम है। इसके साथ ही, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत दिए जा रहे कार्य भविष्य में परिसम्पत्ति निर्माण या लाभदायक नहीं होंगे। मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें कई खामियां और कुप्रबंधन हैं। इस महत्वपूर्ण उपाय का उद्देश्य वास्तव में पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी नौकरियां दी जानी चाहिए, जो ग्रामीण समुदाय की वास्तविक परिस्थिति में वृद्धि करे। लोगों को व्यस्त रखने के लिए नौकरियों की पहचान नहीं की जानी चाहिए, बल्कि ऐसी नौकरियों का सृजन होना चाहिए जो स्वयं लोगों को रोजगार दे।

समाज के पददलित वर्गों के लिए भारत निर्माण, इंदिरा आवास योजना, पीएमएजीएस, एसजीएसवाई और राष्ट्रीय महिला कोष जैसी योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं को संसद सदस्यों के पर्यवेक्षण के तहत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अवश्य कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इससे सरकार को खामियां, यदि कोई हों तो, मैं दूर करके अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

परंतु यह खेदजनक है कि बुनाई उद्योग को बढ़ावा देने अथवा हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के जीवनस्तर में सुधार हेतु

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई है। गत वर्ष के बजट में इरोड में मेगा पावर लूम कलस्टर स्थापित करने हेतु की गई घोषणा के संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इरोड में अब तक ऐसे कोई परिसर नहीं बने हैं। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इनमें गंभीरतापूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे।

गंगा नदी में सफाई रखने और उसके सौंदर्यवर्द्धन हेतु स्थापित नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथोरिटी को निधियां आबंटित की गई हैं, जबकि राष्ट्रीय नदियों और भण्डारण संरक्षण योजनाओं को भी बजट से निधियां आबंटित की गई हैं।

तमिलनाडु में कावेरी, भवानी, नोयाज और अमरावती जैसी नदियां इरोड, त्रिरूपुर और कोयम्बटूर जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों से गुजरती हैं। रंगाई इकाइयों और चर्म उद्योग भावनाओं से मिलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट ने इन नदियों को इतना दूषित कर दिया है कि उनका जल जहरीला हो गया है तथा मानव के उपयोग और कृषि के लिए अनुपयुक्त हो गया है।

अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह सौ औद्योगिक शहरों में पूरे देश में औद्योगिक शहरों के आसपास स्थित ऐसी नदियों के पास अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने हेतु योजनाएं बनाए। ताकि औद्योगिक अपशिष्ट के अलावा इन नदियों में भूजल विकास मिश्रित न हो। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई उचित योजना बनाए। यदि केन्द्र सरकार इसमें और अधिक विलंब करेगी तो तमिलनाडु के यह तीन जिले पेयजल के और सिंचाई हेतु जल के अभाव में मरूभूमि बन जाएंगे।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों में कल्याण हेतु एक अच्छी घोषणा की गई है। इसके लिए पर्याप्त निधियां भी आबंटित की जाए। अनेक राज्यों में ताड़ी उद्योग भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अत: केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह ताड़ी में औषधिय दृष्टि से उपयुक्त और सब्जी अथवा जड़ी-बूटी उत्पाद घोषित करने हेतु एक राष्ट्रीय योजना बनाए। इसे अल्कोहलयुक्त मदिरा की सूची से हटाया जाना चाहिए।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वार्षिक व्यय सीमा को 2 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रु. बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझसे पहले मेरे अनेक साथी वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया है।

सभापति महोदय: श्री गणेशमूर्ति आपके तीन मिनट पूरे हो चुके हैं। आप अपने भाषण को सभापटल पर रख सकते हैं।

***श्री ए. गणेशमूर्ति:** महोदय, मैं अपना शेष भाषण सभापटल पर रखता हूं।

श्रीलंका के अन्दर विस्थापित तमिलों के लिए 500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों को अपने घरों में भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ताकि वे अपने घर फिर से बना सकें। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे पता चला है कि जिन स्थानों में वे पहले रहते थे, सरकार की देखरेख में सिंहलियों को वहां बसाया जा रहा है। अब वे अपने ही घर में शरणार्थी हैं। उन्हें अनाथ और दास बनाया जा रहा है। उन्हें हथियारों से सज्जित श्रीलंका की सेना की निगरानी में शिविरों में रखा गया है। शिविर के चारों ओर तारों का बाड़ लगाया गया है। वे लोग अपने ही देश में गुलाम हैं। उन्हें भोजन और हर बुनियादी आवश्यकता के लिए अपने प्राधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। शौचालय की उचित सुविधाएं वहां नहीं हैं। बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसे छह शिविरों में छह लाख तमिलों को रखा गया है जो अपने ही देश दास हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेट्टीकुल्लम शिविर को विश्व का सबसे बड़ा शिविर बताया है और यह स्तंभित करने वाला है कि श्रीलंका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शरतनंद डिसिल्वा ने भी शिविर की दयनीय स्थिति पर सार्वजनिक टिप्पणी की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री वान की मून ने भी गंभीर चिन्ता व्यक्त की है।

लंदन से छपने वाले 'द टाइम्स' दैनिक ने लिखा है कि उन शरणार्थी शिविरों में सफाई की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। विस्थापित लोगों को श्रीलंका सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। वहां मरने के लिए शरणार्थी शिविर हैं। ऐसी खबर है कि उन शिविरों में हर सप्ताह लगभग 1400 लोग मर रहे हैं।

विभिन्न देशों से आई राहत सामग्री भी चेन्नई में पड़ी हुई है। हम इसे प्रभावित लोगों को नहीं भेज सके। रेड क्रास सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को श्रीलंका छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अत: मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि पुनर्वास सहायता जरूरतमंदों के पास पहुंचे न कि श्रीलंका सरकार के पास जो पहले ही बर्बाद तमिलों की नस्ल को मटियामेट कर देना चाहती है। अत: मैं संघ सरकार को चेतावनी देता हूं कि हामरी निधियों का उपयोग विनाशकारी प्रयोजनों के लिए होगा और विनाशकारी कृत्य में हम भागीदार होंगे। एक अन्य समाधान तमिलों के लिए अलग इलम बनाना हो सकता है। अन्यथा तमिल वहां नहीं रह सकते। जब बलूचिस्तान संभव है तो यह भी संभव है। अत: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समझदारी से कार्य करे और उनके सही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनकी सहायता करे।*

*सभापटल पर मूलत: तमिल में रखे गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और इकोनोमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ कदम वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं। आज कृषि क्षेत्र जिस तरह से पिछड़ रहा है, उसके कारणों पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। पिछले साल 287000 करोड़ रुपए से 325000 करोड़ रुपए ऋण बढ़ाने की बात इस बजट में कही गई है।

सभापति महोदय, जो बहुत छोटे किसान होते हैं, उनको नेशनेलाइज्ड बैंक अपने द्वार पर आने ही नहीं देते। एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो नेशनेलाइज्ड बैंक फाइनैंस का काम करते हैं, वे शिप-फाइनेंस के नाम से जो प्रस्तावित हैं, और बड़े किसानों को ही करते हैं और जो छोटे किसान हैं, उनको मनी लैंडर्स के द्वार पर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हम प्रस्तावित करेंगे। लेकिन अगर हम यह जो थ्री टायर सिस्टम नाबार्ड स्टेट कोआपरेटिव बैंक और कोआपरेटिव सोसायटी का और जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का सिस्टम है, इस थ्री टायर सिस्टम में कमीशन बढ़ते-बढ़ते किसान के हाथ में जब पैसा आता है तब तक 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक उसे पड़ता है। जब किसान को जरूरत होती है, उस समय तो उसे पैसा नहीं मिलता और कर्जे लेने के लिए उसे बार-बार बैंक और सोसायटी के द्वार पर जाना पड़ता है या फिर किसी नेता की चिट्ठी लानी पड़ती है तब कहीं जाकर किसान को पैसा मिलता है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि अगर किसानों को कर्जा देना है तो नाबार्ड से सीधे पैसा किसानों को अगर दे दिया जाए तो यह जो बीच में कमीशन जाता है, वह भी कम हो जाएगा और सीधे किसान नाबार्ड से पैसा लेगा तो उसका फायदा हो सकता है।

सरकार ने बैंकों के ऋण माफ करने के लिए कहा। लेकिन बैंकों को वह पैसा अभी तक नहीं मिला। अभी कई बैंकों ने जो ऋण माफ किया, उसका ब्याज वे किसानों से मांगते रहे या उसकी डिमांड करते रहे और नया फाइनेंस करना बिल्कुल बंद कर दिया है। कई बैंकों ने यह बात किसानों के सामने रखी कि पिछला पैसा केन्द्रीय सरकार से जो आना था, वह पैसा नहीं आया। इसलिए बैंक इकॉनोमिकली संकट में है और वे नया कर्जा नहीं दे सकते। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात यहां कही जा रही है लेकिन इस साल कृषि मंत्री जी ने गन्ने का जो समर्थन मूल्य 9 प्रतिशत होता है, उसका बेस कम कर दिया और सीआईसीपी ने जो रिकमेंडेशन 125 रुपये की दी थी, उसे भी कृषि मंत्री जी ने घटाकर 107 कर दिया है। ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि इस तरह से अगर किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा नहीं मिल सकता। इसलिए इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए अन्यथा इस देश में किसान लोग जो खुदकुशी कर रहे हैं, वे आत्महत्याएं नहीं रूकेंगी। अगर किसानों के लिए कुछ करना है तो कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी): मा. सभापति महोदय, 2009-10 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय मा. वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह 10 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति और व्यय का विवरण है और वह इस बारे में प्रसन्न भी थे। इसका स्वागत करते हैं। विश्व के कुछ ही देश इतना विशाल बाजार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने गरीबों को आगे नहीं बढ़ाया। अनुसूचित जनजाति की एक तिहाई और अनुसूचित जनजाति की आधी जनसंख्या 12 रुपए प्रतिदिन पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जोकि बहुत अल्प राशि है। बहुसंख्यक जनसंख्या 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करती है। मैं इस पर विचार करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बजट तैयार करते समय समाज के सबसे गरीब तबके की ओर ध्यान दे।

मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि श्रीलंका के अंदर विस्थापित तमिलों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इस सहायता का उपयोग तमिलों को अपने मूल स्थान पर बसाने के लिए किया जाए न कि शिविर बनाने में। इस प्रयोजन के लिए भारत की निधि को श्रीलंका सरकार को न दिया जाए। श्रीलंका के तमिलों को सम्मान और आदर के साथ रहने के लिए शीघ्र राजनीतिक विस्तारण हो ताकि उनके पास आत्मनिर्भर और सम्मान का अधिकार हो।

सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लायेगी और यह घोषणा की गई है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल या गेहूं दिया जाएगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यह सभी राशनकार्ड धारकों को दिया जाए जो अपने परिवार के लिए चावल या गेहूं खरीदने के लिए राशन की दुकान पर आश्रित हैं। ऐसे सभी लोग गरीब हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। इस योजना के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त चावल या गेहूं का वितरण किया जाए।

देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई और बड़े भाग पर सूखा पड़ने वाला है। वर्षा के अभाव ने चिंता बढ़ा दी है। यही समय

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

है हम नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करें। जल संसाधनों का इस्तेमाल पूरे देश द्वारा किया जाए। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसा करने के पक्ष में निर्णय दिया है। अत: मैं संघ सरकार से नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने का आग्रह करता हूं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्हें लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्र की संपत्ति के रूप में स्थापित किया गया, को मजबूत किया जाए। उन्हें मजबूत करने के नाम पर निजीकरण और विनिवेश नहीं किया जा सकता।

सोने के सिक्के पर लगने वाला कर बढ़ा दिया गया है। वास्तविकता यह है कि समाज के गरीब तबके को भी अपने परिवार में विवाह आदि जैसे शुभ अवसरों पर सोने की आवश्यकता होती है।

भारतीय जनमानस के सामाजिक जीवन में विवाह एक पवित्र घटना है। ऐसे विवाहों में सोने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गरीब लोग भी विवाह जैसे शुभ अवसरों पर सोने की खरीदारी करते हैं। अत: मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गरीबों को लाभ देने के लिए कम से कम सोने के 5 सोवारिन की सीमा तक कर में छूट दे।

तमिलनाडु में 'टेक्सटाइल पार्क' स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं मा. मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे पार्कों की स्थापना तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के पिछड़े जिलों में की जाए। ताकि वहां आर्थिक गतिविधि तथा रोजगार सृजन हो। मैं बताना चाहता हूं कि विष्णुनगर, तिरूनेल्वेली, मदुराई और समानाथपुरम जिलों में हैंडलूम और पावरलूम दोनों की इकाइयां हैं।

कृषि ऋण पर ब्याज दर घटाकर चार प्रतिशत की जाए। गन्ना किसानों को समय पर अपनी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। नरेगा कार्यक्रम, अंतर्गत 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी की गारंटी है, जिसका भुगतान समय पर किया जाए तथा कार्य की मात्रा के नाम पर इसे कम न किया जाए।

सरकार स्विटरजलैंड के बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

*कत्चतिवु के पास रहने वाले भारतीय मछुआरों के पारम्परिक मछुवाही अधिकार उन्हें लौटाए जाने चाहिए और उनके मछुवाही अधिकार की सुरक्षा की जानी चाहिए। हमारी सरकार को मछुआरों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये श्रीलंकाई सशस्त्र बलों द्वारा, जो अन्तर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में बेझिझक गोली चलाते हैं, मार दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए, कदम उठाने चाहिए कि हमारे भारतीय मछुआरे श्रीलंका की जेलों में कैद न किए जाएं और बहुत लंबे समय तक वहां न पड़े रहें।

अवरोधों को समाप्त करने के लिए सेतुसमुद्रन परियोजना आरंभ की जाए और वायदे के मुताबिक पूरी की जाए।

बहुत से कस्बों और गांवों में पेयजल आज भी एक समस्या है। राजप्लयम, श्रीविल्लीपुतर, शंकरनकोविल, पुलियनगुड़ी, समयनल्लुर ऐसे नगर हैं, जहां पेयजल की समस्या सर्वाधिक गंभीर है।

सेतूर और अन्य पंचायत संघों में कई समस्याग्रस्त गांव हैं जहां पेयजल का कोई मूल स्त्रोत नहीं है। हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिएं, जिनसे कम-से-कम पेयजल समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में, श्रीविल्लीपुर के वतिराथिरूप्पु संघ में स्थित पिलविक्किल बोध को वरूषनाडु बरास्ता कामराजपुरम से जोड़ा जाना चाहिए। पहाड़ी रास्ते के रूप में इस सड़क संपर्क को वन विभाग के कुछ नियमों में छूट देकर पूरा किया जाना चाहिए। उस पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के फायदे के लिए यह आवश्यक है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के लिए धनराशि का आबंटन किया है, लेकिन हम अब तक केन्द्र की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वस्त्र क्षेत्र और इसके श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, सरकार को कपास समय पर उपलब्ध कराने के लिए, समुचित कदम उठाने चाहिए।

राजपलायम में, आम की पैदावार बहुत होती है। भण्डारण सुविधा न होने के कारण, बड़ी मात्रा में आम लाभकारी मूल्य अर्जित किये बिना ही खराब हो जाता है। अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां आम प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाए, जिससे बड़ी संख्या में कृषि मजदूरों को आजीविका मिलेगी। विश्वप्रसिद्ध कुर्तल्लम प्रपात को महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा भारत सरकार के पर्यटन विभाग को इस संबंध में प्रभावी उपाय करने चाहिए।

वासुदेवनल्लुर के समीप पश्चिमी घाटों पर स्थित सेनबागवल्ली चेकडैम पिछले कुछ वर्षों से जीण-शीर्ण अवस्था में है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को केरल सरकार के साथ उठाएं, ताकि इस चैकडैम की मरम्मत की जा सके और इसका

*मूलत: सभापटल पर तमिल में रखे गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

दोनों राज्यों के लोगों को लाभ मिल सके। इसी प्रकार, केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अचानकोविल-वैप्परू नदी योजना आरंभ की जानी चाहिए।

किसी भी विकास योजना में समाज के सामान्य वर्गों और अल्पसंख्यकों का अवश्य ध्यान रखा जाए। गरीब लोगों को पशु चराने के हक से भी वंचित न कर दिया जाए। वनों में रहने वाले विशेषकर वनजातीय लोगों के अधिकार उन्हें वापस दिए जाएं।

मेरे संसदीय क्षेत्र पश्चिमी घाट क्षेत्र का प्रमुख भाग वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप वे गरीब लोग जानवर चराने के अधिकारों से वंचित हो गए हैं, जिन्हें अपनी गायों और भेड़ों के रेवड़ को 300 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने का अधिकार था। इन पारम्परिक गड़रियों की आजीविका का साधन समाप्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ पालन एक मूलभूत आवश्यकता है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधार भी है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उनके जीवन को बहाल करने और उन्हें प्रोत्साहन देने की योजना बनाएं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पारम्परिक अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए, उन्हें उनके पशु चराने और उनके पालन संबंधी अधिकार लौटाए जाएं।

देश में सार्थक भूमि सुधार लाने की दृष्टि से, भूमिहीन गरीबों को भूमियों के पट्टे (स्वामित्व के दस्तावेज) दिए जाएं। इसी प्रकार भूमिहीन मजदूरों के अधिकार में जो है वह उन्हें उनके निवास के लिए दी जाए। सरकार को इस संबंध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

पेयजल मिशनों को अबाधित विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए। इससे कई स्थानों पर पेयजल की समस्या को सुलझाने में और ऐसी ही समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने में काफी सहायता मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा हेतु सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए समुचित संख्या में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए और चलाए जाने चाहिए। मेरे संसदीय संविधान क्षेत्र में, श्री विल्लीपुतर तालुका के अंतर्गत कडनेरी में कलिंगपट्टी नामक छोटा सा गांव है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अनुसूचित जाति के लोगों का गांव है। दुर्भाग्यवश, गांव में कोई शिक्षा सुविधा नहीं है क्योंकि वहां कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। आसपास ऐसे कई गांव हैं। सरकार को ऐसे गांवों में जब वे मूल मानदण्डों को पूरा कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए और आगे आना चाहिए।

आज भी कई गांवों और छोटे कस्बों में महिला शौचालयों की सुविधा नहीं है। हम अब निजी शौचालयों की बात कर रहे हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऐसे परिवार भी हैं, जिनके पास घर नहीं है। यह एक मूलभूत समस्या है। इस समस्या से अधिक मूलभूत समस्या यह हो सकती है कि समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शौचालय की समस्या हो सकती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाए। इस संबंध में बजट प्रावधान भी किए जाएं।*

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। मूलत:, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं ठाणे का हूं और ठाणे, नवी मुम्बई और मीरा भयंदर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

महोदय, शहरी लोग काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन, अब शहरी क्षेत्र के लोग भी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

महोदय, मैं जेएनयू आरएम योजना के बारे में केवल कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस बार, माननीय वित्त मंत्री ने बजट आबंटन अच्छा दिया है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस धनराशि को बढ़ाकर कम-से-कम 3,000 करोड़ रुपये कर दें। मैं मूल रूप से महाराष्ट्र का हूं। मेरे मित्र ने कहा है कि राज्य में चुनाव आने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य विशेष रूप से मुम्बई–अधिक राजस्व दे रहा है। हम इसकी तुलना में महाराष्ट्र के लिए ज्यादा बजट की मांग कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक की मांग नहीं कर रहे हैं। अत:, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध कर रहा हूं। महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से अपनी मांगे रख रहा हूं।

राजीव गांधी आवास योजना चल रही है। किन्तु घर इतने छोटे हैं कि एक परिवार के लिए इसमें रहना बहुत कठिन है। मुझे तीन बार सीटी का मेयर बनने का अधिकार मिला। लोगों को छोटे घरों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि क्षेत्र को कम से कम 500 वर्ग मी. तक बढ़ाए ताकि एक परिवार उसमें आराम से रह सके।

जब अन्य समस्याएं हैं तो हमें मूल रूप से पेयजल समस्या पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा क्योंकि देश के सभी शहर इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि हमें सरकारी-निजी भागीदारी योजना आरंभ करनी चाहिए। हमारी सरकार बजट में इसका समर्थन कर रही है। अत:, स्वास्थ्य क्षेत्र,

शिक्षा क्षेत्र आदि में हम इस प्रकार की योजना आरंभ कर सकते हैं।

अंततः, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमें देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। यदि हम अधिक धनराशि अर्जित करना चाहते हैं तो हमें भी अन्य देशों की तरह पर्यटन क्षेत्र पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। वे पर्यटन क्षेत्र से अधिक धनराशि अर्जित कर रहे हैं। यदि हमारी सरकार अन्य देशों की तरह इन परियोजनाओं पर विचार करे तो यह हमारे देश के लिए भी निश्चित रूप से लाभकारी होगा।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के बारे में कहा। सभी लोग अधिक धनराशि की मांग कर रहे हैं। हम देश के विभिनन भागों से आए नए लोग हैं। मेरा ख्याल है सभी ने इसका समर्थन किया है। एक माननीय सदस्य दस करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि मैं कितना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहूंगा कि प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के अनुसार–जो 5 करोड़ रुपये या 10 करोड़ रुपये हो सकती है–राज्य और उनकी समस्याओं पर विचार करके ध नराशि स्वीकृत की जानी चाहिए। तो, ये हमारी समस्याएं हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः मि. राकेश सचान, अब आप बोलिए, लेकिन आप दो मिनट में इंट्रोड्यूस करके बाकी स्पीच टेबल पर 'ले' कर दें।

[हिन्दी]

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 के आम बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज यह बजट सदन में प्रस्तुत है और हमारे तमाम माननीय सदस्यों के विचार इस पर आये हैं। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बातें नहीं करूंगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। लेकिन इसकी निरंतर उपेक्षा हुई है। गत वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत थी, जो इससे पहले के 4.9 प्रतिशत से निराशाजनक स्तर तक कम हुई है और इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि कृषि क्षेत्र में बजट का आबंटन बहुत कम किया गया है। जब देश आजाद हुआ था, तब जी.डी.पी. में कृषि की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत थी, जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब 17 प्रतिशत रह गई है। जबकि इससे पहले 74 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर आधारित थे। यदि आज भी समीक्षा की जाए तो कृषि पूरे देश में कुल 52 प्रतिशत रोजगार दे रही है। लेकिन इस बजट में सीमांत किसानों को तीन लाख रुपये की छूट और कम ब्याज दर पर पैसा देने की बात कही गई है। जबकि यह दर चार प्रतिशत होनी चाहिए। इस बारे में मैं अपने सुझाव दे रहा हूं कि इस बजट में संशोधन किया जाए और सात प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत की दर पर किसानों को ऋण दिया जाए।

महोदय, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी चार प्रतिशत की बात कही गई है। लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जब किसानों के कर्ज अदा नहीं होते तो खेती नीलाम होती है। हम लोग गांवों से जुड़े हैं। हमारा जनपद फतेहपुर एक पिछड़ा जनपद है, जहां से चुनकर मैं आया हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके कुल मतदाता 16.5 लाख हैं। यह पिछड़ा लेकिन खेती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां की स्थिति इतनी जर्जर है कि खेती के नाम पर लोग आत्महत्यायें कर रहे हैं। उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। सिंचाई के साधन नहीं हैं। इस बजट में सिंचाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आज मानसून नहीं है। खरीफ की फसल ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है। आपको विशेष रूप से बोलने की अनुमति दी गई है। आपको अपना शेष भाषण सभापटल पर रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री राकेश सचानः क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप पहले ही तीन मिनट बोल चुके हैं। आपको विशेष रूप से अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री राकेश सचानः सभापति जी, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः बिलकुल नहीं। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राकेश सचान: सभापति जी, मेरे क्षेत्र का सवाल है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राकेश सचान: सिंचाई की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। देश में कम से कम 50 परसेंट जगह पर मानसून नहीं बरसता है। बजट में भी सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राकेश सचान: उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, दादरी में 60 हजार मेगावाट बिजली का प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ था, लेकिन वह लम्बित है। कम से कम इस बजट में तो ध्यान दिया जाए। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब आप नहीं बोल सकते। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप अपना रोष भाषण सभापटल पर रख दीजिए अथवा अपनी सीट पर बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जी नहीं। मैंने आपको बोलने का अवसर देकर गलती की है। आपकी पार्टी को आबंटित समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको अभी अपनी सीट पर बैठना होगा। मैं फिर कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जी नहीं, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब बहुत हो गया।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

***श्री राकेश सचान:** महोदय, कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इसकी निरंतर उपेक्षा हुई है। गत वर्ष कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत है जो उससे पहले की 4.9 प्रतिशत से निराशाजनक स्तर तक कम है। इसका प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र को बजट का बहुत कम आबंटन है। जब देश आजाद हुआ था तब कृषि की भागीदारी जी.डी.पी. में लगभग 50 प्रतिशत थी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अब यह घटकर 17 प्रतिशत रह गई है। जबकि पहले कृषि पर 74 प्रतिशत लोग आश्रित थे। अगर आर्थिक समीक्षा को ही सही माने तो अब भी खेती 52 प्रतिशत लोगों को रोजगार दे रही है। इस बजट में सीमान्त किसानों को पूर्व की तरह 3 लाख तक का कर्ज 7 प्रतिशत ब्याज दर पर जारी रखने का उल्लेख है।

स्वामीनाथन कमीशन एवं संसद की कृषि संबंधी स्थाई समिति ने किसानों को 4 प्रतिशत दर के ब्याज पर ऋण देने की सिफारिशें की हैं जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। कर्ज की अदायगी न कर पाने से ही किसान आत्महत्या करने को विवश होता है।

रीकन्सिलिएशन बोर्ड-कर्ज अदा न करने पर खेती नीलाम नहीं होनी चाहिए। जैसे उद्योगों में कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की व्यवस्था है वही रीकन्सिलिएशन बोर्ड बनाकर खेती के मामले में भी होना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उपेक्षित है–50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा फल, सब्जियां, मांस, मछली हर साल सड़ जाते हैं, लेकिन इस मंत्रालय को बहुत कम धन आबंटित किया गया। दो प्रतिशत प्रोसेसिंग जबकि ब्राजील में 80 प्रतिशत पशुधन एवं मत्स्य यापन में प्रसार भी बहुत ज्यादा संभावना है। दूध एवं मांस से जो राजस्व प्राप्त होता है वह देश की दो प्रमुख फसलों गेहूं एवं धान से प्राप्त होने वाले राजस्व के लगभग बराबर होता है, लेकिन यह क्षेत्र भी पूरी तरह उपेक्षित है।

गरीबी–आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश में 77 प्रतिशत लोगों की क्षमता केवल 20 रुपये तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च करने की है। इसका अर्थ है कि देश की आधे से ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। गरीबी की रेखा क्या है इसे सही ढंग से परिलक्षित करने की आवश्यकता है।

नरेगा-जाब कार्ड–भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सारा काम मशीनों से/फर्जी मास्टर रोल बनाकर पेमेंट हो जाता है।

बेरोजगारी–गरीबी की जड़ है। बजट में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। इससे पहले भी एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी लेकिन ये केवल घोषणाएं बनकर रह जाती हैं।

सिंचाई–देश की आधा से ज्यादा जमीन असिंचित है और बहुत बड़ा भूभाग बंजर है जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है-कोई योजना नहीं है।

बिजली का संकट है। बीपीएल कार्ड की संख्या बढ़ाई जाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर धांधली में सुधार किया जाये। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले। हमारे जनपद में किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया। सर्वशिक्षा अभियान के तहत गांव में मजरों में भी विद्यालय बनवाने की व्यवस्था की जाये। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन योजना लागू हो। हमारे क्षेत्र का गन्ना घाटमपुर शुगर मिल में जाता है। इन्द्रा आवास में धन बढ़ाया जाये। फतेहपुर जनपद को पिछड़े जनपद में शामिल कर विशेष पैकेज की व्यवस्था सरकार इसी बजट में करें। पशुधन को महत्व एवं किसानों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराये। पेयजल का गंभीर संकट है। सहभागिता स्कीम सफल नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आबादी के अनुसार मानक तय किया गया है उसे शिथिल किया जाये।*

[अनुवाद]

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): महोदय, यह अत्यंत व्यावहारिक और वास्तविकता पर आधारित बजट हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की व्यय क्षमता बढ़ेगी। बजट का सार यह है कि यह बजट पददलित, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है।

महोदय, प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक मंदी के काल में बेहतरीन कार्य किया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। उत्पादन में गिरावट नहीं आई है। जीडीपी दर को बनाए रखा गया है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अक्षुण्ण रहा। महोदय, नरेगा हेतु 39,000 करोड़ रु. और जेआरएनयूएम हेतु 12,000 करोड़ रु. के आबंटन से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थितियों में सुधार होगा।

मैं अपना भाषण सभापटल पर रख दूंगा, लेकिन उत्तराखंड के संबंध में मुझे छह सुझाव देने हैं। यह एक पर्वतीय राज्य है और वैश्विक ताप (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण स्रोत सूख रहे हैं। वहां पेयजल की समस्या बहुत अधिक है। भारत सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए विशेष योजना तैयार करनी चाहिए।

दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए निर्धारित मानकों पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है। मानकों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए 10,000 जनसंख्या होना आवश्यक है। भौगोलिक स्थिति के कारण मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग मानदंड हैं। स्वास्थ्य संबंधी मानकों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

वहां सम्पर्क एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्य के केवल 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही सड़क मार्ग है। सम्पर्क व्यवस्था में सुधार करने के लिए राज्य हेतु विशेष पैकेज बनाए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह संचार सम्पर्क हो अथवा सड़क सम्पर्क।

एक अन्य प्रमुख समस्या यह है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधियां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए ताकि उनका लाभ उन लोगों को मिल सके जिनके लिए वे बनाए गए हैं। प्रत्येक राज्य में सम्पूर्ण बजट का उपयोग नहीं किया जा रहा है अथवा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

बीपीएल परिवारों को 3 रु. प्रति किलो की दर से चावल और गेहूं देने की यूपीए सरकार की योजना एक ऐतिहासिक योजना है। इससे देश के लोगों के जीवनस्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी अनुमति से मैं अपना भाषण सभापटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण सभापटल पर रख दीजिए।

***श्री विजय बहुगुणा:** महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 के सामान्य बजट के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

इस देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रु. का बजट प्रस्तुत करने हेतु मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह एक व्यावहारिक और वास्तविकता पर आधारित बजट है जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों की व्यय क्षमता बढ़ेगी।

यह बजट एक दूरदर्शी बजट है जिसमें अगले चार वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार की गई है। यूपीए सरकार के बजट में आम आदमी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वित्त मंत्री ने यह बजट एक चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है क्योंकि उन्हें राजकोषीय दूरदर्शिता सुनिश्चित करते हुए प्रेरक विकास और समग्र विकास के बीच संतुलन स्थापित करना था।

जबसे हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के योग्य और प्रेरणादायक नेतृत्व में यूपीए सरकार ने वर्ष 2004 से कार्यभार संभाला है तभी से राष्ट्र का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में विकास हुआ है। विकास दर 9 प्रतिशत तक चली गई है और मुद्रास्फीति कम हो गई है।

सामाजिक क्षेत्र में नियमित आधार पर निधियां दी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु और प्रत्येक बीपीएल परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नरेगा के रूप में बनाया गया अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है। भारत निर्धन मिशन, डीयूआरएम, राजीव गांधी विद्युत योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति ने समाज के पददलित, वंचित और कमजोर वर्गों के चेहरों पर प्रसन्नता बिखेर दी है।

वर्ष 2008 मे विश्व को उस समय करारा झटका लगा जब अप्रत्याशित वैश्विक आर्थिक संकट ने उसे घेर लिया जिसके परिणामस्वरूप मंदी आई। इससे विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए सरकार ने रोजगार और सार्वजनिक सम्पत्ति सृजन के लिए मांग में वृद्धि करने के लिए कर में राहत प्रदान कर और सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करके संकेन्द्रित 3 राजकोषीय फोरम पैकेज दिए।

निधियों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंकों ने धन प्रवाह तथा तरलता बढ़ाने वाले कई उपाय किए।

2008-09 के वर्तमान बाजार मूल्यों में सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत का राजकोषीय प्रोत्साहन 1,86,000 करोड़ रुपए है।

इस राजकोषीय समायोजन के कारण वित्तीय घाटा 2.7% से बढ़कर 6.8% हो गया।

यह हमारा सौभाग्य है कि वित्तीय विषय के अति निपुण व्यक्ति और अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हैं।

कृषि और औद्योगिक उत्पादन को सुनिश्चित कर सप्रंग सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया।

बजट में बुनियादी संरचना व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। राजमार्गों रेलवे, पीएमजीवाईएस के आबंटन में भारी वृद्धि की गई है जिससे की हमारी यातायात अवसंरचना में सुधार होगा।

सरकार के कार्यक्रमों को भारी धनराशि उपलब्ध कराई गई है जो ग्रामीण भारत का मूल स्वरूप बदल देगी।

7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत 2009-10 में संभवत: चीन के बाद दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी।

वर्तमान 6 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के 2010-11 में घटकर 5.5 प्रतिशत तथा 2011-12 में 4 प्रतिशत होने की संभावना है।

सप्रंग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी गरीबों की समस्या पर विशेष ध्यान दे रही हैं और शीघ्र ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम गेहूं या चावल दिया जाएगा।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार ने किसानों का 70 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

---

*भाषण का यह भाग सभापटल पर रखा गया।

बजट में समय पर अपना ऋण अदा करने वाले किसानों के ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में विलंब न किया जाए और सरकार उत्पादकता बढ़ाने और सामाजिक कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए विनिवेश से प्राप्त राजस्व का उपयोग करे।

यह बड़े चिन्ता की बात है कि कुछ राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को लागू करने में पीछे है। राज्य द्वारा केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी की जाये और यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक तरीके विकसित किए जाएं।

नरेगा के लिए आबंटन को बढ़ाकर 39,000 करोड़ रुपए है और जेयूआरएस के लिए आबंटन को बढ़ाकर 12,887 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन दोनों योजनाओं ने ग्रामीणों को वित्तीय राहत और शहरी क्षेत्रों की झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों को बेहतर नागरिक सुविधाएं दी हैं।

[हिन्दी]

महोदय, जिस तरह कृषि, उद्योग, व्यापार पर विशेष योजनाएं बना रहे हैं उसी तरह हमें इस देश के जो पर्वतीय राज्य हैं वहां के विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

पर्वतीय राज्यों में विकास दर पिछड़ रहा है और मूलभूत ढांचे का अभाव है। पेयजल, स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है और सड़कों का अत्यंत अभाव है। जहां हिमाचल प्रदेश में 96 प्रतिशत सड़क से संपर्क है वहां उत्तराखंड में मात्र 60 प्रतिशत है।

पर्वतीय राज्यों में जंगल कट रहे हैं वन संरक्षण के लिए अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।

अभी लोक सभा में पर्वतीय राज्यों के सांसदों ने हिमाचल विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव रखा है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष पेयजल योजनाएं बनाई जाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनसंख्या के मानकों में शिथिलता प्रदान की जाए।

स्वास्थ्य के जो केंद्रीय मानक हैं वह जनसंख्या पर आधारित है। 10,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है। भौगोलिक स्थिति वहां ऐसी है कि घंटों का सफर कर आप स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचेगे। अतः इन मानकों में बदलाव आना चाहिए।

दूरसंचार की सुविधा से भी कई क्षेत्र वंचित हैं। सीमांत राज्य होने के कारण आंतरिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सड़क अधिकांश क्षेत्र में पहुंचे और दूरसंचार की सुविधा बढ़े। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन को व्यापक रूप से सड़कों का निर्माण करना चाहिए। जो उत्तराखंड से गंगोत्री का भाग है उसकी अत्यंत दयनीय दशा है।

केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। राज्य सरकारें शिथिलता बरत रही हैं। इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की भी आवश्यकता है ताकि सही मायने में विकास का लाभ जनता तक पहुंच सके।

बीपीएल कार्ड धारकों का पुर्नसर्वेक्षण करना आवश्यक है ताकि वंचित लोगों को केंद्र की मदद मिल सके।*

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी (चिक्कोडी): महोदय, इस बड़ी पंचायत में आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी को-आपरेटिव सेक्टर के बारे में महाजन जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। हमारा देश राजकरण और को-आपरेटिव सेक्टर, दोनों से जुड़ा है।

महोदय, वर्ष 1904 में को-आपरेटिव मूवमेंट की स्थापना हुई थी। उस दिन से आज तक हम सभी किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को कर देते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2006 में वित्त मंत्री जी ने अर्बन बैंक्स के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स लगाया है। अर्बन बैंक्स, रूरल बैंक्स और को-आपरेटिव सेक्टर में हम आम आदमी से डिपोजिट कलैक्ट करते हैं, आम आदमी को लोन देते हैं और जो भी उनसे प्रॉफिट आता है, उसे हम डिविडेंट देते हैं और हम अपनी एक को-आपरेटिव सोसाइटी चला देते हैं। यह सब होने के बावजूद हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिले निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस हिसाब से टोटल डिपॉजिट के 25 हजार टका का हम एसएलआर में इंवेस्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम रिजर्व बैंक द्वारा लिस्टेड बैंकों में इंवेस्ट करते हैं। इतना सब करने के बाद उसे प्रॉफिट मानकर को-आपरेटिव सेक्टर के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, इससे आम आदमी का बुरा हाल हो सकता है। मैं यह निवेदन करता हूं कि सैक्शन 80 (पी) जिसे हटा दिया गया है उसे फिर से री-स्टोर किया जाए।

महोदय, आत्महत्याएं आज भी नहीं रुकी हैं। हमने कर्ज माफ किया, लेकिन देश के किसान आज भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसमें हमसे चूक कहां हो रही है? सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट

और अधिकारी वर्ग इनमें किसी में भी कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। 60 बरस पहले जब ध्वजवंदन हुआ था, तब नेहरू जी ने कहा था कि हमारा देश किसानों का देश है और जब तक किसान सुदृढ़ रहेगा देश तब तक सुदृढ़ रहेगा। यह नेहरू जी ने कहा था इसलिए किसान को सुदृढ़ रखना हमारा काम है। एक समग्र कृषि नीति लाने का नेहरू जी का सपना था, लेकिन इसे आज तक किसी ने नहीं किया है। आप सपोर्टिंग प्राइस जरूर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन सपोर्टिंग प्राइस डिक्लेयर करने के बावजूद आत्महत्याएं नहीं रूकती हैं। कर्ज माफ करने के बावजूद आज आत्महत्याएं नहीं रूकती हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और कोई नया कदम इसके निवारण के लिए उठाएं। किसान के प्रोडक्ट मैटीरियल के लिए कुछ भी मिनिमम प्राइस नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो गया है। आपने तीन मिनट का समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: महोदय, सरकार द्वारा किसान के प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम प्राइस निर्धारित किया जाए और किसानों की आत्महत्याएं रोकने की कोशिश की जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार और वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं।

मोहम्मद अजहरूद्दीन (मुरादाबाद): मा. सभापति महोदय, समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यद्यपि आज मुझे बोलने का मौका बहुत विलंब से मिला तथापि क्रिकेटर के रूप में कोच द्वारा मुझे पहली शिक्षा धैर्य रखने की मिली है। मेरे विचार में आज धैर्य ने अपनी भूमिका निभाई है।

यह मेरा पहला भाषण है। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे सभा में अनेक प्रतिष्ठित सदस्यों का साथ मिला है। जो इस सभा में हैं और लंबे समय से यहां रहे हैं। मैं इस तरह का शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को बधाई देना चाहता हूं। मेरे विचार में इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलू शामिल हैं।

सभापति महोदय: मोहम्मद अजहरूद्दीन आप बोल सकते हैं। आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब सभा 14 जुलाई 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 14 जुलाई, 2009/23 आषाढ़, 1931 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री प्रदीप माझी श्री किसनभाई वी. पटेल	121
2.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री एस. सेम्मलई	122
3.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र श्री प्रबोध पांडा	123
4.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री आनंदराव अडसुल	124
5.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	125
6.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री मनीष तिवारी	126
7.	श्री निशिकांत दुबे श्री मनसुखभाई डी. वसावा	127
8.	श्री के.डी. देशमुख श्री महेन्द्र कुमार राय	128
9.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	129
10.	श्री दुष्यंत सिंह श्री एन. चेलुवरया स्वामी	130
11.	श्री यशवंत लागुरी	131
12.	श्री तथागत सत्पथी श्रीमती सुप्रिया सुले	132
13.	श्रीमती ऊषा वर्मा श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	133
14.	श्री टी. आर. बालू	134
15.	श्री राधा मोहन सिंह श्री अधीर चौधरी	135
16.	श्री विलास मुत्तेमवार श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	136
17.	श्री जगदम्बिका पाल श्री एंटो एंटोनी	137
18.	श्री हरिन पाठक श्री अर्जुन चरण सेठी	138
19.	श्री गुरुदास दासगुप्त	139
20.	श्री रामसिंह राठवा श्री अनुराग सिंह ठाकुर	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	1095, 1162
2.	अडसूल, श्री आनंदराव	1146, 1194, 1225, 1244
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	1099, 1164, 1207, 1233, 1250
4.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	1047
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1072, 1142, 1193, 1224, 1243
6.	अजमल, श्री बदरूद्दीन	1102
7.	अंगड़ी, श्री सुरेश	1058, 1156
8.	एंटोनी, श्री एंटो	1155, 1201
9.	बालू, श्री टी.आर.	1140, 1188
10.	बर्क, डॉ. शफुकुर्रहमान	1068, 1134, 1152
11.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	1056, 1124, 1137, 1176
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1220
13.	चौहान, श्री संजय सिंह	1093, 1143, 1152, 1190, 1194
14.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	1087, 1167, 1218
15.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1057, 1128, 1169, 1199
16.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1070
17.	चौधरी, श्री अधीर	1153, 1161
18.	दास, श्री भक्त चरण	1219, 1254
19.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1143, 1188, 1256, 1257
20.	देशमुख, श्री के.डी.	1077, 1116, 1183, 1221
21.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	1107, 1145, 1168

1	2	3
22.	दुबे, श्री निशिकांत	1135, 1182, 1220
23.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	1079, 1148
24.	दत्त, श्रीमती प्रिया	1054
25.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	1108, 1134, 1170, 1210
26.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1126, 1180, 1217, 1238
27.	गांधी, श्रीमती मेनका	1067, 1129, 1177, 1228
28.	गांधी, श्री वरुण	1086
29.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1180
30.	हक, शेख सैदुल	1101, 1165, 1208
31.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	1100, 1137, 1259
32.	जाधव, श्री बलीराम	1079, 1148
33.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	1061
34.	जावले, श्री हरिभाऊ	1127
35.	जयाप्रदा, श्रीमती	1066, 1082, 1171, 1211, 1236
36.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	1077, 1143, 1147, 1209
37.	जिन्दल, श्री नवीन	1104, 1257
38.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	1100, 1137, 1259
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	1044, 1077, 1090, 1111, 1151
40.	कलमाडी, श्री सुरेश	1062, 1077, 1153, 1187
41.	करुणाकरन, श्री पी.	1145, 1158
42.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	1089, 1125, 1137, 1227
43.	कटारिया, श्री लालचन्द	1077
44.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1132, 1179, 1216, 1251
45.	कुमार, श्री विश्व मोहन	1085, 1138
46.	कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश	1137
47.	लागुरी, श्री यशवंत	1121, 1186, 1258
48.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1118, 1175, 1218, 1239
49.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1071, 1136, 1184
50.	महतो, श्री नरहरि	1048
51.	महताब, श्री भर्तृहरि	1094, 1103, 1215
52.	माझी, श्री प्रदीप	1133, 1178, 1215, 1237
53.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	1048
54.	मणि, श्री जोस के.	1080, 1150, 1196
55.	मुंडा, श्री अर्जुन	1079, 1092, 1131, 1134
56.	मुत्तेमवार, श्री विलास	1117, 1190, 1222, 1241
57.	निरूपम, श्री संजय	1060, 1073, 1143, 1253
58.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1134, 1181, 1219, 1240
59.	पाल, श्री जगदम्बिका	1130, 1191, 1223, 1242
60.	पांडा, श्री वैजयंत	1063, 1145, 1156, 1203, 1230
61.	पांडा, श्री प्रबोध	1122, 1133, 1143, 1188
62.	पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार	1088, 1094, 1151, 1157, 1237
63.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	1071, 1215

1	2	3
64.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	1085, 1133, 1134, 1190, 1202
65.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1133, 1178, 1252, 1255
66.	पाठक, श्री हरिन	1141, 1192, 1222
67.	राजेश, श्री एम.बी.	1137
68.	राम, श्री पूर्णमासी	1071, 1097
69.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	1133, 1137, 1208, 1219, 1255
70.	रामशंकर, प्रो.	1106
71.	राव, डॉ. के.एस.	1096, 1163, 1206
72.	राव, श्री नामा नागेश्वर	1098
73.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1073, 1081, 1133, 1154, 1199
74.	राठवा, श्री रामसिंह	1167, 1218
75.	रावत, श्री अशोक कुमार	1066, 1128, 1202, 1229, 1248
76.	राय, श्री रूद्रमाधव	1065, 1133, 1153, 1244
77.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1071
78.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1115, 1198, 1226, 1245
79.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	1046, 1112
80.	रेड्डी, श्री के.जी.एस.पी.	1045, 1061, 1071, 1149, 1195
81.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	1048, 1069
82.	सेम्मलई, श्री एस.	1190, 1244
83.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	1105
84.	सत्पथी, श्री तथागत	1110, 1187, 1234
85.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	1137, 1145
86.	शर्मा, श्री जगदीश	1074, 1215, 1253, 1259
87.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	1075, 1083, 1146, 1194, 1260
88.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	1049, 1134, 1137, 1144, 1170
89.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1071, 1182
90.	सिंह, श्री दुष्यंत	1137, 1185
91.	सिंह, श्री गणेश	1051, 1071, 1134, 1256
92.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	1079, 1088, 1157, 1204, 1231
93.	सिंह, श्री राधा मोहन	1127, 1189, 1235
94.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	1109, 1131, 1162, 1172, 1212
95.	सिंह, श्री राकेश	1055, 1123, 1170
96.	सिंह, श्री सुशील कुमार	1078
97.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	1060, 1151, 1197
98.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	1074, 1215, 1253, 1259
99.	सिंह, श्री उमाशंकर	1219
100.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	1113, 1173, 1213, 1247
101.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	1043
102.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1053, 1120, 1145, 1243, 1246
103.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	1119, 1174, 1214, 1253
104.	सुशान्त, डॉ. राजन	1052
105.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	1114
106.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	1153

1	2	3
107.	ठाकोर, श्री जगदीश	1076
108.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1125, 1200, 1227, 1246
109.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	1064, 1074, 1078
110.	थॉमस, श्री पी.टी.	1091, 1159
111.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1166, 1186, 1258
112.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	1084, 1195
113.	वर्मा, श्रीमती ऊषा	1139
114.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	1059, 1160, 1205, 1232, 1249
115.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	1159
116.	यादव, श्री ओम प्रकाश	1050, 1131, 1208
117.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	1143
118.	यास्खी, श्री मधु गौड	1079, 1126, 1162, 1180, 1217

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	128, 129, 132, 136
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	127, 131, 134
रक्षा	:	123, 126
मानव संसाधन विकास	:	122, 124, 125, 130, 133, 135, 138, 140
श्रम और रोजगार	:	121, 137, 139
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	
पोत परिवहन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1073, 1075, 1077, 1080, 1083, 1091, 1094, 1099, 1100, 1101, 1105, 1113, 1116, 1125, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1136, 1140, 1142, 1144, 1148, 1153, 1155, 1160, 1179, 1180, 1181, 1185, 1187, 1196, 1209, 1213, 1218, 1234, 1237, 1238, 1245, 1246, 1255, 1256, 1259, 1260
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1048, 1053, 1069, 1070, 1074, 1085, 1090, 1093, 1098, 1112, 1115, 1121, 1123, 1126, 1151, 1152, 1154, 1159, 1161, 1170, 1178, 1183, 1195, 1200, 1203, 1204, 1207, 1225, 1229, 1241, 1251, 1253
रक्षा	:	1047, 1055, 1076, 1078, 1081, 1096, 1103, 1110, 1111, 1156, 1158, 1182, 1193, 1220, 1227, 1233, 1242, 1247, 1248, 1252
मानव संसाधन विकास	:	1046, 1051, 1056, 1067, 1068, 1071, 1072, 1079, 1086, 1087, 1088, 1089, 1095, 1097, 1106, 1107, 1109, 1117, 1118, 1120, 1133, 1134, 1137, 1141, 1143, 1145, 1146, 1150, 1157, 1162, 1168, 1173, 1174, 1188, 1190, 1191, 1192, 1194, 1199, 1201, 1202, 1210, 1212, 1214, 1215, 1216, 1219, 1221, 1222, 1223, 1235, 1243, 1244, 1249, 1254
श्रम और रोजगार	:	1043, 1045, 1050, 1054, 1082, 1084, 1102, 1104, 1108, 1124, 1128, 1138, 1139, 1147, 1149, 1163, 1164, 1177, 1184, 1186, 1189, 1197, 1205, 1208, 1217, 1226, 1228, 1231, 1240, 1257, 1258
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1044, 1049, 1052, 1057, 1061, 1066, 1092, 1114, 1135, 1171, 1172, 1198, 1211, 1224, 1232, 1236, 1250
पोत परिवहन	:	1065, 1119, 1122, 1165, 1166, 1167, 1169, 1175, 1176, 1206, 1230, 1239.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और धनराज एसोसिएटस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।